भारतीय ग्रन्थालय संघ हिन्दी ग्रन्थमाला, ३

अनुवर्ग-सूची-कल्प

भारतीय ग्रन्थालय संघ

हिन्दी ग्रन्थमाला

१ रगनाथन (श्री रा.) ग्रन्थ अध्ययनार्थ है, *Books are for use* का मुरारि लाल नागर द्वारा रूपान्तर १९५०

२ रगनाथन (श्री रा) तथा नागर (मु ला) ग्रन्थालय प्रक्रिया १९५१

३. रगनाथन (श्री रा) तथा नागर (मु ला) अनुवर्ग-सूची-कल्प १९५२

४. रगनाथन (श्री रा) ग्रन्थालय पंचसूत्र, Five laws of library science का रामस्वरूप गोयल तथा शिवनाथ राघव द्वारा रूपान्तर. (तैयार हो रहा है)

हिन्दी ग्रन्थमाला का प्राप्ति स्थान :

आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली

अंग्रेजी ग्रन्थमाला

१. रगनाथन (श्री. रा) लायब्रेरी टूर, यूरोप एण्ड अमेरिका, १९४८. इम्प्रेशन्स एण्ड रिफ्लेक्शन्स १९५०

२ रगनाथन (श्री. रा), सपा.· पब्लिक लायब्ररी प्रोविज़न एण्ड डाक्युमेन्टेशन प्रॉब्लम्स. १९५१

३. रगनाथन (श्री रा) तथा शिवरामन (के एम्) लायब्रेरी मेनुअल. १९५१

४ रगनाथन इदि इण्डियन लायब्रेरी डायरेक्टरी १९५१.

५ रगनाथन (श्री रा.) लायब्रेरी बुक सेलेक्शन १९५२

अवगिल

इस सामान्य आख्या के साथ एक आवरण में त्रैमासिक अवदान ३१ मार्च ३० जून, ३० सितम्बर तथा ३१ दिसम्बर को प्रकाशित होते हैं।

हिन्दी ग्रन्थमाला, ३

अनुवर्ग-सूची-कल्प

श्री. रा. रंगनाथन

तथा

मुरारि लाल नागर

१९५३

भारतीय ग्रन्थालय संघ

आत्माराम एण्ड सन्स

प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता

काश्मीरी गेट, दिल्ली

विषय-सूची

ग्रन्थालय-शास्त्र-पंचसूत्री

ग्रन्थालयी सदासेवी पञ्चसूत्री-परायणः ।
ग्रन्था अध्येतुमेते च सर्वेभ्य स्वं स्वमाप्नुयु ॥
अध्येतु समय शेपेदालयो नित्यमेव च ।
वर्धिष्णुरेष चिन्मूर्ति पञ्चसूत्री सदा जयेत् ॥

श्रीः

पूर्वपीठिका

ग्रन्थालय सूची के आन्तरिक स्वरूप का क्रमशः विकास हुआ है। उसकी तीन क्रमिक अवस्थाए ग्रन्थकार, अनुवर्ण तथा अनुवर्ग-सूची हैं। अनुवर्ग-सूची सर्वान्तिम है। उसका विकास सबसे पीछे हुआ है। अत स्वाभाविकतया उससे सम्बद्ध साहित्य तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा ही है। सूचीकरण सम्बन्धी सुव्यवस्थित कल्प के विषय मे तो यह अभाव और भी अधिक स्पष्ट एव निश्चित है। ग्रन्थकार-सूची के कल्पो की तो बडी भारी सख्या है—वे अत्यधिक है। सर्वानुवर्ण-सूची के कल्प भी पर्याप्त माने जा सकते है। किन्तु अनुवर्ग-सूची के लिए सर्वागपूर्ण कल्पो की सख्या तो सर्वथा नगण्य सी है। इसी अभाव को ध्यान मे रखकर यह छोटा सा प्रयत्न किया जा रहा है। इसके आधार मद्रास विश्वविद्यालय मे २०-२५ वर्षो तक किए हुए परीक्षणात्मक प्रयोग हैं। साथ ही गत २० वर्षो मे ग्रन्थालय-शास्त्र के छात्रों को यह विषय पढाया भी गया है। इस अध्यापन के अनुभव को भी इस कल्प के निर्माण मे आधार बनाया गया है।

यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ मे उदाहरणों के क्रामक-समक द्विबिन्दु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार बनाये गये है, किन्तु सूची के निर्माण मे इस ग्रन्थ की धाराओ के उपयोग के लिए यह अनिवार्य नही है कि उस वर्गीकरण पद्धति को अपनाना ही पड़े। इसमे एक ही अपवाद हैं। वह हैं धारा ३१ तथा उसके उपभेद, जो अनुवर्ग निर्देशी सलेखों से सम्बन्ध रखते है। किन्तु यह नही कहा जा सकता कि जो ग्रन्थालय अन्य पद्धतियो का अनुसरण करते हो उनके लिए धारा ३१ तथा उसके उपभेद किसी काम के नही है। उनके लिए भी वे रुचिकर प्रतीत होगे। कम से कम उनसे कुछ न कुछ मार्गप्रदर्शन तो हो ही सकेगा।

उपक्रमणिकाएं

आरम्भ के ८ अध्याय, अर्थात् अध्याय ०१ से ०८ उपक्रमणिकाओ से सम्बन्ध रखते हैं। वे विषय मे प्रवेश कराते हैं। अध्याय ०१ मे ग्रन्थालय-सूची के विकास की चर्चा है। अध्याय ०२ में अनुवर्ग-सूची मे आने वाले सलेखो के विभिन्न प्रकारो की परिगणना है। अध्याय ०३ में ग्रन्थालय सूची के भौतिक स्वरूप

विशेषकर पत्रक-प्रकार का वर्णन है। अध्याय ०५ में उन सक्षिप्त रूपों की तालिका दी गई है जो सलेख बनाते समय काम आएगे।

सूची-पत्रकों के व्यवस्थापन की धाराए ०६ मे दी गई है। अध्याय ०३ की लेखन-शैली की निर्देशक धाराए तथा अध्याय ०६ की वर्णानुक्रमीकरण की धाराए एक सूत्र मे अनुस्यूत कर दी गयी है। हमारे ग्रन्थालय-सूची-सिद्धान्त (*Theory of library catalogue*) के अध्याय ६४ मे वर्णानुक्रमीकरण के जिस रचनात्मक-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, उसका सर्वप्रथम उपयोग यहा किया गया है, यह हमारा विश्वास है। सम्भवत. अबतक किसी भी अन्य ग्रन्थ अथवा सूचीकरण की अन्य प्रणाली द्वारा वर्णानुक्रमीकरण को इस मात्रा तक यान्त्रिक नही बनाया गया है।

अनुगामी अध्याय मे सूचीकरण की कतिपय परिभाषाओं के लक्षण सगृहीत किये गये है। इनसे प्रस्तुत अनुसन्धान मे सुगमता होगी। उपक्रमणिका के अन्तिम अध्याय मे सूचीकार के दृष्टिकोण से कृतियो का विश्लेषण दिया गया है। उसमे सामयिक प्रकाशन, समुच्चिन, आवर्तित, पुस्तक, पृथक पुस्तक, सगत पुस्तक, विसगत पुस्तक तथा अनेक-सपुटक पुस्तक आदि कृतियो के विभिन्न भेदों के लक्षण दिये गये है।

पुस्तक

अध्याय १ सबसे अधिक विस्तृत है। उसमे पृथक् पुस्तक के प्रधान सलेख लिखने की समस्त धाराए दी गई है। इस प्रकार की पुस्तक के लिये जितने भी अतिरिक्त सलेख लिखने पडते है उनका वर्णन अनुगामी तीन अध्यायों में पाया जायगा। इन चार अध्यायो मे प्राय सभी मौलिक धाराए आ जाती है। जो पुस्तके दो या उससे अधिक सपुटो मे होती है उनकी कुछ पृथक् विशेषताए होती है। पचम अध्याय मे इन्ही की चर्चा की गई है। सगत पुस्तकों मे सम्बद्ध धाराए षष्ठ अध्याय मे दी गई है।

सामयिक प्रकाशन

अध्याय ७ तथा ८ मे कुछ विशिष्ट वस्तुए दी गई है। वे सामयिक प्रकाशनो से सम्बन्ध रखती है। सामयिक प्रकाशनो की अव्यवस्थाए तथा विचित्रताए सूचीकार को कितना अधिक किंकर्त्तव्य-विमूढ बना देती है यह सर्व-विदित है। विषय प्रतिपादन की सरलता के लिए अध्याय ७ मे केवल उन्ही सामयिक प्रकाशनो की चर्चा

की गई है जो सर्वथा साधारण प्रकार के होते हैं और जिनके सूचीकरण में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

इस प्रकार मौलिक नियमो पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्याय ८ में जटिलतर धाराए दी गई हैं। जटिल समस्याओ को सुलझाने के लिये इनकी आवश्यकता पड सकती है। वहा भी धारा ८ में सभव जटिलताओ का विश्लेषण कर दिया गया है। उनके १८ आधारभूत प्रकार बनाये गये हैं। वे ६ वर्गो में विभक्त हैं। इसके अनन्तर उपर्युक्त सभी प्रकारो की समस्याओं को सुलझाने का तथा सूची-करण की कला को धाराओ के ६ वर्गो मे प्रतिपादन करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। अन्त की तीन धाराओ में सामान्य प्रकार की जटिलताओं की चर्चा है।

असमाधेय समस्याएं

आरम्भ मे यह विचार था कि एक अतिरिक्त अध्याय भी जोड दिया जाय जिसमे असमाधेय समस्याओं की चर्चा की जाय। उदाहरणार्थ, यह विचार था कि धारा ९२ मे तथा उसके उपभेदो मे मानचित्रों के सूची-करण की बात बताई जाय। धारा ९९३ मे तथा उसके उपभेदो मे विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनो की चर्चा हो। धारा ९८८ बनाई जाय और उसमे तथा उसके उपभेदो मे सगीत ग्रन्थो की विवेचना हो। इसी प्रकार और भी विचार था। किन्तु यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के विशिष्ट प्रकाशनो से प्राप्त अनुभव अभी तक अपर्याप्त हैं। अत यही निर्णय किया गया कि इस प्रकार का अध्याय किसी आगामी आवृत्ति में ही समाविष्ट किया जा सकेगा।

धाराओं का समङ्काङ्कन

धाराओं के समङ्काङ्कन के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना असंगत न होगा। समङ्काङ्कन दशमलव पद्धति के आधार पर है। प्रत्येक धारा के समक के पूर्व में एक दशमलव बिन्दु लुप्त मान लेना चाहिए। यदि मन में ऐसी कल्पना कर ली जाय तो धाराओ की सख्याओ का क्रम स्वाभाविक प्रतीत होगा। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि समक अत्यधिक सारूप्य रखते हैं। यदि यह बात ज्ञात हो जाय तो सम्बद्ध धाराओं का अनुसन्धान अत्यधिक सुकर हो जायगा।

उदाहरण

उदाहरणार्थ, अध्याय १ की धारा १ 'अधिसूचन यदि कोई हो' को प्रधान सलेख मे आनेवाले अनुच्छेदो में चतुर्थ वस्तु के रूप में परिगणित करती हैं। उसी

अध्याय की धारा १४ अधिसूचन के वरण का प्रतिपादन करती है तथा 'माला-अधिसूचन' को प्रथम वस्तु के रूप में परिगणित करती है। उसी अध्याय की धारा १४१ माला-अधिसूचन के उपकल्पन तथा सलेख-शैली का प्रतिपादन करती है तथा माला समक को वस्तुओ मे से चतुर्थ वस्तु के रूप मे परिगणित करती है। अत. धारा १४१४ माला समक के वरण का प्रतिपादन करती है।

इसी प्रकार अध्याय ७ में धारा ७१ *'माला-अधिसूचन यदि कोई हो'* को सामयिक प्रकाशन के मुख्य सलेख मे आनेवाले अनुच्छेदो मे तृतीय वस्तु के रूप में परिगणित करती है तथा धारा ७१३ उसके लिखने की शैली का प्रतिपादन करती है।

कल्प मे लगभग ४२४ धाराए हैं। इनमे से अधिकाश की समुचित टीकाओ द्वारा व्याख्या कर दी गई है। इन धाराओ को उदाहृत करने के लिए जितने उदाहरणों का समावेश किया गया है उनकी सख्या लगभग ७०१ है। इनमे किसी न किसी प्रकारके ३६१ विधि-समत सलेख दिये गये हैं। ये सलेख इस ग्रन्थ मे मुद्रित है। जब इन मुद्रित सलेखो को लिखित सलेखो मे रूपान्तरित किया जाय तब मुद्रण-कला से सम्बद्ध तथा अन्य परम्परागत सामान्य रूढियो का स्मरण रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, मुद्रण के प्रवणवर्णों का यह अर्थ होता है कि लेखन में उन्हे अधोरेखांकित कर दिया जाय।

ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त

यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यह ग्रन्थ धाराओ का एक कल्पमात्र है। इसमें ग्रन्थालय सूची के सिद्धान्त का प्रतिपादन नही किया गया है। मद्रास ग्रन्थालय सघ प्रकाशनमाला का ७ वा प्रकाशन **ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त** (*Theory of library catalogue*) इस प्रश्न को हल करता है। उसमें सूचीकरण के कतिपय उपसूत्र प्रतिपादित किये गये है। सूचीकरण के कल्पों के गुणदोष विवेचन में-उनकी तुलना मे-इन उपसूत्रो को आधार बनाया जा सकता है। उपर्युक्त ग्रन्थ में (१) चा. ए. कटर प्रणीत **सर्वानुवर्ण सूची धाराएं** (*Rules for a dictionary catalogue*), (२) अमेरिकन लायब्रेरी असोसिएशन प्रणीत **सूची धाराएं, ग्रन्थकार तथा आख्या-सलेख** (*Catalogue rules, author and title entries*) तथा (३) प्रस्तुत ग्रन्थ अनुवर्ग सूची कल्प (*Classified catalogue code*) का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

प्रायोगिक सूचीकरण

साथ ही यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि प्रस्तुत ग्रन्थ में न तो प्रायोगिक सूचीकरण की चर्चा है और न सूचीकरण से सम्बद्ध परिपाटी का वर्णन है। मद्रास ग्रन्थालय सघ प्रकाशन ग्रन्थमाला का पंचदश ग्रन्थ **ग्रन्थालय सूची : तत्त्व तथा प्रक्रिया** (*Library catalogue · Fundamentals and procedure*) प्रायोगिक सूचीकरण का प्रतिपादन करता है। उसमे ३०६ उत्तरोत्तर उन्नत उदाहरण तथा अभ्यास दिये गये हैं। उसी ग्रन्थमाला के पचम ग्रन्थ **ग्रन्थालय प्रबन्ध** (*Library administration*) के अध्याय ५ मे परिपाटी का विशद वर्णन है।

अध्याय ०१

सूची-भाग

ग्रन्थालय सूची आपेक्षन एक उपकरण है। अत इसके अवयवों, सूक्ष्मताओं तया रूप का इम प्रकार आयोजन होना है जिससे वह एक समर्थ उपकरण बन सके। इसका अर्थ यही है कि सूची की रचना में हमे तीन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिये। वे यह है –

(१) उसका मुख्य धर्म,

(२) जब वह उपयोग मे आ रही हो उस समय भी बीच-बीच में उसके सन्धान की तया विवरणों के बहुधा वर्धन की आवश्यकता तथा–

(३) उसका जीवन-काल।

अधिकार

ग्रन्यालय के धर्मों की चर्चा मद्रास ग्रन्यालय सघ प्रकाशन ग्रन्थमाला द्वितीय ग्रन्य मे विस्तारपूर्वक हो चुकी है।[१] ग्रन्थालय शास्त्र के पच सूत्र इस चर्चा के आधार है। उस समस्त चर्चा का सार इस प्रकार है --ग्रन्थालय सूची का गठन इस प्रकार हो कि

(१) प्रत्येक अध्येता को उसका ग्रन्थ मिल सके,

(२) प्रत्येक ग्रन्थ के लिए उसका अध्येता उपलब्ध हो सके;

(३) अध्येता का समय बच सके, तथा

(४) एतदोद्देश्यार्थ, ग्रन्यालय के कर्मचारियो का भी समय बच सके। इन्ही

---

१ रगनायन (श्री रा). ग्रन्थालय शास्त्र पंचसूत्री (*Five laws of library science*) (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, २). १६३१ पृ. २६७, २६८, ३०७-३१२, ३५१-३५६

धर्मों को कटर के शब्दों में और भी अधिक स्पष्टता के साथ इस प्रकार रखा जा सकता है[२] —

(१) *कोई पाठक अपना ग्रन्थ पाने में सफल हो सके, जब कि उस ग्रन्थ के* विषय में उसे या तो

(क) ग्रन्थकार, या

(ख) *आख्या, या*

(ग) विषय का ज्ञान हो ;

(२) यह ज्ञान हो सके कि ग्रन्थालय में

(घ) किसी ग्रन्थकार का,

(ङ) किसी विशिष्ट विषय पर, तथा

(च) साहित्य के किसी विशिष्ट अंग के अन्तर्गत कितनी कृतियां उपलब्ध हैं ; तथा

(३) ग्रन्थ के वरण में ग्रन्थ सम्बन्धी

(छ) संस्करण, तथा

(ज) गुण की सहायता मिल सके।

अद्भुतालय रूढ़ि

ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि एक लम्बे समय तक ग्रन्थालय सूची पर एक शक्तिशाली रूढि का प्रभाव रहा है। उस समय ग्रन्थालय को एक अद्भुतालय ही माना जाता था और समझा जाता था कि यहां पर केवल सरक्षण की ही दृष्टि से ग्रन्थो का सग्रह होता है। इस रूढि के प्रभाव में स्वाभाविक रूप से ग्रन्थालय सूची का एक मात्र धर्म यही माना गया कि वह संग्रह को ठीक प्रकार से गिनवा सके। इस तालिकात्मक सूची को अधिक से अधिक सरल बनाने के लिये एक ही पक्ति पर एक ही आख्या लिखी जाती थी। इसमें ग्रन्थो का क्रम उनके परिग्रहण-क्रम में ही होता था और इसी क्रम मे उनकी फलको पर व्यवस्था रहती थी। इस प्रकार की सूची के निर्माण करने में कोई कठिनाई नही आती है और

---

२ कटर (चार्ल्स ए) **सर्वानुवर्ण सूची की धाराएं** (*Rules for a dictionary catalogue*) आवृ. ४. १९०४. (युनाइटेड स्टेट्स, ब्यूरो आफ एजुकेशन, स्पेशल रिपोर्ट आन पब्लिक लायब्रेरीज्, भाग २). पृ.१२

इसी कारण इसके लिए विस्तृत विवरणात्मक कल्प की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती।

प्रचारक की भावना

इस अद्भुतालय की रूढ़ि को पदच्युत करने में जो शक्ति सलग्न है उसे "प्रचारकता" की शक्ति कहा जा सकता है। ग्रन्थालय सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण ही इस शक्ति का कारण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ग्रन्थालय एक ऐसी सस्था है जो अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपना नियमित ग्राहक बना डाले। यही उसका उत्तरदायित्व है। केवल एक बार ग्राहक बना लेने से ही काम नही चल सकता। उसे चाहिए कि अपने ग्राहको की सेवा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए इतनी कुशलता तथा तत्परता के साथ करे कि वे सर्वदा के लिए ग्राहक बने रहे। ग्रन्थालय एक अद्भुतालय नही है, अपितु एक कारखाना है जो अपने में जीवन और चेतना लिये हुए है। इस विचार धारा के अनुसार ग्रन्थालय उस ग्रन्थ की चिन्ता नही करता जो निरन्तर उपयोग के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गया हो, किन्तु उसकी चिन्ता का कारण वह ग्रन्थ होना है जो अपने फलक से कभी भी हिलने तक का नाम न ले। इन्ही ग्रन्थो पर उसका सदैव ध्यान रहता है और उन्ही के सफल उपचार में वे प्रयत्नशील रहते हैं। इस दृष्टिकोण ने ग्रन्थालय से सम्बद्ध प्रत्येक वस्तु मे–ग्रन्थ-वरण, फलकव्यवस्थापन, वस्तुकला, उपस्कर, स्थान, खुला रहने का समय, कर्म-चारी, पाठको के प्रति वर्ताव और सबके अन्त मे, किन्तु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थालय सूची––इन सबो मे क्रान्ति ला दी। इसी क्रान्ति के कारण तालिकात्मक सूची का नामोनिशान मिटता चला जा रहा है जिससे वह कही फिर पनपकर आधुनिक सेवा-भावना का गला न घोट डाले।

प्रथम विजय

तालिकात्मक सूची अर्थात् अस्तित्व-पत्र की परम्परा तथा सेवा की भावना इन दोनो के बीच जो सघर्ष चला उसका यह परिणाम निकला कि एक पक्ति पर एक ही आख्या लिखने की पद्धति पूर्ववत् बनी रही, पर इन सलेखो का क्रम परि-ग्रहण क्रम न रहा। उनकी व्यवस्था ग्रन्थकारो के नामो से आकारादि क्रम में होने लगी। परिग्रहण की परम्परा पहले से ही दोषपूर्ण थी पर उसके स्थान में अनुवर्ण व्यवस्था की जो प्रणाली आई वह भी दोषपूर्ण थी। इसका कारण यह है कि सेवा की भावना को अपने लक्ष्य का ही ज्ञान न था। उसे यह ज्ञात ही न था कि पाठको को रुचिकर क्या है–ग्रन्थकार अथवा प्रतिपाद्य विषय ?

द्वितीय विजय

इन परिस्थितियो मे भी प्रतिपाद्य विषय की महत्ता समझने में अधिक दिन नही लगे। इसका फल यह हुआ कि एक और सुविधा प्राप्त कर ली गई और वह यह थी कि वर्णानुसारी-एक-क्रम के स्थान पर इस प्रकार के उतने ही क्रम वनाये जाये जिनसे १५ अथवा २० वर्गों मे समस्त ज्ञान-राशि विभक्त हो सके। हमारे अनेक ग्रन्थालयों की सूचिया आज इन्ही में से किसी एक अवस्था की हैं।

मुक्ति

अस्तित्व पत्र की परम्परा मे सूची का छुटकारा उस दिन हुआ जिस दिन पुस्तक-क्रम-पजिका का आविष्कार हुआ। पुस्तक-क्रम-पजिका पुस्तको की सूची होती है। इसमे सलेख 'एक-आख्या-एक-पक्ति' की शैली से लिखे जाते थे किन्तु उनका क्रम ठीक वही रहता था जो पुस्तको का फलको पर रहता था। इस प्रकार अस्तित्व पत्र की भावना तो दूर हो गयी। कारण, उसके लिये उसे एक अपनी स्वतत्र पजिका मिल गई। अब सूची स्वतन्त्र रूप से अपना विकास करने लगी और वह उस मार्ग का अनुसरण करने लगी जो स्वाभाविक था तथा सेवाभावना की उत्तरोत्तर जागृति में प्रेरणात्मक था।

एक-भागिक अनुवर्ण सूची

इस विकास का प्रथम स्वरूप अनुवर्ण सूची के रूप में प्रकट हुआ। इसमे एक ही भाग होता है। उसके अवयव भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमे भेद एव अन्तर इसलिए रखा जाता है कि सूची द्वारा जो विभिन्न धर्म पूरे किए जाने चाहिएँ वे पूरे किये जाये। इस प्रकार की सूची को किस प्रकार सर्वांग सुन्दर और सर्वगुण-सम्पन्न बनाया जाय उसके लिए कितने ही मेधावी विद्वान् गत शताब्दी के मध्यकाल से परिश्रम करते आ रहे है। इसके लिये अनेक नई कलाओ का आविष्कार हुआ और उसमे से विषय शीर्षक स्थिर करने का एक अति विशाल कार्य उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है।

यह कहा जाता है कि एक पीढी के क्रान्तिकारी अर्थात् एक युग के रूढिध्वसक ही अगली पीढी के रूढिवादी हो जाते है। उनको अपनी ही नई परम्परा प्यारी लगती है और वे उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही सह सकते। उसे छोडने की तो बात ही न्यारी है। यही बात ग्रन्थालय सूचीकरण के सम्बन्ध मे भी है। सर्वानु-वर्ण-सूची मे अनेक असुविधाए है—अनेक कठिनाइया है। उनके ससर्ग से अर्थात्

उनका रसास्वाद लेते रहने से उन रूढ़िवादियों की दृष्टि इतनी संकुचित हो गई है कि वे सूची के अनन्तर तथा सद्योभावी विकास को या तो देख नहीं पाते और यदि देख भी पाते हैं तो मोहवश उसका प्राणपण से विरोध करने की चेष्टा करते हैं।

द्विभागिक अनुवर्ग-सूची

ग्रन्थालय सूची के अनन्तर-विकास में सूची २ भागों में विभक्त हो गई। उस विभाजन का आधार धर्मों का भेद ही है। उन दोनों भागों में से एक में वे अवयव होंगे जो इस बात का ज्ञान कराते हैं कि ग्रन्थालय में विभिन्न विषयों पर क्या पाठ्य सामग्री है तथा दूसरे भाग में अन्य सभी अवयव होंगे। प्रथम भाग में सलेखों का व्यवस्थापन क्रामक-समक तथा वर्ग-समक के अनुसार होता है और उससे ज्ञातेय क्रम उपलब्ध होता है। द्वितीय भाग में ठीक उसी प्रकार जैसे कोशों में अर्थात् वर्ण-क्रम होता है। सूची का यह द्विभागिक रूप एकभागिक सर्वानुवर्ण सूची की अपेक्षा अधिक विकसित एवं उन्नततर है। इसे वे लोग अवश्य मान लेंगे जो विकास का अर्थ यह मानते हैं कि धर्म के विभेद का समाधान करने के लिये अंग विन्यास में भी विभेद होना चाहिये। किन्तु कुछ लोग दूसरे विचार के भी हैं। वे यही मानते हैं कि विकास की अंतिम अवस्थाएं एकीभावकी ओर ले जाती हैं विभेद की ओर नहीं। अनुभव ही उन्हें बताएगा कि सर्वानुवर्ण सूची में कितनी कठिनाइयां हैं और वे ही कठिनाइयां सूची के अनुवर्ग रूप में किस प्रकार सरलतापूर्वक दूर हो जाती हैं। इस प्रकार की अनुवर्ग सूची ही इस कल्प का प्रतिपादित विषय है।

विलम्ब का कारण

द्विभागिक सूची को अपनी प्रमुखता प्रतिष्ठित करने में इतना समय क्यों लगा, उसका कारण सर्वानुवर्ण सूची के अनुगामियों का विरोध ही नहीं है, अपितु यह भी है कि अभी तक किसी ऐसी वर्गीकरण योजना का आविष्कार नहीं हो पाया था जो –

(१) चाहे जितनी गम्भीर श्रेणी के विशिष्ट विषय का व्यक्ति-साधन कर सके,

(२) सभी स्तरों के विशिष्ट विषयों को स्वीकार्य ज्ञातेय क्रम में व्यवस्थापित कर सके; तथा

(३) किसी एक विशिष्ट विषय के विभिन्न ग्रन्थों को व्यक्ति-सिद्ध कर सके।

हेत्वाभास

अनुवर्ग सूची की तुलना मे उसकी अपेक्षा सर्वानुवर्ण सूची को श्रेष्ठ मानते रहने की प्रवृत्ति तथा उससे चिपटे रहने की दृढ धारणा का कारण एक गूढ हेत्वाभास भी है। यह कहा जाता है कि साधारण पाठक केवल अनुवर्ण व्यवस्थापन से ही परिचित रहता है। यह तो निश्चित ही है कि सूची मुख्यत· उसी पाठक के लिए उद्दिष्ट है। अत उस सूची को एकमात्र अनुवर्ण क्रम में ही रखना चाहिए। इस युक्तिवाद की यह युक्ति यथार्थ है, किन्तु 'एक मात्र' इस विशेषण के अन्तर्निवेश में एक हेत्वाभास छिपा हुआ है। इस युक्तिवाद की जो कुछ भी माग हो सकती है वह यही है कि सूची में एक अनुवर्ण भाग भी होना चाहिये, जिसके द्वार से साधारण पाठक सूची में प्रवेश कर सके। द्विभागिक अनुवर्ग सूची का दूसरा भाग इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है।

गहनतर धर्म

यदि पाठक की रुचि किसी विशेष पुस्तक के लिए है अथवा किसी विशिष्ट ग्रन्थकार की किसी विशिष्ट पुस्तक के लिए है तो अनुवर्ण भाग स्वय उसके लिए पर्याप्त है और वह पाठक को पूर्णतया सन्तुष्ट कर सकेगा। किन्तु यदि वह पाठक किसी विशिष्ट विषय सम्बन्धी रुचि के कारण ग्रन्थालय मे आता है तो उसे सन्तोष तभी हो सकता है—उसकी सब आवश्यकताओ की पूर्ति तभी हो सकती है जब वह सूची उस पाठक के सामने उसके उद्दिष्ट विशिष्ट विषय सम्बन्धी सपूर्ण पाठ्य सामग्री के–उसके समस्त उपभेदो के तथा वह विशिष्ट विषय जिन विषयो का स्वय उपभेद है उन सब व्यापक विषयो के—परिपूर्ण एव परस्पर-सम्बद्ध विश्वचित्र को प्रस्तुत कर सके। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है। बहुत थोडे पाठक ऐसे मिलेगे जो अपने विशिष्ट विषय को ठीक ठीक निर्दिष्ट कर सके। साधारणत· जो विषय सोचा जाता है वह या तो अधिक व्यापक होता है या अधिक सकीर्ण। किन्तु जिस किसी मार्ग से अपने विशिष्ट विषय की ओर पहुंचने का प्रयत्न किया जाय वह मार्ग चाहे कितना ही दूरस्थ क्यो न हो, किन्तु अनुवर्ण भाग उसे ठीक मार्ग पर लगा देता है। मानो वह उस पाठक से कहता है कि 'भाई, जिस विषय का आप नामोच्चारण कर रहे है उसके तथा उससे सम्बद्ध सभी विषयो के ग्रन्थो के लिए अनुवर्ग भाग मे अमुक सख्या के अन्तर्गत प्रदेश को देखिये। वहा उसे उसकी अभिरुचि के अनुकूल सम्पूर्ण क्षेत्र प्रदर्शित प्राप्त होता है। जब वह उस प्रदेश मे प्रवेश करता है तो उसे वहा वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी आव-

व्यकता का वह अस्पष्टरूप से अनुभव करता था। और सच पूछा जाय तो ठीक उसी समय उसे अपनी यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है।

समक के द्वारा निर्दिष्ट प्रदेश मे ज्यों ही पाठक प्रवेश करता है त्यो ही समक का कार्य समाप्त हो जाता है। उसके अनन्तर समक उसके साधन का उपकरण नही रहता और न वे उसके ध्यान को आकृष्ट करते है। उसका चित्त उसी सहायभूत जातेय क्रम मे लीन हो जाता है जिस क्रम मे उसकी पुस्तको के नाम एक के पीछे एक आते रहते है। वह आनन्द-विभोर हो उठता है। इस आनन्द का मूल स्रोत क्या है ? वह यही है कि उस पाठक की अस्पष्ट आवश्यकताए भी पूर्ण हो जाती है। उसे ऐसी वस्तुए मिल जाती है जिनकी आवश्यकता का वह अनुभव तो करता था, किन्तु वे किस प्रकार मागी जायँ यह वह नही जानता था। यही एक गहनतर धर्म है जो ग्रन्थालय-सूची द्वारा पूरा किया जाना चाहिये।

एक कर्त्तव्य

इस प्रकार की अव्यक्त इच्छाओ को पूर्ण करना ग्रन्थालय का परम कर्त्तव्य है। विशेषकर इसलिए कि साधारण पाठक यह नही जानता कि उन आवश्यकताओ को किस प्रकार मूर्त्त रूप दिया जा सकता है—उन्हे कैसे व्यक्त किया जा सकता है। सर्वानुवर्ण-सूची में तो विषयो के एक साथ एकस्थानीकरण की तो कौन कहे, उन्हे इधर-उधर बिखेर दिया जाता है और इस प्रकार 'अनुवर्ण-बिखेरन' को युक्ति यथार्थ रूप से सिद्ध हो जाती है। अनुवर्ण-व्यवस्थापन मे और आशा ही क्या की जा सकती है ? सर्वानुवर्ण-सूची मे यह शक्ति ही नही है कि सम्बद्ध विषयो को एक साथ प्रस्तुत कर सके। अत इस प्रकार की सूची से पाठक को कभी सन्तोष नही हो सकता। इस सूची के 'और द्रष्टव्य' निर्देशनो के महावन तो पाठक को सर्वथा भ्रान्त और परिश्रान्त कर देगे, कारण उसे यहा से वहा और वहा से वहा—बस भटकते ही रहना पडेगा।

यदि पाठक से यह कहा जाय — अच्छा, आप यह कहते है कि आप सूची मे अनुवर्ण-द्वार से ही प्रविष्ट हो सकते है, तो बहुत सुन्दर, आपके लिए उसकी व्यवस्था की जायेगी , किन्तु आपको वर्णमाला का उपयोग न केवल आदि मे ही करना पड़ेगा, अपितु निरन्तर और सर्वथा अन्त तक। यह कायरता है, शूरता नही। यह बड़ा भारी दण्ड है जो पाठक को दिया जा सकता है। यह वर्णमाला को बुरी तरह ढकेलने का तथा उसे उसके अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर तक घसीटने का प्रयत्न है।

सच्ची समर्थता और शोभा इसी में है कि प्रत्येक उपकरण का उपयोग उसके उसी उद्देश्य तक सीमित रखा जाय जिसके लिए वह सर्वोत्तम रीति से उपयुक्त हो तथा जिसके लिए उसकी रचना की गई हो। किसी ग्रन्थालय की सपूर्ण अध्ययन सामग्री को प्रदर्शित करने का सर्वोत्कृष्ट साधन अनुवर्ग-व्यवस्थापन है, अनुवर्ण नही। ग्रन्थालय सूची द्वारा यह पूरा किया जाना चाहिये। साथ ही यह भी सत्य है कि पाठक उसमे अनुवर्ण द्वार से होकर ही प्रवेश कर सकता है। अत अनुवर्ग तथा अनुवर्ण दोनो भागो से सयुक्त बनी हुई द्विभागिक सूची ही एकमात्र उपयोगी है।

भविष्य

यदि सूची का द्विभागिक रूप समान व्यवहार में आने लगे, तो यह निश्चित है कि इसकी अपेक्षा और अधिक विकसित तथा समर्थ रूपो का आविर्भाव हो सकेगा। किन्तु इस समय तो इतना ही पर्याप्त है कि द्विभागिक अनुवर्ग सूची को ही लोकप्रिय बनाया जाय। अत इस कल्प मे उसी के निर्माण की धाराए दी गई है।

०१ सूची द्विभागा।

०१० अनुवर्गोऽनुवर्णश्च।

०११ प्रथमोऽनुवर्ग-विषय सूची।

०१२ द्वितीयोऽनुवर्ण-सूची विषय-वर्गानुवर्ण-निर्देशी च।

०१ सूच्या द्वौ भागौ भवतः।

०१० तौ च भागौ अनुवर्गः अनुवर्ण च इति उच्येते।

०११ प्रथम अनुवर्ग-भाग वर्गानुसारिणी विषयाणां सूची भवति।

०१२ द्वितीय अनुवर्ण-भाग वर्णानुसारिणीसूची विषय-वर्गाणाम् वर्णानुसारी निर्देशी च भवति।

०१ सूची में दो भाग होते है।

०१० वे दो भाग अनुवर्ग और अनुवण कहे जाते है।

०११ अनुवर्ग भाग वर्गों का अनुसरण करने वाली विषयों की सूची होती है।

०१२ अनुवर्ण भाग वर्णो का अनुसरण करने वाली सूची और विषय वर्गों का वर्णानुसारी निर्देशी होता है।

अनुवर्ग भाग की ऐसी रचना होती है कि कटर द्वारा निर्दिष्ट (ग), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) अंकित धर्मों की पूर्ति हो, जबकि अनुवर्ण भाग (क), (ख), (घ) तथा कुछ अंशों तक (ज) अंकित धर्मों को पूर्ण करता है।

साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो अनुवर्ण भाग ऐसी अनुवर्ण सूची ही है जिसमें से केवल विषय सलेख निकाल लिए गए हों।

अध्याय ०२

संलेख-प्रकार

०२	**संलेखश्चतुर्धा ।**
०२०	**प्रधानः, विषयान्तरः, निर्देशी, नामान्तर-निर्देशी च ।**
०२०१	**अन्त्यास्त्रयोऽतिरिक्त-संलेखाः ।**

०२	सलेखस्य चत्वारो भेदा भवन्ति ।
०२०	तेच भेदा प्रधान, विषयान्तर, निर्देशी, नामान्तर-निर्देशी च इति उच्यन्ते ।
०२०१	विषयान्तर, निर्देशी, नामान्तर-निर्देशी चेति त्रयः सलेखा अतिरिक्त-सलेखा इति उच्यन्ते ।

०२	**संलेख चार प्रकार के होते हैं ।**
०२०	**वे प्रकार प्रधान, विषयान्तर, निर्देशी और नामान्तर निर्देशी कहे जाते हैं ।**
०२०१	**विषयान्तर, निर्देशी और नामान्तर निर्देशी ये तीनों संलेख अतिरिक्त-संलेख कहे जाते हैं ।**

सूची मे किसी कृति के सम्बन्ध मे जो लेख होता है उसे सलेख कहा जाता है । प्रत्येक कृति के लिए कम से कम एक सलेख तो बनाना ही पडेगा । यह सलेख प्रधान सलेख कहा जाता है । किन्तु उस कृति के लिए एक से अधिक सलेखो की भी आवश्यकता पड सकती है । इस प्रकार के अधिक सख्या मे बनाए हुए सलेख अतिरिक्त सलेख कहे जाते हैं । वे उक्त तीन प्रकारो में से किसी न किसी एक प्रकार के होते है । इनमे से कुछ का स्थान वस्तुत उपभेदो की श्रेणी में ही है, जिन का प्रतिपादन अगले अध्यायो मे उपलब्ध है (दृष्टव्य अध्याय ३ तथा ४) ।

प्रत्येक संलेख बनाते समय कृति का ध्यान रखा जाता है, पर जब कोई संलेख तैयार हो जाता है, तब सूची के किस भाग में उसे स्थान मिलता है तथा अन्य संलेखों के बीच उसका कौनसा अपेक्षित स्थान है, इन बातों का निर्णय कृति की सहायता से नहीं अपितु वह संलेख किस प्रकार का है तथा उसमें किन बातों पर जोर दिया गया है, इन दो बातों से किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि संलेख तैयार हो जाने के पश्चात् कृति का कोई कार्य नहीं रह जाता।

इस प्रकार प्रत्येक संलेख एक मौलिक अवयव होता है जिसके योग से सूची का निर्माण होता है। ये ईंटों का कार्य करती हैं जिससे ढांचा खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार किसी निर्माण कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की ईंटें तैयार की जाती हैं, उसी प्रकार सूची के निर्माण में अनेक प्रकार के संलेख होते हैं।

प्रधान-संलेख

प्रत्येक कृति के लिए एक तथा केवल एक ही प्रधान संलेख होता है। इसमें कृति का संलेख उसके प्रतिपादित विशिष्ट विषय के नाम से होता है। जैसा नाम से स्पष्ट है, यह कृति का मूलभूत संलेख होता है। यह उस ग्रन्थ के सम्बन्ध में अन्य किसी भी संलेख की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि उस कृति के लिए और कौन कौन से, एवं कितने संलेख बनाए गए हैं। एतदोद्देश्यार्थ साधन का प्रतिपादन वस्तु धारा १६ तथा उसकी उपधाराओं में उपलब्ध है तथा प्रथम अध्याय के सारे भाग में इसके निर्माण की चर्चा की गई है।

विषयान्तर-संलेख

किसी विशिष्ट कृति के लिए कितने विषयान्तर संलेख लिखे जा सकते हैं यह स्थिर नहीं। यह मूल कृति के प्रतिपाद्य विषयों पर निर्भर है। विषयान्तर संलेखों की संख्या कृति–कृति के साथ घटती बढ़ती है। किसी कृति के लिए कोई विषयान्तर संलेख की आवश्यकता नहीं होती और किसी-किसी के लिए एक की, या इससे भी अधिक की भी। यदि विषयान्तर-संलेख का उद्देश्य समझ लिया जाय तो इस प्रकार का अन्तर भी समझ में आ सकता है। हमारे ग्रन्थ **ग्रन्थालय शास्त्र पंचसूत्री** (*Five laws of library science*) में ग्रन्थालय शास्त्र के पंच सूत्रों को ध्यान

मे रखते हुए इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा की गई है ।[3] किसी कृति में उसके मुख्य विशिष्ट विषय से अतिरिक्त अन्य जितने भी विषयो की चर्चा होगी उन विषयों के लिए विषयान्तर-सलेख लिखा जाता है । साथ ही यह भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक कृति मे जितने भी गौण विषयो की चर्चा होगी उन सबके लिए एक एक विषयान्तर-सलेख लिखा जायगा ।

इस प्रकार के सलेख की आवश्यकता इसलिए पडती है कि अधिकतर ग्रन्थ अनिवार्य रूप मे समासित स्वरूप के होते है । बहुधा यह देखा जाता है कि कोई ग्रन्थ किसी विषय की मुख्य रूप से चर्चा करता है । वह ग्रन्थ एक या दो अध्याय अथवा कुछ पृष्ठो मे किन्ही विषयान्तरो की भी चर्चा कर बैठता है । यह भी सभव है कि किसी ग्रन्थ में निरन्तर प्रधानत कोई विशिष्ट विषय वर्णित रहता है । किन्तु उसी मे कतिपय अन्य विषयो के सम्बन्ध में भी जानकारी बिखरी रहती है । यदि सूची मे ग्रन्थ के मुख्य विषय का ही उल्लेख हो और पूर्वोक्त प्रकार के गौण विषयो के लिए कोई व्यवस्था न की जाय, अर्थात् यदि विश्लेषणात्मक विषयान्तर-सलेखो के देने का कोई प्रयत्न न किया जाय, तो उसमे ग्रन्थालय-शास्त्र के सूत्रो की निर्मम हत्या होती है । साथ ही यह भी मानना पडेगा कि कर्तृगण, अर्थ तथा ग्रन्थालय की नीति जैसे व्यावहारिक विचार (कारण) विषयान्तर सलेखन कार्य को उतनी प्रचुरता एव परिपूर्णता के साथ न होने दे जितनी ग्रन्थालय शास्त्र-सूत्रो द्वारा साधिकार वाछित हो ।[4]

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विषयान्तर-सलेखो की सख्या कृति तथा ग्रन्थालय की ससीमताओं के साथ-साथ घटती-बढती रहेगी । यह पहले ही कहा जा चुका है कि इस प्रकार के सलेखो का निर्माण द्वितीय अध्याय मे वर्णित है ।

निर्देशी-सलेख

किसी विशिष्ट ग्रन्थ के लिए लिखे जाने वाले निर्देशी सलेखो की भी सख्या

---

३ विषयान्तर तथा द्वितीय सूत्र, पृ. २६७-२६८,
विषयान्तर तथा तृतीय सूत्र, पृ ३०६-३१२,
विषयान्तर तथा चतुर्थ सूत्र, पृ ३५१-३५६,
विषयान्तर-लेखन का अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण, पृ ३५४-३५५;

४ रगनाथन (श्री रा) ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त (*Theory of library catalogue*) १९३८ (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, ७). अध्याय ३२ तथा ३३.

घटती बढती रहती है। एक प्रकार की कृति ऐसी होती है जिसके लिए किसी प्रकार का भी निर्देशी सलेख नही लिखा जाता। वह है प्रशासनीय तथा उसी प्रकार की वार्षिक तथा समय समय पर प्रकाशित अन्य विवरण-कृतिया। साधारणत. अन्य प्रकार के प्रत्येक ग्रन्थ के लिए कम से कम एक सलेख तो होता ही है। इसकी सख्या अधिक भी हो सकती है, किन्तु ६ से अधिक कदाचित् नही।

इन सलेखो के द्वारा पाठक को उसकी पुस्तक प्राप्त हो जाती है। हा, यह शर्त है कि पाठक उस पुस्तक के विषय मे कुछ न कुछ जानकारी रखता हो। कारण, निर्देशी-सलेख ग्रन्थ के ग्रन्थकार, सपादक, अनुवादक आदि के नामो से, माला के नाम से तथा कभी कभी आख्या से भी बनाये जाते है। प्रत्येक कृति के साथ ऐसे निर्देशी सलेख भी जुडे रहते है जो विषयो के नामो का निर्देश करते है। ये पाठक को अनुवर्ग भाग के उस प्रदेश में ले जाते हैं जहा वह अपनी पाठ्य सामग्री को ज्ञातेय क्रम मे परिगणित तथा प्रदर्शित पाता है। सारा तृतीय अध्याय केवल इसी प्रकार के सलेख-भेद का प्रतिपादन करता है।

नामान्तर निर्देशी संलेख

नामान्तर निर्देशी सलेख तो कदाचित् ही लिखे जाते है। कृतियों का बहुत थोडा ही प्रतिशत अश ऐसा होता है जो इस प्रकार के सलेखो को जन्म दे। इसकी योजना का उद्देश्य यह है कि निर्देशी सलेखों की सख्या मे मितव्ययिता हो। यह सूची के अनुवर्ण भाग मे एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक की ओर पाठक के ध्यान को आकृष्ट करता है। चतुर्थ अध्याय में इस प्रकार के सलेखो का वर्णन है।

०२१ आद्यौ प्रथम-भागे।

०२१ प्रधान विषयान्तर च इति द्वौ सलेखौ अनुवर्ग-भागे भवत।

०२१ प्रधान तथा विषयान्तर ये दोनो संलेख अनुवर्ग भाग में होते है।

इन दो प्रकार के सलेखो मे उनकी अपनी अपनी अग्ररेखाओ पर विषय का नाम क्रामक समक से बनने वाली कृत्रिम साकेतिक भाषा मे लिखा रहता है जिसे हम वर्ग-समक के नाम से पुकारते हैं। प्रत्येक कल्पना-गोचर विषय के लिए एक ही

वर्ग समंक होता है। इससे यह लाभ होता है कि इन वर्ग समंकों में क्रामक व्यवस्थापन यान्त्रिक रूप से अपने आप ही हो जाता है अर्थात् उस समय यह जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वे समंक किस विषय के रूपान्तर है और इन विषयों में कौन सा अन्तर्सम्बन्ध है। एक बार व्यवस्थापन हो जाने पर मालूम होता है कि विषयों के बीच हम जो क्रम चाहते थे, वही क्रम मौजूद है तथा वह पाठक को सर्वाधिक उपादेय है।

वर्ग-समंक-निर्माण की प्रक्रिया सूचीकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। वर्गीकरण एक स्वतन्त्र शास्त्र है। किसी कृति के विशिष्ट विषय का निर्धारण वर्गीकरण करने वाले के अधिकार-क्षेत्र में आता है—सूचीकार के नहीं।

०२२ **अन्त्यौ द्वितीय-भागे।**

०२२ निर्देशी नामान्तरनिर्देशी च इति द्वौ संलेखौ अनुवर्ण-भागे भवतः।

०२२ निर्देशी और नामान्तर निर्देशी ये दोनों संलेख अनुवर्ण भाग में होते हैं।

०२३ **प्रधान-संलेखे आख्या-पत्र-मुखांशाः।**

०२३१ **आख्या-पत्र-पृष्ठ-पुष्पिका-प्रारम्भिक-पत्र-पार्श्वान्तिरस्थ-संगत-सूचनमपि आवश्यकं चेत्।**

०२३२ **चतुर्थानुच्छेदे तु बाह्यमपि।**

०२३ प्रधाने संलेखे विहिताः धाराः अनुसृत्य आख्या-पत्र-मुखस्य अंशाः अनुकार्याः।

०२३१ आख्यापत्र-पृष्ठे, इतरेषु प्रारम्भिक-पत्रेषु, पुष्पिकायां वा वर्तमानं सगत सूचनमप्यावश्यकं चेद्-अनुकार्यम्।

०२३२ परम् अधिसूचनाख्ये चतुर्थे अनुच्छेदे तु प्रारम्भिक-पत्रेभ्यो वहि:-स्थोऽपि भाव: गृहीतु शक्य: ।

०२३ प्रधान सलेख में, निर्धारित धाराओं का अनुसरण कर, आख्यापत्र-मुख के अंशों का अनुकरण करना चाहिए ।

०२३१ उपाख्या-पत्र, आख्या-पत्र-पृष्ठ, अन्य प्रारम्भिक पत्र अथवा पुष्पिका आदि में वर्तमान सूचन का भी आवश्यकतानुसार अनुकरण किया जा सकता है ।

०२३२ किन्तु अधिसूचन नामक चतुर्थ अनुच्छेद में तो प्रारम्भिक पत्रों से बाहर की सूचना भी दी जा सकती है ।

०२४ अतिरिक्त-संलेख: संक्षिप्त: ।

०२४० प्रधान-संलेख-परिणाम: ।

०२४१ आख्या लघ्वी ।

०२४१० उपाख्यापत्र-मुखात् ।

०२४११ अभावे संक्षेप: ।

०२४१२ सहकारा-आवृत्ति-नाम-लोप: ।

०२४ अतिरिक्त सलेख प्रधानात् सक्षिप्त कार्य ।

०२४० स च प्रधान-सलेख परिणाम्य सक्षिप्य च उपलब्धव्य ।

०२४१ अतिरिक्त-सलेखे आख्या लघ्वी कार्या ।

०२४१० उपाख्या-पत्र-मुखे आख्या मुक्ता चेद् ग्राह्या ।

०२४११ उपाख्या-पत्र-मुखस्य अभावे प्रधान-सलेखस्य आख्या सक्षिप्य लघ्वाख्या उपलब्धव्या ।

०२४१२ लघ्वाख्यायां सहकारस्य आवृत्ते च उल्लेखो न कार्य ।

०२४ अतिरिक्त-सलेख प्रधान-सलेख की अपेक्षा संक्षिप्त होता है ।

०२४० यह प्रधान संलेख को परिवर्तित तथा संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया जाता है।

०२४१ अतिरिक्त संलेख में छोटी आख्या ग्रहण की जाय।

०२४१० उपाख्या-पत्र-मुख की आख्या योग्य हो, तो ली जा सकती है।

०२४११ उपाख्या-पत्र-मुख के न होने पर प्रधान-संलेख की आख्या को संक्षिप्त कर लघु आख्या बना लेनी चाहिये।

०२४१२ लघु-आख्या में सहकार और आवृत्ति का उल्लेख नहीं करना चाहिये।

यहा यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि लघु आख्या देने मे सहकारो के नाम तथा आवृत्ति नही दी जाती है, जब तक इसका विशेष उल्लेख न हो।

०२४१२१ न चिर-गहने।

०२४१२१ पर चिरगहन-ग्रन्थस्य लघ्वाख्यायाम् सहकारस्य उद्भवस्य च लोप न कार्य।

०२४१२१ किन्तु चिरगहन-ग्रन्थ की लघु-आख्या में सहकार और उद्भव का लोप न करना चाहिये।

०२५ अग्ररेखा-लेखः संलेख-नाम-निरूपो।

०२५० यथा — क्रामक-समङ्क, वर्ग-निर्देशि, ग्रन्थकार, सहग्रन्थकार, सहकार, संपादक, भाषान्तरकार, व्याख्याकार, संग्राहक, चित्रकार, माला, आख्या, आख्या-प्रथम-पद, माला-संपादक, अवान्तरनाम-संलेखाः।

०२५ सलेखस्य अग्ररेखाया लिखितेन भावेन सलेखस्य नाम निरूपणीयम्।

०२५ संलेख की अग्ररेखा में लिखित वस्तु से संलेख का नाम निश्चित किया जाए ।

०२५० पूर्वोक्त धारा के अनुसार निम्नलिखित नाम होते हैं :-- क्रामक-समक-संलेख, वर्ग-निर्देशी-सलेख, ग्रन्थकार-संलेख, सहग्रन्थकार-सलेख, सहकार-संलेख, संपादक-संलेख, भाषान्तरकार-संलेख, व्याख्याकार-सलेख, सग्राहक-संलेख, चित्रकार-सलेख, माला-संलेख, आख्या-संलेख, आख्या-प्रथम-पद-सलेख, माला-सपादक-सलेख और अवान्तर-नाम-संलेख ।

अध्याय ०३

लेखन-शैली

सलेखो को बनाने की शैली बहुत अशो तक सूची के भौतिक स्वरूप पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर तीन प्रकार के भौतिक स्वरूप स्वीकार किये जा सकते है —सपुटित-पुस्तक स्वरूप, मुक्त-पत्र स्वरूप तथा पत्रक स्वरूप। स्वरूप के वरण मे ग्रन्थालय शास्त्र के पचम सूत्र को ध्यान मे रखना पडता है।

पचम सूत्र के अनुसार इस बात के लिए पूरा महत्त्व देना है कि सूची के जीवन काल में भी उसमें समय समय पर सुधार किए जाने तथा और अधिक विवरण दिए जाने की क्षमता मौजूद हो। इसका उल्लेख अध्याय ०१ के प्रारम्भिक परिच्छेद मे आ चुका है तथा विशद प्रतिपादन मेरे ग्रन्थ *ग्रन्थालय शास्त्र पंचसूत्री* (*Five laws of library science*) में उपलब्ध है।[५]

सूची का भौतिक स्वरूप

चिरकाल से सम्मानित सपुटित-पुस्तक-स्वरूप के दिन तो सदा के लिए चले गये। अब वे फिर लौटकर नही आ सकते। कम से कम वर्धनशील ग्रन्थालय के सम्बन्ध मे तो यह निरपवाद है। मुक्त-पत्र स्वरूप तथा पत्रक स्वरूप दोनों आपस मे इतने अधिक सदृश्य है कि उनमे सलेखो के निर्माण के लिए सर्वथा अभिन्न प्रकार की शैली का उपयोग किया जाता है। इनमे से पत्रक स्वरूप सबसे बाद का और इसी कारण अधिक लोकप्रिय है। यह वाछनीय है कि धाराए सर्वथा स्थिर एवं निश्चित हो। अत इस अध्याय मे केवल पत्रक-सूची के लिये सलेखो के निर्माण करने की शैली की चर्चा की गई है।

पत्रक-सूची

उचित क्रम को सर्वदा ही सरलता से बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पत्रक मे केवल एक ही सलेख लिखा जाय। हा, इसमें यह अपवाद है कि जहा कही धाराओ द्वारा कतिपय क्रमानुगत सलेखो को एक एकीकृतसलेख के

---

५ पृ० ३९३–३९७।

रूप में लिखे जाने की व्यवस्था की गई हो वहां एक पत्रक में ही एक से अधिक सलेख सम्हित किये जा सकते हैं।

अनुभव द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि ५" × ३" × ·०१" परिमाण के पत्रकों का आकार सबसे अधिक सुविधाजनक होता है। सूचीकरण कार्य के लिए उन्हें 'मानित पत्रक' कहा जाता है। सूची एक उपकरण है। उसका जीवन काल अधिक से अधिक दीर्घ हो यह वाञ्छनीय है। अतः जो पत्रक काम में लिये जायें वे टिकाऊ कागज के बने हुए हों। स्वच्छता तथा सुन्दरता के लिए यह आवश्यक है कि रेखा-युक्त पत्रक काम में लाये जायें।

मुद्रित या लिखित

किस वस्तु पर सलेख बनाये जायें इस विषय का निर्णय तो हो चुका। अब यह विचार करना है कि सलेख किस विधि से बनाया जाय। तात्पर्य यह है कि सलेख मुद्रित हो अथवा लिखित। मुद्रित हो तो वह सर्वोत्तम है, आदर्श है, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु वह आर्थिक दृष्टि से भी मितव्यय-साध्य होना चाहिए। आजकल छपाई के जो दाम चल रहे हैं उनमें पृथक्-पृथक् ग्रन्थालयों के लिए यह किसी भी प्रकार मितव्ययी नहीं हो सकता। यह उन देशों में सम्भव है जहां सहकारी सूचीकरण व्यवहार में लाया जा रहा हो। कुछ भी हो इस प्रकार के देशों की संख्या बहुत कम है। साथ ही सहकारी सूचीकरण की अपनी स्वतन्त्र समस्याएं हैं।[१] अतः इस ग्रन्थ में इस प्रश्न की चर्चा ही नहीं की गई है।

यदि पत्रकों को टाइप कराया जावे तो उसमें एक बाधा है। अबतक ऐसे रिबन का आविष्कार ही नहीं हुआ है जो स्थायी एवं अमिट छाप छोड़ सके। एकक पत्रकों को किस प्रकार काम में लाया जाय, इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई कठिन समस्या निहित नहीं है। कारण, यह सम्भव है कि पत्रकों को योग्य लम्बाई के गोलों (चर्खियों) में प्रस्तुत करना अशक्य नहीं है।

अतः पृथक् ग्रन्थालयों में हाथों द्वारा लिखना ही एकमात्र व्यावहारिक मार्ग दिखाई पड़ता है।

कोई भी ग्रन्थालय सूची की एक ही प्रति से काम नहीं चला सकता। इसके अतिरिक्त आजकल की प्रवृत्ति तो यह है कि छोटे छोटे ग्रन्थालयों के समुदाय को

१ रंगनाथन (श्री रा). ग्रन्थालय सूची सिद्धांत (*Theory of library catalogue*) १९३८ (मद्रास ग्रन्थालय संघ, प्रकाशनमाला ७). अध्याय ६२.

एक साथ एक सूत्र में आबद्ध कर दिया जाय। इस सघटन मे सूची की कतिपय प्रतियो की आवश्यकता पडती है। कुछ भी हो, उन ग्रन्थालयो की सख्या इतनी कम होती है कि छपाई तो किसी प्रकार मितव्यय-साध्य नही हो सकती। अत आज ग्रन्थालय जगत् इस दिशा मे अनेक प्रकारके परीक्षणात्मक प्रयोग करने लगा है। यह आशा की जा सकती है शीघ्र ही प्रतिलिपीकरण की किसी स्वल्पार्घ रीति का आविष्कार हो जायगा।

किन्तु किसी भी अवस्था मे यह तो निश्चित ही है कि प्रथम प्रति तो लिखनी ही पडेगी। अत. इस अध्याय की धाराए पत्रको मे सलेखो को लिखने की शैली का निरूपण करती है।

इस प्रकार हमारे सामने दो और नई समस्याए उपस्थित होती है। (१) उपयोग में ली जाने वाली स्याही तथा (२) वह लिपि जिसमे सलेख बनाये जाने वाले हो।

०३०१ मसी स्थिरा।

०३०२ क्रामक-वर्ग-समङ्कयोः सीस-लेखनी।

०३०१ सलेखाः स्थिरया मस्या लेख्या ।

०३०२ क्रामक-समकः वर्गसमक च सीसलेखन्या लेख्यः।

०३०१ संलेख स्थायी स्याही से लिखे जायं।

०३०२ क्रामक समंक और वर्ग समंक पेन्सिल से लिखे जायं।

०३०३ वर्णाङ्काः स्पष्टोर्ध्वगविरलाः।

०३०३ सर्वेषु पदेषु समङ्केषु च सर्वे वर्णाः अङ्काः च स्पष्टाः ऊर्ध्वगाः विरलाः च लेख्या.।

०३०३ प्रत्येक पद तथा संख्या में सारे वर्ण और अंक स्पष्ट, उर्द्धग (खड़े) और विरल (छुट्टे) लिखे जायं।

ग्रन्थालय लिपि

जहा तक लिपि का सम्बन्ध है, हम दो परस्पर विरुद्ध तत्वो के बीच में है।

एक ओर तो, जिस लिपि मे कोई व्यक्ति लिखता है वह सर्वथा उसकी वैयक्तिक लिपि होती है। इसी तत्व पर लेखन-शास्त्र (*Science of graphology*) अवलम्बित है। दूसरी ओर वर्धनशील ग्रन्थालय-सूची में प्रति सप्ताह नये-नये सलेख आते रहते है; और यह कार्य अनिश्चित रूप से अनेक पीढियो तक निरन्तर चलता रहता है। अत यदि क्रमश आने वाले अनेक सूचीकारो की लिपि-सम्बन्धी समस्त अनियमितताओ को पूरी छूट दी जाय तो सूची अवश्य ही बेमेल की खिचडी बन जायगी। ग्रन्थालय-जगत् सूचीकारो की हस्तलिपि में विद्यमान वैयक्तिकता एव स्वतन्त्रता को प्रसन्नता के साथ बलि चढा देने के लिए प्रस्तुत है किन्तु किसी भी प्रकार सूची की बहुप्रकारक शैली द्वारा पाठको की घृणा एव विरसता को उत्पन्न नही होने देगा। तदनुसार उसने अभी अभी एक अवैयक्तिक लिपि का अभ्युन्नयन किया है और वह 'ग्रन्थालय लिपि' के नाम से विख्यात है। यह साधिकार घोषित किया गया है कि असुन्दर लेखन वाला व्यक्ति भी इस ग्रन्थालय लिपि का सफलता के साथ अभ्यास कर सकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस लिपि मे शीघ्रता के साथ लिखा जा सकता है।

लेखन शैली सम्बन्धी धाराएं

इस अध्याय की धाराओ के निरूपण के पूर्व ही पाठको से क्षमा मागने की आवश्यकता है। इसमें सन्देह नही कि शैली के नियम धारा रूप मे देने के स्थान पर मैं यह दिखला सकता कि पत्रक को किस ढग से लिखा जाय, तो कितना अत्युत्तम होता। परन्तु यह सुविधा अभी तक किसी ग्रथकार को उपलब्ध नही हो सकी है। इसी कारण मुझे नियमो के टेढे मेढे रास्ते को अपनाना पडा है। अत मेरा यह निवेदन है कि पाठक मेरी इन कठिनाइयों को समझेंगे तथा स्वय पत्र को विस्तृत लिख-लिख कर नियमो का अनुपालन करेंगे।

इसके अतिरिक्त नियमो के निर्माण करने में अपेक्षित रूप से अध्याय १ से ४ तक मे प्रतिपादित सामग्री को ध्यान में रखा गया है। उसे जाने बिना इस अध्याय की धाराए समझ मे नही आ सकती। अत आगे दी हुई धाराओ को समझने से पूर्व उन धाराओ को भी शीघ्र पढ लेना आवश्यक है। इसके विपरीत अध्याय १ से ४ तक की धाराओ को समझने के लिए इस अध्याय की धाराओ से कुछ परिचय होना आवश्यक है। इस प्रकार कुछ पुरस्तात् और कुछ पश्चात् अध्ययन अनिवार्य हो जाता है।

पत्रकगत रेखाएँ

०३०४ पत्रक-प्रथम-सम-रेखा अग्रा ।

०३०५ वामोर्ध्वरेखा प्रथमोर्ध्वा ।

०३०६ प्रथमोर्ध्व-दक्षिणा द्वितीयोर्ध्वा ।

०३०४ पत्रकस्य प्रथमा समरेखा 'अग्रा' इत्युच्यते ।

०३०५ पत्रकस्य वामभागस्था ऊर्ध्वा रेखा 'प्रथमोर्ध्वा' इति उच्यते ।

०३०६ प्रथमाया. ऊर्ध्वरेखाया दक्षिणभागस्था ऊर्ध्वा रेखा 'द्वितीयोर्ध्वा' इति उच्यते ।

०३०४ पत्रक की प्रथम सम रेखा 'अग्रा' कही जाती है ।

०३०५ पत्रक के बाईं ओर की ऊर्ध्व रेखा 'प्रथमोर्ध्वा' कही जाती है ।

०३०६ प्रथम ऊर्ध्वरेखा के दाहिनी ओर की ऊर्ध्व रेखा, 'द्वितीयोर्ध्वा' कही जाती है ।

अग्रानुच्छेदः

०३१ अग्रारब्धोऽग्रानुच्छेदः ।

०३११ अग्रानुच्छेद-रेखाः प्रथमोर्ध्वायाः ।

०३१ अग्ररेखायाम् आरब्ध' अनुच्छेदः अग्रानुच्छेदः इति उच्यते ।

०३११ अग्रानुच्छेदस्य सर्वा. रेखाः प्रथमोर्ध्वरेखायाः आर-ब्धव्या. ।

०३१ अग्ररेखा से आरम्भ किया हुआ अनुच्छेद अग्रानुच्छेद कहा जाता है ।

०३११ अग्रानुच्छेद की सब रेखाएं प्रथमोर्ध्व रेखा से आरंभ की जायं ।

इतरानुच्छेदा.

०३२ अनुच्छेदान्तरारम्भो द्वितीयोर्ध्वायाः ।
०३२० न निर्देशि-परिग्रहण-समङ्कौ ।
०३२१ प्रथमेतररेखाः प्रथमोर्ध्वायाः ।

०३२ अन्येषाम् अनुच्छेदानाम् आरम्भरेखा. द्वितीयोर्ध्व-रेखाया आरब्धव्या ।

०३२० परं निर्देशि-सल्लेखीय-निर्देशिसमङ्कः प्रधान-संलेखीय-परिग्रहणसमङ्क. च स्वधारानुसार यथास्थाने लेख्यौ ।

०३२१ सर्वेषाम् अनुच्छेदानाम् प्रथमेतररेखा· प्रथमोर्ध्व-रेखाया आरब्धव्या. ।

०३२ अन्य अनुच्छेद द्वितीयोर्ध्वरेखा से आरम्भ किये जायें ।

०३२० किन्तु निर्देशि-सलेख का निर्देशि-समंक और प्रधान-संलेख का परिग्रहण-समंक अपनी धारा के अनुसार यथास्थान लिखा जाय ।

०३२१ सब अनच्छेदों की प्रथमातिरिक्त अन्य रेखाएं प्रथमोर्ध्वरेखा से आरम्भ की जायें ।

निर्देशि-समङ्क

०३३० निर्देशि-संलेखीय-वर्ग - पुस्तक - अन्यतर-निरूपक-समङ्कः निर्देशि-समङ्कः ।
०३३१ द्वितीयानुच्छेद-अन्त्यरेखा-दक्षिणान्ते ।

०३३० निर्देशि-सलेखीयस्य वर्गस्य पुस्तकस्य वा निरूपकः समङ्क. निर्देशि-समङ्क. इति उच्यते ।

०३३१ निर्देशि-समङ्क. निर्देशि-सलेख्यस्य द्वितीयानुच्छे-
दस्य अन्त्यरेखायाः दक्षिण-पार्श्वान्ते लेख्यः ।

०३३० निर्देशि-संलेख के वर्ग अथवा पुस्तक का निरूपक समंक 'निर्देशि-
समंक' कहा जाता है ।

०३३१ निर्देशि-समंक निर्देशि-संलेख के द्वितीय अनुच्छेद की अन्त्यरेखा
के दाहिनी ओर अन्त में लिखा जाय ।

मालासमङ्कः

०३४ माला-संलेख-मालासमङ्कः प्रथमोर्ध्वायाः ।

०३४१ तदनुगामिपदं द्वितीयोर्ध्वायाः ।

०३४११ माला-समङ्क-दीर्घत्वे एकाक्षरान्तरम् ।

०३४ माला-सलेखे माला-समङ्कः प्रथमोर्ध्वरेखायाः
आरब्धव्यः ।

०३४१ माला-समङ्कस्य अनुगामि-पदं द्वितीयोर्ध्व-रेखायाः
आरब्धव्यम् ।

०३४११ परं मालासमङ्कः द्वितीयोर्ध्वरेखाया. पारं गच्छति
चेत् तदनुगामि पदं एकाक्षर-स्थानं विहाय आर-
ब्धव्यम् ।

०३४ माला-संलेख में माला-समंक प्रथमोर्ध्वरेखा से आरम्भ किया
जाय ।

०३४१ माला-समंक के बाद आने वाला पद द्वितीयोर्ध्व-रेखा से
आरम्भ किया जाय ।

०३४११ किन्तु यदि माला-समंक लम्बा होने के कारण द्वितीयोर्ध्व-
रेखा को पारकर जाय तो उसके बाद आने वाला पद एक
अक्षर के स्थान को छोड़कर आरम्भ किया जाय ।

परिग्रहण समङ्क.

०३५	**परिग्रहणसमङ्कः अन्त्यरेखा-दक्षिणान्ते ।**
०३५१	**अनेकत्वेऽनुपुस्तक-समङ्कम् ।**

०३५	प्रधान-संलेखस्य परिग्रहण-समङ्कात्मकः अनुच्छेदः सर्वाधोरेखायाः दक्षिणान्ते लेख्यः ।
०३५१	परिग्रहण-समङ्कस्य एकाधिकत्वे ते प्रातिस्विक-पुस्तक-समङ्क-क्रमानुसार तथा लेख्याः यथा अन्त्यः समङ्कः सर्वाधोरेखा-दक्षिणान्त भजेत् ।

०३५	प्रधान-संलेख का परिग्रहण-समंक-रूपी अनुच्छेद सबसे निचली रेखा के दाहिनी ओर अन्त में लिखा जाय ।
०३५१	यदि परिग्रहण-समंक एक से अधिक हों तो संवादि-पुस्तक-समकों के क्रमानुसार वे इस प्रकार लिखे जायं कि अन्तिम समंक सबसे निचली रेखा के दाहिनी ओर अन्त में आय ।

शीर्षकम्

०३६०१	**प्रधान-संलेख-द्वितीयानुच्छेदः शीर्षकम् ।**
०३६०२	**निर्देशि-अग्रानुच्छेदः च ।**
०३६०३	**नामान्तर-निर्देशि-अग्र-तृतीयानुच्छेदौ च ।**
०३६१	**अनेकत्वे आद्यं प्रधानम् ।**
०३६१०	**अन्यद् उपशीर्षकम् ।**
०३६११	**प्रत्येकं वाक्यम् ।**

०३६०१	प्रधान-संलेखस्य द्वितीयः अनुच्छेदः शीर्षकं भवति ।
०३६०२	निर्देशि-संलेखस्य अग्रानुच्छेदः अपि शीर्षकं भवति ।
०३६०३	नामान्तर-निर्देशि-संलेखस्य अग्रानुच्छेदः तृतीयानुच्छेदः च अपि शीर्षकौ भवतः ।

०३६१ शीर्षकस्य अनेक-वाक्यमयत्वे तेषाम् आद्यं प्रधानम्।

०३६१० प्रधान-शीर्षकाद् अन्यत् शीर्षकम् 'उपशीर्षकम्' इति उच्यते ।

०३६११ शीर्षकस्य अनेकत्वे तेषां प्रत्येक शीर्षकं पृथग् वाक्यं ज्ञेयम् ।

०३६०१ प्रधान-संलेख का द्वितीय अनुच्छेद शीर्षक होता है ।

०३६०२ निर्देशि-संलेख का अग्रानुच्छेद भी शीर्षक होता है ।

०३६०३ नामान्तर-निर्देशि-संलेख का अग्रानुच्छेद और तृतीयानुच्छेद भी शीर्षक ेता है ।

०३६१ यदि शीर्षक में एक से अधिक वाक्य हों तो उनमें पहला प्रधान शीर्षक कहा जाता है ।

०३६१० प्रधान शीर्षक से अन्य शीर्षक 'उपशीर्षक' कहा जाता है ।

०३७११ यदि शीर्षक अनेक हों तो उनमें से प्रत्येक शीर्षक पृथक् वाक्य माने जायें ।

०३६२ शीर्षकं विशिष्टलिप्याम् ।

०३६२० न कोष्ठक-लेख्य-देशक-वर्णक-व्यक्ति-साधक-योजक-'अ.' 'इ.' संक्षेपाः ।

०३६२ अनन्तरधारा-निर्देश-वर्जं शीर्षक-पदानि निर्धारितायाः विशिष्टायां लिप्या लेख्यानि ।

०३६२० परं कोष्ठक-लेख्यानि, देशकानि, वर्णकानि, व्यक्तिसाधकानि, योजकानि, पदानि 'अ.' 'इ.' सक्षेपा च सामान्य-लिप्याम् लेख्या ।

०३६२ अगली धारा में निर्दिष्ट स्थलों को छोड़कर, शीर्षक के पद निर्धारित विशिष्ट लिपि में लिखे जाएं ।

०३६२० किंतु कोष्ठक-लेख्य, देशक, वर्णक, व्यक्ति-साधक और योजक पद तथा 'अ.' 'इ'. संक्षेप सामान्य लिपि में लिखे जायं ।

यदि सलेख अंग्रेजी में हो और लिखित हो तो शीर्षक के लिए रोमन बड़े अक्षर (Block letters) काम में लाए जाएं। यदि मुद्रित हो तो छोटे (Small caps) काम में लाये जाएं।

यदि सलेख हिन्दी में हो और लिखित हो तो शीर्षक मात्राधिक लिपि में लिखा जाय। यदि मुद्रित हो तो अन्य अक्षरों से विभिन्न अक्षर काम में लाए जायं। उदाहरणार्थ यदि अन्य अक्षर (text) सफेद टाइप में हो तो शीर्षक कृष्णमुख (Black face) में हो सकते हैं।

'अर्थात्' इस पद के लिए 'अ' यह सक्षेप प्रयुक्त किया जाता है।

०३६३　आदि-लेख्य-इतर - शीर्षक - व्यष्टि - नाम वृत्तकोष्ठके।

०३६३० यथानुक्रमम्।

०३६३　व्यष्टि-नाम्नि शीर्षके आदि-लेख्य-वर्ज नाम-पदानि वृत्तकोष्ठके लेख्यानि।

०३६३०　तानि पदानि यथानुक्रम लेख्यानि।

०३६३　यदि व्यक्ति का नाम शीर्षक हो तो आदि में लिखे जानेवाले पदों को छोड़कर अन्य सब नाम के पद वृत्तकोष्ठक में लिखे जायं।

०३६३०　वे पद क्रमानुसार लिखे जायं।

०३६४　आदि-लेख्य-इतर-शीर्षक - प्रधान - शीर्षक, उपशीर्षक-अन्यतम-समष्टि-नाम वृत्त-कोष्ठके।

०३६४०　रिक्तस्थाने रेखिका।

०३६४　समष्टि-नाम्नि शीर्षके, प्रधान-शीर्षके, उपशीर्षके वा आदिलेख्यवर्ज नाम-पदानि आदिलेख्यपद-स्थाने रेखिकां विधाय वृत्तकोष्ठके लेख्यानि।

०३६४० नाम्न: आदिलेख्यस्य पदस्य रिक्ते स्थाने रेखिका लेख्या ।

०३६४ यदि समष्टि का नाम शीर्षक, प्रधान-शीर्षक, उपशीर्षक हो तो आदि में लिखे जानेवाले शब्दों को छोड़कर अन्य सब नाम के पद वृत्तकोष्ठक में लिखे जायं।

०३६४० नाम के आदि में लिखे जाने वाले पद के रिक्त स्थान में रेखिका लिखी जाय।

०३६५ विषय-शीर्षकाणि विशिष्टलिप्याम् ।

०३६५१ विषयोपशीर्षकाणि अधोरेखाङ्कितानि च ।

०३६५ सर्वाणि विषयशीर्षक-पदानि विशिष्टायां लिप्याम् लेख्यानि ।

०३६५१ सर्वाणि विषयोपशीर्षकाणि विशिष्टायां लिप्याम् लेख्यानि अधोरेखाङ्कितानि च कर्त्तव्यानि ।

०३६५ विषय शीर्षक के सब पद निर्धारित विशिष्ट लिपि में लिखे जायं।

०३६५१ विषयोपशीर्षक के सब पद विशिष्ट लिपि में लिखे जायं तथा उनके नीचे रेखा खींची जाय।

सहाय शब्दा:

०३६६ देशक-वर्णक-पदानि सामान्य-लिप्यामधो-रेखाङ्कितानि च ।

०३६७ व्यक्ति-साधक-योजक-पदानि सामान्य-लिप्याम् ।

०३६८ व्यक्ति-साधक-क्रमबोधक-समङ्कः नामान्ते

०३६६ सर्वाणि देशकानि, वर्णकानि च पदानि सामान्यायां लिप्याम् लेख्यानि अधो-रेखाङ्कितानि च कर्त्तव्यानि।

०३६७ सर्वाणि व्यक्ति-साधकानि योजकानि च पदानि सामान्यायाम् लिप्याम् लेख्यानि।

०३६८ यदि नाम्न व्यक्तिसिद्धि. समङ्केन चेत् सः क्रम-बोधकरूपेण नामान्ते लेख्यः।

०३६६ सब देशक और वर्णक पद सामान्य लिपि में लिखे जायं तथा उनके नीचे रेखा खींची जाय।

०३६७ सब व्यक्ति-साधक और योजक पद सामान्य लिपि में लिखे जायं।

०३६८ यदि नाम की व्यक्ति-सिद्धि समंक से की जानी आवश्यक हो तो उसे क्रमबोधक रूप के नाम के अन्त में लिखा जाय।

०३६९१ शीर्षक-वर्णक-व्यक्ति-साधक-पदानि पृथक् वाक्यम्।

०३६९२ शीर्षक-अवान्तरनाम-अनुगत 'अ.' विशिष्ट-कोष्ठकं च।

०३६९२० 'अर्थात्' इत्यस्य 'अ' इति संक्षेपः।

०३६९१ शीर्षकस्य सर्वाणि वर्णकानि, व्यक्तिसाधकानि च पदानि पृथक् वाक्यम् ज्ञेयानि।

०३६९२ शीर्षकस्य अवान्तरनामानुगतेन 'अ.' इति सक्षेपेण युक्त कोष्ठकं पृथक् वाक्य ज्ञेयम्।

०३६६१ शीर्षक के सब वर्णक और व्यक्ति-साधक पद पृथक् वाक्य माने जायं।

०३६६२ शीर्षक में आने वाला, अवान्तर-नाम से अनुगत 'अ' से युक्त कोष्ठक पृथक् वाक्य माना जाय।

संलेख-शेष

०३७२ विराम-चिह्नानि अनुव्याकरणम् ।
०३७५ पदान्तराणि सामान्य-लिप्याम्
०३७५१ अन्वनुच्छेद-वाक्य-लक्षणम् ।
०३७६ व्यष्टि-समष्टि-नाम-पदानि अनुस्वाभाविक-क्रमम् ।

०३७२ विरामस्य चिन्हानि व्याकरण-नियमान् अनुसृत्य देयानि ।
०३७५ अन्यानि पदानि सामान्यायां लिप्याम् लेख्यानि ।
०३७५१ तानि च अनुच्छेदस्य वाक्यस्य च लक्षणम् अनुसृत्य लेख्यानि ।
०३७६ व्यष्टे समष्टेः च नाम्न. पदानि तेषाम् स्वाभाविकं क्रमम् अनुसृत्य लेख्यानि ।

०३७२ *विराम के चिन्ह व्याकरण के नियमों का अनुसरण कर लगाये जायं ।*
०३७५ अन्य सब पद सामान्य लिपि में लिखे जायं ।
०३७५१ वे अनुच्छेद और वाक्य के लक्षण का अनुसरण कर लिखे जायं ।
०३७६ व्यष्टि और समष्टि के नामो के पद उनके अपने-अपने स्वाभाविक क्रम के अनुसार लिखे जायं ।

विराम चिह्न एव अन्य चिह्नों के प्रयोग के सम्बन्ध में व्याकरण के नियम सर्वथा कठोर अथवा स्थिर हैं, यह कहा नही जा सकता । मेरा तो यह विश्वास है कि उनमें इतना लचीलापन है कि व्यक्तिगत रुचियो को थोडी बहुत स्वतन्त्रता प्राप्त है । किन्तु यदि इसी प्रकार किसी ग्रथालय के अनेक सूचीकारों की व्यक्तिगत विभिन्न रुचियों को स्वतन्त्रता दी गई तो परिणाम यह होगा कि सूची सर्वथा भद्दी बन जायगी । अत हमारा तो यह सुझाव है कि व्याकरण के नियम

जो स्वतन्त्रता देते हैं उसे प्रत्येक ग्रन्थालय अपने विभिन्न सूचीकारो तक न जाने दे। अपितु प्रत्येक ग्रन्थालय अपने स्वतन्त्र नियम बना सकता है और उन्हे कठोरता-पूर्वक कार्यान्वित कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है। यह भी वाञ्छनीय नहीं है कि ग्रन्थालयों की स्वतन्त्रता नष्ट कर दी जाय और कठोर नियमों के गुरुरूप सघात को सब ग्रन्थालयो पर समान रूप से लागू कर दिया जाय।

०३८	**क्रामक-वर्ग, इतर, समङ्कः भारतीयः।**
०३८१	**अनुस्यूत-संख्या-संघातः आद्य-रेखिका-अन्त्यमयः।**
०३८१०	**इदं पूरितसमङ्कनम्।**
०३८११	**अनन्ते नान्त्या।**
०३८११०	**इदम् अपूरितसमङ्कनम्।**
०३८२	**समश्रेणि-पृथक्समङ्क, पूरितसमङ्कन, अन्तराले अल्पविरामः।**
०३८७	**वर्ग-पुस्तक-समङ्क-अन्तराले अङ्कत्रयस्थानम्।**

०३८	क्रामक-समङ्क वर्ग-समङ्क च विहाय अन्यः समङ्कः भारतीय लेख्य।
०३८१	अनुस्यूतायाः सख्याया सघाते आद्या संख्या, रेखिका अन्त्या संख्या च भवन्ति।
०३८१०	इदं समङ्कनम् पूरित-समङ्कनम् इति उच्यते।
०३८११	अनुस्यूताया सख्यायाः संघाते अनन्ते, अन्त्या संख्या न भवति।
०३८११०	इदम् समङ्कनम् अपूरित-समङ्कनम् इति उच्यते।
०३८२	समश्रेणिकयो. पृथक्समङ्कयोः पूरितसमङ्कनयोः च अन्तराले अल्प विराम. कार्य.।

०३८७ वर्ग-समङ्कस्य पुस्तक-समङ्कस्य च अन्तराले अङ्क-त्रयस्य स्थानं रिक्तं त्याज्यम् ।

०३८ क्रामक-समंक और वर्ग-समंक को छोड़कर अन्य सब समंक भारतीय लिखे जायं ।

०३८१ अनुस्यूत-संख्या के संघात में आद्य-संख्या, रेखिका (डेश) और अन्त्य संख्या होती है ।

०३८१० यह समंकन पूरित-समंकन कहा जाता है ।

०३८११ यदि अनुस्यूत-संख्या के संघात का अन्त न हो तो अन्तिम संख्या न लिखी जाय ।

०३८११० यह समंकन अपूरित-समंकन कहा जाता है ।

०३८२ समश्रेणि वाले दो पृथक् समंकों के तथा दो पूरित समंकनों के बीच अल्प विराम किया जाए ।

०३८७ वर्ग-समंक और पुस्तक-समंक के बीच में तीन अंकों का स्थान रिक्त छोड़ा जाय ।

०३९१ असामान्य-पुस्तकानि त्रिविधानि ।
०३९१० अल्प-महाकार-सुरक्षणीयानि ।

०३९१ असामान्यानां पुस्तकानां त्रयः प्रकाराः भवन्ति ।

०३९१० तानि च अल्पाकाराणि, महाकाराणि सुरक्षणीयानि च भवन्ति ।

०३९१ असामान्य पुस्तकों के तीन प्रकार हैं ।

०३९१० वे अल्पाकार, महाकार और सुरक्षणीय होते हैं ।

अनुभव द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि पुस्तिकाओं को, महाकार पुस्तकों को तथा अन्य असामान्य पुस्तकों को उनकी अपनी स्वतन्त्र कक्षाओं में व्यवस्थापित किया जाय तो बड़ी ही सुविधा होगी । इसके विपरीत, यह भी वाछनीय नहीं है कि उनके सवादी सलेखों को सूची में उनके स्वाभाविक स्थान से निकाल कर अलग कर दिया जाय । अतः कोई ऐसी सरल रीति अपनानी चाहिये कि उन ग्रन्थों के सलेखों में ही यह प्रदर्शित कर दिया जा सके कि चयन-शाला में वे

किस कक्षा में पाये जा सकते है। अनेक परीक्षणो के पश्चात् मद्रास विश्वविद्यालय ग्रन्थालय ने एक योजना का आविष्कार किया है। वह योजना इस धारा के उपभेदो मे वर्णित की गई है।

पुस्तिका, महाकार पुस्तक इत्यादि के प्रमाण के निर्धारण मे रूढ़िवादी नही बना जा सकता। यही कारण है कि इस धारा में निर्धारण के कार्य को अलग-अलग ग्रन्थालयो के भरोसे छोड दिया गया है। यह आशा की जाती है कि प्रत्येक ग्रन्थालय, अपने अनुभव के आधार पर, अपना कोई एक स्वतन्त्र निश्चय करेगा और वह निश्चय इस धारा का पूरक होगा।

उदाहरण के रूप में मद्रास विश्वविद्यालय ग्रन्थालय में व्यवहृत निर्धारण यहा दिया जा रहा है—

(क) किसी संपुट को अल्पाकार माना जाय यदि

(१) उसकी चौड़ाई १२″ से कम हो, तथा

(२) (अ) उसकी मोटाई २″ से अधिक न हो;

(आ) अथवा उसकी मोटाई १″ से अधिक न हो तथा उसकी ऊचाई ६″ से कम हो,

अथवा

(इ) उसकी मोटाई २″ से अधिक न हो तथा उसकी ऊचाई ५″ से कम हो;

अथवा

(ई) उसकी मोटाई ९″ से अधिक न हो तथा उसकी ऊचाई २″ से कम हो।

(ख) किसी सपुट को महाकार माना जाय, यदि उसकी चौडाई १२″ से कम न हो।

(ग) किसी सपुट को सुरक्षणीय माना जाय यदि

(१) उसमे कम से कम ५० चित्र अथवा मानचित्र हो अथवा दोनो मिल कर उतने हो।

(२) उसका कागज बहुत सस्ता हो, जैसे न दबाया हुआ कागज अथवा जिस पर मिट्टी अत्यधिक चढ गई हो।

अथवा

(३) प्रतिपाद्य विषय की विशेषताके कारण अथवा सपुट की

दुर्लभता जन्य अमूल्यता के कारण अनुलय विभाग जिसे सुरक्षणीयकक्षा में प्रविष्ट करने के लिए सुझाव दे।

०३९११ अल्पाकार-पुस्तक समङ्कं अधोरेखा।

०३९१२ महाकारीये उपरि।

०३९१३ सुरक्षणीये उभयतः।

०३९१४ प्रधान-इतर-कक्षेय-पुस्तक-समङ्कं कक्षा चिह्नम्।

०३९११ अल्पाकाराणां पुस्तकानां पुस्तक-समङ्के अधस्तात् रेखा कार्या।

०३९१२ महाकाराणां पुस्तकानां पुस्तक-समङ्के उपरिष्टात् रेखा कार्या।

०३९१३ सुरक्षणीयानां पुस्तकानां पुस्तक-समङ्के अधस्तात् उपरिष्टात् च उभयत्र रेखा कार्या।

०३९१४ प्रधान-कक्षायाः इतरत्र विद्यमानाना पुस्तकानां पुस्तक-समङ्के तत्कक्षासूचक कक्षाचिह्नम् कार्यम्।

०३६११ अल्पाकार पुस्तकों के पुस्तक-समंक के नीचे रेखा बनाई जाय।

०३६१२ महाकार पुस्तकों के पुस्तक-समंक के ऊपर रेखा बनाई जाय।

०३६१३ *सुरक्षणीय पुस्तकों के पुस्तक-समंक के नीचे तथा ऊपर दोनो ओर रेखा बनाई जाय।*

०३६१४ प्रधान कक्षा से अन्यत्र रखी हुई पुस्तकों के पुस्तक-समंकों पर उस कक्षा को सूचित करने वाला कक्षा-चिन्ह लगाया जाय।

जन-ग्रन्थालय में कक्षा-चिन्ह द्वारा यह सूचित किया जा सकता है कि वह ग्रन्थ किस शाखा-ग्रन्थालय मे रक्खा गया है। विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय ग्रंथालय में उस विभाग का सूचन होता है जहा वह ग्रथ रखा गया हो[७] तथा विद्या-

---

७. और द्रष्टव्य रगनाथन (श्री. रा.). ग्रथालय-प्रबन्ध (*Library administration*). १६३५ (मद्राम ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, ५) अनुच्छेद ८१.

लय ग्रन्थालय में उस कक्षा (वर्ग) का सूचन होता है जिसके लिए वह उद्दिष्ट हो।[८]

०३९२ पत्रके पूरिते अपरम् ।

०३९२०१ 'अनन्तर-पत्रके सन्ततम्' इति पूरित-पत्रक-अन्त्य-रेखान्ते ।

०३९२०२ 'सन्ततम्' इति अनन्तर-पत्रक-अग्ररेखा-दक्षिणान्ते ।

०३९२०३ अग्रानुच्छेदः सर्वत्र ।

०३९२०४ तानि सन्ततपत्रकाणि ।

०३९२ सलेखस्य एकस्मिन् पत्रके पूरिते सति अपरं पत्रकं ग्राह्यम् ।

०३९२०१ 'अनन्तरे-पत्रके सन्ततम्' इत्यय वाक्याश. पूरितस्य पत्रकस्य अन्त्याया रेखाया. अन्ते लेख्य ।

०३९२०२ 'सन्ततम्' इति पदम् अनन्तरस्य पत्रकस्य अग्ररेखाया. उपरि दक्षिणान्ते लेख्यम् ।

०३९२०३ प्रथमस्य पत्रकस्य अग्रानुच्छेदः सर्वेषु पत्रकेषु लेख्यः ।

०३९२०४ तानि सर्वाणि पत्रकाणि 'सन्तत-पत्रकाणि' इति उच्यन्ते ।

०३९२ यदि कोई संलेख लम्बा होने के कारण एक पत्रक पर पूरा न आ सके तो दूसरा पत्रक लेना चाहिये ।

०३९२०१ 'अनन्तर पत्रक' में 'सन्तत' यह वाक्यांश पूरित पत्रक के अन्त की रेखा के अन्त में लिखा जाय ।

---

८ और द्रष्टव्य रगनाथन (श्री. रा).विद्यालय एव महाविद्यालय ग्रन्थालय (*School and college libraries*). १९४२. (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, ११) अनुच्छेद ५५१ प्रभृति .

०३६२०२ 'सन्तत' यह पद अनन्तर-पत्रक की अग्ररेखा के ऊपर दाहिनी ओर अन्त में लिखा जाय।

०३६२०३ प्रथम पत्रक का अग्रानुच्छेद सभी पत्रकों में लिखा जाय।

०३६२०४ उन सभी पत्रकों को 'सन्तत-पत्रक' कहा जाता है।

०३९२१ संघात विच्छेद-नाम परिवर्तन - अष्टमाध्याय-अष्टमधारा-निर्दिष्ट-अन्यतम, कारणक-नानापत्रक-लिखित-सरूपवर्ग-समङ्क-सामयिक-प्रधान-संलेख श्रेणिरपि।

०३९२१ संघातस्य विच्छेदात्, नाम्न. परिवर्तनात्, अष्टमाध्यायस्य अष्टमधारायां निर्दिष्टात् वा हेतोः नानापत्रकेषु लिखिता सरूपवर्ग-समङ्किका सामयिक-प्रकाशनानां प्रधान-संलेखश्रेणिरपि सन्तत-पत्रकाणि इति उच्यते।

०३६२१ संघात के विच्छेद से नाम के परिवर्तन से अथवा आठवें अध्याय की आठवीं धारा में निर्दिष्ट कारण से, अनेक पत्रकों में लिखी हुई, समान वर्ग-समंक वाली, सामयिक प्रकाशनों के प्रधान-संलेखों की परम्परा भी 'सन्तत-पत्रक' कही जाती है।

०३९२२ सन्तत-पत्रकेषु योजक-पदानि आद्ये।

०३९२२१ आद्ये अधः।

०३९२२२ अन्त्ये अग्रम्।

०३९२२३ इतरेषु उभयतः।

०३९२२ सन्तत-पत्रकेषु त्रिप्रभृतिषु सत्सु योजक-पदानि लेख्यानि।

०३९२२१ प्रथम-पत्रके अन्त्यरेखायाम् अधोलेख्यानि।

०३९२२२ अन्त्ये पत्रके उपरिष्टात् लेख्यानि ।

०३९२२३ इतरेषु पत्रकेषु अधस्तात् उपरिष्टात् च उभयत्र लेख्यानि ।

०३६२२ यदि 'सन्तत-पत्रक' तीन अथवा उससे अधिक हों तो योजक पद प्रथम पत्रक में अन्तिम रेखा पर नीचे लिखा जाय ।

०३६२२१ अन्तिम पत्रक में अग्ररेखा के ऊपर की ओर लिखा जाय ।

०३६२२२ अन्य पत्रकों में नीचे तथा ऊपर दोनों ओर लिखे जायं ।

०३९२३ सन्तत-पत्रके क्रम समङ्कः ।

०३९२३१ उपरितन-योजक-पदात् परम् ।

०३९२३ सन्तत-पत्रक-सघातस्य पत्रकेषु क्रम-समङ्कः लेख्य ।

०३९२३१ सः क्रम-समङ्कः उपरितनात् योजक-पदात् परं लेख्य ।

०३६२३ सन्तत-पत्रक-संघात के पत्रकों पर क्रम-समंक लिखा जाय ।

०३६२३१ वह क्रम-समंक ऊपरवाले योजक पद से आगे लिखा जाय ।

अध्याय ०४

लिप्यन्तरकरण

०४ **आख्या-पत्रे इष्ट-इतरा-लिपिके लिप्य-न्तरकरण, संमत-सारिणी-प्रमाणेन इष्ट-लिपिः।**

०४ आख्या-पत्रे इष्टायाः इतरस्यां लिप्यां सति लिप्य-न्तर-करणाय संमतां सारिणीम् अनुसृत्य इष्टलिप्यां संलेखो लेख्यः।

०४ **यदि आख्या-पत्र इष्ट लिपि से अन्य लिपि में हो तो लिपि परिवर्तन के लिए स्वीकृत सारणी का अनुसरण कर इष्ट लिपि में संलेख लिखा जाय।**

इस ग्रन्थ की लिपि देवनागरी है। अतः इसके सभी उदाहरण देवनागरी में है। इसे शब्दान्तरो में इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये उदाहरण उस ग्रन्थालय के लिए छापे गये है जिसकी इष्ट लिपि देवनागरी हो।

०४१ **रॉयल् एशियाटिक् सोसायटी ऑफ् ग्रेट् ब्रिटेन् एण्ड् आयरलैंड्-सामयिक-सारिणी प्रमाणम्।**

०४१ रॉयल-एशियाटिक् सोसायटी ऑफ् ग्रेट् ब्रिटेन् एण्ड् आयरलैंड् सामयिके परिगृहीतानां लिपीनां लिप्यन्तरकरणे कृते तस्मिन् दत्ता सारिणी प्रमाण-रूपेण ग्राह्या।

०४१ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैंड सामयिक में स्वीकृत लिपियों के लिये उसमें दी हुई सारिणी को प्रमाण रूप से माना जाय।

अध्याय ०५

संक्षिप्त रूप

सलेखो के लिखने मे निम्नलिखित सक्षिप्त रूप प्रयोग मे लाये जायें —

उपोद्घात	उपो.
उपोद्घात लेखक	उपो
उपोद्घातीय	उपो
कल्पितनाम	कल्पित.
चित्र	चित्र
चित्रकार	चित्र
टिप्पण	टिप्प.
टिप्पणकार	टिप्प
टिप्पणित	टिप्प.
पृष्ठ	पृ.
भाग	भा.
भाषान्तर	भाषा.
भाषान्तरकार	भाषा.
भाषान्तरित	भाषा.
लोकप्रिय	लोक.
विशिष्ट	विशि
व्याख्या	व्याख्या.
व्याख्याकार	व्याख्या
शताब्दी	शती.
सक्षिप्त	सक्षि.
संक्षेप	संक्षे.
सक्षेपक	सक्षे.
संख्या	स.
सग्राहक	सग्रा

संग्रहीत	संग्र.
सपादक	संपा.
संपादित	संपा.
सपुट	संपु.
संशोधक	सशो.
सशोधन	सशो.
सशोधित	सशो.
समर्पण	समर्प.
समर्पण-पात्र	समर्प.
सर्मापित	सर्मापि.
सह	सह.

अध्याय ०६

संलेख-व्यवस्थापन

०६१ **अनुवर्ग-भाग-व्यवस्थापने अग्रानुच्छेद-वर्ग-समङ्कः प्रमाणम् ।**

०६१ अनुवर्ग भागस्य संलेखाः तेषाम् अग्रानुच्छेदे विद्यमानै वर्गसमङ्कैः व्यवस्थापनीयाः ।

०६१ **अनुवर्ग भाग के संलेख उसके अग्रानुच्छेदों पर दिये हुए वर्ग-समंकों से व्यवस्थापित किये जायं ।**

वर्ग समंकों का क्रामक व्यवस्थापन वर्गीकरण की उस पद्धति पर निर्भर है जो व्यवहार में हो। यदि द्विबिन्दु वर्गीकरण व्यवहार मे हो तो व्यवस्थापन उस ग्रन्थ के अध्याय ०२ की धारा ०२३, ०२४ तथा ०२४१ से नियन्त्रित होगा।

०६११ **अग्रानुच्छेद-सरूप-वर्ग-समङ्कः, संलेख-व्यवस्थापने अधोधाराः प्रमाणम् ।**

०६११ स्वीयेषु अग्रानुच्छेदेषु सरूपैः वर्गसमङ्कैः युक्तानां संलेखानां व्यवस्थापने अधोनिर्दिष्टाः धाराः अनुसर्तव्याः ।

०६११ **अपने अपने अग्रानुच्छेदों में समान वर्ग-समंकों से युक्त संलेखों के व्यवस्थापन के लिए निम्नलिखित धाराएं अनुसरण की जायं ।**

इस प्रकार के सलेख या तो उन कृतियो के प्रधान सलेख होंगे जो सम्बद्ध वर्गसमक द्वारा व्यक्त विशिष्ट विषय का मुख्यत निरूपण करते होंगे अथवा विषयान्तर संलेख होंगे जो उन विषयो का गौणत निरूपण करते होंगे।

०६१११ सपुस्तक-समङ्काः अतद्वयः प्राक् ।

०६१११ पुस्तक-समङ्कैः सहिता सलेखाः पुस्तक-समङ्कैः रहितेभ्यः सलेखेभ्यः प्राक् व्यवस्थापनीयाः ।

०६१११ **पुस्तक-समंकसहित संलेख पुस्तक-समंकोरहित संलेखो से पहले लगाए जायं ।**

इस धारा का परिणाम यह होगा कि किसी विशिष्ट विषयो से सम्बद्ध प्रधान सलेखो को तथा विषयान्तर सलेखो को पृथक् कर दिया जाय, तथा उनमे भी प्रथम वर्ग को पूर्ववर्तिता दी जाय ।

०६११२ तद्व्यवस्थापने पुस्तक-समङ्कः प्रमाणम् ।

०६११२ पुस्तक-समङ्कैः सहिता संलेखाः तेषाम् अग्रानुच्छेदे विद्यमानैः पुस्तक-समङ्कैः व्यवस्थापनीयाः ।

०६११२ **पुस्तक-समंकसहित संलेख उनके अग्रानुच्छेदों पर दिए हुए पुस्तक-समंकों से व्यवस्थापित किये जायं ।**

पुस्तक समको का क्रमिक व्यवस्थापन वर्गीकरण की उस पद्धति पर निर्भर है जो व्यवहार मे हो । यदि द्विबिन्दु वर्गीकरण व्यवहार में है तो व्यवस्थापन उस ग्रन्थ के अध्याय ०३ की धारा ०३१२ तथा ०३१३ द्वारा नियन्त्रित होगा ।

०६११२० अग्रानुच्छेद-सरूप-वर्ग, पुस्तक-समङ्क-संलेखाः "सन्तत" संलेख-कक्षा ।

०६११२०१ तद्व्यवस्थापने स्वभाव-क्रमः प्रमाणम् ।

०६११२० अग्रानुच्छेदे सरूपैः वर्ग-समङ्कैः पुस्तक-समङ्कैः च सहिता संलेखाः "सतताना" संलेखानां कक्षा इत्युच्यते ।

०६११२०१ ईदृशाः संलेखाः तेषाम् स्वाभाविकेन क्रमेण व्यवस्थापनीयाः।

०६११२०१ अग्रानुच्छेद पर समान वर्ग-समंकों से तथा पुस्तक-समंकों से सहित संलेख "सतत" सलेखों की कक्षा कही जाती है।
०६११२०१ इस प्रकार के संलेख उनके स्वाभाविक क्रम के अनुसार व्यवस्था-पित किए जायं।

०६११३ एकाधिकावृत्तिकानां प्रधान-संलेखाः एकस्मिन्।
०६११३१ अयम् एकीकृतः।
०६११३२ पुस्तक-समङ्काः क्रमेणास्मिन्।
०६११३३ तद्व्यवस्थापने अन्त्य-पुस्तक-समङ्कः प्रमाणम्।

०६११३ कस्यचित् पुस्तकस्य एकाधिकावृत्तिपु विद्यमानासु तासां प्रधान-संलेखाः एकस्मिन् पत्रके लेख्याः।
०६११३१ अयम् संलेख. एकीकृतः इति उच्यते।
०६११३२ सर्वेषाम् संलेखानां पुस्तकसमङ्काः अस्मिन् एकीकृत-संलेखे क्रमेण लेख्याः।
०६११३३ ईदृशः सलेखः अग्रानुच्छेदे विद्यमानेन अन्त्यावृत्तेः पुस्तक-समङ्केन व्यवस्थापनीयः।

०६११३ यदि किसी पुस्तक की एक से अधिक आवृत्तियां हों तो उनके प्रधान-सलेख एक पत्रक पर लिखे जायं।
०६११३१ यह सलेख एकीकृत कहा जाता है।
०६११३२ सब सलेखो के पुस्तक-समंक इस एकीकृत संलेख में क्रमशः लिखे जायं।

०६११३३ इस प्रकार का संलेख उसके अग्रानुच्छेद पर दिए हुए अन्तिम पुस्तक-समंक से व्यवस्थापित किया जाय।

०६१४ प्रातिस्विक - अग्रानुच्छेद - पुस्तक - समङ्क - रहित - संलेख - व्यवस्थापने प्रातिस्विक - तृतीयानुच्छेद-पुस्तक-समङ्कः प्रमाणम्।

०६१४ स्वीयेषु स्वीयेषु अग्रानुच्छेदेषु पुस्तक-समङ्कैः रहिताः संलेखा तेषामेव स्वीयेषु स्वीयेषु तृतीयानुच्छेदेषु वर्तमानैः पुस्तकसमङ्कैः व्यवस्थापनीयाः।

०६१४ अपने अपने अग्रानुच्छेदों में पुस्तक-समंको से रहित संलेख उन्हीं के अपने अपने तृतीय अनुच्छेदों पर दिए हुए पुस्तक-समंकों से स्थापित किए जायं।

इस धारा का परिणाम यह होगा कि किसी विशिष्ट विषय से सम्बद्ध विषयान्तर संलेख अपनी कृतियों की भाषाओं द्वारा समन्वित होंगे तथा प्रत्येक भाषा वर्ग में उनका व्यवस्थापन कृतियों के प्रकाशन वर्ष के कालक्रम से होगा।

०६१४१ पूर्वधारा-विषय-प्रातिस्विक - तृतीयानुच्छेद - सरूप - पुस्तक - समङ्क - संलेख - व्यवस्थाने प्रातिस्विक - तृतीयानुच्छेद - वर्ग - समङ्कः प्रमाणम्।

०६१४१ पूर्वोक्तायाः ०६१४ धारायाः अन्तर्वर्तिनः, स्वीयेषु स्वीयेषु तृतीयानुच्छेदेषु सरूपैः पुस्तकसमङ्कैः सहिताः संलेखाः तेषाम् स्वीयेषु स्वीयेषु तृतीयानुच्छेदेषु विद्यमानैः वर्गसमङ्कैः व्यवस्थापनीयाः।

०६१४१ पूर्वोक्त ०६१४ धारा के अन्दर आने वाले, अपने अपने तृतीयानुच्छेदों पर सरूप (अभिन्न) पुस्तक-समंक वाले संलेख उनके अपने तृतीयानुच्छेदों पर दिए हुए वर्ग-समंकों से व्यवस्थापित किए जायं।

व्यवस्थापन निश्चित तथा दृढ करने के लिए यह साधारणत सुविधाजनक साधन है।

०६१५ अग्रानुच्छेद - प्रातिस्विक - तृतीयानुच्छेद-पुस्तक-समङ्क-रहित, प्रातिस्विक-अग्रानुच्छेद-सरूप-वर्ग-समङ्क-संलेखाः 'सन्तत' संलेख-कक्षा ।

०६१५१ तद्व्यवस्थापने स्वभाव-क्रमः प्रमाणम् ।

०६१५ अग्रानुच्छेदेषु स्वीयेषु स्वीयेषु तृतीयानुच्छेदेषु च पुस्तकसमङ्कैः रहिताः स्वीयेषु स्वीयेषु अग्रानुच्छेदेषु सरूपैः वर्गसमङ्कैः च सहिताः संलेखा. "सततानां" संलेखानां कक्षा इति उच्यते ।

०६१५१ ईदृशा. संलेखाः तेषाम् स्वाभाविकेन क्रमेण व्यवस्थापनीयाः ।

०६१५ अग्रानुच्छेदों पर तथा अपने अपने तृतीयानुच्छेदों पर पुस्तक-समंकों से रहित और अपने अपने अग्रानुच्छेदो पर सरूप अभिन्न वर्ग-समंकों से सहित सलेख "सतत" संलेखों की कक्षा कही जाती है।

०६१५१ इस प्रकार के संलेख उनके स्वाभाविक क्रम के अनुसार व्यवस्थापित किए जायं।

इस नियम का परिणाम यह होगा कि किसी सामयिक प्रकाशन के सलेखो का व्यवस्थापन स्वतः स्वाभाविक क्रम में हो जायगा।

०६२ अनुवर्ण - भाग-संलेख-व्यवस्थापने वर्णमाला प्रमाणम् ।

०६२० विराम-चिह्न - पदान्तराल, लेखन - शैली, प्रभृतिकम् उपेक्षणीयम् ।

०६२०१ इदं वर्ण-केवल-व्यवस्थापनम् ।

०६२ अनुवर्ण-भागस्य सलेखा. वर्णमालाम् अनुसृत्य व्यवस्थापनीया ।

०६२० विरामचिन्हानि पदयो. मध्ये विद्यमानम् अन्तरालं लेखनशैली च इत्यादिकं सर्वथा उपेक्षितव्यम् ।

०६२०१ इदम् उपेक्षित-विरामचिन्हादिकं वर्णाना केवलं व्यवस्थापनं वर्णकेवलव्यवस्थापनम् इति उच्यते ।

०६२ अनुवर्ण भाग के संलेख वर्णमाला का अनुसरण कर व्यवस्थापित किए जायं ।

०६२० विराम चिन्ह, पदों के बीच के खाली स्थान तथा लेखन शैली आदि की उपेक्षा की जाय ।

०६२०१ विराम चिह्न आदि की उपेक्षा करते हुए यह वर्णो का केवल व्यवस्थापन वर्ण-केवल-व्यवस्थापन कहा जाता है ।

वर्ण-केवल व्यवस्थापन के सम्भाव्य तथा उपयोगिता पर अनुसधान जारी है।[९]

जिस नियम के अनुसार शब्द-अन्तर को वर्ण-अंतर की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती हो, उसे "अस्ति के पूर्वनास्ति" के नाम से पुकारा जाता है।[१०] इसी

९ रगनाथन (श्री. रा) एल्फावेटिकल एरेन्जमेन्ट . ए सर्वे ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, इडियन स्टेन्डर्ड इस्टीटयूशन, बुलेटिन, सपु २ १९५० में प्रकाशित. पृष्ठ ६६–७३

१० क्विन (जे. हेनरी) तथा एकाम्बे (एच्. डब्ल्यु) ए मेनुअल आफ केटेलागिग एण्ड इन्डेक्सिग. १९३३ (लायब्रेरी असोसिएशन सीरीज् आफ लायब्रेरी मेनुअल्स, ५) पृ २४६-५०.

प्रकार वाक्य-अन्तर की अपेक्षा अनुच्छेद अन्तर को प्राथमिकता देने वाले नियम को "वाक्य के पूर्व अनुच्छेद" की संज्ञा दी जाती है। "अस्ति के पूर्व नास्ति" इस नियम के आविर्भाव के पूर्व वर्णानुक्रमीकरण के सम्बन्ध में बड़ी विषम अव्यवस्था और अनिश्चितता थी। इस नियम के आविष्कृत हो जाने से बडी भारी उन्नति, व्यवस्था एवं स्थिरता हो गई है। किन्तु ग्रन्थालय सूची में वर्णानुक्रमीकरण करने में अनेक प्रकार की विषम समस्याएं उठ खडी होती है। उन सब समस्याओं का समाधान करने में वह उपर्युक्त नियम सर्वथा असमर्थ है।

कही कही ऐसा भी निर्देशन किया जाता है कि जहा कही एक नामी पदो के तथा वाक्यांशो के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती हो, वहा उनके अर्थ को नियन्त्रक बनाया जाय, और उसके अनुसार व्यवस्था की जाय। उदाहरणार्थ यह क्रम रखा जा सकता है:-

१. स्थानो के नाम;
२. विषयो के नाम;
३. ग्रन्थों के नाम,
४. वस्तुओं के नाम, तथा
५. व्यक्तियो के नाम।

किन्तु इस प्रकार के निर्देशन का अर्थ होना है कि वर्णानुक्रमीकरण करते हुए ही अत्यन्त सूक्ष्म प्रकार का चिन्तन-मनन भी किया जाय। यह तो ठीक नही। कारण वर्णानुक्रमीकरण तो सर्वथा यान्त्रिक कार्य होना चाहिये।[११] इस कल्प के मूल में व्यवस्थापन को सर्वथा यान्त्रिक बनाने का उद्देश्य निहित है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखन शैली की धाराओ को तथा वर्णानुक्रमीकरण की धारा को सर्वथा संघटित रूप में निरुपित किया गया है। **ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त** (*Theory of library catalogue*) में निरुपित रचनातन्त्र सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का यह एक सर्वप्रथम प्रयास है। किन्तु अब नई विचार-धारा के अनुसार उसे हटाकर वर्ण-केवल-व्यवस्थापन को प्राथम्य दिया जा रहा है।

---

११ रगनाथन (श्री रा.). ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त (*Theory of library catalogue*). १९३८. (मद्रास ग्रन्थालय संघ, प्रकाशन माला, ७). अध्याय ६४.

दर्शक पत्रकों का पौन पुन्य

अनुवर्ण भाग मे प्रति तीन इचो के लिए एक दर्शक-पत्रक पर्याप्त होगा। किन्तु अनुवर्ग भाग में और अधिक दर्शक लगाने चाहिएं। उनकी अधिकता का नियंत्रण करनेवाली बात केवल एक ही है, और वह यह है कि दर्शक पत्रक पर्याप्त रूप से पृथक् पृथक् हो, जिससे वे पृथक् पृथक् स्पष्ट प्रतीत हो। केवल इस नियन्त्रण को मानते हुए प्रत्येक सभव वर्ग के लिए एक दर्शक पत्रक लगाना चाहिए। इस नियन्त्रण-कारी वस्तु को भी कुछ अशो तक हटाया जा सकता है और उसके लिए मार्ग यह है कि शिखा पर अन्तर्वेशी वर्ग लिख दिया जाए तथा उसके उपवर्गों को दो या तीन स्तम्भों में उस शिखा वाले पत्रक के मध्य भाग मे लिख दिया जाय।

अध्याय ०७

परिभाषा

अवधेय —कतिपय परिभाषाओ के अन्तर्गत वृत्तकोष्टको में जिन मूल ग्रथों का उल्लेख किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:—

१. एंग्लो अमेरिकन कोड का अभिप्राय है

अमेरिकन लायब्रेरी असोसिएशन तथा लायब्रेरी असोसिएशन : (ब्रिटिश) केटलाग रूल्स : आथर एण्ड टायटिल एन्ट्रीज. १६०८.

२. 'कटर' का अभिप्राय है

कटर (चार्ल्स एमि). रूल्स फार ए डिक्शनरी केटलाग. आवृ. ४,१९०४. (युनाइटेड स्टेट्स, ब्युरो आफ एजुकेशन . स्पेशल रिपोर्ट आन पब्लिक लायब्रेरीज, भा २.)

३. 'न्यू. इ. डि. का अभिप्राय है

मरे (जेम्स आगस्टस हेनरी) संपा ए न्यू इगलिश डिक्शनरी. १८८८-१९२८

४. रगनाथन का अभिप्राय है :

रगनाथन (श्री रा). कोलन क्लासिफिकेशन, १९३९. (मद्रास लायब्रेरी असोसिएशन, पब्लिकेशन सीरीज, १६).

अंशकार—निर्देशि-संलेख—द्रष्टव्य धाराए ६१३-६१३९१ ।

अग्रा—द्रष्टव्य धारा ०३०१ ।

अग्रानुच्छेद—द्रष्टव्य धारा ०३१ ।

अपूरित-समकन—द्रष्टव्य धारा ०३८१ ।

आख्या—बहुधा आख्यापत्र पर दिया हुआ पुस्तक अथवा सामयिक प्रकाशन का नाम।

आख्यापत्र—पुस्तक (अथवा सामयिक प्रकाशन) के आरम्भ अथवा उसके निकट दिया हुआ पत्र जिस पर आख्या तथा बहुधा ग्रन्थकार, संग्राहक अथवा सपादक का नाम भी दिया रहता है और प्रकाशक का नाम एव प्रकाशन का स्थान

तथा तिथि भी दी रहती है (न्यू इ डि)। कभी कभी सूचन की उपर्युक्त सभी वस्तुए दो या अधिक पत्रो में बिखरी रहती हैं। उस अवस्था में वे सभी पत्र समूहात्मक रूप में आख्या पत्र माने जाएगे।

आवर्तित—द्रष्टव्य धारा ०८६२ तथा ०८६२१।

आवृत्ति—कोई साहित्यिक कृति (अथवा कृतियों का सग्रह) स्वयं ग्रन्थकार अथवा पश्चाद्भावी सम्पादको द्वारा जिस रूप में प्रकाशित की जाए वैसा कोई एक रूप। (न्यू इ डि)।

उन्मुद्रण—किसी निबन्ध आदि की पृथक् रूप में मुद्रित प्रति जो प्रथम किसी बृहत्तर प्रकाशन के अक रूप में प्रकाशित हो चुकी हो।

उपशीर्षक—द्रष्टव्य धारा ०३७१।

उपाख्या—आख्या-पत्र से पूर्ववर्ती पत्र पर दिया हुआ पुस्तक का नाम। (कटर)।

द्रष्टव्य धाराए ०२४१ तथा ०२४११।

कल्पित नाम—वास्तविक नाम से भिन्न, मिथ्या अथवा काल्पनिक नाम, अथवा अन्य कोई निर्धारण, जो ग्रन्थकार द्वारा स्वय अपनाया गया हो अथवा अन्य किसी के द्वारा दिया हुआ हो।

कल्पित माला—द्रष्टव्य धारा १४१६।

कृति—साहित्यिक अथवा सगीत-विषयक रचना (न्यू इ डि)।

क्रामक समक—जो चिन्ह किसी कृति का व्यक्ति-साधन करता है तथा अन्य कृतियो की अपेक्षा फलक पर उसका स्थान निर्धारित करता है। इसमे दो भाग होते हैं—'वर्ग-समक' तथा 'पुस्तक-समक' (रगनाथन)।

ग्रन्थकार—द्रष्टव्य व्यष्टि ग्रन्थकार, समष्टि ग्रन्थकार।

विश्लेषक—अंशकार-निर्देशि-सलेख से अभिन्न।

दर्शक-पत्रक—पत्रक सूची में इष्ट स्थान की अथवा अग्रानुच्छेदी की प्राप्ति मे सहायता देने के लिए लगाया हुआ वहिर्वर्ती चिन्हांकित पत्रक।

द्वितीयोर्ध्वा—द्रष्टव्य धारा ०३०३।

नाम-अग्राक्षर—ग्रन्थकार के नाम के प्रतिनिधि स्वरूप एक अथवा अधिक अक्षर।

नामान्तर-निर्देशी-सलेख—द्रष्टव्य धारा ४ तथा उसकी उपधाराएं।

निर्देशी सलेख—द्रष्टव्य धारा ३ तथा उसकी उपधाराए।

परिग्रहण-समंक—ग्रन्थालय में अभिवृद्धि के क्रम के अनुसार किसी सपुट को दिया हुआ समक (कटर)। यह आख्या-पत्र-पृष्ठ के केन्द्र में, अथवा वह रिक्त न हो तो उसके निकटतम स्थान मे लिखा जाता है।

पुष्पिका—आख्या, लिपिकार अथवा मुद्रक का नाम, मुद्रण की तिथि तथा स्थान इत्यादि का सूचक लेख जो पूर्व काल में पुस्तक अथवा लिखित ग्रन्थ के अन्त में दिया जाता था।

प्राचीन समय में पुष्पिका में वह सूचन दिया जाता था जो आजकल आख्या-पत्र पर दिया जाता है (न्यू. इं. डि.)।

पुस्तक—द्रष्टव्य धारा ०८५०

निर्देशी-सलेख—द्रष्टव्य धारा ३२ तथा उसकी उपधाराए।

समंक—पुस्तक-समक का उद्देश्य यह है कि किसी विशिष्ट अन्त्य वर्ग की विभिन्न पुस्तको का व्यक्ति-साधन किया जाय। उदाहरणार्थ, द्विविन्दु पुस्तक समक मे भारतीय दम अको मे से एक अथवा अधिक अंक, नागरी वर्णमाला के वर्ण, बिन्दु तथा रेखिका इनका वोधगम्य समूहन होता है (रगनाथन)। यह आख्या-पत्र-पृष्ठ पर वर्ग समक के नीचे लिखा जाता है।

पूरित समकन—द्रष्टव्य धारा ०३८१।

पृथक-पुस्तक—द्रष्टव्य धारा ०८५१।

प्रथमोर्ध्वा—द्रष्टव्य धारा ०३०२।

प्रधान संलेख—द्रष्टव्य धारा १ तथा उसकी उपधाराए।

भागोद्ग्रह—कृति का कोई अश जिसका स्वतत्र अस्तित्व हो। वह उन्मुद्रण हो सकता है, अथवा मूलकृति से पृथक्कृत भी हो सकता है।

माला—दो अथवा अधिक पुस्तके किसी माला से सम्बद्ध कही जा सकती है, यदि

(१) वे किसी प्रकाशक अथवा समष्टि द्वारा, सामान्य रूप में अथवा एक-रूप शैली मे प्रकाशित की गई हों तथा उनमें विषय अथवा उद्देश्य की समानता हो;

(२) प्रत्येक पुस्तक की अपनी स्वीय पृथक् तथा स्वतन्त्र आख्या हो;

(३) सभी सपुटो का सामान्य निर्देशी न हो;

(४) माला का नाम माला की सभी अथवा कम से कम एक पुस्तक में दिया हुआ हो।

वचन—किसी महापुरुष की स्मरणीय सदुक्तियों का अथवा गोष्ठी-वचनों का सग्रह।

वर्ग-निर्देशी-सलेख—द्रष्टव्य धारा ३१ तथा उसकी उपधाराए।

वर्ग-समक—कृति के प्रतिपाद्य विषय का साकेतिक रुपान्तर। उदाहरणार्थ, द्विबिन्दु वर्ग-समक मे भारतीय दस अको में से एक अथवा अधिक अंक, नागरी वर्ण माला के केवल तथा सानुस्वार कतिपय वर्ण, रेखिका, द्विबिन्दु तथा △ आदि चिन्हो का बोध-गम्य समूहन होता है। (रगनाथन)। यह आख्या-पत्र के पीछे परिग्रहण-समक के नीचे लिखा जाता है।

विशिष्ट-विषयान्तर-सलेख—द्रष्टव्य धाराए ६२२-६२२११।

विषय-विश्लेषक—विषयान्तर-सलेख से अभिन्न।

विषयान्तर-सलेख—द्रष्टव्य धारा २ तथा उसकी उपधाराए।

विसगत-पुस्तक—द्रष्टव्य धारा ०८५२२।

व्यष्टि-ग्रन्थकार—किसी कृति का प्रणेता अथवा लेखक। उस कृति के प्रतिपाद्य विषय का सपूर्ण उत्तरदायित्व उसके अपने व्यक्तिगत रूप में उसी पर रहता है और किसी समष्टि पर वस्तुत नही रहता; न उसके अधिकारक रूप में उस पर रहता है।[१२]

शीर्षक—द्रष्टव्य धारा ०३६

सलेख—कृति अर्थात् पुस्तक अथवा सामयिक प्रकाशन के लिए सूची मे किया हुआ लेखन।

सगत-पुस्तक—द्रष्टव्य धारा ०८५२।

सग्राहक—विभिन्न लिखित अथवा मुद्रित स्रोतो से सगृहीत सामग्रियो का व्यवस्थापन कर लिखित अथवा मुद्रित कृति को जो बनाता है। आधुनिक व्यवहार में व्यष्टि-ग्रन्थकार से विपरीत।

समष्टि—वाद-गोष्ठी, प्रशासन अथवा व्यापार आदि सामान्य उद्देश्य अथवा सामान्य कर्म के लिए बहुधा एकत्रित एव सघटित, व्यक्तियो का सामूहिक रूप मे अभिप्रेत दल, समिति, सघ, लीग, फ्रेटर्निटि (न्यू. इ डि.)।

---

१२ और द्रष्टव्य रगनाथन (श्री रा). ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त (*Theory of library catalogue*). १९३८. (मद्रास ग्रन्थालय संघ, प्रकाशन माला, ७). अध्याय ५४.

ग्रन्थकार—जिस कृति के प्रतिपाद्य विषय का उत्तरदायित्व एकमात्र एक अथवा अधिक व्यष्टि ग्रन्थकारों के ऊपर हो, उनके व्यक्तिगत रूप मे, नही रहता, अपितु मुख्यतः किसी समष्टि के ऊपर रहता है उस कृति को समष्टि-ग्रन्थकार-प्रणीत कहा जाता है। किसी कृति को कोई समष्टि केवल प्रकाशित करदे, आर्थिक सहायता दे दे, स्वीकृत कर ले, अथवा अधिकृत कर ले तो केवल इतने मे ही उस कृति को समष्टि-ग्रन्थकार-प्रणीत नही कहा जा सकता। अर्थात् केवल यही कारण उस कृति को समष्टि-ग्रन्थकार-प्रणीत नही सिद्ध कर सकते। यदि किसी कृति के आख्या पत्र पर, जिस स्थान मे साधारणत ग्रन्थकार का नाम दिया जाता है उस स्थान पर, समष्टि के किसी अधिकारी का व्यक्तिगत नाम दिया हुआ हो तो उस अवस्था मे ग्रन्थकारिता का निर्णय करने के लिए निम्नलिखित युक्ति काम में लानी चाहिए –यदि उस कृति का मुख्य धर्म ज्ञान-जगत् की सीमा का विस्तारण हो तो उसे व्यष्टि-ग्रन्थकार-प्रणीत माना जाय। यदि वह कृति उस विशिष्ट समष्टि के प्रशासनीय उद्देश्य, धर्म तथा दृष्टिकोण की सीमाओ से ब धीहुई हो तो उसे समष्टि-ग्रन्थकार-प्रणीत माना जाए।[१३]

समासित-नाम—बहुधा रेखिका (हाइफन) अथवा योजक आदि अव्यय से योजित दो अथवा अधिक व्यष्टि नामो से निर्मित नाम। (एंग्लो अमेरिकन कोड)।

समुच्चित—द्रष्टव्य धारा ०८६१ तथा ०८६११।

सम्पादक—किसी अन्य व्यक्ति अथवा कतिपय व्यक्तियो की साहित्यिक कृति को सामग्री के चयन, सशोधन तथा व्यवस्थापन द्वारा प्रकाशन के लिए जो प्रस्तुत करे। (न्यू इ डि)।

सम्पुट—लिखित अथवा मुद्रित कृति अथवा कृति का अश जो कतिपय तावो में, कागज अथवा अन्य पदार्थ के पत्रो मे होती है। वे ताव आदि एक मे बद्ध रहते हैं, जिससे उन्हे किसी भी विशिष्ट स्थान मे खोला जा सके। सभी पत्र बन्धन अथवा अन्य किसी प्रकार के आवरण द्वारा सुरक्षित किए रहते है।

सम्पुटक-आख्या—सम्पुट के बन्धन पर मुद्रित आख्या (कटर)।

---

१३ और द्रष्टव्य रगनाथन (श्री.रा). ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त (*Theory of library catalogue*). १९३८. मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, ७). अध्याय ५४.

सहकार—सह-ग्रन्थकार, सशोधक, व्याख्याकार, सम्पादक, भाषान्तरकार, सग्राहक, सक्षेपक, निर्देशक, सहायक अथवा अन्य किसी भी गौण रूप में किसी कृति से सम्बद्ध व्यक्ति।

सह-ग्रन्थकार—एक दूसरे के सहयोग से किसी कृति के निर्माता। उनमें से प्रत्येक द्वारा लिखा हुआ अश स्पष्ट नही होता, तथा बहुधा निर्दिष्ट भी नही होता।

सम्पादक—एक दूसरे के सहयोग से किसी कृति अथवा माला के सम्पादक।

सामयिक-प्रकाशन—द्रष्टव्य धारा ०८६०।

सुसगत पुस्तक—द्रष्टव्य धारा ०८५२१।

सूची—किसी ग्रन्थालय अथवा सग्रह की कृतिया अर्थात् पुस्तको तथा सामयिक प्रकाशनो की किसी विशिष्ट योजना के अनुसार बनी हुई तालिका।

अध्याय ०८

कृति-भेद

कृति-प्रकार

०८१ **प्रकटितो भावो ग्रन्थः ।**

०८१ जो भाव प्रकट किया गया हो, उसे ग्रन्थ कहते हैं ।

०८२ **प्रकटन-साधनं सूक्ष्म-शरीरम् ।**

०८२१ **विशिष्ट-भाषा, संघटना-रूप, चित्र-प्रभृतीनि तदङ्गानि ।**

०८२ भावस्य प्रकटन-साधनं सूक्ष्मशरीरम् इति उच्यते ।

०८२१ विशिष्टा भाषा, संघटनायाः रूपं, चित्रं तत्सदृशम्

अन्यत् च तस्य सूक्ष्मशरीरस्य अङ्गानि इति उच्यन्ते ।

०८२ उस भाव के प्रकट करने के साधन को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है ।

०८२१ वह सूक्ष्मशरीर विशिष्ट भाषा, संघटना प्रतिपादन का रूप, चित्र तथा उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का बना होता है ।

०८३ सूक्ष्म-शरीर-वाहकं पार्थिवं स्थूल-शरीरम् ।

०८३ सूक्ष्मशरीर के वहन करनेवाले पार्थिव शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं ।

भाव भावक (विचारक) के मस्तिष्क में उद्भूत होता है । किन्तु उद्भूत होने पर भी, यह केवल भावमय रूप में किसी दूसरे व्यक्ति पर व्यक्त नहीं किया जा सकता । व्यक्तिकरण के पूर्व यह अनिवार्य है कि उस भाव को शब्द, चित्र इत्यादि के द्वारा प्रकट किया जाय । जहा तक इनकी अभिव्यक्ति का सम्बन्ध है, ये ध्वनि, लेखन अथवा लिखित ध्वनि के माध्यम से प्रकट किए जा सकते हैं । ग्रन्थालय को भाव के शुद्ध ध्वनि रूप से कोई प्रयोजन नहीं है, कारण ध्वनि रूप क्षणिक होता है। यह क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है । अत ग्रन्थालय को लेखन,ध्वनि-लेखन तथा अन्य सजातीय सामग्रियों में मूर्त्त बनाए हुए भाव से ही प्रयोजन रहता है । कारण ये सुरक्षित तथा स्थायी रह सकते हैं । उपर्युक्त प्रकारों में से किसी एक प्रकार में व्यक्त भाव को 'ग्रन्थ' कहा जाता है ।

भाव के लेखन (record) को हम भाव का सूक्ष्म शरीर कहते हैं । अब वह लेखन चाहे परम्परा-प्रसिद्ध वर्णमाला हो, ध्वनि-लेखन हो अथवा चित्र के रूप में हो, वह भावलेखन है और उसे सूक्ष्म शरीर ही कहा जायगा । जब हम सूक्ष्म शरीर का विचार करते हैं तो हम उस पार्थिव वाहक को पृथक् ही रखते हैं,जिसमे उसका लेखन किया गया है । हम केवल उस विशिष्ट भाषा, विशिष्ट संघटनारूप अथवा विशिष्ट चित्रमय स्वरूप का ही ध्यान रखते हैं जिनमें उस भाव को मूर्त्त बनाया गया है ।

भाषा अथवा चित्र के रूप में व्यक्त होने पर भी, इस भाषात्मक अथवा

चित्रात्मक मूर्तिमान् भाव को जब तक स्थूल एवं स्थूलेन्द्रिय-ग्राह्य पार्थिव वस्तु पर अकित न कर लिया जाए तब तक न तो उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, न इधर उधर किया जा सकता है और न एक से दूसरे तक पहुचाया जा सकता है। जब भाव को सूक्ष्म-स्थूलेन्द्रिय-अग्राह्य शरीर में मूर्तिमान् बना लिया जाता है और जब उन दोनो को पुनः स्थूल-स्थूलेन्द्रिय-ग्राह्य पार्थिव शरीर मे इस प्रकार मूर्तिमान् बना लिया जाता है कि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, इधर उधर किया जा सके तथा एक मे दूसरे तक पहुचाया जा सके तो जो परिणाम के रूप मे प्रकट होता है वह पुस्तक, ध्वनि-लेखन अथवा अन्य सजातीय अध्ययन सामग्री होती है।

सूची में न केवल पूर्ण पुस्तक के लिए ही, अपितु पुस्तक के अशो के लिए भी सलेख दिए जाते है। इसे हम अध्याय ०२ में देख ही चुके है। पुस्तक के किसी अश विशेष के लिए उसका अपना पृथक् स्थूल शरीर नही होता अत यह स्वाभाविक ही है और आवश्यक भी है कि किसी अश-विशेष का सलेख सपूर्ण पुस्तक के सलेख की अपेक्षा भिन्न हो। इसी की सुविधापूर्ण व्यवस्था के लिए "ग्रन्थाणु" तथा 'कृति' इन दो परिभाषाओ का वरण किया गया है।

पुस्तक मे एक सपुट हो सकता है और एक से अधिक निश्चित सख्या के कई सपुट भी हो सकते है। दोनो ही अवस्था मे यह पूर्ण होती है। दूसरे शब्दो में यह कहा जा सकता है कि उसका प्रकाशन निश्चित रूप से समाप्त हो चुका होता है।

किन्तु इसके विपरीत, सामयिक में आवश्यक रूप मे अनेक सपुट होते है तथा उसमें प्रकाशक का यही उद्देश्य होता है कि अनन्त-सख्यक सपुट प्रकाशित किए जाए। वे संपुट न्यूनाधिक रूप में, समय के समान अन्तर पर प्रकाशित होते है।

०८४ सूक्ष्म-शरीरमयो ग्रन्थो द्विधा।

०८४० ग्रन्थाणुः कृतिः च।

०८४१ प्रातिस्विक - स्थूल - शरीर - निरपेक्षः ग्रन्थाणुः।

०८४२ प्रातिस्विक-स्थूल शरीर-सापेक्षः कृतिः।

०८४१ यः प्रत्येक स्वं स्वम् अधिकृत्य पृथक् स्थूलशरीरं न अपेक्षते स ग्रन्थः ग्रन्थाणुः इति उच्यते।

०८४२ य. प्रत्येकं स्वं स्वम् अधिकृत्य पृथक् स्थूलशरीरम् अपेक्षते स. ग्रन्थः कृति इति उच्यते ।

०८४ सूक्ष्म शरीर से युक्त ग्रन्थ दो प्रकार का होता है ।
०८४० वे दो प्रकार ग्रन्थाणु और कृति होते है ।
०८४१ जिस ग्रन्थ के प्रत्येक रच रच को लेकर पृथक् स्थूल शरीर की अपेक्षा नहीं होती उस ग्रन्थ को ग्रन्थाणु कहा जाता है ।
०८४२ जिस ग्रन्थ के प्रत्येक रच रच को लेकर पृथक् स्थूलशरीर की अपेक्षा होती है उस ग्रन्थ को कृति कहा जाता है।

'वाल्मीकि रामायण' 'पृथक्' पुस्तक कही जायगी । कालिदास की 'शकुन्तला' 'पृथक्' पुस्तक कही जायगी ।

०८४२० कृतिः द्विधा ।
०८४२०१ पुस्तकं सामयिकं च ।

०८४२० कृति दो प्रकार की होती है ।
०८४२०१ वे दो प्रकार पुस्तक तथा सामयिक होते है ।

०८५० पुस्तकं द्विधा ।
०८५०१ पृथक् सङ्गतंच ।
०८५१ एक-कृतिमयं पृथक् ।
०८५२ एकाधिक-कृतिमयं सङ्गतम् ।

०८५० पुस्तक दो प्रकार की होती हैं ।
०८५०१ वे दो प्रकार पृथक् तथा संगत होते है ।
०८५१ जिस पुस्तक में एक ही कृति हो उसे पृथक् पुस्तक कहा जाता है ।
०८५२ जिस पुस्तक में एक से अधिक कृतियां हों उसे संगत पुस्तककहा जाता है ।

०८५२० सङ्गतं द्विधा ।

०८५२०१ सुसङ्गतं विसङ्गतं च ।

०८५२१ सामान्य - एकाख्या - सहित - कृतिमयं सुसङ्गतम् ।

०८५२१ यत्र अवयवस्वरूपाणाम् अंशकृतीनां सर्वसामान्या एका आख्या भवति तत् पुस्तक सुसङ्गतपुस्तकम् इति उच्यते ।

०८५२० संगत पुस्तक दो प्रकार की होती हैं ।

०८५२०१ वे दो प्रकार सुसंगत तथा विसंगत होते हैं ।

०८५२१ जहां अवयवस्वरूप अंश-कृतियों की सर्वसामान्य एक आख्या होती है वह सुसंगत कही जाती है ।

इसके विपरीत, अभिनन्दन-ग्रन्थ में स्वभावत. एक से अधिक कृतिया होती हैं । पुस्तक जगत्, पटना द्वारा प्रकाशित 'पुस्तकालय' एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अनेक कृतिया समाविष्ट हैं तथा उनके प्रणेता भी भिन्न भिन्न हैं । अतः इस प्रकार की पुस्तको को 'सगत' कहा जायगा ।

उपर्युक्त 'पुस्तकालय' नाम की पुस्तक सुसंगत कही जायगी ।

०८५२२ सामान्य-एकाख्या रहित कृतिमयं विसङ्गतम् ।

०८५२२ यत्र अवयवस्वरूपाणाम् अंशकृतीनां सर्वसामान्या एका आख्या न भवति तत् पुस्तकं विसङ्गत पुस्तकम् इति उच्यते ।

०८५२२ जहां अवयव-स्वरूप अंश-कृतियों की सर्वसामान्य एक आख्या नहीं होती वह पुस्तक विसंगत कही जाती है ।

रामायण तथा शकुन्तला यदि साथ ही एक सपुट में प्रकाशित की जायें अथवा संपुटित की जायें तो वह पुस्तक 'विसगत' पुस्तक कही जायगी ।

०८६० सामयिकं द्विधा।

०८६०१ समुच्चितम् आवर्तितं च।

०८६० सामयिक दो प्रकार का होता है।

०८६०१ वे दो प्रकार समुच्चित तथा आवर्तित होते हैं।

०८६१ यदि

१ यथासमय - प्रकाशित - संख्या, अवदान-गुच्छक - अन्यतम - नामक - नैकभागमय-आख्यापत्र-निर्देशि-आदि - समवेत - बहु-संपुटका ;

२ एकाधिक - व्यष्टि - ग्रन्थकार - प्रणीत, असतत-निरूपणात्मक, अलक्ष्यीकृत, एक विशिष्ट-विषयक, विविक्त-स्वतंत्र, समान पद-प्रतिसंपुट, विभिन्न-अंश, लेखमय, सकल संपुटका ;

३, १ नव - प्रथम - द्वितीय - मालादि नाम, विशिष्ट, एकैकाधिक, सतत-कक्षान्तःपाति सतत-संख्याङ्कित, सकल संपुटका ;

२ प्रति समय - भाग - प्रकाशित, सम्बद्ध-संपुट, लघुगण-संपुट, संख्याङ्कित, सामयिक गण-संपुट, विभिन्न-भागात्मकाङ्कित, सामयिक-गणावयव-संपुटका ;

४, १ प्रथमे एकाख्या-विशिष्ट-सर्वसंपुटका ;

२ द्वितीये एकाख्या - विशिष्ट - सर्वसंपुटका,

प्रत्यवयव-भाग, अतिरिक्त वर्णकपद-वाक्यांश, विशिष्ट-आख्यायुक्त-सामयिक-गणा तत्तत्समवर्णकपद-वाक्यांश-विशिष्ट-विभिन्न-सामयिक गण, संवादि-भागा ;

५ संपुट-शाश्वतिक-प्रकाशनेच्छा च कृतिः चेत् सः कृतिः समुच्चितम् ।

०८६११ सकल-संपुट-संघातः च समुच्चितम् ।

०८६१११ संघात-पृथक्-संपुटोऽपि ।

०८६११२ संपुट-सामान्याख्या संघाताख्या ।

०८६१ यदि,

(१) यस्या कृतौ समये समये प्रकाशिता., प्रायशः संख्या, अवदानम्, गुच्छकः इत्येतेषाम् अन्यतमेन नाम्ना युक्तै. खण्डश. प्रकाशितैः अनेकैः भागैः निर्मिताः क्वचित्तु अखण्डाः आख्या-पत्रेण, निर्देशिता अन्यैश्च सहायैः सहिता. बहवः संपुटा भवन्ति;

(२) यत्र सकलेषु संपुटेषु एकस्मात् अधिकेन व्यष्टि-ग्रन्थकारेण प्रणीता., असततं निरूपण-पराः, एक-*मात्रं विशिष्ट विषयं न लक्ष्यीकृत्य प्रवृत्ता*:,विविक्ताः स्वतन्त्राः, समानपदाः , प्रतिसंपुटं विभिन्नाः च अंश-लेखा भवन्ति ;

(३)(१) यत्र सर्वे संपुटाः नवमाला, प्रथममाला, द्वितीय-*माला इत्यादि-नाम्ना विशिष्टाया एकस्याम्* एका-धिकाया वा सततायां कक्षायां विद्यमानया सततया संख्यया अङ्किताः भवन्ति;

(२) कदाचित् प्रत्येकस्मिन् समयस्य भागे संबद्ध-संपुटानां लघुः गण. प्रकाशितः भवति, सामयिकगणः च सपुट-संख्या लभते, सामयिक-गणस्यावयवरूपा. सपुटा. च संपुटस्य विभिन्न-भागात्मकतया अङ्किताः भवन्ति;

(४) (१) (३) (१) अङ्किते पक्षे सति सर्वेषा संपुटानां सैव एका आख्या भवति,

(२) (३) (२) अङ्किते पक्षे सति सर्वेषा संपुटानां सैव एका आख्या भवति, अथ च सा आख्या सामयिक-गणस्य प्रत्येकस्मिन् अवयव-स्वरूपे भागे अतिरिक्तेन वर्णकेन पदेन वाक्यांशेन वा विशिष्टा भवति, विभिन्नानां सामयिक-गणानां सवादिनो भागाश्च तेन तत्समेन वा वर्णकेन पदेन वाक्यांशेन वा विशिष्टा भवन्ति;

(५) संपुटानां शाश्वतिका प्रकाशनस्य इच्छा च भवति । चेत्, सा कृतिः समुच्चितम् इति उच्यते ।

०८६११ संपुटाना सकलाना संघात. च "समुच्चितम्" इति उच्यते ।

०८६१११ सघातस्य पृथग्-रूपः सपुटोऽपि 'समुच्चितम्' इति उच्यते ।

०८६११२ सर्वेषा सपुटानां सामान्या आख्या सघातस्य आख्या भवति ।

०८६१ जिस कृति में

(१) समय समय पर प्रकाशित होनेवाले संख्या, अवदान, गुच्छक, इनमें से किसी एक नामधारी भागों से बने हुए, आख्या-पत्र, निर्देशी आदि अन्य वस्तुओं से सहित बहुत संपुट होते हैं;

(२) जहां सब संपुटों में एक से अधिक व्यष्टि-ग्रन्थकार द्वारा लिखे हुए, निरन्तर एक ही वस्तु का सतत निरूपण न करनेवाले

किसी एकमात्र विशिष्ट विषय को लक्ष्य न बनाकर प्रवृत्त होनेवाले, विविक्त, स्वतन्त्र, समानपदी तथा प्रति संपुट में पृथक्-पृथक् अंशलेख होते हैं ।

(३) १. जिसमें सब संपुट नवमाला, प्रथममाला, द्वितीय माला इत्यादि नाम से युक्त एक अथवा एक से अधिक सतत कक्षा में विद्यमान सतत संख्या से अंकित होते हैं;

२. कभी कभी प्रत्येक समय के भाग में सम्बद्ध संपुटों का छोटा समूह प्रकाशित होता है, वह सामयिक गण संपुट की संख्या को प्राप्त करता है तथा उसे सामयिक-गण के अवयव-रूपी-संपुट के विभिन्न भाग के रूप में अंकित होते हैं;

(४) १. यदि (३) १. चिन्हित प्रथम पक्ष विद्यमान हो तो सभी संपुटों के लिए वही एक आख्या होती है;

२. यदि (३) २ चिन्हित द्वितीय पक्ष विद्यमान हो तो सभी संपुटो के लिए वही एक आख्या होती है और साथ ही वह आख्या सामयिक-गण के प्रत्येक अवयव-स्वरूप भाग में अतिरिक्त वर्णक पद से अथवा वाक्यांश से विशिष्ट होती हैं तथा विभिन्न सामयिक-गणों के संवादी भाग उससे अथवा उसके समान वर्णक पद से अथवा वाक्यांश से विशिष्ट होते हैं; और

(५) संपुटो के शाश्वतिक प्रकाशन की इच्छा होती है, उस कृति को 'समुच्चित' कहा जाता है ।

०८६११ संपुटों के सकल संघात को 'समुच्चित' कहा जाता है ।

०८६१११ संघात का पृथक् रूप संपुट भी 'समुच्चित' कहा जाता है ।

०८६११२ सब संपुटों की जो सामान्य आख्या होती है वही संघात की आख्या होती है ।

भारतीय ग्रन्थालय संघ द्वारा प्रकाशित 'ग्रन्थालय' 'समुच्चित' माना जायगा ।

०८६२ यदि

१ प्रतिवर्ष-निश्चितसमय-अन्तराल-प्रकाशित संपुट तल्लघुगणा ;

२ प्रकाशनकाल-विषयक-समप्राय सूचना-दायक, सर्व-पुरालेख-प्रकाशन, प्रतिपाद्या-त्मक-काल, संपुट-तत्सामयिक-समूहका ;

३ वर्ष-प्रकाशन - समय पुरालेख - प्रकाशन, प्रतिपाद्यात्मक-भेदक, विशिष्ट-क्रमिक-संपुट, तत्सामयिक-गणा ;

४ संपुट-सम्बन्धि, समय-सूचक-अतिरिक्त-वर्णक-पद, विशिष्ट-एकाख्यायुक्त-सर्व संपुटका संपुट, सामयिक-गण, अतिरिक्त-अपर-वर्णक पद, विशिष्ट-आख्यायुक्त-पृथक्-संपुटा ;

५ संपुट-शाश्वतिक-प्रकाशनेच्छा च कृतिः चेत् सः आवर्तितम् ।

०८६२१ सकल-संपुट-संघातः आवर्तितम् ।

०८६२११ संघात-पृथक्-संपुटोऽपि ।

०८६२१२ संपुट-सामान्याख्या संघाताख्या ।

०८६२ यदि,

१ यस्या कृतौ प्रतिवर्ष, निश्चिते समयस्य अन्तराले वा सपुटः सपुटाना लघु गण वा प्रकाशित भवति,

२ सर्वे सपुटा, सपुटाना सामयिका गणाः वा प्रका-शन-काल-विषयिका, पुरालेख-प्रकाशनाना च प्रति-

पाद्य-विषयात्मक-विषयिकां समप्रायां सूचना ददाति;

३ क्रमिकाः संपुटाः, सपुटानां सामयिका गणाः वा वर्षेण प्रकाशन-समयेन वा, पुरालेख-प्रकाशनेषु च प्रतिपाद्यात्मकेन भेदकेन भिन्नाः भवन्ति;

४ सर्वेषां संपुटाना सा एव एका आख्या भवति, तथा च सहैव संपुटेन सम्बद्धस्य समयस्य सूचकम् अतिरिक्त पद वाक्याश. वा भवति, संपुटानां सामयिक-गण-विषये च पृथग्-रूपाः सपुटाः अतिरिक्तेन वर्णकेन पदेन वाक्यांशेन वा विशिष्टया आख्यया युक्ता भवन्ति ;

५ संपुटाना शाश्वतिका प्रकाशनस्य इच्छा च भवति चेत्, सा कृति 'आवर्तितम्' इति उच्यते।

०८६२१ सपुटाना सकल सघातः 'आवर्तितम्' इति उच्यते ।

०८६२११ सघातस्य पृथग्-रूप सपुटोऽपि 'आवर्तितम्' इति उच्यते ।

०८६२१२ सर्वेषा सपुटाना सामान्या आख्या संघातस्य आख्या भवति ।

०८६२ जिस कृति में

(१) प्रतिवर्ष अथवा निश्चित समय के अन्तराल में संपुट अथवा संपुटो के छोटे समूह प्रकाशित होते हैं ;

(२) सब संपुट अथवा संपुटों के छोटे समूह उनके प्रकाशन काल से सम्बद्ध और पुरालेख प्रकाशनो के विषय में उनके प्रतिपाद्य विषय से सम्बद्ध प्रायः एक सी सूचनाएं देते हैं;

(३) क्रमिक संपुट अथवा संपुटों के सामयिक-गण वर्ष अथवा प्रकाशनकाल, और पुरालेख प्रकाशनो के विषय में उनके प्रतिपाद्य-विषय-रूपी भेदक से पृथक्-पृथक् पहचाने जाते हैं;

(४) सब संपुटों की वही एक आख्या होती है और साथ ही संपुट से सम्बद्ध समय का सूचक अतिरिक्त पद या वाक्यांश होता है, संपुटों के सामयिक-गण से सम्बद्ध पृथक् रूपवाले संपुट और दूसरे अतिरिक्तवर्णक पद अथवा वाक्यांश से, विशिष्ट आख्या से युक्त होते हैं ; और

(५) संपुटों के शाश्वतिक प्रकाशन की इच्छा होती है।

यह कृति आवर्तित कही जाती है।

०८६२१ संपुटों के सकल संघात को 'आवर्तित' कहा जाता है।

०८६२११ संघात का पृथक्-रूप संपुट भी 'आवर्तित' कहा जाता है।

०८६२१२ सब संपुटों की जो सामान्य आख्या होती है वही संघात की आख्या होती है।

राजकमल प्रकाशन, देहली द्वारा प्रकाशित 'राजकमल वर्ष बोध' 'आवर्तित' माना जायगा।

०८६३ सामयिक-प्रकाशन-संपुटोऽपि सामयिक प्रकाशनम्।

०८६३ सामयिक-प्रकाशनस्य कश्चन एक संपुटोऽपि सामयिक-प्रकाशनम् इति उच्यते।

०८६३ सामयिक प्रकाशन का कोई एक संपुट भी सामयिक प्रकाशन कहा जाता है।

०८७ एक-संपुटमयं एक-संपुटम्।

०८८ सजातीय-सामान्य-आख्यापत्र आख्या-निर्देशि, अन्यतम-तत्समवाय-विशिष्ट, एकाधिक-संपुटमयम् एतदन्यत्-कारण अन्योन्य पृथक्करण-व्यवहार-निरपेक्ष

स्वतंत्र-वर्गीकरण सूचीकरणफलक-व्य-वस्थापनासहं पुस्तकं नैक-संपुटकम् ।

०८७ यत्र पुस्तके एकः एव संपुटः भवति तत् पुस्तकं, एक-सपुटकं, पुस्तकम्, इति उच्यते ।

०८८ यत्र पुस्तके सजातीयेन सामान्येन च आख्या-पत्रेण, आख्यया, निर्देशिना वा तेषाम् समुदायेन वा विशिष्टाः एकाधिकाः सपुटाः भवन्ति, ये च एतेन अन्येन वा कारणेन पृथक्करणं पृथग्व्यवहारं च अन्योन्यं निरपेक्षं, स्वतंत्रं, वर्गीकरणं, सूचीकरणं, फलकेषु व्यवस्थापनं च न सहन्ते तत् पुस्तकम् 'नैक-संपुटकम्' इति उच्यते ।

०८७ जिस पुस्तक में केवल एक ही संपुट होता है उस पुस्तक को एक संपुटक पुस्तक कहा जाता है ।

०८८ जिस पुस्तक में सजातीय और सामान्य आख्या पत्र से, आख्या से अथवा निर्देशी से अथवा इनमें से किसी के किसी प्रकार के समुदाय से युक्त एक से अधिक संपुट होते हैं तथा वे उपर्युक्त अथवा अन्य किसी कारण से पृथक् नहीं किये जा सकते और पृथक व्यवहार पाना अर्थात् वर्गीकृत, सूचीकृत तथा फलक-व्यवस्थापित किया जाना नहीं सह सकते ऐसी पुस्तक को नैक-संपुटक पुस्तक कहा जाता है ।

"सामयिक प्रकाशन," "समुच्चित" तथा "आवर्तित" के लक्षण ऊपर दिए जा चुके हैं । सामयिक प्रकाशन सूचीकरण में अनेक जटिल समस्याओ को उपस्थित करते हैं । उनकी अव्यवस्थाएँ सभी प्रकार की कल्पनाओं से, एव पूर्व अनुमानों से परे सिद्ध होंगी; अर्थात् कितनी ही कल्पनाएँ पहले से करें, कितने ही अनुमान पहले से लगाले, किन्तु वह सब सर्वथा व्यर्थ प्रमाणित होगे । मालूम तो यह पडता है कि सामयिक-प्रकाशनो से सम्बद्ध

कोई भी वस्तु भूलभुलैयां के खेल से मुक्त नही रह सकती। प्रकाशक समष्टि नाम, आख्या, प्रकाशन-अवधि, आकार, पृष्ठाकन, सघात के सभी अथवा किसी एक सपुट में जोडे जाने वाले बाहरी अनुगत आदि, और सबके अंत में किन्तु सभवत. सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण, वस्तु-जीवन, काल-विलय अथवा पुनरुज्जीवन।

सुविधा की दृष्टि से, सप्तम अध्याय में केवल सरल प्रकार के ही सामयिक प्रकाशन दिए गए हैं। सरल से तात्पर्य उन सामयिक प्रकाशनो से है जो किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नही करते। अष्टम अध्याय में उस विशिष्ट व्यवहार की चर्चा की जायगी जो जटिल प्रकार के सामयिक प्रकाशनो के लिए किया जाना चाहिये। जटिल से तात्पर्य उन प्रकाशनो से है जो अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओं को प्रस्तुत करते है।

स्वत्र प्रधान-सलेख से किया जाय (दृष्टव्य धारा १६ तथा उसके उपभेद) ।

प्रधान-सलेख में विवरण कितना व्यापक अथवा विस्तृत बनाया जाय इसका निर्णय करना किसी भी प्रकार सरल नही है । हमारे सामने एक सीमा पर प्रधान-सलेख को इस प्रकार बनाने की प्रथा है जिसमें पुस्तक का अधिक से अधिक विवरण प्राप्त हो। इसका एक उदाहरण यहा दिया जाता है जिसमें महाकवि बिल्हण के **विक्रमाङ्कदेवचरित** का ऐसा ही वर्णनात्मक विवरण दिया गया है --

महाकवि बिल्हण.
विक्रमाकदेवचरित

महाकवि श्री बिल्हणविरचितम् । विक्रमाकदेवचरितम् । महाकाव्यम् । रेखा । The Vikramankadevacharita. Mahakavya. रेखा । Edited by Shastri Murari Lal Nagar, Sahityacharya. Sadho Lal Research Scholar Sarasvati Bhavana, Benares रेखा । 1945 रेखा ।

उपाख्या पत्र --

The Princess of Wales, Sarasvati Bhavana, Texts Series (Published under the authority of the Government of the United Provinces) रेखा । General Editor Dr Mangal Deva Shastri M A, D. Phil (oxon) Principal Government Sanskrit College, Benares रेखा । No. 28 रेखा । The Vikramankadevacharita Mahakavya रेखा ।

पृ १०+१२+४०+३२५+४२+६, जिनका प्रतिपाद्य निम्नलिखित है –

एक रिक्त पत्र (१–२), उपाख्या-पत्र, पृष्ठ भाग में मुद्रक का नाम तथा पता आदि (३–४); आख्या-पत्र, पृष्ठ भाग रिक्त (५–६) आमुख (५–६); महाकवि कल्हण की सदुक्ति (कवि प्रशसा), पृष्ठ भाग रिक्त (७–८); विषयानुक्रमणी, पृष्ठ भाग रिक्त (९–१०); प्रस्तावना (१–१२); भारतवर्ष का मानचित्र; (ई. ११वा शतक)

उपोद्घात (१–४०); महाकाव्य (१–२०८); चरित-चन्द्रिका (टिप्पणी) (२०९–३२५) पृष्ठ भाग रिक्त (३२६) श्लोकानुक्रमणी (१–३१) प्रधान-नाम-विषय-अनुक्रमणी (३२–३५); विक्रमादित्य-नीलगुण्ड-ताम्र-शासन (३६–४२); परिशिष्ठ क-घ (१–६).

विषयानुक्रमणी

इस प्रकारका व्यापक वर्णन उन पुरानी छपी हुई पुस्तको के सम्बन्ध में ही उपयोगी हो सकता है जिन्हे अंग्रेजी मे इन्क्युनबुला के नाम से पुकारा जाता है। किन्तु आधुनिक पुस्तकों के सम्बन्ध मे तथा ग्रन्थालय के वर्तमान उद्देश्यों को देखते हुए वह अनावश्यक है । ग्रन्थालय-सूची पर ग्रन्थ-सूची का कितना प्रभाव पडा है इस विषय में कटर ने जो विचार प्रकट किए है, वे उद्धरण करने योग्य है । "ग्रन्थ-सूचीकारो ने आख्यापत्र के ही सम्बन्ध मे एक सप्रदाय स्थापित कर लिया है। वे उसकी तुच्छातितुच्छ विशेषताओ का भी पर्यवेक्षण करते रहते है। वे धार्मिक ग्रन्थ की भाति अन्धश्रद्धा के साथ उसका अनुसरण करते है। यदि वे आख्या-पत्र की सामग्री उद्धृत करते समय किसी अनावश्यक वस्तु का लोप करे तो वे लोप के लिए बिन्दु, अन्तर्वेशन के लिए कोष्टक तथा रेखाओ के अन्तो को सूचित करने के लिए खड़ी रेखाओं का प्रयोग करते है। वे यहा तक उनका अनु-

मरण करते हैं कि वे उस आख्यापत्र की या तो तद्वत् मुद्र (Facsimile type) अथवा आलोक-चित्र-प्रतिलिपिकरण द्वारा अनुकृति कर लेते हैं। इस प्रकार का अनुमरण लेनाक्स ग्रन्थालय अथवा प्रिस कलेक्शन ग्रन्थालयों के लिये ही उपयोगी हो सकता है, किंतु साधारण ग्रन्थालयों को उनसे कोई भी प्रयोजन नही होता।"[१४]

दूसरी ओर यह प्रथा है कि प्रधान सलेख को पर्याप्त रूप से इतना सूक्ष्म एव सक्षिप्त बनाया जाय, जिससे वह एक ही पक्ति मे आ जाय।

विभिन्न ग्रन्थालयो मे सूचीकारो ने जितने भी मार्ग अपनाये है वे सब के सब इन परिधियो के बीच मे ही है।[१५] इस कल्प की यह धारा उन अनुच्छेदो का निरूपण करती है जो प्रधान-सलेख मे होने चाहिये। इस अध्याय की अनुगामिनी धाराए उस विधि का विशद निरूपण करती है जिसके अनुसार प्रत्येक अनुच्छेद बनाना चाहिये।

यह स्पष्ट हो जायगा कि हमने इस कल्प मे दो अनुच्छेदो का लोप कर दिया है। अन्य कल्प में वे अब भी लटके हुए हैं। वे दो अनुच्छेद ये हैं—पत्रादि-विवरण और मुद्रणाक । इन दो अनुच्छेदो का अभी तक अस्तित्व बना रहने का मुख्य कारण मुद्रित सूची की परपरा है। किन्तु आज के 'आधुनिक' ग्रन्थालय का तो स्वरूप कुछ और ही है। उसकी तुलना एक कारखाने से की जाती है, न कि सग्रहालय से और यह है भी ठीक। इस प्रकार के ग्रन्थालय में अब मुद्रित सूची के लिए कोई स्थान नही है। अब तो वहा लिखित अथवा टाइप की गई पत्रक-सूची काम में लाई जाती है। एक को हटाकर दूसरे को स्थान दिया जा रहा है। इस प्रकार के ग्रन्थालयो मे अनुभव द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि उपर्युक्त दो अनुच्छेदो में दी गई सामग्री को अधिकाश पाठक कदाचित् ही मागते है। अत. उनकी उन्हे आवश्यकता नही होती। उनसे पत्रक तो भर जाता है पर वे निरर्थक सिद्ध होते है। जो दो-चार व्यक्ति उस सामग्री की अपेक्षा करते हैं उनके लिए प्रकाशित व्यापारी-वर्ग की ग्रन्थ-सूचिया अथवा परिग्रहण-पजिका का उपयोग किया जा सकता है और उन्हे इसकी जानकारी भली भाति हो जाती है।

---

१४ रूल्स फार ए डिक्शनरी केटलाग. पृ. २४.

१५. और द्रष्टव्य रगनाथन (श्री. रा.) ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त (Theory of library catalogue). १९३८. (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, ७). अध्याय ०१-०२.

साथ ही एक बात और है। जहां तक मुद्रण-तिथि का सम्बन्ध है, यदि द्विबिन्दु वर्गीकरण उपयोग मे लाया जाय तो वह कामक-समक मे ही दिया हुआ होता है। यदि कोई ऐसी वर्गीकरण-पद्धति काम मे ली जाय जिसके कामक-समक में प्रकाशन-तिथि न दी जाती हो तो सलेख के आख्या-भाग के अन्त मे, अतिरिक्त वाक्य के रूप मे प्रकाशन तिथि को जोड दिया जा सकता है।

पत्रादि-विवरण के विषय मे विचार करने पर यह प्रतीत होगा कि अधिकाश पाठकों के लिए पुस्तको का ठीक-ठीक सम्पूर्ण पृष्ठाक बतलाना अधिक महत्त्वपूर्ण नही होता। इसके विपरीत, प्रत्येक पाठक यह अवश्य जानना चाहता है कि पुस्तक का सामान्य आकार-प्रकार क्या है। वह यह जानना चाहता है कि उसकी उद्दिष्ट पुस्तक सहज रूप मे है या नही। शब्दान्तरो में यह कहना चाहिये कि पुस्तिका है, महाकार पुस्तक है अथवा उसमें बहुत अधिक चित्रादि हैं। अध्याय ०३ की धारा ०३९१ तथा उसके उपभेदो से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस प्रकार की जानकारी को व्यक्त करने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय ग्रन्थालय मे कितनी सरल युक्तियां काम में लाई जाती है।

क्रामक-समक को प्रधान-सलेख मे प्रथम अनुच्छेद के रूप मे प्रमुख स्थान क्यो दिया जाता है इसको अनुवर्ग-सूची में बताने की आवश्यकता नही है। किन्तु परिग्रहण समक को प्रधान सलेख के अन्तिम अनुच्छेद के रूप में प्रविष्ट करने की व्यवस्था वस्तुतः असाधारण है। यह पाठक की दृष्टि मे आने के लिए उद्दिष्ट नही है। वस्तुतः अध्याय ०३ की धारा ०३५ मे यह स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है कि परिग्रहण समक पत्रक की निम्नतम रेखा के दाई ओर कोने मे लिखा जाय, जिससे पाठक की दृष्टि में न आने की सभावना कम से कम हो जाय। प्रश्न यह हो सकता है कि इसे आखिर लगाया ही क्यो जाय? इसका उत्तर तो प्रबन्ध-सम्बन्धी व्यवस्था के पास ही प्राप्त है। यह परिग्रहण-पजिका तथा सूची के बीच सयोजक कडी के रूप मे कार्य करता है।[१६]

१६ रगनाथन (श्री. रा.) ग्रन्थालय-शास्त्र-पचसूत्री (Five laws of library science). १९३९. (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, २). पृ. ३६६.

कभी-कभी विशिष्ट विवरण नाम से एक और नया अनुच्छेद होता है। वह सक्षेप में ग्रन्थ के महत्व अथवा विशेषताओं को या ग्रन्थकार के पद इत्यादि के सम्बन्ध में बताता है। उसमें सूचीकार की कोई समालोचनात्मक समति के लिए कोई स्थान नहीं होता।[१७]

११ क्रामक-समङ्क

११ क्रामक-समङ्कः आख्या-पत्र-पृष्ठात् ।

११० स वर्गकार-निर्मितः ।

११ क्रामक-समङ्क आख्या-पत्रस्य पृष्ठात् ग्राह्य. ।

११० सः वर्गीकरण-धाराम् अनुसृत्य वर्गकारेण निर्मितः भवति ।

११ क्रामक-समंक आख्या-पत्र के पृष्ठ भाग से लिया जाय।

११० वह वर्गीकरण को धाराओं के अनुसार वर्गकार द्वारा लगाया हुआ होता है ।

लेखन-शैली के लिए धारा ०३११ तथा ०३८७ देखिए । ध्यान रहे कि क्रामक समक पेन्सिल से लिखा जाय।

१२ शीर्षक-वरणम्

१२ अधस्तनानाम् अन्यतमं शीर्षकम् ।

१२०१ व्यष्टि-ग्रन्थकार-नाम;

१२०२ सह-व्यष्टि-ग्रन्थकार-नामनी;

१२०३ समष्टि-ग्रन्थकार-नाम;

---

१७ रगनाथन (श्री रा.). ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त (Theory of library catalogue). १९३८. (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, ७). अध्याय ६३.

१२०४	सह-समष्टि-ग्रन्थकार-नामनी;
१२०५	कल्पित-नाम कल्पित-नामनी वा;
१२०६	ग्रन्थकार-इतर-व्यक्ति-नाम अर्थात् सह-ग्रन्थकार-इतर-सहकार-नाम;
१२०७	ग्रन्थकार-इतर-व्यक्ति-नामनी अर्थात् सह-ग्रन्थकार-इतर-सहकार-नामनी;
१२०८	उपपद-मानपद-इतर-आख्या-प्रथमपदम्;
१२०९१	पूर्वपूर्वम् ।

१२ शीर्षकस्य निर्धारणे अधोनिर्दिष्टानाम् अन्यतमं शीर्षकं ग्राह्यम् ।

१२०९१ एकाधिक-शीर्षकाणा विरोधे सति पूर्व-पूर्वग्राह्यम् ।

१२ शीर्षक के चुनाव के लिए निम्नलिखितों में से एक शीर्षक लिया जाय ।

१२०१ व्यष्टि-ग्रन्थकार का नाम प्रथम प्रकार होता है ।

१२०२ दो सह-व्यष्टि-ग्रन्थकारो के नाम द्वितीय प्रकार होता है ।

१२०३ समष्टि-ग्रन्थकार का नाम तृतीय प्रकार होता है ।

१२०४ दो सह-समष्टि ग्रन्थकारों के नाम चतुर्थ प्रकार होता है ।

१२०५ एक अथवा दो कल्पित-नाम पांचवां प्रकार होता है ।

१२०६ ग्रन्थकार से इतर व्यक्ति का नाम, अर्थात् सह-ग्रन्थकार से इतर सहकार का नाम छठा प्रकार होता है ।

१२०७ ग्रन्थकार से अतिरिक्त अन्य दो व्यक्तियों के नाम, अर्थात् सह-ग्रन्थकार से अतिरिक्त अन्य दो सहकारों के नाम सातवां प्रकार होता है ।

१२०८ उपपद और मानपद से भिन्न, आख्या का प्रथम-पद आठवां प्रकार होता है ।

१२०९१ एक से अधिक शीर्षकों के विरोध होने पर पूर्व-पूर्व को प्राथमिकता दी जाय ।

१२१ व्यष्टि-ग्रन्थकारः

वरणम्

१२१ व्यष्टि-ग्रन्थकार-नाम तदेकमात्रत्वे ।

१२१० १२६३,१२८ धारेऽपधारौ ।

१२१ केवलम् एकस्य व्यष्टि-ग्रन्थकारस्य नाम्नि आख्या-पत्रे विद्यमाने तत् शीर्षकमिति स्वीकार्यम् ।

१२१० १२६३ तथा १२८ धारेऽत्र अपवाद-स्वरूपे ।

१२१ केवल एक यदि व्यष्टि-ग्रन्थकार का नाम आख्या-पत्र पर विद्यमान हो तो उसे शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२१० १२६३ तथा १२८ धाराएं इसमें अपवाद-स्वरूप हैं ।

"व्यष्टि-ग्रन्थकार" इस परिभाषा के लक्षण के लिए अध्याय ०७ देखिए ।

उपकल्पनम्

क्रिष्टीय-जुड़क-नाम

१२११ अर्वाचीन-क्रिष्टीय-जुड़कनाम्नां तात्विकं नामान्त्य-पदं पूर्वम् ।

१२११०१ नामाद्य-पदं तस्मात् परम् ।

१२११ अर्वाचीनानां क्रिष्टीयाना जुड़कानां च नाम्नां तात्विक-रूपम् अन्त्य नाम्नः पदं सर्वेभ्य पदेभ्यः पूर्वं लेख्यम् ।

१२११०१ नाम्न आदौ अवस्थित नामाद्य-पदं नामान्त्य-पदात् परं लेख्यम् ।

१२११ अर्वाचीन ईसाई तथा यहूदी नामों के तात्विक-रूप नाम का अन्तिम पद सबसे पहले लिखा जाय ।

१२११०१ नाम के आदि में आने वाला नामाद्य-पद नामान्त्य-पद के पश्चात् लिखा जाय।

लेखन-शैली के लिए धाराए ०३२, ०३२१, ०३६२, ०३६३, ०३७ तथा ०३७३ देखिए।

उदा.

लाइनस्टाइन (अलफ्रेड).
शेक्सपीयर (विलियम)
शा (जार्ज बर्नार्ड).

१२१११ समासितनाम-पदं तथैव।

१२१११ समासितानि नामान्त्य-पदानि समासितानि नामाद्य-पदानि च समस्त-रूपेण एव लेख्यानि।

१२१११ समास किए हुए नामान्त्यपद और समास किए हुए नामाद्य-पद दोनों समस्त रूपों में उसी प्रकार लिखे जायं।

"समस्त-नाम" इस परिभाषा के लक्षण के लिए अध्याय ०७ देखिए।

ले आन इ रोमान (रिकार्यो).
लेवि देल्ला वीया (जार्जो).
मारव द वसेलो (जे. जे.).
मार्ते द्युगार (रोजेर).
मेरहार्ट फान बेर्नेख (गारो).
मार्टिन्स (फ्रान्सिस्को ह्रोजे दा रोचा).
विवलर-काउच (आर्थर थामस).

१२११२ समासित-उपसर्ग[१८]-नामान्त्य-पदमपि।

---

१८ सोपसर्ग नामान्त्य पदों के सम्बन्ध की धाराए एग्लो-अमेरिकन कोड की संवादिनी धाराओ का सार उपस्थित करती है।

१२११२ समासितोपसर्ग-सहितं नामान्त्य-पदं तदीयाशात्मकतया समस्त-रूपेण एव लेख्यम् ।

१२११२ यदि नामान्त्य-पद के साथ कोई उपसर्ग हो, और वह उससे समस्त हो, तो उस उपसर्ग को स्वभावतः उसी नामान्त्य-पद के अंश-रूप में समस्त-रूप से ही लिखा जाय ।

१२११२१ पृथग्लेख्य - नामान्त्यपद - उपसर्गोऽन्वधोधारम् ।

१ आंग्लनामोपसर्गो नामान्त्यपदात् पूर्वम् ।

२ उपपदमय-तदुपेत-फ्रेञ्च्-नामोपसर्गो नामान्त्य-पद युक् ।

३ अभावे नामाद्य-पद युक् ।

४ उपपदमय - इटालियन् - स्पेनिष् - अन्यतर-नामोपसर्गो नामान्त्य-पद युक् ।

५ उपपदेतरोऽपसर्गो नामाद्यपद-युक् ।

६ अन्यदेशीयोउपसर्गो नामाद्यपद-युक् ।

१२११२१ पृथग् - रूपेण लेख्य. नामान्त्य-पदस्य उपसर्ग. अधोनिर्दिष्टा धारा. अनुसृत्य लेख्य. ।

१ आंग्ल-नाम्न. उपसर्ग. नामान्त्य-पदात् पूर्व लेख्यः ।

२ फ्रेच्-नाम्न उपसर्गः उपपदमय तदुपेतः वा चेत् सः नामान्त्य-पदेन सह लेख्य· ।

३ फ्रेच्-नाम्न. उपसर्गः उपपदमय तदुपेतः वा न चेत् स नामाद्यपदेन सह लेख्य· ।

४ इटालियन्-नाम्न. स्पेनिष्नाम्न· च उपसर्गः उपपदमय चेत् स. नामान्त्यपदेन सह लेख्यः ।

५ इटालियन्-नाम्नः स्पेनिष्-नाम्नः च उपसर्गः उपपदेतरः चेत् स. नामाद्य-पदेन सह लेख्यः ।

६ नाम पूर्वेतर-देशीयं चेत् उपसर्गः नामाद्य-पदेन सह लेख्यः ।

१२११२१ पृथक् रूप से लिखा जाने वाला नामान्त्य-पद का उपसर्ग निम्नलिखित धाराओ का अनुसरण कर लिखा जाय :

१ आंग्ल नाम का उपसर्ग नामान्त्य-पद से पूर्व लिखा जाय;

२ फ्रेंच नाम का उपसर्ग यदि उपपदमय हो अथवा उससे युक्त हो, तो वह नामान्त्य-पद के साथ लिखा जाय;

३ फ्रेंच नाम का उपसर्ग यदि उपपदमय न हो, अथवा उससे युक्त न हो, तो वह नामाद्य-पद के साथ लिखा जाय;

४ इटालियन नाम और स्पेनिश नाम का उपसर्ग यदि उपपदमय हो, तो वह नामान्त्य-पद के साथ लिखा जाय;

५ इटालियन नाम और स्पेनिश नाम का उपसर्ग यदि उपपद से अन्य हो, तो वह नामाद्य-पद के साथ लिखा जाय;

६ यदि नाम पहले गिनाए हुए देशों से भिन्न हो तो उपसर्ग *नामाद्यपद के साथ लिखा जाय ।*

१२११५ पूर्ण-नामान्त्य - पद - अग्राक्षरमात्र - नामाद्य-पद-विस्तारः ।

१२११५ नामान्त्य-पदे पूर्णे सति नामाद्य-पदे च अग्राक्षरमात्रे सति तस्य विस्तार कार्य. ।

१२११५ यदि नामान्त्य-पद आख्या-पत्र पर पूर्ण दिया हो तथा नामाद्यपद के केवल अग्राक्षर दिए हों, तो उन अग्राक्षरों का विस्तार किया जाय ।

नामाग्राक्षरों का विस्तृत रूप प्राप्त करने के लिए नाम-वृत्त, (Who's who), अनुवर्ण-चरितकोश, विश्वकोप, राजसेवक-सूची,

ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा राष्ट्रीय ग्रन्थालयो की मुद्रित सूचिया आदि अनुलय पुस्तको का उपयोग करना चाहिए। उनमे इन समस्याओ का समाधान किया गया हो, यह सभव है। यदि ग्रन्थकार सम-सामयिक अथवा जीवित हो तो स्वय उनमे अथवा उनके सम्बन्धियो से पत्र व्यवहार किया जा सकता है।

नामाग्राक्षरो का विस्तृत रूप प्राप्त करने मे असाध्य कठिनाइया आवेगी तथा बहुत से व्यक्तियो के सम्बन्ध मे यह असम्भव सा ही होगा। इसका परिणाम यह होगा कि इन अवस्थाओ मे हमे अपनी लीक का परित्याग कर देना होगा। यह वाछनीय है अथवा नही, यह प्रश्न विचारणीय है। यह तो निश्चित है कि एक से ही नामो की सख्या अधिक बढ जायगी पर इसका समाधान जन्म-तिथि अथवा विषयप्रेम आदि-आदि की सूचना देकर किया जा सकता है।

१२१२ हिन्दू नाम

१२१२ **अर्वाचीन-हिन्दू-नाम्नाम् तात्त्विक - नामान्त्यपदं पूर्वम्।**

१२१२१ **नामाद्य-पदं परम्।**

१२१२२ **नामाग्राक्षराणि च।**

१२१२३ **जाति-वर्ग-मात्र-सूचक-अन्त्य-तात्त्विक-पद-पूर्णापान्त्य-पद - विशिष्ट - दक्षिण भारतीय-नाम्नाम् अन्त्य तात्त्विक-पदे पूर्वम्।**

१२१२३० **अनुस्वभाव-क्रमम्।**

१२१२४ **दास गुप्त-प्रभृति-बङ्गनाम्नाम् एकाधिक-अन्त्य-तात्त्विक-पदे पूर्वम्।**

१२१२ वर्तमानकालिकाना हिन्दू-नाम्नाम् तात्त्विक-रूपम् अन्त्यं नाम्न पद सर्वेभ्य. परेभ्य. पूर्वं लेख्यम्।

१२१२१ नाम्न आद्य पदम् नामान्त्यपदात् परं लेख्यम्।

१२१२२ नाम्नः अग्राक्षराण्यपि नामान्त्यपदात् पर लेख्यानि ।

१२१२३ दक्षिण-भारतीय-नाम्नाम् अन्त्ये तात्त्विकपदे केवल जातेः वर्गस्य वा सूचके,उपान्त्ये पदे च आख्या-पत्रे पूर्णे उपलब्धे, अन्त्ये तात्त्विकपदे पूर्व लेख्ये ।

१२१२३० तयोर्लेखने स्वाभाविक. क्रमः अनुसर्तव्य. ।

१२१२४ केषुचन दास् गुप्त-प्रभृतिषु बङ्गीयेषु नामसु अन्त्ये तात्त्विकपदे पूर्वं लेख्ये ।

१२१२ वर्तमान समय के हिन्दू नामों में तात्त्विक-रूप नाम का अन्तिम पद सब पदो से पूर्व लिखा जाय।

१२१२१ नाम का आद्य-पद नाम के अन्त्य-पद के पश्चात् लिखा जाय।

१२१२२ नाम के अग्राक्षर भी नामान्त्य-पद के पश्चात् लिखे जायं।

१२१२३ दक्षिण भारतीय नामों में यदि अन्तिम तात्त्विक पद केवल जाति अथवा वर्ग का सूचक हो तथा उपान्त्य-पद पूर्ण दिया हुआ हो, तो वे दोनों अन्तिम तात्त्विक पद पूर्व लिखे जायं।

१२१२३० उनके लिखने में उनका स्वाभाविक क्रम अनुसृत किया जाय।

१२१२४ कतिपय 'दासगुप्त' आदि बंगदेश के नामो में अन्त के दोनों तात्त्विक पद पूर्व लिखे जायं।

इस धारा में 'नामान्त्य शब्द' तथा "नामाद्य-शब्द" पदो का उल्लेख नही किया गया है और जिन कारणों वश इसको अन्य प्रकार से लिखा गया है, उनका प्रतिपादन अन्यत्र मौजूद है।[१९]

आधुनिक हिन्दी नामो मे तात्विक पद निम्नलिखित मे से एक या अधिक के बोधक हो सकते हैं—

(१) व्यक्ति का वैयक्तिक नाम,

---

१९ रगनाथन (श्री. रा.) तथा शिवारामन् (के एम.) शीर्षक के लिए हिन्दू नामो का उपकल्पन : धर्म बनाम स्थिति, माडर्न लायब्रेरियन, सपु १०, १९४३, पृष्ठ ६३-७५ पर प्रकाशित

शिवारामन् (के. एम) सूचीकरण की मानित व्यवस्थाए, मद्रास ग्रंथालय सघ, मेमोयर्स, १९४०, पृ. ९८-११२ पर प्रकाशित.

(२) व्यक्ति के पिता का वैयक्तिक नाम;

(३) स्थान का नाम जो सामान्यतः जन्म का अथवा पैतृक निवास का होता है, तथा

(४) पितृकुलीय नाम जो जाति का सूचक होता है अथवा व्यवसाय का, अथवा किसी पूर्वज की कोई धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी, रण सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार की उपाधि होती है अथवा उसके जन्म या निवासस्थान आदि में से किसी एक को सूचित करता है।

पूर्वोक्त पदो का क्रम सर्वत्र एक सा नही होता है।

प्राय उन्नीसवी शताब्दी के मध्य से ही उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के हिन्दुओ मे अपने नामो को ईसाई नाम के अनुरूप ढाचे में ढालने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। वे अपने पितृकुलीय नामो का प्रयोग नामान्त्य पद के रूप में करने लगे और उनका नाम ईसाई नाम की तरह नामाद्य-पद का काम देने लगा।

पश्चिमी भारत मे, पितृकुलीय नाम के पहले प्राय दो नाम आया करते है। प्रथम नाम स्वय का व्यक्तिगत नाम होता है तथा दूसरा पिता का व्यक्तिगत नाम होता है। उदाहरणार्थ मोहनदास करमचन्द गाधी। इसमें मोहनदास महात्मा गाधी का व्यक्तिगत नाम है, करमचन्द उनके पिता का व्यक्तिगत नाम है तथा गाधी उनका पितृकुलीय नाम है। उन्नीसवी शताब्दी के प्राय मध्य भाग तक तृतीय नाम को महत्व देने की प्रथा नही चली थी। उस समय तक द्वितीय नाम का भी अधिक उपयोग नही होता था। उसका उपयोग एक से ही व्यक्तिगत नामो में केवल अन्तर करने के लिए ही किया जाता था, अन्यथा नही। किन्तु आजकल एक चाल सी चल पड़ी है जिसके अनुसार सारा महत्व तृतीय नाम को दिया जाता है और प्रारम्भ के दो नामो को नामाग्राक्षर के रूप में गौण पद प्राप्त होता है।

बंगाल मे बहुधा जातिनाम के पूर्व व्यक्तिगत नाम पहले आता है और वे उस व्यक्तिगत नाम को एक पद के रूप में ही लिखते थे। अब उस एक पद के टुकड़े बहुधा दो शब्दो मे इस प्रकार कर दिए जाते है जिससे वे दोनो ईसाई नाम का कार्य करे। उदाहरणार्थ, राममोहनराय को आज राममोहन राय लिखा जाता है। रमेशचन्द्र दत्त को रमेश चन्द्र दत्त तथा चित्तरजन दास को सी. आर. दास लिखा जाता है। यहा यह भी स्पष्ट

कर देना उचित है कि कतिपय जातिनाम युग्म शब्द के रूप में उपयुक्त किए जाते हैं। उदाहरणार्थ दासगुप्त, रायमहाशय, रायचौधरी।

जब कि उत्तरी एवं पश्चिमी भारत मे अंग्रेजी रूप का आत्मसात्-करण थोड़ा और बहुत स्थिरता तथा पूर्णता को प्राप्त कर चुका था, तब दक्षिण भारत इस प्रवृति मे बिल्कुल ही अछूता रहा। वहा आजकल के और वह भी कतिपय नामो को छोडकर बहुधा यही देखा जाता है कि जाति अथवा कोई पितृकुलीय विशिष्टता को सूचित करने वाला पद व्यक्तिगत नाम की अपेक्षा गौण बना दिया जाता है। इसके लिखने के दो प्रकार पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार मे यह व्यक्तिगत नाम के पूर्व पृथक् पद के रूप मे लिखा जाता है, अथवा व्यक्तिगत नाम के साथ इस प्रकार मिलाकर लिखा जाता है कि वह एक पद प्रतीत हो। किन्तु उसे कदापि सक्षिप्त कर नामाग्राक्षर के रूप मे नही लिखा जाता। कोई तो इस पितृ-कुलीय नाम का सर्वथा लोप ही कर देते हैं। जब इसका लोप कर दिया जाता है अथवा इसे व्यक्तिगत नाम के साथ एकीभूत कर लिखा जाता है उस अवस्था मे नाम का अन्तिम पद व्यक्तिगत नाम होता है। अन्यथा अंतिम पद से पूर्व का पद व्यक्गित नाम होता है। व्यक्तिगत-नाम-स्वरूप पद के पूर्व साधारणतः एक या दो पद आया करते हैं। वे पद किस स्वरूप के द्योतक है वह दक्षिण भारत के प्रान्त-प्रान्त पर निर्भर है।

तेलगु तथा मलयालम देशो में व्यक्तिगत नाम से पूर्व बहुधा इस प्रकार का केवल एक पद लगाया जाता है। पूर्व लगाया हुआ पद "कुलनाम" से प्रसिद्ध है।

तामिल देश मे साभान्यत. पिता का व्यक्तिगत नाम पूर्व लगाया जाता है। किन्तु यह नियम सार्वत्रिक एव शाश्वत नही है। कही कहीं पिता के व्यक्तिगत नाम के भी पूर्व किसी स्थान का नाम लगा दिया जाता है। वह स्थान सामान्यतः जन्म-स्थान अथवा पूर्वजो का निवास-स्थान होता है। किन्तु पिता का नाम तथा स्थान-नाम दोनो व्यक्तिगत नाम की अपेक्षा गौण बना दिये जाते हैं और उन्हे सक्षेप कर नामाग्राक्षर के रूप मे लिखा जाता है।

कन्नड़ देश में सामान्यत. पिता का व्यक्तिगत नाम आगे नही लगाया

जाता। किन्तु व्यक्तिगत नाम के पूर्व किसी स्थान का नाम लगाया जाता है। वह स्थान बहुधा पूर्वजो का निवासस्थान होता है।

कतिपय अंग्रेजी पढे-लिखे दक्षिण-भारतीय हिन्दुओ मे जैसा उल्लिखित है, आजकल एक प्रवृत्ति सी चल पडी है जिसके अनुसार वे उपर्युक्त परपरा का अनुपालन न कर अपने नामो को अन्य प्रकारो से लिखते है। जो नाम इस प्रवृत्ति के शिकार बन चुके है वे सूचीकारो के लिए महती समस्या के रूप मे उपस्थित है। कतिपय अंग्रेजी पढे लिखे दक्षिण-भारतीय हिन्दू अपने नामो के साथ खिलवाड करने की स्वतन्त्रता का किस सीमा तक उपयोग करते है वह आश्चर्यजनक है। कतिपय विशिष्ट प्रवृत्तियो का यहा उल्लेख किया जाता है।

एक प्रवृति के अनुसार कुछ लोग अपने पितृकुलीय अथवा जाति नाम को नाम का प्रमुख पद बना देते है और अन्य पद को उसकी अपेक्षा गौण बना देते है, यहा तक कि जो व्यक्तिगत नाम होना है उसे भी गौण बना दिया जाता है। उन नामो को गौण बना कर उनके स्थान पर नामाग्राक्षर लगा दिये जाते है। कुछ लोग ऐसे भी होते है जो स्थान के नाम अथवा कुल के नाम को विशेष महत्त्व देते है। अन्य सभी पदो को गौण बना देते है, तथा उनके स्थान पर नामाग्राक्षरो का उपयोग करते है। पिता के व्यक्तिगत नाम को सर्व-प्रमुखता देने की तथा नाम के अन्य सभी पदो को गौण बना देने की प्रथा भी कही-कही मिल ही जाती है।

कुछ लोग ऐसे भी होते है जो अपने व्यक्तिगत नाम को दो भागो मे बाट देते है और प्रथम भाग के स्थान मे नामाग्राक्षर मे सक्षेप कर उसे गौण बना देते है। विख्यात पदार्थ-शास्त्री सर सी वी रमन का नाम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। सी का अर्थ उनके पिता के व्यक्तिगत-नाम 'चन्द्रशेखर' का नामाग्राक्षर है। उनका माहजिक व्यक्तिगत नाम वेंकटरमन है। इस नाम का तामिल देश मे सामान्यत एक शब्द के रूप मे उपयोग किया जाता है। किन्तु उन्होने उसे विभक्त कर उसके "वेंकट" और "रमन" ये दो पृथक् पद बना दिये है तथा उनमे प्रथम अर्थात् "वेंकट" को सक्षिप्त कर नामाग्राक्षर बना दिया है। उन्होने ऐय्यर इस अन्तिम जाति अथवा पितृकुलीय नाम को आगे नही लिखा है। किन्तु यह प्रथा असाधारण नही है अपितु इसका प्रचलन बहुधा खूब पाया जाता है।

सी. वी. रमन के विषय मे कम से कम इतना तो सन्तोष है कि उन्होने "वेंकटरमन" इस पद को ऐसी जगह पर तोडा है जहा उसे तोड़ना सगत माना जा सकता है। शब्दान्तरो मे यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक भाग अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रह सकते है। किन्तु ऐसे लोगो की भी कमी नही है जो अपने व्यक्तिगत नाम में चाहे जिस स्थान पर कुल्हाड़ी चला देते है जिसके फलस्वरूप उन टुकडो का कोई अर्थ नही होता।

ग्रन्थकारो को यह अधिकार है कि वे अपने नामो में चाहे जितनी तोड-मरोड़ करे, पर सूचीकार को कोई अधिकार नही है कि वह ग्रन्थकारो के इस अधिकार के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करे। यदि सूचीकार ऐसा कोई प्रयत्न करते है कि ग्रन्थकारो के नामो का पुनर्निर्माण किया जाय और उन्हे परम्परा, भाषाशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र के अनुरूप लाया जाय तो यह सूचीकारो की अनाधिकार चेष्टा समझी जावेगी। इसके भयकर परिणाम निकलेगे। अत सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि आख्या-पत्र पर जो कुछ भी और जिस प्रकार ग्रन्थकार का नाम दिया हुआ हो उसे श्रद्धापूर्वक अक्षरश अनुसृत किया जाय। हा, यह तो निश्चित ही है *इस अनुसरण मे धारा का निर्देश सर्वोपरि होगा।*

इसके अनतर लिप्यतरकरण की भी कठिनाई है। यदि आख्या-पत्र देवनागरी लिपि में न होकर अन्य किसी लिपि मे हो तो हो सकता है कि ग्रन्थकार का नाम उस लिपि मे ठीक तौर से न दिया गया हो। उदाहरणार्थ, डा० रगनाथन के कतिपय नामराशि मित्र अपने नामो को रगनादन (Ranganadan), रेगनातन (Ranganatan) रगनाधुन, (Ranganadhun) इत्यादि रूपो में लिखा करते है। इस सम्बन्ध मे सूचीकार को चाहिये कि वे आख्या-पत्र का दृढतापूर्वक अनुपालन करे अर्थात् आख्यापत्र को सर्वोच्च अधिकारी मानें। किंतु इस लिप्यन्तर-करण से जो दोष उत्पन्न हो उसके परिमार्जन के लिये एक यही उपाय काम मे लाया जा सकता है कि शुद्ध रूप व्यवहार के लिये नामान्तर निर्देश कर दिया जाय। आख्यापत्र के प्रति दृढ श्रद्धा भाव ही एक अन्यतम मौलिक सिद्धान्त है जिस पर सूची-करण का *यह कल्प अवलम्बित है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो सर्वाधिक मौलिक* होने का दावा रखता है और उसकी आधार-भीति यह है कि यह सर्वथा स्थिर एव निश्चित है। अवान्तर नाम, नाम-परिवर्तन, काल्पनिक नाम आदि विषयो से सम्बन्ध रखने वाली अधिकाश धारायें इसी मौलिक सिद्धान्त पर अवलम्बित है। हमारी तो यह सम्मति है कि यदि इस सिद्धान्त की उपेक्षा की जाय अथवा प्रयोग की

दृष्टि मे इसकी अपेक्षा कम स्थिर सिद्धान्त की दृष्टि मे इसे गौण बना दिया जाय तो बडी अव्यवस्था हो जायेगी। यदि ग्रन्थालय की सूचियो का विधिवत् परीक्षण किया जाय तो अधिकाश सूचियो मे महती अव्यवस्था दृष्टिगोचर होगी। इस अव्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी उपर्युक्त उपेक्षा-भाव को दिया जायेगा।

यहा आधुनिक हिन्दू नामो के कतिपय उदाहरण दिये जा रहे हैं —

ग्रन्थकार नाम	प्रान्त
ठाकुर (रवीन्द्रनाथ).	बगाल
राय (प्रफुल्लचन्द्र)	,,
मालवीय (मदनमोहन)	उत्तर प्रदेश
गांधी (मोहनदास करमचन्द)	गुजरात
गोखले (गोपाल कृष्ण)	महाराष्ट्र
राधाकृष्णन् (सर्वपल्ली).	तेलुगू
शंकरन नैयर (चेट्टूर).	मलयालम
चेट्टूर (जी के)	मलयालम

अन्तिम के दो उदाहरणों को देखने से प्रतीत होगा कि एक में चेट्टूर गौण है और दूसरे में प्रमुख। इसका कारण यह है कि दूसरे नाम के महाशय अपने व्यक्तिगत नाम तथा जाति नाम को गौण बना कर अपने कुल-नाम को विधिवत् निरन्तर महत्व देते हैं तथा अपने कुल-नाम के अतिरिक्त अन्य सभी पदों को नामाग्राक्षरो द्वारा व्यक्त करते हैं। वे अपने जाति नाम का प्रयोग तो कभी नही करते परन्तु इसके अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत नाम गोपालकृष्णन् को "गोपाल" और "कृष्णन्" इन दो शब्दो मे विभाजित कर बगाली प्रथा को अपनाते हुए उनके स्थान मे उनके नामाग्राक्षरो का प्रयोग किया है।

कृष्णस्वामी एयंगर (एस.).	तामिल
श्रीस्वामी शास्त्री (वी. एस.).	,,
शिवस्वामी एयर (पी. एस).	,,
ऐयर (ए एस पी.).	तामिल

इस अन्तिम उदाहरण में भेद का कारण यह है कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम पचपकेशन को 'पी' इस नामाग्राक्षर के रूप में व्यवहृत किया है तथा 'ऐयर' इस जाति नाम को अपने नाम का एकमात्र व्यक्त शब्द बना दिया है।

रमन (सी. वी.). तामिल

इस नाम की विशेषताओ की चर्चा पहले ही की जा चुकी है।

राजगोपाल आचारी (पी). तामिल

चारी (पी. वी.). तामिल

इनमे भेद होने का कारण यह है कि इन्होने अपने 'वरद' इस व्यक्तिगत नाम को निरन्तर 'वी.' इस नामाग्राक्षर से बोधित किया है तथा 'चारी' इस अपभ्रष्ट जाति नाम को अपने नाम का एकमात्र व्यक्त पद बना दिया है।

मंगेश राव (सवूर). कन्नड़

किन्तु

सवूर (आर. एम.). कन्नड

इस दूसरे भेद मे इन्होने अपने 'राम' इस व्यक्तिगत नाम को निरन्तर 'आर.' इस नामाग्राक्षर से बोधित किया है तथा 'सवूर' इस स्थान नाम को अपने नाम का एकमात्र व्यक्त शब्द बना दिया है। आरम्भ का नामाग्राक्षर 'एम.' मगेशराव इनके पिता के नाम का आरम्भिक अक्षर है।

हिन्दू नाम के अवयवभूत पदो का मूल्य और महत्व भारत के विभिन्न स्थानो मे किस प्रकार बदलता रहता है यह स्पष्ट किया जा चुका है। हिन्दू सभ्यता से अपरिचित व्यक्तियो के लिये यह बडा कठिन है कि वे उनका वास्तविक एव उचित मूल्याकन कर सके। सूचीकरण मे एकरूपता लाने के लिये यह आवश्यक है कि नामो का एक कोष बनाया जाय। यह परमोपादेय होगा। उस कोष मे सभी प्रकार के नाम हो—व्यक्तिगत नाम, कुलनाम, जातिनाम तथा अन्य सभी प्रकार के पितृ-कुलीय नाम। जहा तक हमारी धारणा है इस दिशा मे कोई भी प्रयत्न नही किया गया है। सभवत. सारे भारत के लिये एक कोष बनाने के स्थान पर यदि भारत के विभिन्न भाषा-भाषी प्रान्तों के लिये पृथक्-पृथक् कोष बनाये जाये तो वह अधिक सुविधाजनक होगा। कारण, विभिन्न भाषा-भाषी प्रांतो के अभ्यास भी विभिन्न होते है। यदि विभिन्न राज्यो के ग्रन्थालय सघ इस प्रकार के कोषो का निर्माण-कार्य हाथ में ले तो उनके लिये यह कीर्ति का कार्य होगा। भारतीय ग्रन्थालय सघ को यह काम हाथ में लेना चाहिये और इसे विभिन्न राज्य ग्रन्थालयसघो को प्रेरणा देनी चाहिये, जिससे वे विशिष्ट मानित मार्ग का आश्रय लेकर आगे वढ सकें।

इस कार्य मे ग्रन्थालय सघो को भाषा शास्त्रीय, ऐतिहासिक तथा मानव-शास्त्रीय अध्ययनो में सलग्न अन्य विद्वत् समष्टियों से सहायता लेनी पड़ेगी। सभवत भारत के ग्रन्थालय सघो को कार्य करने की क्षमता तथा प्रौढ़ता लाने में बहुत वर्ष लगेगे। अभी वे इतने योग्य नही है जिससे वे इतने बडे कार्य का सुचारु रूप से निर्वहण कर सके। किन्तु एक अन्य ऐसा सघटन है जो इस कार्य में हाथ बटा सकता है। पिछले पचीस-तीस वर्षो से भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयो में गवेषणा कार्य अधिक जोरो पर है। जो विद्वान् इस प्रकार के गवेषणा कार्यो का मार्गदर्शन करते है वे यदि कतिपय नवयुवको को इस कार्य मे लगायें तो यह देश एवं समाज की महती सेवा होगी। इस कार्य मे अतीत के लेखो का, मुद्रित कृतियों का तथा लिखित पुस्तको का तो अवलोकन करना ही पडेगा, साथ ही साथ स्थान-स्थान पर जाकर प्राप्त सामग्री को कसौटी पर कसने के लिये वैयक्तिक पूछताछ की भी आवश्यकता होगी। भारत के विश्वविद्यालय यदि इस कठिन कार्य की ओर अपना ध्यान लगायें तो वे इस ज्ञान को और भी आगे बढा सकेगे तथा साथ ही साथ सूचीकरण मे समर्थ एव एकरूप शैली के प्रवर्तन मे बड़ा भारी अश-दान कर सकेगे।

१२१३ मुसलमानी नाम

हमें मुसलमानी नामो का इतना अधिक अनुभव प्राप्त नही हो सका है कि हम उनकी शैली को धारा रूप में निरूपित कर सकें। वर्तमान काल में कुछ मुसलमान ऐसे हुए है जो योरोपीय प्रभाव में आये और वे परिणामस्वरूप अपने नामो को सरल लिखने लगे। जब वे अ-मुस्लिम भाषाओ मे पुस्तकें लिखते है तब वे यहा तक बता देते है कि उनके नामो का कौन सा शब्द सर्वप्रथम लिखा जाय। इसे वे आख्यापत्र, आवरण-पृष्ठ, आमुख अथवा अन्य किसी स्थान में सूचित कर देते है। वे यह भी जता देते है कि उनके नामो के कौन से शब्द सक्षिप्त कर दिये जाय।

उदाहरणार्थ.– **अमीरअली** (सैयद).
हैदरी (अकबर).
यूसुफ अली (ए).

किन्तु अन्य मुसलमानो के साथ ऐसा नही है। उनके नाम इतने लम्बे तथा उनके अवयवो की इतनी अधिक सख्या होती है कि वे भारस्वरूप प्रतीत होते है। ऐसे अवसरो पर मुसलमानी सस्कृति के विशेषज्ञो की सम्मति प्राप्त करना अति श्रेय-

स्कर है किन्तु इस प्रकार की सम्मति से सरलतापूर्वक लाभ उठाने के लिए भी सूचीकार को चाहिए कि व्यक्ति के नामकरण की मुसलमानी रीति क्या है इसका कुछ ज्ञान तो उसके पास भी हो। नीचे हम हेस्टिंग्स के **एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड एथिक्स** तथा **एन्साइक्लोपीडिया आफ इस्लाम** से सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते है।

किसी मुसलमानी नाम में एक अथवा अधिक शब्दो के समूह रहते हैं, जो निम्नस्थ के सूचक होते हैं –

(१) रूढ अथवा व्यावसायिक उपाधि अथवा लकब;

(२) वैयक्तिक (व्यष्टि) नाम अथवा इज़्म;

(३) पिता का नाम जिसके पूर्व "इब्न" "बिन" अथवा "ब" शब्द लगा होता है;

(४) पितामह, प्रपितामह इत्यादि के नामो की परंपरा, प्रत्येक नाम के पूर्व "इब्न" अथवा उसके विभिन्न रूप होते हैं,

(५) पैतृक अथवा मातृक—नाम अथवा कुन्याह, बहुधा उसके आरम्भ में "अबु" पद होता है;

(६) प्रदत्त उपाधि अथवा लकब; अथवा विनोद-नाम या उर्फ;

(७) सम्बद्धनाम अथवा निस्बाह, बहुधा उसके अन्त में ई होता है,

(८) साहित्यिक नाम अथवा तखल्लुस, बहुधा वह केवल ४-५ अक्षरों का ही बना होता है, तथा

(९) "ख्यातिनाम" अथवा वह नाम जिससे वह ग्रन्थकार जनता द्वारा अथवा ग्रन्थों मे उल्लिखित होता हो, इस प्रकार के नाम के आगे यदि वह बहुधा आख्यापत्र पर दिया हो तो "अलमारुफ ब" अथवा "असहीर" पद लगे हुए होते हैं।

पदों के उपर्युक्त समूह सामान्यत उपरिनिर्दिष्ट क्रम मे आते है। किन्तु सर्वत्र यही क्रम हो यह कोई निरपवाद नियम नही है। परन्तु यह समझना तो भूल ही होगी कि प्रत्येक मुसलमानी नाम में उपर्युक्त सभी पद समूह आये।

जब कभी ग्रन्थालय सूची के लिए शीर्षक लिखे जायं तब आरम्भ मे आनेवाली रूढ-उपाधि का तो सर्वत्र नियमत लोप ही कर देना चाहिए। किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि उपाधिया कही व्यक्तिगत नाम ही न हो। उदाहरणार्थ, हकीम, काजी, मौलवी, आगा, हबीब, खागा, मीर, सरदार, सैयद।

व्यक्तिनाम अथवा इज्म मे सामान्यत एक या दो पद होते हैं। कभी कभी दो से अधिक भी होते है, किन्तु बहुत कम। व्यक्ति नाम को पहचानने का सरल एवं स्थूल प्रकार यह है कि यदि 'इब्न' अथवा उसका पर्याय नाम मे हो तो यह मान ही लेना चाहिये कि प्रथम इब्न के पहिले आनेवाला पद व्यक्तिनाम ही है, तथा प्रथम इब्न के पश्चात् आने वाला पद पिता का नाम है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिनाम के पदो का समूह, इब्न यह पद अथवा उसके पर्याय, तथा पिता का नाम ये सब आरम्भ मे लिखे जाय, तथा नाम के अन्य सभी आवश्यक पद उसके अनन्तर लिखे जाय। इसके अतिरिक्त, यदि एक से अधिक इब्न अथवा उसके पर्याय हों तो द्वितीय तथा उसके अनन्तर के सभी इब्न अथवा उसके पर्याय तथा उनसे सम्बद्ध सभी पदो की उपेक्षा की जाय। यदि नाम में इब्न न हो तो प्रथम एक पद (अथवा दो पद) सभवत व्यक्ति नाम ही होगा और उसे आरम्भ मे लिखना चाहिये। हा, यदि कोई रूढ़ लकब हो तो उसका लोप कर दिया जाय।

कुन्याह औपचारिक (गौण) नाम होता है। साधारणत इसमें 'अबु' यह पद होता है, जिसका अर्थ होता है पिता का नाम, उसके अनन्तर सर्वज्येष्ठ पुत्र अथवा पुत्री का नाम होता है, किन्तु इस सम्बन्ध मे अनेक अपवाद भी है। कतिपय कुन्याह कतिपय नामो के साथ निरन्तर लगे ही रहते है, कारण उस नाम को धारण करने वाले व्यक्ति का वह कुन्याह रह चुका होता है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को भी कुन्याह लगा दिया जाता है और जिन्हे बच्चे नही होते उन्हे भी नही छोडा जाता—उनके साथ भी लगा दिया जाता है। अत हम कुन्याह मे यह अनुमान नही लगा सकते कि उस व्यक्ति को वह सन्तान थी ही जिसका नाम 'अबु' इस पद के बाद दिया हुआ हो। कतिपय स्थानों में तो कुन्याह का अर्थ किसी भी प्रकार पितृत्व नही होता। उसके द्वारा और कोई विशेषता हो सकती है। साधारणत कुन्याह का स्थान पिता तथा अन्य पूर्वजो के नाम के अनन्तर होता है, किन्तु कभी कभी उसे आरम्भ में ही व्यक्तिनाम के पूर्व लगा दिया जाता है।

यदि कुन्याह नाम के अक के रूप मे दिया हुआ हो तो सूची के शीर्षक में उसे वृत्त कोष्ठको मे लिखे जाने वाले नाम के अक के साथ लिखा जाय।

कही कही ऐसा भी हो सकता है कि यह ही केवल एक नाम ज्ञात हो, तथा इज्म अथवा व्यक्ति नाम या तो कभी दिया ही न गया हो अथवा भुला दिया गया हो। ऐसी अवस्था में, शीर्षक में कुन्याह सर्वप्रथम लिखा जाय तथा अन्य सभी पद उसके अनन्तर वृत्त कोष्ठको मे लिखे जायं।

लकब का लक्षण निषेधात्मक रूप से इस प्रकार किया जा सकता है कि नामधारी व्यक्ति जो नाम जन्म के साथ प्राप्त करता है उससे वह भिन्न होता है, और उसका स्थान नही ग्रहण कर लेता।

प्रदत्त उपाधि अथवा लकब को १२१५ धारा के अनुसार व्यवहार में लाया जाय।

यदि विनोद-नाम अथवा उर्फ का उपयोग करना ही हो तो उसे १२१६ धारा के सम्बन्ध में किया जाय अथवा धारा १२१८ के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाय।

निस्बाह् एक विशेषण होता है। जिस व्यक्ति को यह दिया जाता है उसके सम्बन्ध मे यह निस्बाह् यह बतलाता है कि वह व्यक्ति किसी जाति विशेष का सदस्य है, किसी स्थान विशेष का निवासी है अथवा किसी विशिष्ट व्यवसाय मे लगा हुआ है। यह इसी प्रकार का और कोई गुण भी प्रकट करता है, जिसके द्वारा उस नाम धारी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। इस निस्बाह् को पहचानने का यह लक्षण है कि बहुधा इसके अन्त में 'ई' होता है। कही कही यह भी देखा जाता है कि एक ही नाम के दो या उससे अधिक निस्बाह् अङ्ग होते है। जो पद-समूह वृत्त कोष्ठक में रखा हुआ हो, निस्बाह् उसके अनंतर रखा जाता है, तथा ब्रिटिश म्यूजियम ग्रथालय की प्रथा के अनुसार अधोरेखाकित किया जाता है। इसे पृथक् वाक्य माना जाना चाहिये।

तखल्लुस साहित्यिक नाम होता है, जिसे अधिकाश साहित्यसेवी धारण करते हैं। यह कल्पित नाम के ही समान होता है। ग्रन्थकार बहुधा अपने कल्पित नाम को अपन तथ्यनाम के अनतर रखा करते हैं, किंतु दूसरे व्यक्ति उसका उल्लेख केवल कल्पित नाम से ही करते हैं। तखल्लुस को पहचानने में कोई कठिनाई नही होती। कारण, यह तथ्य-नाम के अनन्तर आता है तथा इसमे दो ही चार अक्षर होते हैं। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाय तो वह शीघ्र ही पहचाना जा सकता है। यदि वह तथ्य नाम के साथ दिया हुआ हो तो १२१८ धारा के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाय और यदि आख्यापत्र पर केवल वह ही दिया हुआ हो तो धारा १२५ तथा उसके उपभेदों के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाय।

ख्याति-नाम अथवा वह नाम जिससे कोई ग्रन्थकार जनता द्वारा जाना जाता हो अथवा ग्रन्थों मे उल्लिखित होता हो, कुछ कठिनाई उत्पन्न करता है।

ग्रन्थकार के द्वारा लिखी हुई पुस्तको में तथा ग्रन्थकार के ही द्वारा प्रस्तुत की हुई उन पुस्तको की आवृत्तियो में आख्यापत्र पर साधारणत वह ख्याति-नाम नही दिखलाई पडता। किन्तु ग्रन्थकार से भिन्न अन्य व्यक्तियो द्वारा सपादित आवृत्तियो में यह सभव है कि आख्यापत्र पर केवल 'ख्यातिनाम' ही हो। इस प्रकार के नामो के वरण तथा उपकल्पन के लिए हम निम्नलिखित सुझाव उपस्थित करते है। यदि आख्यापत्र पर तथ्य-नाम दिया हुआ हो तो उसे शीर्षक के रूप मे व्यवहृत किया जाय तथा ख्याति-नाम को कल्पितनाम के रूप में व्यवहृत किया जाय। यदि आख्यापत्र पर तथ्यनाम न दिया हुआ हो, अपितु केवल ख्याति नाम ही दिया हुआ हो तो उसके साथ धारा १२५ तथा उनके उपभेदो का अनुकरण करते हुए उचित व्यवहार किया जाय।

'अल्' यह स्थिर उपसर्ग तथा उसके विविध रूप नाम के एक अथवा अनेक शब्दो के पूर्व में आ सकता है। यह जहा कही भी आये, उसे लिखना तो चाहिये, किन्तु वर्णानुक्रमीकरण में उसकी ओर ध्यान न दिया जाय। यदि वह निस्बाह मे दिया हुआ हो तो उन्हे अधोरेखाकित कर दिया जाय।

जिन सूचीकारो को मुसलमानी सस्कृति का विशेष ज्ञान न हो उनके लिए इस प्रकार की जटिलताओ से भरे हुए नामो की समस्याओ को सुलझाना सरल नही है। लिण्डर फेल्ट के 'एक्लेक्टिक कार्ड कैटेलोग रूल्स में इस विषय पर कतिपय निश्चित एव स्पष्ट आदेश दिए हुए है, ऐसा कहा जाता है। किन्तु हमने उस पुस्तक की कोई प्रति अब तक नही देखी। सामान्यत मुसलमानी भाषाओ से सम्बद्ध ग्रन्थो की ब्रिटिश म्यूजियम ग्रन्थालय में जो सूची बनाई गई है उनके संपुटो से, तथा **एन्साइक्लोपीडिया आफ इस्लाम** के सलेखो से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है। उनके द्वारा यह ज्ञात हो सकता है कि मुसलमानी नामो के अंगभूत पदो का क्या स्वरूप है, क्या महत्व है तथा क्या क्रम है ? यहा यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुसलमानी नामो की समस्याओ को सुलझाने की तथा उन्हें सुव्यवस्थित करने की पर्याप्त आवश्यकता है तथा उसमे पर्याप्त अवसर भी है। हमने धारा १२१२की व्याख्या में हिन्दू नामो के सम्बन्ध में की जाने योग्य गवेषणा के पक्ष में बहुत कुछ कह चुके है। हमारी तो यह दृढ धारणा है कि मुसलमानी नामो में और भी अधिक गवेषणा का अवसर है। इन नामो मे मिस्री आन्तरिक जटिलता तो है ही, साथ ही साथ स्पेनिश, मूरिश, तुर्की, अरबी, फारसी अफगान तथा भारतीय आदि विभिन्न राष्ट्रीय मुसलमानी नामो में विचित्र विशेषताएँ भी है, जिनके कारण

वे नाम सर्वथा अपूर्व हो जाते हैं। सारा विषय ही कठिनाइयो से तथा अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। वर्तमान ग्रन्थालयो में जो भी रीतिया चलाई जा रही हैं उन्हे अधिक मे अधिक सुन्दर शब्दो मे यही कहा जा सकता है कि वे केवल 'चले-चलो' है। यदि उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा अलीगढ विश्वविद्यालय कतिपय नवयुवको को इस समस्या के सुलझाने तथा व्यवस्थित करने के लिए गवेषणा-कार्य मे लगाएं तथा मुसलमानी नामो का प्रामाणिक कोश प्रस्तुत करायें तो वे ज्ञान-जगत् की महती सेवा कर सकेंगे।

ऊपर की हुई चर्चा को ध्यान मे रखते हुए, जिन नामो में यूरोपीय प्रभाव न दिखलाई पडे ऐसे मुसलमानी नामों के वरण तथा उपकल्पन के लिए हम निम्न-लिखित अस्थायी धाराओ का निरूपण कर सकते हैं। यहा यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस प्रकार का नाम आख्यापत्र पर दिया हुआ हो ठीक वही नाम उपयोग में लाया जाय।

१२१३ मोहंमदीय-नाम

१२१३१ आरम्भक-रूढ-उपाधि-लोपः।

१२१३१० परंपरा-अवियोज्यत्वे न।

१२१३११ कोष्ठके।

१२१३२ 'इज़्म'-अपरनामक-व्यष्टि-नाम आदौ।

१२१३३ 'इब्न्'- तत्पर्याय-अन्यतर - अनुगत - व्यष्टि - नाम १२१३२ धारा-निर्दिष्ट व्यष्टि नाम्नः परम् आदौ।

१२१३३१ 'इब्न्' - अनुगत - कुन्याह् - व्यष्टि नाम्नोः प्रथम-लोपः।

१२१३४ प्रथमेतर-'इब्न्'-तत्पर्यायि-पूर्वनामत्वे सर्व-लोपः।

१२१३५ व्यष्टिनामाभावे कुन्याह्-सत्त्वे तदादौ।

१२१३६ 'लकब्' अपरपर्यायक-उपाधौ १२१५

धारा प्रमाणम् ।

१२१३६१ 'उर्फ्'-अपर-पर्यायक-विनोद-नाम-लोपः ।

१२१३६१० १२१८-१२१९ धारा-प्रसक्तौ न।

१२१३७ 'निस्बाह्' कोष्ठकात् परम् ।

१२१३७० अधोरेखाङ्कनम् ।

१२१३८ 'तखल्लुस'-प्रसिद्धि-नामनी १२५ धारोपधारानुसारम् ।

१२१३९ आरम्भिक-उपाधि-अप्रथम-लेख्य-'कुन्याहौ' आदि-लेख्य-नामपदात् परम् ।

१२१३९०१ वृत्तकोष्ठके ।

१२१३९०२ अनुस्वभावक्रमम् ।

१२१३९१ नामाङ्ग-पद-स्वाभाविक-क्रमे आदि-लेख्य-पद-स्थान-मध्यगत्वे वृत्तकोष्ठके रेखिका।

१२१३९२ 'अल्'-लेख्यम् ।

१२१३९२१ वर्ण-व्यवस्थापने उपेक्षा ।

१२१३१ नाम्न. आरम्भे परम्पराप्राप्तः रूढः उपाधिः चेत् तस्य लोप. कार्य. ।

१२१३१० स उपाधि परपरा-प्रसिद्धिवशात् नाम्नः अवियोज्य. चेत् तस्य लोप न कार्यः ।

१२१३११ सः उपाधिः अवियोज्यत्वेन नाम्ना सहैव लेख्यः चेत् कोष्ठके लेख्याना नामपदानाम् अंशरूपेण लेख्यः ।

१२१३२ 'इज्म'-अपरनामक व्यष्टि-नाम आख्या-पत्रे विद्यते चेत् तत् आदौ लेख्यम् ।

१२१३३ व्यष्टि-नाम 'इब्न्' इत्येतेन तत्पर्यायेण वा अनुगतं चेत् तत् आदौ लेख्यम् , परम् १२१३२ धारायां निर्दिष्टात् व्यष्टिनाम्नः परम् लेख्यम् ।

१२१३३१ कुन्याह् व्यष्टि-नाम च 'इब्न' इत्येतेन अनुगतं चेत् कुन्याह् इत्यस्य लोपः कार्यः ।

१२१३४ द्वितीयं तदुत्तर वा 'इब्न' तत्पर्याय वा विद्यते चेत् तत् तत्पूर्व विद्यमान नाम च इति सर्वेषा लोपः कार्यः ।

१२१३५ व्यष्टि-नाम न विद्यते चेत्, आख्यापत्रे च कुन्याह् विद्यते चेत्, तत् कुन्याह् आदौ लेख्यम् ।

१२१३६ 'लकव्' अपर-पर्यायक उपाधि. विद्यते चेत् तस्य वरणादौ १२१५ धारा प्रमाणत्वेन स्वीकार्या ।

१२१३६१ 'उर्फ्'- अपर-पर्यायकं विनोद-नाम चेत् तस्य लोपः कार्यः ।

१२१३६१० १२१८ धारायाः १२१९ धाराया च प्रसक्तिः चेत् उर्फ्- अपर-पर्यायक-विनोद-नाम्न लोप. न कार्यः ।

१२१३७ आख्यापत्रे 'निस्वाह्' विद्यते चेत् तत् अग्र-लेख्यात् नाम्न पदात् इतरेण पदेन युक्तस्य वृत्तकोष्ठकस्य अव्यवहितोत्तर लेख्यम् ।

१२१३७० तस्य 'निस्वाह्' इत्यस्य अध रेखाङ्कन कार्यम् ।

१२१३९ आरम्भिकः, सूच्यां लेख्यः , न तु लोप्य उपाधिः, प्रथमं न लेख्य 'कुन्याह्' च आख्या-पत्रे विद्येते चेत् तौ आदौ लेख्यात् नाम्न पदात् परम् लेख्यौ ।

१२१३९०१ तत् वृत्तकोष्ठके लेख्यम् ।

१२१३९०२ तत् तदीयं स्वाभाविक क्रमम् अनुसृत्य लेख्यम् ।

१२१३९१ नामाङ्ग-भूत-पदानां स्वाभाविक क्रमे, आदि-लेख्य-स्य नाम-पदस्य स्थानं कोष्ठके लेख्यानां सर्वपदाना नादौ नापि च अन्ते विद्यते चेत्, अपि तु तन्मध्ये विद्यते चेत्, तस्य स्थान १२१३९०१ धाराया उल्लिखिते वृत्तकोष्ठके रेखिकया सूच्यम् ।

१२१३९२ 'अल्' इत्युपपद सलेखे लेख्यम् ।

१२१३९२१ वर्ण-व्यवस्थापने 'अल्' इत्यस्य उपेक्षा कार्या ।

१२१३१ यदि नाम के आरम्भ में परम्परा से प्राप्त रूढ़ उपाधि हो, तो उसका लोप किया जाय ।

१२१३१० वह उपाधि यदि परम्परा की प्रसिद्धि के कारण नाम के साथ लगी हुई हो, तो उसका लोप न किया जाय ।

१२१३११ यदि वह उपाधि अवियोज्य ढंग से नाम के साथ ही लिखी हुई हो, तो कोष्ठक में लिखे हुए पदों के अंश रूप में लिखी जाय ।

१२१३२ यदि 'इज्म' अपर-नामक व्यष्टि-नाम आख्यापत्र पर विद्यमान हो, तो वह आदि में लिखा जाय ।

१२१३३ यदि व्यष्टि-नाम 'इब्न' या उसके पर्याय से अनुगत हो तो वह आदि में लिखा जाय, किन्तु १२१३२ धारा में निर्दिष्ट व्यष्टि-नाम के पश्चात् लिखा जाय ।

१२१३३१ यदि कुन्याह और व्यष्टि-नाम 'इब्न' इससे अनुगत हो, तो कुन्याह का लोप किया जाय ।

१२१३४१ यदि द्वितीय वा उसके तृतीय आदि 'इब्न' वा उसका पर्याय विद्यमान हो, तो वह और उसके पूर्व विद्यमान नाम सबका लोप किया जाय ।

१२१३५ यदि व्यष्टि-नाम विद्यमान न हो और आख्यापत्र पर कुन्याह विद्यमान हो, तो कुन्याह आदि में लिखा जाय ।

१२१३६ 'लकब' अपर-पर्यायक उपाधि विद्यमान हो, तो उसके वरण आदि में १२१५ धारा प्रमाण-स्वरूप मानी जाय ।

१२१३६१ 'उर्फ' अपर-पर्यायक विनोद-नाम विद्यमान हो तो उसका लोप किया जाय ।

१२१३६१० १२१८ धारा और १२१६ धारा लागू हो, तो 'उर्फ' अपर-पर्यायक विनोद-नाम का लोप न किया जाय ।

१२१३७ आख्यापत्र पर यदि 'निस्बाह्' विद्यमान हो, तो वह आगे लिखे जाने वाले नाम के पद से भिन्न पद से युक्त वृत्त-कोष्ठक के ठीक आगे लिखा जाय ।

१२१३७० उस 'निस्बाह्' के नीचे रेखा खींची जाय ।

१२१३८ 'तखल्लुस' और प्रसिद्धि-नाम दोनों १२५ धारा तथा उसकी उपधारा के अनुसार लिखे जायं ।

१२१३६ आरम्भिक सूची में लिखी जाने वाली और लोप न की जाने वाली उपाधि तथा प्रथम न लिखा जाने वाला 'कुन्याह्' यदि आख्या-पत्र पर विद्यमान हो, तो वे दोनो आदि में लिखे जाने वाले नाम के पद से आगे लिखे जायं ।

१२१३६०१ वह-वृत्त कोष्ठक में लिखा जाय ।

१२१३६०२ वह अपने स्वाभाविक क्रम का अनुसरण कर लिखा जाय ।

१२१३६१ नामांगभूत पदों के स्वाभाविक क्रम से आदि में लिखे हुए नामपद का स्थान वृत्त-कोष्ठक में लिखे हुए सब पदों के न तो आदि में विद्यमान हो और न अन्त में, बल्कि उनके मध्य में विद्यमान हो, तो उनका स्थान १२१३६ धारा में उल्लिखित वृत्त-कोष्ठक में रेखा द्वारा सूचित किया जाय ।

१२१३६२ 'अल्' यह उपपद संलेख में लिखा जाय ।

१२१३६२१ वर्ण-व्यवस्थापन में 'अल्' की उपेक्षा की जाय ।

१२१३९२१ उदाहरण–

१ अल्–हरीरी के असेम्ब्लीज् की एक आवृत्ति मे आख्यापत्र पर ग्रन्थकार का नाम इस प्रकार दिया हुआ है।

"शेख अल्-अलीम् अबू मुहम्मद अल-कासिम इब्न अली इब्न मुहम्मद इब्न उस्मान अल् हरीरी अल् बसरी"

यहा पर ग्रन्थकार "अल् हरीरी" इस नाम से प्रसिद्ध है। अतः धारा १२५

तथा उसके उपभेदो का पूर्वानुसन्धान करते हुए पुस्तक के लिए शीर्षक निम्नलिखित प्रकार से लिखा जायगा –

अल्-कासिम इब्न अली (अबू मुहम्मद) अल्-हरीरी, अल् बसरी (अ. अल् हरीरी. कल्पित).

यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि "विद्वान् ऋषि" इस अर्थवाली "शेख अल्-अलीम "यह आरम्भिक उपाधि लुप्त कर दी गई है। साथ ही द्वितीय तथा तृतीय "इब्न" तथा उनके अनुपद आने वाले व्यक्ति-नाम भी लुप्त कर दिए गए हैं।

२ "अत्तार" अथवा "फरीद अल्-दीन अत्तार" इस रूप मे सामान्यतः प्रसिद्ध एव उल्लिखित शेख फरीद अल्-दीन अबू हमीद मुहम्मद इब्न अबू बकर इब्राहिम नसबरी यह नाम शीर्षक में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जायगा – यह मान लिया गया है कि आरम्भ में सूचित ख्याति-नाम भी आख्यापत्र पर दिया हुआ हो –

मुहम्मद इब्न इब्राहिम (फरीद अल्-दीन अबू हामिद) नसबरी (अ फरीद अल्-दीन अत्तार कल्पित), [अ. अत्तार कल्पित].

आरम्भ मे आने वाली उपाधियों मे से "शेख" लुप्त कर दी गई है, किन्तु "फरीद अल्-दीन" रखी गई है, कारण परम्परा की प्रसिद्धि उसे लुप्त करने की अनुमति नही देती। इसके अतिरिक्त इब्न के अनन्तर दिया हुआ कुन्याह १२१३३१ धारा के अनुसार छोड़ दिया गया है।

३. उदाहरण के रूप में एक नाम और भी दिया जाता है जो आख्यापत्र पर निम्नलिखित रूप मे पाया जाता है –

"शेख अल्-इमाम अल्-अलीम अर्-रसिक अल्-कामिल हकीम अल्-औलिया अल्-वारिसिन अल्-वारेसिक मुहिअल-हक वदीन अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न अली अल्मेरक इब्न अरबी अल्-हातिमी, अल्-ताइ"। यह कहा जाता है कि इस ग्रंथकार को सामान्यत. "शैकुल अकबर" भी कहा जाता है।

इस नाम को शीर्षक में निम्नलिखित रूप मे लिखा जायगा !

मुहम्मद इब्न अली (अबू अब्दुल्ला) अल् हातिमी, अल्-ताइ (अ. इब्न अरबी. कल्पित.). [अ. शैकुल अकबर. कल्पित].

यहा पर नाम में अबू अब्दुल्ला तक के सभी शब्द मानार्थक है और वे पुस्तक के प्रकाशक द्वारा जोड़े गए है। अतः उन्हे लुप्त कर दिया गया है। "इब्न अरबी" यह ख्याति नाम आख्या पत्र पर ही दिया हुआ है और उसके पूर्व अल् मेरुक यह शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है "के नाम से प्रसिद्ध" अत उसे वृत-कोष्ठको मे रखा हुआ है। इसके विपरीत द्वितीय ख्याति-नाम आख्या-पत्र पर नही दिया हुआ है। अत. उसे ऋजु-कोष्ठको में रखा गया है। इस उदाहरण में भी धारा १२५ तथा उसके उपभेदो का पूर्वानुसन्धान कर लिया गया है।

अन्य धर्म तथा राष्ट्र

धारा १२१४ तथा उसके उपभेद अन्य धर्म तथा राष्ट्रों के नामो के वरण तथा उपकल्पन के लिए उद्दिष्ट है। उन नामों की व्यवस्था के लिए हमारा अनुभव अभी पर्याप्त नही है। अतः उनके विषय में निश्चित एव स्थिर धाराओं का निरूपण नही किया गया है। इस प्रकार के नामो के लिए विशेषज्ञो की सम्मति लेनी चाहिए।

अभी अभी हमे कतिपय जापानी पुस्तके प्राप्त हुई है। उनमे कुछ जापानी भाषा में लिखी हुई है और कुछ अग्रेज़ी में। जब हम उनका सूचीकरण कर रहे थे तब हमें जापानी नामो के विषय में निम्नलिखित अस्थायी सूचना प्राप्त करने का अवसर मिला। आरम्भ मे जापान के कतिपय उच्च पदधारी व्यक्तियों का ही कुल नाम हुआ करता था। साधारण जनता में किसी का भी पितृकुलीय नाम नही होता था, तथा वे केवल व्यष्टि-नाम ही रख पाते थे। किन्तु मैजी युग के आरम्भ मे सरकार ने आदेश दिया कि सभी कुल-नाम रख ले। उस युग से लेकर जापानी नामो का गठन ठीक उसी प्रकार का होने लगा है जिस प्रकार का आधुनिक यूरोपीय नामो का होता है। इस प्रकार जापानी नाम मे कुल-नाम होता है तथा साथ ही एक दो पद और भी होते है जो नामाद्य पद का काम करते है। अग्रेज़ी के आख्या-पत्रो से युक्त पुस्तकों मे जापानी नामो के शब्दो का क्रम ठीक वही होता है जो यूरोपीय नामों का होता है, अर्थात् कुल-नाम सब के अन्त में होता है। ऐसी अवस्था मे उन नामो का उपकल्पन धारा १२११ तथा उसके उपभेदो का अनुकरण करते हुए किया जाय। जहा कही सन्देह हो, वहा जापान यिअर बुक, १९३१ के अन्त मे विद्यमान, "हू इज़ हू इन जापान" (जापान का नाम वृत्त) नामक अनुबन्ध अ का अवलोकन करना चाहिए।

१२१५ विरुदादि

१२१५ आनुवंशिक-विरुदं नामाद्यपदात् परम् ।

१२१५०१ तद् वर्णकम् ।

१२१५०२ नामाद्य-पदाभावे तत्स्थाने ।

१२१५०३ प्राक्कालिक-अन्त्य-नाम्नि सतते न विरुद-समेत-स्थान-नाम ।

१२१५ आनुवंशिके विरुदे विद्यमाने तत् नामाद्य-पदात् परं लेख्यम् ।

१२१५०१ तद् वंश-विरुदं वर्णकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२१५०२ नामाद्य-पदे असति वंश-विरुदं तस्य स्थाने लेख्यम् ।

१२१५०३ विरुद-लाभेऽपि प्राक्कालिके अन्त्ये नाम्नि प्रवर्तमाने विरुद-समेत स्थानस्य नाम त्याज्यम् ।

१२१५ यदि वंश का कोई विरुद (उपाधि) हो, तो वह नामाद्यपद के पश्चात् लिखी जाय ।

१२१५०१ उस वंश-विरुद को वर्णक माना जाय ।

१२१५०२ नामाद्य-पद के न रहने पर वंश-विरुद उसके स्थान में लिखा जाय ।

१२१५०३ विरुद प्राप्त कर लेने पर भी यदि पूर्व समय का अन्तिम नाम चालू रहे, तो विरुद से युक्त स्थान का नाम छोड़ दिया जाय ।

१२१५०३ द्रष्टव्य धारा ०३६६

उदा जहांगीर (कावसजी सर).

लिटन (एडवर्ड बुलवर लॉर्ड).

टैनिसन (अल्फ्रेड लॉर्ड).

मेकॉले (लॉर्ड). यदि आख्यापत्र पर नामाद्य पद न दिए हों.

रोनाल्डशे (के अर्ल).

वेलिंगटन (के ड्यूक).

बनारस (के महाराजा).

मॉर्ले (जॉन वाइकाउन्ट). पर यह उचित नहीं है :–

मॉर्ले ऑफ ब्लेकबर्न (जान वाइकाउन्ट).

१२१५१ श्रीमत्यादि-वर्णक-पदं नामाद्य-पदात्परम् ।

१२१५१ आनुवंशिक-विरुद-रहितायां स्त्रियां ग्रन्थकर्त्र्यां श्रीमती-प्रभृतिकं तत्तद्भाषिकं वा योग्यं वर्णकं पदं नामाद्य-पदात् परं लेख्यम् ।

१२१५१ आनुवंशिक विरुद से रहित स्त्री यदि ग्रन्थकर्त्री हो, तो श्रीमती आदि अथवा तद् भाषा का योग्य वर्णक पद नामाद्य-पद के पश्चात् लिखा जाय ।

१२१५१ उदा. सरोजिनी नायडू (श्रीमती).

पटेल (मनीबेन कुमारी).

१२१५२१ न विरुदान्तरम् ।

१२१५२२ नाम-आद्य-अन्त्य-मानपदं च ।

१२१५२३ व्यवसाय-अधिकार-पदादि-वर्णकं च ।

१२१५२१ अन्यत् विरुद त्याज्यम् ।

१२१५२२ नाम्नः आदौ अन्ते वा स्थितं मानसूचकं पदं यदि चेत् तत् अपि त्याज्यम् ।

१२१५२३ ग्रन्थकारस्य व्यवसायम्, अधिकारं, पद, तत्-प्रभृतिकं वा वर्णयन्ति अन्यानि अपि पदानि त्याज्यानि ।

१२१५२१ अन्य दूसरे विरुद छोड़ दिए जायं ।

१२१५२२	यदि नाम के आदि अथवा अन्त में मानसूचक पद हो, तो उसे भी छोड़ दिया जाय ।
१२१५२३	ग्रन्थकार के व्यवसाय, अधिकार, पद आदि को वर्णित करने वाले अन्य पद भी छोड़ दिए जायं ।

१२१६ राजानो मताचार्यश्च

१२१६	**राज-तद्वंशज - सिद्ध - मताचार्य - नामाद्यपदं पूर्वम् ।**
१२१६१	**व्यक्ति-साधक-संख्या परम् ।**
१२१६२	**पदसूचक-वर्णक-पदं परम् ।**
१२१६३	**तत् वाक्यम् ।**

१२१६	राज्ञः, तद्वंशजस्य, सिद्धस्य, मताचार्यस्य च नाम्नः आद्य-पद पूर्वं लेख्यम् ।
१२१६१	ततः परं व्यक्तिसाधिका संख्या चेत् लेख्या ।
१२१६२	पद-सूचकं, वर्णकं च पदं ततः परं लेख्यम् ।
१२१६३	तत् वर्णकं पदं पृथक् वाक्यमिति ज्ञेयम् ।

१२१६	राजा, उसके वंशज, सिद्ध तथा मताचार्य के नामों के आद्य-पद पूर्व लिखे जायं ।
१२१६१	उसके पश्चात् व्यक्तिसाधक संख्या, यदि कोई हो तो, वह लिखी जाय ।
१२१६२	पद (स्थान) को सूचित करने वाला वर्णक पद उसके पश्चात् लिखा जाय ।
१२१६३	उस वर्णक पद को पृथक् वाक्य माना जाय ।

१२१६३ उदा जॉर्ज ३य. ग्रेट ब्रिटेन के राजा.

पायस २य. पोप.

थामस. सेन्ट.

१२१७ स्थित्यन्तरम्

१२१७ अग्राक्षर-मात्र-नाम्नि तत् ।
१२१७० इदमग्राक्षर-नाम ।
१२१७१ पूर्णनाम ऋजुकोष्ठके ।
१२१७२ 'अ' इति पूर्वम् ।

१२१७ आख्या-पत्रे नाम्न केवलम् अग्राक्षर-मात्रे सति-नाम्न स्थाने तत् लेख्यम् ।
१२१७० इद नाम अग्राक्षर-नाम इति उच्यते ।
१२१७१ यदि अग्राक्षर-नाम्नि पूर्ण नाम उपलभ्यते चेत् तत् ऋजुकोष्ठके लेख्यम् ।
१२१७२ पूर्ण-नाम्न पूर्वम् 'अ' इति कोष्ठके लेख्यम् ।

१२१७ यदि आख्या-पत्र पर नाम का केवल अग्राक्षर-मात्र हो तो नाम के स्थान में उसे लिखा जाय ।
१२१७० इस नाम को अग्राक्षर-नाम कहते हैं ।
१२१७१ यदि अग्राक्षर-नाम का पूर्ण नाम उपलब्ध हो सके तो उसे ऋजु-कोष्ठक में लिखा जाय ।
१२१७२ पूर्ण नाम के पहले 'अ' यह कोष्ठक में लिखा जाय ।

१२१७२ उदा वदू (अ आर्थर क्विलर-काउच)

१२१८ व्यष्टि - ग्रन्थकार - अवान्तर - नाम - गौण-नामान्यतरत् प्रधान-नाम्नः परम् ।
१२१८१ तद्वृत्तकोष्ठके ।
१२१८२ 'अ' इति पूर्वम् ।
१२१८३ कल्पित-नाम्नि 'कल्पितम्' इति ।
१२१८४ तद् वर्णकम् ।

१२१८ आख्या-पत्रे व्यक्ति-ग्रन्थकारस्य अवान्तरे नाम्नि गौणे नाम्नि वा विद्यमाने तत् प्रधान-नाम्नः पर लेख्यम् ।

१२१८१ तत् नाम वृत्त-कोष्ठके लेख्यम् ।

१२१८२ 'अ' इति तत पूर्व लेख्यम् ।

१२१८३ तस्मिन् अवान्तर-नाम्नि कल्पितस्वरूपे 'कल्पितम्' इति तत पर लेख्यम् ।

१२१८४ तत् 'कल्पितम्' इति पद वर्णकम् इति ज्ञेयम् ।

१२१८ आख्या-पत्र पर यदि व्यष्टि-ग्रन्थकार का अवान्तरनाम अथवा गौण नाम विद्यमान हो, तो वह प्रधान नाम के पश्चात् लिखाजाय ।

१२१८१ उस नाम को वृत्त-कोष्ठकों में लिखा जाय ।

१२१८२ 'अ.' यह उस नाम के पहले लिखा जाय ।

१२१८३ यह अवान्तर या गौण नाम यदि कल्पित-नाम हो तो उसके आगे 'कल्पित' यह लिखा जाय ।

१२१८४ यह 'कल्पित' पद वर्णक माना जाय ।

१२१८४ उदा. बेनेट (एलन). (अ आनन्द मैत्रेय).
विशप (आइसाबेला, श्रीमती). (अ. कुमारी आइसाबेला बर्ड).
हावर्ड (हेनरी) (अ. अर्ल आफ सेलिसबरी).

१२१९१ अनेक-ग्रन्थकार-अभिन्न-नाम्नां प्रातिस्विक जन्म - मरण - उभयान्यतमवत्सरेण व्यक्ति-सिद्धिः ।

१२१९११ असाध्ये व्यवसायादि ।

१२१९१२ नाम्न : परम् ।

१२१९१३ पृथग् वाक्यम् ।

१२१९१४ आख्यापत्र-मुखस्थं वृत्तकोष्ठके ।

१२१९१५ अन्यथा ऋजुकोष्ठके ।

१२१९१ एकाधिकानां ग्रन्थकाराणा नाम्नि अभिन्ने, तेषां स्वीयस्य स्वीयस्य जन्मनः मरणस्य उभयो वा अन्यतमस्य वत्सरेण व्यक्ति-सिद्धि कार्या ।

१२१९११ १२१९१ धारया भेदे असाध्ये व्यवसायादि-व्यक्ति-साधक-भावेन व्यक्ति-साधनं कार्यम् ।

१२१९१२ इदं व्यक्ति-साधक नाम्न पर लेख्यम् ।

१२१९१३ इदं व्यक्ति-साधकं पृथक् वाक्यं ज्ञेयम् ।

१२१९१४ इद व्यक्ति-साधकम् आख्या-पत्र-मुखात् गृह्यते चेत् तत् वृत्तकोष्ठके लेख्यम् ।

१२१९१५ इद व्यक्ति-साधकम् आख्या-पत्र-मुखस्य वहिर्भागात् गृह्यते चेत् तत् ऋजु-कोष्ठके लेख्यम् ।

१२१६१ यदि एक से अधिक ग्रन्थकारों के नाम अभिन्न हों, तो उनकी अपनी अपनी जन्म-मृत्यु, अथवा दोनों में से किसी एक के सवत्सर से उनका भेद किया जाय ।

१२१६११ यदि १२१६१ धारा से व्यक्ति-साधन न होता हो तो व्यवसाय आदि व्यक्ति-साधक भाव को लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ।

१२१६१२ वह व्यक्ति-साधक पद नाम से आगे लिखा जाय ।

१२१६१३ वह व्यक्ति-साधक पद पृथक् वाक्य माना जाय ।

१२१६१४ यदि वह व्यक्ति-साधक पद आख्या-पत्र-मुख से लिया जाय, तो वह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय ।

१२१६१५ यदि वह व्यक्ति-साधक पद आख्या-पत्र-मुख के बाहर से लिया जाए, तो वह ऋजुकोष्ठक में लिखा जाय ।

१२१६१५ वाग्भट. १म.
वाग्भट. २य.
फ्रान्सिस. सेन्ट (असीसी के).
फ्रान्सिस. सेन्ट (सेल्स के).

१२२ सहग्रन्थकार :
वरणमुपकल्पनं च

१२२ सह-ग्रन्थकार-नाम्नोः उभयं शीर्षकम् ।

१२२१ योजक-पदं यथास्थानम् ।

१२२ आख्या-पत्रे द्वयोः सह-ग्रन्थकारयोः नामनी विद्येते चेत् उभे अपि शीर्षकम् इति स्वीकार्ये ।

१२२१ योग्ये स्थाने उभयोः नाम्नोः योजक-पदं लेख्यम् ।

१२२ यदि आख्या-पत्र पर दो सह-ग्रन्थकारों के नाम दिए हुए हों, तो उन दोनों को शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२२१ योग्य स्थान में दोनों नामों का योजक-पद लिखा जाय ।

१२२१ लेखन-शैली के लिए द्रष्टव्य धारा ०३६७

१२२२. नाम-पद-क्रमे १२१ धारोपधाराः प्रमाणम् ।

१२२२ प्रत्येकस्मिन् नाम्नि विद्यमानानां पदानां क्रमनिर्धारणे १२१ धारा तदीया उपधाराश्च प्रमाणत्वेन ग्राह्या. ।

१२२२ प्रत्येक नाम में विद्यमान पदों के क्रम-निर्धारण में १२१ धारा तथा उसकी उपधाराएं प्रमाण-रूप से मानी जायं ।

१२२२ उदाहरण

श्रीनिवासन (जी. ए.) तथा कृष्णमाचारी (सी.).

कुप्पु स्वामी शास्त्री (एस.) तथा चिन्तामणि (टी. आर.).
रंगनायन (श्री रा) तथा नागर (मुरारि लाल).

१२२३ बहुषु प्रथमम् ।
१२२३१ 'आदि' परम् ।

१२२३ कस्यचित् पुस्तकस्य द्वयाधिकेषु सह-ग्रन्थकारेषु सत्सु तेषां प्रथमस्य नाम शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।
१२२३१ 'आदि' इति ततः परम् योज्यम् ।

१२२३ यदि किसी ग्रन्थ के दो से अधिक सह-ग्रन्थकार हो, तो उनमें से प्रथम का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय ।
१२२३१ 'इदि.' यह उसके आगे लगाया जाय ।

१२२३१ यहा यह शंका हो सकती है कि यदि उपर्युक्त धारा मे प्रथम के अतिरिक्त सभी सह-ग्रन्थकारो की उपेक्षा करने की व्यवस्था की गई है, तो क्यो न यही अभ्यास एक रूप मे सर्वत्र मान लिया जाय। दूसरे शब्दो मे यह पूछा जा सकता है कि जब कभी सह-ग्रन्थकारिता का विषय हो तो एक ही प्रकार का अभ्यास काम मे लाया जाय अर्थात् जहा केवल दो ही ग्रन्थकार हो वहा भी केवल एक ही का नाम दिया जाय।

यहा पर 'दो' सख्या को विशेष उपचार दिया गया है और वही उपचार 'तीन' सख्या के लिये नही है। इसका कारण एकमात्र पाठको का स्वभाव या अभ्यास है। उन्ही की सुविधा के लिये यह व्यवस्था की गई है। अनुभव से यह सिद्ध है कि दो ग्रन्थकारो द्वारा प्रणीत कृतियो को पाठक दोनो ही ग्रन्थकारो के नाम से उल्लेख किया करते है, जैसे 'रगनाथन तथा नागर', 'वर्मा तथा वर्मा', और 'कपूर तथा टण्डन' इत्यादि। किन्तु जब ग्रन्थकारो के नाम दो से अधिक हो जाते है तब यह अभ्यास अथवा स्वभाव दृष्टिगोचर नही हो पाता। फिर भी यह प्रश्न तो उठ ही सकता है कि चाहे कितने भी ग्रन्थकार हो, जहा कही अवसर आए सबके नाम दिये जाय। इससे समरूपता तो सिद्ध हो सकेगी। इसका उत्तर यही है कि उस अवस्था मे शीर्षक बहुत बडा हो जाता है और व्यर्थ ही पत्रक बुरी तरह भर जाता है। इसके अतिरिक्त यह विदित ही है कि पाठक बहुधा सब नामो का स्मरण भी नही रख पाते।

१२३ समष्टि-ग्रन्थकारः

वरणमुपकल्पनं च

१२३	**समष्टि-कर्तृत्वे तन्नाम शीर्षकम् ।**
१२३०	**तदुपकल्पने समष्टि-प्रकारः प्रमाणम् ।**
१२३००	**अधितन्त्रं, संस्था, सम्मेलनं चेति ।**
१२३०१	**देश-प्रदेश-स्थान-तद्भाग-शासकम् अधितन्त्रम् ।**
१२३०२	**पूर्वतर-सततवर्ति-सम्मेलन-मेलनाधिक-धर्मा समष्टिः संस्था ।**
१२३०३	**पूर्वोक्त-समष्ट्यन्यतर-मात्र-सदस्य-मात्रेतर-सभ्यानां सम्मेलन-मेलन-मात्र धर्मः समवायः सम्मेलनम् ।**

१२३	पुस्तकस्य समष्टि-कर्तृत्वे सूचिते तस्या समष्टेः नाम शीर्षकमिति स्वीकार्यम् ।
१२३०	तस्य शीर्षकस्य उपकल्पने समष्टेः प्रकार-भेदः प्रमाणम् इति स्वीकार्यं ।
१२३००	तस्याः समष्टे अधितन्त्र, सस्था, सम्मेलनं चेति त्रयः प्रकाराः भवन्ति ।
१२३०१	देशस्य, प्रदेशस्य, स्थानस्य, तेषामन्यतमस्य भागस्य वा शासकम् अधितन्त्रम् इत्युच्यते ।
१२३०२०	पूर्वस्याः इतरा, सततं वर्तिनी, सम्मेलनस्य मेलनात् अधिकं धर्मं धारयन्ती समष्टिः सस्था इति उच्यते ।
१२३०३	पूर्वोक्तयोः समष्ट्यो केवलमन्यतरस्याः समष्टे

सदस्या एव केवलं यत्र न भवन्ति, यस्याः च सम्मेलन-मेलनमेव केवलमेको धर्मः भवति, स वा मुख्यो भवति, सा सभ्याना समवाय-रूपा समष्टिः सम्मेलनम् इति उच्यते।

१२३ यदि पुस्तक समष्टि-कर्तृक है तो उस समष्टि का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय।

१२३० उस शीर्षक के उपकल्पन के लिए समष्टि का प्रकार प्रमाण-रूप से लिया जाय।

१२३०० उस समष्टि के, अधितन्त्र, संस्था तथा सम्मेलन ये तीन प्रकार होते हैं।

१२३०१ देश, प्रदेश, स्थान अथवा उनमें से किसी एक के भाग के शासक को अधितन्त्र कहते हैं।

१२३०२ पूर्वोक्त से इतर, निरन्तर रहने वाली, सम्मेलन के मेलन से अधिक धर्म रखने वाली समष्टि संस्था कही जाती है।

१२३०३ पूर्वोक्त दो प्रकार की समष्टियो में से एक-मात्र किसी एक के ही केवल सदस्य जिसमें नहीं होते, जिसका सम्मेलन बुलाना ही एक-मात्र धर्म होता है, अथवा वही प्रधान होता है ऐसे सभ्यों की मेलन-रूपी समष्टि सम्मेलन कही जाती है।

१२३०२ *"समष्टि-ग्रन्थकार" —इस परिभाषा के लक्षण के लिये अध्याय ०७* तथा लेखन शैली के लिये धारा ०३२, ०३२१, ०३६२, ०३६४, ०३७ तथा ०३७३ देखिये।

१२२१ अधितन्त्रम्

उपकल्पनम्

१२३१ अखण्ड-अधितन्त्रे क्षेत्र-नाम शीर्षकम्।

१२३१००१ तद् ग्रन्थालय-इष्ट-भाषायाम्।

१२३१००२	खण्डमात्रे उपशीर्षकेण व्यक्ति-सिद्धिः ।
१२३१०१	सनाम-एकाधिक-क्षेत्र-अन्योन्य-समावेशन-श्रेणि-सत्त्वे, विस्तृततम-क्षेत्र-नाम
१२३१	धारानुसारम् ।
१२३१०१०	इतरेषां विस्तार-वर्णक-पदेन व्यक्तिसिद्धिः
१२३१०११	तद् वाक्यम् ।
१२३१०१२	तद् तथा—— प्रदेश-मण्डल-उपमण्डल-नगर-ग्राम-प्रभृति ।
१२३१०२	व्यक्ति-साधकं शीर्षकात् परम् ।
१२३१०२१	तद् वाक्यम् ।
१२३१०२२	तद् ऋजुकोष्ठके ।
१२३१०२३	अधितन्त्र-शास्य-स्वसमावेशक-स्वव्यक्ति-साधक-विस्तृततम-प्रदेश नाम तत् ।
१२३१०२४	शीर्षक नाम-ग्रन्थालय-मातृभूम्यङ्गत्वे तन्न ।
१२३१०२४०१	ग्रन्थालय-इष्टदेशाङ्गत्वे मातृभूमि-सनाम-प्रदेश-अभावेऽपि न ।
१२३१०२५	ऋजुकोष्ठकं स्थाननाम-१२३१०१ धारानुसारि-व्यक्ति-साधक-पदयोः अन्तराले ।
१२३१०२६	अतिरिक्त-व्यक्ति-साधकं ऋजुकोष्ठकात् परम् ।
१२३१	अखण्डे अधितन्त्रे ग्रन्थकारे सति शास्यस्य क्षेत्रस्य नाम शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२३१००१	तत् नाम ग्रन्थालयस्य इष्ट-भाषाया लेख्यम् ।
१२३१००२	अधितन्त्रस्य खण्डमात्रे शासके ग्रन्थकारे सति उपशीर्षकस्य योगेन व्यक्ति-सिद्धिः कार्या ।
१२३१०१	एकाधिकानां क्षेत्राणां नाम्न एकत्वे, अन्योन्यं च एकस्य अन्यस्मिन् समावेशनेन शृङ्खलातिमिकायां श्रेण्या जायमानाया सत्या, सर्वापेक्षया विस्तृततमे क्षेत्रे ग्रन्थकारे सति तन्नाम १२३१ धारया लेख्यम् ।
१२३१०१०	अन्येषु क्षेत्रेषु ग्रन्थकारेषु सत्सु १२३१ धारोपलब्ध-शीर्षकाणां परं विस्तार-सूचकेन वर्णकेन पदेन व्यक्ति-सिद्धि कार्या ।
१२३१०११	तत् पद पृथक् वाक्यम् इति ज्ञेयम् ।
१२३१०२	एकाधिकाना प्रदेशाना नाम्नः एकत्वे, १२३१०१ धाराया च अप्राप्तायां प्राप्तायां वा व्यक्ति-सिद्धौ असमर्थायाम्, व्यक्तिसाधक पद तत्समूहो वा शीर्षकात् परं लेख्यम् ।
१२३१०२१	तत् पृथक् वाक्यम् ज्ञेयम् ।
१२३१०२२	तत् पृथक् वाक्य ऋजुकोष्ठके लेख्यम् ।
१२३१०२३	तत् व्यक्ति-साधक पद कस्यचित् अधितन्त्रस्य अधिकार-क्षेत्र-स्वरूप, स्वस्य प्रदेशस्य समावेशक, स्वस्य प्रदेशस्य व्यक्ति-साधने समर्थ विस्तृततमस्य प्रदेशस्य नाम भवति ।
१२३१०२४	यस्य प्रदेशस्य नाम शीर्षकत्वेन अङ्गीक्रियते सः प्रदेशः ग्रन्थालयस्य मातृभूमे अङ्ग चेत् व्यक्ति-साधकं पदं न लेख्यम् ।
१२३१०२४०१	यस्य प्रदेशस्य नाम शीर्षकत्वेन अङ्गीक्रियते सः

प्रदेशः ग्रन्थालयस्य इष्ट-देशाङ्गं चेत्, मातृभूमौ च तत् सदृशं नाम अविद्यमानं चेत् तदापि तत् व्यक्ति-साधक पद न लेख्यम् ।

१२३१०२५ ऋजुकोष्ठक, स्थानस्य नाम्न १२३१०१ धारानुसारेण लेखनीयस्य व्यक्ति-साधकस्य पदस्य च अन्तराले लेख्यम् ।

१२३१०२६ प्रदेशस्य नाम्न. अतिरिक्त व्यक्ति-साधकम् आवश्यक चेत् तत् ऋजुकोष्ठकात् पर लेख्यम् ।

१२३१ यदि अखण्ड अधितन्त्र ग्रन्थकार हो, तो (शासित किये जाने वाले) क्षेत्र का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२३१००१ वह नाम ग्रन्थालय की इष्ट भाषा में लिखा जाय ।

१२३१००२ यदि अधितन्त्र का खण्ड-मात्र शासक ग्रन्थकार हो तो उप-शीर्षक लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ।

१२३१०१ यदि एक से अधिक क्षेत्रों का नाम अभिन्न हो, और परस्पर एक के अन्दर दूसरे का समावेश करने से शृंखलात्मक परम्परा बन जाती हो तो सबकी अपेक्षा विस्तृततम क्षेत्र का शीर्षक १२३१ धारा का अनुसरण कर लिखा जाय ।

१२३१०१० अन्य क्षेत्रों के लिए १२३१ धारा से प्राप्त शीर्षक के आगे विस्तार-सूचक वर्णक पद लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ।

१२३१०११ उसे पृथक् वाक्य माना जाय ।

१२३१०१२ वह विस्तार-सूचक वर्णक पद निम्नलिखित प्रकार का होता है :—प्रदेश, मण्डल, उपमण्डल, नगर, ग्राम इत्यादि ।

१२३१०२ यदि एक से अधिक प्रदेशों के नाम अभिन्न हो और १२३१०१ धारा लागू न हो, *अथवा लागू हो तब भी व्यक्ति-साधन* में समर्थ न हो, तो व्यक्ति-साधक पद शीर्षक के पश्चात् लिखा जाय ।

१२३१०२१ उसे पृथक् वाक्य माना जाय ।

१२३१०२२ वह पृथक् वाक्य ऋजुकोष्ठक म लिखा जाय ।

१२३१०२३ वह व्यक्ति-साधक पद ऐसा हो जो किसी अधितन्त्र के द्वारा शासित किया जाता हो, उस प्रदेश को अपने में समाविष्ट किए हुए हो, उस प्रदेश के व्यक्ति-साधन में समर्थ हो तथा सबसे अधिक विस्तृत प्रदेश का नाम हो ।

१२३१०२४ जिस प्रदेश का नाम शीर्षक के रूप में स्वीकृत किया जाय वह प्रदेश यदि ग्रन्थालय की मातृभूमि का अंग हो, तो वह व्यक्ति-साधक पद न लिखा जाय ।

१२३१०२४०१ जिस प्रदेश का नाम शीर्षक के रूप में अंगीकृत किया जाय वह प्रदेश ग्रन्थालय के इष्ट-देश का अंग हो और मातृ-भूमि में उसके सदृश नाम विद्यमान न हो तो उस दशा में उस व्यक्ति-साधक पद को न लिखा जाय ।

१२३१०२५ ऋजु-कोष्ठक, स्थान के नाम और १२३१०१ धारा के अनुसार लिखे जाने वाले व्यक्ति-साधक-पद के मध्य भाग में लिखा जाय ।

१२३१०२६ यदि प्रदश के नाम के लिए और अधिक व्यक्ति-साधक पद की आवश्यकता हो तो वह ऋजु-कोष्ठक के पश्चात् लिखा जाय ।

१२३१०२६ उदाहरण

मद्रास.
यदि मद्रास अधितत्र समष्टि ग्रन्थकार हो ।

मद्रास नगर
यदि मद्रास नगर का निगम (कारपोरेशन) समष्टि ग्रन्थकार हो ।

तांजोर
यदि तांजोर मडल का मडल-गण समष्टि ग्रन्थकार हो ।

तांजोर, तालुक.
यदि ताजोर तालुक का तालुक-गण समष्टि ग्रन्थकार हो ।

तांजोर नगर.
यदि ताजोर नगर की नगरपालिका समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो ।

सत्तनूर. [कुम्भकोणम्].

यदि कुम्भकोणम् तालुक के अन्तर्गत सत्तनूर ग्राम की पंचायत समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो।

सत्तनूर. [ताजोर].

यदि ताजोर तालुक के अन्तर्गत सत्तनूर ग्राम की पचायत समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो।

एक ही नाम के उपर्युक्त दोनो ग्राम तजोर मडल मे ही है। यहा पर सर्वापेक्षया विस्तृत प्रदेश, जोकि उन्हे अपने मे समाविष्ट किए हुए है तथा उनके व्यक्तिसाधन मे समर्थ है, वे उनके अपने अपने तालुक है उन्हे कोष्ठक मे दिखाया गया है।

तिरुवलन्गडु [चिंगलपट].

यदि चिंगलपट मडल के अन्तर्गत तिरुवलन्गडु ग्राम की ग्राम पचायत समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो।

तिरुवालन्गडु. [तांजोर].

यदि ताजोर मडल के अन्तर्गत तिरुवालन्गडु ग्राम की पचायत समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो।

एक ही नाम के उपर्युक्त दोनो ग्राम एक ही प्रात मद्रास मे है। यहा पर सर्वापेक्षया विस्तृत प्रदेश, जो कि उन्हे अपने मे समाविष्ट किए हुए है तथा उनके व्यक्ति-साधन मे समर्थ है, वे उनके अपने अपने तालुक है, उन्हे कोष्ठक मे दिखाया गया है।

सेलम [मसाचूसेट्स]

सेलम [न्यू जर्जी]

सेलम [ओहीयो],

सेलम. [आरेगन].

सेलम. [वरजीनिया].

यदि सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रातिस्विक राज्यो के सेलम उपनगर के स्थानीय अधिकारी समष्टि ग्रन्थकार हो।

सेलम.

यदि भारत को मातृभूमि मान लेने की अवस्था मे भारत स्थित सेलम मण्डल का मण्डल-गण समष्टि ग्रन्थकार हो।

सेलम. तालुक.

यदि भारत के सेलम तालुक का तालुक-गण समष्टि ग्रन्थकार हो ।

सेलम. नगर.

यदि भारत के सेलम नगर की नगरपालिका समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो ।

केम्ब्रिज.

यदि ग्रेट ब्रिटेन को इष्ट देश मान लेने की अवस्था में ग्रेट ब्रिटेन-स्थित केम्ब्रिजशायर की काउन्टी कौन्सिल समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो ।

केम्ब्रिज. बरो.

यदि ग्रेट ब्रिटेन के केम्ब्रिज बरो की बरो-नगरपालिका समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो ।

केम्ब्रिज. [मसाचुसेट्स].

यदि सयुक्त राज्य अमेरिका के मसाचुसेट्स राज्य के अन्तर्गत केम्ब्रिज नगर के स्थानीय अधिकारी समष्टि ग्रन्थकार हों ।

केम्ब्रिज. [ओहीयो].

यदि सयुक्त राज्य अमेरिका के ओहीयो राज्य के अन्तर्गत केम्ब्रिज उपनगर *के स्थानीय अधिकारी समष्टि ग्रन्थकार हो ।*

केम्ब्रिज. [मेरीलेण्ड]

यदि सयुक्त राज्य अमेरिका के मेरीलेण्ड राज्य के अन्तर्गत केम्ब्रिज उपनगर के स्थानीय अधिकारी समष्टि ग्रन्थकार हो ।

१२३१०८ उपसमष्ट्यां यथोचितधारानुसारम्

१२३१०८ अखण्डे अधितन्त्रे ग्रन्थकारे असति, तस्य केवलम् उपसमष्ट्या च ग्रन्थकर्त्र्या सत्या, अधोनिर्दिष्टाः तदनुरूपा च अन्याः धाराः अनुसृत्य उपशीर्षकाणि योज्यानि ।

१२३१०८ **यदि अखण्ड अधितन्त्र ग्रन्थकार न हो और अधितन्त्र की कोई उपसमष्टि ही ग्रंथकर्त्री हो, तो निम्नलिखित तथा उनके अनुरूप अन्य धाराओं का अनुसरण कर उपशीर्षक लगाये जायं ।**

उपशीर्षकाणि

१२३११ पति

१२३११	**पत्यौ 'पतिः' इति प्रथमोपशीर्षकम् ।**
१२३११०१	**तत्समं वा ।**
१२३११०२	**तत्पद-धारक-नाम द्वितीयोपशीर्षकम् ।**
१२३११०२१	**तत् १२१ धारोपधारानुसारम् ।**
१२३११०२२	**वर्णक-पदं वर्ज्यम् ।**
१२३११०३	**आवश्यकत्वे व्यक्ति-साधकम् ।**
१२३११०३१	**तत् कार्य-कालः ।**
१२३११०३२	**अङ्क-लिखित-आद्यन्त-वर्षे ।**

१२३११	कस्यचित् राष्ट्रस्य, राज्यस्य, जनपदस्य, नगरस्य वा पत्यौ ग्रन्थकारे 'पतिः' इति पदं प्रथमम् उपशीर्षकम् इति लेख्यम् ।
१२३११०१	सम्बद्ध-अधितन्त्रस्य भेदानुसार 'पति' समम् अन्यत् पद वा लेख्यम् ।
१२३११०२	य तस्य पदस्य धारक स्यात् तस्य नाम द्वितीयमुपशीर्षकम् इति लेख्यम् ।
१२३११०२१	तत् नाम १२१ धारा तदीयाम् उपधारा च अनुसृत्य लेख्यम् ।
१२३११०२२	वर्णक-पद यदि चेत् तत् न लेख्यम् ।
१२३११०३	आवश्यक चेत् व्यक्ति-साधक-पद लेख्यम् ।
१२३११०३१	तत् पदधारकस्य कार्य-कालः भवति ।
१२३११०३२	तस्य कार्यकालस्य केवलम् आदेः अन्तस्य च वर्षे समावेशाङ्केन लेख्ये ।

१२३११ यदि किसी राष्ट्र अथवा राज्य, जनपद अथवा नगर का पति ग्रन्थकार हो, तो 'पति' यह पद प्रथम उपशीर्षक के रूप में लिखा जाय ।

१२३११०१ सम्बद्ध अधितन्त्र के भेद के अनुसार 'पति' का अन्य पर्याय शब्द लिखा जाय ।

१२३११०२ जो उस पद का धारण करने वाला हो उसका नाम द्वितीय उपशीर्षक के रूप में लिखा जाय ।

१२३११०२१ वह नाम १२१ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण करके लिखा जाय ।

१२३११०२२ यदि कोई वर्णक पद हो तो उसका लोप कर दिया जाय ।

१२३११०३ यदि आवश्यकता हो तो व्यक्ति-साधक भी लिखा जाय ।

१२३११०३१ वह (व्यक्ति साधक) पदधारण करने वाले का कार्य-काल होता है ।

१२३११०३२ उस कार्यकाल के केवल आदि और अन्त वर्ष समावेशांकन में लिखे जाय ।

१२३११०३२ उदाहरण

ग्रेट ब्रिटेन सम्राट जार्ज ५म
भारत वायसराय तथा गवर्नर जनरल हार्डिंज (बरन) १९१० १५
मैसूर महाराजा कृष्णराज वोडयर
मद्रास गवर्नर पन्टलेण्ड (बरन)
मद्रास नगर मेयर मुथिय चेट्टि (एम ए)
मद्रास नगर मेयर सत्यमूर्ति (एस) १९३९ ४०
सयुक्त राज्य प्रेसिडेण्ट विलसन (वुडरो)
भारत राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद
उत्तर प्रदेश राज्यपाल मोदी (होमी)
जापान सम्राट् हिरोहितो

यहा यह स्मरण रखने योग्य है कि इस प्रकार के समष्टि शीर्षक का उपयोग अधितन्त्र-पति से उद्भूत होने वाले राज-सन्देश, घोषणा, आज्ञापत्र, विधि आदि सरकारी प्रकाशनो के लिए ही किया जाना चाहिए। राजा, राष्ट्रपति आदि के द्वारा वैयक्तिक रूप मे प्रणीत कृतियो के लिए उपर्युक्त प्रकार के शीर्षक का उपयोग नही किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्रेसिडेन्ट विलसन ने २ एप्रिल, १९१७ को सीनेट तथा हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के सयुक्त अधिवेशन मे जो वार मेसेज (युद्ध-सदेश) पढा था, उसका शीर्षक होगा—

संयुक्त राज्य. प्रेसिडेन्ट. विलसन (वुडरो)

किन्तु वुडरो विलसन द्वारा लिखित जार्ज वाशिंगटन नामक पुस्तक के लिए शीर्षक होगा,

विलसन (वुडरो)

अध्याय ०७ मे दिया हुआ "समष्टि ग्रन्थकार" इसकी परिभाषा तथा ग्रन्थालय सूची सिद्धांत (*Theory of library catalogue*) का अध्याय ५४ द्रष्टव्य है।

१२३१२ मन्त्रि-मण्डलम्

१२३१२ मन्त्रि-मण्डले तन्नाम उपशीर्षकम्।

१२३१२ मन्त्रि-मण्डले ग्रन्थकारे सति तस्य नाम उपशीर्षकत्वेन ग्राह्यम्।

१२३१२ यदि मन्त्रि-मण्डल ग्रन्थकार हो, तो उसका नाम उपशीर्षक के रूप में लिखा जाय।

१२३१२ उदाहरण

भारत. मन्त्रिमण्डल.
ग्रेट ब्रिटेन. मन्त्रिमण्डल.
मद्रास. मन्त्रिपरिषद्.
हैदराबाद. कार्यकारिणी परिषद्.
संयुक्त राज्य. मन्त्रिमण्डल.

मैसूर. परिषद्.
फ्रास. मिनिस्ट्री.
नार्वे. कौंसिल ऑफ स्टेट
रूस. यूनियन कौन्सिल ऑफ पीपुल्स कमिसरीज़.
चीन. ऐग्जेक्युटिव युआन.

१२३१३ धारा-सभा

१२३१३ धारा-सभायां तन्नाम उपशीर्षकम् ।

१२३१३ धारा-सभाया ग्रन्थकर्त्र्या तस्या धारा-सभाया नाम उपशीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२३१३ यदि धारा-सभा ग्रन्थकर्त्री हो, तो उस धारा-सभा का नाम उपशीर्षक के रूप में लिखा जाय ।

१२३१३ उदाहरण

भारत. ससद
भारत विधान सभा.
भारत. धारा सभा
ग्रेट ब्रिटेन. पार्लियामेंन्ट.
ग्रेट ब्रिटेन. हाउस ऑफ कामन्स.
ग्रेट ब्रिटेन. हाउस ऑफ लॉर्ड्स.
मद्रास. धारा सभा.
मैसूर. प्रतिनिधि सभा.
मैसूर. धारा परिषद्.
मद्रास. नगर. परिषद्.
ताजोर. मण्डल गण
तांजोर. तालुक. तालुक गण
ताजोर. नगर. नगर पालिका.
सयुक्त राज्य. काग्रेस.

संयुक्त राज्य. प्रतिनिधि सभा.
संयुक्त राज्य. सीनेट.
मिसूरी. लोक सभा.
फ्रान्स. चेम्बर ऑफ डिप्यूटीज.
फ्रान्स. सीनेट.
जापान. इम्पीरियल डायट.
जापान. प्रतिनिधि सभा.
जापान. हाउस ऑफ पीयर्स.
नार्वे स्टोर्गि.

१२३१४ विभाग.

१२३१४ शासन-विभागे तन्नाम-उपशीर्षकम् ।
१२३१४०१ तदुपभागे वा ।
१२३१४०२ सनामके तस्मिन् १२३१४३-१२३१५ धारे प्रमाणम् ।
१२३१४१ विशिष्ट-नाम-अभावे तदधिकारि-पदनाम
१२३१४२ कार्य-क्षेत्र-सूचक-पदं पूर्वम् ।
१२३१४२१ शेषं परम् ।

१२३१४ शासनस्य विभागे ग्रन्थकारे सति तस्य विशिष्टस्य विभागस्य नाम उपशीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।
१२३१४०१ शासन-विभागस्य उपभागे ग्रन्थकारे सति तस्य विशिष्टस्य उपभागस्य नाम शीर्षकत्वेन ग्राह्यम् ।
१२३१४०२ तस्मिन् उपभागस्य नाम्नि उपभागान्तरस्य नाम्नः अभिन्ने सति १२३१४३-१२३१५ धारे प्रमाणम् इति स्वीकार्यं ।
१२३१४१ यदि तस्य विशिष्ट-उपभागस्य विशिष्टं नाम न

उपलभ्यते चेत् तस्य' अधिकारिण पद तस्य नाम-रूपेण लेख्यम् ।

१२३१४२ तस्य उपभोगस्य कार्य-क्षेत्रस्य नाम उपशीर्षके पूर्वम् लेख्यम् ।

१२३१४२१ अन्यानि पदानि तत पर लेख्यानि ।

१२३१४ यदि शासन का कोई विभाग ग्रन्थकार हो, तो उस विभाग का नाम उपशीर्षक के रूप में लिखा जाय ।

१२३१४०१ यदि शासन के विभाग का कोई उपभाग ग्रन्थकार हो, तो उस उपभाग का नाम उपशीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२३१४०२ यदि उस उपभाग का नाम दूसरे उपभाग के नाम से अभिन्न हो, तो १२३१४३ से १२३१५ तक की धाराओ का अनुसरण किया जाय ।

१२३१४१ यदि उस विशिष्ट उपभाग का कोई विशिष्ट नाम न हो तो उस उपभाग के अधिकारी के पद का नाम उस उपधारा के नाम के रूप में लिखा जाय ।

१२३१४२ उस उपभाग के कार्यक्षेत्र का नाम उपशीर्षक में पहले लिखा जाय ।

१२३१४२१ और सब पद उसके पश्चात् लिखे जाय ।

१२३१४२१ पूर्वोक्त प्रकार के शीर्षक की लेखन-शैली के लिए ०३५११, ०३५२ तथा ०३५४ धाराए द्रष्टव्य हैं ।

१२३१४३ एक-विभाग-एकाधिक उपभाग-सनामत्वे अधोनिर्दिष्ट-अन्यतमयोगेन व्यक्ति-साधनम् ।

१२३१४३० यथा—

१ क्षेत्रम्;

२ धर्म.;

३ केन्द्रम्;

४ अन्यद्वा ।

१२३१४३०१ पृथक् वाक्यम् ।

१२३१४३ कस्यचन एकस्य एव विभागस्य एकाधिकानाम् उपभागानाम् नाम्नाम् अभिन्नत्वे सति अधोनिर्दिष्टानाम् अन्यतमस्य योगेन व्यक्ति-साधनम् कार्यम् ।

१२३१४३० नाम्न. व्यक्ति-साधकानि इमानि भवन्ति ।

१ उपभाजने प्रादेशिकम् आधारम् अवलम्ब्य निर्मिते, उपभागस्य अधिकारक्षेत्रे विद्यमान. प्रदेश प्रथमं व्यक्ति-साधकम् ।

२ उपभाजने धर्मस्य आधारम् अवलम्ब्य निर्मिते, उपभागस्य प्रधानः धर्म. द्वितीय व्यक्ति-साधकम् ।

३ उपभागा॰ सामान्यतः सुविधया वा केन्द्र-नाम्ना व्यक्ति-सिद्धाः भवन्ति चेत् उपभागस्य केन्द्र-नाम तृतीय व्यक्ति-साधकम् ।

४ उपर्युक्तानामभावे युक्तमावश्यकं समर्थं चान्यद्वा पदं पदसमूहो वा ।

१२३१४३०१ तत् व्यक्ति-साधक पद पृथक् वाक्यं ज्ञेयम् ।

१२३१४३ **यदि किसी एक ही विभाग के एक से अधिक उपभागों के नाम एक से हों, तो नीचे दिए हुए भावों में से किसी एक भाव को लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ।**

१२३१४३० **नाम के व्यक्ति-साधक निम्नलिखित हैं:-**

१ यदि उपभाजन प्रादेशिक आधार को मानकर किया गया हो, तो उपभाग के अधिकार-क्षेत्र में आने वाला प्रदेश प्रथम व्यक्ति-साधक होता है ।

२ यदि उपभाजन धर्म (अधिकार) के आधार पर किया गया हो, तो उपभाग का धर्म द्वितीय व्यक्ति-साधक होता है ।

(३) यदि उपभाग सामान्यतः अथवा अधिक सुविधापूर्ण रीति से केन्द्र के नाम के द्वारा व्यक्ति-सिद्ध होते हों, तो उपभाग का केन्द्र-नाम तृतीय व्यक्ति-साधक होता है।

(४) यदि उपर्युक्त कोई प्रकार उपलब्ध न हो, तो योग्य, आवश्यक तथा समर्थ कोई पद अथवा पदसमूह चतुर्थ व्यक्ति-साधक होता है।

१२३१४३०१ उस व्यक्ति-साधक पद को पृथक् वाक्य माना जाय।

१२३१५ विभागान्तर-उपभाग-सनामक-विभाग-उपभागे ग्रन्थकारे विभाग-परिभाग-उपभाग-परम्परा-स्वनिकटतम-१२३१४ धारानुमत-समष्टि नाम प्रथमोपशीर्षकम्।

१२३१५० तत्परम्परा-अन्तर्वर्ति-अतिरिक्त-आवश्यक-भाग-नाम उपशीर्षकान्तरम्।

१२३१५०१ यावत् ग्रन्थकार-नाम-प्राप्तिः।

१२३१५१ उपशीर्षक-पदानि १२३१४-१२३१४१ धारानुरूपम्।

१२३१५ अन्यस्य विभागस्य उपभागेन सह समाननामके कस्मिंश्चित् विभागस्य उपभागे ग्रन्थकारे सति, विभागः, तस्य परिभागः, तस्य उपभागः, इति परम्परायां विद्यमानाया स्वस्मात् ग्रन्थकार-नाम्नः निकटतमायाः १२३१४ धारया अनुमतायाः च समष्टेः नाम प्रथमम् उपशीर्षकम् इति स्वीकार्यम्।

१२३१५० तस्यां परम्परायां, प्रथमोपशीर्षकात् अनुपदं विद्यमानायाः समष्टेः नाम द्वितीयोपशीर्षकम्, तदनु

विद्यमानाया. समष्टेः नाम तृतीयोपशीर्षकम् इति क्रमश अन्यानि उपशीर्षकाणि लेख्यानि ।

१२३१५०१ यावत् ग्रन्थकारस्य नाम्न प्राप्ति न भवति तावत् निरन्तरम् एवम् एव उपशीर्षकाणि लेख्यानि ।

१२३१५१ उपशीर्षकत्वेन लेख्याना पदाना निर्धारण लेखन च १२३१४-१२३१४१ धारे अनुसृत्य कार्यम्.।

१२३१५ यदि किसी दूसरे विभाग के साथ समान नाम रखनेवाले किसी विभाग का उपभाग ग्रन्थकार हो तो विभाग, उसका परिभाग, तथा उसका उपभाग इस प्रकार की परम्परा में आने वाली, अपने से अर्थात् ग्रन्थकार से निकटतम रहने वाली, तथा १२३१४ धारा से अनुमत समष्टि का नाम प्रथम उपशीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२३१५० उस परम्परा में प्रथम उपशीर्षक के पश्चात् आने वाली समष्टि का नाम द्वितीय उपशीर्षक के रूप में लिया जाय । उसके अनन्तर आने वाली समष्टि का नाम तृतीय उपशीर्षक के रूप में लिया जाय । इस प्रकार क्रमशः अन्य उपशीर्षक लिखे जायं ।

१२३१५०१ जब तक ग्रन्थकार के नाम की प्राप्ति न हो, तब तक निरन्तर इसी प्रकार उपशीर्षक लिखते जाना चाहिए ।

१२३१५१ उपशीर्षक के रूप में लिखे जाने वाले पदों का निर्धारण तथा लेखन १२३१४-१२३१४१ धाराओं को अनुरूप मानकर किया जाय ।

१२३१५१ उदाहरण

मद्रास. शिक्षा (सर्वजन--विभाग)

संयुक्त राज्य एजुकेशन (ब्यूरो ऑफ—)

मद्रास शैक्षणिक (मण्डल—अधिकारी)

मद्रास शिक्षण (सर्वजन-उपनिर्देशक). प्रारम्भिक शिक्षा

मद्रास. बालिका विद्यालय (--निर्देशिका) प्रथम खण्ड

ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटिश-शिक्षण (—विभाग).
मंचूरिया अर्थ (—विभाग). सामान्य कार्य-भार (—ब्यूरो).
मंचूरिया उद्योग (—विभाग) सामान्य कार्य-भार (—ब्यूरो)

१२३१६ न्यायालय

१२३१६ न्यायालये तन्नाम उपशीर्षकम् ।

१२३१६ न्यायालय ग्रन्थकार चेत् तस्य न्यायालयस्य नाम उपशीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२३१६ यदि न्यायालय ग्रन्थकार हो, तो उस न्यायालय का नाम उप-शीर्षक के रूप में लिया जाय।

१२३१६ उदाहरण

भारत. सर्वोच्च न्यायालय.
मद्रास. उच्च न्यायालय.
संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय.
सयुक्त राज्य. कोर्ट ऑफ कस्टम्स अपील्स
संयुक्त राज्य कोर्ट ऑफ क्लेम्स
मसाचुसेट्स सुप्रीम जुडिशल कोर्ट
ग्रेट ब्रिटेन. सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट
ग्रेट ब्रिटेन. कोर्ट ऑफ अपील
जापान. कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन

१२३१६०२ एकाधिक-न्यायालय-सनामत्वे अधो-निर्दिष्ट-अन्यतम-वाचकपद-योगेन-व्यक्ति-साधनम् ।

१२३१६०२० यथा—

१ न्याय-अधिकार-क्षेत्रम् ; †
२ न्यायालय-केन्द्रम् ; †

३ युक्तं समर्थं चान्यद् वा ।

१२३१६०२०१ पृथक् वाक्यम् ।

१२३१६०२ एकाधिकयो न्यायालययो समान-नामत्वे अधोनिर्दिष्टेषु अन्यतमस्य वाचक पद योजयित्वा-व्यक्ति-साधनं कार्यम् ।

१२३१६०२० अधोनिर्दिष्टाना वाचकानि पदानि व्यक्ति-साधकानि भवन्ति ।

१ न्यायालयस्य प्रातिस्विकम् अधिकारस्य क्षेत्र प्रथम. प्रकारः भवति ।

२ प्रथम-प्रकारस्य अभावे, न्यायालयस्य प्रातिस्विकम् केन्द्र द्वितीय· प्रकार. भवति ।

३ पूर्वोक्तोभय-प्रकार-अभावे युक्त समर्थ चान्यद् वा किमपि व्यक्ति-साधक तृतीय. प्रकार भवति ।

१२३१६०२०१ तत् व्यक्ति-साधकं पद पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

१२३१६०२ यदि एक से अधिक न्यायालयों का एक ही नाम हो, तो निम्नलिखितों में से व्यक्त करने वाले किसी एक पद को लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ।

१२३१६०२० निम्नलिखित पद व्यक्ति-साधक होते हैं :–

१ न्यायालयो का अधिकार स्व क्षेत्र प्रथम प्रकार होता हैं ।

२ प्रथम प्रकार का अभाव हो तो न्यायालय का स्व-केन्द्र द्वितीय प्रकार होता हैं ।

३ उपर्युक्त दोनो प्रकारों का अभाव हो तो योग्य तथा समर्थ अन्य व्यक्ति-साधक तृतीय प्रकार होता है ।

१२३१६०२०१ वह व्यक्ति-साधक पद पृथक् वाक्य माना जाय ।

१२३१६०२०१ उदाहरण

मद्रास मण्डल न्यायालय कोयम्बतूर.

मद्रास मण्डल न्यायालय सेलम
मद्रास मण्डलाधीश न्यायालय सेलम
मद्रास मण्डल मुन्सिफ न्यायालय सेलम. तालुक
मद्रास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट्स न्यायालय सेलम. उपनगर
मद्रास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट्स न्यायालय कुम्भकोणम
संयुक्त राज्य सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स तृतीय सर्किट
संयुक्त राज्य मण्डल न्यायालय अलास्का
ग्रेट ब्रिटेन काउन्टी कोर्ट यार्कशायर

१२३१६१ **न्यायालय-परिभाग-विभागे तन्नाम द्वितीयोपशीर्षकम् ।**

१२३१६१० **तत् १२३१४-१२३१५ धारानुरूपम् ।**

१२३१६२ **न्यायालय-परिभाग-विभाग-उपभागे तृतीयोपशीर्षकम् ।**

१२३१६२० **तत् १२३१६१ धारानुरूपम् ।**

१२३१६३ **एवमन्यत् ।**

१२३१६१ न्यायालयस्य परिभागे विभागे वा ग्रन्थकारे सति तस्य परिभागस्य विभागस्य वा नाम द्वितीयोपशीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२३१६१० तत् उपशीर्षकम् १२३१४-१२३१५ धारे अनुसृत्य लेख्यम् ।

१२३१६२ न्यायालयस्य परिभागस्य विभागस्य वा उपविभागे ग्रन्थकारे सति तृतीयम् उपशीर्षकम् लेख्यम् ।

१२३१६२० तत् उपशीर्षकम् १२३१६१ धाराम् अनुसृत्य लेख्यम् ।

१२३१६३ अधिकोपभागेषु सत्सु, एवमेव उपशीर्षक-योगेन व्यक्ति-साधन कार्यम्

१२३११६१ यदि किसी न्यायालय का परिभाग अथवा विभाग ग्रन्थकार हो, तो उस परिभाग अथवा विभाग का नाम द्वितीय उपशीर्षक के रूप में लिया जाय।

१२३११६१० वह उपशीर्षक १२३१४ तथा १२३१५ धाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय।

१२३११६२ यदि न्यायालय के परिभाग अथवा विभाग का उपभाग ग्रन्थकार हो, तो तृतीय उपशीर्षक लिखा जाय।

१२३११६२० वह उपशीर्षक १२३११६१ धारा का अनुसरण कर लिखा जाय।

१२३११६३ यदि अधिक उपभाग हो, तो इसी प्रकार उपशीर्षकों को लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय।

१२३११६३ उदाहरण

ग्रेट ब्रिटेन. हाई कोर्ट आफ जस्टिस. किंग्स बेंच डिविज़न.
ग्रेट ब्रिटेन. हाउस ऑफ लार्ड्स. जुडिशल कमेटी.
ग्रेट ब्रिटेन. प्रिवी कौउन्सिल. जुडिशल कमेटी.

अन्य उपसमष्टियाँ—

उदाहरण

ग्रेट ब्रिटेन. इम्पीरियल वार कान्फरेन्स. (२). लदन. १९१८.
भारत. इण्डियन सेण्ट्रल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी. १९२९.
मद्रास. कलेक्टर्स कान्फरेन्स. उटकमन्ड. १९१८
मद्रास. लेजिस्लेटिव कौन्सिल. सेलेक्ट कमेटी आन पब्लिक लायब्रेरीज् बिल.
मद्रास. इन्स्ट्रक्शन (डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक—). कान्फ्रेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑफिसर्स मद्रास १९२९.

१२३२ संस्था

१२३२ अखण्ड-संस्थायां तन्नाम शीर्षकम्।
१२३२००१ संक्षिप्ततमम्।
१२३२००२ मान-फल्गु-पद-लोपः।

१२३२००३ ग्रन्थालय-इष्ट भाषिकम् ।

१२३२००४ उप-इष्टभाषिकं वा ।

१२३२ अखण्डाया सस्थाया ग्रन्थकर्त्र्या सत्या तस्या सस्थाया नाम शीर्षकमिति स्वीकार्यम् ।

१२३२००१ तत् आख्यापत्र मुखस्य, उपाख्यापत्रमुखस्य, ग्रन्थ भागान्तरस्या वा अन्यतमे स्थाने वर्तमान सक्षिप्त-तम रूप स्वीकार्यम् ।

१२३२००२ आदौ अन्ते वा स्थितानि , मानसूचकानि, फल्गूनि च पदानि न लेख्यानि ।

१२३२००३ तस्मिन् ग्रन्थकार-नाम्नि नाना भाषासु विद्यमाने ग्रन्थालयस्य इष्टभाषाया विद्यमान नाम स्वी-कार्यम् ।

१२३२००४ ग्रन्थालयस्य इष्टभाषाया नाम न विद्यते चेत् ग्रन्थालयस्य गौणायाम् इष्टभाषाया विद्यमान नाम स्वीकार्यम् ।

१२३२ यदि अखण्ड सस्था ग्रन्थकर्त्री हो, तो उस सस्था का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२३२००१ वह आख्या-पत्रमुख के, उपाख्या-पत्र-मुख के अथवा ग्रन्थ के अन्य भागो में किसी एक स्थान से सबसे सक्षिप्त रूप में लिया जाय ।

१२३२००२ आदि अथवा अन्त में विद्यमान मानसूचक तथा असार पद लुप्त कर दिए जाय ।

१२३२००३ यदि वह ग्रन्थकार का नाम विविध भाषाओ में हो, तो ग्रन्थालय की इष्ट भाषा वाला नाम लिया जाय ।

१२३२००४ यदि नाम ग्रन्थालय की इष्ट भाषा में विद्यमान न हो तो ग्रन्थालय की द्वितीय (गौण) इष्ट भाषा में विद्यमान नाम लिया जाय ।

१२३२००४ उदाहरण

अन्त.राष्ट्रीय श्रम सघ.
संयुक्त राष्ट्र संघ.
भारतीय ग्रन्थालय सघ.
भारतीय गणिणीय परिषद्.
मद्रास महाजन सभा.
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल.
दक्षिण भारतीय अध्यापक सघ.
केम्ब्रिज फिलॉसाफ़िकल सोसायटी.
रॉयल सोसायटी ऑफ लण्डन.
माउन्ट विलसन ऑब्जरवेटरी.
तांजोर कोऑपरेटिव बैंक.
मिस्र खोज फंड.
कार्निज़ी इन्स्टीटयूशन ऑफ वाशिंगटन.
मद्रास विश्वविद्यालय.
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय.
देहली कॉलिज.
रामानुजन स्मारक समिति

१२३२०१ अविशेषे अधःस्थ-अन्यतम-योगेन व्यक्ति-साधनम् ।

१२३२०१०१ यथा—

१ स्थान-विशेष-अधिष्ठित-संस्थाया : स्थानस्य नाम; †
२ राष्ट्रिय-समष्टे : सम्बद्ध-देशस्य नाम
३ प्रादेशिक-प्रभृतिकाया : प्रदेशादेः वा
४ अभावे केन्द्रस्य ।

१२३२०१०२ पृथक् वाक्यम्

१२३२०१ सस्थाया नाम अविशेषम्, अर्थात् व्यक्ति-साधने असमर्थ चेत्, अधोनिर्दिष्टानाम् अन्यतमस्य योगेन व्यक्ति-साधन कार्यम् ।

१२३२०१०१ अधोनिर्दिष्टानि व्यक्ति-साधकानि भवन्ति ।

१ सस्थाया स्थान विशेष-सम्बन्धिन्या तस्या स्थानस्य नाम प्रथम प्रकार ।

२ सस्थाया राष्ट्रियाया सम्बद्ध-देशस्य नाम द्वितीय प्रकार ।

३ सस्थाया प्रादेशिक प्रभृतिकाया प्रदेशस्य, मण्डलस्य, उपमण्डलस्य, तत्सदृशस्य च अन्यस्य वा नाम तृतीय प्रकार ।

४ उपर्युक्त-प्रकार-त्रयेण व्यक्ति-साधने असति तस्या-केन्द्रस्य नाम चतुर्थ प्रकार ।

१२३२०१०४ प्रत्येक पृथक् वाक्यम् ज्ञेयम् ।

१२३२०१ यदि सस्था का नाम अविशेष हो अर्थात् व्यक्ति-साधन में असमर्थ हो, तो नीचे दिए हुए भावो में से किसी एक भाव को लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ।

१२३२०१०१ व्यक्ति-साधक निम्नलिखित है –

१ यदि सस्था स्थान-विशेष से सम्बन्ध रखती हो, तो उस स्थान का नाम प्रथम प्रकार होता है ।

२ यदि सस्था राष्ट्रीय हो, तो सम्बद्ध देश का नाम द्वितीय प्रकार होता है ।

३ यदि सस्था प्रादेशिक आदि हो, तो प्रदेश, मण्डल, अथवा उपमण्डल अथवा उसके सदृश अन्य का नाम तृतीय प्रकार होता है ।

४ उपर्युक्त तीनो प्रकारो में से किसी एक से भी व्यक्ति-साधन न हो रहा हो, तो केन्द्र का नाम चतुर्थ प्रकार होता है ।

१२३२०१०४ वह पृथक् वाक्य माना जाय।

१२३२०१०४ उदाहरण

इन्टर पार्लियामेन्टरी यूनियन जेनेवा.
प्रेसिडेन्सी कॉलेज. कलकत्ता.
प्रेसिडेन्सी कॉलेज. मद्रास.
हिन्दू हाई स्कूल. तियाली.
हिन्दू हाई स्कूल. ट्रिप्लिकेन
यूनिवर्सिटी कॉलेज. लदन .
यंगमेन्स क्रिश्चियन असोसिएशन ताजोर.
नागरी प्रचारिणी सभा. काशी.
हिन्दी साहित्य सम्मेलन. प्रयाग.
मारवाड़ी अस्पताल. बनारस.
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया. देहली.
थियोसोफिकल सोसायटी. ताजोर.

किन्तु यदि मूल समिति से अभिप्राय हो तो केवल थियॉसोफिकल सोसायटी।

नेशनल रिसर्च कौन्सिल. जापान.
नेशनल रिसर्च कौन्सिल,. युनाइटेड स्टेट्स.
समाजवादी दल भारत.
राज्य कांग्रेस समिति. उत्तरप्रदेश.
राज्य कांग्रेस समिति. मद्रास.
इन्टरनेशनल असोसिएशन ऑफ पब्लिक एम्पलायमेन्ट सर्विसेज.
युनाइटेड स्टेट्स एण्ड कनाडा.
टीचर्स गिल्ड. तजोर.
टीचर्स गिल्ड. मद्रास. नगर.
जमींदार संघ. मद्रास.
जमींदार संघ. तजोर .
जमींदार संघ. तजोर. तालुक.
करदाता संघ. ट्रिप्लिकेन.

अन्तर्विश्वविद्यालय गण. भारत.
राष्ट्रीय ग्रन्थालय. भारत.
राष्ट्रीय ग्रन्थालय. जापान.
ग्रेट वेस्टर्न रेलवे. ग्रेट ब्रिटेन.
ग्रेट वेस्टर्न रेलवे युनाइटेड स्टेट्स.
स्टॉक एक्सचेन्ज. वाशिंगटन. डी. सी.
स्टॉक एक्सचेन्ज. मान्ट्रील.
लिनियन सोसायटी. लण्डन.
लिनियन सोसायटी. न्यू साउथ वेल्स.
लिनियन सोसायटी. न्यूयार्क.
साउथ इण्डिया असोसिएशन. कलकत्ता.

१२३२०२ असति स्थापन-संवत्सरः ।

१२३२०२० पृथक् वाक्यम् ।

१२३२०२ १२३२०१ धारा व्यक्ति साधने असमर्था चेत् सस्थाया स्थापनस्य सवत्सर योजयित्वा व्यक्ति-साधन कार्यम् ।

१२३२०२० तत् पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

१२३२०२ यदि १२३२०१ धारा व्यक्ति-साधन करने में असमर्थ हो, तो सस्था की स्थापना के वर्ष को आगे लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ।

१२३२०२० वह पृथक् वाक्य माना जाय ।

१२३२०२० उदाहरण

स्टेट एग्रिकल्चरल सोसायटी. साउथ केरोलाइना. १८३९.
स्टेट एग्रिकल्चरल सोसायटी. साउथ केरोलाइना १८५५.

१२३२०८ संस्था-उपसमष्ट्यां १२३११-१२३१६ धारोपधारानुरूपम्‡ उपशीर्षकाणि ।

१२३२०८ अखण्डाया संस्थायां ग्रन्थकर्त्र्याम् असत्या, तस्याः केवलम् उपसमष्ट्या च ग्रन्थकर्त्र्यां सत्यां, १२३११—१२३१६ पर्यन्ताना धाराणाम् उपधाराणाम् च अनुरूपम् उपशीर्षकाणि योज्यानि ।

१२३२०८ **यदि अखंड संस्था ग्रन्थकर्त्री न हो, और संस्था की कोई उपसमष्टि ही ग्रन्थकर्त्री हो, तो १२३११ से १२३१६ तक की धाराओं का तथा उपधाराओ का अनुसरण करते हुए उपशीर्षक लगाए जाएं ।**

१२३२०८ उदाहरण

युनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. एकेडेमिक कौन्सिल

कार्निजी एन्डाउमेन्ट फॉर इन्टरनेशनल पीस डिविजन ऑफ इन्टरनेशनल लॉ.

युनिवर्सिटी कॉलेज लन्दन बायोमेट्रिक लेबोरेटरी.

इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया मद्रास पब्लिक डैट आफिस.

इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लायब्रेरी एसोसिएशन्स. कमेटी.

युनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एकेडेमिक कौन्सिल नं १०. कमेटी.

प्रेसिडेन्सी कॉलेज मद्रास मैथमेटिक्स असोसिएशन.

हिन्दू हाई स्कूल. ट्रिप्लिकेन मास्टर्सस असोसिएशन.

हिन्दू हाई स्कूल शियाली ओल्ड बॉयज असोसिएशन.

युनिवर्सिटी आफ मद्रास. युनिवर्सिटी लायब्रेरी. स्टाफ कौन्सिल कमेटी आन एक्सेशनिंग प्रोसीजर.

नेशनल रिसर्च कौन्सिल. यूनाइटेड स्टेट्स. डिविजन आफ एन्थ्रपालाजी एण्ड साइकालाजी. कमेटी आन स्टेट आर्कयालाजिकल सर्वेज्. कान्फरेन्स आन मिडवेस्टर्न आर्कयालाजी. सेंट लुई [सिमूरी] १९२३.

मद्रास लायब्रेरी असोसिएशन काउन्सिल. तामिल बुक सेलेक्शन कमेटी. १९३३.

१२३३ सम्मेलनम्

१२३३ . **अखण्ड-सम्मेलने तन्नाम शीर्षकम् ।**

१२३३१०१ उदाहरण

अखिल भारतीय ग्रन्थालय सम्मेलन
इण्डियन नेशनल कांग्रेस
नेशनल लिबरल फेडरेशन
अखिल भारतीय खि्रस्ती सम्मेलन
अखिल भारतीय हिन्दू महासभा
साम्राज्य विश्वविद्यालय कांग्रेस
अमेरिकन साइंस कांग्रेस

१२३३२ ग्रन्थालय-इष्टभाषा-प्रकाशित प्रकाशने सार्वभौम-सम्मेलने तच्छीर्षकं तस्याम् ।

१२३३२१ ग्रन्थालय-इष्ट-भाषाया, सम्मेलन-अभिमत-अन्यतम-भाषायां वा ।

१२३३२२ अभावे १२३३२-१२३३२१ धारा-उल्लिखित-अभिसन्धि-अन्यतर-समाधा-यिका ग्रन्थालय-संमत-भाषा वरिष्ठा ।

१२३३२ सार्वभौम-सम्मेलनाना प्रकाशने ग्रन्थालयस्य इष्ट-भाषाया सकृदपि प्रकाशिते सति तस्य सम्मेलनस्य शीर्षक तस्या भाषाया लेख्यम् ।

१२३३२१ ग्रन्थालयस्य इष्टभाषा-सम्मेलनेन अभिमत भाषा-णाम् अन्यतमत्वेन स्वीकृता चेत् तदापि शीर्षक तस्या भाषाया लेख्यम् ।

१२३३२२ पूर्वोक्त-भाषयो अभावे, पूर्वोक्त-धारा-द्वये उल्लि-खितयो अभिसन्ध्यो अन्यतरस्य समाधायिका ग्रन्थालयस्य सम्मतासु भाषासु वरिष्ठा भाषा ग्राह्या ।

१२३३२ यदि सार्वभौम सम्मेलनों का प्रकाशन ग्रन्थालय की इष्ट-भाषा में एक बार भी हो चुका हो, तो उस सम्मेलन का शीर्षक उस भाषा में लिखा जाय।

१२३३२१ यदि ग्रन्थालय की इष्ट भाषा सम्मेलन के द्वारा अभिमत भाषाओं में से एक मान ली गई हो, तो उस अवस्था में भी शीर्षक उस भाषा में लिखा जाय।

१२३३२२ यदि पूर्वोक्त भाषाएं उपलब्ध न हो, तो पूर्वोक्त दोनों धाराओं में उल्लिखित अभिसन्धियों में से (शर्तों में से) एक को पूर्ण करने वाली तथा ग्रन्थालय की संमत भाषाओं में से वरिष्ठ भाषा उपयोग म लाई जाय।

१२३३२२ उदाहरण

इन्टरनेशनल कांग्रेस ऑफ मेथमेटीशियन्स.
इसमें आस्था-पत्र केवल इटालियन भाषा में है, तथा वह निम्नलिखित है :—
आत्ति देल कोन्ग्रेस्सो ईन्तेर्नात्स्योनाले देई मातेमातिचि.

१२३३०८ सम्मेलन-उपसमष्ट्यां १२३११-१२३१६ धारोपधारानुसारम् उपशीर्षकाणि।

१२३३०८ अखण्डे सम्मेलने ग्रन्थकारे असति, तस्य केवलम् उपसमष्ट्यां च ग्रन्थकर्त्र्यां सत्या १२३११ तः १२३१६ पर्यन्तानां धाराणाम् उपधाराणाम् च अनुरूपम् उपशीर्षकाणि योज्यानि।

१२३३०८ यदि अखण्ड सम्मेलन ग्रन्थकार म हो और सम्मेलन की कोई उपसमष्टि ही ग्रन्थकार हो, तो १२३११ से १२३१६ तक की धाराओं का अनुसरण करते हुए उपशीर्षक लगाए जायं।

१२३३०८ उदा. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियन्टलिस्ट्. कमेटी ऑन ट्रान्सलिटरेशन.

१२४ एकाधिक समष्टि ग्रन्थकार :

वरणमुपकल्पनं च

१२४ **एकाधिक-समष्ट्यां शीर्षकं १२२ धारोपधारानुरूपम् ।**

१२४१ **सहसमष्टि-ग्रन्थकार-नाम्नि एकाधिक-वाक्ये एकं वाक्यम् ।**

१२४ एकाधिकाया समष्ट्या ग्रन्थकर्त्र्या सत्यां शीर्षकं १२२ धारां तदीयाम् उपधारा च अनुसृत्य लेख्यम् ।

१२४१ सह-समष्टि-ग्रन्थकारयो एकस्य कस्यचित् नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये पूर्ण-विराम-स्थाने अल्पविरामं कृत्वा एकं वाक्य कार्यम् ।

१२४ यदि एक से अधिक समष्टियां ग्रन्थकार हों, तो शीर्षक १२२ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय ।

१२४१ यदि सह-समष्टि-ग्रन्थकारों में से किसी एक के नाम में एक से अधिक वाक्य हो, तो पूर्ण विराम के स्थान में अल्पविराम कर उनका एक वाक्य बनाया जाय ।

१२४१ द्रष्टव्य धारा ०३६७.

उपकल्पनम्

१२५ कल्पित नाम वरणम्

१२५ **आख्या-पत्रे कल्पित-नाम-मात्रे तत् शीर्षकम् ।**

१२५० **'कल्पित' इति परम् ।**

१२५०१ तत् वर्णकम् ।

१२५०२ पृथक् वाक्यम् ।

१२५ आख्या-पत्र ग्रन्थकार-नाम-स्थाने केवलं कल्पित-नाम एव विद्यते चेत् तत् शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२५० 'कल्पित' इति पदं ततः पर लेख्यम् ।

१२५०१ तत् 'कल्पित' इति पदं वर्णकम् इति ज्ञेयम् ।

१२५०२ तत् 'कल्पित' इति वर्णकं पदं पृथक् वाक्यं ज्ञेयम् ।

१२५ यदि आख्या-पत्र पर ग्रन्थकार के नाम के स्थान पर केवल कल्पित नाम ही हो, तो उसे शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२५० 'कल्पित' यह पद उसके आगे लिखा जाय ।

१२५०१ उस कल्पित-पद को वर्णक माना जाय ।

१२५०२ 'कल्पित' यह वर्णक पद पृथक् माना जाय ।

१२५०२ और द्रष्टव्य धारा ०३६६.

उदाहरण

अञ्चल. कल्पित.

देव. कल्पित.

१२५१ आख्यापत्रे गौण-तथ्य-नाम्नि तदपि ।

१२५१०१ पृथक् वाक्यम् ।

१२५१०२ 'अ.' इति पूर्वम् ।

१२५१०३ 'कल्पित' इति पदात् परम् ।

१२५१ ग्रन्थकारस्य तथ्यात्मकं गौणरूपं च नाम अपि आख्यापत्रे विद्यते चेत् तत् अपि लेख्यम् ।

१२५१०१ तत् तथ्यं गौणं च नाम पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

१२५१०२ 'अ.' इति सक्षिप्त रूपं तस्मात् तथ्यात् गौणात् नाम्न. पूर्व लेख्यम् ।

१२५१०३ तत् तथ्यं गौण च नाम 'कल्पित' इति वर्णकात् पदात् पर लेख्यम् ।

१२५१ यदि ग्रन्थकार का सच्चा और गौण रूप से दिया हुआ नाम भी आख्या-पत्र पर विद्यमान हो, तो उसे भी लिखा जाय ।

१२५१०१ वह सच्चा और गौण नाम पृथक् वाक्य माना जाय ।

१२५१०२ 'अ.' यह संक्षिप्त रूप उस सच्चे और गौण नाम से पहले लिखा जाय ।

१२५१०३ वह सच्चा और गौण नाम 'कल्पित' इस वर्णक पद के पश्चात् लिखा जाय ।

१२५१०३ उदाहरण—

नलिन. कल्पित.

चाणक्य कल्पित (अ. जवाहर लाल नेहरू).

एक भारतीय आत्मा कल्पित (अ. माखन लाल चतुर्वेदी)

प्रेमधन. कल्पित (अ. बदरी नारायण उपाध्याय चौधरी).

एक किताबी कीड़ा कल्पित. (अ गगाशकर मिश्र)

१२५११ कल्पित-नाम्नि गौणे तथ्य-नाम शीर्षकम् ।

१२५१११ कल्पित-नाम अपि ।

१२५११२ पृथक् वाक्यम् ।

१२५११३ 'कल्पित' इति परम् ।

१२५११४ पृथक् वाक्यम् ।

१२५११५ ते वृत्त-कोष्ठके ।

१२५२ ग्रन्थ-बहिःस्थं तथ्य-नाम अपि ।

१२५२०१ पृथक् वाक्यम् ।

१२५२०२ 'अ.' इति पूर्वम् ।

१२५२०३ ते ऋजुकोष्ठके ।

१२५२०४ 'कल्पित' इति पदात् परम् ।

१२५२२ अभिज्ञात-तथ्य-नामक - सहग्रन्थकार-द्वय - वाचक-कल्पित-नाम्नः परं तन्नामनी ।

१२५२२० योजक-पद यथास्थानम् ।

१२५२३ बहूनाम् एकम् ।

१२५२३१ तन्न्याय्यम् ।

१२५२३२ अन्यथा यथेच्छम् ।

१२५२३३ 'इदि.' इति परम् ।

१२५३ एकाधिक-कल्पित-नाम्नि शीर्षकम् १२२, १२५ धारानुरूपम् ।

१२५११ पूर्ववर्तिनि ग्रन्थकारस्य तथ्ये नाम्नि, तस्य अनुगामिनि गौणे कल्पित-नाम्नि च, उभयोरपि आख्या-पत्रे विद्यमानयोः तथ्य-नाम शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२५१११ तत् गौण कल्पित-नाम अपि तथ्य-नाम्नः परं लेख्यम् ।

१२५११२ तत् गौणं कल्पित-नाम पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

१२५११३ 'कल्पित' इति पद ततः पर लेख्यम् ।

१२५११४ तत् 'कल्पित' इति वर्णकं पद पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

१२५११५ तत् गौणं कल्पित-नाम, 'कल्पित' इति वर्णकं पदं च उभे अपि वृत्तकोष्ठके लेख्ये ।

१२५२ ग्रन्थकारस्य तथ्यं नाम ग्रन्थात् बहिर्मार्गे क्वचन उपलभ्यते चेत तद् अपि लेख्यम् ।

१२५२०१ तत् ग्रन्थकारस्य तथ्य नाम पृथक् वाक्यं ज्ञेयम् ।

१२५२०२ 'अ' इति संक्षिप्त रूपं तस्मात् तथ्यात् नाम्नः पूर्वं लेख्यम् ।

१२५२०३ 'अ' इति संक्षिप्तं रूप, तथ्य नाम च उभे अपि ऋजुकोष्ठके लेख्ये ।

१२५२०४ तत् ऋजु कोष्ठक 'कल्पित' इति पदात् परं लेख्यम् ।

१२५२२ कल्पित-नाम द्वयो सहग्रन्थकारयोः वाचकं चेत्, तयोः च तथ्ये नामनी अभिज्ञायेते चेत्, 'अ' इत्युपगते ते 'कल्पित' इति वर्णकपदानुगतात् कल्पित-नाम्न पर लेख्ये ।

१२५२२० योग्ये स्थाने उभयो. नाम्नोः योजकं पद लेख्यम् ।

१२५२३ कल्पित-नाम द्वयाधिकानां सहग्रन्थाकाराणा वाचकं चेत्, तेषा च तथ्यानि नामानि अभिज्ञायन्ते चेत्, 'अ' इत्युपगत तेषाम् अन्यतमं नाम 'कल्पित' इति वर्णक-पदानुगतात् कल्पित-नाम्नः पर लेख्यम् ।

१२५२३१ बहूनाम् तथ्यनाम्नाम् एकस्य निर्धारणे केनचन न्यायेन सङ्गता औचिती प्रमाणत्वेन स्वीकार्या ।

१२५२३२ न्यायेन सङ्गता औचिती न उपलभ्यते चेत् स्वेच्छा एव प्रमाणत्वेन स्वीकार्या ।

१२५२३३ तस्मात् तथ्यनाम्न परम् 'इदि:' इति लेख्यम् ।

१२५३ एकाधिकं कल्पित-नाम ग्रन्थकार-नाम-स्थाने विद्यते चेत्, १२२ सख्यकाम् १२५ संख्यकाम् च धारा, तदीयाम् उपधारा च अनुसृत्य शीर्षकं लेख्यम् ।

१२५११ **यदि पूर्व में आने वाला ग्रन्थकार का सच्चा नाम तथा उसके पश्चात् आने वाला गौण कल्पित-नाम दोनों आख्या-पत्र पर विद्यमान हों, तो सच्चे नाम को शीर्षक के रूप में लिया जाय।**

१२५१११	वह गौण कल्पित-नाम भी सच्चे नाम के पश्चात् लिखा जाय।
१२५११२	वह गौण कल्पित-नाम पृथक् वाक्य माना जाय।
१२५११३	'कल्पित' यह पद उसके पश्चात् लिखा जाय।
१२५११४	'कल्पित' यह वर्णक पद पृथक् वाक्य माना जाय।
१२५११५	वह गौण कल्पित-नाम और 'कल्पित' यह दोनों वर्णक पद वृत्तकोष्ठक में लिखे जायं।
१२५२	यदि ग्रन्थकार का सच्चा नाम ग्रन्थ के बाहर कहीं से उपलब्ध हो सके, तो वह भी लिखा जाय।
१२५२०१	वह ग्रन्थकार का सच्चा नाम पृथक् वाक्य माना जाय।
१२५२०२	'अ.' यह संक्षिप्त रूप उस सच्चे नाम से पूर्व लिखा जाय।
१२५२०३	'अ.' यह संक्षिप्त रूप तथा तथ्यनाम दोनों ऋजु-कोष्ठक लिखे जायं।
१२५२०४	वह ऋजुकोष्ठक वाक्य 'कल्पित' इस पद के पश्चात् लिखा जाय।
१२५२२	यदि कोई कल्पित-नाम दो सह-ग्रन्थकारों का वाचक हो और उनके सच्चे नाम ज्ञात हो सकते हों, तो 'अ.' से युक्त उन दोनों नामों को 'कल्पित' इस वर्णक पद से अनुगत कल्पित-नाम के पश्चात् लिखा जाय।
१२५२२०	योग्य स्थान में दोनों नामों के योजक पद को लिखा जाय।
१२५२३	यदि कोई कल्पिन नाम दो से अधिक सह-ग्रन्थकारों का वाचक हो और उनके सच्चे नाम ज्ञात हो सकते हों, तो 'अ.' से युक्त उनमें से एक नाम को, 'कल्पित' इस वर्णक पद से अनुगत कल्पित-नाम के पश्चात् लिखा जाय।
१२५२३१	अनेक सच्चे नामों में से एक के निर्धारण के लिए किसी न्यायसंगत औचित्य को प्रमाण-स्वरूप माना जाय।
१२५२३२	यदि न्याय संगत औचित्य उपलब्ध न हों, तो अपनी स्वतन्त्र इच्छा ही प्रमाण-स्वरूप मानी जाय।
१२५२३३	उस सच्चे नाम के पश्चात् 'इदि' यह लिखा जाय।

१२५३ **यदि एक से अधिक कल्पित-नाम ग्रन्थकार के नाम के स्थान में दिए हुए हो, तो १२२ संख्यक और १२५ संख्यक धाराओ तथा उनकी उपधाराओ का अनुसरण कर शीर्षक लिखा जाय।**

१२५३ उदाहरण

जे. के. एफ. आर. एस. तथा एस. ए. एस. सी. कल्पित [अ जेम्स केअर].

कल्पित नाम एक काल्पनिक नाम होता है जिसे कोई ग्रन्थकार अपना लेता है। सुविधा के लिए इस पद का प्रयोग वास्तविक नाम से अन्य, उन सभी नामो के लिए किया जाता है जिनके द्वारा ग्रन्थकार अपने जीवन-काल मे अथवा उत्तर काल मे प्रसिद्ध हो जाता है। किन्तु कल्पित नाम का नाम के परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नही है। काल्पनिक नाम को स्वीकार करने का, अथवा वास्तविक नाम को छिपाने का उद्देश्य भिन्न-भिन्न हो सकता है। उदाहरणार्थ, आत्मविश्वास का अभाव, लज्जा, बुरे परिणामों का भय, झक्कीपन (चचलचित्तता), परिहास करने की प्रवृत्ति, गूढता जताने की प्रवृत्ति, हसी में छल करने की प्रवृत्ति इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रेरक हेतुओं के अन्तर्वर्ती मनस्तत्व का अध्ययन बड़ा ही रोचक प्रतीत होगा किन्तु उसका सूचीकरण से कोई सीधा सम्बन्ध नही है। परन्तु ग्रन्थो के आख्या-पत्रो पर दिए हुए कैतवनामो में काल्पनिकता तथा गूढता का अश कितनी मात्रा में विद्यमान रहता है इसका अध्ययन अवश्यमेव रुचिकर सिद्ध होगा।

एक ओर तो वह सीमा है जिसमे एक अन्य विधिवत् नाम ही स्वीकार कर लिया जाता है, जोकि वास्तविक नाम से सर्वथा भिन्न होता है। वास्तविक नाम के रूप मे प्रतीत होने वाले इस प्रकार के नामो को वास्तविक नामो की धाराओं के अनुसार ही लिखना चाहिए। जहा तक नाम के पदो की परिवृत्ति (बदल) का सबन्ध है, वहा तक यह भी सभव है कि किसी घटना अथवा प्रथा के कारण ग्रथकार का वास्तविक नाम भुला दिया गया हो और वह अपने सच्चे नाम के अतिरिक्त अन्य किसी नाम से स्मरण किया जाता हो।

इसके अतिरिक्त, वास्तविक नाम के पदो को पूर्णत अथवा कुछ पदो को छोड कर शेष को तोड-मरोड दिया जाता है। यदि नामान्त्य पद उसी प्रकार रक्खा जाय और नामाद्य पद में से एक दो पदो को लुप्त कर दिया जाय तो उसे कल्पित नाम नही कहा जायगा।

कल्पित नाम बनाने का एक ढग और यह भी है कि नाम के घटक अक्षरों को आग पीछे कर दिया जाय। इस प्रकार के हेरफेर से संसार में सदा नामो का निर्माण होता ही रहा है। किन्तु प्रत्येक जाति के जीवन मे कुछ काल ऐसे भी होते है जब इस प्रकार के वर्ण-हेरफेर से होने वाले नाम-निर्माण एक महामारी का रूप ले लेते है। सूचीकरण के अध्येताओ की यह प्रबल इच्छा हो सकती है कि सास्कृतिक इतिहास के *अध्येता इस प्रकार के कालो का अन्वेषण एव परीक्षण करे।*

वर्णों की हेरफेर से बने कल्पित नामो के एक भेद मे हम यह भी पाते है कि नाम में आने वाले सभी अक्षर नही अपितु कुछ चुने हुए अक्षरों को हेरफेर के लिए ले लिया जाता है।

नाम के रूप बदलने का एक प्रकार यह भी है कि वास्तविक नाम के अन्त में अन्य पदों अथवा अक्षरो को प्रविष्ट कर दिया जाय।

वास्तविक नाम को सर्वथा हटाकर उसके स्थान मे वर्णक वचन का प्रयोग एक और प्रकार है जिससे कल्पित नाम बनाया जाता है। इस प्रकार के कल्पित नाम के निर्माण के लिए जन्मस्थान, निवास-स्थान, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, विशिष्ट सम्बन्ध, जन्मपत्री विपयक विशेषताए, वैयक्तिक विशेषताए, राजनैतिक झुकाव, पूर्व प्रकाशित प्रकाशन आदि प्रत्येक प्रकार की वस्तु का आश्रय लिया जाता है।

इनके अतिरिक्त एक और भी प्रकार है जिससे कल्पित नाम बनाए जाते है। नामाग्राक्षरों का तथा नामान्त्याक्षरो का उपयोग अथवा उन दोनो का संयोग। यहा भी प्रत्येक प्रकार की हेरफेर सभव है। उन अक्षरो को इस प्रकार एक साथ लिखा जा सकता है कि *उनके बीच कोई सयोजक अव्यय न लगाया जाय और उनका एक* अग्राक्षर नाम बन जाय। इस प्रकार के कल्पित नाम समष्टियों के भी होते है।

इनके अतिरिक्त कल्पित नामों के और भी प्रकार है। एक ही कल्पित नाम दो या अधिक सह-ग्रन्थकारो का वाचक बनाया जा सकता है। इसके विपरीत, द्विगुणित अथवा त्रिगुणित कल्पित नामो को आख्या-पत्र पर देखकर सूचीकार यह अनुमान लगा सकता है कि वह ग्रन्थ सह-ग्रन्थकारो द्वारा लिखा हुआ है,जबकि वस्तुत उसका ग्रन्थकार एक ही है। इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति अपने विभिन्न ग्रंथो मे विभिन्न कल्पित नामो का प्रयोग करते है। ऐसे भी उदाहरण है जहा एक ही ग्रन्थकार ने एक दो नही, परन्तु पच्चीस विभिन्न कल्पित नामो का उपयोग किया है। दूसरी ओर विभिन्न ग्रन्थकार का एक ही कल्पित नाम होता है। ऊपर दिए हुए उदाहरणो में उपर्युक्त विशेषताओ में से कतिपय का निर्देशन किया गया है।

कल्पित नामों को रख लेना तथा प्राप्त हो जाना एक ऐसी समस्या है जिसके द्वारा सूचीकार किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। उसके और भी कई प्रकार हैं, किन्तु उनमें से एक यह भी है। विद्वत्ता के संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि ग्रन्थालयियो के ग्रन्थ सूची-विषयक उत्साह को संघटित किया जाय और ग्रन्थकारों की वास्तविकता (तत्ता) को उद्घाटित किया जाय। आधुनिक काल मे जर्मन ग्रन्थालयी अग्रणी मालूम पड़ते है जिन्होने इस ग्रन्थ-विषयक समस्या की ओर ध्यान दिया। विन्केन्तियुस प्लाकियुस का ग्रन्थ **थेआत्रुमअ नानिमोसम एट स्पेउदोविमोसम** १७०८ ई में प्रकाशित हुआ। योहान क्रिस्तॉफ मिलियुस के ग्रन्थ **बिब्लियोथेक अनानिमोकम एट स्पेउदोनिमोसम डटेक्टोसम** के दो संपुट १७४० ई. में हेम्बर्ग से प्रकाशित हुए। इनके प्रकाशन से अन्य देशो के ग्रन्थालयियो को भी प्रेरणा मिली, ऐसा प्रतीत होता है। सर्वप्रथम फ्रास ने उनका अनुसरण किया। आत्वान् अलेक्साद्र बार्ब्ये ने १८०६-१८०९ के बीच अपने ग्रन्थ **दीक्स्योनेक देज़ ऊव्राज अनोनीमुज ए प्सेउदोनिम** के ४ संपुट प्रकाशित किए। गाएतानो मेल्ज़ि ने **दीन्स्योनार्यो दि ओपेरे अनोनिमे ऍ पस्य उदोनिमे दि स्क्रितोरि ईतल्यानि** के तीन संपुटो को १८४८-५६ के बीच प्रकाशित कर इटली की आवश्यकताए पूर्ण की। रवोलिन के ग्रन्थ **एनोनिमेर आग स्यूदोनिमेर** ने १८६६ में डेनिश, नारवेजियन तथा आइसलैंडिक ग्रन्थालयो की आवश्यकताए पूर्ण की। दोनिङ्क ने १८८३-१८८५ के बीच हालैण्ड को अपने ग्रन्थ **वेर्मोंग्दे एन् नाम्लोजे स्खेवेर्स ओप्गेस्पोर्द ओप हेत् गेबीत्** के दो संपुट भेट किए।

ग्रेट ब्रिटेन के ग्रन्थालयियों ने प्राय एक शताब्दी तक इस प्रश्न का अनुसंधान किया। कुछ ही वर्ष पूर्व, **डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एण्ड स्यूडोनिमस इंगलिश लिटरेचर** की नवीन महामहिम-सम्पन्न आवृत्ति प्रकाशित हुई, जिसे सर्वप्रथम एडिनबरा के एडवोकेट ग्रन्थालय के ग्रन्थालयी सेमुएल हेलकेट ने आयोजित किया था, और आगे चलकर दूसरो ने जारी रखते हुए परिवर्द्धित तथा पूर्ण किया। इसका अन्तिम संपुट १९३२ में प्रकाशित हुआ है। उसके प्रारम्भिक पत्रों में एक टिप्पणी दी गई है जिसमे यह कहा गया है कि समय समय पर उसके पूरक संपुट प्रकाशित किये जायेंगे। इनकी अपेक्षा अधिक संक्षिप्त रूप का एक और भी कोश है। उसका नाम है, **एनानिमा एण्ड स्यूडोनिमा** और इसे चार्ल्स ए. स्टेनहिल तथा अन्य लोगो ने बनाया था। यह चार लघु संपुटों में १९२६-२७ में प्रकाशित हुआ।

किन्तु हमारे भारत की क्या दशा है ? कल्पित नामो की रचना करने मे भारतीय ग्रन्थकार किसी भी अन्य देश के ग्रन्थकारो से पिछड़े नही है। वे अन्य विषयो की तरह इसमें भी बडे ही कुशल है। भारतीय ग्रन्थालयी अब तक उन नामों का रहस्योद्घाटन करना प्रारम्भ नही कर सके है। यह उन ग्रन्थकारो का दोष नही है। हम यह नही कह सकते कि भारत के ग्रन्थालय सघ कब इस समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त शक्ति तथा प्रेरणा संगृहीत कर सकेगे। व्यवसायी ग्रन्थालयी तो अभी-अभी क्षेत्र में आने प्रारम्भ हुए हैं। चाहे एक व्यक्ति का जीवन हो, समाज का हो अथवा व्यवसाय का हो, उसके आरम्भिक वर्षों में कठिन समस्याओ को सुलझाने में अध्यवसाय तथा लगन का प्राय. अभाव ही होता है। उसके आरम्भ होने मे कुछ समय लग ही जाता है। इस प्रकार के ग्रन्थ-सूची सम्बन्धी कार्य के सपादन के लिए पारस्परिक सद्भावना, सहयोग से समन्वित शास्त्रीय दृष्टिकोण तथा 'संभूय-समुत्थान' की भावना आवश्यक होनी है। इसके अतिरिक्त यह भी वाछनीय है कि क्षणिक, प्रबन्धात्मक और अन्य प्रकार के स्वार्थ दूर हो जाय तथा उनके स्थान मे पूर्वोक्त भावना का उदय हो। किन्तु ऐसा होने में वर्षो लगेगे। परन्तु यह होगा अवश्य चाहे आज हो या कल। यह उतनी जल्दी नही होगा जितनी जल्दी हम चाहते हैं।

भारतीय ग्रन्थालयी के सिर पर तो और भी अधिक दुर्धर्ष पैतृक सम्पत्ति लादी गई है। यह एक प्रकार का पारितोषिक है तथा दण्ड भी है। कारण यह है कि उसकी राष्ट्रिय सस्कृति अप्रतिम प्राचीनता से परिप्लुत है। आज से हजारों वर्ष पूर्व उसके पूर्वज अद्भुत एव अनुपम प्रतिभा से सम्पन्न थे, और उन्होने उस प्रतिभा के सैकडों-हजारो अनुपम चमत्कार दिखलाए है, जिनसे आज भी संसार की आंखे चुंधिया रही है। ससार का कोई भी देश उतने प्राचीन साहित्यिक अवशेषों का उदाहरण नही प्रस्तुत कर सका है। भारतीय सस्कृति एवं साहित्य की यही अति-प्राचीनता भारतीय ग्रन्थालयी के लिए वरदान एव अभिशाप दोनो ही है।

ग्रन्थकारो द्वारा काल्पनिक एव अर्ध-काल्पनिक नामो के ग्रहण का जहा तक सम्बन्ध है, आज से हजारो वर्ष पूर्व, उस पुरातन युग में भी मानव स्वभाव ठीक उसी प्रकार का था जैसा आज है। परिस्थिति यही तक जटिल होती तब भी कुशल था। किन्तु जटिल को और जटिलतर बनाने के लिए परम्पराओं के अनेक स्तर बीच में आ मिले है। उनसे परिस्थिति और भी विषम हो गई है। उन परम्पराओ में से कम से कम कुछ तो भ्रामक है। वे प्राय उसी युग से सम्बद्ध है जो अभी अभी बीता है

और जब भारत अवनति के गहरे गर्त में गिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त जटिलता का और भी एक कारण है। समय के प्रभाव से ग्रन्थकार का वास्तविक नाम तो भुला दिया गया और उसके स्थान पर एक अवान्तर-नाम ने स्थान प्राप्त कर लिया। वही लोगों के मन में रम गया। ग्रन्थकार के समसामयिक, उससे अध्ययन करने वाले शिष्य तथा अपने ग्रन्थों में उसका उल्लेख करने वाले अन्य ग्रन्थकार तक उसी अवान्तर नाम से उस ग्रन्थकार का स्मरण एवं उल्लेख करने लगे। वास्तविक नाम का कहीं चिन्ह् तक भी न रहा।

इन परिस्थितियों में केवल ग्रन्थालय व्यवसाय के लिए यह सम्भव नहीं हैं कि वह स्वतन्त्र रूप से उन प्राचीन कल्पित नामों का रहस्योद्‌घाटन कर सके। वस्तुत यदि विचारा जाय तो यह उन अदम्य प्रतिभा-सम्पन्न भारतीय-ज्ञान-उपासको के सहयोग-पूर्ण उद्योग का क्षेत्र है जो उपासक भारतीय ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नैपुण्य प्राप्त कर रहे हैं। कतिपय विदेशी विद्वानों ने इस विषय में आरम्भिक कार्य किया भी है। विदेशी सस्कृति में पले हुए व्यक्ति, चाहे कितने ही उत्साह से पूर्ण हों, किन्तु इस प्रकार के विशाल एवं जटिल क्षेत्र में वे कर ही क्या सकते हैं? वह समय आ गया है जबकि भारतीय विश्वविद्यालयो के कतिपय प्रतिभाशाली भारतीय नवयुवक उपर्युक्त ग्रन्थ सूचीय उद्यन्मुखीकरण को दृष्टिपथ में रखकर इस ओर अपने प्रयत्न जुटा दें। ग्रन्थालय-व्यवसाय के व्यक्ति भी उन्हें सहयोग दें। यह निश्चित है कि वे उन्हें उनके कार्य में बहुत कुछ सहायता कर सकेंगे। कल्पित नामों का प्रामाणिक कोश निर्माण करने के लिए इस प्रकार के लोगों की एक समुदाय को कतिपय दशाब्दियों तक काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ऐसे कोश का निर्माण हो सकेगा। किन्तु जब तक ऐसे कोश का प्रकाशन नहीं हो जाता तबतक ग्रन्थालय मनोवाछित फल नहीं दे सकते, तथा भारतीय-ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में होने वाले गवेषणा-प्रयत्न अन्धकार के गर्भ में समाते रहेंगे।

'सस्कृत-साहित्य में ग्रन्थकारीय बहुनामता तथा एकनामता' इस विषय पर निम्नलिखित लघु-लेख के लिए हम अपने परम मित्र स्वर्गीय महामहोपाध्याय, विद्यावाचस्पति एम० कुप्पु स्वामी शास्त्री, सस्कृत एवं तुलनात्मक भाषाशास्त्र प्राध्यापक, प्रेसिडेन्सी कालेज, मद्रास, तथा क्यूरेटर, गवर्नमेंट ओरिएन्टल मेनुस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी (संरक्षक, राजकीय-प्राच्य-लिखित-ग्रन्थ-ग्रन्थालय), मद्रास, के आभारी हैं।

संस्कृत-साहित्य में ग्रन्थकारीय बहुनामता तथा एकनामता

मस्कृत साहित्य में दो मनोरजक ग्रन्थ-विषयक वैचित्र्य के अनेक उदाहरण प्राप्त होते है। वे वैचित्र्य ये है —

ग्रन्थकारीय बहुनामता (एक ही ग्रन्थकार के अनेक नामो की विद्यमानता); तथा

ग्रन्थकारीय एकनामता (विभिन्न ग्रन्थकारो का किसी एक ही नाम द्वारा विख्यात होना)।

ग्रन्थालय शास्त्र के निर्माता तथा अध्येताओ के लिए, ग्रन्थालय वर्गीकरण तथा सूचीकरण की धाराओ के निर्माण-प्रयत्न में, उपर्युक्त दो वैचित्र्य अनेक प्रकार की विषम एव मनोरजक समस्याए प्रस्तुत करते हैं। सस्कृत साहित्य के वर्तमान इतिहासकारो के लिए जो विभिन्न कठिनाइया उनके द्वारा उपस्थित होती है उनकी तो बात ही और है। बहुनामता में केवल वे कल्पित नाम ही नही आते जो ग्रन्थकारो द्वारा स्वय अपना लिए जाते हैं और न केवल उन ग्रन्थकारो पर अन्य व्यक्तियो द्वारा विनोद के लिए लादे हुए विनोद नाम ही आते हैं, अपितु पितृकुलीय तथा मातृकुलीय नाम, गोत्रनाम, विद्या-उपाधि, प्रेमसम्बोधन-नाम, सक्षिप्तनाम, सन्यास-परिगृहीतनाम, अनूदित समानार्थक तथा वाक्य-विषयक-उपकल्पन सभी कुछ आ जाते है। एकनामता में वे सब विषय आते हैं जहा मुख्यत अपने पूर्वज, देव, देविया, साधु, सन्त, महात्मा, विख्यात ग्रन्थकार, आश्रय-दाता और कभी कभी राजाओ तक के नामो के अनुरूप ही नामो के रखने की पुरातन प्रथा के कारण विभिन्न व्यक्ति एक ही नाम से पुकारे जाने लगते है। बहुनामता तथा एकनामता के अनेक स्थलो पर वास्तविक निदानभूत कारणो को ठीक ठीक ढूंढ निकालना असभवप्राय ही रहता है। किन्तु जहा तक अपर नामो का सम्बन्ध है, वहा तक तो विनोद प्रवृत्ति, गूढताजनक प्रवृत्ति, आदर-श्रद्धा-भाव, प्रथा या परम्परा, वात्सल्य या प्रेम करने की प्रवृत्ति अथवा विनोदार्थ अनुकरण करने की प्रवृत्तियों को कारण-स्वरूप माना जा सकता है। बहु-नामता-विषयक अपर-नाम तथा एकनामता विषयक समानार्थक नाम अपराधो के अन्वेषण में तथा व्यवहार-विषयक आरोपो के सम्बन्ध में जितनी कुछ कठिनता तथा जटिलता उपस्थित कर सकते है उससे भी कही अधिक व्याकुलता ग्रन्थालय वर्गीकरण तथा सूचीकरण के सम्बन्ध में उपस्थित कर सकते हैं। प्रथम तथा द्वितीय दोनो विषयो में विश्वास पात्र साक्ष्य पर आधारित चिरायात व्यवहार (प्रथा)

की सहायता से हम अपनी कठिनाइयो को बहुत कुछ अशो तक दूर कर सकते है। किन्तु द्वितीय विषय में जहाँ कि न्यूनतम समय तथा कष्ट के द्वारा यथासभव बहुतम लाभजनक शास्त्रीय सूचीकरण मुख्यत उद्दिष्ट है, वहा कुछ विशिष्ट रीतियो का आविर्भाव करना ही पडेगा। सस्कृति अभ्युत्थान में प्रयत्न-शील कोई भी सस्था यदि भारतीय साहित्य के ग्रन्थकारो की बहुनामता तथा एकनामता के कोश निर्माण का महाकार्य अपने हाथ मे ले ले तो यह बडा महत्त्वपूर्ण कार्य होगा। इसमें कोई संदेह नही। साथ ही यह कार्य ऐसा प्रमाणित होगा जिसमे बहुसख्यक विद्वान अनेक वर्षों तक विवेक तथा बुद्धिमत्ता से पूर्ण, मनोरजक तथा लाभदायक गवेषणा के लिए विशाल क्षेत्र पाते रहेगें।

निम्नलिखित उदाहरणो द्वारा यह ज्ञात हो जायेगा कि ग्रन्थकारीय बहुनामता तथा एकनामता से सम्बद्ध समस्याए किस प्रकार की है तथा कितनी जटिल है। नीचे दिए हुए सभी नाम ऐसे है जो भारतीय साहित्य के वर्गीकरण में अवश्यमेव स्थान पायेंगे।

सस्कृत साहित्य में व्यास एक प्रसिद्धतम नाम है। वे महाभारत के प्रसिद्ध निर्माता है। उन्होने अनेक पुराण लिखे है यह कहा जाता है। उन्हे कृष्ण-द्वैपायन भी कहा जाता है। इस नाम द्वारा उनके वर्ण (रग) तथा जन्मस्थान का बोध कराया जाता है। कुछ ग्रन्थो में वे अपने पितृकुलीय नाम पाराशर्य तथा कुछ ग्रन्थो मे मातृकुलीय नाम सत्यवती-सुत के नाम से विख्यात है। ब्रह्मसूत्र के प्रणेता बादरायण उनसे अभिन्न बताए जाते है। योगसूत्र पर विरचित व्यास भाष्य नामक प्रसिद्ध भाष्य व्यास द्वारा प्रणीत है यह विश्वास किया जाता है। व्यासराय तथा व्यासतीर्थ नाम से प्रसिद्ध कुछ तदनुभावी ग्रन्थकार व्यास नाम को धारण करते थे। अन्तिम तीन विषयो में हमें एकनामता के भी उदाहरण प्राप्त हो सकते है। यदि इन सब नामो का एक साथ विचार किया गया तो हमें यह ज्ञात हो जायेगा कि ग्रन्थकारीय बहुनामता, एकनामता, पितृकुलनामता तथा मातृकुलनामता कितने विविध प्रकारो में एक दूसरे से सकीर्ण हो सकती है।

वाल्मीकि रामायण के प्रणेता है। उन्हे प्राचेतस भी कहा जाता है और यह उनका पितृकुलीय नाम है। अनुगामी साहित्य में एक तामिल कवि तथा एक प्राकृत वैयाकरण दोनो वाल्मीकि कहे जाने लगे। वर्तमान काल मे प्रेसिडेन्सी कॉलेज के गृहीतावकाश तेलुगु प्राध्यापक श्री सुब्बाराव अपने तेलुगु रामायण के कारण आन्ध्र वाल्मीकि कहे जाने लगे।

कौटलीय तथा कौटिलीय नाम से प्रसिद्ध, प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के विख्यात ग्रन्थ के प्रणेता कौटल्य तथा कौटिल्य नाम से पुकारे जाते है। प्रथम नाम उनका गोत्र-नाम है और द्वितीय संभवतः उसका विनोद-नाम है। इस ग्रन्थकार को चन्द्रगुप्त के प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य से अभिन्न माना जाता है।

वैशेषिक सूत्र के प्रणेता कणाद का तो कुछ स्थानों में काश्यप तथा कुछ अन्य स्थानों में उलूक (उल्लू) इस नाम से भी उल्लेख किया जाता है। काश्यप ग्रन्थकार का गोत्र-नाम है तथा कणाद और उलूक ये दोनो विनोद-नाम है।

न्यायमूत्र के प्रणेता गौतम अपने विनोद-नाम अक्षपाद से भी विख्यात है। गौतम उनका गोत्र नाम है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखने योग्य है कि सिद्धार्थ धार्मिक नाम के धारी तथा बौद्ध धर्म के सस्थापक, गौतम इस अपने गोत्र नाम से भी प्रसिद्ध है। सूचीकारो को इस सम्बन्ध मे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि **गौतम-धर्म-सूत्राणि** इस आख्या वाले धर्म शास्त्र-साहित्य के एक प्राचीन सूत्र ग्रन्थ के प्रणेता का भी *नाम गौतम था।*

प्रसिद्ध संस्कृत वैयाकरण पाणिनि कुछ स्थानो में अपने मातृकुल-नाम दाक्षी पुत्र से भी उल्लिखित किए जाते है।

भारतीय परम्परा की प्रसिद्धि के अनुसार,पतंजलि को उनके नामान्तर गोनर्दीय से भी उल्लिखित किया जाता है। इस नाम का तात्पर्य निवास-स्थान से हो यह माना जाता है। पतंजलि का उल्लेख फणि तथा शेष नाम से भी किया जाता है। उसका आधार यह विश्वास (परम्परागत-प्रसिद्धि) माना जाता है कि वे सहस्र फण-धारी भगवान् सर्पराज के अवतार-स्वरूप थे।

उपवर्ष ने जैमिनि तथा बादरायण के सूत्रो पर एक प्राचीन वृत्ति (व्याख्या) लिखी है। वेदान्त देशिक के वचनानुसार उनका गोत्रनाम बोधायन था। वेदान्त साहित्य में उन्हे इन दोनो नामों से उल्लिखित किया गया है।

विशिष्टाद्वैतियो के प्रसिद्ध वाक्यकार के तीन नाम थे—ब्रह्मनन्दिन, टंक तथा आत्रेय। संभवतः प्रथम उनका वास्तविक नाम था, द्वितीय उनका विनोद-नाम था तथा तृतीय उनका गोत्र-नाम था।

मीमांसा-वार्तिक के प्रसिद्ध ग्रन्थकार कुमारिल का एक आश्चर्यजनक विनोद नाम था—तुतातित। इस विनोद-नाम की उत्पत्ति का कारण रूप-परिवर्तनात्मक प्रवृत्ति है, जिसके कारण व्यंजनो को दन्त्य स्थानीय बनाकर सब व्यंजनों के स्थान मे दन्त्य 'त' रखकर रूप-परिवर्तन किया गया है। प्राचीन भारत मे यह एक साधारण

भी प्रवृत्ति पाई जाती है । कारण, राजशेखर ने अपने नाटक बालरामायण का नाम उसकी प्रस्तावना में 'तातततातततम्' दिया है ।

कुमारिल के शिष्यों में, प्रभाकर-सम्प्रदाय के परमाचार्य प्रभाकर गुरु अपर-नाम से भी विख्यात थे। विश्वरूप ने जब सन्यास धारण किया और शंकराचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया तब उनका सन्यासी नाम सुरेश्वर पड़ा । भट्टोम्बक से नाटककार के रूप में भवभूति नाम प्रसिद्ध हुआ ।

धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध पद्यात्मक ग्रन्थ याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रणेता याज्ञवल्क्य का योगीश्वर अपर-नाम भी था ।

शैव धर्म-ग्रन्थों में सन्त अप्पर के अपर-नाम थे वागीश तथा तिरुनावुक्करसु । ये दोनों एक दूसरे के अनूदित पर्याय हैं । श्री वैष्णव धर्म-ग्रन्थों में नम्माकवार के कारिमारन, पराकुशन तथा शठकोपन अपर-नाम सुने जाते हैं । नम्माकवार के इन तीन नामों में प्रथम उनके पितामह के नाम मारन तथा पिता के नाम कारि पर आधारित हैं । द्वितीय प्रतिष्ठासूचक है जिसे पिता के आश्रय-दाता राजा पराकुश ने पुत्र (नम्माकवार) को प्रदान किया था । तृतीय नाम संस्कृत नाम है जो श्री वैष्णव धर्म पर लिखे गए संस्कृत साहित्य में नम्माकवार को दिया गया था । सिद्धित्रय तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के प्रणेता यामुनाचार्य आकवन्तार अपने तामिल अपर-नाम से भी विख्यात थे । विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय के आचार्य, भाष्यकार, रामानुज लक्ष्मणमुनि अपर नाम से भी विख्यात हैं और ये दोनों नाम अनूदित पर्याय स्वरूप हैं । वेदान्त देशिक का दूसरा नाम वेदान्ताचार्य है । उनका तीसरा नाम भी है—वेंकट-नाथ । प्रथम दोनों नाम धर्माचार्य के रूप में दिए गए हैं । तृतीय नाम उनका वास्तविक नाम है । इसी नाम से उनके काव्य ग्रन्थों में उनका उल्लेख है ।

प्रसन्नराघव नाटक के प्रणेता जयदेव और न्यायशास्त्र सम्बन्धी के ग्रन्थ मण्यालोक के रचयिता पक्षधर मिश्र अभिन्न हैं ।

शांकर भाष्यों के प्रसिद्ध मर्मज्ञ आनन्दगिरि के आनन्दज्ञान तथा जनार्दन ये दो अवान्तर नाम थे । प्रथम दो नाम उन्होंने संन्यासी के रूप में ग्रहण किए थे । अन्तिम नाम सभवत. ऐहलौकिक था, जो उनका सन्यास धारण करने के पूर्व रहा होगा । खण्डन-खण्ड-खाद्य के टीकाकार सन्यासी आनन्दपूर्ण विद्यासागर भी कहे जाते हैं ।

प्रसिद्ध कवि एवं अलंकार-शास्त्री जगन्नाथ को सामान्यतः पण्डितराज नाम से पुकारा जाता है। प्रतापरुद्र यशोभूषणके प्रणेता का वास्तविक नाम अगस्त्य

है, जबकि उन्हे इसके विरुद्ध विद्यानाथ मे ही जाना जाता है। प्रसिद्ध मीमांसक विश्वेश्वर सामान्यत. अपने विनोद-नाम गागाभट्ट से विख्यात हैं।

धर्म शास्त्र-निबन्ध के एक प्रसिद्ध प्रणेता वैदिक सार्वभौम अपने तामिल नाम तोंकप्पर से ही अधिक विख्यात है।

वर्तमान काल में, अनेक सस्कृत ग्रथो के प्रणेता, दक्षिण भारत के सर्वप्रसिद्ध सस्कृत विद्वान ब्रह्म श्री राजुशास्त्रीयर ने अपने पूर्ण नाम त्यागराजमखिन् को अपने ग्रंथकारीय नाम के रूप में ग्रहण किया है।

ग्रन्थालय वर्गीकरण तथा सूचीकरण मे ग्रथकारीय बहुनामता तथा एकनामता से सम्बन्ध विविध समस्याओ को ध्यानपूर्वक तथा सफलतापूर्वक सुलझाना चाहिए, अन्यथा हानिकर त्रुटिया उच्चतर गवेषणा कार्य को विफल बना देगी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण असगत न होगे।

प्रकटार्थ विवरण नामक अद्वैत ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र शाकर भाष्य पर अत्यन्त महत्व-पूर्ण टीका है। प्रकटार्थ विवरण के वास्तविक ग्रन्थकार का नाम अब तक निर्धारित नही किया जा सका है। बहुधा उनका उल्लेख प्रकटार्थकार (प्रकटार्थ के प्रणेता) नाम से किया जाता है। ओरियन्टल ट्रान्सलेशन फण्ड सीरीज (प्राच्य अनुवाद निधिग्रन्थमाला) में प्रकाशित दशपदार्थ शास्त्र की भूमिका मे प्रकटार्थ के प्रणेता का नाम श्रीचरण दिया है। इस उदाहरण में, विवेक-चातुर्य-पूर्ण विद्वान् यह भलीभाति समझ लेगे कि इस विषय मे एक मानसूचक पूर्व-पद को भ्राति से वास्तविक नाम मान लिया गया है। अद्वैत ग्रन्थकार जब प्रकटार्थ के प्रणेता का उल्लेख करते है तब प्रकटार्थकार वाक्याश के पूर्व श्रीचरण आदरसूचक पूर्व पद को जोड देते हैं। प्रकटार्थ-कार श्रीचरण नाम प्रकाशात्म श्रीचरणनाम से समरूप है। प्रकाशात्म श्रीचरण नाम प्रकाशात्मन् नाम का विस्तारित विकल्प नाम है, जो पद्मपाद के पचपादिका ग्रन्थ पर प्रसिद्ध अद्वैत व्याख्या-विवरण के प्रणेता सन्यासी का एक अपरनाम था।

ध्वन्यालोक की व्याख्यालोचन के प्रसिद्ध प्रणेता, लोचन के लिखित ग्रन्थो की पुष्पिकाओ मे महामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त नाम से उल्लिखित हैं। इस विस्तृत महानाम में तीन अश है—"महामाहेश्वर", "आचार्य" तथा "अभिनवगुप्त" इन तीनो मे से प्रथम का अर्थ है शैव सम्प्रदाय के महान् समर्थक। दूसरे का अर्थ है महान् शिक्षक तथा तीसरा ग्रन्थकार का वास्तविक नाम है। इस अश का उत्तरार्द्ध गुप्त पितृकुलीय उपपद है। अलकार-शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ एकावली के प्रणेता को कतिपय लिखित ग्रन्थो मे "महामाहेश्वर" इस एकनामतात्मक उपाधि के द्वारा

वर्णित किया गया है। एकावली के प्रणेता का वास्तविक नाम विद्याधर है तथा इसका लोगो को ही ज्ञान नही है। इसके परिणाम-स्वरूप, बर्नेल द्वारा प्रकाशित ताजोर प्रासाद ग्रन्थालय (ताजोर पेलेस लायब्रेरी) सूची मे निम्नलिखित अव्यवस्था दिखाई पड़नी है। उसमें पृष्ठ ५४ पर एकावली के ग्रन्थकार को "महामाहेश्वर" कवि बनाया गय है। साथ ही वहा यह भी लिखा गया है कि एकावली तथा लोचन के प्रणेता एक ही अभिन्न व्यक्ति है। इसके पोषण स्वरूप यह उक्ति उपस्थित की गई है कि एकावली के ग्रन्थकार के नाम के आगे "आचार्य" तथा "अभिनवगुप्त" ये दो विशेषण जोड दिए गए हैं।

आफ्रेक्ट ने अपनी प्रसिद्ध सूची में (पृष्ठ ४६) आनन्दतीर्थ (=मध्वाचार्य =पूर्णप्रज्ञ) को भ्रमवश आनन्दगिरि (=आनन्द ज्ञान) मान लिया है। इनमें प्रथम तो द्वैत सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य हैं तथा द्वितीय अद्वैत सम्प्रदाय के प्रसिद्ध मर्मज्ञ है।

यह एक उदाहरण है जहा दो विभिन्न ग्रन्थकारो के दो विभिन्न नामों के एक-नामतात्मक अंश ने अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है।

ताजोर प्रासाद ग्रन्थालय (तांजोर पेलेस लायब्रेरी) की नई विवरणात्मक सूची के संपुट ३ के ११७५-६ पृष्ठो पर वर्ण स० १६७४ के नीचे रगरामानुज को "लक्ष्मणयोगीन्द्र का शिष्य" बताया गया है। यहा एक आश्चर्यजनक भूल का उदाहरण है। इसका मूल कारण यह है कि "लक्ष्मणयोगीन्द्र" परमाचार्य भाष्यकार रामानुज के नाम का अनूदित पर्याय है, जिसे भुला दिया गया है।

इन उदाहरणों मे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थालय वर्गीकरण तथा सूचीकरण कार्य में लगे हुए ग्रन्थालयियो के मार्ग में किस प्रकार के अन्धकूप विद्यमान रहते हैं। संस्कृत साहित्य में ग्रन्थकारीय बहुनामता तथा एकनामता से उत्पन्न पूर्वोक्त कठिनाइयो पर विजय पाने के लिए, अविलम्ब अनुभव सेवा के हेतु, इस प्रकरण के प्रथम अनुच्छेद के अन्त में उल्लिखित, प्रमाणिक नाम कोश की नितान्त आवश्यकता है। किन्तु जब तक वह नही बन जाता तब तक, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए, हमें संस्कृत के विशेषज्ञो का सहयोग लेना पड़ेगा। संस्कृत ग्रन्थों के किसी भी महत्वपूर्ण संग्रह के वर्गीकरण तथा सूचीकरण कार्य में लगे हुए ग्रन्थालयी के लिए सबसे बड़ा जो उपदेश दिया जा सकता है वह यही है कि "केवल नामो से ही वह कभी प्रभावित न हो। इसी महामन्त्र का अनुसरण कर वह सब प्रकार की विपत्तियो से अपनी रक्षा कर सकता है।

१२६ सहकार-शीर्षकम्

वरणम्

१२६ १२१-१२५, १२९ धारा-अप्रसक्तौ आख्या-पत्रे सहकार-नाम-मात्रे च तत् शीर्षकम् ।

१२६ प्रथमाध्यायस्थाः १२१ त. १२५ पर्यन्ताः धाराः, तासाम् उपधाराश्च, १२९ धारोपधाराश्च न प्रसक्ताः स्यु. चेत्, आख्या पत्रे च केवलं सहकारस्य एव नाम विद्यते चेत् तदेव शीर्षकमिति स्वीकार्यम् ।

१२६ यदि प्रथम अध्याय की १२१ से १२५ तक की धाराए तथा उनकी उपधाराएं प्राप्त न होती हों; १२६ की उपधाराएं प्राप्त न होती हों तथा आख्या-पत्र पर केवल सहकार का ही नाम दिया हुआ हो तो उसे ही शीर्षक के रूप में लिखा जाय ।

उपकल्पनम्

१२६०१ सहकार-धर्म-सूचकम् परम् ।

१२६०२ तत् वर्णकम् ।

१२६०३ पृथक् वाक्यम् ।

१२६०१ सहकारस्य धर्मस्य सूचकं पदं तस्मात् सहकार-नाम्नः पर लेख्यम् ।

१२६०२ तत् धर्म-सूचकं पदं वर्णकं भवति ।

१२६०३ तत् वर्णक पदं पृथक् वाक्यं ज्ञेयम् ।

उपकल्पन

१२६०१ सहकार के धर्म को सूचित करने वाला पद उस सहकार के नाम के पश्चात् लिखा जाय ।

१२६०२ वह धर्म-सूचक पद वर्णक माना जाय ।

१२६०३ वह वर्णक-पद पृथक् वाक्य माना जाय ।

१२६०३ सहकार के लक्षण के लिए अध्याय ०७ द्रष्टव्य है ।

१२६१ शीर्षकं १२१ धारोपधारानुरूपम् ।

१२६१ शीर्षकम् इति स्वीकृत नाम १२१ धारा तदीयाम उपधारा च अनुसृत्य लेख्यम् ।

१२६१ शीर्षक के रूप में लिया हुआ नाम १२१ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय ।

१२६१ अन्य द्रष्टव्य धारा ०३६६

उदाहरण

१. जिस पुस्तक का आख्यापत्र "हिन्दी काव्य धारा । सपादक । राहुल साकृत्यायन है, उसका शीर्षक

सांकृत्यायन (राहुल) सपा

होगा ।

२. जिस पुस्तक का आख्या पत्र "जातक । अनुवादक । आनन्द कौसल्यायन" है , उसका शीर्षक

कौसल्यायन (आनन्द). भाषा.

होगा ।

३. जिस पुस्तक का आख्यापत्र "कवियो की झाकी । Hindi Golden Treasury । सग्राहक । केदारनाथ गुप्त" है, उसका शीर्षक

गुप्त (केदारनाथ) सग्रा.

होगा ।

१२६२ सहकार-एकाधिक-प्रकारे आख्या-पत्रस्ये एकम् ।

१२६२१ पूर्व-पूर्वम् ।

१२६२ ०७ अध्याये सहकार-लक्षण परिगणिताना सहकाराणा प्रकारेषु एकाधिक. प्रकार आख्यापत्रे विद्यते चेत् एकस्यैव प्रकारस्य सम्बद्ध नाम 'शीर्षकम्' इति स्वीकार्यम् ।

१२६२१ एकाधिकाना सहकाराणा समानबलत्वे सति सहकार-लक्षण-निर्धारित प्राथम्य प्रमाणत्वेन स्वीकार्यम् ।

१२६२ यदि ०७ अध्याय में सहकारों के लक्षण में परिगणित सहकारो के प्रकारो में से एक से अधिक प्रकार आख्या-पत्र में विद्यमान हो, तो केवल एक ही प्रकार से सम्बद्ध नाम को शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२६२१ यदि एक से अधिक सहकार के प्रकारों का समान बल होने के कारण विरोध हो, तो सहकार के लक्षण में निर्धारित प्राथम्य को प्रमाण माना जाय ।

१२६२१ उदाहरण

१ जिस पुस्तक का आख्यापत्र "माण्डूक्योपनिषद । शाकरभाष्य-गौडपादीय कारिका सहित । भाषान्तरकार । स्वामी निखिलानन्द" है ,उसका शीर्षक

शकर भाष्य

होगा ।

२ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र "नार्वे की सर्वश्रेष्ठ कहानिया । आधुनिक नार्वेजियन गल्प । का प्रवेशक । एन्डर्स आँरवेक । द्वारा अनूदित । लघु कथाओ का सग्रह । . । हन्ना एस्ट्रप लार्सेन द्वारा सपादित", उसका शीर्षक

लार्सेन (हन्ना एस्ट्रप) सपा

होगा ।

१२६३ अखण्ड-मूल-उपगत-व्याख्या-मुख्यत्वे व्याख्याकार-नाम शीर्षकम् ।

१२६३० १२१ धारा न प्रमाणम् ।

१२६३ अखण्डेन मूलेन सहितायाम् अपि व्याख्याया मुख्याया सत्या व्याख्याकारस्य एव नाम शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२६३० व्याख्याकारस्य नाम शीर्षकम् इति स्वीक्रियते चेत् १२१ धाराया विरोधस्य शङ्का न कार्या ।

१२६३ यदि व्याख्या अखण्ड मूल से युक्त होते हुए भी मुख्य हो, तो व्याख्याकार का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२६३० यदि व्याख्याकार का नाम शीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाय, तो उसमें १२१ धारा के विरोध की शका न की जाय।

१२६३० उदाहरण

जिस पुस्तक का आख्या-पत्र 'वेदान्त दर्शन । श्री रामानन्द सरस्वती प्रणीत—। ब्रह्मामृतवर्षिणी टीका सहित । सपादक । एस० व्यकटराम बी० ए०, बी० एल०" हो, उसका शीर्षक

रामानन्द सरस्वती भाष्य

होगा।

यहा यह स्पष्ट कर देना उचित है कि आरम्भिक शब्द "श्री तथा अन्तिम शब्द "स्वामी" ग्रन्थकार के नाम से लुप्त कर दिए गए है । कारण, वे केवल मानार्थक "फल्गु" शब्द है ।

१२७ एकाधिक-सहकार-नाम शीर्षक-उपकल्पने १२२ धारोपधारः उपमानम् ।

१२७ १२६ धारोपधारानुरूप शीर्षकत्वेन स्वीकार्येषु सहकार-प्रकारेषु स्वीकृतस्य सहकार-प्रकारस्य एकाधिक नाम आख्या-पत्रे विद्यते चेत् तत् शीर्षकम् १२२ धारा तदीयाम् उपधारा च अनुसृत्य लेख्यम् ।

१२७ यदि १२६ धारा तथा उसकी उपधाराओ के अनुसार शीर्षक के रूप में स्वीकार किए जाने वाले सहकार के

प्रकारो में से एक से अधिक सहकार के प्रकार का नाम आख्या-पत्र पर दिया हुआ हो, तो वह शीर्षक १२२ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय।

१२७ उदाहरण

१ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र

"आधुनिक हिन्दी काव्य। नवीन प्रगति की मौलिक रचनाओ का सग्रह। सपादक। धीरेन्द्र वर्मा। तथा। रामकुमार वर्मा"

हो, उसका शीर्षक

धीरेन्द्र वर्मा तथा **रामकुमार वर्मा** सपा

होगा।

२ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र

'गाधी जी। सम्पादक मण्डल। कमलापति त्रिपाठी (प्रधान सम्पादक)। कृष्णदेव प्रसाद गौड। काशीनाथ उपाध्याय 'भ्रमर'। करुणापति त्रिपाठी। विश्वनाथ शर्मा (प्रबन्ध सम्पादक)'

हो, उसका शीर्षक

त्रिपाठी (कमलापति) इदि सपा

होगा।

३ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र

'ईरान के सूफी कवि। अनुवादक। बाके बिहारी। तथा। कन्हैयालाल"

हो, उसका शीर्षक

बांके बिहारी तथा कन्हैयालाल भाषा

होगा।

१२८ आख्या-प्रथम-पदम्

१२८ प्रकृताध्याय-धारान्तर-अप्राप्तौ आख्या-प्रथम-पदं शीर्षकम्।

१२८०० उपपद-मानपदे न।

१२८००१ 'प्रथम पदम्' इति परम्।

१२८००२ तत् वर्णकम् ।

१२८००३ पृथक् वाक्यम् ।

१२८०१ सामान्यचरित-कोश, सामान्य-वर्ग, सामान्य-शास्त्र, उपयुक्त-कला, समूह-शास्त्र, अन्यतम-ज्ञान-कोशस्य अपि ।

१२८ प्रकृतस्य प्रथमस्य अध्यायस्य अन्या धारा शीर्षक निर्धारणे असमर्था स्यु चेत् आख्याया प्रथम-पद शीर्षकमिति स्वीकार्यम् ।

१२८०० उपपद मानपद च आख्याया प्रथम-पदत्वेन न स्वीकार्यम्, अपि तु तस्य लोप कार्य ।

१२८००१ शीर्षकत्वेन स्वीकृतात् आख्याया प्रथमात् पदात् पर 'प्रथम-पदम्' इति लेख्यम् ।

१२८००२ तत् 'प्रथम-पदम्' इति पद वर्णकम् इति ज्ञेयम् ।

१२८००३ तत् वर्णक पद पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

१२८०१ सामान्य-चरित-कोशस्य, सामान्य-वर्ग-ज्ञान-कोशस्य, सामान्य-शास्त्र-ज्ञान-कोशस्य उपयुक्त-कला-ज्ञान-कोशस्य, समूह-शास्त्र-ज्ञान-कोशस्य च आख्या-प्रथम-पद शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२८ यदि प्रकृत अध्याय की और धाराएं शीर्षक के निर्धारण करने में असमर्थ हो, तो आख्या का प्रथम पद शीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाय ।

१२८०० उपपद और मानपद को आख्या के प्रथम पद के रूप में स्वीकार न किया जाए, अपितु उसका लोप कर दिया जाय ।

१२८००१ शीर्षक के रूप में स्वीकृत किए हुए आख्या के प्रथम पद के पश्चात् 'प्रथमपद' यह लिखा जाय ।

१२८००२ वह 'प्रथमपद' वर्णक माना जाय ।

१२८००३ वह वर्णक पद पृथक वाक्य माना जाय ।

१२८०१ सामान्य-चरित-कोश, सामान्यवर्ग-ज्ञान-कोश, सामान्य-शास्त्र-ज्ञान कोश, उपयुक्त कला ज्ञान-कोश तथा समूह-शास्त्र ज्ञान-कोश के आख्या में आए प्रथम पद को शीर्षक के रूप में लिया जाय।

१२८०१ अन्य द्रष्टव्य ०३६६

उदाहरण

ऋग्वेद प्रथमपद

१२८१ आख्या-पत्र-इतर-स्थान-उपलब्ध-ग्रन्थकार नाम्नि तत् अपि ।

१२८११ वर्णकात् परम् ।

१२८१२ 'विरचित' इति नाम्नः परम् ।

१२८१३ ते कोष्ठके ।

१२८१३१ ग्रन्थस्थं वृत्ते ।

१२८१ १२८ धारा विषयक-ग्रन्थस्य ग्रन्थकारस्य नाम आख्या-पत्रात् इतरस्मिन् ग्रन्थस्यैव क्वचन भागे उपलभ्यते चेत् तत् अपि लेख्यम् ।

१२८११ तत् ग्रन्थकार-नाम वर्णकात् पदात् पर लेख्यम् ।

१२८१२ तस्मात् ग्रन्थकारस्य नाम्न पर 'विरचित' इति पद लेख्यम् ।

१२८१३ ग्रन्थकार-नाम 'विरचित' इति पद च उभे अपि कोष्ठके लेख्ये ।

१२८१३१ ग्रन्थकार-नाम ग्रन्थे एव उपलभ्यते चेत् तत् वृत्त-कोष्ठके लेख्यम् ।

१२८१ यदि १२८ धारा सम्बन्धी ग्रन्थ के ग्रन्थकार का नाम

आख्या-पत्र से इतर अन्य किसी स्थान में उपलब्ध हो, तो वह भी लिखा जाय।

१२८११ वह ग्रन्थकार का नाम वर्णक पद के पश्चात् लिखा जाय।

१२८१२ उस ग्रन्थकार के नाम के पश्चात् 'विरचित' यह पद लिखा जाय।

१२८१३ ग्रन्थकार का नाम तथा 'विरचित' यह दोनों पद कोष्ठक में लिखे जायं।

१२८१३१ यदि ग्रन्थकार का नाम ग्रन्थ में ही उपलब्ध हो, तो वह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय।

१२८१३१ उदाहरण

विलियम प्रथमपद (सी डी ब्रॉड विरचित)

प्रस्तुत पुस्तक में आख्या-पत्र पर केवल

"विलियम अर्नेस्ट। जॉनसन। १८५८-१९३१"

इतना ही दिया हुआ है, किन्तु ग्रन्थकार का नाम पुस्तक के अन्त में दिया हुआ है।

१२८१३२ बहिःस्थं ऋजौ।

१२८१३२ ग्रन्थकार-नाम ग्रन्थात् बहि उपलभ्यते चेत् तत् ऋजु कोष्ठके लेख्यम्।

१२८१३२ यदि ग्रन्थकार का नाम ग्रन्थ से बाहर उपलब्ध हो तो वह ऋजु-कोष्ठक में लिखा जाय।

१२८१३२ उदाहरण

लिसि प्रथमपद [श्रीमती ई. सी गास्केल विरचित]

१२९१ जटिलता.

.१२९१ वचनानां वक्तृ-नाम शीर्षकम्।

१२९१ वचनाना सम्बन्धे, यस्य जनस्य वचनानि सगृही-
तानि भवन्ति तस्य नाम शीर्पकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२९१ प्रवचनो के सम्बन्ध में, जिस व्यक्ति के प्रवचनो का सग्रह किया गया हो उसका नाम शीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाय ।

१२९१ <u>उदाहरण</u>

१ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र—

"गाधी-वाणी । [विषय और काल क्रम से चुनी हुई गाधीजी की सूक्तिया]। सग्राहक एव सम्पादक । श्री रामनाथ 'सुमन "

है, उसका शीर्षक

गाधी (मोहनदास करमचन्द)

होगा ।

२ इसी *प्रकार, जिस पुस्तक का आख्या-पत्र*

"श्री रामकृष्ण वचनामृत । (श्री 'म') । अनुवादक । प० सूयकान्त त्रिपाठी निराला "

है, उसका शीर्षक

रामकृष्ण

हागा ।

१२९१७१ एक - एकाधिक - व्यक्ति - अन्योन्य - सन्देश-पत्राणाम् एकनाम शीर्पकम् ।

१२९१७१ एकस्य एकाधिकाना च व्यक्तीनाम् अन्योन्य लिखि-
ताना सन्देश पत्राणाम् एकस्या एव व्यक्ते नाम
शीर्पकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२९१७१ किसी व्यक्ति द्वारा, दो अथवा अधिक व्यक्तियो के साथ किए गए पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में उसी व्यक्ति का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२९१७१ उदाहरण

जिस पुस्तक का आख्या-पत्र

"बापू के पत्र"

हो, उसका शीर्षक

गान्धी (मोहनदास करमचन्द)

होगा।

१२९१७२ व्यक्ति-द्वयस्य उभयम् ।

१२९१७२ उभयो व्यक्त्यो अन्योन्य लिखिताना पत्राणाम् उभयो एव व्यक्त्यो नामनी शीर्षकम् इति स्वीकार्यं ।

१२९१७२ दो अथवा दो ही व्यक्तियो के बीच परस्पर किए गए पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में दोनो व्यक्तियो के नामो को शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२९१७२ उदाहरण

जिस पुस्तक का आख्या-पत्र

"गाधी-जोशी-पत्र-व्यवहार। (६ मई १९४४ से २४ मई १९४५ तक)"

हो, उसका शीर्षक

गाधी (मोहनदास करमचन्द) तथा जोशी (पूरन चन्द्र)

होगा।

१२९८ आख्या-अन्तः-समावेशित-व्यष्टि-ग्रन्थकार-नामत्वे तत् शीर्षकम् ।

१२९८० आख्यायां न ।

१२९८१ मूल-कृति-आत्यन्तिक-विभिन्न-स्वतन्त्र-कृति-कल्प-आवृत्ति-संशोधने तत् न ।

१२९८२ सम्पादक-नाम-शीर्षकम् ।
१२९८३ संशोधक-नाम वा ।
१२९८४ १२६-१२७ धारोपधाराः प्रमाणम् ।
१२९८५ आख्याङ्क-व्यष्टि-ग्रन्थकार-नाम तत्र एव ।

१२९८ व्यष्टि-ग्रन्थकारस्य नाम आख्याया अन्तर्भागे समावेशित चेत् तत् पृथक्कृत्य शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२९८० तत् व्यष्टि-ग्रन्थकारस्य नाम पुन आख्याया न लेख्यम् ।

१२९८१ ग्रन्थस्य नवीना आवृत्ति सशोधन वा मूलकृते अत्यन्त विभिन्नम्, अतएव च स्वतन्त्राकृति एव परिगणनीय चेत् मूल-भूतस्य व्यष्टि - ग्रन्थकारस्य नाम शीर्षकम् इति न स्वीकार्यम् ।

१२९८२ १२९८१ धाराया अवकाशे, आवृत्तौ च मूलात् अत्यन्त विभिन्नाया, सम्पादकस्य नाम शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२९८३ १२९८१ धाराया अवकाशे, सशोधने च मूलात् अत्यन्त विभिन्ने, सशोधकस्य नाम शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

१२९८४ शीर्षकस्य निर्धारणे उपकल्पन च १२६-१२७ धारे, तयो उपधारा १२६-१२७ धारा च प्रमाणम् ।

१२९८५ आख्याया अन्तर्भागे समावेशित व्यष्टि-ग्रन्थकार नाम पृथक् न कार्यम्, अपि तु आख्यायाम् एव स्थाप्यम् ।

१२६८ यदि व्यष्टि-ग्रन्थकार का नाम आख्या के बीच समाविष्ट कर दिया गया हो, तो उसे निकाल कर शीर्षक के रूप में लिया जाय ।

१२६८० उस व्यष्टि-ग्रन्थकार के नाम को फिर आख्या में न लिखा जाय।

१२६८१ यदि ग्रन्थ की नवीन आवृत्ति अथवा सशोधन मूल से इतना अधिक विभिन्न हो कि उसे स्वतन्त्र कृति ही मानें, तो मूल-भूत व्यष्टि-ग्रन्थकार के नाम को शीर्षक के रूप में स्वीकार न किया जाय।

१२६८२ यदि १२६८१ धारा की प्राप्ति हो, तथा आवृत्ति मूल से अत्यन्त विभिन्न हो, तो सम्पादक का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय।

१२६८३ यदि १२६८१ धारा की प्राप्ति हो, तथा सशोधन मूल से अत्यन्त विभिन्न हो, तो सशोधक का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय।

१२६८४ शीर्षक के निर्धारण तथा उपकल्पन के लिए १२६-१२७ धारा एव उसकी उपधाराए प्रमाणस्वरूप मानी जाय।

१२६८५ आख्या के अन्तर्भाग में समावेशित व्यष्टि-ग्रन्थकार का नाम पृथक न किया जाय, अपितु आख्या में ही रखा जाय।

१२६८५ उदाहरण

१ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र

"भूषण-ग्रन्थावली। सम्पादक। श्यामबिहारीमिश्र। तथा शुकदेव विहारी मिश्र'

हो, उसका शीर्षक

भूषण

होगा।

२ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र

"कौटिलीय अर्थ शास्त्र। अनुवादक। उदयभानु सिंह'

हो, उसका शीर्षक

कौटिल्य

होगा।

१३ आख्या अनुच्छेद

१३ आख्या-अनुच्छेदे एक-द्वि-त्रि-भागाः ।

१३००१ अनु-आख्या-पत्र-सूचनं, भाग-निर्धारणम् ।

१३००२ यथा—

१ आख्या;

२ सह-ग्रन्थकार-इतर - सहकार सम्बद्ध सूचनम् ; ‡

३ आवृत्ति-विवरणं च ।

१३०१ आद्य-भागौ एक-वाक्यम् ।

१३०२ अन्त्यः द्वितीयम् ।

१३ आख्या-अनुच्छेदे एक , द्वौ, त्रयो वा भागा भवन्ति ।

१३००१ भागाना निर्धारणम् आख्या-पत्रे विद्यमान सूचनम् अनुसृत्य कार्यम् ।

१३०१ आद्यौ द्वौ भागौ प्रथम वाक्य भवति ।

१३०२ अन्त्य भाग द्वितीयम् वाक्यम् भवति ।

१३ आख्या-अनुच्छेद में एक, दो या तीन भाग होते हैं ।

१३००१ भागो का निर्धारण आख्या-पत्र में विद्यमान सूचन का अनुसरण कर किया जाय ।

१३००२ वे भाग निम्नलिखित हैं —

१ आख्या,

२ सह-ग्रन्थकार से अन्य सहकार से सम्बद्ध सूचन, तथा

३ आवृत्ति का विवरण ।

१३०१ पहले दो भागो का एक वाक्य होता है ।

१३०२ *अन्तिम भाग दूसरा वाक्य होता है ।*

१३०२ आख्या-पत्र पर साधारणत निम्नलिखित में से एक या अधिक वस्तुए पाई जाती हैं —

१ उस ग्रन्थमाला का नाम जिसमें वह पुस्तक छपी हो, तथा उसके सम्पादक का (सम्पादकों के) नाम,

२ आख्या,

३ ग्रन्थकार का (ग्रन्थकारो के) नाम तथा उसकी (उनकी) योग्यताए, प्रतिष्ठा-पद इत्यादि,

४ टीकाकार, सम्पादक इत्यादि के नाम तथा उनकी प्रातिस्विक योग्यताए आदि, और उनके स्वरूप का वर्णन अथवा विशदीकरण,

५ भूमिका, उपोद्घात, परिशिष्ट इत्यादि सहायक अशो के लेखक तथा उनकी प्रातिस्विक योग्यताए आदि,

६ आवृत्ति का निर्धारण,

७ चित्रों के विषय मे सूचना,

८ आदश-वाक्य तथा मुद्रक अथवा प्रकाशक का विशिष्ट मुद्रा-चिन्ह , तथा

९ मुद्रण समकन ।

<u>एग्लो अमेरिकन कोड</u> आख्यादि" नामक अनुच्छेद में '(१)' और "(८)" को छोडकर अन्य सभी वस्तुओ को यथावत् देने का निरूपण करता है तथा उन छोडे हुए (१) और (८) के लोप का भी' त्रिबिन्दुओं '...'द्वारा सूचन कराने का निर्देश देता है। इसका निदान बहुत कुछ तो पूर्ण ग्रन्थ-सूचीय विवरण का स्थायी प्रभाव है। उसका उल्लेख इस अध्याय की धारा १ की व्याख्या मे किया जा चुका है। ग्रन्थ सूचीय आदर्श से कुछ अशो म और अधिक वैषम्य उस अवस्था मे होता है जब हम "(३)" को भी लुप्त कर दें तथा उसके लोप का सूचन ' ' द्वारा कर दें। इससे भी अधिक सारल्य उस अवस्था में हो सकता है जब हम "(५)" को भी लुप्त कर द। हा, इस बात का ध्यान रखे कि उसके द्वारा परिगृहीत सहायक अश अधिक महत्त्व का न हो। इसी अवस्था मे इसका लोप किया जा सकता है, अन्यथा नही।

किन्तु पुरा-मुद्रित तथा असाधारण दुर्लभ अथवा वैचित्र्य से समन्वित ग्रन्थो की तो बात और है। परन्तु साधारण ग्रन्थो के सम्बन्ध मे आख्या-पत्र के प्रति इतनी अधिक अन्धविश्वासपूर्ण आदर-भावना उचित नही है। ग्रन्थ-सूचीय परम्परा तथा अन्ध-श्रद्धा के कारण रुक रुक कर, हिचकिचाहट-भरे, पशात दूरी भाव से भी काम नही चल सकता। इन दोनो बातों का अस्तित्व मिटाना पडेगा। उन्हे हटाकर

उनके स्थान में सूचीकार को ग्रन्थ सूचीकार के परतन्त्रता के पाश को तोडना पडेगा तथा अपनी स्वतन्त्रता साहस-भरे शब्दो मे घोषित करनी पडेगी। यदि ग्रन्थालय-सूची के लक्ष्य का विचार किया जाय तो यह अवश्यमेव स्वीकार करना पडेगा कि और सब बातो के समान होने पर वही आख्यादि सर्वश्रेष्ठ माना जायेगा जो एक दृष्टि मे गोचर हो सके। इस तत्व को ध्यान म रखते हुए तथा धारा १ की व्याख्या मे "(६)" के विषय में जो कुछ कहा गया है उसे विचारते हुए यह कल्प आख्यादि मे अशदान करने के अधिकार को सामान्यत केवल '(२),' '(४)" तथा "(६)" को ही देगा। केवल असाधारण परिस्थितियो मे ही उस अधिकार को "(५)" तक फैला सकेगा। इसके अतिरिक्त, वह ग्रन्थ-सूचीय दासता के बन्धन को तोड देगा तथा अन्य अशो के लोप को बिन्दुओं अथवा अन्य किसी प्रकार से सूचित करने के लिए भी निषेध करेगा।

इतना ही नही, यह दो कदम और आगे बढेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो आख्या पर भी कतरनी चलायगा। कटर ने बडे ही सुन्दर शब्दो म कहा है —

"बहुत सी आख्याए ऐसी होती है जो देखने मे तो गज भर लम्बी होती है, किन्तु अर्थ-व्यजना म भली भाति चुने हुए दो शब्दो की भी बराबरी नही कर सकती।"

१३१ आख्या

१३१००१ आद्य-भागे ग्रन्थ-प्रतिपाद्य-प्रवृत्ति-इतर-विषय-सम्बन्ध-प्रदर्शक-उद्धरण-सुबोध-साधक-आख्या-संगत-अंशस्य प्रतिलिपिः।

१३१००२ लिप्यन्तर-करणं वा।

१३१००३ संगतांशस्य सुबोध्यत्वम्।

१३१००४ संगतांश-वरणे ग्रन्थ-प्रतिपाद्य-प्रवृत्ति-इतर विषय--सम्बन्ध-प्रदर्शक-पद-लोपो-न।

१३१००५ आख्या-पत्र-ऋजु-कोष्ठकस्य कोणम्।

१३१००१ आद्य-वाक्यस्य प्रथमे भागे, ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यस्य विषयस्य, प्रवृत्ते इतर-विषयै सह सम्बन्धस्य

च प्रदर्शकस्य, उद्धरणस्य सुबोध्यताया साधकस्य च आख्याया सगतस्य अशस्य प्रतिलिपि कार्या ।

१३१००२ आख्या-पत्रे ग्रन्थालय इष्ट-इतर-लिपिके इष्ट-लिप्या लिप्यन्तर-करण कार्यम् ।

१३१००३ यस्य सगताशस्य प्रतिलिपि क्रियते तस्य सुबोध्यत्व भाव्यम् ।

१३१००४ सगताशस्य वरणे ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यस्य विषयस्य, प्रवृत्ते, इतर विषयै सह सम्बन्धस्य च प्रदर्शकाना पदाना लोपो न कार्य ।

१३१००५ आख्या-पत्रे ऋजु-कोष्ठक चेत्, तत् च आवश्यक चेत्, तत् परिवर्त्य कोण-कोष्ठक कार्यम् ।

१३१००१ प्रथम वाक्य के प्रथम भाग में, ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय, प्रवृत्ति तथा दूसरे विषयो के सम्बन्ध प्रदर्शन करने वाले तथा उद्धरण की सुबोध्यता के साधन करने वाले आख्या के सगत (उचित) अश की प्रतिलिपि होती है।

१३१००२ यदि आख्या-पत्र इष्ट से अन्य लिपि में हो तो इष्ट लिपि में लिप्यन्तरकरण कर लिया जाय ।

१३१००३ जिस सगत अश की प्रतिलिपि की जाय वह सुबोध्य होना चाहिए ।

१३१००४ सगत अश के वरण में ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय, प्रवृत्ति तथा दूसरे विषयों से सम्बन्ध के प्रदर्शक पदो का लोप न किया जाय ।

१३१००५ यदि आख्या-पत्र पर ऋजुकोष्ठक हो और वह आवश्यक हो, तो उसे परिवर्तित कर उसको कोण-कोष्ठक बना दिया जाय ।

१३१००५ आख्या-लेखन की शैली के लिए द्रष्टव्य धाराएँ ०३२,०३२१ तथा ०३७-०३७३ ।

धारा १३०१ के नीचे दी हुई व्याख्या के अन्तिम अनुच्छेद का अर्थ यह नही है कि सूचीकार को उन्मुक्त स्वच्छन्दता मिल गई है और वह आख्या को तुच्छ दृष्टि से देखे और उसके साथ चाहे जैसा खिलवाड करे। इस बात का सदा स्मरण रखना चाहिए कि आख्या ग्रन्थ का नाम है तथा जैसा कि कटर ने अपनी अनुपम प्रतिपादन शैली मे कहा है, "उसे धारा सभा की विधि के अनुमोदन के बिना कदापि न बदलना चाहिए।" हमारी आवश्यकताएँ हमे बाध्य करती है कि हम उसे सक्षिप्त करे। किन्तु कोई भी आवश्यकता हमे इस बात के लिए बाध्य नही करती कि हम उसमें कुछ जोड दें अथवा उसमें से कुछ घटा दे और पाठक को यह भी नही बताए कि हमने ऐसा किया है। द्रष्टव्य धाराए १३१२ तथा १३१३।

सक्षेपण तथा वर्धन की कला चातुर्य तथा अनुभव पर आधारित है। इसम जड एव स्थिर नियम काम नही दे सकते। किसी प्रारम्भिक अध्येता को अस्पष्ट शब्दो में अधिक से अधिक जो कहा जा सकता है वह कटर ने सक्षेप में अपनी २२६ तथा २२७ धाराओ मे बडी सुन्दरता से कह दिया है —

"ऐसे फल्गु[1] पदो को तथा अनेक वर्णनात्मक पदो को लुप्त कर देना चाहिए, जो या तो आख्या[2] के अवशिष्ट अश द्वारा, तथा जो वर्ग प्रस्तुत[3] हो उसके ग्रन्थों के चलन द्वारा, गतार्थ हो जाते हैं। साथ ही उन वर्णनात्मक वाक्याशो को भी लुप्त कर देना चाहिए जो आख्या के महत्त्व को बढाते हुए भी इतना विशिष्ट सूचन नही कर पाते कि उनका रखना[4] लाभदायक सिद्ध हो सके। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अनावश्यक पदो को लुप्त कर देना चाहिए।"

१३१०१ लुप्ताश

१३१०१ १३ धारोपधारा-अलोप्तव्य-आख्या-अनुच्छेद-समर्पक-अंश-पद-लोपः सूच्यः ।

उदा (१) ए (प्लेन) ट्रीटाइज़ ऑन, एन (एग्जेक्ट एण्ड फुल) एकाउन्ट.

(२) "कम्पेन्डियस पाकेट डिक्शनरी' में या तो 'कम्पेन्डियस' या "पॉकेट अनावश्यक है

(३) नेत्रोलोग (एन्टहाल्तेन्द नाखिख़्तेन फोन् देम लेबन् मैर्क्वूर्दिगर् इन् दीज़ेम् यारे फेस्तोर्बेनेर् पेर्ज़ोनन्).

(४) "जन्म नही, अपितु स्वातन्त्र्य-प्रेम के कारण अमरीकी द्वारा।"

१३१०११ आदि-मध्य-अन्यतर-लोपो बिन्दु-त्रयेण ।
१३१०१२ अन्त-लोपो 'इदि' इत्येतेन ।

१३१०१ १३ धारया, तस्या उपधाराभि वा, साक्षात् परम्परया वा, लोप्तव्येन न निर्दिष्टानि, आख्या-अनुच्छेदस्य समर्पके अशे विद्यमानानि पदानि लोप्यन्ते चेत् तेषाम् लोप सूच्य ।

१३१०११ आख्या-अनुच्छेद-समर्पक-अशस्य आदौ मध्ये वा वर्तमानानि पदानि लोप्यन्ते चेत् तेषाम् लोप बिन्दु-त्रयेण सूच्य ।

१३१०१२ आख्या-अनुच्छेद-समर्पक अशस्य अन्ते वर्तमानानि पदानि लोप्यन्ते चेत् तेषाम् लोप इदि इति सक्षेप-रूपेण सूच्य ।

१३१०१ १३ धारा से अथवा उसकी उपधाराओ से साक्षात् अथवा परम्परया लुप्त किए जाने के लिए जो निर्दिष्ट न किए गए हों ऐसे, तथा आख्यानुच्छेद के समर्पक अश के पद यदि लुप्त कर दिए जाय, तो उन पदो का लोप सूचित किया जाय।

१३१०११ आख्या-अनुच्छेद के समर्पक अश के आदि अथवा मध्य में विद्यमान पदो का लोप यदि कर दिया जाय, तो उनका लोप तीन बिन्दुओ ( ) द्वारा सूचित किया जाय ।

१३१०१२ आख्या-अनुच्छेद के समर्पक अश के अत में विद्यमान पदो का यदि लोप किया जाय, तो उनका लोप 'इदि' द्वारा सूचित किया जाय ।

१३१०१२ यहा यह स्पष्ट शब्दा मे व्यक्त कर देना उचित है कि ग्रन्थकार (अथवा ग्रन्थकारो) के नाम का, मुद्रण-समकन का, ग्रन्थमाला के नाम का, आदर्श वाक्या का अथवा उद्धरणा का लोप सूचन करने की कोई आवश्यकता नही है। उपर्युक्त धारा में इसी का विधान है। इसका कारण यह है कि ये आख्यादि

में अशदान नही करते (द्रष्टव्य धारा १३ की व्याख्या)। यह वस्तु ग्रन्थकार के षष्ठ्यन्त नामो पर भी लागू होती है।

१३११ अनावश्यक-आदि-तुच्छ-मान-पद-लोपः।

१३११ आख्याया सुबोध्यतायै येषाम् अस्तित्वम् आवश्यक न स्यात् तादृशानि, आदिभूतानि, तुच्छपदानि, मानपदानि च न लेख्यानि।

१३११ आख्या की सुबोध्यता के लिए जिनका अस्तित्व आवश्यक न हो ऐसे आदि में आने वाले तुच्छ पद तथा मानपद न लिखे जाय।

१३११ उदाहरण

निम्नलिखित आख्याओ में, वृत्तकोष्टको मे दिए हुए पदो को सरलता से हटाकर उनका लोप त्रिबिन्दु अथवा "इदि." द्वारा सूचित किया जा सकता है। साथ ही प्रवण-अक्षरो में दिए हुए भाग की सर्वथा उपेक्षा भी की जा सकती है। कारण, वह शीर्षक में अशदान करता है —

१ "सिन्योर पीत्रो देल्ला वाल्ले, ए नोबुल रोमन की ईस्ट-इण्डिया तथा अरेबिया डेज़र्ट मे यात्रा। (जिसम, कतिपय देशो का, साथ ही उन प्राच्य राजाओ के *तथा* देशो के *रीति-रिवाजो का, व्यवहारो का, यातायातो का* तथा धार्मिक एव सामाजिक विधियो का यथार्थ वर्णन किया गया है) अपने मित्र सिन्योर मेरियो शिपेनो को लिखे गए प्रिय पत्रो में"

२ "सेमुअल जॉनसन (एल एल डी) की जीवनी (जिसमे उसके अध्ययन तथा कृतियो का कालक्रमानुसार विवरण, उसके अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियो के साथ किए गए पत्र-व्यवहार तथा वार्तालाप की परम्पराए, उसकी रचनाओ की अनेक मौलिक कृतियाँ, जो आज तक कभी छपी नही, तथा जिस काल मे वह समुन्नत जीवन बिता रहा था, उस पचास साल के भीतर ग्रेट ब्रिटेन के साहित्य तथा साहित्यिक महापुरुषो का विश्वचित्र प्रस्तुत है) जेम्स बॉसवेल, महाशय विरचित"

३. "अशान्ति में तथा उसके पार (रेज़िडन्ट मेजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रापिकल अफ्रिका में बिताए हुए अनेक वर्षों का वृत्तांत, अपने कर्तव्य-पालन के तथा बड़े-बड़े शिकार के सिलसिले में पार किए हुए भयानक मार्गों का विवरण, जन-समाज, उनके रहन-सहन के तरीके आदि का वर्णन; पशु एवं कीट-पतंगों के आश्चर्यमय जीवन का विश्लेषण), लेखक ए डब्ल्यू, कार्डिनल, एफ० आर० जी० एस०, एफ० आर० ए० आई० डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, गोल्ड कोस्ट, प्रणेता-"नेटिव्स ऑफ दि नार्दर्न टेरिटरीज़ ऑफ दि गोल्ड कोस्ट," "ए गोल्ड कोस्ट लायब्रेरी" इत्यादि (चित्र तथा मानचित्रों से युक्त)."

कुछ भी हो, इस प्रकार की सारहीन लम्बी-चौड़ी आख्याओं का आजकल चलन कम होता चला जा रहा है।

ऊपर दी हुई पुस्तकों के प्रधान सलेख आगे दिए जाते हैं —

---

१ र८४ ट१ इ

बाल्ले (पीत्रो देल्ला)

ईस्ट इण्डिया तथा अरेबिया डेज़र्ट में यात्रा · · · अपने मित्र सिन्योर मेरियो शिपैनो को लिखे गए पत्रों में

५७०५

---

२ द१११:६ड०६ व ऊ७

बॉसवेल (जेम्स)

सेमुअल जॉनसन की जीवनी इदि

३३१४

---

३. र८:६५५.य१ घ७

कार्डिनल (एलन वोल्सी).

अशान्ति में तथा उसके पार इदि

४५३१५

१३१२ सूचीकार-प्रदेय-पदं संक्षिप्तम् ।

१३१२१ आख्या-पत्र-भाषिकम् ।

१३१२२ ऋजुकोष्ठके ।

१३१२ आख्या सूचीकारेण प्रदेया चेत्, अथवा सुखावगमन-साधकस्य अतिरिक्तस्य पदस्य योगम् अपेक्षते चेत् सूचीकारेण योजित बहिस्थ पद सक्षिप्त स्यात् ।

१३१२१ सूचीकारेण योजित तत् पदम् आख्या-पत्र-भाषायाम् स्यात् ।

१३१२२ सूचीकारेण योजित तत् पदम् ऋजु - कोष्ठके लेख्यम् ।

१३१२ यदि आख्या सूचीकार के द्वारा दी जाने वाली हो, अथवा आख्या के सुखावगमन के लिए उसके साधक अतिरिक्त पदो के योग की अपेक्षा रखती हो, तो सूचीकार द्वारा बाहर से लगाए हुए पद सक्षिप्त हो ।

१३१२१ सूचीकार के द्वारा लगाया हुआ वह पद आख्या-पत्र की भाषा में हो ।

१३१२२ सूचीकार के द्वारा लगाया हुआ वह पद ऋजु-कोष्ठक में लिखा जाय ।

१३१२२ उदाहरणार्थ, 'आधुनिक कवि' ग्रन्थमाला के एक सपुट मे आख्या-पत्र पर केवल निम्नलिखित विवरण है —

"महादेवी वर्मा"

इस पुस्तक के लिए, यदि अधिसूचन-भाग का विचार न किया जाय तो प्रधान-सलेख यह होगा —

द— १ थ ०७ श छ ६
महादेवी वर्मा.
[सग्रह].

४६६०४

१३१३ एकाधिक-अवान्तर-आख्याः सर्वाः ।

१३१३० 'वा'—प्रभृति - योजक - पद - चिह्नं यथा-स्थानम् ।

१३१३ आख्या-पत्रे एकाधिका अवान्तराः आख्याः स्यु. चेत् ता. सर्वा अपि लेख्या. ।

१३१३० 'वा' इति, '.' इति, अन्यद् वा योग्य योजक पदं चिह्न वा यथास्थाने लेख्यम् ।

१३१३ यदि आख्या-पत्र में एक से अधिक अवान्तर आख्याएं हों, तो उन सभी आख्याओ को लिखा जाय ।

१३१३० 'व', ':' अथवा अन्य कोई योग्य योजक पद अथवा चिन्ह यथास्थान लिखा जाय ।

१३१३० उदाहरण

१ द— १ज्ञ ३२ ६ घ ६

द्विवेदी (रामचन्द्र).

तुलसी-साहित्य-रत्नाकर अथवा महाकवि तुलसीदास

१५१०२

२ द—: १ ६ढ ६ छ ६

रामधारी सिंह (अ दिनकर)

मिट्टी की ओर वर्तमान हिन्दी कविता के सम्बन्ध मे आलोचनात्मक निबन्ध.

५७०६

१३२ सहकारः

१३२ द्वितीय-भागे १३ धारीय-द्वितीय-वर्ग-निर्दिष्ट-सूचन -प्रदायक - आख्यापत्र - संगत-अंशस्य प्रतिलिपिः ।

१३२००१ लिप्यन्तर-करणं वा ।

१३२०१ *सहकार- नाम - अधिकार - अन्यतर - वर्णक-* विशेषक-अन्यतर-पद-लोपः ।

१३२०२ न आनुवंशिक-विरुदस्य ।

१३२०३ नापि 'संपा'-'भाषा'- प्रभृति-मानित - सरल-पदस्य ।

१३२०४ नापि च भाषान्तर-मूल-ग्रन्थ - आवृत्ति - विवरणस्य ।

१३२१ शीर्षक-उपयुक्त-आख्या-पत्र - एतदंश - वर्ति-नाम्नः लोपः ।

१३२ आख्या-अनुच्छेदीयस्य प्रथम-वाक्यस्य द्वितीये भागे, १३ धारीये द्वितीये वर्गे निर्दिष्ट सूचन येन दीयते तादृशस्य आख्याया सगताशस्य प्रतिलिपि कार्या ।

१३२००१ आख्या-पत्रे ग्रन्थालय-इष्ट-इतर-लिप्यात्मके इष्ट-लिप्या लिप्यन्तर-करण कार्यम् ।

१३२०१ सहकारस्य नाम्न , अधिकारस्य वा अन्यतरस्य वर्णकस्य, विशेषकस्य वा पदस्य लोप कार्य ।

१३२०२ अनुवशिकस्य विरुदस्य तु लोप न कार्य ।

१३२०३ 'सपा', 'भाषा' प्रभृते मानितस्य सरलस्य पदस्य लोप न कार्य ।

१३२०४ यस्य मूल-ग्रन्थस्य भाषान्तर स्यात् तस्य आवृत्ति-विषयकस्य सख्यादि-विवरणस्य लोप न कार्य ।

१३२१ शीर्षकार्थम् उपयुक्तस्य, आख्या-पत्रस्य एतस्मिन् अशे विद्यमानस्य नाम्न आख्यानुच्छेदे लोप कार्य ।

सहकार

१३२ आख्या अनुच्छेद के प्रथम वाक्य के द्वितीय भाग म १३ धारा सम्बन्धी द्वितीय वर्ग में निर्दिष्ट सूचन जिसके द्वारा दिया जाय, उस आख्या के सगत अश को प्रतिलिपि की जाय ।

१३२००१ यदि आख्या-पत्र इष्ट से इतर लिपि में हो, तो इष्ट लिपि में लिप्यन्तरकरण कर लिया जाय ।

१३२०१ सहकार के नाम अथवा अधिकार के वर्णक अथवा विशेषक पद का लोप कर दिया जाय ।

१३२०२ आनुवंशिक विरुद का लोप न किया जाय ।

१३२०३ 'संपा.' 'भाषा.' प्रभृति मानित सरल पद का लोप न किया जाय ।

१३२०४ जिस मूल ग्रन्थ का भाषान्तर हो उसकी आवृत्ति-विषयक संख्यादि के विवरण का लोप न किया जाय ।

१३२१ शीर्षक के लिए काम में लाए हुए, आख्या-पत्र के इस अंश में विद्यमान नाम का आख्या-अनुच्छेद में लोप कर दिया जाय ।

१३२१ प्रधान संलेख के उदाहरण

निम्नलिखित में से कतिपय उदाहरणों के लिए धारा १३३ तथा उसके उपभेदों की पूर्व-कल्पना कर ली गई है। कारण आगे चलकर इनका पुन अनुसंधान किया जायगा ।

---

१ २ १५५ च ३

पारखी (रघुनाथ गनानन्द).

ग्रन्थालय शास्त्रा चा ओनामा इदि

३७०५४

प्रस्तुत पुस्तक के आख्या-पत्र पर दो पक्तियों में तो केवल ग्रन्थकार की उपाधि आदि दी है, तथा सहायक ग्रन्थालयी, फर्ग्यूसन कॉलेज, बाई जेरबाई वाडिया लायब्रेरी पूना' यह भी दिया गया है। इन सबका सलेख में लोप कर दिया गया है। उनका निर्देश करना कोई आवश्यक नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक में श्री रा रंगनाथन महोदय ने उपोद्घात लिखा है। उसके लोप का सूचन 'इदि' द्वारा किया गया है।

---

२. ९०२ड२ ढ९३ल घ३

काशी नागरी प्रचारिणी सभा

विनीत निवेदन, म० १९५०-१९८०.

१५४४१

प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र निम्नलिखित है —

"काशी नागरी प्रचारिणी सभा। का। विनीत निवेदन। (स १६५०-१६८०)"

सलेख में शीर्षक सूचीकार के द्वारा दिया गया है।

---

३ द१५ ६श८ १ १५२छ३

मम्मट

काव्य प्रकाश, हरिमगल मिश्र भाषा आवृ २

५४७६८

प्रस्तुत उदाहरण में भाषान्तकार रूपी महकार का सूचन किया गया है। साथ ही यह पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति है। उसका भी निर्देश किया गया है।

---

४ मल१थ४ छ८

चतुर्वेदी (सीताराम)

शिक्षा के नये प्रयोग और विधान इदि

५५१२५

प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र निम्नलिखित है —शिक्षा के नय प्रयोग। और विधान। (योरोप अमेरिका और भारत के प्रसिद्ध शिक्षाचार्यों और। शिक्षा प्रणालियो का विशद विवेचनात्मक इतिहास)। लेखक। शिक्षा-शास्त्र के आचार्य। साहित्याचार्य पडित सीताराम चतुर्वेदी। एम ए (सस्कृत, पाली, हिन्दी, प्रत्न-भारतीय इतिहास। तथा सस्कृति), बी टी, एल एल बी

यहा यह स्पष्ट ही है कि ग्रन्थकार की अति-दीघ उपाधियो का लोप किया गया है तथा उसका सूचन आवश्यक नही है। आख्या के जिस अश का लोप किया गया है, उसका सूचन 'इदि' द्वारा किया गया है।

---

५ ढ३१ छ६

रत्नकुमारी तथा प्रभा वर्मा

आदर्श पाक विज्ञान

५७४६७

प्रस्तुत पुस्तक की दो ग्रन्थ-कर्त्रिया है। अत सलेख में दोनो के ही नाम दिये गए है।

यह ध्यान रहे कि यहा ग्रन्थ-कर्त्रियो के नाम के आगे दी हुई उपाधिया एव पद आदि लुप्त कर दिए गए है।

६ घ ख४
बागनर (रुडोल्फ वॉन).
मेनुअल ऑफ केमिकल टेकनॉलॉजी, फर्डिनेन्ड फिशर मशो तथा विलियम क्रुक्स द्वारा त्रयोदश जर्मन आवृ से भाषा. तथा सपा
११७५२

प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र निम्नलिखित है —

"मेनुअल ऑफ केमिकल टेकनॉलॉजी। लेखक। रुडोल्फ वॉन वागनर। सर विलियम क्रुक्स, एफ० आर० एस०। द्वारा, डॉ० फर्डिनेन्ड फिशर के द्वारा पुनः रूपान्तरित, त्रयोदश, परिवर्द्धित जर्मन आवृत्ति मे अनूदित तथा सपादित। ५९६ चित्रो सहित। पुनर्मुद्रित १६०४।"

फिशर के आमुख में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सशोधन महत्त्वपूर्ण तथा व्यापक है, किन्तु वह इतना अधिक पर्याप्त नही है कि शीर्षक में वागनर के नाम को हटवाकर वह पद फिशर को दिलवा सके। इस उदाहरण द्वारा यह दिखाया गया है कि कम से कम विस्तृत-उक्ति के साथ-साथ, सलेख के आख्यादि अनुच्छेद को सुबोध्य बनाने के लिए कभी कभी सूचीकार को कितनी स्वच्छन्दता ग्रहण करनी पड़ती है तथा वह किस प्रकार आख्या-पत्र पर दिए हुए विवरण को सुशृखल रूप मे सुव्यवस्थ बनाता है।

७ छ घ८
ब्राइघम (अलबर्ट पेरि)
जियॉलॉजी, फ्रेडरिक ए बर्ट मशो
५२१४१

प्रस्तुत पुस्तक मे आख्या-पत्र निम्नलिखित है —

"जियॉलॉजी। लेखक। अलबर्ट पेरि ब्राइघम, एस सी. डी, एल. एच. डी., एल एल, डी,। प्रोफेसर ऑफ *जियॉलॉजी इन कॉलगेट युनिवर्सिटी*। फ्रेडरिक ए बर्ट, बी एस, एफ ए एस. असोसिएट प्रोफेसर ऑफ जियॉलॉजी इन दि एग्रिकलचरल। एण्ड मेकानिकल कालेज ऑफ टेक्सस, द्वारा सशोधित तथा परिवर्द्धित"।

८. द— १शछ० छ५
सांकृत्यायन (राहुल) सपा
हिन्दी काव्य धारा
३५२८२

प्रस्तुत पुस्तक के आख्या-पत्र की प्रतिलिपि धारा १२६१ के नीचे उदाहरण के रूप में दी जा चुकी है।

---

९. नह छन्द
सक्सेना (*बाबूराम*)
सामान्य भाषा विज्ञान आवृ २

५३४५६

प्रस्तुत उदाहरण में ग्रन्थकार की उपाधियों का लोप कर दिया गया है तथा 'आवृत्ति २' का भी सूचन कर दिया गया है।

---

१० फ६६ ५श३ १५गद
रामानन्द सरस्वती भाष्य
वेदान्त दर्शन, ब्रह्मामृत वर्षिणी-व्याख्या-सहित, एस वेंकटरमण ऐयर सपा

१७३९२

प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र सस्कृत तथा अग्रेजी दोनो भाषाओ में है। इसके सस्कृत अश की प्रतिलिपि धारा १२६३ के नीचे उदाहरण १ के रूप में दी हुई है।

---

११ म ५४न२१थ३२ च २
हेल्थ प्रोपेगेण्डा बोर्ड मद्रास कान्फ्रेन्स ऑफ मेडिकल इन्स्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स
प्रोसीडिंग्स इदि

प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र निम्नलिखित है —

"प्रोसीडिंग्स ऑफ दि कान्फरेन्स ऑफ। मेडिकल इन्स्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स। उपोद्घात-लेखक। डब्ल्यु ई स्मिथ महाशय, एम ए। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन, मद्रास। हेल्थ प्रोपेगेण्डा बोर्ड। मद्रास"

प्रस्तुत उदाहरण में उपोद्घात अधिक महत्वपूर्ण नही है। अत उससे सम्बद्ध आख्या-पत्र के अश के स्थान मे 'इदि' लिखा गया है।

---

१२. म३४४ड़ घ७
ग्रेट ब्रिटेन एजुकेशन (बोर्ड ऑफ——) **एडल्ट एजुकेशन कमेटी**
नेचुरल साइन्स इन् एडल्ट एज्यूकेशन

४६३९९

प्रस्तुत उदाहरण में, आख्या-पत्र पर केवल आख्या ही दी हुई है। अत पुस्तक मे दिए हुए सूचन के आधार पर शीर्षक का पुनर्निर्माण सूचीकार को करना पडा है।

१३ ल २ २१ श द ५८ ग ७

भारत. वायसराय तथा गवर्नर जनरल. हार्डिंज (बेरन). १६१०-१५.

स्पीचेज्

५०३६८

प्रस्तुत पुस्तक में आख्या-पत्र निम्नलिखित है —

"स्पीचेज् ऑफ। हिज़ एक्सेलेन्सी, दि राइट हॉन'वल। बेरन हार्डिंज फऑ पेन हर्स्ट,। जी सी बी, जी एम एस आई, जी सी. एम जी, जी. एम. आइ. ई, जी सी वी ओ आर एम ओ, सी वी ओ.। वायसराय एण्ड गवर्नर जनरल ऑफ इण्डिया। १६१३-१६१६"

१४ ल२११ थ३ च३

मद्रास

मद्रास प्रेसिडेन्सी, १८८१-१६३१.

७४७२३

१५. द— ६ छ ७

मिश्र (विश्वनाथ प्रसाद)

वाङ्मय-विमर्श आवृ. २

५७५७३

इस उदाहरण में एकमात्र वे ही पद लुप्त किए गए हैं जो ग्रन्थकार के अधिकार-पद का सूचन करते हैं। वे शब्द हैं—"प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय।"

१६. द—१.९६० च ४

मिश्र (गणेश विहारी) इदि.

हिन्दी नवरत्न अर्थात् हिन्दी के नव सर्वोत्कृष्ट कवि संशो. आवृ. ४.

२२१६७

प्रस्तुत पुस्तक का आख्या पत्र निम्नलिखित है :—

गगा पुस्तक-माला का इकतीसवा पुष्प

हिन्दी नवरत्न

अर्थात्

हिन्दी के नव सर्वोत्कृष्ट कवि

लेखक

गणेशबिहारी मिश्र

रावराजा रायबहादुर श्यामबिहारी मिश्र एम ए

रायबहादुर शुकदेवबिहारी मिश्र बी ए

चतुर्थ सस्करण

(सचित्र, सशोधित और सवर्द्धित)

उपाख्या-पत्र निम्नलिखित है —

३१

हिन्दी-नवरत्न

सपादक

श्री दुलारे लाल भार्गव

(सुधा-सपादक)

१९९१ वि

प्रस्तुत ग्रन्थ के ग्रन्थकार तीन है। अत केवल प्रथम का नाम दिया गया है। अन्य दो का नाम लोप कर दिया गया है। लोप का सूचन 'इदि द्वारा किया गया है।

१३२२ सहकारी

दो सहकार

१३२२ एक प्रकारक सहकार-नामनी ।

१३२२ सहकारस्य विभिन्नेपु प्रकारेपु कस्यचन एकस्य एव प्रकारस्य सम्बद्धयो सहकारयो नामनी विद्येते चेत् ते उभे अपि लेख्ये ।

१३२२ सहकारो के विभिन्न प्रकारों में से किसी एक ही प्रकार से सम्बद्ध दो सहकारो के नाम दिए हुए हों, तो उन दोनों नामो को लिखा जाय ।

उदाहरण

द१५ २ ख४० १ १५२छ५

कालिदास

शकुन्तला नाटक, राजा लक्ष्मणसिंह भाषा. रमाशंकर शुक्ल रसाल तथा रामचन्द्र शुक्ल सरस संपा

५२८७५

प्रस्तुत पुस्तक में एक भाषान्तरकार के अतिरिक्त. दो सपादकों के नाम हैं। अत दोनो सपादको का उल्लेख किया गया है।

१३२३ सहकारा.
तीन अथवा अधिक सहकार

१३२३ बहूनां प्रथमम् ।

१३२३० 'इदि' इति परम् ।

१३२३ सहकारस्य विभिन्नेषु प्रकारेषु कस्यचन एकस्य एव प्रकारस्य सम्बद्धाना द्वयाधिकाना सहकाराणा नामानि विद्यन्ते चेत् तेषा केवल प्रथमस्य एव नाम लेख्यम् ।

१३२३० तस्मात् सहकार-नाम्न. परम् 'इदि' इति लेख्यम् ।

१३२३ सहकारो के विभिन्न प्रकारों में से किसी एक ही प्रकार से सम्बद्ध दो से अधिक सहकारों के नाम दिए हुए हों, तो उन नामों में से केवल प्रथम नाम को ही लिखा जाय।

१३२३० उस सहकार के नाम के पश्चात् 'इदि' लिखा जाय।

उदाहरण

द—. १ ज ८३ श च०

सूरदास.

सूरसुधा, गणेश बिहारी मिश्र इदि. संपा.

प्रस्तुत पुस्तक के आख्या-पत्र पर (१) गणनविहारी मिश्र, (२) श्यामबिहारी मिश्र तथा (३) शुकदेवविहारी मिश्र के नाम सम्पादक के रूप में दिए हुए हैं। अत केवल प्रथम का नाम देकर अन्य दो का नाम लोप कर दिया गया है। लोप का सूचन 'इदि' द्वारा किया गया है।

१३३ आवृत्ति

आवृत्ति

१३३ द्वितीयादि-सविशेषनामक- अन्यतर - आवृत्तेः उल्लेखः।

१३३१ परतः संख्या।

१३३ द्वितीयाया द्वितीयोत्तराया च विशेष-नाम्नासहिताया च एव आवृत्ते तृतीय-भागे अर्थात् द्वितीये वाक्ये उल्लेख कार्य ।

१३३१ आवृत्ते संक्षिप्तात् रूपात्, "आवृ" इत्यस्मात् परम् आवृत्ते सख्या लेख्या ।

१३३ द्वितीय, अथवा द्वितीय से आगे की तथा विशेष नाम से युक्त आवृत्ति का ही तृतीय भाग अर्थात् द्वितीय वाक्य में उल्लेख किया जाय ।

१३३१ *'आवृ' इससे आगे आवृत्ति की सख्या लिखी जाय ।*

'लेखन शैली के लिए" द्रष्टव्य धारा ०३८

उदा आवृ ५

१३३२ सविशेष नामक-आवृत्ति-आदि-तुच्छ - मान-पद-लोपः।

१३३२ आवृत्ति सविशेषनामिका चेत् आदौ विद्यमानस्य तुच्छपदस्य मानपदस्य च लोप कार्य ।

१३३२ यदि आवृत्ति का विशेष नाम हो तो आदि में विद्यमान तुच्छपद अथवा मानपद का लोप कर दिया जाय ।

१३३२ उदा शतवार्षिक आवृ

१४ अधिसूचनम्

वरणम्

१४ अधिसूचन-अनुच्छेदः एकरूपः ।

१४००१ एकः अधिकाः वा भागाः ।

१४००२ अनु-पुस्तक-स्वरूपम् ।

१४००३ यथा—

१ माला अधिसूचनम् ; ‡
२ बहु-माला-अधिसूचनम् ; ‡
३ उद्गृहीत-अधिसूचनम्; ‡
४ आख्या-अन्तर-अधिसूचनम् ; ‡
५ उद्गृहण-अधिसूचनम् ; ‡
६ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनं‡ च ।

१४ अधिसूचनात्मक अनुच्छेद एकरूप भवति ।
१४००१ अधिसूचन-अनुच्छेदे एक एकाधिका वा भागा भवन्ति ।
१४००२ भागाना निर्धारणे पुस्तकस्य स्वरूप प्रमाणम् ।

१४ अधिसूचन रूपी अनुच्छेद एक रूप होता है ।
१४००१ अधिसूचन के अनुच्छेद में एक अथवा उससे अधिक भाग होते हैं ।

१४००२ भागो के निर्धारण के लिए पुस्तक का स्वरूप प्रमाण माना जाय ।

१४००३ वे भाग निम्नलिखित होते हैं :—

१ माला–अधिसूचन;
२ बहु-माला–अधिसूचन,
३ उद्गृहीत–अधिसूचन;
४ आख्या-अन्तर–अधिसूचन;
५ उद्गृहण–अधिसूचन, तथा
६ नैमित्तिक-पुस्तक–अधिसूचन ।

१४००३ जिस ग्रन्थमाला में पुस्तक छपी हो उसका उल्लेख लाभदायक है अथवा नही, तथा किसी पुस्तक के लिये माला निर्देशी सलेख लिखना उचित है अथवा नही, इस सम्बन्ध में सर्वदा से विवाद होता चला आ रहा है। उदाहरणार्थ, क्विन ने एक मध्यवर्ती मार्ग का सुझाव दिया है। वे कहते हैं —

"अनुभव द्वारा यह प्रमाणित है कि इस प्रकार के सलेखो का कोई विशिष्ट व्यावहारिक मल्य नही होता और कभी-कभी तो इनका सर्वथा परित्याग ही कर दिया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक किस विशिष्ट ग्रन्थमाला मे प्रकाशित हुई है इस का प्रधान-सलेख में उल्लेख ही अनेक अशो तक उद्दिष्ट प्रयोजन सिद्ध कर देता है। विशेषकर इन्टरनेशनल साइन्टिफिक जैसी ग्रन्थमाला में, जहा उन पुस्तकों के विषय इतने विभिन्न होते है कि न तो उनमे एकता होती है, न परस्पर कोई सम्बन्ध होता है और न कोई सामान्य धर्म ही होता है। जहा तक ऐसी ग्रन्थ-सूची अथवा अन्य ग्रन्थ-मालाओ का सम्बन्ध है एव जहा विभिन्न पुस्तके कुछ न कुछ अशो में समानता रखती ही है, वहा तक यही कहा जा सकता है कि ऐसी ग्रन्थमालाओ वा सलेखो में समावेश करना लाभदायक ही है। किन्तु उनके विषय में भी यह तो मानना ही पडेगा कि पाठक-वर्ग तो कदाचित ही ग्रन्थमाला के द्वार से विधिवत् अध्ययन करना चाहते हैं और न वे यही जानना चाहते हैं कि उस विशिष्ट ग्रन्थमाला में कुल कितनी पुस्तके प्रकाशित हुई है।

बेम्पटन, बायल, गिफर्ड, हिबर्ट आदि व्याख्यान-निधियो के अन्तर्गत एव उनसे प्रकाशित ग्रन्थो को माला-शीर्षक के नीचे परिगणित कर देना सभवत अधिक लाभदायक होगा। कारण यह है कि ये व्याख्यान-निधिया कुछ विशिष्ट सदुद्देश्य

को लेकर प्रवर्तित की जाती है। अत प्रत्यक ग्रन्थ में अन्तर्वर्ती कुछ न कुछ समानता रहती ही है। [२०]

इसी प्रश्न पर अध्याय ३ के अन्त में पुन विचार किया गया है।

१४०१ आदि-चतुष्टय-प्रत्येकं वृत्त-कोष्ठके ।†

१४०१० पृथक् वाक्यम् ।

१४०५ अन्त्य-द्वय-प्रत्येकम् उद्धार-चिह्ने ।

१४०१ आदि-चतुष्टयेषु अधिसूचनेषु प्रत्येकम् अधिसूचन वृत्तकोष्ठके लेख्यम् ।

१४०१० प्रत्येकम् अधिसूचन पृथक् वाक्यम् भवति ।

१४०५ अन्त्य-द्वयेषु अधिसूचनेषु प्रत्येक अधिसूचन उद्धार-चिह्ने लेख्यम् ।

१४०१ आरम्भ के चार अधिसूचनों में से प्रत्येक अधिसूचन वृत्तकोष्ठक में लिखा जाय ।

१४०१० प्रयेक अधिसूचन पृथक् वाक्य होता है ।

१४०५ अन्त के दो उद्धार-चिन्ह में लिखे जाय ।

१४१ माला-अधिसूचने अंशाः षड् ।

१४१०० यथा—

१ आदि-तुच्छपद-मानपद-रहित माला-नाम; †

२ अल्प-विरामः‡ ;

३ संपादक नाम, नामनी वा ; †

---

[२०] क्विन (जे हेनरी) तथा एकाम्ब (एच डब्ल्यु) मेनअल ऑफ केटलागिग एण्ड इण्डेक्सिंग. प १६४

३१ 'संपा.' इति;

३२ अल्प-विरामः; ‡

४ क्रम-संख्या च ।

१४१ माला-अधिसूचने यथाक्रम षड् अंशा भवन्ति ।

१४१ माला-अधिसूचन में छः अंश होते हैं ।

१४१०० वे अंश निम्नलिखित हैं:—

१ माला-नाम के आदि में तुच्छपद अथवा मानपद हो तो उसका लोप कर सर्व-प्रथम माला का नाम लिखा जाय ।

२ माला-नाम के आगे अल्पविराम किया जाय ।

३ उसके अनन्तर माला के एक सम्पादक का नाम अथवा दो सम्पादकों के नाम लिखे जायं ।

३१ सम्पादक-नाम के आगे 'संपा' लिखा जाय ।

३२ 'संपा' इसके आगे अल्प विराम किया जाय ।

४ अल्प विराम के आगे ग्रन्थ की माला सम्बन्धी क्रम-संख्या लिखी जाय ।

१४१०० माला के लक्षण के लिये द्रष्टव्य अध्याय ०७ ।

लेखन के स्थान तथा शैली के लिए क्रमश धाराए ०३२—०३२१, ०३४ तथा ०३७-०३७३ द्रष्टव्य हैं।

१४१००१ ग्रन्थ- नाना - भाग - नैक - प्रकारक - माला - नाम्नां सर्वाधिक-सूचकं वरीयः ।

१४११ व्यक्ति-साधन-असमर्थ- माला - नाम्नः प्रकाशक-समष्टि-नाम-योगेन-व्यक्ति सिद्धिः ।

१४११०१ तदादौ ।

१४११०२ अन्ते वा ।

१४११०३ योजक-पद-विराम-चिह्नानि यथोचितम् ।

१४१००१ ग्रन्थस्य नानाभागेषु नैकप्रकारेण विद्यमानाना कस्याश्चन मालाया नाम्ना सर्वाधिक विवरण यत् ददाति तादृश नाम वरीयस्त्वेन स्वीकार्यम् ।

१४११ समष्ट्या प्रकाश्यमानाया मालाया नाम समष्टि-नाम्न योग विना व्यक्ति-साधने असमर्थ चेत् तस्या समष्टे नाम्न योगेन व्यक्ति-सिद्धि कार्या ।

१४११०१ तत् समष्टि-नाम ग्रन्थमालाया नाम्न आदौ यथोचित योज्यम् ।

१४११०२ युक्ततर चेत्, तत् समष्टि-नाम ग्रन्थमालाया नाम्न अन्ते यथोचित योज्यम् ।

१४११०३ योजक पद विरामस्य चिन्हानि च यथोचित योज्यानि ।

१४१००१ यदि किसी माला का नाम ग्रन्थ के नाना भागों में अनेक प्रकार से दिया हुआ पाया जाय, तो सबसे अधिक सूचना देने वाला नाम चुन लिया जाय ।

१४११ यदि कोई माला किसी समष्टि के द्वारा प्रकाशित की जाती हो तथा उस समष्टि के नाम को जोडे बिना उस माला का नाम व्यक्ति-साधन करने में असमर्थ होता हो, तो उस समष्टि का नाम लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ।

१४११०१ वह समष्टि का नाम ग्रन्थमाला के नाम के आदि में यथोचित लगाया जाय ।

१४११०२ यदि अधिक योग्य हो, तो वह समष्टि का नाम ग्रन्थमाला के नाम के अन्त में यथायोग्य लगाया जाए ।

१४११०३ योजक पद तथा विराम चिह्न यथोचित स्थान में लगाए जाय ।

धारा १४१४१३ के अन्तर्गत दिए हुए उदाहरण १—४, ६, ६, ११ तथा १३ द्रष्टव्य है ।

१४१११ क्रम-समङ्क-रहित-ग्रन्थ-मुख्य-माला-स्व-नाम-मात्र-व्यक्ति-साधन-असमर्थ-गौण-मालात्मक-उभय-माला-नाम्नि ते ।

१४१११० यथाक्रमम् ।

१४१११०१ मध्ये अल्पविरामः ।

१४१११ मुख्य-मालाया ग्रन्थेषु क्रम-समङ्क-रहितेषु, गौण-मालाया च स्वनाम-मात्रेण व्यक्ति-साधने असमर्थायाम् ईदृश-माला-द्वयात्मक-नाम्नि सति उभयोरपि मालयो नामनी लेख्ये ।

१४१११० उभयो मालयो नाम्नो क्रम स एव स्थाप्य ।

१४१११०१ उभयो नाम्नो मध्ये अल्प-विराम कार्य ।

१४१११ यदि मुख्य माला के ग्रन्थ क्रम-समक रहित हो तथा गौण माला केवल अपने नाम मात्र से व्यक्ति-साधन करने में असमर्थ हो, तो इस प्रकार की दो मालाओ से बने हुए माला-नाम के दोनो नाम लिखे जाय ।

१४१११० उन दोनो मालाओ के नामों का क्रम वही रखा जाय ।

१४१११०१ उन दोनो नामो के बीच में अल्प विराम किया जाय ।

१४१११०१ *धारा १४१४१३ के अन्तर्गत दिया हुआ उदाहरण १४ द्रष्टव्य है ।*

१४१३ सम्पादकयोः नामनी ।

१४१३० योजक-पदं यथास्थानम् ।

१४१३ कस्याश्चन मालाया द्वौ सपादकौ चेत् उभयो अपि-नामनी लेख्ये ।

१४१३० योग्ये स्थाने उभयो. नाम्नो. योजक पद लेख्यम् ।

१४१३ यदि किसी माला के दो सम्पादक हो, तो दोनो के नाम लिखे जाय ।

१४१३० योग्य स्थान पर दोनो नामो का योजक पद लिखा जाय ।

धारा १४१४१३ के अन्तर्गत दिया हुआ उदाहरण ८ द्रष्टव्य है।

१४१३१ बहूना प्रथमम् ।

१४१३११ 'इदि' इति परम् ।

१४१३१ कस्याश्चन मालाया द्वयाधिका सपादका चेत् तेषा केवल प्रथमस्य एव नाम लेख्यम् ।

१४१३११ तस्मात् सपादक-नाम्न परम् 'इदि' इति लेख्यम् ।

१४१३१ यदि किसी माला के दो से अधिक सम्पादक हो, तो उनमें से केवल प्रथम का ही नाम लिखा जाय ।

१४१३११ उस सम्पादक के नाम के आगे 'इदि' यह लिखा जाय ।

धारा १४१४१३ के अन्तर्गत दिए हुए उदाहरण १० तथा १२ द्रष्टव्य हैं।

१४१४ प्रकाशक-निर्दिष्ट-माला-ग्रन्थ-क्रम-सूचक समङ्कः माला समङ्कः ।

१४१४ प्रकाशकेन प्रकाश्य निर्दिष्ट, मालाया ग्रन्थ-क्रमस्य सूचक समङ्क माला-समङ्क ।

१४१४ प्रकाशक के द्वारा निर्दिष्ट माला में ग्रन्थ के क्रम को सूचित करने वाला समक माला-समक होता है।

धारा १४१४१३ के अन्तर्गत दिए हुए उदाहरण २-५, १३ तथा १४ द्रष्टव्य हैं।

१४१४१ प्रकाशक-अनिर्दिष्टत्वे अनुपरिग्रहणम् ।

१४१४१० अनु-अनुकूल-क्रमान्तरं वा ।

१४१४१ माला-समङ्के प्रकाशकेन न निर्दिष्टे, परिग्रहण क्रमम् अनुसृत्य माला-समङ्क लेख्य ।

१४१४१० परिग्रहण-क्रमम् अनुसृत्य माला-समङ्क लेखने असौकर्य चेत् अन्य कमपि अनुकूलम् क्रमम् अनुसृत्य माला-समङ्क लेख्य ।

१४१४१ यदि प्रकाशक ने माला-समक न दिया हुआ हो, तो परिग्रहण के क्रम का अनुसरण कर स्वय माला-समक लगा दिया जाय ।

१४१४१० यदि परिग्रहण के क्रम का अनुसरण कर माला समक के लिखने में असुविधा हो, तो अन्य किसी अनुकूल क्रम का अनुसरण कर माला-समक लिखा जाय ।

धारा १४१४१३ के अन्तगत दिए हुए उदाहरण १ ८, १० १५ तथा १६ द्रष्टव्य हैं ।

१४१४११ संवत्सरो वा ।

१४१४१२ संवत्सर-समङ्कौ वा ।

१४१४१३ अनुरूपम् अन्यद् वा ।

१४१४११ युक्त चेत्, माला-समङ्क-स्थाने सवत्सरो लेख्य ।

१४१४१२ युक्त चेत् माला-समङ्क-स्थाने सवत्सर समङ्क च उभे अपि लेख्ये ।

१४१४१३ युक्त चेत् माला-समङ्क-स्थाने पुस्तकस्य अनुरूपम् अन्यद् वा किमपि वस्तु लेख्यम् ।

१४१४११ यदि योग्य प्रतीत हो, तो माला-समक के स्थान में सवत्सर लिखा जाय ।

१४१४१२ यदि योग्य प्रतीत हो तो माला-समक के स्थान में सवत्सर तथा समक दोनो लिखे जाय ।

१४१४१३ यदि योग्य प्रतीत हो तो माला-समक के स्थान में पुस्तक के अनुरूप कोई वस्तु लिखी जाय ।

१४१४१३ उदाहरण ६, ७, ६, ११ तथा १२ द्रष्टव्य हैं।

यहा नीचे कतिपय उदाहरण दिए जाते है। प्रथम तीन पुस्तके एक ही ग्रन्थमाला म छपी हुई है। इस प्रकार के उदाहरण का उद्देश्य यह है कि आगे चलकर ३२२४१ धारा के उदाहरण-स्वरूप उनका पुन उपयोग किया जायगा।

---

१ २ ज्ञ०

रगनायन (श्री रा)

ग्रन्थ अध्ययनार्थ हैं मुरारिलाल नागर भाषा

(भारतीय ग्रन्थालय सघ, हिन्दी ग्रन्थमाला १)

५६५४०

प्रस्तुत पुस्तक में आख्या के अनन्तर 'ग्रन्थालय मीमासा। प्रथम अधिकरण" नामक पद दिए हुए हैं। यहा मलेख में उनका लोप कर दिया गया है तथा उसका सूचन ' ' द्वारा किया गया है।

---

२ २२ ज्ञ १

रगनायन (*श्री रा*) *तथा नागर* (मुरारिलाल)

ग्रन्थालय प्रक्रिया

(भारतीय ग्रन्थालय सघ, हिन्दी ग्रन्थमाला, २)

५८६४०

---

३ २५५१५५१३४ ज्ञ२

रगनायन (श्री रा) तथा नागर (मुरारिलाल)

अनुवर्ग सूची कल्प

(भारतीय ग्रन्थालय सघ, हिन्दी ग्रन्थमाला, ३),

६५३१५

---

४ २ह७ छ ६

ग्रथालय प्रथम पद

ग्रन्थालय आन्दोलन, विभिन्न लेखको द्वारा लिखे लेखो का सग्रह इदि

(मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, १),

५३८६१

प्रस्तुत पुस्तक अग्रेजो में है। यहा उसके प्रधान सलेख का हिन्दी रूपान्तर दिया गया है।

यहा प्राक्कथन तथा सन्देश आदि विषयक सूचन आख्या-पत्र पर विद्यमान है। किन्तु उनका लोप कर 'इदि' द्वारा उस लोप का सूचन किया गया है। वे पुस्तक के तात्त्विक भाग नही है अर्थात् वे उतने अधिक महत्त्वपूर्ण नही है।

उपर्युक्त चारो उदाहरणो मे 'हिन्दी ग्रन्थमाला' अथवा 'प्रकाशनमाला' केवल इस माला के नाम-मात्र से काम नही चल सकता, अर्थात् केवल माला के नाम से माला व्यक्ति-सिद्ध नही हो पाती। अत १४११ धारा के अनुसार, माला के नाम के पूर्व मे उसकी प्रकाशक समष्टि का नाम जोड दिया गया है।

प्रथम तीन उदाहरणो में माला का नाम आख्या-पत्र पर नही दिया हुआ है, अपितु उपाख्या-पत्र पर दिया हुआ है। साथ ही माला-समक भी वही दिया हुआ है।

किन्तु अन्तिम उदाहरण में एक विशेषता यह है कि उस पुस्तक मे कही भी माला का नाम नही दिया हुआ है। हा, उस पुस्तक के अनन्तर प्रकाशित होने वाली, उस माला की अन्य पुस्तको में इस पुस्तक का माला के प्रथम सपुट के रूप में निश्चित एव स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह एक ऐसा उदाहरण है जहा सूची-कार को पुस्तक के बाहर जाने की भी छूट दी जाती है। इस अधिसूचन को लिखने के लिए वह पुस्तक मे बाह्य विषयो का भी आश्रय लेता है। किन्तु ऐसे उदाहरण बहुत थोडे ही होते है।

---

५ ऊ ११३ ग०

शूबेर्त (हेर्मान)

एलेमेन्तारे आरित्मातिक उन्त आल्गेब्र औफ्ला २

(जाम्लुड शूबेर्त, १)

५४६७

प्रस्तुत पुस्तक मे ग्रन्थमाला का नाम आख्या-पत्र पर प्रथम पक्ति के रूप मे दिया हुआ है। साथ ही क्रम-समक भी दिया हुआ है।

---

६ द— ६ च ४

उपाध्याय (अयोध्यासिंह) (अ हरिऔध)

हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास

(पटना विश्वविद्यालय, रामदीनसिंह रीडरशिप व्याख्यान, १९३०-३१).

१६६२४

प्रस्तुत पुस्तक म आख्या पत्र पर यह सूचित किया है कि यह कृति "बाव रामदीन सिह रीडरशिप के सम्बन्ध में दिए गए व्याख्यानो का सग्रह है।" आवरण पृष्ठ पर यह प्रदर्शित किया गया है कि ये व्याख्यान १९३० ३१ वर्ष के है। यह आवश्यक है कि धारा १४११०३ के अनुसार, ग्रन्थमाला के नाम के पूर्व में विश्वविद्यालय का नाम लगा दिया जाय। कारण उसके लगाए बिना ग्रन्थमाला का नाम व्यक्तिसिद्ध नही हो पाता।

इस प्रकार के स्थल में, धारा १४१४१३ के अनुसार, क्रम-समक को हटाकर उसके स्थान म सवत्सर समक लगा दिया जाय तो अधिक सुविधाजनक सिद्ध होगा।

---

७ ग२१३१ क४७ च१

सेन (हेमेन्द्र कुमार)

उच्च तापमान ज्वालाए तथा उनकी तापगति

(सुखराज राम रीडरशिप लेक्चर्स इन नेचुरल साइस, १९२६/१९२७).

७४९३६

प्रस्तुत पुस्तक (अग्रेजी मल) मे, आख्या पत्र पर यह अतिरिक्त सूचन दिया है कि यह रीडरशिप व्याख्यान माला पटना विश्वविद्यालय की है। किन्तु माला का नाम इतना विशिष्ट है कि विश्वविद्यालय के नाम के लगाए बिना ही उसकी व्यक्ति सिद्धि हो जाती है। अत धारा १४१४१३ की यहा व्याप्ति नही है।

किन्तु आग चलकर अध्याय ४ मे यह दृष्टिगोचर होगा कि ग्रन्थमाला के नाम के पूर्व मे विश्वविद्यालय का नाम लगाकर उसे नामान्तर-निर्देश के हेतु अवान्तर नाम के रूप में उपयोग म लाया जाना उचित है।

यहा की धारा १४१४१३ के अनुसार क्रम-समक को हटाकर उसके स्थान में सवत्सर-समक लगा दिया जाय तो अधिक सुविधा-जनक सिद्ध होगा।

---

८ द१५ ९दाज०० १ छ५

अल्लराज

रसरत्न प्रदीपिका रा ना दाडेकर सपा

(भारतीय विद्या ग्रन्थावलि जिन विजय मुनि तथा अ का पुसलकर सपा, ८)

४८४५८

यहाँ पर माला का नाम तथा उसके सह-सपादको के नाम उपाख्या-पत्र पर ही दिए हुए हैं। यहा प्रस्तुत माला के केवल दो ही संपादक हैं। अत धारा १४१३० के अनुसार दोनों ही के नाम दिए गए हैं।

यहा आख्या-पत्र पर आख्या के अनन्तर " रसतत्त्व प्रकाशिका काव्य-शास्त्र सम्बन्धिनी सुपाठ्य-ग्रन्थ-पद्धति । सा च विस्तृताम्ल-प्रस्तावना-विविध-पाठान्तर परिशिष्टादिभि समन्विता" ये पद दिए हुए हैं। सलेख में उनका लोप कर दिया गया है, कारण वे उतने आवश्यक नही हैं। किन्तु ' ' तीन बिन्दुओ द्वारा उनके लोप का सूचन कर दिया गया है।

---

९ ड२५·४२४१स८ च०

लूयवेट (रेमण्ड)

एक्स्पेरिमेन्टल ट्रॉपिकल टाइफस इन लेबोरेटरी एनिमल्स

(बुलेटिन फ्राम दि इन्स्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च, फेडरेटेड मेले स्टेट्स, १९३०, ३)

७०६९७

प्रस्तुत पुस्तक में ग्रन्थमाला का नाम आख्या-पत्र पर ही दिया गया है। सपुट का समकन भी नही दिया हुआ है। प्रतिवर्ष विभिन्न सख्या के सपुट प्रकाशित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष मे प्रकाशित सपुटो को भी उनके परस्पर क्रम-समक दिए जाते हैं। अत क्रम-समक "१९३०,३" इस रूप में दिया है और उसके लिए धारा १४१४१३ का अनुसरण किया गया है।

---

१०. द१३·५क५८ श१११घ७

आई जीयस.

(कृतिया), एडवर्ड सीमोर फॉस्टर भाषा

(लोब क्लासिकल लायब्रेरी, ई केप्स इदि सपा, २०२).

५३४२१

यहा उपाख्या-पत्र पर ग्रन्थमाला का नाम दिया हुआ है तथा उसी के नीचे तीन सपादको के नाम दिए हुए हैं। अत केवल प्रथम सपादक का ही नाम दिया गया है तथा उसमे धारा १४१३११ का अनुसरण किया गया है।

११. फ ३ प ३६८ घ २

प्रिंगल-पेटिसन (एण्ड्र सेथ)

आइडिया ऑफ इम्मॉरटलिटि

(गिफर्ड लेक्चर्स, युनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो, १६२२)

५३१०२

यद्यपि यहा पर ग्रन्थमाला के नाम मे व्यष्टि-नाम भी समाविष्ट है, तथापि उसमे माला व्यक्तिसिद्ध नही होती। कारण यह है कि लार्ड गिफर्ड के उत्तराधिकार-पत्र द्वारा चार स्कॉटिश विश्वविद्यालय केन्द्रो में पृथक् पृथक चार भाषणो के सघात चलते रहते है। अत ग्रन्थमाला के नाम को व्यक्तिसिद्ध करने के लिए उसके पूर्व केन्द्र का नाम लगाना आवश्यक है।

इस प्रकार के स्थल मे, क्रम समक को न लगाकर उसके स्थान में भाषण के वर्ष का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है--यह स्पष्ट ही है।

१२ म ४३ल ५ घ० घ७

बण्डि (मरे राइट)

थियरी ऑफ इमेजिनेशन इन क्लासिकल एण्ड मेडीवल थॉट

(युनिर्वासिटी ऑफ इलिनॉय, स्टडीज इन लेंग्वेज एण्ड लिटरेचर

विलियम ए ओल्डफादर इदि सपा सपु १२, अव २-३).

इस ग्रन्थमाला में एकात्मक पुस्तके प्रकाशित होती हैं। सामान्यत वर्ष में उनकी चार सख्या होती हैं। किसी एक वर्ष में प्रकाशित सभी सपुटो पर वही एक सपुट-समक होता है। किसी एक सपुट की एकात्मक पुस्तको पर पृथक् रूप मे सामान्यत १, २, ३, तथा ४ इस प्रकार क्रम-समक दिए जाते हैं। तथापि, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई एकात्मक पुस्तक उस सामान्य सीमा को, सामान्य आकार-प्रकार को अतिक्रात कर जाती है तथा वह दो अवदानो का स्थान ग्रहण कर लेती हैं। ऊपर दिखाए हुए उदाहरण में यही घटना घटी है। अत इस पुस्तक का माला-समक "सपु १२, अव २-३" इस प्रकार के विचित्र रूप को प्राप्त करता है। इसमें धारा १४१४१३ का अनुसरण किया गया हैं।

१३. म १५ · ३ : ऊ १ : भ घ७

जुड (चार्ल्स हुबर्ड).

साइकॉलॉजिकल अनालिसिस ऑफ दि फण्डामेन्टल्स ऑफ अरिथमेटिक

(युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, सप्लिमेन्टरी एजुकेशनल मोनोग्राफ्स, ३२). ४५४६८

यहा पर ग्रन्थमाला का नाम तथा अपने-अपने क्रम-समको से युक्त ग्रन्थमाला में प्रकाशित प्रकाशन अन्त-आवरण आन्तर तथा बाह्य भाग पर दिए हुए हैं। तालिका के शिरोभाग में "पब्लिकेशन्स आफ दि डिपार्टमेन्ट आफ एजुकेशन, दि युनिवर्सिटी आफ शिकागो" पद दिए हुए है। *ग्रन्थमाला का केवल नाम उसे व्यक्तिसिद्ध नही* कर पाता, अत धारा १४११०३ के अनुमार विश्वविद्यालय का नाम ग्रन्थमाला के नाम के पूर्व जोड दिया गया है।

---

१४. प ४१ ग १ १ १५११ छ०

वाडेकर (आर डी). सपा

मिलिन्द पहो, देवनागरी में पालि पाठ्य इदि.

(वम्बई विश्वविद्यालय प्रकाशन, देवनागरी पालि-पाठ्यमाला, एन. के भागवत संपा., ७).

३३०११

यदि प्रस्तुत उदाहरण में "देवनागरी पालि-पाठ्यमाला" केवल इतना ही माला-नाम दिया जाय तो वह माला का नाम सर्वथा व्यक्ति-सिद्ध नही हो पाता। अतः १४१११०३ धारा के अनुसार उस प्रधान माला का भी नाम दे दिया गया है *जिसके अन्तर्गत यह गौण माला है।* पुस्तको के लिए प्रधान *माला* में कोई समक नही दिए गए है।

माला का नाम उपाख्या-पत्र पर तथा आवरण-पृष्ठ पर भी दिया हुआ है। वही माला समंक भी है।

'इदि.' द्वारा आख्या-पत्र के उस अंश का सूचन है जो लुप्त कर दिया गया है।

१५ वल४१क५ च २
इयू (लियोनड शिहिलिन).
पोलिटिकल फिलॉसाफी ऑफ कॉफ्यूसियनिज्म इदि
(ब्राडवे आरिएन्टल लायब्रेरी, क्लेमेन्ट एनरटन सपा, ३)
७४७४

यहा आख्यादि-अनुच्छद के लिखन म आख्या-पत्र के कतिपय पदो को छोड दिया गया है तथा उनका सूचन इदि द्वारा किया गया है।

१६ द१५ १ग४० १ छ५
बिल्हण
विक्रमाकदेवचरित मुरारिलाल नागर सपा
(प्रिन्सेस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन ग्रन्थमाला, ८२)
५६३४५

प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र आदि इस अध्याय के आरम्भ म ही दे दिया गया है।

प्रमिति

१४१५ विश्वविद्यालयादि - समष्टि - उपस्थापित - प्रमिति-प्रकाशनानि माला।

१४१५० तन्नाम्नि अंशाः त्रयः।

१४१५०१ यथा—

१ विश्वविद्यालय-समष्टचन्तर-अन्यतर-नाम;
२ अल्प विराम;
३ 'प्रमितिः' इति ।

१४१५ विश्व विद्यालय प्रति, समष्ट्यन्तर प्रति वा उपस्थापितानि प्रमिति प्रकाशनानि 'माला' इति स्वीकार्याणि ।

१४१५ विश्वविद्यालय को अथवा अन्य किसी समष्टि को दिए हुए प्रमिति-प्रकाशन 'माला, समझे जायें।

१४१५० पूर्वोक्त माला के नाम में तीन अंश होते हैं।

१४१५०१ वे अंश निम्नलिखित होते हैं :–

१ विश्वविद्यालय अथवा अन्य समष्टि का नाम सर्वप्रथम लिखा जाय।

२ उसके अनन्तर अल्प विराम किया जाय।

३ उसके अनन्तर 'प्रमिति' यह पद लिखा जाय।

१४१५०१ उदाहरण

---

१. द— १ ज ८३ · ६ छ६

ब्रजेश्वर शर्मा

सूरदास · जीवन और काव्य का अध्ययन

(प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रमिति, १६४५, १).

४८४६८

प्रस्तुत पुस्तक के आख्या-पत्र पर ही इस बात का निर्देश है कि यह कृति गवेषणा प्रमिति है।

इस प्रकार का अधिसूचन सर्वथा ऐच्छिक होता है। साधारण ग्रन्थालयो में इसकी कोई आवश्यकता नही पड़ती। किन्तु शास्त्रीय तथा विश्वविद्यालयीय ग्रन्थालयों में इस प्रकार के अधिसूचन द्वारा तथा सम्बद्ध निर्देशी संलेख में विद्यमान एवं ज्ञापित सूचन द्वारा न केवल गवेषको को ही सहायता प्राप्त होती है, अपितु इस प्रकार के गवेषको की सेवा करने वाले कर्तृगण को भी अत्यधिक लाभ पहुचता है।

---

२. द—:२ढ८६ · ६ शं थ १०.१ झ०

जगन्नाथ प्रसाद शर्मा.

प्रसाद के नाटक का शास्त्रीय अध्ययन आवृ. २.

(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रमिति, १६४३, १).

५८१६६

प्रस्तुत पुस्तक के आख्या-पत्र पर ही यह सूचित कर दिया गया है कि यह कृति गवेषणा प्रमिति है। प्रमिति के वर्ष की जानकारी भूमिका से प्राप्त होती है। किसी भी विरुद्ध कारण के न रहने से, इसे १९४३ में समर्पित एव प्रकाशित प्रमितियो में से म १ यह चिन्ह लगा दिया गया है।

१४१६ कल्पित-माला

१४१६ प्रति-सम्पुट-सविशेष-आख्या युक्त-सामूहिक--आख्या-निर्धारण-एकता-अन्यतर-युक्त-बहुसंपुटक-पुस्तक-इतर-प्रकाशक-मालेय-भिन्नः पुस्तक-संघातः कल्पित-माला।

१४१६१ सामूहिक-आख्या तन्नाम।

१४१६२ निर्धारण-एकता वा।

१४१६ प्रतिसपुट सविशेषया आख्यया युक्त, सामूहिकया आख्यया निर्धारणस्य एकतया वा युक्त, बहु-सपुटकान् पुस्तकात् इतर, प्रकाशक मालेयात् पुस्तक-सघातात् भिन्न, पुस्तकाना सघात 'कल्पित माला' इति उच्यते।

१४१६१ सा सामूहिक-आख्या तस्या कल्पितमालाया नामत्वेन स्वीकार्या।

१४१६२ निर्धारणस्य एकता वा तस्या कल्पित-मालाया नामत्वेन स्वीकार्या।

१४१६ प्रत्येक संपुट के लिए विशिष्ट आख्या से युक्त, सामूहिक (सबकीएक)आख्या अथवा निर्धारण की एकता से युक्त, बहु-संपुट वाली पुस्तक से अन्य, प्रकाशक की माला के पुस्तक संघात से भिन्न पुस्तकों का संघात, 'कल्पित माला' कहा जाता है।

१४१६१ वह सामूहिक आख्या उस कल्पित माला के नाम के लिए की जाय।

१४१६२ अथवा वह निर्धारण की एकता स्वीकृत की जाय।

१४१६२ उदाहरण

---

१. क ५ च ३
ग्रिम्ज़ेल (ई.)
ऑप्टिक्स . . . एल. ए. वुडवर्ड . . भाषा.
(ग्रिम्ज़ेल (ई): टेक्स्ट बुक ऑफ फ़िज़िक्स, आर. टोमाशोक सपा., ४).

८१३७६

प्रस्तुत पुस्तक ५ संपुटों वाले सघात का एक अवयव है। उस सघात में यह चौथा संपुट है। प्रत्येक संपुट के आख्यापत्र पर, माला अधिसूचन में दी हुई सामान्य आख्या पाई जाती है। सपुटो की कोई सामान्य निर्देशी नही है। यदि प्रत्येक संपुट के साथ उसके स्वीय विशिष्ट विषय के आधार पर व्यवहार किया जाय, अर्थात् उनका वर्गीकरण, सूचीकरण तथा फलक-व्यवस्थापन उनके अपने-अपने प्रतिपाद्य विषय के अनुसार कर उन्हें पृथक्-पृथक् पुस्तक के रूप में माना जाय, तो उसी अवस्था में ग्रथालय शास्त्र के सूत्रों की विशिष्ट सेवा हो सकेगी। साथ ही सूची में भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी ही चाहिए कि पाठक सघात के सभी संपुटों को शीघ्रता से पा सके तथा सभी आख्याओ पर एक साथ दृष्टिपात कर सके। इसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए कल्पित माला–अधिसूचन दिया जाता है। कारण, उसके फल-स्वरूप एक अतिरिक्त सलेख लिखा जायगा जिसके शिरोभाग में माला का नाम दिया होगा तथा उसके नीचे संघात के सभी सपुट उनके क्रमानुसार दिए होंगे।

---

२. द१४२ : ३ द २८ : १ १११घ८
टॉल्स्टाय (लियो).
चाइल्डहुड, बॉयहुड एण्ड यूथ,
(वर्क्स ऑफ लियो टॉलस्टाय, शतवार्षिक आवृ.३).

४६८३४

प्रस्तुत पुस्तक २१ सपुटो वाले सघात का एक अवयव है। उस सघात में यह चौथा सपुट है। प्रत्येक सपुट की सपुटक आख्या मे 'वर्क्स ऑफ लियो टॉल्स्टाय' यह निर्धारण तथा क्रम-समङ्क पाया जाता है। अन्तिम सपुट के पृ ५०५ पर सपुटो के क्रम-समक भी दिए हुए है। सघात मे कोई सामान्य निर्देशी नही है। इसमें टॉल्स्टाय के चरित, नाटक, उपन्यास तथा गद्य काव्य सभी कुछ सगृहीत है। यदि प्रत्येक सपुट के साथ उसके स्वीय विशिष्ट विषय के आधार पर व्यवहार किया जाय, अर्थात् उनका वर्गीकरण, सूचीकरण तथा फलक व्यवस्थापन उनके अपने-अपने प्रतिपाद्य विषय के आधार पर किया जाय और उन्हे पृथक् पृथक् पुस्तक के रूप में माना जाय तो उसी अवस्था मे ग्रन्थालय शास्त्र के सूत्रो की विशिष्ट सेवा हो सकेगी। साथ ही सूची मे भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि पाठक को सघात के सभी सपुट एक साथ प्राप्त हो सके तथा वह सभी आख्याओ पर एक साथ दृष्टिपात कर सके। सूची उस उद्देश्य को इसी पूर्वोक्त कल्पित-माला-अधिसूचन द्वारा सिद्ध कर सकती है। कारण इसके फलस्वरूप अनुवर्ग भाग मे एक और अतिरिक्त सलेख लिखना पडेगा, जिसके शिरोभाग में माला का नाम दिया होगा तथा उसके नीचे सघात के सभी सपुट उनके क्रमानुसार दिए होगें। इसके अतिरिक्त एक नामान्तर निर्देशी सलेख भी लिखा जायगा। जो व्यक्ति 'टॉल्स्टाय' (लियो) कृतिया' इसे देखेंगे उन्हे वह सलेख 'वर्क्स ऑफ लियो टॉल्स्टाय' की ओर देखने के लिए सकेत करेगा।

---

३. फ ६६ ५ श १ १५ ग० १–३

शङ्कर

ब्रह्मसूत्र भाष्य, ३ सपु

(वर्क्स ऑफ श्री शकराचार्य, १–३)

१७३७५—७

वाणी विलास प्रेस द्वारा प्रकाशित शकराचार्य की कृतियो के सग्रह के २० सपुटो में से प्रत्येक में, उनका अपना अपना आख्या पत्र तो है ही, साथ ही साथ एक सामान्य आख्या-पत्र भी है जिस पर "वर्क्स ऑफ श्री शकराचार्य" ये पद दिए हुए है तथा साथ ही साथ यथोचित क्रम-समक अथवा सपुट-समक भी दिया हुआ है। कल्पित-माला-अधिसूचन के फलस्वरूप एक माला-सलेख लिखना पडेगा, जिसमें सघात के सभी सपुट उनके क्रमानुसार प्रदर्शित किए जायेंगे, तथा "वर्क्स ऑफ श्री शकराचार्य" इस शीर्षक से युक्त नामातर-निर्देशी सलेख पाठको के ध्यान को उस कल्पित-माला सलेख की ओर निर्दिष्ट करेगा।

४. ल ३१ : १:ट० ग ८
इनेस (आर्थर डी).
इग्लैण्ड अन्डर दि ट्यूडर्स. आवृ. ५.
(हिस्ट्री ऑफ इंगलैण्ड, चार्ल्स ओमन,४).
५०१२

५ म लं १-३:थ २ घ ४
न्यूटन (आर्थर पर्सिवल).
युनिवर्सिटीज एड एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफ दि ब्रिटिश एम्पायर.
(ब्रिटिश एम्पायर, ए सर्वे, ह्यू गन सपा., १०).
४५८४६

यह निश्चय करना कठिन है कि उदाहरण ४ तथा ५ माला अथवा कल्पित-माला के विषय हैं। वे दोनो की संधि पर हैं।

६. ड १७:४७:४ च ७
हर्स्लर् (आर्थर ई).
सर्जिकल पैथॉलॉजी ऑफ दि डिज़ीज़ेस ऑफ दि नेक.
(हर्स्लर्'स मोनोग्राफ्स ऑन सर्जिकल पैथॉलॉजी, ६).
६८५२३

१४२ माला-अनेकत्वम्
माला की अनेकता

१४२ **एकाधिक-मालेय-पुस्तक-प्रातिस्विक-अधि-सूचनं द्विधा।**

१४२०१ **स्वतन्त्रम् अन्योन्यतन्त्रं च।**

१४२०२ **मालान्तर-नाम-निरपेक्ष-व्यक्ति-साधन-समर्थ-प्रतिमाला-नामकं स्वतन्त्रम्।**

१४२०३ **इतरत् अन्योन्यतन्त्रम्।**

१४२ एकाधिकाया मालाया सम्बन्धिन पुस्तकस्य प्राति-स्विकम् अधिसूचन द्विप्रकारक भवति ।

१४२०१ तौ द्वौ प्रकारौ स्वतन्त्रम्, अन्योन्यतन्त्रम् च इति उच्येते ।

१४२०२ यत्र प्रत्येक माला-नाम इतरस्या मालाया नाम्न अपेक्षा विनैव व्यक्ति साधने समर्थ भवति तत् माला-अधिसूचन स्वतन्त्रम् इति उच्यते ।

१४२०३ पूर्वोक्तात् इतरत् अधिसूचनम् अन्योन्यतन्त्रम् अथवा माला-अधिसूचन परम्परा इति उच्यते ।

१४२ एक से अधिक माला से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तक का अधिसूचन दो प्रकार का होता है ।

१४२०१ वे दो प्रकार स्वतन्त्र और अन्योन्यतन्त्र कहे जाते है ।

१४२०२ जहा प्रत्येक माला का नाम अन्य माला की अपेक्षा के बिना ही व्यक्ति-साधन में समर्थ होता है, उस माला—अधिसूचन को स्वतन्त्र कहा जाता है ।

१४२०३ पूर्वोक्त से अन्य को अन्योन्यतन्त्र अथवा माला-अधिसूचन-परम्परा कहा जाता है ।

१४२१ स्वतन्त्र-माला-अधिसूचनम्

१४२१ प्रति-स्वतन्त्र-माला-अधिसूचनं १४१ धारोपधारामनु ।

१४२१० पृथक् वाक्यम् ।

१४२१ प्रत्येक स्वतन्त्र माला-अधिसूचन १४१ धारा तदीयाम् उपधारा च अनुसृत्य लेख्यम् ।

१४२१० प्रत्येक स्वतन्त्र-माला-अधिसूचन पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

१४२१ प्रत्येक स्वतन्त्र-माला-अधिसूचन १४१ धारा का तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय ।

१४२१० प्रत्येक स्वतन्त्र-माला-अधिसूचन पृथक वाक्य माना जाय ।

१४२१० उदाहरण

थ ८४४ श ३ १५ थ ८

मातङ्ग मुनि.

बृहद्देशी, के साम्बशिव शास्त्री सपा.

(त्रिवेन्द्रम सस्कृत सीरीज, ६४) (सेतु लक्ष्मी प्रसाद-माला,६).

५१६०८

यहाँ प्रस्तुत पुस्तक के लिए दो मालाओ मे पृथक्-पृथक् क्रम-समक दिये गए है। दोनो मालाओ मे से प्रत्येक माला दूसरी माला की सहायता के बिना ही स्वय व्यक्ति-सिद्ध हो जाती है। अत दोनो माला-अधिसूचन स्वतन्त्र है तथा उन्हें अपने अपने पृथक् कोष्ठको मे रखा गया है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि द्वितीय माला का नाम आख्या-पत्र पर मानार्थक पद 'श्री' इससे आरम्भ होता है। धारा १४१ तथा उसके उपभेदों के अनुसार यहाँ उसका लोप कर दिया गया है।

१४२२ अन्योन्यतन्त्र-माला-अधिसूचन-परम्परा

१४२२ अन्योन्यतन्त्र-माला-अधिसूचन-परम्परायामधःस्थम् ।

१४२२०० यथा—

१ १४१४ धारोपधारामनु प्रधान-माला-अधिसूचनम्;

२ अर्ध विरामः;

३ द्वितीय-माला-नाम;

४ अल्प-विरामः;

५ १४१४ धारोपधारामनु द्वितीय-माला-
क्रम समङ्क ।
६ अल्प-विराम ,
७ तृतीय माला-नाम,
८ अल्पविराम ,
९ तृतीय-माला-क्रम-समङ्क

१४२२००१ एवमन्यत् ।

१४२२ अन्योन्यतन्त्र माला अधिसूचनस्य परम्परायाम् अधोनिर्दिष्ट भवति ।

१४२२००१ एवमव चतुर्थादि मालाना नाम लयम् ।

१४२२ अन्योन्यतन्त्र माला अधिसूचन की परम्परा में नौ प्रकार होते ह ।

१४२२०० वे इस प्रकार ह —

१ सवप्रथम प्रधान माला का सूचन १४१४ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय
२ उसके अनन्तर अद्ध विराम किया जाय
३ उसके अनन्तर द्वितीय माला का नाम लिखा जाय,
४ उसके अनन्तर अल्प विराम किया जाय,
५ उसके अनन्तर द्वितीय माला का क्रम-समक १४१४ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय,
६ उसके अनन्तर अद्ध विराम किया जाय,
७ उसके अनन्तर तृतीय माला का नाम लिखा जाय,
८ उसके अनन्तर अल्प विराम किया जाय,
९ उसके अनन्तर तृतीय माला का क्रम-समक लिखा जाय ।

१४२२००१ इसी प्रकार चतुथ आदि मालाओं का नाम लिखा जाय ।

१४२२००१ उदाहरण

द १५ : १ इ २ हं ५   १५२ च ८

भट्ट (नृसिंहप्रसाद कालिप्रसाद).

महाभारत के पात्र, वृहस्पति उपाध्याय भाषा.

(सस्ता साहित्य मण्डल, सर्वोदय साहित्य माला, ७८, लोक साहित्य माला, २).

२६६४६

यहाँ पर दो अन्योन्यतन्त्र माला-अधिसूचनो की परम्परा बनी हुई है। जब तक 'सस्ता साहित्य मण्डल' इस प्रकाशक-समष्टि का समावेश न हो तब तक 'सर्वोदय साहित्य माला' व्यक्ति-सिद्ध नही हो पाती। जब तक इन दोनो मे बनी हुई प्राथमिक माला का निवेश नही होता तब तक द्वितीय माला व्यक्ति-सिद्ध नही हो सकती।

१४२२०१   अन्त्य-उपमाला-इतर-ईदृश-माला-परम्परा-अन्तःपाति-माला-विशेष-अङ्ग-प्रकाशक-निर्दिष्ट-माला-समङ्क-रहित-पुस्तक-मालायै-अन्योन्यतन्त्र-माला-अधि-सूचन-परम्परायां न माला-अधिसूचनम्।

१४२२०११   तन्नाम परवर्ति-उपमाला-व्यक्ति-साधकम्।

१४२२०१११   १४१११ धारानुरूपम्।

१४२२०१   पूर्वोक्त-प्रकारक-माला-परम्परायाः अङ्गभूतायां, अन्त्यायाः उपमालायाः भिन्नायां, कस्यांचन अन्य-स्याम् परम्परायां विद्यमानेभ्यः पुस्तकेभ्यः यदि प्रकाशकेन समङ्का न दत्ताः चेत् तस्यै अङ्गभूतायै उपमालायै अन्योन्य तन्त्र-माला-अधिसूचनानां कक्षायां किमपि माला-अधिसूचनं न लेख्यम्।

१४२२०११ पूर्वोक्तायै यस्यै अङ्गभूतायै उपमालायै अन्योन्यतन्त्र-माला-अधिसूचनाना परम्पराया किमपि माला-अधिसूचन न लिख्यते, तस्या उपमालाया नाम तत परिवर्तिन्या उपमालाया व्यक्ति-साधनाय उपयोक्तव्यम् ।

१४२२०१११ व्यक्ति-साधनाय तन्नाम १४१११ धाराम् अनु-सृत्य लेख्यम् ।

१४२२०१ यदि इस प्रकार की माला-परम्परा की अगभूत, अन्त्य उप-माला से भिन्न अन्य किसी परम्परा में विद्यमान पुस्तकों के लिए प्रकाशक ने समक न दिया हो, तो उस अगभूतउपमाला के लिए अन्योन्यतन्त्र-माला-अधिसूचनो की परम्परा में कोई माला-अधिसूचन न दिया जाय ।

१४२२०११ पूर्वोक्त जिस अगभूत उपमाला के लिए अन्योन्यतन्त्र-माला अधिसूचनों की परम्परा में कोई माला-अधिसूचन नहीं दिया जाता, उस उपमाला के नाम को परवर्ती उपमाला के व्यक्ति-साधन के लिए काम में लाया जाय ।

१४२२०१११ व्यक्ति-साधन के लिए वह नाम १४१११ धारा का अनुसरण कर लिखा जाय ।

१४२२०२ प्रकाशक-निर्दिष्ट-समङ्क-रहित-अन्त्य-उपमालायाः समङ्कनम् ।

१४२२०२१ १४१४ धारानुसारम् ।

१४२२०२ अन्तिमायाम् उपमालाया प्रकाशकेन पुस्तकाना समङ्क न निर्दिष्ट चेत् स सूचीकारेण लेख्य ।

१४२२०२१ स समङ्क १४१४ धाराम् अनुसृत्य लेख्य ।

१४२२०२ यदि अन्तिम उपमाला में प्रकाशक ने पुस्तकों का समक न निर्दिष्ट किया हो, तो उसे सूचीकार स्वय दे ।

१४२२०२१ **यह समंक १४१४ धारा का अनुसरण कर लिखा जाय ।**

१४२२०२१ उदाहरण

श ९६७ : ९१५ . ४२ : थ २३ च १
मत्सुओ का (आसा, कुमारी)
लेबर कन्डिशन्स ऑफ विमेन एन्ड चिल्ड्रन इन जापान
(बुलेटिन ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, ५५८, इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स एण्ड लेबर कन्डिशन्स सीरीज़,१०)
४०००२

यह स्पष्ट ही है कि यह स्थल अन्योन्यतन्त्र माला-अधिसूचन परम्पराओं का है। सपुटो पर केवल प्रथम-निर्दिष्ट माला मे ही समक दिए हुए है, द्वितीय मे नही। किन्तु, अन्त के पत्रो में उन विभिन्न गौण मालाओ की तालिकाए दी हुई है जो मालाएं उस प्रधान माला में समाविष्ट है। उन समको से यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रस्तुत पुस्तक का उसकी गौण माला में दसवा समक है।

यहाँ यह भी कहना उचित है कि यह कृति पुस्तिकात्मक है। अत उसके पुस्तक समक के नीचे रेखा खीची जानी चाहिए। उसका विशिष्ट विषय अत्यधिक विशिष्ट कोटि का है। अत उसका क्रामक समक तुलनात्मक दृष्टि से विस्तृततर है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत पुस्तक मे केवल वस्त्र व्यवसाय की चर्चा है।

१४२३ माला-अवान्तरनाम

अवान्तर नामों से युक्त माला

१४२३ अवान्तर-नाम-सहित-मालायां सर्वनामानि ।

१४२३१ 'वा' इति यथास्थानम् ।

१४२३ मालायाम् अवान्तरैः नामभिः सहिताया सर्वाणि नामानि लेख्यानि ।

१४२३१ 'वा' इति योजक-पदं यथास्थानं लेख्यम् ।

१४२३ यदि माला के अवान्तर नाम हों, तो वे सब नाम लिखे जायं ।

१४२३१ 'वा' यह योजक पद योग्य स्थान में लिखा जाय ।

१४२३१ उदाहरण

द १५ १ म ४० ३ च १

कालिदास

मेघदूत, मल्लिनाथकृत सजीवनी, चरित्रवर्धनाचार्यकृत चारित्रवर्धिनी तथा नारायण शास्त्रीकृत भावप्रबोधिनी व्याख्याओ सहित नारायण शास्त्री खिस्ते सपा

(काशी सस्कृत सीरीज वा हरिदास सस्कृत ग्रथमाला, ८८ काव्य विभाग, १४)

७२०९८

१४३ उद्गृहीत-अधिसूचनम्

उद्गृहीत-अधिसूचन

उपकल्पनम्

उपकल्पन

१४३ **उद्गृहीत-अधिसूचने अंशौ द्वौ ।**

१४३० **यथा—**

१ आधार-निरूपणम्

२ 'इत उद्गृहीतम्' 'अस्य पूरकम्' इत्यादि वर्णकं च ।

१४३० तौ अशौ यथाक्रम निम्ननिर्दिष्टौ भवत ।

१ यस्मात् ग्रन्थात् उद्गृहीत स्यात् तस्य आधार भूतस्य ग्रन्थस्य निरूपण प्रथम अश भवति ।

२ 'इत उद्गृहीतम्' इति, 'अस्य पूरकम्' इति वा यथावसर वर्णक पद द्वितीय अश भवति ।

१४३ उद्गृहीत-अधिसूचन में दो अश होते हैं ।

१४३० वे अश क्रमश निम्नलिखित हैं —

१ जिस ग्रन्थ से उद्गृहीत हो उस आधारभूत ग्रन्थ का निरूपण प्रथम अंश होता है।

२ अवसर के अनुसार "यहां से उद्गृहीत" अथवा "इसका पूरक" ये वर्णक पद द्वितीय अंश होते हैं।

१४३१ **उद्गृहीत-आधार-सामयिक-प्रकाशन-निरूपणे अंशाः त्रयः।**

१४३१० **यथा—**

१ सामयिक-प्रकाशन-नाम;

२ पूर्ण-विरामः;

३ सामयिक-प्रकाशन-संपुट-समङ्क-वर्ष-उभयान्यतमं च

१४३१०१ **समङ्क-वत्सर-अन्तराले पूर्ण-विरामः**

१४३१ उद्गृहीतस्य आधारः सामयिक-प्रकाशन चेत् तस्य निरूपणे अंशा. त्रय. भवन्ति।

१४३१० ते अंशा. निम्ननिर्दिष्टा. भवन्ति।

१ सामयिक-प्रकाशनस्य नाम;

२ पूर्ण-विराम.;

३ सामयिक-प्रकाशनस्य सम्बद्ध-सपुटस्य समङ्कः, वत्सरः, तदुभयं वा अपि च।

१४३१०१ समङ्कस्य वत्सरस्य च अन्तराले पूर्ण-विराम. कार्य.।

१४३१ यदि उद्गृहीत का आधार सामयिक-प्रकाशन हो, तो उसके निरूपण में तीन अंश होते हैं।

१४३१० वे अंश निम्नलिखित हैं:—

१ सामयिक प्रकाशन का नाम;

२ पूर्ण-विराम; तथा

३ सामयिक-प्रकाशन से सम्बद्ध सपुट का समक, वर्ष अथवा दोनो ही ।

१४३१०१ समक और वर्ष के बीच पूर्ण-विराम किया जाय ।

१४३१०१ उदाहरण

प २ ४ह श ग ६० १ श १५ छ २

लक्ष्मीधर भट्ट

कृत्यकल्पतरु का राजधर्म काण्ड, जगदीशलाल शास्त्री सपा

(ओरिएन्टल कॉलिज मेगजीन, सपु ३, १६४२ म से उदगृहीत)

५४८५५

यहाँ पर प्रस्तुत पुस्तक सामयिक प्रकाशन से उदगृहीत है । अत उसका अधिसूचन दिया गया है ।

और द्रष्टव्य धारा ८६२ तथा उसके उपभद भी ।

१४३११ व्यक्ति-साधन-असमर्थ-सामयिक-प्रकाशन-नाम्नः स्वप्रकाशक-समष्टि-व्यक्ति-अन्यतर-नाम-योगेन व्यक्ति-साधनम् ।

१४३१२ तदादौ ।

१४३१३ मध्ये पूर्णविरामः ।

१४३११ सामयिक - प्रकाशनस्य नाम व्यक्ति-साधने असमर्थ चेत् तस्य प्रकाशिकाया समष्टे व्यक्ते वा नाम्न योगेन तस्य व्यक्ति-साधन कार्यम् ।

१४३१२ सामयिक-प्रकाशिकाया समष्टे व्यष्टे वा तत् नाम सामयिक-प्रकाशनस्य नाम्न आदौ लेख्यम् ।

१४३१३ सामयिक-प्रकाशिकाया समष्टे व्यष्टे वा नाम्न सामयिक-प्रकाशनस्य च नाम्न मध्ये पूर्णविराम लेख्य ।

१४३११ यदि सामयिक-प्रकाशन का नाम व्यक्ति-साधन करने में असमर्थ हो, तो उसकी प्रकाशक-समष्टि अथवा व्यष्टि के नाम को लगाकर उसका व्यक्ति-साधन किया जाय।

१४३१२ सामयिक-प्रकाशन-समष्टि अथवा व्यष्टि का वह नाम सामयिक प्रकाशन के नाम के आदि में लिखा जाय।

१४३१३ सामयिक-प्रकाशक-समष्टि अथवा व्यष्टि के नाम के तथा सामयिक-प्रकाशन के नाम के बीच द्विबिन्दु लिखा जाय।

१४३२ उद्गृहीत-आधार-पुस्तक-निरूपणे अंशाः पञ्च।

१४३२० यथा—

१ पुस्तक-शीर्षकम्;
२ पूर्ण-विरामः;
३ पुस्तक-लघु-आख्या;
४ पूर्ण-विरामः;
५ भाग-अध्याय-पृष्ठ-अन्यतमं च।

१४३२०१ आख्या-प्रथम-पद-शीर्षके न प्रथम-द्वितीयौ।

१४३२ उद्गृहीतस्य आधारः पुस्तकं चेत् तस्य निरूपणे अंशाः पञ्च भवन्ति।

१४३२०१ शीर्षके आख्यायाः प्रथम-पदे सति पुस्तक-शीर्षकं पूर्णविरामः च इति अंशौ न भवतः।

१४३२ यदि उद्गृहीत का आधार पुस्तक हो, तो उसके निरूपण में पांच अंश होते हैं।

१४३२० वे अंश निम्नलिखित हैं :—

१ उद्गृहीत-आधार-पुस्तक का शीर्षक;
२ द्विबिन्दु;

३ उस पुस्तक की लघु आख्या;
४ पूर्ण-विराम; तथा
५ सम्भव और आवश्यक होने पर उद्गृहीत-आधार पुस्तक के भाग, अध्याय और पृष्ठ संख्या ।

१४३२०१ यदि शीर्षक आख्या का प्रथम पद हो, तो पुस्तक का शीर्षक तथा द्विबिन्दु में दो अन्त नहीं होते हैं ।

१४३२०१ उदाहरण

---

१ द–१ ज द० ६ छ ६

शुक्ल (रामचन्द्र)

जायसी ग्रन्थावली की भूमिका

(जायसी (मलिक मुहमद) ग्रथावली, भूमिका से उद्गृहीत) (नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला, ३१ क)

५१०५३

इस उदाहरण मे, प्रस्तुत पुस्तक एक अन्य पुस्तक से उद्गृहीत है तथा साथ ही एक ग्रथमाला का एक सपुट भी है। अत यहां दो स्वतन्त्र अधिसूचन दिए हुए है। प्रथम उद्गृहीत–अधिमूचन है तथा द्वितीय माला-अधिसूचन है ।

---

२ २ ह २ प च १

रंगनाथन (श्रीयाली रामामृत)

आदर्श ग्रन्थालय विधेयक

(रगनाथन (श्रीयाली रामामृत) ग्रन्थालय शास्त्र-पचसूत्री से उद्गृहीत, पृ २५६-२७१).

४०००३

---

१४४ आख्या-अन्तर-अधिसूचनम्

आख्या-अन्तर-अधिसूचन

उपकल्पनम्

उपकल्पन

१४४ आख्या-अन्तर-अधिसूचने अंशौ द्वौ ।

१४४० यथा—

१ यथा-प्रकाशनम् आख्यान्तरम्;

२ 'इत्याख्यया पूर्व प्रकाशितम्' इति 'इत्याख्यया पश्चात् प्रकाशितम्' इति 'इत्याख्यया अमेरिका-संयुक्त-राष्ट्रे प्रकाशितम्' इत्यादि वा देशक-पदानि ।

१४४० तौ अंशौ निम्ननिर्दिष्टौ भवत. ।

१ यां यां आख्याम् अङ्गीकृत्य पुस्तकं प्रकाशितं स्यात् सा सा आख्या;

२ विभिन्नाया आख्यायाः अनन्तरम् 'इत्याख्यया पूर्व प्रकाशितम्', इति 'इत्याख्यया पश्चात् प्रकाशितम्' इति, 'इत्याख्यया अमेरिका-संयुक्त राष्ट्रे प्रकाशितम्', इत्यादि वा, ईदृशानि अन्यानि वा वर्णकानि पदानि च ।

१४४ आख्या-अन्तर के अधिसूचन में क्रमशः दो अंश होते हैं ।

१४४० वे दो अंश निम्नलिखित हैं :—

१ जिन जिन आख्याओं को अंगीकार कर पुस्तक प्रकाशित हुई हो, वे आख्याएं;

२ विभिन्न आख्याओं के अनन्तर 'इस आख्या से पूर्व प्रकाशित हुई', 'इस आख्या से पश्चात् प्रकाशित हुई' अथवा 'इस आख्या से अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में प्रकाशित हुई' ये अथवा अन्य इसी प्रकार के वर्णक पद ।

१४४० उदाहरण

२८ ५ थ ३　छ ६
सत्यनारायण
यूरोप के झकोरे में
("आवारे की योरप यात्रा" इस आख्या से पूर्व प्रकाशित).
५४१३७

१४४१　पूर्व-पर-उभय-आख्या-सहित-पुस्तक-आख्या-अन्तर-अधिसूचने द्वयम् ।

१४४१　पुस्तके पूर्वाख्यया पराख्यया च इति उभयाभ्याम् आख्याभ्या युक्ते, आख्या-अन्तर-अधिसूचने पूर्वाख्यायै पराख्यायै च उभयाभ्याम् आख्याभ्याम् अधिसूचन-द्वय लेख्यम् ।

१४४१　यदि ग्रन्थ की पूर्व-आख्या तथा पर-आख्या दोनों हों, तो आख्या-अन्तर-अधिसूचन में पूर्व-आख्या तथा पर-आख्या दोनों आख्याओं के लिए दो अधिसूचन लिखे जायँ ।

१४५ उद्ग्रहण-अधिसूचनम्
उद्ग्रहण-अधिसूचन

१४५　उद्ग्रहण-अधिसूचने अंशौ द्वौ ।

१४५०　यथा—

१ 'उद्गृहीताय द्रष्टव्यम्' इति देशक-पदे;
२ उद्गृहीत-क्रामक-समङ्कः च ।

१४५०१　अनेकत्वे पृथक् वाक्यम् ।

१४५　उद्ग्रहण-अधिसूचन में यथाक्रम दो अंश होते हैं ।
१४५०　वे दो अंश निम्नलिखित हैं :—

१ 'उद्गृहीत के लिए द्रष्टव्य' यह देशक पद; तथा

२ उद्गृहीत का क्रामक-समंक ।

१४५०१ यदि उद्गृहीत अनेक हों तो प्रत्येक क्रामक-समंक पृथक वाक्य माना जाय ।

१४५०१ उदाहरण

द-.१ ज ८० शं छ ६

जायसी (मलिक मुहम्मद).

ग्रन्थावली, रामचन्द्र शुक्ल संपा.

(नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला, ३१).

"उद्गृहीत के लिए द्रष्टव्य द-.१ ज ८० ६३ छ ६"

५१०५२

---

१४६ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनम

नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचन

१४६ नैमित्तिक-अधिसूचने अंशाः त्रयः

१४६० यथा—

१ "नैमित्तिक-ग्रन्थाय" "निमित्त ग्रन्थाय" इति वा;

२ 'द्रष्टव्यम्' इति देशक-पदम्;

३ नैमित्तिक-ग्रन्थ-क्रामक-समङ्कः च ।

१४६ नैमित्तिक पुस्तक के अधिसूचन में क्रमशः तीन अंश होते हैं ।

१४६० वे तीन अंश निम्नलिखित हैं :—

१ "नैमित्तिक पुस्तक के लिए" यह वाक्यांश;

२ 'द्रष्टव्य' यह देशक पद; और

३ नैमित्तिक पुस्तक का क्रामक समंक ।

१४६० उदाहरण

---

१ ल२ १ थ५   छ४

निकोलस (बेवरली)

वर्डिक्ट ऑन इण्डिया

'नैमित्तिक ग्रन्थ के लिए द्रष्टव्य ल२ १ थ५ छ४ ६"

३६५६७

---

२ ल२१थ५   छ४ ६

जोग (एन जी)

जज और जूडास ?

"नैमित्तिक ग्रन्थ के लिए द्रष्टव्य ल २ १ थ५ छ४

---

१५ परिग्रहण समङ्क

१५ परिग्रहण-समङ्कः आख्या-पत्र-पृष्ठात् ।

१५० सः परिगृहीतृ-अङ्कितः :

१५ परिग्रहण-समङ्क आख्या-पत्रस्य पृष्ठात् ग्राह्य ।

१५० स परिग्रहण-धाराम् अनुसृत्य परिग्रहीत्रा अङ्कित भवति ।

१५ परिग्रहण-समक आख्या-पत्र के पृष्ठ भाग से लिया जाय ।

१५० वह परिग्रहण की धाराओ के अनुसार परिगृहीता द्वारा लगाया हुआ होता है ।

१५० लेखनशैली के लिए द्रष्टव्य धाराए ०३५-०३५१ तथा ०३८ ०३८२

१६ पत्रक-पृष्ठम्

पत्रक का पृष्ठ भाग

१६ प्रधान-संलेख-पत्रक-पृष्ठे पुस्तक-विपयक-अतिरिक्त-संलेख-उल्लेखः ।

१६००१ यथा—

१ विषयान्तर-संलेखः;

२ वर्ग-निर्देशि-संलेखः;

३ पुस्तक-निर्देशि-संलेखः ;

४ नामान्तर-निर्देशि-संलेखः च ।

१६ प्रधान-संलेख्यस्य पत्रकस्य पृष्ट-भागे प्रकृत-पुस्तक विषयकाणाम् अन्येषाम् अतिरिक्तानां संलेखानाम् उल्लेख कार्य ।

१६ प्रधान संलेख के पत्रक के पृष्ठ भाग में उस पुस्तक से सम्बद्ध अन्य अतिरिक्त-संलेखो का उल्लेख किया जाय ।

१६००१ प्रधान संलेख के पत्रक के पृष्ठ भाग में उस पुस्तक से सम्बद्ध निम्नलिखित अन्य अतिरिक्त-संलेखों का उल्लेख होता है।

१ विषयान्तर - संलेख;

२ वर्ग-निर्देशी-संलेख;

३ पुस्तक-निर्देशी-संलेख; तथा

४ नामान्तर-निर्देशी-संलेख ।

१६०१ प्रधान-संलेख-पत्रक-पृष्ठं लघुतर-पार्श्व-समानान्तर-कल्पित-रेखा-सम-विभक्तम् ।

१६०१० भागौ वाम-दक्षिणौ ।

१६०१ प्रधान-संलेखस्य पत्रकस्य पृष्ठं पत्रकस्य लघुतर-पार्श्वेण समानान्तरया कल्पितया रेखया द्विधा-विभक्तं कार्यम् ।

१६०१० तौ द्वौ भागौ यथाक्रमं वामः दक्षिणः च इति उच्येते ।

१६०१ प्रधान-सलेख के पत्रक का पृष्ठ भाग पत्रक के लघुतर पार्श्व से समानान्तर कल्पित रेखा के द्वारा दो भागो में बटा हुआ मान लेना चाहिए ।

१६०१० वे दोनों भाग क्रमश वाम और दक्षिण कहे जाते हैं ।

१६०२ दक्षिण, दीर्घतर-पार्श्व-समानान्तर-कल्पित-रेखा-द्वयेन समं त्रिधाविभक्तः ।

१६०२० अग्र-मध्य-मूल-भागाः ।

१६०२ दक्षिण भाग दीर्घतरेण पार्श्वेण समानान्तराभ्या, कल्पनया यथासुख लिखिताभ्या, रेखाभ्या यथा-सौकर्य सम त्रिधा विभक्त कल्प्य ।

१६०२० ते भागा अग्र-भाग, मध्य-भाग, मूल-भाग च इति उच्यन्ते ।

१६०२ दक्षिण भाग दीर्घतर पार्श्व से समानान्तर, कल्पना से यथासुख खींची हुई दो रेखाओं से सुविधाजनक तीन समान भागों में बटा हुआ मान लेना चाहिए ।

१६०२० वे भाग अग्रभाग, मध्यभाग तथा मूलभाग कहे जाते हैं ।

१६१ प्रति-वामार्ध-रेखं विषयान्तर-संलेख-उल्लेखः ।

१६१० उल्लेखे अंशौ द्वौ ।

१६१०१ यथा—

१ विषयान्तर-संलेख-वर्ग-समङ्कः;

२ अनुसन्धान-पृष्ठ-समङ्क-अनुगत 'पृ.'-इति, समङ्क-अनुगत-भाग-अध्याय-अन्यतरोभयं वा इति च ।

१६१ वामस्य अर्धस्य प्रत्येकस्या रेखाया प्रत्येकस्य विषयान्तर-सलेखस्य उल्लेख कार्य ।

१६१० विषयान्तर-सलेखस्य उल्लेखे द्वौ अशौ भवत ।

१६१०१ तौ द्वौ अशौ निम्ननिर्दिष्टौ भवत ।

१ विषयान्तर-सलेखस्य अग्रानुच्छेद-रूप वर्ग-समङ्क ।

२ सति सभवे अनुसधानस्य पृष्ठ-समङ्केन अनुगत 'पृ' इति सक्षिप्तरूपम् समङ्केन अनुगत 'अध्याय' इति वा पद तदुभय वा इति च ।

१६१ वाम अर्द्ध की प्रत्येक रेखा में प्रत्येक विषयान्तर-सलेख का उल्लेख किया जाय ।

१६१० विषयान्तर-सलेख के उल्लेख में दो अश होते हैं ।

१६१०१ वे दो अश निम्नलिखित होते हैं —

१ विषयान्तर-सलेख के अग्रानुच्छेद-स्वरूप वर्ग-समक, तथा

२ यदि सम्भव हो तो अनुसन्धान के पृष्ठ समक से अनुगत 'पृ' यह सक्षिप्त रूप, अथवा समक से अनुगत 'भाग' यह पद, अथवा समक से अनुगत 'अध्याय' यह पद अथवा वे दोनो ।

१६२ दक्षिणार्धे-निर्देशि-नामान्तर-निर्देशि-सलेख-सर्व-शीर्षकाणि ।

१६२१ अग्रे वर्ग-निर्देशि-सलेख-शीर्षकाणि ।

१६२१० यथाक्रमम् ।

१६२ दक्षिणे अर्धे पुस्तकस्य निर्देशि-सलेखाना नामान्तर-निर्देशि-सलेखाना च अग्रानुच्छेद-रूपाणि सर्वाणि शीर्षकाणि लेख्यानि ।

१६२१ अग्र भागे वर्ग-निर्देशि-सलेखेभ्य व्यवहृतानि शीर्षकाणि लेख्यानि ।

१६२१० तानि शीर्षकाणि यथाक्रम लेख्यानि

१६२ दक्षिण अर्द्ध में पुस्तक के निर्देशि-सलेखो के तथा नामान्तर निर्देशी-सलेखो के अग्रानुच्छेद-स्वरूप सभी शीर्षक लिखे जाय ।

१६२१ अग्रभाग में वर्ग-निर्देशी-सलेखो के लिए व्यवहृत शीर्षक लिखे जाय ।

१६२१० वे शीर्षक क्रमश लिखे जाय ।

१६२१० द्रष्टव्य धारा ३११.

१६२२ मध्ये पुस्तक-निर्देशि-सलेख-शीर्षकाणि ।

१६२२ मध्य भागे पुस्तक-निर्देशि-सलेखेभ्य व्यवहृतानि शीर्षकाणि यथाक्रम लेख्यानि ।

१६२२ मध्य भाग में पुस्तक-निर्देशी-सलेखो के लिए व्यवहृत शीर्षक क्रमश लिखे जाय ।

१६२२ द्रष्टव्य धारा ३२१

१६२३ मूले नामान्तर-निर्देशि-संलेख-शीर्षकाणि ।

१६२३ मूल-भागे नामान्तर-निर्देशि-सलेखेभ्य व्यवहृतानि शीर्षकाणि यथाक्रम लेख्यानि ।

१६२३ मूल-भाग में नामान्तर-निर्देशी-सलेखो के लिए व्यवहृत शीर्षक क्रमश लिखे जाय ।

१६२३ द्रष्टव्य धाराए ४११, ४२१, ४३१, ४४१ तथा ४५१

अध्याय २

पृथक्-पुस्तकम्

पृथक् पुस्तक

विषयान्तर-सलेख

विपयान्तर सलेख

२ **विपयान्तर-संलेखे अनुच्छेदाः चत्वारः**

२० **यथा—**

१ विशिष्ट-विपयान्तर-वर्गसमङ्कः (अग्रानुच्छेदः);

२ "अन्यदपि द्रष्टव्यम्" इति देशक-पदानि;

३ पुस्तक-क्रामक-समङ्कः‡ ;

४ पुस्तक-शीर्पक-पूर्णविराम-लघु-आख्या-पूर्ण-विराम-अनुसन्धान-अध्याय-पृष्ठानि च ।

२० ते अनुच्छेदा निम्नलिखिता भवन्ति —

१ विशिष्टस्य विपयान्तरस्य वर्ग-समङ्क (अग्रानुच्छेद) ,

२ "अन्यदपि द्रष्टव्यम्" इति इमानि देशक-पदानि,

३ विपयान्तर-आधारभूतस्य पुस्तकस्य क्रामक-समङ्क ,

४ विपयान्तर-आधारभूतस्य पुस्तकस्य शीर्षकम्, पूर्ण-विराम , लघु-आख्या, पूर्ण विराम , अनुसन्धानस्य अध्याय पृष्ठानि वा इति च ।

२ विषयान्तर-सलेख में चार अनुच्छेद होते हैं ।

२० वे अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं —

१ विशिष्ट-विषयान्तर का वर्ग-समक,

२ "और द्रष्टव्य" यह देशक पद,

३ विषयान्तर की आधारभूत पुस्तक का क्रामक-समक, तथा

४ विषयान्तर की आधारभूत पुस्तक का शीर्षक, द्विबिन्दु, उस पुस्तक की लघु-आख्या, पूर्ण-विराम तथा अनुसन्धान के अध्याय अथवा पृष्ठ इत्यादि ।

२०१ शीर्षकात्मक-व्यष्टि-नाम्नि-न नामाद्य-पदम् ।

२०२ एकाधिक-वाक्ये एकम् ।

२०३ आख्या-प्रथम-पद-शीर्षके न तत् ।

२०४ नापि च पूर्णविरामः ।

२०१ व्यष्टि-नाम शीर्षक चेत् तस्य नामाद्य-पद न लेख्यम् ।

२०२ शीर्षकम् एकाधिक-वाक्यात्मक चेत् पूर्ण-विराम-स्थाने अल्पविराम कृत्वा एक वाक्य कार्यम् ।

२०३ आख्याया प्रथम पद शीर्षक चेत् शीर्षक न लेख्यम् ।

२०४ आख्याया प्रथम पद शीर्षक चेत् शीर्षकानुगामी पूर्णविराम अपि न लेख्य ।

२०१ यदि व्यष्टि-नाम शीर्षक हो तो उसका नामाद्य-पद न लिखा जाय ।

२०२ यदि शीर्षक में एक से अधिक वाक्य हों तो पूर्ण-विराम के स्थान में अल्प-विराम करके एक वाक्य बना लिया जाय ।

२०३ यदि आख्या का प्रथम पद शीर्षक हो तो वह न लिखा जाय ।

२०४ यदि आख्या का प्रथम पद शीर्षक हो तो उसका अनुगामी द्विबिन्दु भी न लिखा जाय ।

२१ विषयान्तर-वर्ग-समङ्कः वर्गकार-निर्मितः ।
२३ क्रामक-समङ्कः प्रधान-संलेखीयः ।
२४ शीर्षक प्रधान-संलेखीयम् ।
२४१ २ धारामनु परिणतम् ।

२१ विषयान्तर-वर्ग-समङ्क वर्गीकरण-धाराम् अनुसृत्य वर्गकारेण निर्मित भवति ।
२३ प्रधान-सलेखस्य य क्रामक-समङ्क भवति, स एव तृतीयानुच्छेदे लेख्य ।
२४ प्रधान-सलेखस्य यत् शीर्षक भवति तदेव चतुर्थानुच्छेदे लेख्यम् ।
२४१ तत् शीर्षक २ धाराम् अनुसृत्य परिणमितव्यम् ।

२१ वह विषयान्तर-वर्ग-समक वर्गीकरण की धाराओं के अनुसार वर्गकार के द्वारा लगाया हुआ होता है ।
२३ प्रधान सलेख का जो क्रामक-समक होता है वही तृतीय अनुच्छेद में लिखा जाय ।
२४ प्रधान सलेख का जो शीर्षक होता है वही चतुर्थ अनुच्छेद में लिखा जाय ।
२४१ वह शीर्षक २ धारा परिणत कर लिखा जाय ।

२५ पुस्तक-अंश-मात्र-अनुसन्धाने चर्चित-प्रकरण-आधार-अध्याय-पृष्ठ-प्रभृति-उल्लेखः ।

२५ सपूर्ण-पुस्तकस्य अनुसधान न चेत्, अपि तु पुस्तक-अशमात्रस्य चेत् तदा चर्चित-प्रकरणस्य आधारभूत.

य अध्याय स्यात यानि पृष्ठानि वा स्यु, अन्यद् वा ईदृग किमपि चत तस्य उल्लख कार्य ।

२५ **यदि सम्पूण पुस्तक का अनुसन्धान न हो अपितु पुस्तक के केवल किसी अश का ही अनुसन्धान हो तो चर्चा के विषय प्रकरण का आधार भूल जो अध्याय हो, जो पृष्ठ हो अथवा *इसी प्रकार का अन्य कुछ हो तो उसका उल्लेख किया जाए।***

२५ लघु आख्या के लिए धाराए ०२४१—०२४११ तथा लेखन शैली के लिए धाराए ०३२ ०३२१ और ०३६ ०३६७ द्रष्टव्य ह।

विषयान्तर-सलेख-पत्रको को प्रधान-पत्रको मे पृथक रूप म व्यक्त करन के लिए रग भद का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणाथ प्रधान-पत्रको को श्वेत रखा जा सकता है तथा विषयान्तर-सलेखो को गुलाबी रखा जा सकता ह।

उदाहरण

---

१ ल २२५ न क ११ ग ६

और द्रष्टव्य

द १५ १ ग४० १ छ ५

बिल्हण विक्रमाङ्कदेवचरित सग १ १७ तथा उपो पृ १८ ४०

---

२ ल २२५ न क ११ ड

और द्रष्टव्य

द १५ १ ग ४० १ छ ५

बिल्हण विक्रमाङ्कदेव चरित प्राक्कथन प ६ ७

---

३ र ८ २४१ १ ग६

और द्रष्टव्य

द १५ १ ग ४० १ छ ५

बिल्हण विक्रमाङ्क देव चरित सग १८ तथा उपो प ८ १०

---

४ ल २४१ १ ग ६

और द्रष्टव्य

द १५ १ ग ४० १ छ ५

बिल्हण विक्रमाकदेवचरित, सर्ग १८ तथा उपो पृ ८ १०

५ द १५ १ ग ४० व

और द्रष्टव्य

द १५ १ ग ४० १ छ ५

बिल्हण विक्रमाकदेव चरित सग१८ उपो पृ ८-१८

६ द १५ १ ग ४० ६

और द्रष्टव्य

द १५ १ ग ४० १ छ ५

बिल्हण विक्रमाकदेव चरित उपो प ५ १८

७ द१५ १ ग ४० १ ६

और द्रष्टव्य

द १५ १ ग ४० १ छ ५

बिल्हण विक्रमाकदेवचरित उपो पृ १६ १८

प्रधान सलेख के लिए, अध्याय १ की धारा १४१४२ के नीचे दिया हुआ उदाहरण १६ द्रष्टव्य है।

विक्रमाकदेव चरित महाकाव्य म तथा उसकी इस आवृत्ति में निम्नलिखित विषया तर प्रसगवश वर्णित है —

१ कल्याण चालुक्यो का इतिहास,
२ कल्याण चालुक्यो के इतिहास की ग्र य सूची
३ काश्मीर देश का भौगोलिक वणन,
४ काश्मीर देश का तात्कालिक इतिहास,
५ महाकवि बिल्हण का जीवन चरित,
६ महाकवि बिल्हण की समालोचना, तथा
७ विक्रमाकदेवचरित की समालोचना

इनम से कतिपय विषय सर्वथा प्रथम बार प्रकाशित किए गए है। यदि इन्हें विषयान्तर सलेखो द्वारा प्रकाश म न लाया गया तो पाठक अवश्यमेव इनसे वचित रहेंगे। किन्तु यदि य सलेख लिख दिए गए तो ऐसी आशका सर्वदा के लिए दूर हो जायगी।

'कल्याण चालुक्यो के इतिहास की ग्रन्थसूची' आदि कुछ विषय तो एसे हैं जिनके अन्वेषक यह कल्पना तक नही कर सकते कि प्रस्तुत पुस्तक में उनकी अध्ययन सामग्री उन्हे प्राप्त हो जायगी। यदि ये विषयान्तर सलेख न लिखे गए तो ग्रन्थालय के कर्तृगण तक को इन विषयो के अस्तित्व की गध तक नही आ सकेगी। हाँ, वे बार बार पर्याप्त समय नष्ट कर थोडा-बहुत पता लगालें यह बात दूसरी है। यह भी सभव है कि ग्रन्थालय में इस विषय पर केवल एक ही पुस्तक हो। बेचारी अध्ययन-सामग्री पुस्तको मे ढेर बनी पडी रहेगी। कही भी उनका विश्लेषण नही होगा और गरीब पाठक उनकी अपनी सामग्रियो के रहते हुए भी ग्रन्थालय से विमुख होकर लौटते रहेंगे।

नाना-लक्ष्यक ग्रन्थ अधिक मात्रा में सर्वत्र पाये जाते है। वर्गीकरण आज जिस सीमा तक उन्नत हो सका है वहाँ तक पहुँच कर भी वह इस प्रकार के ग्रन्थो पर विफल सिद्ध हो रहा है और वह अपनी इस कमी को पूर्ण करने के लिए सूचीकरण से सहायता की अपेक्षा करता है।[२१] सूची में जब तक विषयान्तर सलेख अथवा विषय-विश्लेपक[२२] न दिए जाय तब तक अनुलय-सेवा कदापि समर्थ एव सशक्त नही हो सकती। कुछ भी हो, इस प्रकार के सलेख के कारण ग्रन्थालय शास्त्र के सूत्रो में ही, परस्पर स्वपक्ष में ही, टकराव हो जाता है और उसका पर्यवसान एक समझौते में होता है। वह समझौता यही है कि जो ग्रथ मुद्रित ग्रन्थ सूचियो में विश्लेषित कर दिए गये हो उनके लिए इस प्रकार के सलेख न लिखे जाय।[२३]

---

२१ रगनाथन (श्री रा) ग्रन्थालय वर्गीकरण प्रवेश (*Prolegomena to library classification*). १९३७ (मद्रास ग्रथालय सघ, प्रकाशन ग्रन्थ माला, ६).

रगनाथन (श्री. रा). ग्रन्थालय वर्गीकरण : तत्व एव प्रक्रिया १९४४. (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला,१२). अनुच्छेद २४१

२२ रगनाथन (श्री रा) तथा सुन्दरम (सी) अनुलय सेवा एव ग्रन्थ-सूची (*Reference service and bibliography*) सपु १.१९४०. (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशनमाला, ६) अनुच्छेद ३३३१.

२३ रगनाथन (श्री रा.) ग्रन्थालय-सूची-सिद्धात. (*Theory of library catalogue*) १९३८. (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशनमाला, ७). अध्याय ३२-३३.

अध्याय ३

निर्देशि-संलेखः

निर्देशी-संलेख

३ निर्देशि-संलेखो द्विधा ।

३० यथा—

१ वर्ग-निर्देशि-संलेखः;

२ पुस्तक-निर्देशि-संलेखः च ।

३ निर्देशि-संलेखस्य द्वौ प्रकारौ भवतः।

३ निर्देशी संलेख के दो प्रकार होते है :—

३० १ वर्ग-निर्देशी-संलेख; तथा

२ पुस्तक-निर्देशी-संलेख ।

३०१ अनुवर्ग-भाग-प्रति-प्रधान-विषयान्तर-संलेख-अग्रानुच्छेदवर्ति-वर्ग-समङ्क-तत् निश्रेणि-कतिपय-ऊर्ध्वतर-बन्ध-उभय-बोध्य-वर्ग-नाम-निर्देशकः वर्ग-निर्देशि-संलेखः ।

३०१ केवलं वर्गस्य निर्देशकः, अर्थात् अनुवर्ग-भागे वर्तमानस्य प्रत्येकस्य प्रधान-संलेखस्य प्रत्येकस्य विषयान्तर-संलेखस्य च अग्रानुच्छेदे वर्तिना वर्ग-समङ्केन,

तस्य निश्रेण्या कतिपयै ऊर्ध्वतरै बन्धै च बोध्याना वर्ग-नाम्ना निर्देशक सलेख वर्ग निर्देशि सलेख इति उच्यते ।

३०१ केवल वर्ग के निर्देशक, अर्थात् अनुवर्ग-भाग में विद्यमान प्रत्येक प्रधान सलेख के तथा प्रत्येक विषयान्तर-सलेख के अग्रानुच्छेद में वर्तमान वर्ग-समक द्वारा, तथा उस वर्ग-समक की निश्रेणि के कुछ ऊपर के बन्धो द्वारा बोध्य वर्ग-नामो का निर्देशक-सलेख वर्ग निर्देशी-सलेख कहा जाता है ।

३०२ पुस्तक-प्रधान-सलेख-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-अनुच्छेद-वर्ति-कतिपय-भाव-निर्देशकः पुस्तक-निर्देशि-संलेखः ।

३०२ केवल विशिष्टस्य पुस्तकस्य निर्देशक, तस्य प्राति-स्विकस्य प्रधान-सलेखस्य द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ अनु-च्छेदेपु विद्यमानाना कतिपयाना भावाना निर्देशक सलेख पुस्तक-निर्देशि-सलेख इति उच्यते ।

३०२ केवल विशिष्ट पुस्तक का निर्देशक, उसके अपने-अपने प्रधान-सलेख के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ अनुच्छेदो में विद्यमान कतिपय भावो का निर्देशक सलेख पुस्तक-निर्देशी सलेख कहा जाता है ।

३०२ उपयुक्त दोनो प्रकार के सलेखो के पत्रक नामान्तर निर्देशी-सलेखो के पत्रको के साथ उसी एक अनुवर्ण क्रम म व्यवस्थित किए जायेंगे। यदि सच पूछा जाय तो यह मानना पडेगा कि इस प्रकार बना हुआ सूची का निर्देशी भाग अनुवर्ण सूची के अधिकाश उद्देश्यो को पूर्ण कर देता है।

सूची के इस भाग म पत्रको की सख्या बहुत अधिक होनी सभावित है। यदि इस बात का स्मरण रखा जाय तो यह सुविधाजनक प्रतीत होगा कि पत्रको के

लिए कोई एक विशिष्ट उपाय काम मे लाया जाय जिससे पत्रक का वर्ण देखते ही यह ज्ञात हो जाय कि उस पत्रक पर किस प्रकार का सलेख लिखा गया है । ध्यानपूर्वक आयोजित वर्ण-पद्धति से इस उद्देश्य की सिद्धि की जा सकती है।

उदाहरणार्थ—पुस्तक-निर्देशी-सलेख श्वेत पत्रको पर लिखे जाय तथा अध्याय ४ मे वर्णित नामान्तर निर्देशी-सलेख लाल पत्रको पर लिखे जायँ। वर्ग-निर्देशी-सलेख कृष्ण-प्रात-युक्त पत्रको पर हो सकते हैं। जब रग श्वेत से अतिरिक्त अन्य कोई हो तो यह आवश्यक नही है कि सारा पत्रक रग दिया जाय। यदि केवल सिरे के किनारे ही रग दिए जाय तो हमारा काम चल जायगा, और उससे सफाई और सुन्दरता भी बढ जायगी।

३१ वर्ग-निर्देशि-सलेख

३१ वर्ग-निर्देशि-संलेखे अनुच्छेदौ द्वौ ।

३१० यथा—

१ शीर्षकम् (अग्रानुच्छेदः);

२ अन्तरीण-निर्देशि समङ्कौ च ।

३१ वर्ग-निर्देशि-सलेखे यथाक्रम द्वौ अनुच्छेदौ भवत ।

३१ वर्ग निर्देशी सलेख में क्रमश दो अनुच्छेद होते है।

३१० वे दो अनुच्छेद ये है :—

१ शीर्षक (अग्रानुच्छेद); और

२ अन्तरीण तथा निर्देशी-समक ।

३१० हम यह पहले ही कह आये है कि इस कल्प का सार्वदेशिक उपयोग हो सकता है। चाहे कोई भी वर्गीकरण-पद्धति काम मे लाई जाय, इस कल्प के अनुसार सूची का निर्माण किया जा सकता है। इस नियम मे केवल एक ही अपवाद है। वह यही वर्ग-निर्देशी-सलेखो वाला अश है ।

यदि वर्ग-समङ्क द्विबिन्दु-वर्गीकरण के हो तो धारा ३१ तथा उसके उपभेदो का बडी सरलता से अनुसरण किया जा सकता है। यदि व्यवहृत वर्गीकरण पद्धति में वर्ग-समङ्क व्यजक-घटनात्मक हो तथा समङ्क और सापेक्षता के उपसूत्रो[२४] का अनुपालन करते हो तो दूसरी पद्धति के लिए भी प्रस्तुत धाराए बहुत अशो तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

चाहे किसी प्रकार की वर्गीकरण-पद्धति काम में लाई जाय, इस कल्प की सभी धाराए पूर्णत. उपयोग में लाई जा सकती है।

निश्रेणि-सरणि.

३१०० वर्ग-निर्देशि-संलेख-शीर्षक-वरण-उपकल्पने निश्रेणि-सरणिः।

३१०० वर्ग-निर्देशि-सलेखस्य शीर्षकस्य वरणे उपकल्पने च अधोनिर्दिष्टा निश्रेणि-सरणि. उपकरण स्यात्।

३१०० वर्ग निर्देशी संलेख के शीर्षक के वरण तथा उपकल्पन में निम्नलिखित निश्रेणि-सरणि साधन होगी।

३१०० इस कल्प के अग्रेज़ी मूल की प्रथम आवृत्ति में दी हुई, वर्ग-निर्देशी-सलेखो के उपकल्पन तथा वर्ण की धाराए लाघव-न्याय[२५] को कितनी ही प्रिय लगें,किन्तु ग्रन्थालय-शास्त्र के प्रथम चार सूत्रो को तो उनसे महान् असन्तोष होता है। यह स्वाभाविक ही है। विशेषकर उन ग्रन्थालयो में जहां सर्वथा मुक्त-आसग नही होता,पर्याप्त फलक-दर्शक नही होते या समर्थ अनुलय-सेवा[२६]की व्यवस्था नही होती। उन धाराओ द्वारा जो लाघव अथवा मितव्ययिता सिद्ध की जाती है वह

---

२४. रगनाथन (श्री रा.). ग्रन्थालय वर्गीकरण प्रवेश (*Prolegomena to library classification*). १९३७ (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशनमाला,६). पृ.६१; ६०-६२.

२५. रगनाथन (श्री. रा). ग्रन्थालय सूची सिद्धात. १९३८. (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशनमाला, ७). पृ. ५४-५६.

२६. तत्रैव. पृ. ३६६-३७०.

बडी ही कठोर है। इसका आदर राष्ट्रीय-केन्द्र ग्रन्थालय सरीखे ग्रन्थालयो में हो सकता है, जहा ग्रन्थो की निरन्तर महती वृद्धि होती ही रहती है। साधारण पाठक अपने उद्दिष्ट विशिष्ट विषयो को चाहे भलीभाति जानते हो, किन्तु वे पूर्वोक्त प्रकार की कठोर मितव्ययिता से बनाए हुए वर्ग निर्देशी-सलेखो का उपयोग सरलता से नही कर सकते और वे न सूची के अनुवर्ग भाग मे अथवा फलको पर ही, अपने उद्दिष्ट विषयो को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं।

इस कल्प के अग्रेज़ी मूल रूप की द्वितीय आवृत्ति मे दी हुई वैकल्पिक धाराए निश्रेणि-सरणि का अनुसरण करती है। मितव्ययिता के सम्बन्ध में उनकी कठोरता मूल धाराओ से कुछ कम ही है। तथा वे वर्ग निर्देशी सलेखो की व्यवस्था करने में अधिक उदारता का आश्रय करती हैं। अत स्वभावत उनके कारण पाठक अधिक स्वतन्त्र हो जाते है। उन्हे अनुलय ग्रन्थालयियो का अधिक मुंह नही ताकना पडता।

प्रस्तुत पुस्तक के मूल-अग्रेजी रूप के तृतीय सस्करण में दी हुई धाराए अधिक सरल निश्रेणि-सरणि का अनुसरण करती हैं। उनका उद्देश्य यह है कि अनुलय ग्रन्थालयियो की और भी कम सहायता ली जाय। शब्दान्तरो में पाठक यथासम्भव स्वय ही अपने उद्दिष्ट विशिष्ट विषयो को ढूढ निकाल सकें। जब हम १६४८ में भारत सरकार के श्रम-विभाग के ग्रथालय की सूची बना रहे थे तब हमने इसकी आवश्यकता का अनुभव किया था।

ब्रिटिश म्यूज़ियम में ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची (ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी) के सम्पादक बडी ही दृढता से हमारी निश्रेणि-सरणि का उपयोग करते हैं। उनके उस ढग को देखकर हमारी पूर्वोक्त धारणा और भी दृढ़तर हो गई है। पूर्वोक्त तृतीय प्रकार की धाराए द्वितीय प्रकार की धाराओ की अपेक्षा एक दृष्टि से तो न्यूनतर लाघव उत्पन्न करती है। किन्तु दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो वे (तृतीय) द्वितीय की अपेक्षा और भी अधिक लाघव उत्पन्न करती है। इसका कारण अवाछित बन्धो की कल्पना है, जिसका ३१०२ धारा में लक्षण दिया गया है। ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रन्थसूची द्वारा प्राप्त अनुभव ही उपर्युक्त कल्पना का जनक है।

धारा.

३१००१ वर्ग-समङ्कः वर्ग-निश्रेणिः।

३१००२ निश्रेणि-लेखन-सरणिर्यथा।

११ प्रथमबन्धः प्रथमाङ्कात्मकः;

१२ प्रत्यनन्तर-बन्धम् एकाङ्क-वृद्धि;

१३ अन्त्य-बन्धे सर्वाङ्काः;

२ यथाक्रममधोऽधो बन्धः;

३१ प्रतिबन्ध-स्वाभाविक-भाषा-रूपान्तरं दक्षिणे;

३२ समबोधक चिह्नं योजकम्;

४ अधोमुख-बाणः समबोधक-चिह्न-द्वय-योजकः ।

३१००१ वर्ग-समङ्क वर्गाणा निश्रेणि-रूपेण स्थाप्य ।

३१००२ निश्रेण्या लखनस्य सरणि निम्नलिखिता भवति ।

११ प्रथमे बन्धे प्रथम अङ्क लेख्य ।

१२ तदनन्तरम् प्रत्येकस्मिन् बन्धे एकाङ्कस्य वृद्धि कार्या ।

१३ अन्तिमे बन्धे वर्ग-समङ्कस्य सर्वेऽपि अङ्का लेख्या ।

२ एकस्य बधस्य अधस्तात् अन्य बन्ध क्रमश लेख्य ।

३१ प्रत्येकस्य बन्धस्य स्वाभाविक-भाषाया रूपान्तर बन्धस्य दक्षिणे पार्श्वे लख्यम् ।

३२ समबोधक '=' चिन्ह बन्धस्य रूपान्तरस्य च उभयो योजक भवति ।

४ अधोमुख बाण एकस्य उपरिवर्तिन समबोधक-चिन्हस्य तदधोवर्तिन अपरस्य समबोधक-चिन्हस्य च उभयो योजक भवति ।

३१००१ वर्ग-समङ्क वर्गों को निश्रेणि के रूप में रखा जाय ।

३१००२ श्रृखला के लिखने की शैली निम्नलिखित है —

११ प्रथम बन्ध म प्रथम अक लिखा जाय,

१२ उसके अनन्तर प्रत्येक बन्ध में एक अक बढाया जाय,

१३ अन्तिम बन्ध में वर्ग-समक के सभी अक लिख दिए जाय,

२ एक बन्ध के नीचे अन्य बन्ध क्रमश लिख दिए जाय,

३१ प्रत्येक बन्ध के रूपान्तर को स्वाभाविक भाषा के बन्ध के दाहिनी ओर लिखा जाए,

३२ समबोधक '=' चिन्ह को बन्ध और उसके रूपान्तर दोनो के बीच योजक रूप में लिखा जाय,

४ अधोमुख बाण-किसी ऊपर के एक समबोधक चिन्ह तथा उसके नीचे के अन्य बोधक चिन्ह इन दोनो के बीच योजक रूप में लिखा जाय ।

३१००२ इस प्रकार लिख जाने का कारण केवल यही है कि इस साधन के द्वारा निश्रणि का स्वरूप अभासित हो सके ।

३१०१ वर्ग-समङ्क-प्रतियोगि-अनामक-अन्त्य-मुख-लक्ष्यक-अन्यतर-बन्ध मिथ्या-लक्ष्यम् ।

३१०१ य बन्ध वर्ग-समङ्क न भवति, अर्थात् वर्गीकरण-धारानुसारी, बोध-विषय चिन्हाना प्रतिरूपाणा समवाय न भवति, अथवा

यस्य बन्धस्य अन्त्येमुख विद्यमान लक्ष्य नाम रहित भवति, अर्थात् स्वाभाविक भाषाया सामान्य-व्यवहारे यस्य नाम न प्रचलित भवति,

तौ उभौ अपि बन्धौ मिथ्या बन्धौ इति उच्येते ।

३१०१

१ जो बन्ध वर्ग-समक नहीं होता, अर्थात् वर्गीकरण की धाराओ का अनुसरण करने वाला, बोध गम्य चिन्हों का समवाय नहीं होता, अथवा

२ जिस बन्ध के अन्य मुख में विद्यमान लक्ष्य नाम रहित होता है, अर्थात् स्वाभाविक भाषा और सामान्य व्यवहार में जिसका नाम प्रचलित नहीं होता,
वे दोनों ही बन्ध मिथ्या-बन्ध कहे जाते हैं।

३१०१ उदाहरणार्थ—यदि किसी बन्ध के अन्त में निम्नलिखितों में से कोई एक हो तो उस बन्ध को मिथ्या-बन्ध माना जाय—

१ योजक चिन्ह, अथवा
२ बोध चिन्ह, अथवा
३ अधिकतर अवसरों पर दो से न्यून अंगों का बना हुआ काल-समक।

३१०२ मुख-लक्ष्य-आश्लेष-अभ्यन्तर-अंश-विरत-ग्रन्थ-रचना-अन्वेषण-विषयता-शून्य-मूल-वर्ग संख्या-अन्त्य-बन्ध-बोध्य-विशिष्ट विषय-ग्रन्थ-अन्वेषक-अनन्विष्ट-विशिष्ट-विषय-बोधक : बन्ध : अवाञ्छित बन्ध :।

३१०२ य बन्ध

१ कस्यचित् मुखस्य कस्यचित् लक्ष्यस्य अंशे एव विरत भवति, अथवा कस्यचित् आश्लेषस्य अंशे एव विरत भवति,

२ य च तादृश विशिष्ट विषय बोधयति य ग्रन्थाना रचनाया अन्वेषणस्य वा पात्र न संभाव्यते, अथवा तादृश विशिष्ट विषय बोधयति य मूल-भूतस्य वर्ग-समङ्कस्य अन्त्येन बन्धेन बोध्यस्य विशिष्ट-विषयस्य ग्रन्थानाम् अन्वेषकेन पाठकेन न अन्विष्यते ;

तादृश बन्ध अवाछित बन्ध इति उच्यते।

३१०२ जो बन्ध

१ किसी मुख के किसी लक्ष्य में ही विरत हो जाय, अथवा किसी आश्लेष के अश में ही विरत हो जाय; तथा

२ किसी ऐसे विशिष्ट विषय का बोध कराये जिसमें ग्रन्थों की रचना की अथवा खोज की सभाव्यता न हो, अथवा जो ऐसे किसी विशिष्ट विषय का बोध कराये जिसके मूल-भूत वर्ग-सर्मक के अन्तिम बन्ध द्वारा बोध्य विशिष्ट विषय के खोजने वाले पाठक के द्वारा उसके खोजे जाने की सम्भाव्यता न हो, ऐसा बन्ध अवाछित - बन्ध कहा जाता है।

३१०२ इस धारा के व्यवहार मे स्थान-भेद की छूट दी गई है। किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का सगठन किया गया है, सेव्य पाठको की अभिरुचि कैसी है, किस प्रकार की सेवा उद्दिष्ट है आदि वस्तुओ का विचार कर प्रत्येक ग्रन्थालय अथवा सघटन को निर्णय करना चाहिए कि किन बन्धो को अवाछित माना जाय। इसके निर्णय के लिए ठीक उसी मार्ग का आश्रय लिया जाय जो अपने लिए सर्वथा उपयुक्त हो। इस प्रकार का जो यथार्थ, स्थानीय लक्षण हो उसका सदा नियमित रूप से अनुसरण किया जाय। यहा हमने "सघटन" शब्द का उपयोग राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थ सूचियो के तथा सामयिक प्रकाशनो की समूह सूची के निर्माण कार्य में लगी हुई समष्टियो को ध्यान में रखकर किया है।

३१०३ मिथ्या-अवाञ्छित-इतर-बन्धः सार्थकः।

३१०३ य बन्ध मिथ्या-बन्ध न भवति, य च अवाछित बन्ध अपि न भवति स बन्ध सार्थक बन्ध इति उच्यते।

३१०३ जो बन्ध मिथ्या अथवा वाछित न हो, वह सार्थक बन्ध होता है।

३१०३ उदाहरण

सूचन—११ धारा ३१०१ के द्वितीय प्रकार के मिथ्या-बन्धो के आगे *वर्ग नाम वृत्त कोष्ठको में दिए गए है।*

१२ अन्य मिथ्या-बन्धो के आगे वर्गनाम नही दिए गए हैं।

२ अवाछित-बन्धो के आगे वर्ग नाम ऋजु कोष्ठको में दिए गए हैं।

३ सार्थक-वन्धो के आगे वर्ग-नाम किसी कोष्ठक में आवृत्त किए विना ही रखे गए है।

४ ६३ से लेकर आगे के उदाहरणो में अस्थायी वोध चिन्ह लगाए गय है। **द्विबिन्दु वर्गीकरण** की चतुर्थ आवृत्ति में ही उनका अन्तिम रूप स्थिर किया जा सकता है। तव तक उन्हें अस्थायी ही कहना पडेगा।

उदाहरण १	वर्ग-समक	ड ४५ ४२१
ड	=	आयु शास्त्र
	↓	
ड ४	=	श्वास प्रणाली का आयु शास्त्र
	↓	
ड ४५	=	फेफडो का आयु शास्त्र
	↓	
ड ४५	=	
	↓	
ड ४५ ४	=	फफडो का रोग
	↓	
ड ४५ ४२	=	सक्रामक रोग
	↓	
ड ४५ ४२१	=	क्षय

चतुर्थ वन्ध मिथ्या है, कारण उसके अन्त में " " यह योजक चिन्ह है। अत उसके आगे कोई वर्ग नाम नही दिखलाया गया है। अन्य वन्ध सार्थक है।

उदाहरण २	वर्ग-समक	द १५२ २ढ ८६ २५
द	=	साहित्य
	↓	
द १	=	[यूरोपीय साहित्य]
	↓	
द १५	=	[सस्कृत साहित्य]
	↓	
द १५२	=	हिन्दी साहित्य
	↓	
द १५२	=	
	↓	
द १५२ २	=	हिन्दी नाट्य
	↓	
द १५२ २ढ	=	
	↓	
द १५२ २ढ ८	=	

द १५२ २ढ ८६ = प्रमाद (जयशकर)
↓
द १५२ २ढ ८६ =
↓
द १५२ २ढ ८६ २ = (प्रमादीय नाटको का द्वितीय अप्टक)
↓
द १५२ : २ढ ८६ २५ = ध्रुवस्वामिनी

जिन बँधो के आगे वर्ग-नाम नहीं दिया गया है,वे मिथ्या बध है एव जिनके आगे ऋण कोष्ठको मे वर्ग नाम दिया गया है वे अवाछित बध है। शेष सार्थक बध है।

उदाहरण ३ वर्ग-समक शढ २५६ झ ५१ ७३ थ ३

श = अर्थशास्त्र
↓
शढ =
↓
शढ २ =
↓
शढ २५ = सहकारिता
↓
शढ २५६ = सहकारी उद्योग
↓
शढ २५६ झ = सहकारी कृषि
↓
शढ २५६ झ =
↓
शढ २५६ झ ५ = सहकारी कृषि मे वाणिज्य
↓
शढ २५६ झ ५१ = सहकारी कृषि के वाणिज्य मे आपणन
↓
शढ २५६ झ ५१: =
↓
शढ २५६ झ ५१७ = [अमेरिका मे ,, ,,]
↓
शढ २५६ झ ५१७३ = सयुक्त राष्ट्र मे ,, ,,
↓
शढ २५६ झ ५१ ७३ =
↓
शढ २५६ झ ५१ ७३ थ = (,, १९००–९ तक)
↓
शढ २५६ झ ५१ ७३ थ ३ = (,, १९३०–९ तक)

जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम वृत्त कोष्ठक में दिए गए है तथा जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम नहीं दिए गए हैं वे बन्धधारा ३१०१ के अनुसार मिथ्याबन्ध है।

जिन बन्धो के आगे वर्गनाम ऋजु कोष्ठकों में दिए गए हैं वे बन्ध धारा ३१०२ के अनुसार अवाछित-बन्ध हैं। अन्य बन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-बन्ध हैं।

उदाहरण ४	वर्ग-समक ल ४४ २ ६ ह	
ल	=	इतिहास
	↓	
ल ४	=	[एशियाई इतिहास]
	↓	
ल ४४	=	भारतीय इतिहास
	↓	
ल ४४	=	
	↓	
ल ४४ २	=	भारतीय वैधानिक इतिहास
	↓	
ल ४४ २	=	
	↓	
ल ४४ २ ६	=	
	↓	
ल ४४ २ ६ ह	=	भारतीय वैधानिक विधि

जिन बन्धा के आगे वर्ग-नाम नहीं दिए गए हैं वे बन्ध धारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या बन्ध है।

जिन बन्धो के आगे वर्ग नाम ऋजु कोष्ठकों में दिए गए है वे बन्ध धारा ३१०२ के अनुसार अवाछित-बन्ध है।

अन्य बन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-बन्ध हैं।

उदाहरण ५	वर्ग-समक म ६ स ३१ भ ४४ म ३	
म	=	शिक्षा शास्त्र
	↓	
म ६	=	
	↓	
म ६ स	=	
	↓	
म ६ स ३	=	
	↓	
म ६ स ३१	=	ग्राम शिक्षण

म ९ म ३१ भ = ग्राम शिक्षण का गणन
↓
म ९ म ३१ भ ४ = [एशिया मे ,,]
↓
म ९ स ३१ भ ४४ = भारत मे ,,
↓
म ९ स ३१ भ ४४ =
↓
म ९ स ३१ भ ४४ य = (,, १९००-९९ तक)
↓
म ९ स ३१ भ ४४ थ ३ = (,, १९३०-९ तक)

जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम वृत्त कोष्ठक में दिए गए है तथा जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम नही दिए गए है वे बन्ध धारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या-बन्ध है।

जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम ऋजु कोष्ठक म दिए गए है वे बन्ध धारा ३१०२ के अनुसार अवाछित-बन्ध है।

अन्य बन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-बन्ध है।

उदाहरण ६ वर्ग-समक ह ४४ ३ प ढ ७२

ह = विधि
↓
ह ४ = [एशियाई ,,]
↓
ह ४४ = भारतीय विधि
↓
ह ४४ =
↓
ह ४४ ३ = सविदा की ,,
↓
ह ४४ ३ प = भारतीय सविदा विहित
↓
ह ४४ ३ प ढ = (१८००-९९ तक के ,,)
↓
ह ४४ · ३ प ढ ७ = (१८७०-७९ तक के ,,)
↓
ह ४४ ३ प ढ ७२ = १८७२ का भारतीय सविदा विहित

जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम वृत्त कोष्ठक में दिए गए है तथा जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम नही दिए गए है वे बन्ध धारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या-बन्ध है।

जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम ऋजु कोष्ठक दिए गए है वे बन्ध धारा ३१०२ के अनुसार अवाच्छित बन्ध है।

अन्य बन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-बन्ध है।

उदाहरण ७	वर्ग-समक	ऊ श ढ ८७ ६
ऊ	=	गणित
	↓	
ऊ श	=	गणितीय कृतियाँ
	↓	
ऊ श ढ	=	(१८००-६६तक उत्पन्न ग्रथकारो की कृतियाँ)
	↓	
ऊ श ढ ८	=	(१८८० ६ तक „ „ „)
	↓	
ऊ श ढ ८७	=	रामानुजन की कृतिया
	↓	
ऊ श ढ ८७	=	
	↓	
ऊ श ढ ८७ ६	=	„ कृतियो की समीक्षा

जिन बन्धो के आग वग-नाम वृत्त कोष्ठक म दिए गए है तथा जिन बन्धो के आग वग-नाम नही दिए गए है वे बन्ध धारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या-बन्ध है।

अन्य बन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-बन्ध है।

उदाहरण ८	वर्ग समङ्क	द १५२ २ढ८६ ६शथ१० ६
द १५२ २ढ८६ ६	=	प्रसादीय समीक्षा
	↓	
द १५२ २ढ८६ ६श	=	प्रसादीय समीक्षा विपयक कृतियाँ
	↓	
द १५२ २ढ८६ ६शथ	=	(१६००-६६ तक की „)
	↓	
द १५२ २ढ८६ ६शथ१	=	(१६१० १६ तक „)
	↓	
द १५२ २ढ८६ ६शथ१०	=	प्रसादीय समीक्षा विपयक जगन्नाथप्रसाद शर्मा की कृतियाँ
	↓	
द १५२ २ढ८६ ९शथ१०	=	
	↓	
द १५२ २ढ८६ ६श१० ६	=	प्रसादीय स मीक्षा विपयक जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की कृतियो की समीक्षा

जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम वृत्त कोष्ठक मे दिए गए है तथा जिन बन्धो के आगे वर्गनाम नही दिए गए है वे वन्ध धारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या-बन्ध है।

अन्य वन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-वन्ध है।

इस उदाहरण मे निश्रेणि का केवल निचला अ्श दिखाया गया है। ऊपरी भाग उदाहरण २ के समान ही है।

उदाहरण ९१ वर्ग-समङ्क ऊO ख

ऊ = गणित
↓
ऊO =
↓
ऊO ख = यन्त्र कलेय गणित

जिस बन्ध के आगे वर्ग-नाम नही दिया गया है वह बन्ध धारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या-बन्ध है।

अन्य वन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-बन्ध है।

उदाहरण ९२ वर्ग-समक क ४७O ख

क = वस्तु शास्त्र
↓
क ४ = ताप
↓
क ४७ = ताप-गति
↓
क ४७O =
↓
क ४७O ख = यन्त्र कला विशारदो के लिए तापगति

चतुर्थ बन्ध मिथ्या है तथा अन्य वन्ध सार्थक है।

उदाहरण ९३ वर्ग-समक घ ५५O ढ ६

घ = रसायन कला
↓
घ ५ = प्रागार रसायन कला
↓
घ ५५ = इन्धन रसायन ,
↓
घ ५५O = ,
↓
घ ५५O ढ = ,

↓
घ ५५० ८ ६ = काच-उद्योग-अर्थक-दन्धन रसायन कला

चतुर्थ तथा पचम बन्ध मिथ्या है, द्वितीय बन्ध अवाञ्छित है तथा अन्य बन्ध सार्थक है।

उदाहरण ९४ वर्ग-समक ह ४४. ३O श : ५४५

ह ४४ ३O =
↓
ह ४४ ३O श = अर्थ शास्त्र-अर्थक भारतीय सविदा विहित
↓
ह ४४ ३O श =
↓
ह ४४ ३O श ५ = वाणिज्य अर्थक ,, ,, ,,
↓
ह ४४ ३O श ५४ = आयात निर्यात-अर्थक भारतीय सविदा विहित
↓
४४ ३O श ५४५ = निर्यात-अर्थक ,, ,, ,,

प्रथम तथा तृतीय बन्ध मिथ्या है, पचम बन्ध अवाछित है तथा अन्य बन्ध सार्थक है।

प्रथम से पूर्व के बन्ध उदाहरण ६ मे पहले ही दिये जा चुके है।

उदाहरण ९५ वर्ग-समक व. ग र

व = राजशास्त्र
↓
व =
↓
व ग =
↓
व ग र = भू-राजशास्त्र

द्वितीय तथा तृतीय बन्ध मिथ्या हैं। प्रथम तथा चतुर्थ बन्ध सार्थक है।

उदाहरण ९६ वर्ग समक श ३. च ह . २

श = अर्थ शास्त्र
↓
श =
↓
श: ३ = वितरण
↓

श ३ =
↓
श ३. च =
↓
श ३ च ह = वितरण का विधि पर प्रभाव
↓
श ३ च ह =
↓
श ३ च ह २ = वितरण का सम्पत्ति विधि पर प्रभाव

चार बन्ध मिथ्या है, एक अवाञ्छित है तथा तीन समर्थक ह।

उदाहरण ६७ वर्ग समक क क ग

क = वस्तु शास्त्र
↓
क =
↓
क. क =
↓
क क ग = वस्तु शास्त्र तथा रसायन शास्त्र की तुलना

चार बन्धो में से दो मिथ्या है तथा दो सार्थक हैं।

उदाहरण ६८ वर्ग समक स ११ ३१ ७२ क स ११-३३ ७२

स = समाज शास्त्र
↓
स १ =
↓
स ११ = बाल
↓
स ११- =
↓
स ११ ३ =
↓
स ११ ३१ = ग्रामीण बाल
↓
स ११–३१ =
↓
स ११-३१ ७ = ग्रामीण बाल का व्यक्तित्व
↓
स ११ ३१ ७२ =
↓

स ११-३१ ७२ =
↓
स ११ ३१ ७२ क =
↓
स ११ ३१ ७२ क स =
↓
स ११ ३१ ७२ क स १ =
↓
स ११-३१ ७२. क स ११ =
↓
स ११ ३१ ७२ क स ११– =
↓
स ११ ३१ ७२ क स ११–३ =
↓
स ११-३१ ७२ क स ११-३३ =
↓
स ११-३१ ७२ क स ११ ३३ =
↓
स ११ ३१ ७२. क स ११-३३ ७ =
↓
स ११ ३१ ७२. क स ११–३३ ·७२= ग्रामीण बाल तथा नागरिक बाल की सतुलित मेधा

यहा सत्रह बन्ध मिथ्या है, एक अवाञ्छित है तथा पाच सार्थक बन्ध है।

---

३११ शीर्षकम्

शीर्षक

वरणम्

वरण

३११ **प्रति-प्रधान-विषयान्तर-संलेख-वर्ग-समङ्क-निश्रेणि-प्रति-सार्थक-बन्ध-अन्त्य-अङ्क-बोध्य-पदं शीर्षकम् ।**

३११ र्ग-निर्देशि-सलेखे प्रत्येकस्य प्रधान-सलेखस्य, विषयान्तर-सलेखस्य च वर्ग-समङ्कस्य परिणाम-

रूपायाः निश्रेण्याः प्रत्येकस्य सार्थकस्य बन्धस्य अन्त्येन अङ्केन बोध्य पद शीर्षक भवति ।

३११ **वर्ग-निर्देशी-संलेख म प्रत्येक प्रधान संलेख के तथा विषया-न्तर-संलेख के वर्ग-समंक की परिणाम-स्वरूप निश्रेणि के प्रत्येक सार्थक बन्ध के अन्त्य अंक द्वारा बोध्य पद शीर्षक होता है ।**

३११ वर्ग निर्देशी सलेखो का एक यह उद्देश्य है कि पाठक जिस विशिष्ट विषय मे अभिरुचि रखता हो उससे सम्बद्ध अध्ययन-सामग्री किस वर्ग-समक के नीचे प्राप्त होगी, उसका उसे ज्ञान करा दे। बहुधा पाठक अपने उद्दिष्ट विषय के नाम ग्रहण तथा निर्देश मे असमर्थ रहता है। अधिक से अधिक वह यह कर सकता है कि अधिक व्यापक विषय का ही नाम ले ले। इसका कारण उसकी अपनी स्वतन्त्र विचार-धारा हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि ग्रथालय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म बातो को वह जानता ही न हो। उसकी यह भ्रात धारणा हो सकती है कि जिन गहन विपयो मे उसकी अभिरुचि है उतने सूक्ष्मतम विशिष्ट विपयो को लेकर ग्रन्थालय सूची मे सलेख ही न बनाए गए हो। चाहे कोई भी कारण क्यो न हो,यह एक तथ्य है कि जिन विषयो की आवश्यकता होती है उनकी अपेक्षा अधिक व्यापक विषय ही पाठको द्वारा ढूढे जाते है। इसी सभावित आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए उपर्युक्त धारा के द्वारा, निश्रेणि के न केवल अन्तिम सार्थक-बन्ध अपितु ऊर्ध्ववर्ती बन्धो के प्रत्येक सार्थक-बन्धो के लिए, वर्ग-निर्देशी-सलेख की व्यवस्था की गई है।

३१११ **पूर्वधारा-अधिगत-व्यक्ति-साधन-असमर्थ-शीर्षक-पदं प्रधान-शीर्षकम् ।**

३११११०१ **व्यक्ति-साधनाय प्रस्तुत-उपसूत्र-साहाय्य पूर्वबन्ध-अन्त्य अङ्क-अधिगत-अतिरिक्त-पदं व्यक्ति-साधकम् ।**

३११११०२ **न्यूनतम-बन्ध-उपयोगः ।**

३११११०३ **प्रति-अतिरिक्त-पदम् उपशीर्षकम् ।**

३१११०३०	**पृथक् वाक्यम् ।**
३१११०४	**प्रति-शीर्षक-उपशीर्षक केवल-विशेष्यम् ।**
३१११०५	**आवश्यकत्वे सविशेषणम् ।**
३१११०५०	**यथा—**
	'बीजगणितीयं समीकरणम्'
	'पाचन-प्रणाली'
	'समूह-शास्त्राणि' च

३१११ शीर्षकहेतो पूर्व-धारया अधिगत पद व्यक्ति-साधने असमर्थ चेत् प्रधान-शीर्षकम् इति स्वीकार्यम्।

३१११०१ व्यक्ति-साधनाय प्रस्तुत-उपसूत्रस्य साहाय्येन पूर्व-वर्तिन एकस्य एकाधिकस्य वा बन्धस्य अन्त्यात् अङ्कात् अधिगतेन केनचित् अतिरिक्तेन पदेन व्यक्ति-साधन कार्यम् ।

३१११०२ ईदृश-बन्धाना न्यूनतम उपयोग श्रेयान् ।

३१११०३ पूर्वोक्त-प्रकारेण प्राप्त प्रत्येकम् अतिरिक्त पद उपशीर्षक भवति ।

३१११०३० प्रत्येकम् उपशीर्षक पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

३१११०४ प्रत्येक शीर्षकम् उपशीर्षक च केवल विशेष्य भवति।

३१११०५ आवश्यक चेत्, तत् विशेष्य विशेषणेन विशिष्ट कार्यम् ।

३१११ **यदि शीर्षक के लिए पूर्व धारा से प्राप्त पद व्यक्ति-साधन करने में असमर्थ हो, तो उसे प्रधान शीर्षक के रूप में लिया जाय।**

३१११०१ **व्यक्ति साधन के लिए प्रस्तुत-उपसूत्र[२७] की सहायता से**

---

२७ रगनाथन (श्री. रा)' ग्रन्थालय वर्गीकरण प्रवेश १९३७ (मद्रास ग्रन्थालय सघ, प्रकाशन माला, ६) पृ. ७१-७२

पूर्ववर्ती किसी एक अथवा अधिक बन्ध से प्राप्त किए हुए अतिरिक्त पद द्वारा व्यक्ति-साधन किया जाय ।

३१११०२ इस प्रकार के बन्धों का कम से कम उपयोग श्रेयस्कर है ।

३१११०३ पूर्वोक्त प्रकार से प्राप्त प्रत्येक अतिरिक्त पद उपशीर्षक होता है ।

३१११०३० प्रत्येक उपशीर्षक पृथक् वाक्य माना जाय ।

३१११०४ प्रत्येक शीर्षक तथा उपशीर्षक केवल विशेष्य होता है ।

३१११०५ यदि आवश्यकता हो, तो उस विशेष्य के साथ विशेषण लगा दिया जा सकता है ।

३१११०५० उदाहरणार्थ,

'बीजगणितीय समीकरण', पाचन-प्रणाली', तथा 'समूह-शास्त्र' का उल्लेख किया जा सकता है ।

३११२ संपूर्ण-वर्ग-समङ्क-तदश-मात्र-अन्यतरस्य व्यक्ति-वाचक-नामत्व-लोक-प्रसिद्ध-एक-पद-रूपान्तर-सहत्व-अन्यतरत्वे तत् शीर्षकम् ।

३११२ सपूर्ण वर्ग-समङ्क, तस्य अश-मात्र वा व्यक्ति-वाचक-नाम चेत्, लोके प्रसिद्ध एकपदात्मक रूपान्तर वा सहेत चेत् तत् नाम पद शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

३११२ यदि सम्पूर्ण वर्ग-समक अथवा उसका अशमात्र व्यक्ति-वाचक नाम हो, अथवा उसका लोक-प्रसिद्ध एक पद के रूप में रूपान्तर किया जा सकता हो, तो उम नाम अथवा पद को शीर्षक के रूप म लिया जाय ।

उपकल्पनम्

उपकल्पन

३११४	**मानित-व्यवहृत-वर्गीकरण-पद्धति-परिगणित-पदानि शीर्षकाणि।**
३११४१	**व्यक्ति-नाम-शीर्षक-पदं १२१ धारोपधारामनु।**
३११४२	**समष्टि-नाम-शीर्षक-पदं १२३ धारोपधारामनु।**
३११४३	**अप्राप्त-पूर्व धारा-द्वय-एकाधिक-पदात्मक-शीर्षक-पदे प्रति-समस्त पद-वाक्य-पदानि अनुस्वभाव-क्रमम्।**

३११४	मानिताया व्यवहृतायां च वर्गीकरणस्य पद्धत्यां परिगणितानि पदानि शीर्षकत्वेन स्वीकार्याणि।
३११४१	शीर्षकत्वेन व्यवहृतं पद व्यष्टि-नाम चेत् तत् प्रथमाध्यायस्य १२१ धारा तदीयाम् उपधारां च अनुसृत्य लेख्यम्।
३११४२	शीर्षकत्वेन व्यवहृत पदं समष्टि-नाम चेत् तत् प्रथमाध्यायस्य १२३ धारां तदीयाम् उपधारा च अनुसृत्य लेख्यम्।
३११४३	३११४१-३११४२ धारयोः अप्राप्तौ, शीर्षकत्वेन व्यवहृते पदे च एकाधिक-पदात्मके समस्त-पदस्य सर्वाणि पदानि तेषा स्वाभाविक क्रमम् अनुसृत्य लेख्यानि।

३११४	**मानित तथा व्यवहार में लाई हुई वर्गीकरण की पद्धति में परिगणित पद शीर्षक के रूप में स्वीकार किए जायं।**

३११४१ शीर्षक के रूप म व्यवहृत पद यदि व्यक्ति का नाम हो तो वह प्रथम अध्याय की १२१ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय ।

३११४२ शीर्षक के रूप में व्यवहृत पद यदि समष्टि का नाम हो, तो वह प्रथम अध्याय की १२३ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय ।

३११४३ यदि ३११४१ तथा ३११४२ धाराओं की प्राप्ति न हो तथा शीर्षक के रूप में व्यवहृत पद में एक से अधिक पद हों, तो समस्त पद के प्रत्येक पद उनके स्वाभाविक क्रम का अनुसरण कर लिखे जाय ।

३११५ एकाधिक-आश्लेष-घटित-वर्ग-समङ्क-विभिन्न-आश्लेष-बोध्य-पदानि, व्यवहृत-वर्गीकरण-पद्धति-परिगणित-योजक-चिह्न-मानित-पर्याय-भूत-'प्रभावयन्'-'प्रवणयन्'-'तुलयन'-प्रभृति-योग्य-पदैः योज्यानि ।

३११५ आश्लेष-संवादि-शीर्षक-अंशे एकाधिक-वाक्यमये एकम् ।

३११५ वर्ग समङ्क एकाधिक आश्लेप चेत्, तस्य विभिन्नै आश्लेषैं बोध्यानि पदानि , व्यवहृताया वर्गीकरण-स्य पद्धत्या परिगणिताना योजक-चिन्हाना मानित-पर्याय-भूतै 'प्रभावयन्' इति 'प्रवणयन्' इति, 'तुलयन्' इति, तत्सदृशै अन्यै वा योग्यै पदै यथा-स्थानम् अन्योन्य योजनीयानि ।

३११५१ योजक-पदै सयुक्ताना आश्लेपाना मध्ये, कस्यचन आश्लेपस्य सवादिन शीर्षकस्य कश्चन अश एका-

धिक-वाक्यमय चेत् पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प-विराम कृत्वा एक वाक्य कार्यम् ।

३११५ यदि वर्ग-समंक में एक से अधिक आश्लेष हों, तो उन विभिन्न आश्लेषों से बोध्य पदों को, व्यवहार में लाई हुई वर्गीकरण की पद्धति में परिगणित योजक चिन्हों के मानित पर्याय रूपी, 'प्रभावित', 'प्रवण', 'तुलित', तथा उसी प्रकार के अन्य योजक पदों द्वारा यथास्थान परस्पर जोड़ दिया जाय।

३११५१ यदि योजक पदों से युक्त आश्लेषों में से किसी एक आश्लेष के सवादी शीर्षक का कोई अश एक से अधिक वाक्यों से बना हुआ हो, तो पूर्ण विराम के स्थान में अल्प-विराम कर उन वाक्यों का एक वाक्य बना लिया जाय।

३११६ शीर्षक-पद-प्रचलन-रूपान्तर-सावधानता।

३११६१ प्रचलन-हानौ प्रचलत्।

३११६ शीर्षके विद्यमानाना पदाना प्रचलन-विषये सूचीकार निरन्तर सावधान भवेत्।

३११६१ शीर्षक-पदस्य प्रचलने हानि चेत्, तत्तत्काले प्रचलत् पद शीर्षकमिति स्वीकृत्य सलेख लेख्य।

३११६ शीर्षक में विद्यमान पदों की प्रसिद्धि का निरन्तर ध्यान रखा जाय।

३११६१ यदि शीर्षक में विद्यमान पद के प्रचलन का अन्त हो जाय, तो उस समय में प्रचलित पद को शीर्षक के रूप में स्वीकार कर सलेख लिखा जाय।

३११६१ प्रस्तुत धारा एक ऐसे तत्त्व की ओर निर्देश करती है जिसके कारण वर्ग-निर्देशी-सलेख सूचीकार के लिए एक कसौटी बन जाते हैं। वर्गीकरण का एक महत्त्व-

पूर्ण उपसूत्र यह है कि वर्गीकरण की तालिका में किसी वर्ग के सूचन के लिए जो पद उपयोग में लाया जाय उसका अर्थ स्थिर हो। यह सभव है कि जो व्यक्ति ग्रथालय का सचालन करते हो वे उस उपसूत्र का आदर करे और एक पद का एक ही अर्थ में सर्वदा उपयोग करते रहे। किंतु कुछ ऐसी अज्ञात शक्तिया सदा काम करती रहती हैं जो काल क्रमानुसार शब्दो के अर्थो को बदल देती हैं। उन पर किसी भी व्यक्ति का नियत्रण नही चल सकता। असुर, देवाना, प्रिय, आदि शब्दो के अर्थों मे उतार-चढाव उदाहरण स्वरूप दिये जा सकते हैं। ससार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नही है जो मानवोपयोग में आने वाले इन शब्दो के अर्थों में अर्थ-सम्बन्धी परिवर्तनों को रोक सके। वगकार तथा सूचीकार का तो कहना ही क्या ? जो परिवर्तन शताब्दी में होते हैं उनकी तो बात और है। ग्रथालय-सूची तो एक स्थायी वस्तु है। अत उसे इसका भी ध्यान रखना ही पडेगा। महान् ऑक्सफोर्ड कोश के (*Oxford Dictionary*) प्रकाशित पूरक सपुट द्वारा यह सर्वथा प्रमाणित कर दिया गया है कि एक ही पीढी के अन्दर असाधारण गति से नये पद उत्पन्न होते हैं तथा पुराने पदो के अर्थो में विचित्र प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं।

जिस वस्तु की रोकथाम हम सर्वथा नही कर सकते हो उसे योग्य सुव्यवस्थापन द्वारा समाहित करना पडेगा। यही वह स्थल है जहा साप्रतिकता के उपसूत्र द्वारा सूची के सुधार की पुकार कार्यशील होती है। यहाँ सुधार से हमारा तात्पर्य अन्तर्वर्ती सुधार [२८] से है। भौतिक पत्रक का सुधार दूसरी वस्तु है। वर्ग निर्देशी-सलेखों के शीर्षको के रूप में उपयुक्त पद ज्यो-ज्यो गत-काल होते जायें त्यो-त्यो अनेक नए पर्यायो के शीर्षको मे युक्त पत्रक लगाए जाय। इस प्रक्रिया में सतत अवधान तथा परिश्रम की आवश्यकता है। अन्यथा सूची द्वारा पाठको की सहायता तो दूर रही, उल्टे उस के द्वारा अति भ्रम तथा भयानक हानि होगी। साथ ही समय समय पर इस प्रकार के सलेखों का अन्तर्निवेश यह अनिवार्य कर देता है कि सूची का भौतिक स्वरूप विशिष्ट प्रकार का हो। वह ऐसा हो जिस से हम जब चाहे तब ही जिस किसी सलेख को निकाल सके शुद्ध कर सकें अथवा बदल सकें और साथ ही अन्य सलेखो में किसी प्रकार की कोई गडबडी भी न हो। इस

---

२८ रगनाथन (श्री रा) ग्रथालय वर्गीकरण प्रवेश १९३७. (मद्रास ग्रथालय सघ, प्रकाशन माला, ६). पृ ६७.

परिस्थिति के कारण सूची का लेजर (बद्ध-सपुटित) स्वरूप सर्वथा अव्यावहारिक प्रमाणित हो चुका है तथा हमें पत्रक-सूची को सर्वोत्तम मानना पडता है।

३११७ विशिष्ट-वर्ग-निर्देशि-संलेखः पुनर्न ।

३११७ केनचन पुस्तकेन अपेक्षित वर्ग निर्देशि-सलेख, अपरस्य पुस्तकस्य हेतो पूर्व लिखित सूच्याम् आदित एव विद्यते चेत् स पुनरपि न लेख्य. ।

३११७ **किसी एक पुस्तक के द्वारा अपेक्षित कोई वर्ग-निर्देशी-सलेख यदि दूसरी पुस्तक के लिए पहले लिखा हुआ सूची में आदि से ही विद्यमान हो,तो वह फिर से न लिखा जाय।**

३११७ इस धारा का तात्पर्य स्पष्ट है। किन्तु यहा यह कह देना आवश्यक है कि उपर्युक्त धारा के परिणामस्वरूप, यद्यपि निर्देशी-पत्रक न लिखा जाय, तथापि किसी ग्रथ द्वारा अपेक्षित वर्ग-निर्देशी-सलेख का शीर्षक तो प्रधान पत्रक के पृष्ठ भाग में लिखना ही पडेगा। इसका कारण यह है कि प्रधान पत्रक के पृष्ठ भाग द्वारा उन सभी निर्देशी-सलेखो का पूर्णत विश्वसनीय निर्देश होना चाहिए जो सलेख उस विशिष्ट ग्रथ से सम्बन्ध रखते हो।

मद्रास विश्वविद्यालय ग्रथालय में एक प्रक्रिया ढूढ निकाली गई थी। यदि हम यहा एक साधारण किंतु महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक विवरण देना चाहे तो उस प्रक्रिया का उल्लेख किया जा सकता है। जो शीर्षक किसी पहले के ग्रथ के कारण ग्रथालय-सूची में आरम्भ से ही स्थान पा चुके हो वे ही शीर्षक यदि प्रधान पत्रक के पृष्ठ भाग पर पुन आए तो उन्हे पहचानने के लिये टायपिस्ट और Amanuensis के समझाने के लिए प्रधान पत्रक के पृष्ठ-भाग पर दिये हुए उस शीर्षक के ठीक आगे पेंसिल का एक छोटा-सा बिन्दु बना दिया जाता था। यह प्रक्रिया बडी ही लाभदायक प्रमाणित हुई है।

३११८ स्वनाम-ज्ञात-नामक-ग्रंथकार-स्वग्रंथकार-उभयबोधक-एकाङ्क-युक्त-चिर-गहन-ग्रंथ-

तद्व्याख्या-सदृश-कृतेः वर्ग-निर्देशि-संलेखेषु निर्दिश्यमान-शीर्षकाणि ।

३११८० यथा—

१ कृतिनाम (मुख्यशीर्षकम्);

२ ग्रंथकार-नाम (मुख्यशीर्षकम्);

३ प्रतिप्रकार-परिवृत्ति-पुरःसर ग्रंथकार-नामानि च (मुख्यशीर्षकम्) ।

३११८०१ व्यक्ति-साधन-असमर्थ-कृति-नाम्नः परं ग्रंथकारनाम (उपशीर्षकम्);

३११८०२ व्यक्ति-साधन-असमर्थ-ग्रंथकार-नाम्नः परं कृतिनाम (उपशीर्षकम्);

३११८ कस्यचन चिर गहन-ग्रन्थस्य, तस्य व्याख्याया सदृशाया वा कृत,

१ स्वीय नाम स्यात्

२ स्व-ग्रन्थकारस्य नाम ज्ञान स्यात्, अथ च

३ एक एव अङ्क स्वस्य ग्रन्थस्य ग्रन्थकारस्य च उभयो बोधक स्यात्, तादृशाया कृते वर्ग-निर्देशि-सलेखेपु निम्नलिखितानि शीर्पकाणि क्रमश भवन्ति ।

३११८० तानि शीर्पकाणि निम्नलिखितानि भवन्ति —

१ कृते नाम मुख्य-शीर्पकेपु प्रथम प्रकार भवति,

२ ग्रन्थकारस्य नाम मुख्य-शीर्पकेपु द्वितीय प्रकार भवति,

३ एकाधिक-ग्रन्थकारत्वे च प्रत्येकेन प्रकारेण परि-

वृत्ति कृत्वा ग्रन्थकार-नामानि तृतीय प्रकार भवति ।

३११८०१ कृते नाम व्यक्ति-साधने असमर्थ चेत् ग्रन्थकारस्य नाम उपशीर्षक भवति ।

३११८०२ ग्रन्थकारस्य नाम व्यक्ति-साधने असमर्थ चेत् कृते नाम उपशीर्षक भवति ।

३११८ किसी चिरगहन ग्रन्थ का अथवा उसकी व्याख्या के सदृश कृति का—

१ अपना नाम हो;

२ अपने ग्रन्थकार का नाम ज्ञात हो, तथा

३ एक ही अक अपना (ग्रन्थ का) तथा ग्रन्थकार दोनो का बोधक हो उस प्रकार की कृति के वर्ग-निर्देशी-सलेखो में क्रमश. निम्नलिखित शीर्षक होते हैं ।

३११८० वे शीर्षक निम्नलिखित होते हैं :—

१ कृति का नाम मुख्य शीर्षकों में प्रथम प्रकार होता हैं;

२ ग्रन्थकार का नाम मुख्य शीर्षको में द्वितीय प्रकार होता हैं;

३ एक से अधिक ग्रन्थकार होने पर प्रत्येक प्रकार से परि-वृत्तिकर ग्रन्थकार के नाम तृतीय प्रकार होता है ।

३११८०१ यदि कृति का नाम व्यक्ति-साधन में असमर्थ हो, तो ग्रन्थ कार का नाम उपशीर्षक होता है ।

३११८०२ यदि ग्रन्थकार का नाम व्यक्ति-साधन में असमर्थ हो, तो कृति का नाम उपशीर्षक होता है ।

३१२ अन्तरीणम्

३१२१ "प्रस्तुत-वर्ग-तदुपभेद-ग्रंथेभ्यः सूची-अनुवर्ग-भागेपुरोनिर्दिष्ट-वर्ग-संख्याया अधो द्रष्टव्यम्" इति-देशक-पदानि अन्तरीणम् ।

३१२१ शीर्षकस्य वोधकः वर्ग-समङ्कः निर्देशि-समङ्कः भवति पुस्तक-निर्देशि-सलेखे यथाक्रमं त्रयः अनुच्छेदाः भवन्ति ।

३१२१ "प्रस्तुत वर्ग के तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिए सूची के अनुवर्ग भाग में, सामने दिए हुए वर्ग-समंक के नीचे देखिए" ये देशक पद अन्तरीण होता हैं ।

३१२१ वर्ग-निर्देशी सलेखों के लिए जिन पत्रको का उपयोग किया जाय उन पर यदि उपर्युक्त देशक-पद यथास्थान में प्रवणाक्षरों में छपा लिये जायें तो वे सलेख अधिक सुन्दर एवं सुवाच्य प्रतीत होगे ।

निर्देशि समङ्कः

३१२२ शीर्षक बोधक-वर्ग समङ्कः निर्देशि समङ्कः ।

३१२२ शीर्षक का बोध कराने वाला वर्ग-समंक निर्देशी-समंक के रूप में लिखा जाता हैं ।

३१२२ धारा ३१०३ के नीचे दिये हुए वर्ग समको के लिए निम्नलिखित वर्ग-निर्देशी-संलेख लिखने पडेगे ।

उदाहरण १

११ क्षय. फेफडे.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समंक के नीचे देखिए

द४५ ४२१

१२. संक्रामक रोग. फेफड़े

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ड४५ ४२

१३ रोग फेफड़े

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ड४५४

१४ फेफड़े आयु शास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए

ड४५

१५ श्वास प्रणाली आयु शास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ड ४

१६ आयु शास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ड

उदाहरण २

२१ ध्रुवस्वामिनी

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्था के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द १५२ २ ढ ८९ २५

२२ प्रसाद (जयशङ्कर) नाट्य

प्रस्तुत वर्ग तथा उस के उपभेदो के ग्रन्था के लिये अनुवर्ग भाग म सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द १५२ २ ढ ८९

२३ नाट्य हिन्दी

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द १५२ २

२४. हिन्दी साहित्य

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द १५२

२५ साहित्य

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग म सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए

द

उदाहरण ३

३१ सयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपणन कृषि सहकारिता

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के गन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

श ढ २५९ झ ५१ ७३

३२ आपणन कृषि सहकारिता

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अगुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए

श ढ २५९ झ ५१

३३ वाणिज्य कृषि सहकारिता

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामन दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

श ढ २५९ झ ५

३४ कृषि सहकारिता

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

श ढ २५९ झ

३५ उद्योग सहकारिता

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे दखिए

श ढ २५९

३६ सहकारिता अर्थशास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

श ढ २५

३७. अर्थशास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग म सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

श

उदाहरण ४

४१. विधि विधान भारत

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ल ४४ २ ९ ह

४२. विधान भारत

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ल ४४ २

४३. भारत इतिहास

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ल ४४

४४ इतिहास

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग म सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ल

उदाहरण ५

५१. भारत गणन ग्राम-शिक्षण

प्रस्तुत वर्ग तया उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

म ९ स ३१ भ ४४

५२ गणन ग्राम-शिक्षण

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिय अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए

म ९ स ३१ भ

५३. ग्राम-शिक्षण

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

म ९ स ३१

५४. शिक्षण-शास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

म

उदाहरण ६.

६१ भारतीय संविदा विहित,१८७२

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ह ४४ ३ प ढ ७२

६२ विहित संविदा भारत

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए

ह ४४ ३ प

६३ संविदा भारत विधि

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए

ह ४४ ३

६४. भारत विधि

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ह ४४

६५ विधि

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए

ह

उदाहरण ७

७१. समीक्षा रामानुजन (श्री निवास)

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए

ऊ श ढ ८७ ९

७२. रामानुजन (श्री निवास). कृति.
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग
भाग म सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए
ऊ श ८७

७३. कृति गणित
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए
ऊ श

७४. गणित
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए
ऊ

उदाहरण ८.

८१. समीक्षा जगन्नाथ प्रसाद शर्मा समीक्षा. प्रसाद (जयशङ्कर). नाटच.
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग
भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए
द १५२ २ढ ८९ ९ श थ १० ९

८२. जगन्नाथ प्रसाद शर्मा समीक्षा. प्रसाद (जयशङ्कर) नाटच.
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए
द १५२ २ढ ८९ ९ श थ १०

८३. कृति समीक्षा प्रसाद (जयशङ्कर) नाटच.
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए
द १५२ २ढ ८९ ९ श

८४. समीक्षा प्रसाद (जयशङ्कर) नाट्य.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द १५२ २ ढ ८९ : ६

८५. प्रसाद (जयशङ्कर). नाट्य

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द १५२ २ ढ ८९

८६. नाट्य हिन्दी.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द १५२ : २

८७. हिन्दी. साहित्य

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द १५२

८८. साहित्य.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

द

उदाहरण ९१.

९११. यन्त्रकला. प्रवण गणित.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ऊ O ख

उदाहरण ९२

९२१. यन्त्रकला प्रवण तापगति.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

क ४७ O ख

९२२. तापगति.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

क ४७

९२३. ताप.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

क ४

९२४. वस्तु-शास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

क

उदाहरण ९३.

९३१. काव-उद्योग प्रवण इन्धन, रसायन-कला

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

घ ५५ O ढ ६

९३२. इन्धन. रसायन-कला

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

घ ५५

९३३ रसायन कला.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थो के लिय अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

घ

उदाहरण ९४.

९४१ निर्यात प्रवग संविदा, विधि, भारत.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ह ४४ : ३ O श : ५४५

९४२ वाणिज्य प्रवण संविदा, विधि, भारत.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

ह ४४ ३ O श : ५४

अन्य सलेखों को लिखने की आवश्यकता नही है, कारण वे उदाहरण ६ के अन्तर्गत ६३,६४ तथा ६५ सलेखों के रूप में पहले ही लिखे जा चुके हैं।

उदाहरण ९५

९५१ भू-राजशास्त्र.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

व. गं र

"भूगोल प्रभावित-राजशास्त्र" के लिए "भू-राज शास्त्र" इस एक पद का उपयोग किया जा सकता है। वही इस सलेख के शीर्षक के रूप में व्यवहृत किया गया है।

९५१. भूगोल.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिय अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

र

उदाहरण ९६

९६१ सपत्ति विधि प्रभावक वितरण, अर्थशास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

श ३ च ह २

९६२ वितरण-अर्थशास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

श ३

उदाहरण ९७

९७१ रसायनकला तुलित वस्तुशास्त्र.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

क क ग

९७२. वस्तुशास्त्र

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

क

उदाहरण ९८.

९८१. मेधा. नगर-बाल तुलित मेधा, ग्रामीणबाल

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

स ११-३१ ७२क स ११-३३ ७२

९८२ मेधा, ग्रामीण बाल

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

स ११-३१ · ७२

९८३ ग्रामीण बाल समाजशास्त्र.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

स ११-३१

९८४ बाल. समाजशास्त्र.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

स ११

९८५ समाजशास्त्र.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

स १

उदाहरण १.

फ ६६ · ५ श१ = शकर. ब्रह्मसूत्रभाष्य.
↓
फ ६६ : ५ श१२ = वाचस्पति. मिश्र भामती.
↓
फ ६६ ५ श१२१ = अमलानन्द. कल्पतरु.
↓
फ ६६ · ५ श१२११ = अप्पय दीक्षित परिमल.
↓

उपर्युक्त धारा के अनुमार निम्नलिखित आठ वर्ग-निर्देशी-सलेखो को लिखने की आवश्यकता पडती है।

---

१ ब्रह्मसूत्र भाष्य शङ्कर

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

फ ६६ ५ श १

---

२ शङ्कर ब्रह्मसूत्र भाष्य

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

फ ६६ ५ श १

---

३ भामती

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

फ ६६ ५ श १२

---

४ वाचस्पति मिश्र भामती

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामन दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

फ ६६ ५ श १२

---

५ कल्पतरु

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

फ ६६ ५ श १२१

---

६. अभलानन्द. कल्पतरु.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

फ ६६ . ५ श १२१

७ परिमल.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग मे सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

फ ६६ ५ श १२११

८ अप्पय दीक्षित. परिमल.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

फ ६६ : ५ श १२११

उदाहरण २

न १५ · क श१ — पाणिनि 'अष्टाध्यायी'

↓

न १५ : क श१८ — जयादित्या तथा वामन

अन्त्य बन्ध के कारण निम्नलिखित तीन वर्ग निर्देशी सलेख लिखने पड़ेगे —

२१ काशिका.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

न १५ · क श १८

२२. जयादित्य तथा वामन.

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

न १५ . क श १८

२३ वामन तथा जयादित्य

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए

न १५ के श १८

३२ पुस्तक-निर्देशि-सलेख

३२ पुस्तक-निर्देशि-संलेखे अनुच्छेदाः त्रयः ।

३२०० यथा—

१ शीर्षकम् (अग्रानुच्छेदः);

२ अन्तरीण-निर्देशि-समङ्कौ;

३ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनं च ।

३२००२ द्वितीयानुच्छेद-प्रतिभागो वाक्यम् ।

३२००३ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनम् उद्धार-कोष्ठके ।

३२००२ द्वितीयस्य अनुच्छेदस्य प्रत्येक भाग पृथक् वाक्य भवति ।

३२००३ तृतीयानुच्छेदे नैमित्तिकस्य पुस्तकस्य अधिसूचनम् उद्धार कोष्ठके (=" ") लेख्यम् ।

३२ पुस्तक-निर्देशी - सलेख में क्रमश तीन अनुच्छेद होते हैं ।

३२०० वे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं :—

१ शीर्षक (अग्रानुच्छेद); तथा

२ अन्तरीण तथा निर्देशी-समक, तथा

३ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचन यदि आवश्यक हो ।

३२००२ द्वितीय अनुच्छेद का प्रत्येक भाग पृथक् वाक्य होता है ।

३२००३ तृतीय-अनुच्छेद में नैमित्तिक-पुस्तक का अधिसूचन उद्धार कोष्ठक में (" ") लिखा जाय ।

३२०१ शीर्षक-अंतरीण-अभिन्न-निर्देशि-समङ्क-विभिन्न-एकाधिक-संलेखाः एकत्र ।

३२०२ क्रामक-समङ्काः यथाक्रमम् ।

३२०३ अर्ध-विरामः विभाजकः ।

३२०१ यदि एकाधिकाः संलेखाः शीर्षके अन्तरीणे च अभिन्नाः स्युः, केवलं निर्देशि-समङ्के च विभिन्ना स्युः, तादृशा संलेखाः एकत्र लेख्याः ।

३२०२ अस्मिन् एकीकृते संलेखे विभिन्नाः क्रामक-समङ्काः क्रमेण लेख्याः ।

३२०३ कयोश्चन द्वयोः क्रामक-समङ्कयो अर्ध-विरामः विभाजकः भवति ।

३२०१ यदि एक से अधिक संलेख शीर्षक तथा अन्तरीण में अभिन्न हों, तथा केवल निर्देशी-समंक में ही विभिन्न हों, तो ऐसे संलेखो को एक में लिख दिया जाय ।

३२०२ इस स्वीकृत संलेख में विभिन्न क्रामक-समंक क्रमशः लिखे जायं ।

३२०३ किन्हीं दो क्रामक-समंकों को अर्द्ध-विराम द्वारा विभाजित कर दिया जाय ।

३२१ शीर्षकाणि

३२१ पुस्तक-निर्देशि-संलेखे अधस्तनानाम् अन्यतम शीर्षकम् ।

३२१० यथा—

१ पुस्तक-अपेक्षित-वर्ग-निर्देशि-संलेख-अनुपयुक्त-प्रधान-संलेख-शीर्षकम् ;

२ प्रथम-प्रकारक-शीर्षक-सहग्रंथकार-सहसह-
कारनाममयत्वे द्वितीय ग्रंथकार-सहकार-
अन्यतरनाम;

३ प्रधान-संलेख-आख्यादि-द्वितीय-भाग-उल्लि-
खित-प्रतिसहकारनाम;

४ प्रधान-संलेख-प्रति-स्वतंत्रमाला-अधि-
सूचनक-माला-नाम;

५ प्रधान-संलेख-प्रति-अन्योन्यतंत्र-माला-
अधिसूचन-माला-नाम;

६ उद्गृहीत-अधिसूचन-उल्लिखित-कृति-शीर्ष-
कम्;

७ वर्ग-निर्देशि-संलेख-शीर्षक-अयोग्य-प्रधान-
संलेख-शीर्षक-अनुपयुक्त प्रथमपद-पुस्तक-
प्रतिपाद्य-विषय-असूचक-काल्पनिक-
आख्या;

८ आख्या-अन्तर-प्रकाशित-पुस्तक प्रति-
आख्यं प्रथम-प्रकारः।

३२१०० पुस्तकापेक्षित-प्रतिप्रकारम् एकः।

३२१० पुस्तक-निर्देशि-सलेखस्य शीर्षकाणाम् अष्टौ प्रकाराः
भवन्ति :—

१ यत् शीर्षकं तद्रूपम् एव, तेन पुस्तकेन अपेक्षितस्य
वर्ग-निर्देशि-सलेखस्य शीर्षकत्वाय उपयुक्तं न
भवति तादृशं प्रधान-सलेखस्य शीर्षकं प्रथमः प्रकारः

२ पूर्वोक्ते प्रथम-प्रकारके शीर्षके सहग्रन्थकारयोः सह-सहकारयो. वा नामनी विद्येते चेत्, द्वितीयस्य ग्रन्थकारस्य सहकारस्य वा नाम द्वितीय. प्रकारः;

३ प्रधान-संलेखस्य आख्यादि—अनुच्छेदीये द्वितीये भागे उल्लिखितस्य प्रत्येकस्य सहकारस्य नाम तृतीयः प्रकारः;

४ प्रधान-सलेखस्य प्रत्येकस्मिन् स्वतन्त्रे माला-अधिसूचने वर्तिन्या मालायाः नाम चतुर्थः प्रकार ;

५ प्रधान-संलेखस्य प्रत्येकस्मिन् अन्योन्यतन्त्रे माला-अधिसूचने वर्तिन्या मालाया नाम पंचम· प्रकार.;

६ उद्गृहीत-अधिसूचने उल्लिखिताया. कृतेः शीर्षकं षष्ठ. प्रकार;

७ या आख्या वर्ग-निर्देशि-संलेखस्य शीर्षकत्वाय योग्या न भवति, यस्याश्च प्रथम पद प्रधान-संलेखस्य शीर्षकत्वाय उपयुक्तं न भवति, या च पुस्तकस्य प्रतिपाद्य विषयं न सूचयति, तादृशी काल्पनिका-पुस्तकस्य आख्या सप्तमः प्रकारः भवति;

८ पुस्तके विभिन्नाभि. आख्याभि. मह प्रकाशिते प्रत्येकस्यै आख्यायै प्रथम प्रकारः पुनः अपि स्वीकार्य. ।

३२१०० विशिष्टेन पुस्तकेन अपेक्षित प्रत्येक प्रकारम् आश्रित्य एकैकः सलेखो लेख्यः ।

३२१ पुस्तक-निर्देशी-सलेख में निम्नलिखितो में से कोई एक शीर्षक होता है ।

३२१० पुस्तक-निर्देशी-संलेख के शीर्षको के आठ प्रकार होते हैं :—

१ जो शीर्षक ठीक उसी रूप में, उसी पुस्तक से अपेक्षित वर्ग-

निर्देशी सलेख के शीर्षक के लिए उपयुक्त नहीं होता ऐसा प्रधान-सलेख का शीर्षक प्रथम प्रकार होता है ;

२ पूर्वोक्त प्रथम प्रकार के शीर्षक में दो सह-ग्रन्थकारो या दो सह-सहकारो के नाम विद्यमान हो, तो द्वितीय ग्रन्थकार अथवा सहकार का नाम द्वितीय प्रकार होता है ;

३ प्रधान सलेख के आख्यादि-अनुच्छेद-सम्बन्धी द्वितीय भाग में उल्लिखित प्रत्येक सहकार का नाम तृतीय प्रकार होता है।

४ प्रधान सलेख के प्रत्येक स्वतन्त्र-माला-अधिसूचन में विद्यमान माला का नाम चतुर्थ प्रकार होता है ,

५ प्रधान सलेख के प्रत्येक अन्योन्यतन्त्र-माला-अधिसूचन में विद्यमान माला का नाम पचम प्रकार होता है ;

६ उद्गृहीत-अधिसूचन में उल्लिखित कृति का शीर्षक षष्ठ प्रकार होता है ,

७ जो आख्या वर्ग-निर्देशी-सलेख के शीर्षक के लिए योग्य नहीं होती, जिसका प्रथम पद प्रधान-सलेख के शीर्षकत्व के लिए उपयुक्त नहीं होता, और जो पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय को सूचित नहीं करती उस प्रकार के काल्पनिक पुस्तक की आख्या सातवा प्रकार होता है;

८ यदि पुस्तक विभिन्न आख्याओ के साथ प्रकाशित हुई हो, तो प्रत्येक आख्या के लिए प्रथम प्रकार पुन स्वीकार किया जाय।

३२१०० विशिष्ट पुस्तक के द्वारा अपेक्षित प्रत्येक प्रकार के लिए एक एक सलेख लिखा जाय ।

उपकल्पनम्

उपकल्पन

३२११ प्रथम-प्रकारक-शीर्षक प्रधान-संलेखीयम् ।

३२११ शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु प्रथम-

प्रकारक चेत् तत् प्रधान-सलेखे यत् स्यात् तदेव स्वीकार्यम् ।

३२११ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से प्रथम प्रकार का हो, तो वह प्रधान संलेख में जो हो वही स्वीकृत किया जाय।

३२१२ द्वितीय-प्रकारक-शीर्षकं प्रधान-संलेखवत्।

३२१२१ वर्णकं तस्मात् परम् ।

३२१२१२ पृथक् वाक्यम् ।

३२१२ *शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेषु द्वितीय-प्रकारकं* चेत् तत् प्रधान-संलेखे यथालिखित स्यात् तथैव लेख्यम् ।

३२१२१ तस्मात् शीर्षकात् परम् "सहग्रन्थ" इति "सह-व्याख्या" इति "सह सपा" इति तत्सदृशम् अन्यद्वा योग्य वर्णक पद लेख्यम् ।

३२१२१२ तत् वर्णक पद पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

३२१२ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारो में से द्वितीय प्रकार का हो तो वह प्रधान-संलेख में जिस प्रकार लिखा गया हो उसी प्रकार लिखा जाय ।

३२१२१ उस शीर्षक के आगे "सह-ग्रन्थ." "सह-व्याख्या" "सह-संपा." यह अथवा इसी प्रकार का अन्य कोई योग्य वर्णक पद लिखा जाय ।

३२१२१२ वह वर्णक पद पृथक् वाक्य माना जाय ।

३२१३ तृतीय-प्रकारक-शीर्षके १२१ धारोपधारा अनुकार्या ।

३२१३१	**वर्णकं तस्मात् परम् ।**
३२१३१२	**पृथक् वाक्यम् ।**

३२१३ शीर्षकं ३२१ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु तृतीय-प्रकारकं चेत् तत् १२१ धाराम् तदीयाम् उपधारा च अनुकृत्य लेख्यम् ।

३२१३१ "व्याख्या","सपा","सग्रा",प्रभृति "सह व्याख्या" "सह सपा.","सह सग्रा." प्रभृति योग्य वर्णक पद तस्मात् शीर्षकात् पर लेख्यम् ।

३२१३१२ तत् वर्णक पद पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

३२१३ यदि शीर्षक ३२१ धारा में परिगणित प्रकारो में से तृतीय प्रकार का हो, तो वह १२१ धारा तथा उसकी उपधारा का अनुसरण कर लिखा जाय ।

३२१३१ "व्याख्या","सपा", "सग्रा", आदि "सह व्याख्या", "सह-सपा", "सह सग्रा" आदि योग्य वर्णक पद उस शीर्षक के आगे लिखे जाय ।

३२१३१२ वह वर्णक पद पृथक् वाक्य माना जाय ।

३२१४	**चतुर्थ-प्रकारक-शीर्षके माला-नाम-पदानि अनुस्वभाव-क्रमम् ।**
३२१४०	**आदि तुच्छ-मान-पद-लोपः ।**

३२१४ शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु चतुर्थ-प्रकारक चेत् मालाया नाम्नि विद्यमानानि पदानि तेषा स्वीय स्वाभाविक क्रमम् अनुसृत्य लेख्यानि ।

३२१४० मालाया नाम्न आदौ तुच्छम् उपपद मानपद वा चेत् तत् न लेख्यम् ।

३२१४ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से चतुर्थ प्रकार का हो तो माला-नाम में विद्यमान पद उनके अपने स्वाभाविक क्रम का अनुसरण कर लिखे जायं।

३२१४० यदि माला-नाम के आदि में तुच्छ, उपपद अथवा मानपद हो तो वह न लिखा जाय।

३२१५ पञ्चम-प्रकारक-शीर्षके ३२१४ धारोप-धारा अनुकार्या।

३२१५१ द्वितीय तदुत्तर-मालासु विशेषः।

३२१५१० यथा—

१ आदौ विशिष्ट-लिप्यां माला-विशिष्ट-नाम;

२ ततः सामान्य-लिप्यां मुख्य-माला-नाम;

३ योजकं पदं यथास्थानम्।

३२१५ शीर्षकं ३२१ धारायां परिगणितेषु प्रकारेषु पंचम-प्रकारक चेत् तत् ३२१४ धारा तदीयाम् उपधारा च अनुकृत्य लेख्यम्।

३२१५१ द्वितीयस्याः तदुत्तरस्या. च मालायाः लेखने निम्ननिर्दिष्ट. विशेषः ज्ञेय.।

३२१५१० अयम् विशेष. ज्ञेयः —:

१ प्रथमं विशिष्टायां लिप्या मालाया॰ विशिष्टं नाम लेख्यम्;

२ मालायाः विशिष्ट-नाम्नः अनन्तरं सामान्याया लिप्यां मुख्य-मालायाः नाम लेख्यम्;

३ 'अन्तर्वर्तिनी' प्रभृति योजक-पदं यथास्थानं लेख्यम्।

३२१५ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से पंचम

प्रकार का हो, तो वह ३२१४ धारा और उसकी उपधारा का अनुसरण कर लिखा जाय ।

३२१५१ द्वितीय और उसके अनन्तर की माला के लेखन में निम्नलिखित विशेष जाने जाय ।

३२१५१० वह यह है —

१ प्रथम विशिष्ट लिपि में माला का विशिष्ट नाम लिखा जाय।
२ माला के विशिष्ट नाम के अनन्तर सामान्य लिपि में मुख्य माला का नाम लिखा जाय ।
३ "के अन्तर्गत" आदि योजक पद यथास्थान लिखे जाय ।

३२१६ षष्ठ-प्रकारक-शीर्षकम् उद्गृहीत-अधि-सूचन-निर्दिष्ट-कृतिकम् ।

३२१६ शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु षष्ठ-प्रकारक चेत् तत् उद्गृहीत अधिसूचने उल्लिखिताया कृते यत् स्यात् तदेव स्वीकार्यम् ।

३२१६ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से षष्ठ प्रकार का हो, तो उद्गृहीत-अधिसूचन में उल्लिखित कृति को जैसा हो वैसा ही स्वीकार किया जाय ।

३२१७ सप्तम-प्रकारक - शीर्षके आख्या-पदानि अनुस्वभाव-क्रमम् ।

३२१७० आदि-तुच्छ-मान-पद-लोपः ।

३२१७ शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु सप्तम-प्रकारक चेत् आख्याया विद्यमानानि पदानि तेषा स्वीय स्वाभाविक क्रमम् अनुसृत्य लेख्यानि ।

३२१७० आख्याया आदौ तुच्छम् उपपद मानपद वा चेत् तत् न लेख्यम् ।

३२१७ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से सप्तम प्रकार का हो, तो आख्या में विद्यमान पद उनके अपने स्वाभाविक क्रम का अनुसरण करके लिखे जायं।

३२१७० यदि आख्या के आदि में तुच्छ, उपपद अथवा मानपद हो तो वह न लिखा जाय।

३२१८ अष्टम-प्रकारक-शीर्षकं प्रधान-संलेखीयम्।

३२१८ शीर्षकं ३२१ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु अष्टम-प्रकारकं चेत् तत् प्रधान-संलेखे यत् स्यात् तदेव स्वीकार्यम्।

३२१८ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से अष्टम प्रकार का हो तो वह प्रधान संलेख में जैसा हो वैसा ही स्वीकार किया जाय।

३२१९ शीर्षकं पुस्तक-निर्देशि-संलेख-नाम-निरूपि।

३२१९० यथा—

ग्रन्थकार-सम्पादक-सहग्रन्थकार-सह-सम्पादक-माला-आख्या-निर्देशि-संलेखाः।

३२१९ पुस्तक-निर्देशि-संलेखे विद्यमानेन शीर्षकेन तस्य संलेखस्य नाम निरूपणीयम्।

३२१९० पूर्वोक्त-धारानुसार निम्नलिखित-सदृशानि नामानि भवन्ति—

ग्रन्थकार-निर्देशि-सलेख, संपादक-निर्देशि-संलेख., सह-ग्रन्थकार-निर्देशि-संलेख., सह-संपादक-निर्देशि-संलेख., माला-निर्देशि-संलेख., आख्या-निर्देशि-संलेख, इत्यादि।

३२१९ पुस्तक-निर्देशी-सलेख में विद्यमान शीर्षक से उस सलेख का नाम निरूपित किया जाय ।

३२१९० पूर्वोक्त धारा के अनुसार उक्त सलेखो के नाम ये है --
३२०१ ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख, सम्पादक-निर्देशी-सलेख, सह-ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख, सह-सम्पादक-निर्देशी-सलेख, माला-निर्देशी-सलेख, आख्या-निर्देशी-सलेख, इत्यादि ।

३२२ अन्तरीणम्

अन्तरीण

३२२ अन्तरीणम् अनुशीर्षक-स्वरूपम् ।

३२२०१ अनुपद-धाराः प्रमाणम् ।

३२२०३ प्रधान-संलेखीय-क्रामक-समङ्कः निर्देशि-समङ्कः ।

३२२ अन्तरीण लेख्य शीर्षकस्य स्वरूपम् अनुभियते ।

३२२०१ अन्तरीण-उपकल्पने अनुपद निर्दिश्यमाना धारा प्रमाण-रूपेण स्वीकार्या ।

३२२०३ प्रधान-सलेखे विद्यमान क्रामक-समङ्क निर्देशि-समङ्क इति स्वीकार्य ।

३२२ अन्तरीण-लेख्य शीर्षक के स्वरूप के अनुसार भिन्न होता है ।

३२२०१ अन्तरीण के उपकल्पन में आगे कही जाने वाली धाराए प्रमाण रूप से स्वीकार की जाय ।

३२२०३ प्रधान सलेख में विद्यमान क्रामक-समक निर्देशी-समक के रूप में स्वीकार किया जाय ।

३२२१ प्रथम-प्रकारक-शीर्षके ०२४१-०२४११ धारा-निर्वृत्त-लघु-आख्या-अन्तरीणम् ।

३२२१ शीर्षकं ३२१ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु प्रथम-प्रकारकं चेत् ०२४१-०२४११ धाराभिः निर्वृत्ता लघु' आख्या अन्तरीणम् इति स्वीकार्यम् ।

३२२१ **शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से प्रथम प्रकार का हो, तो ०२४१-०२४११ धाराओं से प्राप्त हुई लघु-आख्या अन्तरीण के रूप में स्वीकार की जाय ।**

३२२१ उदाहरण

१ धारा १३१२२ के अन्तर्गत उदाहरण के लिए ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख लिखने की आवश्यकता नही है । कारण, उस पुस्तक के लिए नियमानुसार, ग्रन्थकार के नाम को शीर्षक बनाते हुए वर्ग-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा ।

२. धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण के लिए निम्नलिखित ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा—

पारखी (रघुनाथ शतानन्द)
ग्रन्थालय शास्त्रवा ओनामा.

२ १५५च३

---

३ धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण ५ के लिए निम्नलिखित सह-ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

रत्नकुमारी तथा प्रभा वर्मा
आदर्श पाक विज्ञान.

द३१ छ९

---

४ धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण १६ के लिए निम्नलिखित सह-ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

मिश्र (गणेश बिहारी) इदि
हिन्दी नवरत्न

द—:१९ढ० थ४

---

५ धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण २ के लिए निम्नलिखित ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

काशी नागरी प्रचारिणी सभा

निवेदन

९O२ ङ२ ढ९३ञ घ३

६ धारा १२६१ के अन्तर्गत उदाहरण १ को ही पुन धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण के रूप म दिया गया हैं। उसके लिए निम्नलिखित सम्पादक निर्देशी-सलेख लिखना पडगा —

साकृत्यायन (राहुल) सपा

हिन्दी काव्य धारा

द— १ श छ० छ ५

७ १२६१ धारा के अन्तर्गत उदाहरण २ के लिए निम्नलिखित भाषान्तर-कार–शीर्षक निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

कौसल्यायन (आनन्द). भाषा

जातक

प४१ २२५२२ छ१

८ १२७ धारा के अन्तर्गत उदाहरण १ के लिए निम्नलिखित सह-सम्पादक-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

धीरेन्द्र वर्मा तथा **रामकुमार वर्मा** सपा

आधुनिक हिन्दी काव्य.

र— १श ट० छ ५

९ १२८१ धारा के अन्तर्गत उदाहरण के लिए निम्नलिखित आख्या प्रथम-शब्द शीर्षक-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

ऋग्वेद प्रथमपद

ऋग्वेद संहिता.

प११२१ झ०

३२२२ द्वितीय-प्रकारक-शीर्षके अन्तरीणे अंशाः त्रयः ।

३२२२० यथा—

१ लघु-आख्या;

२ सह-ग्रन्थकार-सह-व्याख्याकार-सह-सम्पादक-द्वय-प्रभृति-नामनी;

२१ योजक-पदं यथास्थानम्;

२२ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम्;

२३ एकाधिक-वाक्ये एकम्;

३ सम्बन्ध-सूचक-पदम्;

३२२२ शीर्षक ३२१ धारायां परिगणितेषु प्रकारेषु द्वितीय-प्रकारक चेत् अन्तरीणे यथाक्रम त्रय अंशाः भवन्ति ।

३२२२० ते त्रय अंशाः निम्नलिखिता. भवन्ति ।

१ पुस्तकस्य लघु आख्या प्रथम अंश भवति ।

२ सह-ग्रन्थकारयो , सह-व्याख्याकारयोः, सह-संपादकयो', तत्सदृशयो , अन्ययो वा नामनी द्वितीय अंश भवति ।

२१ द्वयो नाम्नो. योजकं पदं यथास्थानम् लेख्यम् ।

२२ व्यष्टि-नाम्नि शीर्षके सति तस्य नामान्त्य—पदेन अलम् ।

२३ नाम्नि एकाधिक—वाक्यत्वे, पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प-विराम कृत्वा एकं वाक्यं कार्यम् ।

३ आख्या-सह-ग्रन्थकार-प्रभृतिकयो अन्योन्य-सम्ब-

न्धस्य सूचक 'कृतम्', 'सपा', 'व्याख्या' प्रभृति पद तृतीय अश भवति ।

३२२२ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारो में से द्वितीय प्रकार का हो, तो अन्तरीण में क्रमश: तीन अश होते हैं ।

३२२२० वे तीन अश निम्नलिखित हैं :—

१ पुस्तक की लघु-आख्या प्रथम अश होती हैं,

२ दो सह-ग्रन्थकार, दो सह-व्याख्याकार, दो सह-सम्पादक और उसके सदृश किन्हीं अन्य दो के नाम द्वितीय अश होता है,

२१ दोनो नामों का योजक पद यथास्थान लिखा जाय,

२२ व्यष्टि-नाम के होने पर उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त माना जाय,

२३ नाम में एक से अधिक वाक्य होने पर पूर्ण-विराम के स्थान में अल्प विराम करके एक वाक्य बना लिया जाय;

३ आख्या और सह-ग्रन्थकार आदि के परस्पर सम्बन्ध के सूचक 'कृत', 'सपा', 'व्याख्या', आदि पद तृतीय अश होता हैं ।

३२२२० उदाहरण

१ १३२१ धारा के अन्तर्गत उदाहरण ५ के लिए निम्नलिखित सह-ग्रन्थ-कार-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

प्रभा वर्मा. सह-ग्रन्थ.

आदर्श पाक विज्ञान, रत्न कुमारी तथा प्रभा वर्मा कृत

ढ३१ छ९

---

२ १२७ धारा के अन्तर्गत उदाहरण १ के लिए निम्नलिखित सह-सपादक-सलेख लिखना पडेगा —

रामकुमार वर्मा. सहसपा

आधुनिक हिन्दी काव्य, धीरेन्द्र वर्मा तथा रामकुमार वर्मा सपा द—१श ढ० छ ५

---

३. १२७ धारा के अन्तर्गत उदाहरण ३ के लिए निम्नलिखित सह-भाषान्तर-कार–सलेख लिखना पड़ेगा —

कन्हैयालाल. सहभापा

ईरान के सूफी कवि, बाके बिहारी तथा कन्हैयालाल भापा
द१६४ १ श○△७३ १५२ च ९

३२२३ तृतीय-प्रकारक-शीर्षके अन्तरीणे अंशाः त्रयः।

३२२३० यथा—

१ लघु-आख्या;

२ प्रधान-संलेख-शीर्षकम्;

२१ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम्;

२२ एकाधिक-वाक्ये एकम्;

३ सम्बन्ध-सूचक पदम्

३२२३ शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु तृतीय-प्रकारकं चेत् अन्तरीणे यथाक्रम त्रय. अंशा भवन्ति।

३२२३० ते त्रयः अशाः निम्नलिखिता. भवन्ति ।

१ पुस्तकस्य लघु आख्या प्रथमः अश भवति,

२ प्रधान-संलेखस्य शीर्षक द्वितीय अश भवति;

२१ व्यष्टि-नाम्नि सति तस्य नामान्त्य–पदेन अलम् ।

२२ नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये, पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प विरामं कृत्वा एकं वाक्य कार्यम् ।

३ 'कृतम्' इति सम्बन्ध-सूचकं पदं तृतीयः अश. भवति ।

३२२३ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से तृतीय प्रकार का हो, तो अन्तरीण में क्रमशः तीन अंश होते हैं।

३२२३० वे तीन अश निम्नलिखित हैं :—

१ पुस्तक की लघु-आह्या प्रथम अंश होता है;

२ प्रधान-सलेख का शीर्षक द्वितीय अश होता है;

२१ व्यष्टि नाम के शीर्षक होने पर उसका नामान्त्यपद पर्याप्त माना जाय;

२२ नाम में एक से अधिक वाक्य होने पर पूर्ण विराम के स्थान में अल्प विराम करके एक वाक्य बना लिया जाय;

३ 'कृत' यह सम्बन्ध सूचक पद तृतीय अश होता है।

३२२३० उदाहरण

१ धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण ६ के लिए निम्नलिखित मशोधक-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

फिशर (फर्डिनेन्ड) मशो

केमिकल टेकनॉलॉजी, वागनर कृत.

घ ख४

---

२ इस पुस्तक के लिए निम्नलिखित भाषान्तरकार तथा सपादक-निर्देशी-सलेख भी लिखना पडेगा —

क्रुक्स (विलियम) भाषा तथा सपा

केमिकल टेकनॉलॉजी, वागनर कृत

घ ख ४

---

३ धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण १० के लिए निम्नलिखित सपादक-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

व्यंकटरमण ऐयर (एम) सपा

वेदान्त दर्शन ब्रह्मामृतवर्षिणी-व्याख्या-सहित, रामानन्द सरस्वती कृत

फ६६ ५श३ १५ग६

३२२४ चतुर्थ-प्रकारक-शीर्षके अन्तरीणे अंशाः चत्वारः ।

३२२४० **यथा—**

१ पुस्तकमाला-समङ्कः;

१० तत्स्थानापन्नम् अन्यद् वा;

२ प्रधान-संलेख-शीर्षकम्;

२१ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम् ;

२२ एकाधिक-वाक्ये एकम् ;

३ पूर्णविरामः;

४ लघु-आख्या च;

४१ आख्या-प्रथम-पद-शीर्षकेन तत् ;

४२ नापि च पूर्णविरामः ।

३२२४ शीर्षकं ३२१ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु चतुर्थ-प्रकारक चेत् अन्तरीणे यथाक्रम चत्वारः अशा भवन्ति ।

३२२४० ते चत्वार अशा निम्नलिखिता भवन्ति ।

१ पुस्तकस्य मालाया समङ्कः प्रथमः अंशः भवति;

१० माला-समङ्कस्य स्थाने स्थापितम् अन्यद् वा किमपि क्रमबोधक माला-समङ्कस्य स्थाने लेख्यम्,

२ प्रधान-संलेखस्य शीर्षक द्वितीय. अंश भवति;

२१ व्यष्टि-नाम्नि शीर्षके सति तस्य नामान्त्य-पदेन अलम्,

२२ नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प-विरामं कृत्वा एक वाक्यं कार्यम्,

३ पूर्णविरामः तृतीय अश भवति;

४ लघु-आख्या च चतुर्थः अंश. भवति;

४१ आख्यायाः प्रथम पदं शीर्षकं चेत् तत् न लेख्यम् ।

४२ आख्याया. प्रथमं पद शीर्षकं चेत् पूर्णविरामः अपि न लेख्य. ।

३२२४ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से चतुर्थ प्रकार का हो, तो अन्तरीण में क्रमशः चार अंश होते हैं।

३२२४० वे चार अंश निम्नलिखित हैं :—

१ पुस्तक का माला-समंक प्रथम अंश होता है;

१० माला-समंक के स्थान में स्थापित अथवा अन्य किसी भी क्रमबोधक को माला-समंक के स्थान में लिखा जाय;

२ प्रधान सलेख का शीर्षक द्वितीय अंश होता है;

२१ व्यष्टि-नाम के शीर्षक होने पर उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त माना जाय;

२२ नाम में एक से अधिक वाक्य होने पर पूर्ण-विराम के स्थान में अल्प-विराम करके एक वाक्य बना लिया जाय;

३ द्विबिन्दु तृतीय अंश होता है; और

४ लघु-आख्या चतुर्थ अंश होता है;

४१ यदि आख्या का प्रथम पद शीर्षक हो तो वह न लिखा जाय;

४२ यदि आख्या का प्रथम पद शीर्षक हो तो द्विबिन्दु भी न लिखा जाय;

३२२४० उदाहरण.

१ धारा १८१४३ के अन्तर्गत उदाहरण ५ के लिये निम्नलिखित माला-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

जाम्लुड ब्रूवे र्त.
१ ब्रूवेर्त आरित्मातिक उन्त आल्गेव
ऊ ११३ ग०

---

२ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण ६ के लिए निम्नलिखित माला-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

पटना विश्वविद्यालय, रामदीनसिंह रीडरशिप व्याख्यान.
१९३०-३१ उपाध्याय हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास
द— ९ च ४

---

३ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण ९ के लिए निम्नलिखित माला-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

बुलेटिन फ्राम दि इन्स्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च, फेडरेटेड मेके स्टेट्स.
१९३०, ३ लूथवेट एक्सपरिमेन्टल ट्रापिकल टाइफस
ड २५ : ४२४१ सं च०

---

४ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण १५ के लिए निम्नलिखित माला-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

ब्रॉडवे ओरिएन्टल लायब्रेरी.
३ दयू पोलिटिकल फिलॉसॉफी ऑफ कॉन्फ्यूसियनिज्म.
वर्लं४१:क५ च २

---

५ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण ८ के लिए निम्नलिखित माला-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

भारतीय विद्या ग्रन्थावलि.
८ अल्लराज रसरत्न प्रदीपिका.
द १५ · ९ शज०० : १ छ ५

---

६ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण १२ के लिए निम्नलिखित माला-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

युनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, स्टडीज इन लॅंग्वेज एण्ड लिटरेचर.
मपु १२, अव २-३ बण्डि थियरी ऑफ इमेजिनेशन इन क्लासिकल एण्ड मेडीकल थॉट.
म . ४३ ल ५ छ० घ७

३२२४१ चतुर्थ-प्रकारक-सरूप-शीर्षक-संलेखाः एकत्र।

३२२४१० प्रति-द्वितीयानुच्छेदं पृथग् अनुच्छेदः।

३२२४१२ विच्छेदे अन्तरम्

३२२४१ येषां संलेखानाम् अग्र-अनुच्छेदे चतुर्थ-प्रकारकम् एकरूपम् एव शीर्षक स्यात्, ते संलेखाः एकत्र लेख्याः ।

३२२४१० एकीकार्याणां संलेखानां विभिन्नाः द्वितीयाः अनुच्छेदाः एकीकृते संलेखे यथाक्रमं प्रति-अनुच्छेदं पृथग् अनुच्छेद कृत्वा लेख्या ।

३२२४१२ एकीकार्याणा संलेखानां माला-समङ्केषु अनुस्यूतत्वं न चेत्, अर्थात् क्रमिकत्वस्य विच्छेदः चेत्, युक्त स्थान रिक्त त्याज्यम् ।

३२२४१ जिन संलेखों के अग्र-अनुच्छेद में चतुर्थ प्रकार वाला एक ही रूप का शीर्षक हो, वे संलेख एक ही में लिखे जायं।

३२२४१० एक में लिखे जाने वाले संलेखों के विभिन्न द्वितीय अनुच्छेद, एकीकृत संलेख में क्रमशः प्रत्येक अनुच्छेद के लिए पृथक् अनुच्छेद बताते हुए लिखे जायं।

३२२४१२ एक में लिखे जाने वाले संलेखों के माला-समङ्कों में अनुस्यतत्व न हो, अर्थात् क्रमिकत्व टूटता हो तो योग्य स्थान रिक्त छोड़ दिया जाय।

३२२४१२ उदाहरण

धारा १४१४३ के अन्तर्गत १-४ उदाहरणों को निम्नलिखित रूप में एकीकृत कर देना चाहिए :—

भारतीय ग्रन्थालय संघ, हिन्दी ग्रन्थमाला.

१ रंगनाथन : ग्रन्थ अध्ययनार्थ है	२	ज्ञ०
२ रंगनाथन तथा नागर : ग्रन्थालय प्रक्रिया.	२२	ज्ञ१
३ रंगनाथन तथा नागर : अनुवर्ग सूची कल्प २५५१५पंय३४		ज्ञ२

यदि किसी एक ग्रन्थमाला की पुस्तको की माला-निर्देशी-सलेख में ग्रन्थकारो के नामो के अनुसार अनुवर्ण-क्रम से व्यवस्थापित किया जाय तो माला के सतत रहने पर ३२२४ धारा में विहित माला-सलेखों का एकीकरण असंभव हो जायगा।

इसके विपरीत, धारा ३२२४१ के अनुसार यदि किसी माला के सपुटों को ममक-क्रम के अनुसार व्यवस्थापित किया जाए तो एकीकरण सभव हो सकेगा और इस प्रकार कुछ मितव्ययिता भी सिद्ध हो सकेगी।

३२२५ पञ्चम-प्रकारक शीर्षके अन्तरीणं ३२२४-३२२४१ म धारावत्।

३२२५ शीर्षक ३२१ धारायां परिगणितेपु प्रकारेपु पंचम-प्रकारक चेत् तस्य उपकल्पने ३२२४-३२२४१ धारे अनुकार्ये ।

३२२५ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से पंचम प्रकार का हो, तो उसके उपकल्पन में ३२२४-३२२४१ धाराओं का अनुकरण किया जाय।

३२२५ उदाहरण

१४२२००१ धारा के अन्तर्गत उदाहरण के लिए निम्नलिखि माला-निर्देशी-सलेख लिखने पड़ेंगे —

---

१. सस्ता साहित्य मण्डल, सर्वोदय साहित्य माला.
७८ भट्ट महाभारत के पात्र.
द१५ १इ२ह५ १५२च८

---

२. लोक साहित्य माला, सस्ता साहित्य मण्डल, सर्वोदय साहित्य माला
२ भट्ट महाभारत के पात्र.
द१५:१इ२ह५ १५२च८

धारा १४२२०२१ के अन्तर्गत उदाहरण के लिए ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख तो लिखना ही पडेगा, साथ ही साथ निम्नलिखित अतिरिक्त दो माला-निर्देशी-सलेख लिखने पडेंगे —

बुलेटिन ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स.

५५८ मत्सुओका. लेबर कन्डिशन्स ऑफ विमेन एण्ड चिल्ड्रन इन जापान.

शा९ढ७ ९१५ ४२ थ२ च १

इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स एण्ड लेबर तथा कन्डिशन्स सीरीज ऑफ दि बुलेटिन ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स.

१० मत्सुओका . लेबर कन्डिशन्स ऑफ विमेन एण्ड चिल्ड्रन इन जापान.

शा९ढ७ ९१५ ४२.थ२ च १

अधितन्त्र सम्बन्धी तथा उपर्युक्त प्रकार की अन्य मालाओ के बडे लम्बे-लम्बे नाम होते है तथा उनके अन्तर्गत सैकडो प्रकाशन प्रकाशित होते है। ऐसे अवसरो पर मालापत्रको के सम्पूर्ण सघात के स्थान मे एक पत्रक बना कर लगा दिया जाय तो उससे महती मितव्ययिता होगी। सभव है कि उस माला के अन्तर्गत प्रकाशित किसी प्रकाशन में अथवा अन्य किसी प्रकाशन मे उस माला के अन्तर्गत प्रकाशित सभी प्रकाशनो की तालिका दी हुई हो। ऐसी अवस्था में पाठक का ध्यान उस तालिका की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। उस प्रकार का निर्देशन निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है

बुलेटिन ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स.

के पृ. पर तालिका द्रष्टव्य है

[यहा पर कार्यालय के अनुयोग, पुस्तक-विक्रेता-सूची अथवा अन्य किसी पुस्तक का यथार्थ अनुसधान देना चाहिये]

पुस्तक-निर्देशी-सलेख के अनेक प्रकार है। किन्तु उनमे से माला-निर्देशी-सलेख के विषय में ही कुछ मतभद दृष्टिगोचर होता है। अधितन्त्र-सम्बन्धी तथा इसी प्रकार की अन्य कुछ मालाएँ ऐसी होती है जिनके बड़े लम्बे-लम्बे नाम होते है तथा उनके अन्तर्गत सैकडो पुस्तकें प्रकाशित होती है। उनमे भी एक माला के अन्तर्गत दूसरी, दूसरी के अन्तर्गत तीसरी इस प्रकार लम्बी-सी माला-परम्परा

बनी रहती है। उन्हे लिखना तथा उनकी व्यवस्था करना बड़े-बड़े सूचीकारो के लिए भी टेढ़ी खीर हो जाता है। यह स्वाभाविक है कि उन्हे देखकर सूचीकार साहस खो बैठें।

साथ ही हमें यह भी विचारना है कि क्या माला-निर्देशी-सलेख से कोई लाभ है अथवा नही ? विश्वविद्यालय तथा गवेषणा ग्रन्थालय और इसी प्रकार के ग्रन्थालय, जो गवेषको की विशेष आवश्यकताओ को पूर्ण करते है, उनमे अनुभव द्वारा यह पाया गया है कि माला-निर्देशी-सलेख का बहुत कुछ उपयोग होता ही है। उनके द्वारा प्रत्येक पाठक को अपने ग्रन्थ पाने मे तथा प्रत्येक ग्रन्थ को अपने पाठक के पाने में किस प्रकार सहायता प्राप्त होती है। इसकी चर्चा हमारे **ग्रंथालय शास्त्र-पच सूत्रो** (*Five laws of library science*)[२९] में दी गई है।

साथ ही वे सलेख ग्रन्थ-वरण तथा ग्रन्थ-आदेशन दोनो अत्यधिक सहायता पहुचाते है।

कतिपय सूचीकार हो इस मर्म को पहचानते हैं। वे एक मध्यवर्ती मार्ग का आश्रय लेते है। वे सूचीकार पर ही इसके निर्णय का भार छोड देते है कि किसी विशिष्ट माला के लिए माला-निर्देशी-सलेख लिखा जाय अथवा नही।

मितव्ययिता का एक मार्ग ऊपर सुझाया गया है।

३२२६ षष्ठ-प्रकारक-शीर्षके अन्तरीणे अंशाः षट्।

३२२६० यथा—

१ उद्गृहीत-अधिसूचन- उल्लिखित-कृति-आख्या;

२ पूर्ण-विरामः;

३ प्रधान-संलेख-शीर्षकम् ;

३१ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम्;

३२ एकाधिक-वाक्ये एकम्;

४ पूर्णविरामः;

---

२९. पृष्ठ ३०८.

४१ आख्या-प्रथम-पद-शीर्षके न तत्;

४२ नापि च पूर्णविरामः

५ उद्गृहीत-लघु-आख्या;

६ 'इति अंशः मुद्रितः', 'इति अंशः संपुटितः', इति-प्रयति-वर्णक-पदं च ।

३२२६ शीर्षक ३२१ धारायां परिगणितेषु प्रकारेषु षष्ठ प्रकारकं चेत् अन्तरीणे यथाक्रमं षड् अंशाः भवन्ति ।

३२२६० ते षड् अशा. निम्नलिखिताः भवन्ति :—

१ उद्गृहीत-अधिसूचने उल्लिखितायाः कृतेः आख्या प्रथमः अशः भवति,

२ पूर्ण-विराम. द्वितीय अंश भवति,

३ प्रधान-संलेखस्य शीर्षक तृतीय अशः भवति;

३१ व्यष्टि-नाम्नि शीर्षके सति तस्य नामान्त्य-पदेन अलम्;

३२ नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प-विराम कृत्वा एक वाक्यं कार्यम्;

४ पूर्णविराम चतुर्थ अंशः भवति;

४१ आख्यायाः प्रथमं पदं शीर्षकं चेत् पूर्णविरामः अपि न लेख्य. ;

५ उद्गृहीतस्य लघु आख्या पचम. अंशः भवति;

६ 'इति अंशः मुद्रित', 'इति अशः सपुटितः' इति प्रभृति वर्णकं पदं षष्ठ' अंशः भवति ।

३२२६ **शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से षष्ठ प्रकार का हो, तो अन्तरीण में क्रमशः छः अंश होते हैं ।**

३२२६० **वे छः अंश निम्नलिखित होते हैं :—**

१ उद्गृहीत-अधिसूचन में उल्लिखित कृति की आख्या प्रथम अंश होता है ;

२ पूर्ण-विराम दूसरा अंश होता है;

३ प्रधान-संलेख का शीर्षक तृतीय अंश होता है ;

३१ व्यष्टि-नाम के शीर्षक होने पर उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त माना जाय;

३२ नाम में एक से अधिक वाक्य होने पर पूर्ण-विराम के स्थान में अल्प विराम करके एक वाक्य किया जाय ;

४ द्विबिन्दु चतुर्थ अंश होता है;

४१ आख्या का प्रथम-पद शीर्षक हो तो वह न लिखा जाय;

४२ आख्या का प्रथम पद शीर्षक हो तो द्विबिन्दु भी न लिखा जाय;

५ उद्गृहीत की लघु आख्या पचम अश होता है;

६ 'इस अंश में अंशतः मुद्रित', 'इस रूप में अंशतः संपुटित' आदि वर्णक पद षष्ठ अंश होता है ।

३२२६० उदाहरण

धारा १४३२०१ के अन्तर्गत उदाहरण २ के लिए निम्नलिखित उद्गृहीत-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा—

रंगनाथन (श्री, रा).
ग्रन्थालय-शास्त्र-पचसूत्री. पृ २५६-२७१७
रगनाथन : आदर्श ग्रन्थालय विधेयक के रूप मे मुद्रित.
२ ह२प च १

३२२६१ षष्ठ-प्रकारक-सरूप-शीर्षक-अन्तरीण-सरूप-प्रथम-अंश-संलेखाः एकत्र ।

३२२६१ येषा सलेखानाम् अग्र-अनुच्छेदे षष्ठ-प्रकारकम् एक-रूपम् एव शीर्षक स्यात् अन्तरीणो च प्रथम: अश. एक-रूप एव स्यात् ते सलेखाः एकत्र लेख्या. ।

३२२६१ जिन संलेखो के अग्रानुच्छेद में षष्ठ प्रकार वाला एक ही रूप का शीर्षक हो, और अंतरीण में प्रथम अंश एक रूप ही हो तो वे सलेख एक ही में लिखे जायं ।

३२२६१ उदाहरण

३. रंगनाथन (श्री रा)
ग्रन्थालय-शास्त्र-पचसूत्री. पृ० २५६-२७१
रगनायन आदर्श ग्रन्थालय विधेयक के रूप मे मुद्रित.
२.ह२प च१
अध्याय ३ विदेश मे ग्रन्थालय आन्दोलन तथा विधानकरण के रूप मे मुद्रित
२ल१ थ२ च१

३२२७ सप्तम-प्रकारक-शीर्षके अंशौ द्वौ ।

३२२७० यथा —

१ प्रधान-सलेख-शीर्षकम्;
११ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम्;
१२ एकाधिक-वाक्ये एकम्;
२ 'कृतम्'—प्रभृति सम्बन्ध-सूचक-पद च ।

३२२७ शीर्षक ३२१ धारायां परिगणितेषु प्रकारेषु सप्तम-प्रकारक चेत् अन्तरीणे यथाक्रम द्वौ अंशौ भवत: ।

३२२७० तौ द्वौ अशौ निम्नलिखितौ भवत: :—
१ प्रधान-सलेखस्य शीर्षकं प्रथम. अश. भवति;
११ व्यष्टि-नाम्नि शीर्षके सति तस्य नामान्त्य-पदेन अलम्;
१२ नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प-विराम कृत्वा एक वाक्य कार्यम्;

२ 'कृतम्' प्रभृति सम्बन्धस्य सूचक पदं द्वितीयः अंशः भवति ।

३२२७ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से सप्तम प्रकार का हो, तो अन्तरीण में क्रमशः दो अंश होते हैं।

३२२७० वे दो अंश निम्नलिखित हैं :—

१ प्रधान सलेख का शीर्षक प्रथम अंश होता है;

११ व्यष्टि-नाम के शीर्षक होने पर उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त माना जाय;

१२ नाम में एक से अधिक वाक्य होने पर पूर्ण विराम के स्थान में अल्प विराम करके एक वाक्य बना लिया जाए;

२ 'कृत' आदि सम्बन्ध सूचक पद द्वितीय अंश होता है।

३२२७० उदाहरण

१ १४२३१ धारा के अन्तर्गत उदाहरण की 'मेघदूत' काल्पनिक आख्या के लिए आख्या-निर्देशी-सलेख नहीं लिखा जायगा, कारण उसके लिए वर्ग-निर्देशी-सलेख लिखा जायगा।

२ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र

"आगामी पाच वर्ष। राजनीतिक सधि सम्बन्धी। एक निबन्ध" यह हो,

उस पुस्तक की यथार्थ आख्या "आगामी पाच वर्ष" यही मानी जायेगी। उसके द्वारा उस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय व्यक्त नही होता। इस प्रकार उस आख्या को काल्पनिक ही मानना पडेगा। किन्तु उस परिस्थिति मे भी उसके लिए आख्या-निर्देशी-सलेख नही लिखा जायेगा, कारण उसका प्रधान-सलेख ही आख्या-प्रथम-पद प्रकार का होगा।

३ धारा १३१३ के अन्तर्गत उदाहरण २ के लिए निम्नलिखित आख्या-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा —

मिट्टी की ओर.

रामधारीसिंह दिनकर कृत.

द १.९द९ छ६

धारा १४४० के अन्तर्गत उदाहरण के लिए दो अवान्तर आख्याओ के संवादी निम्नलिखित दो ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख लिखे जाएँगे —

---

१. **सत्यनारायण.**

यूरोप के झकोरे में, आवारे की योरोप यात्रा इस आख्या मे पूर्व प्रकाशित.

र८ ५ थ ३ छ ६

---

२ **सत्यनारायण.**

आवारे की योरोप यात्रा, योरोप के झकोरे मे इस आख्या से अनन्तर प्रकाशित

र८.५ थ ३ छ ३

षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम प्रकार के निर्देशी सलेख अनुलय सेवा की दृष्टि से तो मूल्यवान हैं ही, साथ ही वे इसलिए भी आवश्यक हैं कि उनके द्वारा अनिष्ट प्रतिलिपि-क्रमण (Intended Duplication) से बचने में महायता प्राप्त होती है।

३२२८ अष्टम-प्रकारक-शीर्षके अन्तरीणे अवान्तराख्या ।

३२२८० वर्णकं च

३२२८०१ ११४४ - १४४१ धारामनु ।

३२२८ शीर्षकं ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु अष्टम-प्रकारकं चेत् अन्तरीणे केवलम् अवान्तराख्या लेख्या ।

३२२८० अवान्तराख्यायाः अनन्तरं योग्यानि वर्णकानि पदानि लेख्यानि ।

३२२८०१ तानि योग्यानि वर्णकानि पदानि १४४ धारां १४४१ धारां च अनुसृत्य लेख्यानि ।

३२२८ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से अष्टम प्रकार का हो, तो अन्तरीण में केवल अवान्तराख्या लिखी जाय।

३२२८० अवान्तराख्या के अनन्तर योग्य वर्णक पदों को लिखा जाय।

३२२८०१ उन योग्य वर्णक पदों को १४४ धारा और १४४१ धारा का अनुसरण करके लिखा जाय।

३२२८०१ उदाहरण

धारा १४६० के अन्तर्गत उदाहरणों के लिए निम्नलिखित प्रकार के ग्रन्थकार निर्देशी-सलेख लिखे जायेंगे —

१	निकोलस (बेवर्ली).	
	वर्डिक्ट ऑन इण्डिया.	ल २ · १ - थ ५ छ ४
	"नैमित्तिक ग्रन्थ के लिए द्रष्टव्य	ल २ · १ थ ५ छ ४ : ९"
२	जोग (एन जी)	
	जज ऑर जूडास ?	ल २ १ थ ५ छ ४ : ९
	"नैमित्तिक ग्रन्थ के लिए द्रष्टव्य	ल २ १ थ ५ छ ४"

पत्रकों के निर्माण तथा धाराओं के व्यवहार—दोनों में ही, उपर्युक्त रीति के अवलम्बन से मितव्ययिता सिद्ध होगी तथा लाघव-न्याय को भी पर्याप्त सतोष होगा। पुस्तक-निर्देशी-सलेखों के मुद्रण के लिए पृथक पत्रको का अक्षर-सज्जीकरण तथा मुद्रण पर्याप्त समय तथा द्रव्य की अपेक्षा रखता है। उसकी अपेक्षा अतिरिक्त प्रतियो का छाप लेना कही अधिक स्वल्पार्घ तथा मितव्ययकारी सिद्ध होगा। साथ ही यह भी लाभ है कि अन्तरीण तथा नैमित्तिक पुस्तक अधिसूचन सम्बन्धी धाराओ की आवश्यकता न रहेगी। शब्दान्तरो मे यह कहा जा सकता है कि धाराएँ ३२२१, ३२२२ तथा ३२३ का लोप किया जा सकता है।

३२३ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनम्

नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचन

३२३ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनं पुस्तक-निर्देशि-संलेखेऽपि।

३२३ कस्यचन पुस्तकस्य प्रधान-सलेखे नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचन चेत् तत् तस्य पुस्तकस्य प्रत्येकस्मिन् पुस्तक-निर्देशि-सलेखे अपि लेख्यम् ।

३२३ यदि किसी पुस्तक के प्रधान सलेख में नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचन हो, तो वह उस पुस्तक के प्रत्येक पुस्तक-निर्देशी-सलेख में भी लिखा जाय ।

३३ सर्वार्थक-पत्रक-पद्धति

सर्वार्थक-पत्रक-पद्धति

३३ यन्त्र-प्रतिलिपिकृत-सूची-पत्रकत्वे प्रधान-संलेख-पत्रक-प्रतेः पुस्तक-निर्देशि-संलेख पत्रक-उपयोगः ।

३३० असौ सर्वार्थक-पत्रक-पद्धतिः ।

३३ मुद्रणेन अन्येन वा विधिना यन्त्रोपकरणेन सूची-पत्रकाणा प्रतिलिपि कर्तु पार्यते चेत् प्रधान-सलेखस्य पत्रकाणाम् एव, सम्बद्धाना पुस्तक-निर्देशि सलेखाना कृते उपयोग कार्य ।

३३० असौ रीति सर्वार्थक-पत्रक-पद्धति इति उच्यते ।

३३ यदि छपाई अथवा अन्य किसी विधि से यन्त्र की सहायता द्वारा सूचीपत्रको की प्रतिलिपि की जा सकती हो, तो प्रधान सलेख के पत्रकों का ही सम्बद्ध पुस्तक-निर्देशी-सलेखो के लिए उपयोग किया जाय।

३३० यह रीति सर्वार्थक-पत्रक-पद्धति कही जाती है ।

३३१ अग्रानुच्छेदस्योपरि शीर्षकम् ।

३३१० इयमेका रीतिः ।

३३१ मुद्रित–पूर्वस्य प्रधान-संलेखीयस्य अग्र-अनुच्छेदस्य उपरियोग्य शीर्षकं लेख्यम्, तस्य च अग्र-अनुच्छेद-रूपेण उपयोगः कार्यः ।

३३१० सर्वार्थिक-पत्रक-पद्धत्यां प्रधान-संलेख-पत्रकस्य पुस्तक-सलेख-पत्रकत्व-रूपान्तरीकरणे इयम् एका रीतिः ज्ञेया ।

३३१ पहले से छपे हुए प्रधान संलेख के अग्रानुच्छेद के ऊपर योग्य शीर्षक लिखा जाय और उसका अग्रानुच्छेद के रूप में उपयोग किया जाय ।

३३१० सर्वार्थिक-पत्रक-पद्धति में प्रधान-संलेख पत्रक के पुस्तक-संलेख-पत्रक के रूप में रूपान्तरीकरण करने की यह एक रीति मानी जाय ।

३३२ अनुच्छेदान्तर-योग्य-शीर्षक-उचित-पदानाम् अधोरेखाङ्कनम् ।

३३२०१ अग्र-पदे नाद्ये पुनरपि ।

३३२०२ इयमपरा रीतिः ।

३३२१ द्वितीय-रीत्यां अधोरेखाङ्कितत्वं अग्र-अनुच्छेदत्वम् ।

३३२ द्वितीये, अन्यस्मिन् अनुच्छेदे वा विद्यमानानां योग्य-शीर्षकत्वाय उचितानां पदानाम् अधस्तात् रेखाङ्कनं कार्यम् ।

३३२०१ अग्रे लेखनाय उचित पदम् अधोरेखाङ्कितानां पदानाम् आदौ न विद्यते चेत् तस्य पदस्य अधस्तात् पुनरपि अन्या रेखा कार्या ।

३३२०२ सर्वार्थक-पत्रक-पद्धत्या प्रधान-संलेख-पत्रकस्य पुस्तक-संलेख-पत्रकत्व-रूपान्तरीकरणे इयम् अपरा रीतिः ज्ञेया ।

३३२१ द्वितीया रीति व्यवहृता चेत्, पुस्तक-निर्देशि-सलेखानां व्यवस्थापने अधो-रेखाङ्कितानि पदानि तथा कल्प्यानि यथा तानि मुद्रित-पूर्वस्य प्रधान-संलेखीयस्य अग्रानुच्छेदस्य उपरिलिखितः अग्रानुच्छेद स्यात् ।

३३२ द्वितीय, अथवा अन्य अनुच्छेद में विद्यमान योग्य शीर्षक के लिए उचित पदों के नीचे रेखाङ्कन किया जाय ।

३३२०१ यदि पहले लिखे जाने के लिए उचित पद अधोरेखांकित पदों के आदि में न विद्यमान हो, तो उस पद के नीचे फिर और एक रेखा खींच दी जाय ।

३३२०२ सर्वार्थक-पत्रक-पद्धति में प्रधान-संलेख-पत्रक के पुस्तक-संलेख-पत्रक के रूप में रूपान्तरीकरण करने की यह अन्य रीति जानी जाय ।

३३२१ यदि द्वितीय रीति व्यवहार में लाई जाय तो पुस्तक-निर्देशी-संलेखों के व्यवस्थापन में अधोरेखांकित पद इस प्रकार माने जायं मानो वे पहले से छपे हुए प्रधान-संलेख के अग्रानुच्छेद के ऊपर लिखा हुआ अग्रानुच्छेद हो ।

अध्याय ४

पृथक्-पुस्तकम्

पृथक्-पुस्तक

नामान्तर-निर्देशि-सलेखः

नामान्तर-निर्देशि-संलेख

४ नामान्तर-निर्देशि-संलेखः पञ्चधा।

४००१ यथा —

१ माला-सम्पादक-संलेखः;

२ कल्पित-तथ्य-नाम-संलेखः;

३ सजाति-संलेखः;

४ अवान्तर-नाम-संलेखः;

५ पद-वैरूप्य-संलेखश्च।

४०१ विशिष्ट-नामान्तर-निर्देशि-संलेखः पुनर्न।

४ नामान्तर-निर्देशि-संलेख के पांच प्रकार होते हैं।

४००१ वे पांच प्रकार निम्नलिखित हैं :—

१ माला-सम्पादक-संलेख;

२ कल्पित-तथ्य-नाम-संलेख;

३ सजाति-संलेख;

४ अवान्तर-नाम-संलेख; और

५ पद-वैरूप्य-संलेख।

४०१ . केनचन पुस्तकेन अपेक्षित-विशिष्ट-नामान्तर-

निर्देशि-संलेखः अपरस्य पुस्तकस्य हेतोः पूर्वं लिखित सूच्याम् आदौ एव विद्यते चेत् सः पुनरपि न लेख्यः ।

४०१ किसी पुस्तक में अपेक्षित विशिष्ट नामान्तर-निर्देशी-संलेख यदि अन्य किसी पुस्तक के कारण पहले से लिखा हुआ सूची में पहले से ही विद्यमान हो तो वह फिर दुबारा न लिखा जाय ।

४१ माला-सम्पादक-संलेखः

माला-सम्पादक-संलेख

४१ माला-सम्पादक-संलेखे अनुच्छेदाः त्रयः ।

४१० यथा —

१ शीर्षकम् (अग्रानुच्छेदः);
२ "द्रष्टव्यम्" इति देशक-पदम्;
३ द्रष्टव्य-शीर्षकं च ।

४१ माला-संपादक-संलेखे यथाक्रम त्रयः अनुच्छेदाः भवन्ति ।

४१ माला-सम्पादक-संलेख में क्रमशः तीन अनुच्छेद होते हैं ।
४१० वे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:—

१ शीर्षक (अग्रानुच्छेद);
२ "द्रष्टव्य" यह देशक-पद; और
३ द्रष्टव्य-शीर्षक ।

४११ माला-सम्पादक-संलेखे माला अधिसूचन-सम्पादक-नामशीर्षकम् ।

४११० **नामनी वा।**

४१११ **शीर्षक-उपकल्पने १२६-१२७ धारोपधारा अनुकार्याः।**

४११२ **सह-सम्पादक-नाम्नोः प्रति-नाम-क्रमम् ।**

४११ प्रधान-संलेखीये माला-अधिसूचने संपादकस्य नाम विद्यते चेत् तत् माला-संपादक-सलेखस्य शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४११० सह-सम्पादकयो नामनी विद्येते चेत् तौ माला-सपादक-सलेखस्य शीर्षकम् इति स्वीकार्ये ।

४११२ सह-सम्पादकयो नामनी चेत् तयोः उभयो. नाम्नो प्रत्येक क्रम स्वीकृत्य एकैक संलेखो लेख्यः ।

४११ प्रधान-संलेख के माला-अधिसूचन में यदि सम्पादक का नाम हो, तो उसे माला-सम्पादक-संलेख के शीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाय ।

४११० *यदि दो सह-सम्पादक के नाम हों, तो उन्हें माला-सम्पादक-संलेख के शीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाय।*

४१११ शीर्षक के उपकल्पन में १२६-१२७ धारा तथा उपधाराओं का अनुकरण किया जाय ।

४११२ *यदि दो सह-सम्पादको के नाम हों तो उन दोनों नामों के प्रत्येक क्रम को स्वीकार करके एक-एक संलेख लिखा जाय।*

४१३ **माला-नाम द्रष्टव्य-शीर्षकम्**

४१३१ **३२१४-३२१५ धारा-यथा-निर्देशम् ।**

४१३ मालायाः नाम द्रष्टव्य-शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४१३१ ३२१४-३२१५ धारयो निर्देशमनुसृत्य मालायाः नाम लेख्यम् ।

४१३ माला का नाम द्रष्टव्य शीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाय।

४१३१ ३२१४-३२१५ धाराओं के निर्देश का अनुसरण करके माला का नाम लिखा जाय।

४१३१ उदाहरण

१ मङ्गलदेव शास्त्री सपा
द्रष्टव्य
प्रिन्सेस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन ग्रथमाला

प्रधान सलेख के लिए १४१४१३ धारा के अ तगत उदाहरण १६ द्रष्टव्य है।

२ जिनविजय मुनि तथा पुसलकर (अ दा) सपा
द्रष्टव्य
भारतीय विद्या ग्रथावलि

३ पुसलकर (अ दा) तथा जिनविजय मुनि सपा
द्रष्टव्य
भारतीय विद्या ग्रथावलि

प्रधान-सलेख के लिए १४१४१३ धारा के अ तगत उदाहरण ८ द्रष्टव्य है।

४ केप्स (ई) इदि सपा
द्रष्टव्य
लोब क्लासिकल लायब्रेरी

प्रधान-सलेख के लिए १४१४१३ धारा के अ तगत उदाहरण १० द्रष्टव्य है।

४२ कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखाः
कल्पित-तथ्य-नाम-सलेख

४२ कल्पित-तथ्य-नाम-संलेखे अनुच्छेदा. त्रयः।

४२० यथा —

१ शीर्षकम् (अग्रानुच्छेद);

२ 'द्रष्टव्यम्' इति देशक-पदम्;
३ द्रष्टव्य-शीर्षकं च ।

४२　　कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखे यथाक्रम त्रय अनुच्छेदा भवन्ति ।

४२　　कल्पित-तथ्य-नाम सलेख में क्रमश तीन अनुच्छेद होते हैं ।
४२०　　वे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं :—
१ शीर्षक (अग्रानुच्छेद),
२ "द्रष्टव्य" यह देशक पद; और
३ द्रष्टव्य शीर्षक ।

४२१　　प्रधान-संलेख-कल्पित-तथ्य-नाम-प्रति-व्यक्ति-कल्पित-तथ्य-नाम-संलेखः।

४२१　　यस्या व्यष्टे कल्पित नाम तथ्य च नाम प्रधान-सलेखे स्यात् तादृशाया प्रत्येकस्या व्यष्टे कृते एकैक कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखो लेख्य ।

४२१　　जिस व्यक्ति का कल्पित-नाम और तथ्य-नाम प्रधान-सलेख में हो उस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक-एक कल्पित-तथ्य-नाम-सलेख लिखा जाय ।

४२११　　कल्पित - नाम्नः प्रधान - संलेख-शीर्षकत्वे तथ्य-नाम-शीर्षकम् ।

४२११०　　१२१ धारोपधाराः अनुकार्याः।

४२११　　कल्पित-नाम प्रधान - सलेखस्य शीर्षक चेत् तथ्य-नाम कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखस्य शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४२११० तत् शीर्षक १२१ धारा तदीयाम् उपधारा च अनुसृत्य लेख्यम् ।

४२११ यदि कल्पित-नाम प्रधान-सलेख का शीर्षक हो तो तथ्य-नाम कल्पित-तथ्य-नाम-सलेख का शीर्षक स्वीकार किया जाय ।

४२११० वह शीर्षक १२१ धारा और उसकी उपधाराओ का अनुसरण करके लिखा जाय ।

४२१२ तथ्य-नाम्नः प्रधान-संलेख-शीर्षकत्वे कल्पित नाम शीर्षकम् ।

४२१२१ १२५ धारामनु ।

४२१२२ न तथ्य-नामांशः ।

४२१२ तथ्य-नाम प्रधान-सलेखस्य शीर्षक चेत् कल्पित-नाम कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखस्य शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४२१२१ तत् शीर्षक १२५ धारामनुसृत्य लेख्यम् ।

४२१२२ १२५ धाराम् अनुसृत्य शीर्षक-लेखने तथ्य-नाम्न सम्बद्धस्य अशस्य लोप कार्य ।

४२१२ यदि तथ्य-नाम प्रधान-सलेख का शीर्षक हो तो कल्पित-नाम कल्पित-तथ्य-नाम सलेख का शीर्षक स्वीकार किया जाय ।

४२१२१ वह शीर्षक १२५ धारा का अनुसरण करके लिखा जाय ।

४२१२२ १२५ धारा का अनुसरण करके शीर्षक लिखने में तथ्य-नाम से सम्बद्ध अश का लोप किया जाय ।

४२३१ तथ्य-नाम-शीर्षकत्वे कल्पित-नाम द्रष्टव्य शीर्षकम् ।

४२३२ कल्पित-नाम-शीर्षकत्वे तथ्य-नाम द्रष्टव्य-शीर्षकम् ।

४२३३ ४२११-४२१२ धारे अनुकार्ये ।

४२३१ तथ्य-नाम शीर्षक चत् कल्पित-नाम द्रष्टव्य-शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४२३२ कल्पित-नाम शीर्षक चेत् तथ्य नाम द्रष्टव्य-शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४२३३ द्रष्टव्य-शीर्षक ४२११ धारा ४२१२ धारा च अनुकृत्य लेख्यम् ।

४२३१ यदि तथ्य-नाम शीर्षक हो, तो कल्पित-नाम द्रष्टव्य-शीर्षक स्वीकार किया जाय ।

४२३२ यदि कल्पित-नाम शीर्षक हो, तो तथ्य-नाम द्रष्टव्य-शीर्षक स्वीकार किया जाय ।

४२३३ द्रष्टव्य-शीर्षक ४२११ धारा और ४२१२ धारा का अनुसरण करके लिखा जाय ।

४२३३ उदाहरण

१ चतुर्वेदी (माखनलाल)
द्रष्टव्य
एक भारतीय आत्मा

२ चाणक्य कल्पित
द्रष्टव्य
नेहरू (जवाहरलाल)

३ मिश्र (गगाशकर)
द्रष्टव्य
एक किताबी कीडा कल्पित

४३ सजाति नाम-संलेख·

सजाति-नाम-संलेख

४३ **सजाति-नाम-संलेखे अनुच्छेदाः त्रयः ।**

४३० **यथा—**

१ सजाति-शीर्षकम्;

२ "द्रष्टव्यम्" इति देशक-पदम्;

३ द्रष्टव्य-शीर्षकं च ।

४३ सजाति-नाम-सलेखे यथाक्रमं त्रय. अनुच्छेदाः भवन्ति ।

४३ सजाति-नाम-संलेख में क्रमशः तीन अनुच्छेद होते हैं ।

४३० वे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं :—

१ सजाति-शीर्षक (अग्रानुच्छेद);

२ "द्रष्टव्य" यह देशक पद; तथा

३ द्रष्टव्य-शीर्षक ।

४३१ **विश्वविद्यालय-महाविद्यालय-विद्यालय-पुरातन-प्रदर्शन-समीक्षण-शाला-नियन्त्रणेक्षण-शाला-ग्रन्थालय-नियन्त्रणेक्षणोद्यान-पशु-उपवन-प्रभृति-पदानां प्रत्येकं शीर्षकम् ।**

४३१ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, पुरातन-प्रदर्शन, समीक्षणशाला, नियन्त्रणेक्षणशाला, ग्रन्थालय, नियन्त्रणेक्षणोद्यान, पशु-उपवन, आदि पदो में से प्रत्येक शीर्षक माना जाय ।

४३१ इम प्रकार का सलेख ऐच्छिक माना जा सकता है। मद्रास

विश्वविद्यालय ग्रन्थालय के अनुलयकर्तृगण का यह अनुभव है कि इस प्रकार के सलेख से पाठको को सहायता पहुचाने में अत्यधिक सरलता प्राप्त होती है।

४३३ निर्देश-संलेख-संस्था-नाम द्रष्टव्य-शीर्षकम्।

४३३ सम्बद्धे निर्देशि-सलेखे लिखित सस्थाया नाम द्रष्टव्य शीर्षकम् इति स्वीकार्यम्।

४३३ सम्बद्ध निर्देशी-सलेख में लिखा हुआ संस्था का नाम द्रष्टव्य-शीर्षक स्वीकार किया जाय।

४३३१ प्रत्यवान्तर-नाम पृथक् संलेखः।

४३३२ अवान्तर-नाम-द्रष्टव्य-शीर्षकम्।

४३३३० यथा :—

१ 'निर्देशो यथा' इति पदे;

२ निर्देशि-संलेख-शीर्षकं च।

४३३१ एकस्या एव कस्याश्चन विशिष्टाया सस्थाया अवान्तर-नामानि चेत् प्रत्येकम् अवान्तर-नाम स्वीकृत्य एकैक पृथक् सजाति-सलेखो लेख्य।

४३३२ प्रत्येकम् अवान्तर-नाम द्रष्टव्य-शीर्षकम् इति स्वीकार्यम्।

४३३३ सस्थाया अवान्तर-नाम द्रष्टव्य-शीर्षक चेत् निम्नलिखितौ द्वौ अतिरिक्तौ अनुच्छेदौ यथाक्रम लेख्यौ।

४३३३० तौ अतिरिक्तौ अनुच्छेदौ निम्ननिर्दिष्टौ भवत —

१ 'निर्देशो यथा' इति देशक-पदे,

२ निर्देशि-सलेख-शीर्षकत्वाय व्यवहृत सस्थाया. नाम्नः वास्तविक रूप च।

४३३१ यदि किसी एक ही विशिष्ट संस्था के अवान्तर नाम हों तो प्रत्येक अवान्तर-नाम स्वीकार करके एक एक पृथक् सजाति संलेख लिखे जायं ।

४३३२ प्रत्येक अवान्तर-नाम द्रष्टव्य-शीर्षक स्वीकार किया जाय ।

४३३३ यदि संस्था के अवान्तर-नाम द्रष्टव्य-शीर्षक हों, तो दो अतिरिक्त अनुच्छेद क्रमशः लिखे जायं ।

४३३३० वे दो अतिरिक्त अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं :—

१ 'निर्देशित यथा' ये देशक पद ;

२ निर्देशी-संलेख-शीर्षक के लिए व्यवहृत संस्था के नाम का वास्तविक रूप ।

४३३३० उदाहरण

---

१ विश्वविद्यालय

और द्रष्टव्य

युनिवर्सिटी आॅफ मद्रास.

---

२. विश्वविद्यालय.

और द्रष्टव्य

मद्रास युनिवर्सिटी.

निर्देशित यथा

युनिवर्सिटी आॅफ मद्रास.

---

४४ अवान्तर-नाम-संलेखः

अवान्तर-नाम-संलेख

४४ अवान्तर-नाम-संलेखे अनुच्छेदाः त्रयः ।

४४० यथा —

१ शीर्षकम् (अग्रानुच्छेदः) ;

२ 'द्रष्टव्यमन्यत्' इति 'द्रष्टव्यम्' इति वा देशक-पदे ;

३ द्रष्टव्य-शीर्षकम् च ।

४४ अवान्तर-नाम-सलेखे यथाक्रम त्रय अनुच्छेदा भवन्ति ।

४४ अवान्तर-नाम-सलेख में क्रमशः तीन अनुच्छेद होते हैं ।
४४० वे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित हैं :—
१ शीर्षक (अग्रानुच्छेद);
२ "और द्रष्टव्य" ये अथवा 'द्रष्टव्य' यह देशक पद;
३ द्रष्टव्य-शीर्षक ।

४४१ निर्देशि-संलेख - शीर्षक - अवान्तर - नाम शीर्षकम् ।

४४१० प्रति-अवान्तर-नाम-पृथक् संलेखः ।

४४१ निर्देशि-सलेखे शीर्षकत्वेन व्यवहृताना व्यष्टि-समष्टि-पुस्तक-माला-प्रभृति-नाम्ना यथासभवम् अवान्तर-नाम शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।
४४१० प्रत्येक यथासभवम् अवान्तर-नाम स्वीकृत्य पृथक् पृथक् सलेखो लेख्य ।

४४१ निर्देशी-सलेख में शीर्षक के रूप से व्यवहृत व्यष्टि-समष्टि, पुस्तक, माला आदि के नामों के यथासभव अवान्तर-नाम स्वीकार किए जाय ।
४४१० प्रत्येक यथासंभव अवान्तर-नाम स्वीकार करके उनके पृथक्-पृथक् सलेख लिखे जाय ।

४४११ प्रथम-तृतीयाध्याय-धाराः अनुकार्याः ।

४४११ शीर्षकस्य उपकल्पने प्रथमे तृतीये च अध्याये वर्तमाना. सगता धारा अनुकार्यत्वेन स्वीकार्याः ।

४४११ **शीर्षक के उपकल्पन में प्रथम और तृतीय अध्याय की संगत धाराओं को अनुकार्य रूप में ग्रहण की जायं ।**

४४३ निर्देशि-संलेख-शीर्षकं द्रष्टव्य-शीर्षकम् ।

४४३ सम्बद्धे निर्देशि-सलेखे व्यवहृत शीर्षकस्य वास्तविक रूप द्रष्टव्य-शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४४३ **सम्बद्ध-निर्देशी-संलेख में व्यवहृत शीर्षक का वास्तविक रूप द्रष्टव्य-शीर्षक स्वीकार किया जाय ।**

४४३ नामान्तर-निर्देशी-सलेखों के लिए जिन अवान्तर नामो को शीर्षक बनाया जा सके उनकी पूर्ण-पूर्ण तालिका बनाना बडा कठिन है । व्यक्ति-विशेष का नाम अनेक कारणो से बदल सकता है । विवाह, धर्म-परिवर्तन, हिन्दू तथा अन्य कतिपय धर्मों में आश्रय का परिवर्तन आदि अनेक कारण है । कही-कही तो एक सनक सवार हो जाती है और उसी के कारण ग्रन्थकार अपने नाम को बदल डालते है।

राजनैतिक तथा अन्य अनेक कारणो से बहुधा स्थानो के नाम बदल जाया करते है । कही-कही ऐसा भी होता है कि स्थान का नाम कुछ और होता है और उसकी प्रसिद्धि किसी और नाम से रहती है ।

सस्था तथा विषयो के नामो के सम्बन्ध मे दुगनी कठिनाई होती है। साधारण रीति से तो उनके नाम बदला ही करते हैं । इसके अतिरिक्त कही-कही यह भी आवश्यक हो जाता है कि नाम के अवयवभूत शब्दो के क्रम का विपर्यास करना पडे, जिससे कि कोई विशेष महत्त्वपूर्ण शब्द नाम के पूर्व मे जाय, कारण वह सस्था अथवा विषय उसी स्मरणीय शब्द के द्वारा विख्यात रहता हो । कतिपय सस्थाओ के विषय में यह भी होता है कि उनका यथार्थ वैधानिक नाम या तो अत्यधिक लम्बा होता है अथवा अप्रसिद्ध होता है । ऐसे अवसरों पर इस प्रकार के अप्रयुक्त वैधानिक नाम को शीर्षक बना कर नामान्तर निर्देशी सलेख लिखा जाय तथा द्रष्टव्य शीर्षक के स्थान पर वह नाम लिखा जाय जो उन सस्थाओ द्वारा प्रकाशित ग्रंथो में वस्तुत आख्या-पत्रों पर दिया हुआ हो । इस प्रकार बडी सुविधा होगी ।

कतिपय मालाओ के भी अवान्तर नाम होते हैं ।

नीचे कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं। उनमें से अधिकाश, अध्याय १ मे दिये हुए प्रधान-सलेखो से तथा अध्याय ३ में दिये हुए निर्देशी-सलेखो से सम्बद्ध हैं। इनके द्वारा नामान्तर-निर्देशी-सलेखो के शीर्षकों के कतिपय प्रकार उदाहृत किये गये हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि नामान्तर-निर्देशी-सलेखो के कारण अनेक हैं तथा भविष्य में किसी भी समय और नये कारण उत्पन्न हो सकते हैं। नामान्तर-निर्देशी-सलेखो के शीर्षकों के रूप में व्यवहार्य अवान्तर नामो का वरण बहुत कुछ सूचीकार की वरणशील प्रतिभा पर निर्भर करता है। उसे ही यह विचारना है कि कौन नाम लाभप्रद है और कौन नहीं है। प्रतिभा ही एक भेदक तत्त्व है जो सफल सूचीकार तथा शुष्क गतानुगतिक मे अन्तर सिद्ध करा सकता है किन्तु यह स्पष्ट कर देना उचित है कि नामान्तर निर्देशी-सलेखो का पौन पुन्य साधारणत अति न्यून होता है।

सुविधा के लिए नामान्तर-निर्देशी-सलेख के पत्रक गुलाबी रखे जा सकते हैं।

निम्नलिखित उदाहरणो मे से कतिपय मे तो देशक पद 'द्रष्टव्य' है और कतिपय अन्य में 'और द्रष्टव्य' है—यह स्पष्ट हो जायगा। यदि दोनो अवान्तर नाम निर्देशी-सलेखो के शीर्षक के रूप मे व्यवहृत हो तो 'और द्रष्टव्य' यह देशक पद उपयोग में लाया जाय। यदि नामान्तर-निर्देशी-सलेख के शीर्षक के रूप में व्यवहृत नाम निर्देशी-सलेख के शीर्षक के रूप में कदापि व्यवहृत न हो तो 'द्रष्टव्य' यह देशक पद उपयोग मे लाया जाय।

यहा यह स्पष्ट कर देना उचित है कि 'द्रष्टव्य' इस देशक पद को आवश्यकतानुसार "और द्रष्टव्य" में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

उदाहरण

---

१ काउच (आर्थर क्विलर-)

द्रष्टव्य

क्विलर-काउच (आर्थर).

तथा

क्यू

---

२ क्विलर-काउच (आर्थर)

और द्रष्टव्य

क्यू

---

३. **क्विलर-काउच** (आर्थर थामस)

    द्रष्टव्य

    क्विलर-काउच (आर्थर)

    तथा

    क्यू

उपर्युक्त तीन नामान्तर-निर्देशी-सलेख जिस ग्रन्थकार के हैं उसका पूर्ण नाम आर्थर थामस क्विलर-काउच है। किन्तु नामाद्य पद 'थामस' कदाचित् ही आख्या-पत्र पर दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त, कहीं-कहीं केवल 'क्यू' यह नामाग्राक्षर ही आख्या-पत्र पर उपलब्ध होता है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि नामान्त्य-पद समस्त है। अत. समस्त नाम के उत्तरार्ध से पूर्ण नाम द्रष्टव्य बनाया जाय।

---

४ **बर्ड** (आइसाबेला मिस).

    और द्रष्टव्य

    बिशप (आइसाबेला-मिसेज़).

---

५. **सेलिसबरी** (अर्ल ऑफ).

    द्रष्टव्य

    होवर्ड (हेनरी)

---

६ **रोनाल्डशे** (अर्ल ऑफ).

    और द्रष्टव्य

    जेटलेंड (मार्क्विस ऑफ)

---

७ **जेटलेंड** (मार्क्विस ऑफ).

    और द्रष्टव्य

    रोनाल्डशे (अर्ल ऑफ).

अन्तिम दो नामान्तर-निर्देशी-सलेखों में से दोनों आवश्यक हैं, कारण ग्रन्थकार ने कतिपय पुस्तकें प्रथम नाम से लिखी हैं तथा कतिपय पुस्तकें द्वितीय नाम से लिखी हैं।

---

८ पेटिसन (एँड्रू सेथ प्रिंगल–)
और द्रष्टव्य
प्रिंगल-पेटिसन (एण्ड्रू सेथ).

---

९ प्रिंगल-पेटिसन (एण्ड्रू सेथ).
और द्रष्टव्य
सेथ (एण्ड्रू)

---

१० सेथ (एण्ड्र).
और द्रष्टव्य
प्रिंगल-पेटिसन (एण्ड्रू सेथ)

अन्तिम तीन सलेखों के लिए दो शब्द व्याख्या के रूप में लिखे जाने आवश्यक हैं। हिस्टरी ऑफ दि युनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, १८८३-१९३३ से हमे यह ज्ञात होता है कि प्रोफसर एण्ड्रू सेथ ने १८९८ में हेनिंग स्टेट पर अधिकार पाने के बाद प्रिंगल-पेटिसन यह नाम अपना लिया। उस तिथि के पूर्व उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में उनका नाम एण्ड्र सेथ इस प्रकार दिया हुआ है। किन्तु उसके अनन्तर की पुस्तकों में वह एण्ड्रू सेथ प्रिंगल-पेटिसन इस प्रकार दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त, जो नया नामान्त्य पद स्वीकार किया गया है वह समस्त है। अत एक अतिरिक्त नामान्तर-निर्देशी-सलेख लिखना आवश्यक होता है।

---

११ आनन्द मतेय
द्रष्टव्य
बेनेट (एलन)

इस उदाहरण मे, मि० एलन बेटेन ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर अनन्त मतेय यह नाम अपना लिया था।

---

१२ दत्त (नरेन्द्रनाथ).
द्रष्टव्य
विवेकानन्द.

इस-उदाहरण मे, नरेन्द्रनाथ दत्त ने सन्यासी बनने के बाद विवेकानन्द यह नाम स्वीकार कर लिया। अनन्तर आश्रम मे वे स्वामी विवेकानन्द नाम से विख्यात थे जिसमें "स्वामी" यह मानार्थक उपपद हैं।

---

१३ मार्क ट्वेन.

द्रष्टव्य

ट्वेन (मार्क).

---

१४. महाजन सभा, मद्रास.

द्रष्टव्य

मद्रास महाजन सभा.

---

१५ मद्रास युनिर्वासिटी.

द्रष्टव्य

युनिर्वासिटी ऑफ मद्रास.

---

१६. पटना युनिर्वासिटी, सुखराजराय रीडरशिप लेक्चर्स इन नेचुरल साइंस.

द्रष्टव्य

सुखराजराय रीडरशिप लेक्चर्स इन नेचुरल साइंस.

यदि किसी निधि-परिचालित विश्वविद्यालय-व्याख्यान के लिए स्वतन्त्र नाम हो और वह स्वतन्त्र रूप से उस व्याख्यान का व्यक्ति साधन कर सके तो उसके लिए विश्वविद्यालय के नाम को शीर्षक का स्थान देकर एक नामान्तर-निर्देशी-सलेख लिखना वाछनीय है। यहाँ इसी का उदाहरण दिया गया है।

---

१७ हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला.

द्रष्टव्य

काशी संस्कृत सीरीज़.

---

१८. दृश्य काव्य.

द्रष्टव्य

नाटक.

---

४५ पद-वैरूप्यम्

पद-रूप-अन्तर

४५ पदवैरूप्य-संलेखे अनुच्छेदाः त्रयः ।

४५० यथा —

१ शीर्षकम् (अग्रानुछेदः)

२ 'प्रकृत-पद-द्रष्टव्य-रूपान्तरं यथा' इति देशक-पदे;

३ द्रष्टव्य-शीर्षकं च ।

४५ पद-वैरूप्य-सलेखे यथाक्रम त्रय अनुच्छेदा भवन्ति।

४५ पद-वैरूप्य सलेख में क्रमश तीन अनुच्छेद हैं ।

४५० वे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं :—

१ शीर्षक (अग्रानुच्छेद);

२ 'प्रकृत-पद का द्रष्टव्य रूपान्तर यथा 'ये देशक पद; और

३ द्रष्टव्य-शीर्षक ।

४४१ व्यष्टि-विषय-नाम-रूपान्तरं शीर्षकम् ।

४५१ निर्देशि-सलेखे शीर्षकत्वेन व्यवहृतस्य व्यष्टि-नाम्न विषयनाम्न वा यथासभव प्रत्येक रूपान्तर शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४५१ निर्देशी-सलेख में शीर्षक के रूप से व्यवहृत व्यष्टि-नाम अथवा विषय-नाम का यथासंभव प्रत्येक रूपान्तर शीर्षक स्वीकार किया जाय ।

४५३ निर्देशि-संलेख-शीर्षकं द्रष्टव्य-शीर्षकम् ।

४५३ सम्बद्धे निर्देशि-संलेखे व्यवहृत शीर्षकस्य वास्तविकं रूपं द्रष्टव्य-शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

४५३ सम्बद्ध-निर्देशी-संलेख में व्यवहृत शीर्षक का वास्तविक रूप द्रष्टव्य शीर्षक स्वीकार किया जाय ।

४५३ यहा यह ध्यान देने योग्य है कि देशक पदो मे से प्रथम दो पद मात्राधिक लिपि में हो तथा जब लिखे जाये तब अधोरेखाकित हो तथा जब छपे हुए हो तब प्रवण-अक्षरो मे हों। इसका उद्देश्य यह है कि इसी प्रकार के शीर्षक वाले अन्य सलेखो की अपेक्षा इस प्रकार के सलेख को पूर्ववर्तिता दी जाय। इस प्रकार की पूर्ववर्तिता आवश्यक है। कारण यदि ऐसा न किया गया तो पाठक इनसे वचित रह जायेंगे, ऐसी आशका है।

शब्दो के वैरुप्य होने के कई कारण हैं। एक लिपि से अथवा भाषा से दूसरी लिपि या भाषा में लिप्यन्तरकरण, वर्णानुपूर्वी के आधुनिक अथवा गतकाल रूपो के उपयोग विषयक मतवैषम्य, एक वचन अथवा बहुवचन रूपो के प्रयोग अथवा स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिग रूप आदि तथा और भी कई कारण होते हैं।

धारा १२१२ की व्याख्या मे हम यह देख ही चुके हैं कि लिप्यन्तरकरण मे एकरूपता के अभाव के कारण कतिपय नामो की वर्णानुपूर्वी के विभिन्न रूप हो सकते हैं। सूचीकार की दृष्टि से जो अधिक महत्त्वपूर्ण है वह यह है कि एक ही व्यक्ति का नाम विभिन्न पुस्तको में विभिन्न वर्णानुपूर्वी मे लिखित प्राप्त हो सकता है। इस्लामी संस्कृति-सम्बन्धी ग्रन्थो की सूचियो मे मुहम्मद इस शीर्षक से आरम्भ होनेवाले सलेखो को देखने का जिसे अवसर प्राप्त हुआ हो ऐसे व्यक्ति को इस वैरूप्य की महत्ता अवश्यमेव स्पष्ट रूप से विदित होगी। पाठको के समय को बचाने का तथा पाठक किसी भी सगत संलेख से वचित न रह सकें, इस वस्तु को सिद्ध करने का एकमात्र यही मार्ग है कि विभिन्न विरूपो को शीर्षक बनाते हुए पर्याप्त सख्या में नामान्तर-निर्देशी-सलेख लिखे जाये।

उदाहरण

१.१ **विश्वेश्वर नाथ.**
प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य
बिसेसर नाथ
बिस्वेस्वर नाथ.

१ २ बिसेसर नाथ

प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य

विश्वेश्वर नाथ

बिस्वेस्वर नाथ

१ ३ बिस्वेस्वर नाथ

प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य

बिसेसर नाथ

विश्वेश्वर नाथ

२ १ बनर्जी

प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य

बेनर्जी

बगोपाध्याय

बन्द्योपाध्याय

वन्द्योपाध्याय

२ २ बेनर्जी

प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य

बनर्जी

बगोपाध्याय

बन्द्योपाध्याय

वन्द्योपाध्याय

२ ३ बगोपाध्याय

प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य

बन्द्योपाध्याय

वन्द्योपाध्याय

बनर्जी

बेनर्जी

२४ बन्द्योपाध्याय

प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य

बन्द्योपाध्याय.

बनर्जी.

बेनर्जी.

बंगोपाध्याय.

२.५ बन्द्योपाध्याय

प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य

बनर्जी.

बेनर्जी.

बंगोपाध्याय.

बन्द्योपाध्याय.

अध्याय ५

अनेक-संपुटक-पृथक्-पुस्तकम्

अनेक-संपुटक-पृथक्-पुस्तक

५ अनेक-संपुटक-पृथक्-पुस्तकं द्विधा ।

५० यथा —

१ विशेष-आख्या-रहित-अवयव-सपुटक-प्रधान-संलेख-आख्यादि-अनुच्छेद-विशेषाधायक-वस्त्वन्तर-भेद-रहितम् ;

२ अन्यच्च ।

५ अनेक-सपुटक-पृथक्-पुस्तक द्विविध भवति ।

५० तौ द्वौ अशौ निम्ननिर्दिष्टौ भवत —

१ यस्य पुस्तकस्य अवयवभूताना सपुटाना सामान्याया आख्याया इतरा काचन विशेपाख्या न भवति, प्रधान-सलेखस्य आख्यादि-अनुच्छेदे च अशदायकेपु अन्येपु वस्तुपु किमपि भेद-जनकत्व न भवति तादृश पुस्तक प्रथम प्रकार इति ज्ञेयम् ।

२ पूर्वोक्तात् इतर अन्य द्वितीय प्रकार इति ज्ञेयम् ।

५ अनेक-सपुटक-पुस्तक के दो प्रकार होते हैं ।

५० *वे दो प्रकार ये हैं —*

१ जिन पुस्तकों में अवयवभूत सपुटो को सामान्य आख्या से भिन्न अन्य कोई विशेष आख्या नहीं होती और प्रधान-

संलेख के आख्यादि-अनुच्छेद में अंशदायक अन्य वस्तुओं में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो अन्तर उत्पन्न करे, वे पुस्तकें प्रथम प्रकार की मानी जायें।

२ पूर्वोक्त से भिन्न अन्य पुस्तकें द्वितीय प्रकार की मानी जायें।

५१ प्रथम-प्रकारक-पुस्तक-सूचीकरणे-प्रस्तुत-धारोपधारा-निर्दिष्ट-विशेषोपहित-पृथक्-पुस्तक-सूचीकरण-विधिः प्रमाणम् ।

५१ प्रथम-प्रकारकस्य पुस्तकस्य सूचीकरणे प्रस्तुतायाः धाराया उपधारासु निर्दिष्टेन विशेषेण उपहितः पृथक्-पुस्तकस्य सूचीकरण-विधिः प्रमाणत्वेन स्वीकार्यः ।

५१ प्रथम-प्रकार की पुस्तकों के सूचीकरण में प्रस्तुतधारा की उपधाराओं में निर्दिष्ट व्यवस्था से अतिरिक्त पृथक्-पुस्तक के सूचीकरण की विधि प्रमाण मानी जाय।

५११ सकल-संपुट-प्रकाशितत्वे प्रधान-संलेख-आख्यादि-अनुच्छेदे अतिरिक्त-वाक्यम्।

५११० तत्र अंशौ द्वौ।

५११०० यथा —

१ पुस्तक-अवयव-संपुट-संकलित-संख्या ;

२ 'संपु' इति, आख्या-पत्र-भाषिक-संपुट-पर्यायो वा ।

५११ पुस्तकस्य सकलाः संपुटाः प्रकाशिताः चेत् प्रधान-संलेखस्य आख्यादि-अनुच्छेदे अतिरिक्तं वाक्यं लेख्यम् ।

५११० तस्मिन् अतिरिक्त-वाक्ये द्वौ अशौ भवत ।

५११ यदि पुस्तक के सब सपुट प्रकाशित हो चुके हों, तो प्रधान-सलेख के आख्यादि-अनुच्छेद में अतिरिक्त वाक्य लिखा जाय।

५११० उस अतिरिक्त वाक्य में दो अश होते हे ।

५११०० वे दो अश निम्नलिखित हैं —

१ पुस्तक के सपुटों की सकलित सख्या, और

२ 'सपु' यह अथवा आख्या-पत्र की भाषा में सपुट का पर्याय।

५१११ अप्रकाशितत्वे अंशाः त्रयः ।

५१११० यथा—

१ 'संपु' इति तत्पर्यायो वा ;

२ तावत्प्रकाशित-संपुट-सकलित-संख्या ;

३ रेखिका च।

५१११०१ सीस-लेखनी।

५१११०२ इदम् अपूरिताङ्कनम् ।

५१११ पुस्तकस्य सकला सपुटा न प्रकाशिता चेत् अतिरिक्त-वाक्ये त्रय अशा भवन्ति ।

५१११०१ इदम् अतिरिक्त-वाक्य सीस-लेखन्या लेख्यम् ।

५१११ यदि पुस्तक के सब सपुट प्रकाशित न हुए हों तो अतिरिक्त वाक्य में तीन अश होते हैं ।

५१११० वे तीन अश निम्नलिखित होते हैं —

१ 'सपु' यह अथवा उसका पर्याय,

२ तब तक प्रकाशित सपुटो की सकलित सख्या; और

३ रेखिका ।

५१११०१ यह अतिरिक्त वाक्य पेन्सिल से लिखा जाए ।

५१११०२ यह अपूरितांकन कहा जाता है ।

५११२ **सकल-संपुट-प्राप्तौ मसी ।**

५११२ पुस्तकस्य सकलानां सपुटाना प्राप्तौ सत्यां सीस-लेखन्या लिखितस्य लेखस्य मसी-लेखनं कार्यम् ।

५११२ पुस्तक के सकल संपुटों की प्राप्ति हो जाने पर पेन्सिल से लिखे हुए लेख का स्याही द्वारा लेखन किया जाय ।

५११३ **ग्रन्थालय-अविद्यमान-सकल-मुद्रित-संपुटत्वे अपरवाक्यम् ।**

५११३० **ऋजु-कोष्ठके ।**

५११३०१ **तत्र अंशाः त्रयः ।**

५११३०१० **यथा —**

१ **'संपु' इति, आख्या-पत्र-भाषिक-संपुट-पर्यायो वा ;**

२ **ग्रन्थालय-अविद्यमान-संपुट-संकलित-संख्या ;**

३ **"ग्रन्थालये न" इति च।**

५११३ पुस्तकस्य सकलाःमुद्रिताः संपुटा ग्रन्थालये न विद्यन्ते चेत् आख्यादि-अनुच्छेदे एकम् अपरं वाक्यं लेख्यम् ।

५११३० तत् अपर वाक्यं ऋजु-कोष्ठके लेख्यम् ।

५११३०१ तस्मिन् अपर-वाक्ये त्रय अंशा. भवन्ति ।

५११३ यदि पुस्तक के समस्त मुद्रित संपुट ग्रंथालय में विद्यमान न हों, तो आख्यादि-अनुच्छेद में एक अन्य वाक्य लिखा जाय ।

५११३० वह वाक्य ऋजु-कोष्ठक में लिखा जाय ।

५११३०१ उस में तीन अंश होते हैं ।

५११३०१० वे तीन अंश निम्नलिखित हैं :—

१ 'संपु.' अथवा आख्या-पत्र की भाषा में संपुट का पर्याय;
२ जितने संपुट ग्रन्थालय में विद्यमान न हों उनकी संख्या; और
३ "ग्रन्थालय में नहीं हैं" यह वाक्यांश।

५१२ विषयान्तर-संलेखे संपुट-समङ्कः।

५१२ विषयान्तर-सलेखे यत्र आवश्यक. चेत् तत्र संपुट-समङ्क. लेख्य.।

५१२ विषयान्तर-संलेख में जहां आवश्यक हों वहां संपुट-समंक लिखा जाय।

५१३ पुस्तक-निर्देशि-संलेखेऽपि अतिरिक्त-वाक्यम्।

५१३ पूर्वोक्तम् अतिरिक्तं वाक्यं पुस्तक-निर्देशि-संलेखे अपि लेख्यम्।

५२ द्वितीयः प्रकारः

द्वितीय प्रकार

५२ द्वितीय-प्रकारक-पुस्तक-सूचीकरणे प्रस्तुत-धारोपधारा-निर्दिष्ट-विशेषोपहित-प्रथम-प्रकारक-पुस्तक-सूचीकरण-विधिः प्रमाणम्।

५२ द्वितीय-प्रकारकस्य पुस्तकस्य सूचीकरणे प्रस्तुतायाः धाराया उपधारासु निर्दिष्टेन विशेषेण उपहितः प्रथम-प्रकारकस्य पुस्तकस्य सूचीकरण-विधिः प्रमाणम्।

५२ द्वितीय प्रकार की पुस्तक के सूचीकरण में प्रस्तुत धारा की उपधाराओं में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त प्रथम प्रकार की पुस्तकों के सूचीकरण की विधि प्रमाण मानी जाय।

५२१ प्रधान-संलेख-आख्यादि-अनुच्छेदे अतिरिक्तानुच्छेदाः,

५२१० आख्या-पत्रस्थ-अतिरिक्त-विशिष्ट-विवरणोपेत-प्रतिसंपुटम् अनुच्छेदः।

५२१ प्रधान-संलेखस्य आख्यादि-अनुच्छेदे अतिरिक्ताः अनुच्छेदाः लेख्याः।

५२१० यस्य संपुटस्य आख्या-पत्रे अतिरिक्त विशिष्टं विवरणं भवति तादृशाय प्रत्येकस्मै संपुटाय एकैकः अनुच्छेदः लेख्यः।

५२१ प्रधान-संलेख के आख्यादि-अनुच्छेद में अतिरिक्त अनुच्छेद लिखे जायं।

५२१० जिस संपुट के आख्या-पत्र में अतिरिक्त विशिष्ट विवरण हो उस प्रकार के प्रत्येक संपुट के लिए एक एक अनुच्छेद लिखा जाय।

५२२ अनुच्छेदे अंशाः नव।

५२२० यथा —

१ 'संपु' इति, आख्या-पत्र-भाषिक-संपुट-पर्यायो वा ;

२ संपुट-समङ्कः ;

३ पूर्ण-विरामः।

४ संपुट-विशेष-आख्यादिः ·

५ सति संभवे-संपुट-विशिष्ट-ग्रन्थकार-नाम, ग्रंथकार-द्वय-नामनी वा ;
६ कृतम् इति ;
७ सति संभवे विशिष्ट-सहकार-नाम;
८ पूर्ण-विरामः ;
९ आवश्यकत्वे वृत्तकोष्ठके विशेष-सूचकम् अधिसूचनं ।

५२२ पूर्वोक्त अनुच्छेद में नौ अंश होते है ।
५२२० वे अंश निम्नलिखित हैं :—
१ 'संपु.' यह अथवा आख्या-पत्र की भाषा में संपुट का पर्याय;
२ संपुट-समंक;
३ पूर्ण-विराम;
४ संपुट के विशेष आख्यादि;
५ यदि हो तो, संपुट के विशिष्ट ग्रन्थकार का नाम अथवा दो ग्रन्थकारों के नाम;
६ 'कृत' यह पद;
७ यदि हो तो विशिष्ट सहकार का नाम;
८ पूर्ण विराम;
९ यदि आवश्यक हो, तो वृत्त-कोष्ठक में विशेष-सूचक अधिसूचन।

५२२१ असाधारण-संपुट-अनुच्छेदे संवादि-अंशाः अनुपुस्तकम् ।

५२२१ संपुटानाम् अङ्कनम् असाधारणम् अर्थात् विषमं चेत् संपुट-सम्बद्धानाम् अनुच्छेदानाम् संवादिनः

५२२१ यदि संपुटों का अंकन असामान्य हो, तो संपुट से सम्बद्ध

अनुच्छेदों के संवादी अंश पुस्तक में निर्दिष्ट क्रम को अनुसरण करके लिखे जायें।

५२२२ एकरूप-विशिष्ट-आख्या-उपेत-संघातीय-एकाधिक-अ-सर्व-संपुटानाम् एकः अनुच्छेदः।

५२२२० सकल-संपुट-संकलित-समङ्कः।

५२२२ अशा पुस्तके निर्दिष्ट विवरणम् अनुसृत्य लेख्याः। कस्मिंश्चित् सघाते द्वयो. अधिकाना, न तु सर्वेपा, सपुटानाम् एकरूपा विशिष्टा च आख्या चेत्, तदा तेपा प्रधान-सल्लेखस्य अतिरिक्ते अनुच्छेदे तादृशाना सर्वेपां सपुटानां कृते एक एव अनुच्छेद: लेख्यः।

५२२२० सकलाना सपुटाना सकलित समङ्क 'सपु' इत्यस्मात् परं लेख्यः।

५२२२ यदि किसी संघात में केवल दो से अधिक संपुटों की, सबकी नहीं, एकरूप और विशिष्ट आख्या हो तो उनके प्रधान-संलेख के अतिरिक्त अनुच्छेद में इस प्रकार के सब संपुटों के लिए एक ही अनुच्छेद लिखा जाय।

५२२२० *ऐसे सब संपुटों के समंक 'संपु.' इसके आगे लिखे जायें।*

५२३ विशिष्ट-आख्यादि-अनुच्छेद-संगत-प्रतिविवरणानुरूपं पुस्तक-निर्देशि-संलेखः।

५२३ प्रधान-संलेखे उल्लिखिताना विभिन्नाना संपुटानां विशिष्टेपु आख्यादि-अनुच्छेदेपु वर्तमानं संगतं प्रत्येकं विवरणम् अनुसृत्य एकैकः पुस्तक-निर्देशि सल्लेखो लेख्य.।

५२३ प्रधान-सलेख में उल्लिखित विभिन्न सपुटो के विशिष्ट आख्यादि-अनुच्छेदों में वर्तमान प्रत्येक सगत विवरण का एक एक पुस्तक-निर्देशी-सलेख लिखा जाय।

५३ क्रामक-समङ्क :

क्रामक-समङ्क

५३ अनेक-संपुटक-पुस्तक-क्रामक-समङ्के सामान्य-वर्ग-समङ्क सकल-संपुट-क्रमागत-पुस्तक-समङ्काः।

५३० प्रकाश्यमान-संपुटक-पुस्तक-समङ्कात् परं रेखिका।

५३ अनेक-सपुटक-पृथक्-पुस्तकस्य क्रामक-समङ्के तेषां सपुटानां सामान्य वर्ग-समङ्क सकलानां सपुटानां क्रमागता पुस्तक-समङ्का च भवन्ति।

५३० सर्वेषां सपुटानां प्रकाशनं समाप्तं न चेत्, अर्थात् प्रकाशनं प्रचलत् स्यात् तदा अन्तिमात् पुस्तक-समङ्कात् परं रेखिका लेख्या।

५३ अनेक-सपुटक पृथक् पुस्तक के क्रामक-समक में उन सपुटों के सामान्य वर्ग-समक और सब सपुटों के क्रमागत पुस्तक-समक होते हैं।

५३० यदि सब सपुटों का प्रकाशन समाप्त न हुआ हो, अर्थात् प्रकाशन प्रचलित हो, तो सबसे अन्तिम पुस्तक-समक से आगे रेखिका लिखी जाय।

५३२ कतिपय-संपुट-मात्र-विषयान्तरत्वे-तत्संपुट-मात्र-पुस्तक-समङ्कः।

५३२ संघातस्य सर्वेषामेव सपुटाना विषयान्तरत्व न चेत्, अपितु कतिपयानामेव सपुटाना चेत्, तदा तेषां सपुटाना सवादि-विषयान्तर-सलेखेषु विषयान्तर-सपुट-मात्रस्य पुस्तक-समङ्क. लेख्य ।

५३२ यदि संघात के सभी सपुट विषयान्तर-युक्त न हो, बल्कि ऐसे सपुट कुछ ही हों, तो उन संपुटों के संवादी विषयान्तर-संलेखों में केवल विषयान्तर-सपुट का पुस्तक-समंक लिखा जाय ।

५३७ कक्षा-चिह्नं यथाप्राप्त-संपुट-पुस्तक-समङ्के।

५३७ सघातस्य कतिपयानामेव, न तु सर्वेषा, सपुटानाम् अल्पाकारत्व, महाकारत्व, सुरक्षणीयत्वं वा चेत् तदा अधोरेखाङ्कनम्, उपरिरेखाङ्कनम् , उभयतो रेखाङ्कन वा सवादिन सपुटस्य एव पुस्तक-समङ्के कार्यम् ।

५३७ यदि संघात के सभी नहीं, अपितु कुछ ही संपुट अल्पाकार, महाकार, अथवा सुरक्षणीय हों, तो अधो-रेखांकन, उपरि-रेखांकन और उभयतो-रेखांकन उन्हीं संपुटों के ही पुस्तक-समंको में किए जायं ।

५३७ उदाहरण

१. ढ १५७ : ३ ढ ६१ श १५२ छ ८.१–८
ठाकुर (रवीन्द्रनाथ).
रवीन्द्र साहित्य, धन्यकुमार जैन भाषा. ८ सपु.
५१२९५-५१३०२

२ ल २ २५ श ढ ६९ व छ ८ १-२, ४, १०-११—

त्रिपाठी (कमलापति) इदि सपा

गान्धी जी सपु १-२, ४, १०-११–

सपु १-२ श्रद्धाजलिया

सपु ४ कवियो की श्रद्धाजलियाँ

सपु १०-११ अहिंसा

(गान्धी जी, १-२, ४ '१०-११)

५५१६६-५५१७०

प्रस्तुत उदाहरण के सपुटो का प्रकाशन अब भी चालू हैं। अत अन्तिम पुस्तक-समङ्क के आगे रेखिका दी गई हैं। यहाँ आख्यादि अनुच्छेद में लिखा हुआ मवादी भाग पेन्सिल मे लिखा जाय।

यह स्पष्ट ही है कि प्रत्येक सपुट का प्रतिपाद्य-विषयक विस्तृत विवरण पाठको को अवश्य ही लाभ पहुचायगा।

---

३. द १५ १ ड २ १५२ छ ८ १-१०

हिन्दी प्रथम पद

हिन्दी महाभारत १० सपु

सपु १ आदिपर्व पृ १-५१०

सपु २ सभापर्व-वनपर्व पृ ५११-९९८

सपु ३ वनपर्व-उद्योगपर्व. पृ ९९९-१५१०.

सपु ४ उद्योगपर्व-भीष्मपर्व पृ १५११-२०१४.

सपु ५ भीष्मपर्व-द्रोणपर्व पृ २०१५-२५०८

सपु ६ द्रोणपर्व-कर्णपर्व पृ २५०८-३००६

सपु ७ शल्यपर्व-शान्तिपर्व पृ ३००७-३६०४

सपु ८ शान्तिपर्व-अनुशासनपर्व पृ ३६०५-४०९२

सपु ९ अनुशासनपर्व-स्वर्गारोहणपर्व पृ ४०९३-४४८०

सपु १० परिशिष्टाक हिन्दी महाभारत की अनुक्रमणिका (इस सपुट के लल्ली प्रसाद पाण्डेय सपादक हैं)

५२६०१-५२६१०

यहाँ यह ध्यान देने योग्य हैं कि दशम सपुट के आख्या-पत्र पर सपादक का नाम दिया हुआ हैं। इसका सूचन सलेख में यथोचित अधिसूचन द्वारा कर दिया गया है। लल्ली प्रसाद पाडेय इस शीर्षक से एक सपादक-निर्देशी-सलेख लिखना पड़ेगा।

अध्याय ६

६ संगत-पुस्तकम्

६ संगत पुस्तक

६१ सुसंगत-पुस्तकम्

६१ सुसंगत पुस्तक

६१ सुसङ्गत-पुस्तक-सूचीकरणे प्रस्तुत-धारोपधारा-निर्दिष्ट-विशेषोपहित-पृथक्-पुस्तक-सूचीकरण-विधिः प्रमाणम् ।

६१० अंशकार-नाम प्रधान-संलेखे उपेक्षितव्यम् ।

६१०१ न निर्देशि-संलेखे ।

६१ सुसगत-पुस्तकस्य सूचीकरणे प्रस्तुताया धाराया. उपधारासु निर्दिष्टेन विशेषेण उपहितः पृथक्-पुस्तकस्य सूचीकरण-विधि प्रमाणत्वेन स्वीकार्य. ।

६१० अवयव-आत्मक-अशानाम् अंशकारस्य नाम प्रधान सलेखस्य शीर्षके न लेख्यम् ।

६१०१ परं ६१३ धारायां तस्याः उपधारासु च निर्दिष्ट विधिमनुसृत्य लेख्याना निर्देशि-सलेखाना विषये अशकार-नाम न उपेक्षितव्यम् ।

६१ सुसंगत-पुस्तक के सूचीकरण में प्रस्तुत धारा की उपधाराओ में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त पृथक्-पुस्तक के सूचीकरण की विधि प्रमाण मानी जाय ।

६१० अवयव-आत्मक अंशों के अंशकारों के नाम प्रधान-संलेख में न लिखे जायें।

६१०१ किन्तु ६१३ धारा में तथा उसकी उपधाराओं में निर्दिष्ट विधि का अनुसरण करके लिखे जाने वाले निर्देशी-संलेखों में अंशकार के नाम की उपेक्षा न की जाय।

६१०१ उदाहरण

१ जिस पुस्तक का आवरण-पृष्ठ, उपाख्या-पत्र तथा आख्या-पत्र निम्न-लिखित हैं—

"पुस्तकालय। लेखक। रंगनायन। राहुल साकृत्यायन। आनन्द कौसल्यायन। रामवृक्ष बेनीपुरी। जगन्नाथ मिश्र। बी एन् बनर्जी। ए के ओहदेदार, मुरारिलाल नागर। राय मथुराप्रसाद। राजाराम शास्त्री।

"बिहार-पुस्तकालय संघ के तत्वावधान में —। पुस्तकालय। संपादक। राय मथुराप्रसाद। रामदयाल पांडेय। भोलानाथ "विमल"

[प्रस्तुत पुस्तक में १७ विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित २० निबन्ध हैं।]

उसका प्रधान-संलेख निम्नलिखित होगा —

---

२ ह ७ छ ७

राय मथुराप्रसाद इदि. सपा

पुस्तकालय.

४६४११

---

२ ल २ . २५ ग ढ ६९ . ९O ग ढ २४ ह ७ छ ८

गांधीवाद प्रथमपद.

गांधीवाद, समाजवाद एक तुलनात्मक अध्ययन.

५९९१२

यहा आख्या-पत्र पर सामान्य मुद्रांकन के अतिरिक्त और कोई सूचना नहीं है।

---

३. म ४ छ २ : थ २१ ञ छ ५

राजाराम शास्त्री इदि. सपा.

काशी विद्यापीठ, रजतजयन्ती अभिनन्दन ग्रंथ.

५७०७६

---

६१२ **प्रत्यंशं विषयान्तर-संलेखः ।**

६१२ प्रत्येकेन अशेन अपेक्षिताः सर्वेऽपि विषयान्तर-सलेखा लेख्याः, अर्थात् प्रत्येक. अंशलेखः पृथक् स्वतन्त्रतया च विषयान्तर-संलेखस्य पात्रं भवति ।

६१२ प्रत्येक अंश के लिए आवश्यक सभी विषयान्तर-संलेख लिखे जायं, अर्थात् प्रत्येक अंश-लेख पृथक् और स्वतन्त्र रूप से विषयान्तर-संलेख का अधिकारी होता है ।

६१२ उदाहरण —

अशकार-निर्देशी-सलेख का केवल एक उदाहरण दिया जाता है —

रगनाथन (श्री रा)
ग्रथालय सचालन.
निर्दिश्यमान का अवयव
राय मथुराप्रसाद, इदि सपा : पुस्तकालय. २ ह ७ छ ७

६१३ **प्रत्यंशं निर्देशि-संलेखः च ।**

६१३१ **ज्ञान-कोश-स्मारक-पुस्तकयोः न ।**

६१३ प्रत्येकेन अशेन अपेक्षिताः सर्वेऽपि निर्देश-संलेखाः लेख्या., अर्थात् प्रत्येक. अंशलेखः पृथक् स्वतन्त्रतया च निर्देशि-सलेखस्य पात्र भवति ।

६१३१ ज्ञान-कोशस्य स्मारक-पुस्तकस्य च विषये तु निर्देशि-संलेखो न लेख्य ।

६१३ प्रत्येक अंश के लिए आवश्यक सभी निर्देशी-संलेख लिखे जायं, अर्थात् प्रत्येक अंश-लेख पृथक् और स्वतन्त्र रूप से निर्देशी-संलेख का अधिकारी होता है ।

६१३१ ज्ञान-कोश तथा स्मारक-पुस्तक के विषय में निर्देशी-सलेख न लिखा जाय।

६१३२ अंश-निर्देशि-सलेखे अनुच्छेदाः चत्वारः।

६१३२० यथा —

१ शीर्षकम् (अग्रानुच्छेदः)
२ अन्तरीणम् ;
३ "निर्दिश्यमानस्य अवयवः", इति देशक-पदे ;
४ पुस्तक-शीर्षकम् ;
४१ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेनालम् ;
४२ पूर्णविरामः ;
४३ लघु-आख्या ;
४४ पूर्ण-विरामः ;
४५ क्रामक-समङ्कः च।

६१३२०१ अयम् अंश-लेख-निर्देशि-संलेखः।

६१३२ सुसगत-पुस्तकस्य अशलेखीये पुस्तक-निर्देशि-सलेखे चत्वार अनुच्छेदा यथाक्रम भवन्ति।

६१३२० ते अनुच्छेदा यथाक्रम निम्ननिर्दिष्टा भवन्ति—

१ शीर्षकम् (अग्रानुच्छेद),
२ अन्तरीणम्,
३ 'निर्दिश्यमानस्य अवयव', इति देशक-पदे,
४ पुस्तक शीर्षकम्,
४१ व्यष्टि-नाम्नि सति तस्य नामान्त्य-पदेन अलम्,
४२ पूर्णविराम ,

४३ पुस्तकस्य लघु आख्या;

४४ पूर्ण-विराम ;

४५ पुस्तकस्य क्रामक-समङ्कः च ।

६१३२०१ अय पूर्वोक्त सुसंगत-पुस्तकीयस्य अंशलेखस्य निर्देशि संलेख. 'अंश-लेख-निर्देशि-सलेख.' इति उच्यते ।

६१३२ सुसंगत-पुस्तक के अंश-लेख-सम्बन्धी पुस्तक-निर्देशी-संलेख में चार अनुच्छेद होते हैं ।

६१३२० वे अनुच्छेद निम्नलिखित हैं :—

१ शीर्षक (अग्रानुच्छेद);

२ अन्तरीण;

३ "निर्दिश्यमान का अवयव", ये देशक-पद;

४ पुस्तक का शीर्षक;

४१ व्यष्टि-नाम होने पर उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त माना जाय;

४२ द्विबिन्दु;

४३ पुस्तक की लघु-आख्या;

४४ पूर्ण-विराम; और

४५ पुस्तक का क्रामक-समंक ।

६१३२०१ यह पूर्वोक्त सुसंगत-पुस्तक-सम्बन्धी अंश-लेख का निर्देशी-संलेख 'अंश-लेख-निर्देशी-संलेख' कहा जाता है ।

६१३२१ शीर्षकम् अंशलेखीयम् ।

६१३२१०१ ३२१ धारोपधारा-यथा-निर्देशम् ।

६१३२१ अंशलेखस्य शीर्षकम् एव अंश-लेख-निर्देशि-संलेखस्य शीर्षकम् इति स्वीकार्यम् ।

६१३२१०१ तत् शीर्षकम् ३२१ धारां तदीयाम् उपधारां च अनुसृत्य लेख्यम् ।

६१३२१ अंश-लेख के शीर्षक को ही अंश-लेख-निर्देशी-संलेख के शीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाय ।

६१३२१०१ वह शीर्षक ३२१ धारा और उसकी उपधारा का अनुसरण करके लिखा जाय ।

६१३२२ अन्तरीण-उपकल्पने ३२२ धारोपधाराः प्रमाणम् ।

६१३२२ अंशलेख-निर्देशि-संलेखस्य अन्तरीण ३२२ धारां तदीयाम् उपधारां च अनुसृत्य लेख्यम् ।

६१३२२ अंश-लेख-निर्देशी-संलेख का अन्तरीण ३२२ धारा और उसकी उपधाराओं का अनुसरण करके लिखा जाय ।

६१३२४१ पुस्तक-शीर्षकं प्रधान-संलेखीयम् ।

६१३२४१० निम्नोक्तस्तु विशेषः ।

६१३२४११ यथा —

१ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेनालम् ;

२ एकाधिक-वाक्ये एकम् ;

३ आख्या-प्रथम-पद-शीर्षके न तत् ;

४ नापि च पूर्णविरामः ;

६१३२४१ सुसगत-पुस्तकस्य अश-लेखीये अश-लेख-निर्देशि-सलेखे अन्तरीण-भागे लेख्य शीर्षकं तस्य पुस्तकस्य प्रधान-संलेखे यत् स्यात् तदेव लेख्यम् ।

६१३२४१० पूर्वोक्तस्य शीर्षकस्य उपकल्पने निम्नोक्तः विशेषः स्वीकार्य. ।

६१३२४११ अयं विशेष ।

१ व्यष्टि-नाम्नि शीर्षके सति तस्य नामान्त्य-पदेन अलम्;
२ शीर्षके एकस्मात् अधिक वाक्यं चेत्, पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प-विराम कृत्वा एक वाक्य कार्यम्,
३ आख्याया प्रथम पद शीर्षक चेत् तत् न लेख्यम्,
४ आख्याया प्रथम पद शीर्षक चेत् पूर्णविराम. अपि न लेख्य. ।

६१३२४१ सुसंगत-पुस्तक के अंश-लेख-निर्देशी-संलेख के अन्तरीण भाग में लिखा जाने वाला शीर्षक वही हो जो कि उस पुस्तक के प्रधान-संलेख का है ।

६१३२४१० पूर्वोक्त शीर्षक के उपकल्पन म नीचे कहा हुआ विशेष स्वीकार किया जाय ।

६१३२४११ विशेष यह है :—
१ यदि व्यष्टि-नाम शीर्षक हो तो उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त माना जाय ।
२ यदि एक से अधिक वाक्य हों, तो पूर्ण विराम के स्थान में अल्प-विराम करके एक वाक्य कर लिया जाय;
३ यदि आख्या का प्रथम-पद शीर्षक हो, तो वह न लिखा जाय; और
४ द्विबिन्दु भी न लिखा जाय ।

६१३२४५ पुस्तक-क्रामक-समङ्कः निर्देशि-समङ्कः ।

६१३२४५ सुसङ्गत-पुस्तकस्य क्रामक-समङ्कः एव तस्य पुस्तकस्य अश-लेख-निर्देशि-संलेखस्य निर्देशि-समङ्कः इति स्वीकार्यः ।

६१३२४५ सुसंगत-पुस्तक का क्रामक-समंक ही उस पुस्तक के अंश-लेख-निर्देशी-संलेख का निर्देशी-समंक स्वीकार किया जाय ।

६१३२४५ इस प्रकार के सलेख को ग्रथकार-विश्लेषक कहा जाता है। उनकी आवश्यकता को सिद्ध करने वाली सगत-पुस्तको का प्रचार अधिकाधिक बढता जा रहा है। इसमें कोई सदेह नही कि इस प्रकार के सलेख पाठको को तथा अनुलय कर्तृगण को पर्याप्त सहायता पहुचाते हैं। किंतु वे ग्रथालय शासन के सूत्रो के ही बीच आपसी गृह कलह उत्पन्न करते हैं। उस लडाई का कराने वाला होता हैं लाघव-न्याय। लड़ाई का निपटारा समझौते में जाकर होता है। वह समझौता यही है कि जो पुस्तकें प्रकाशित ग्रथ-सूचिया म विश्लेषित की जा चुकी हो, उनके लिए इस प्रकार के सलेख न लिखे जायें।"[३०]

६२१	विसङ्गत-पुस्तकम्
	विसङ्गत पुस्तक
६२१	विसङ्गत-पुस्तक-प्रधान-संलेखः प्रथम-अवयव-कृतेरिव ।
६२१०	प्रत्यनन्तर-कृति अतिरिक्तानुच्छेदाः ।
६२१००	तृतीय-चतुर्थ-अनुच्छेदात् परम् अन्तर्निविष्टाः ।
६२१०१	अग्रानुच्छेद-क्रामक-समङ्कात् परं "सङ्गत-पुस्तकम्" इति वर्णकम् ।
६२१	विसङ्गत-पुस्तकस्य प्रधान सलेख तथा लेख्य यथा स प्रथमाया अवयव-रूपाया कृते इव स्यात्।
६२१०	विसङ्गत-पुस्तकस्य प्रधान-सलेखे प्रत्येकस्यै अनन्त-रायै कृतये अतिरिक्त अनुच्छेद लेख्य ।
६२१००	ते अतिरिक्तानुच्छेदा तृतीयात् आख्यादि-अनुच्छे-दात् चतुर्थात् अधिसूचन-अनुच्छेदात् वा परम्,

३० रगनाथन (श्री रा) ग्रथालय सूची-सिद्धान्त. १९३८ (मद्रास ग्रथालय सघ, प्रकाशन माला, ७) अध्याय ३१

पचमात् परिग्रहण-समङ्कात्मक-अनुच्छेदात् च पूर्वम् अन्तर्निवेश्या ।

६२१ विसगत-पुस्तक का प्रधान-सलेख इस प्रकार लिखा जाय मानो वह प्रथम अवयवरूप कृति के लिए हो ।

६२१० विसगत-पुस्तक के प्रधान-सलेख में प्रत्येक अनन्तर कृति के लिए अतिरिक्त अनुच्छेद लिखा जाय ।

६२१०० वे अतिरिक्त अनुच्छेद, तृतीय आख्यादि-अनुच्छेद से अथवा चतुर्थ अधिसूचन-अनुच्छेद से आगे तथा पचम परिग्रहण समाँकात्मक अनुच्छेद से पूर्व अर्थात् उन दोनो के बीच लिखे जाय ।

६२१०१ अग्रानुच्छेद के क्रामक-समक से आगे "सगत-पुस्तक" यह वर्णक लगाया जाय ।

६२१२ द्वितीय-अवयव-कृति-अनुच्छेदे अंशाः सप्त ।

६२१२० यथा —

१ "२" इत्यङ्कः ;
२ शीर्षकोचित-पदानि ;
३ पूर्णविरामः
४ आख्यादि: ;
५ पूर्ण-विरामः ;
६ ६२१४ धारोपहितम् अधिसूचनम्;
७ अनुच्छेदान्त्य-रेखा-दक्षिणान्ते क्रामक-समङ्कः; च ।

६२१२१ १ धारोपधारानुसारम् ।

६२१२ द्वितीयाया अवयवात्मिकाया कृते कृते लिख्यमानस्य लेखस्य अनुच्छेदे यथाक्रम सप्त अशा भवन्ति ।

६२१२१ अनुच्छेदस्य विभिन्नानाम् अशानाम् उपकल्पने प्रथमा धारा तदीया उपधारा च अनुसर्तव्या ।

६२१२ द्वितीय अवयवरूप कृति के लिए लिखे जाने वाले लेख के अनुच्छेद में क्रमश सात अश होते हैं —

६२१२० वे अश निम्नलिखित हैं :—

१ "२" यह अक,
२ शीषक के लिए उचित पद,
३ द्विबिन्दु,
४ आख्यादि,
५ पूर्ण-विराम,
६ ६२१४ धारा के अपवाद से युक्त अधिसूचन, यदि आवश्यक हो, तथा
७ क्रामक-समक, जो अनुच्छेद के अन्त को रेखा के दाहिनी ओर अन्त में लिखा जाय ।

६२१२१ अनुच्छेद के विभिन्न अशो के उपकल्पन में प्रथम धारा और उसकी उपधाराए अनुसरण की जानी चाहिए ।

६२१३ तृतीयाद्यवयव-कृति-सलेखानुच्छेदः द्वितीयवत्

६२१३० युक्तानुक्रम-समङ्क. ।

६२१३ तृतीयस्या तदुत्तराया च अवयवात्मिकाया कृते सलेखानुच्छेद द्वितीयावयव-कृति-सदृश एव लेख्य ।

६२१३० तृतीयस्या तदुत्तराया च अवयवात्मिकाया कृते सलेखानुच्छेदे द्वितीय-अवयव-कृति विपयकस्य "२" इत्यङ्कस्य स्थाने यथोचित क्रम-समङ्क लेख्य ।

६२१३ तृतीय और तदुत्तर अवयवरूप कृति का सलेखानुच्छेद द्वितीय अवयवकृति के सदृश हो लिखा जाय ।

६२१३० तृतीय तथा उसके अनन्तर की अवयवात्मक कृति के सलेखानुच्छेद में द्वितीय-अवयव-कृति सम्बन्धी "२" इस अक के स्थान में यथोचित क्रम समक लिखा जाय।

६२१४ एक-मालान्तर्वर्ति-सकलावयव-कृतीनाम् एकं माला-अधिसूचनम् ।

६२१४१ सर्वानुक्रम-समङ्काः यथाक्रमम् ।

६२१४ सकला अपि अवयवात्मिका कृतय एकस्याम् एव मालाया प्रकाशिता स्यु चेत्, प्रत्यवयव-कृति-अनुच्छेद पृथक्पृथक् माला-अधिसूचनानि न लेख्यानि अपितु सर्वासाम् कृतीनाम् अन्त्यानुच्छेतात्मकम् एकमेव माला-अधिसूचन लेख्यम् ।

६२१४१ माला-अधिसूचन-अनुच्छदस्य अनुक्रम-समङ्कात्मके भागे सर्वे अपि अनुक्रम-समङ्का यथाक्रम लेख्या ।

६२१४ यदि सभी अवयवरूप कृति एक ही माला में प्रकाशित हो, तब प्रत्येक अवयव-कृति-अनुच्छेद के लिए पृथक्-पृथक् माला-अधिसूचन न लिखा जाय, अपितु सभी कृतियो के अन्त्यानुच्छेद के रूप में एक ही माला-अधिसूचन लिखा जाय।

६२१४१ माला-अधिसूचन-अनुच्छेद के अनुक्रम-समकात्मक भाग में सभी अनुक्रम-समक यथाक्रम लिखे जाय ।

६२१४१ उदाहरण

प २ ४१९६ श १ च ७ सगत पुस्तक

अनन्तदेव

भक्तिनिर्णय, अनन्त शास्त्री फडके सपा

२ आश्रमस्वामी नाममाहात्म्य अनन्त शास्त्री फडके सपा

प २ ४१९६ श १ च ७

(प्रिसेस आफ वेल्स, सरस्वती भवन ग्रथमाला, मगल देव शास्त्री सपा ७२ अ, ब)

६०६०

---

६२२ विसङ्गत-पुस्तक-विषयान्तर-संलेखो द्विधा।

६२२० यथा :—

१ विशिष्ट. ;

२ साधारणश्च ।

६२२ विसगत-पुस्तक के अन्तर्विषयि-सलेख दो प्रकार के हैं।

६२२० वे दो प्रकार निम्नलिखित हैं —

१ विशिष्ट, और

२ साधारण।

६२२१ प्रथमेतर-प्रत्यवयव-कृति-क्रामक-समङ्कस्य विशिष्ट-विषयान्तर-संलेखः।

६२२११ विशिष्ट-विषयान्तर-संलेखे अनुच्छेदाः षट्।

६२२११० यथा —

१ विषयान्तर-अवयव-कृति-क्रामक-समङ्कः (अग्रानुच्छेदः) ;

२ शीर्षकम् ;

३ आख्या ;

४ निर्दिश्यमानस्य भागः २ इत्यनुसंपुटितम् निर्दिश्यमानस्य भागः २ इत्यनुमुद्रितम्-प्रभृति-वर्णक-पदानि;

५ प्रधान-संलेख-अग्रानुच्छेद-क्रामक-समङ्कः ;

६ २ धारामनुशीर्षकम् ;
६१ लघु-आख्या ;
६२ पूर्ण-विरामः च ।

६२२१ प्रथमाया कृते इतरस्या प्रत्येकस्या कृते क्रामक-समङ्कस्य एकैक विशिष्ट-विषयान्तर-सलेखो लेख्य

६२२११ विशिष्ट-विषयान्तर-सलेखे यथाक्रम षट् अनुच्छेदा भवन्ति ।

६२२११० ते षट् अनुच्छेदा निम्ननिर्दिष्टा भवन्ति ।

१ विषयान्तर-रूपाया अवयवात्मिकाया कृते क्रामक-समङ्क (अग्रानुच्छेद) प्रथम अनुच्छेद भवति,
२ तस्या शीर्षक द्वितीय अनुच्छेद भवति,
३ तस्या आख्या तृतीय अनुच्छेद भवति,
४ 'निर्दिश्यमानस्य भाग २ इत्यनुसपुटितम्' 'निर्दिश्यमानस्य भाग २ इत्यनुमुद्रितम्, प्रभृतानि वर्णकानि यथोचितानि पदानि चतुर्थ अनुच्छेद भवति,
५ प्रधान-सलेखीयस्य अग्रानुच्छेदस्य क्रामक-समङ्क पचम अनुच्छेद भवति,
६ २ धाराम् अनुसृत्य लेख्य प्रधान-सलेखस्य शीर्षक,
६१ प्रथमावयव कृते लघु-आख्या,
६२ पूर्ण विराम च षष्ठ अनुच्छेद भवति ।

६२२१ प्रथम कृति से अन्य प्रत्येक कृति के क्रामक-समक के लिए एक एक विशिष्ट विषयान्तर-सलेख लिखा जाय ।

६२२११ विशिष्ट-विषयान्तर सलेख में क्रमश छ. अनुच्छेद होते हैं।

६२२११० वे अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं :—

१ विषयान्तर-रूप अवयवात्मक कृति का क्रामक-समक (अग्रानुच्छेद) प्रथम अनुच्छेद होता है ;

२ उसका शीर्षक द्वितीय अनुच्छेद होता है;

३ उसकी आख्या तृतीय अनुच्छेद होता है;

४ 'निर्दिश्यमान के भाग २ रूप में अनुसंपुटित' 'निर्दिश्यमान के भाग २ रूप में अनुमुद्रित'—आदि वर्णक यथोचित पद चतुर्थ अनुच्छेद होता है ;

५ प्रधान-संलेख के अग्रानुच्छेद का क्रामक-समंक पंचम अनुच्छेद होता है;

६ २ धारा का अनुसरण करके लिखा हुआ प्रधान संलेख का शीर्षक;

६१ प्रथम अवयव-कृति की लघु-आख्या; तथा

६२ पूर्ण-विराम छठा अनुच्छेद होता है।

६२२११० उदाहरण

प २ ४१४६ श १ च ७
आश्रमस्वामी
नाममाहात्म्य
निर्दिश्यमान के भाग २ रूप में अनुमुद्रित

प २ ४१९६ श १ च ७
अनन्तदेव भक्तिनिर्णय

प्रधान-संलेख के लिए धारा ६२१४१ के अन्तर्गत उदाहरण द्रष्टव्य है।

६२२२ प्रति-अवयव-कृति-प्रति-विषयान्तरं साधारण-विषयान्तर-संलेखः ।

६२२२१ साधारण-विषयान्तर-संलेख-लेखने प्रस्तुत-धारोपधारा-निर्दिष्ट विशेषोपहिता २ धारा प्रमाणम् ।

६२२२११ यथा—

१ क्रामक-समंक-शीर्षक-आख्याः प्रथमावयव-कृतिकाः;

२ अनुसन्धेय-भागोऽपि
३ क्रामक-समंकात् परं 'सङ्गत-पुस्तकम्' इति ।

६२२२ प्रत्येकस्या अवयवात्मिकाया कृते प्रत्येकम् अपक्षित विषयान्तरम् अधिकृत्य एकैक विषयान्तर-सलेखो लेख्य ।

६२२२१ साधारणस्य विषयान्तर-सलेखस्य लेखने प्रस्तुताया धाराया उपधाराया निर्दिष्टेन विशेषेण उपहिता २ धारा प्रमाणत्वेन स्वीकार्या ।

६२२२११ स विशष अय भवति—

१ क्रामक-समङ्क, शीर्षकम्, आख्या च प्रथमाया अवयवात्मिकाया कृते एव स्वीकार्यम् ,
२ न केवलम् अनुसन्धेय पृष्ठानाम्, अपितु अनुसन्धेयस्य भागस्य, तदीयाना पृष्ठाना च उल्लेख कार्य ,
३ क्रामक-समङ्कात् परम् 'सङ्गत-पुस्तकम्' इति वर्णक पद लेख्यम् ।

६२२२ प्रत्येक अवयवात्मक कृति के प्रत्येक अपेक्षित विषयान्तर के लिए एक-एक विषयान्तर-सलेख लिखा जाय ।

६२२२१ साधारण, विषयान्तर-सलेख के लेखन के लिए प्रस्तुत धारा की उपधारा में निर्दिष्ट अतिरिक्त व्यवस्था से युक्त २ धारा प्रमाण मानी जाय ।

६२२२११ वह विशेष यह है ।

१ क्रामक-समक, शीर्षक, और आख्या, प्रथम अवयवात्मक कृति के ही स्वीकार किए जाय,
२ न केवल अनुसन्धेय पृष्ठों का, अपितु अनुसन्धेय भाग का और उनके पृष्ठों का उल्लेख किया जाय;

३ नामक-समक से आगे 'सगत-पुस्तक' यह वर्णक-पद लिखा जाय।

६२३ ३ धारोपधाराः अनु प्रत्यवयवकृति निर्देशि-संलेखाः।

६२३२ पुस्तक-निर्देशि-संलेखे तु विशेषः।

६२३२१ अतिरिक्तानुच्छेदौ।

६२३२१० यथा —

१ ६२२११० धारा-निर्दिष्ट-वर्णक-पदानि;

२ प्रथमावयव-कृति-निर्देश-समंकः च;

६२३ प्रत्येकाम् अवयवात्मिका कृतिम् अधिकृत्य सर्वेऽपि यथोचिता सलेखा ३ धारा तदीया उपधाराश्च अनुसृत्य लेख्या।

६२३२१ पुस्तक-निर्देशि-सलेखे द्वितीयानुच्छेदात् परम् अतिरिक्तौ द्वौ अनुच्छेदौ लेख्यौ।

६२३ प्रत्येक अवयवरूप कृति के लिए सभी यथोचित सलेख ३ धारा तथा उसकी उपधारा का अनुसरण करके लिखे जाय।

६२३२ पुस्तक-निर्देशि-सलेख में तो विशेष होता है।

६२३२१ पुस्तक-निर्देशि-सलेख में द्वितीय अनुच्छेद से आगे दो अतिरिक्त अनुच्छेद लिखे जाय।

६२३२१० वे दो अतिरिक्त अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं —

१ ६२२११० धारा में निर्दिष्ट वर्णक पद; और

२ प्रथम अवयवात्मक कृति का निर्देशि-समक।

६२३२१० उदाहरण

आश्मस्वामी

नाममाहात्म्य

निर्दिश्यमान के भाग २ रूप म अनुमुद्रित

प २ ४१९६ श १ च७

प्रधान-सलेख के लिए धारा ६२१४१ के अन्तगत उदाहरण द्रष्टव्य है।

६२४ प्रत्यवयव-कृति नामान्तर-निर्देशि-संलेखाः।

६२४० ४ धारोपधाराः अनु।

६२४ प्रत्येकाम् अवयवात्मिका कृतिम् अधिकृत्य सर्वेऽपि यथोचिता नामान्तर-निर्देशि-सलेखा लेख्या।

६२४० नामान्तर-निर्देशि-सलेखाना लेखने ४ धारा तदुपधाराश्च अनुमर्तव्या।

६२४ प्रत्येक अवयव रूप कृति के लिए सभी यथोचित नामान्तर-निर्देशी-सलेख लिखे जाय।

६२४० *नामान्तर निर्देशी-सलेखो के लिखने में ४ धारा तथा उसकी उपधाराओ का अनुसरण करना चाहिए।*

अध्याय ७

सामयिक-प्रकाशनम्

सामयिक-प्रकाशन

७१ सरलः प्रकारः

सरल प्रकार

"सामयिक-प्रकाशन", "समुच्चित" तथा "आवर्तित" इन पदो के लक्षण अध्याय ०८ में दिए जा चुके है। सामयिक-प्रकाशनो की अव्यवस्थाए इतनी अधिक है कि उनकी कल्पना भी नही की जा सकती। उनमें बहुत शीघ्र परिवर्तन आते रहते है। कभी उनका प्रकाशक बदला, तो कभी उनका नाम। कभी उनकी सामयिकता मे परिवर्तन आया, तो कभी उनके आकार तथा पृष्ठो के क्रम में। कभी वे बन्द हो कर पुन चालू हो जाते है, तो कभी सदैव के लिए बन्द हो जाते है। सुविधा के लिए प्रकृत अध्याय मे सामयिक-प्रकाशन के सरल प्रकार की ही चर्चा की गई है। यहा 'सरल' से तात्पर्य उन प्रकाशनो से है जो किसी प्रकार की अव्यवस्था उपस्थित न करते हो। अगले अध्याय मे उस विशिष्ट व्यवस्था की चर्चा की जायेगी जो जटिल प्रकार के सामयिक प्रकाशनो के लिए अपेक्षित है। यहा 'जटिल' से तात्पर्य उन प्रकाशनो से है जो विभिन्न प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करते हो।

प्रधान-संलेखः

प्रधान संलेख

७१ सरल-सामयिक-प्रधान-संलेखे अनुच्छेदाः चत्वारः।

७१० यथा —

१ वर्ग-समंकः (अग्रानुच्छेदः) ;

२ आख्यादिः ;

३ माला-अधिसूचनं ;

४ संपुट-अवधि-अधिसूचनं च ।

७१ सरल-सामयिकस्य प्रधान-सलेखे यथाक्रम चत्वार अनुच्छेदा भवन्ति ।

७१० ते अनुच्छेदा निम्नोक्ता भवन्ति—

१ वर्ग-समङ्क (अग्रानुच्छेद) प्रथम अनुच्छेद भवति,

२ आख्या तदुपगतम् अन्यत् च द्वितीय अनुच्छेद भवति,

३ माला-अधिसूचन, यदि चेत्, तृतीय अनुच्छेद भवति,

४ सपुट-अवधि-अधिसूचन चतुर्थ अनुच्छेद भवति ।

७१ सरल सामयिक के प्रधान सलेख में क्रमश चार अनुच्छेद होते हैं ।

७१० वे अनुच्छेद निम्नलिखित हैं —

१ वर्ग-समक (अग्रानुच्छेद) प्रथम अनुच्छेद होता है,

२ आख्या तथा उसके साथ आने वाली अन्य वस्तुए द्वितीय अनुच्छेद होता है,

३ माला-अधिसूचन, यदि हो, तो तृतीय अनुच्छेद होता है ।

४ सपुट-अवधि-अधिसूचन चतुर्थ अनुच्छद होता है ।

७११ वर्ग-समकः आख्या-पत्र-पृष्ठात् ।

७११ वर्ग-समङ्क आख्या-पत्रस्य पृष्ठात् ग्राह्य ।

७११ वर्ग-समक आख्या-पत्र के पृष्ठ भाग से लिया जाय ।

७११ पुस्तक के प्रधान-सलेख के अग्रानुच्छेद में क्रामक-समक दिया जाता है। यह धारा ११ से स्पष्ट है। किन्तु सामयिक प्रकाशन के प्रधान-सलेख के अग्रानुच्छेद म केवल वर्ग-समक ही दिया जाता है। इसका कारण यह है कि सामयिक प्रकाशन का प्रधान-पत्रक किसी एक सपुट मात्र के लिए नही होता, प्रत्युत उस सामयिक प्रकाशन के समस्त सपुटो के लिए होता है। देखिए धारा ७१२।

७१२ **आख्यादि-अनुच्छेदे अंशाः षट्।**

७१२० **यथा —**

१ उपपद-मानपद-इतर-विशिष्ट-लिपि-प्रथम-पद-पुरःसरम् आख्या-प्रतिलिपिः ;

२ आख्या-नान्तर्गत-समष्टि-ग्रन्थकार-प्रवर्तक-समष्टि-अन्यतर-सत्वे वृत्तकोष्ठके पृथग्-वाक्यतया तन्नाम, नाम्नोरुभयम्-नाम्नां प्रथमम्; इदि इति परम् ;

३ 'संपु' इति, आख्या-पत्र-भाषिक-तत्पर्यायो वा ;

४ ग्रन्थालयीय-संपुट-संख्या, समावेशाङ्कने;

५ पूर्ण-विरामः ;

६ संवादि-संवत्सराः, समावेशांकने।

७१२० ते षट् अशा यथाक्रम निम्नलिखिता भवन्ति !

१ आख्याया प्रथम-पदम् उपपदात्मक मानपदात्मक वा चेत् तस्य लोप-पुर सरम्, प्रथम पदस्य च विशिष्ट लिप्या लेखन-पुर सरम् आख्याया प्रतिलिपि प्रथम अश भवति,

२ समष्टि ग्रन्थकर्त्री चेत्, सामयिक प्रकाशन समष्टि-

प्रवर्तित वा चेत्, तत्-समष्टि नाम च आख्याया न अन्तर्गत चेत् वृत्तकोष्ठके पृथग् वाक्यरूपेण तन्नाम, समष्टि-द्वय-ग्रन्थकर्तृत्वे च तयोरुभयोर्नामिनी, द्वयाधिक-समष्टि-ग्रन्थकर्तृत्वे च प्रथम-समष्टि-नाम तत पर च 'इदि' इति अय द्वितीय अश. भवति,

३ 'सपु' इति, आख्या-पत्र-भाषाया तत्पर्यायो वा तृतीय. अश भवति,

४ समावेशाङ्कने लिखिता, ग्रन्थालये विद्यमानाना सपुटाना सङ्कलिता सख्या चतुर्थ अश भवति;

५ पूर्णविराम पचम अश भवति,

६ समावेशाङ्कने लिखिता ग्रन्थालये विद्यमानाना सपुटाना सवादिन सवत्सरा. षष्ठ भवति ।

७१२ आख्यादि-अनुच्छेद में छः अंश होते है ।

७१२० वे छः अंश निम्नलिखित हे :—

१ यदि आख्या का प्रथम-पद उपपद अथवा मानपद हो, तो उसका लोप करते हुए तथा प्रथम-पद को विशिष्ट लिपि में लिखते हुए, आख्या की प्रतिलिपि प्रथम अंश होता है;

२ यदि समष्टि ग्रन्थकर्त्री हो, अथवा *सामयिक-प्रकाशन* समष्टि-प्रवर्तित हो तथा उस समष्टि का नाम आख्या में समाविष्ट न हो, तो वृत्त-कोष्ठक में, पृथक् वाक्य के रूप में लिखा हुआ, उस समष्टि का नाम, दो समष्टियां ग्रन्थकर्त्री हो, तो दोनों का नाम, दो से अधिक समष्टियां ग्रन्थकर्त्री हो, तो प्रथम समष्टि का नाम तथा उसके आगे 'इदि.' यह द्वितीय अंश होता है ;

३ 'संपु.' अथवा आख्या-पत्र की भाषा में उसका पर्याय तृतीय अंश होता है;

४ समावेशाकन में लिखी हुई, ग्रन्थालय में विद्यमान संपुटों की संकलित संख्या चतुर्थ अश होता है;

५ पूर्ण-विराम पांचवां अंश होता है;
६ समावेशांकन में लिखे हुए, ग्रन्थालय में विद्यमान संपुटों के संवादी संवत्सर छठा अंश होता है।

७१३० "सपुट के सवत्सर" से अभिप्राय उस सवत्सर से है जो सपुट के द्वारा अधिकृत हो। यह सभव है कि वह प्रकाशन का वर्ष न हो। दूसरे शब्दो में यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई नियम नही है कि संपुट के अधिकार-पात्र तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोनो वर्ष एक ही हो।

उदाहरणार्थ, देखिए धारा ७२१० के अन्तर्गत उदाहरण २।

७१२४　अनुप्रकाशन-गृह्यमाण-अन्त्य-संपुट-वर्षयोः सीस-लेखनी।

७१२४०१　इदम् "ग्रन्थालय-अपूरितांकनम्"।

७१२४०२　अवरुद्धे मसी।

७१२४०३　इदम् "ग्रन्थालय-पूरितांकनम्"।

७१२४　सामयिक-प्रकाशनम् अनुप्रकाशनम् यथाकालं ग्रन्थालये गृह्यमाणं चेत्, सति संभवे अन्त्य-संपुटस्य अन्त्य-वर्षस्य च समङ्कः सीस-लेखन्या लेख्य.।

७१२४०२　प्रचलत्प्रकाशनं सामयिक-प्रकाशनं ग्रन्थालये अवरुद्धं चेत्, सति संभवे अन्त्य-संपुटस्य अन्त्य-वर्षस्य च सीस-लेखन्या लिखित समङ्कः मस्या लेख्यः।

७१२४　यदि सामयिक प्रकाशन, प्रकाशन के साथ ही यथासमय ग्रन्थालय में ग्रहण किया जाता हो तो, संभव होने पर अन्त्य-संपुट और अन्त्य-वर्ष का समंक सीस-लेखनी से लिखा जाय।

७१२४०१　यह "ग्रन्थालय-अपूरितांकन" कहा जाता ह।

७१२४०२　यदि सामयिक-प्रकाशन का प्रकाशन चलता हो किन्तु

ग्रन्थालय में उसका ग्रहण अवरुद्ध हो, तो संभव होने पर अन्त्य-सपुट और अन्त्य-वर्ष का सीस लेखनी से लिखा हुआ समंक मसी से लिखा जाय ।

७१२४०३ यह "ग्रन्थालय-पूरिताकन" कहा जाता है ।

७१२४०१ सर्वान्तिम सपुट-समक तथा सर्वान्तिम वर्ष-समक पेन्सिल से लिखा जाय। इस विधि का उद्देश्य यह है कि उस के बाद के सपुट ज्यो ही पूर्ण हो जाय तथा परिगृहीत कर लिए जाय त्यो ही उन समको को मिटा कर उनके स्थान में उनके अनुपद समक सरलता से लिखे जा सके । साधारणत ग्रन्थालयो की प्रथा यह है कि इन समको को पेन्सिल द्वारा भी न लिखा जाय, प्रत्युत उन स्थानो को शून्य ही छोड़ दिया जाय । हम भली भाति जानते है कि सामयिक-प्रकाशन अपनी अनियमितताओ के लिए पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है । फिर भी यदि हम कल्पना कर बैठे कि सर्वान्तिम पूर्ण सपुट के वर्ष तथा समक का अनुमान लगाया जा सकता है तो यह भारी भूल होगी। कारण, यह सरल नही है। प्रस्तुत धारा में विहित सामान्य सी इस युक्ति के द्वारा अनुलय कर्तृगण तथा पाठक दोनो को पर्याप्त सुविधा प्राप्त होती है। यह हमारे अनुभव से सिद्ध है ।

७१३ माला-अधिसूचनम् १४१ धारोपधारा-यथानिर्देशम् ।

७१३० तत् वृत्तकोष्ठके।

७१३१ सर्व-संपुट-माला-समंका : ।

७१३२ संघात-प्रथम-संपुट-मालानान्तर्गतत्वे मालान्तर्गत-संघात-सर्व-पूर्व-संपुट-वर्ष-अन्यतर-समंकः तन्माला-समंकादधः ।

७१३३ संपुटान्तर-माला-बहिर्भावे तदुत्तर-*मालान्तर्गत-संपुट-वर्ष-अन्यतर-समंकः* तन्माला-समंकात् अधः

७१३४ एवमग्रेऽपि ।

७१३ माला-अधिसूचनं विद्यते चेत्, तत् १४१ धारां तदीयाः उपधाराः च अनुसृत्य लेख्यम् ।

७१३१ सामयिक-प्रकाशनस्य सर्वेषां सपुटानां माला-समङ्का यथाक्रमम् अन्ते लेख्याः ।

७१३२ सघातस्य प्रथमः सपुटः मालाया अन्तर्गतः न चेत्, सघातस्य सर्वेभ्य पूर्व य. सपुट. मालाया अन्तर्गतः स्यात् तस्य सपुटस्य समङ्क, तदभावे वा वर्ष-समङ्कः, तस्य संपुटस्य माला-समङ्कस्य अधस्तात् विभाजक-तया लेख्य. ।

७१३३ संघातस्य प्रथमेतर कोऽपि संपुट मालाया बहि-र्भवति चेत्, तदव्यवहितोत्तरः य सपुटः मालायाः अन्तर्गत. स्यात् तस्य संपुटस्य समङ्कः तदभावे वा वर्ष-समङ्क. तस्य संपुटस्य माला-समङ्कस्य अधस्तात् विभाजकतया लेख्य. ।

७१३ यदि माला-अधिसूचन विद्यमान हो, तो वह १४१ धारा और उसकी उपधाराओं का अनुसरण करके लिखा जाय ।

७१३० यह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय ।

७१३१ सामयिक-प्रकाशन के सभी संपुटों के माला समंक क्रमशः अन्त में लिखे जायं ।

७१३२ यदि संघात का प्रथम संपुट माला के अन्तर्गत न हो, तो संघात का सबसे पहला जो संपुट माला के अन्तर्गत हो उस संपुट का समंक अथवा उसके अभाव में वर्ष-समंक उस संपुट के माला-समंक के नीचे विभाजक रूप में लिखा जाय ।

७१३३ यदि संघात का प्रथम से अन्य कोई संपुट माला के बाहर हो जाय, तो उसके ठीक ही बाद का जो संपुट माला के अन्तर्गत हो उस संपुट का समंक अथवा उसके अभाव में वर्ष-समंक उस संपुट के माला-समंक के नीचे विभाजक रूप में लिखा जाय ।

७१३४ ऐसे ही आगे भी किया जाय ।

७१४०० संपुटावधि-अधिसूचने एक-संपुट-प्रकाशन-पूर्णता-समय अन्तर-उल्लेखः ।

७१४००१ ऋजुकोष्ठके ।

७१४००२ तत् द्विधा ।

७१४००३ एक-वर्ष-एकैकाधिक-संपुट-प्रकाशितत्वे प्रथमम् ।

७१४००४ वर्षाधिक-समय-प्रकाशित एक-संपुटत्वे द्वितीयम् ।

७१४०० सपुट-अवधि-अधिसूचने एकस्य सपुटस्य प्रकाशने पूर्णताया च यावान् समय अपेक्ष्यते तस्य उल्लेख कार्य ।

७१४००१ सपुटावधि-अधिसूचनम् ऋजुकोष्ठके लेख्यम् ।

७१४००३ एकस्मिन् वर्षे एक अधिक-सख्याका वा सपुटा प्रकाश्यन्ते चेत् प्रथम प्रकार भवति ।

७१४००४ एकस्य सपुटस्य प्रकाशने एकस्मात् वर्षात् अधिक समय अपेक्ष्यते चेत् द्वितीय प्रकार भवति ।

७१४०० सपुट - अवधि अधिसूचन में एक सपुट के प्रकाशन में और पूरे होने में जितना समय लगता हो उसका उल्लेख किया जाय ।

७१४००१ सपुटावधि-अधिसूचन ऋजु-कोष्ठक में लिखा जाय ।

७१४००२ उसके दो प्रकार हैं ।

७१४००३ यदि एक वर्ष में एक या एक से अधिक सख्या के सपुट प्रकाशित हों, तो वह प्रथम प्रकार होता है ।

७१४००४ यदि एक सपुट के प्रकाशन में एक वर्ष से अधिक समय लगता हो, तो वह द्वितीय प्रकार होता है ।

७१४०१ प्रथमे अंशाः पंच ।

७१४०१० यथा —

१ प्रतिवर्ष-प्रकाशित-संपुट-संख्या;
२ "संपु प्रतिवर्षम्" इति पदे ;
३ पूर्ण-विरामः ;
४ प्रकाशनारम्भ-संवत्सरः ;
५ रेखिका च ।

७१४०११ प्रथमे प्रकारे पच अशा. भवन्ति ।

७१४०१ प्रथम प्रकार में पांच अंश हैं ।
७१४०१० वे अंश निम्नलिखित होते हैं :—
१ प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाले संपुटों की संख्या;
२ "संपु प्रतिवर्ष" ये पद;
३ पूर्ण विराम;
४ प्रकाशन के आरम्भ का संवत्सर; और
५ रेखिका ।

७१४०१२ एकाधिक-खण्ड-संपुटित-संपुटत्वे द्वितीयोत्तरमतिरिक्तांशा ।

७१४०१३ यथा —

३ अर्ध-विरामः ;
४ एक-संपुट-पृथक्-संपुटित-खण्ड-संख्या ;
५ "खण्डे (खण्डानि वा) प्रति संपुटम्" इति ;

७१४०१२ एक. संपुटः एकस्मात् अधिकेपु खण्डेपु संपुटितः चेत्,

द्वितीयात् अशात् उत्तरम् निम्ननिर्दिष्टा त्रय अति-
रिक्ता अशा लेख्या ।

७१४०१२ यदि एक सपुट एक से अधिक खण्डो में सपुटित हो, तो द्वितीय अश से आगे निम्नलिखित तीन अतिरिक्त अश लिखे जाय ।

७१४०१३ वे तीन अश हैं —

३ अर्ध-विराम,

४ एक सपुट के पृथक् सपुटित खण्डो की सख्या,

५ "खण्ड प्रति-सपुट" यह ।

७१४०२ द्वितीये अंशाः षट् ।

७१४०२१ यथा —

१ " १ संपु प्रति" इति ;

२ वर्ष-सख्या ;

३ "वर्षम्" इति ;

४ पूर्ण-विरामः ;

५ प्रकाशनारम्भ-संवत्सरः च;

६ रेखिका च ।

७१४०२ दूसरे प्रकार में ६ अश होते हैं ।

७१४०२१ वे अश निम्नलिखित हैं —

१ "१ सपु प्रति" यह,

२ वर्ष की सख्या,

३ "वर्ष" यह,

४ पूर्ण-विराम,

५ प्रकाशन के आरम्भ का सवत्सर, और

६ रेखिका ।

७१४०२२ एकाधिक-खण्ड-संपुटित-संपुटत्वे तृतीयोत्तरमतिरिक्तांशाः ।

७१४०२२ द्वितीये प्रकारे, एक: संपुट एकस्मात् अधिकेषु खण्डेषु संपुटितः चेत् ७१४०१२ धारा-निर्दिष्टाः अतिरिक्ता त्रयः अंशाः तृतीयात् अंशात् उत्तरं लेख्याः ।

७१४०२२ द्वितीय प्रकार में, यदि एक संपुट एक से अधिक खण्डों में संपुटित हो, तो ७१४०१३ धारा में निर्दिष्ट अतिरिक्त ३ अंश तृतीय अंश के पश्चात् लिखे जायं ।

७१४०३ निरवधिक-प्रकाशने "निरवधिकम्" इति आरम्भे ।

७१४०३ सामयिक-प्रकाशनस्य प्रकाशने निरविधके सति अधिसूचनस्य आरम्भे 'निरवधिकम्' इति लेख्यम् ।

७१४०३ यदि सामयिक प्रकाशन का प्रकाशन निरवधिक हो, तो अधिसूचन के आरम्भ 'निरवधिक' यह लिखा जाय ।

७१४१ प्रचलत्प्रकाशनत्वे रेखिकान्ते नान्यत् ।
७१४१० इदम् "प्रकाशन-अपूरितांकनम्"
७१४२ विरत-प्रकाशनत्वे अन्त्य-प्रकाशित-संपुट-संवत्सरः ।
७१४२० इदम् "प्रकाशन-पूरितांकनम्"

७१४१ सामयिक प्रकाशनस्य प्रकाशनं प्रचलत् चेत्, ग्रन्थालये तत् गृह्यते चेत् न वा गृह्यते चेत्, ७१४०१-

७१४०२ धारयो निर्दिष्टाया रेखिकाया अन्ते अन्यत् किमपि न लेख्यम् ।

७१४१० इदम् समङ्कनम् "प्रकाशन-अपूरिताङ्कनम्" इति उच्यते ।

७१४२ सामयिक प्रकाशनस्य प्रकाशन विरत चेत् ७१४००१ ७१४००२ धारयो निर्दिष्टाया रेखिकाया परम् अन्त्यस्य प्रकाशितस्य सपुटस्य सवत्सर लेख्य ।

७१४२० इदम् अङ्कनम् "प्रकाशन-पूरिता-अङ्कनम्" इति उच्यते ।

७१४१ सामयिक प्रकाशन का प्रकाशन यदि प्रचलित हो तो ग्रन्थालय में चाहे वह लिया जाता हो अथवा नहीं, ७१४०१-७१४०२ धाराओ में निर्दिष्ट रेखिका के अन्त में अन्य कुछ भी न लिखा जाय ।

७१४१० यह अकन "प्रकाशन-अपूरिताकन" कहा जाता है ।

७१४२ सामयिक प्रकाशन का प्रकाशन यदि विरत हो तो ७१४१०-७१४०२ धाराओ में निर्दिष्ट रेखिका के पश्चात अन्त्य प्रकाशित सपुट का सवत्सर लिखा जाय ।

७१४२० यह अकन "प्रकाशन-पूरिताकन" कहा जाता है ।

७१४२० कभी कभी ऐसा होता है कि सपुट-अवधि-अधिसूचन के लिए सामयिक प्रकाशन के बाह्य साधनो की सहायता लेनी पडती है । दूसरे शब्दो में यह कहा जा सकता है कि अन्तरग प्रमाण पयाप्त नही होते और बहिरग प्रमाणो का आश्रय लेना पडता है । यही कारण है कि इसे ऋजु-कोष्ठको में लिखन का विधान किया गया है । यह सभव है कि कतिपय सामयिक प्रकाशनो के आरम्भ होने के सवत्सर का ज्ञान ही न हो पाये । किन्तु सूचीकार का यह कर्त्तव्य है कि प्रत्येक सभव ग्रन्थ-सूची विषयक स्रोतो में से उस जानकारी को प्राप्त करे, तथा जब तक उस जानकारी को प्राप्त न कर ले तब तक चैन न ले । उसे चाहिए कि किसी न किसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्यमेव करे । अहिन्दी प्रकाशनो के लिए लायब्रेरी ऑफ काग्रेस द्वारा प्रकाशित गाइड टु दी केटलागिंग ऑफ

सीरियल पब्लिकेशन्स ऑफ सोसाइटीज एण्ड इन्स्टीटयूशन्स के "ग्रन्थ सूची-विषयक सुझाव" शीर्षक वाले अध्याय मे सूचीकार के लिए उन क्षेत्रो का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जहा उसे अवश्य खोज करनी चाहिए। इसमे कोई सन्देह नही कि इस कार्य में उसे अत्यधिक समय लगाना पड़े। इसका अर्थ यह नही होता कि जब तक वाछित जानकारी नही प्राप्त हो जाती तब तक के लिए सूचिकरण के कार्य को स्थगित रखा जाय तथा सामयिक प्रकाशन को सूचीकार के असमाहित ढेर मे व्यर्थ पडे रहने दिया जाय। इस प्रकार की प्रणाली तो ग्रन्थालय-शास्त्र के सभी सूत्रो की निर्मम हत्या सिद्ध होगी। इसके विपरीत, उचित तो यह है कि प्रकाशन को जनता के उपयोग के लिए मुक्त कर दिया जाय, चाहे सूचीपत्रक मे ऋजु-कोष्ठको के मध्य का भाग रिक्त ही क्यो न रहे। यही मार्ग सर्वोत्तम है। इस प्रकार के अपूर्ण पत्रको की एक तालिका बना कर रखनी चाहिए, जिससे वे कही विस्मृति के गर्भ मे न समा जायँ। जब कभी और ज्यो ही आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाय त्यों ही रिक्त स्थानो को भरते रहना चाहिए।

उदाहरण

अवधेय—प्रस्तुत अध्याय के उदाहरणो मे, धारा ७१३१ के अनुसार पेन्सिल द्वारा लिखे जाने वाले समक विभिन्न मुद्राक्षरो में दिए गये है।

१. ४७३ य०२फ

यिअर बुक (कार्निजी इन्स्टिटयूशन आफ वाशिगटन). सपु १–३१. १६०२–१९३२.

[१ सपु. प्रतिवर्ष १६०२—].

इस सलेख का तात्पर्य यह है कि ग्रन्थालय में प्रस्तुत आवर्तित का अविच्छिन्न सघात है तथा वह ग्रन्थालय में प्रचलित भी है।

२. ५०२.२.य२१

माधुरी सपु १–३१. १६३१–१९४७.

[१ संपु प्रतिवर्ष. १६२१– १९४७]

यहा प्रस्तुत सलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस आवर्तित का प्रकाशन तथा ग्रन्थालय में आना दोनो बद है।

३. २ढ२थ४६
ग्रन्थालय (भारतीय ग्रन्थालय सघ) सपु १ १९४९।५०
[१ सपु प्रति २ वर्ष १९४९।१९५०—]

यहा प्रस्तुत सलेख से यह अभिप्राय है कि ग्रन्थालय मे प्रकृत आवर्तित का केवल एक ही सपुट है, किन्तु उसका प्रकाशन चालू है। प्रस्तुत उदाहरण में सलेख "ग्रन्थालय के लिए बन्द" है, किन्तु "प्रकाशन के लिए बद नही" है।

४. ल२ढ२थ४८
राजकमल वर्ष-बोध १९४८, १९५०–१९५१
[१ सपु प्रतिवर्ष १९४८—]

इस सलेख का तात्पर्य यह है कि ग्रन्थालय में प्रस्तुत आवर्तित के बीच का एक सपुट नही है, किन्तु वह ग्रन्थालय मे अब भी चालू है।

५ जढ३ढ८७
एनाल्स ऑफ बॉटनी सपु १—४७ १८८७—१९३३
[१ सपु प्रतिवर्ष १८८७—]

इस सलेख का तात्पर्य यह है कि सामयिक ग्रन्थालय मे चालू है तथा उसमे सारे सम्पुट विद्यमान हैं।

६ म४छ२ढ४१थ
केलेण्डर (प्रेसिडेन्सी कॉलेज, मद्रास, सिटी) १९२६/१९२७—१९३३/१९३४
[१ सपु प्रतिवर्ष]

प्रस्तुत उदाहरण में, आवर्तित के विभिन्न सपुट क्रमागत रूप से समकित नही हैं। 'सपुट का वर्ष' ही केवल एक वस्तु है जो सपुटो मे एक से दूसरे का भेदक माना *जा सकता है। यही अवस्था उदाहरण ४ में भी प्राप्त है।* आवर्तित के प्रकाशन-आरम्भ-सवत्सर की जानकारी नही है, अत ऋजु-कोष्ठको का अन्तर्वर्ती तद्दृष्टि स्थान रिक्त छोड दिया गया है। ज्यो ही वह जानकारी प्राप्त हो जाय, त्यो ही उस स्थान को भर देना चाहिए।

७.　२७छ२थ१५थ

वार्षिक रिपोर्ट (मारवाडी पुस्तकालय, देहली) सपु. १—३४. १९१५/१६—१९४८/४९.

[१ सपु प्रतिवर्ष १९१५।१६—]

प्रस्तुत उदाहरण में तथा उदाहरण (६) में यह बात ध्यान देने योग्य है कि "सपुट का वर्ष" सामान्य प्रचलित (गणितीय) सवत्सर नही है, अपितु एक कृत्रिम वर्ष है जो दो गणितीय वर्षों मे व्याप्त है। किन्तु उदाहरण ३ में उसी प्रकार का समकन दो पूर्ण गणितीय वर्षो का बोध कराता हे।

८.　ह४३८स७ड

इण्डियन लॉ रिपोर्टस, रंगून सीरीज इदि (बर्मा हाइकोर्ट). संपु. १—११. १९२३—१९३३.

[१ सपु प्रतिवर्ष १९२३—]

७२ विषयान्तर-संलेखः

विषयान्तर-संलेख

७२　सामयिक-प्रकाशनस्य विषयान्तर-संलेखो न।

७२०　पृथक्-पुस्तकोपम-एक-कृतिक-स्मारक-विशिष्ट-संपुटयोस्तु भवति।

७२०　यस्मिन् सपुटे केवलम् एका एव कृतिः भवति, येन च सः सपुटः पृथक्-पुस्तकस्य इव व्यवहारस्य पात्रं भवति, तादृशस्य संपुटस्य कृते, यः च संपुटः स्मारक-संपुट इति प्रथमतः एव निर्धारितो भवति, अथवा अन्येन केनापि रूपेण विशिष्टः सपुटः इति व्यवहार-पात्रं भवति तादृशस्य सपुटस्य कृते, विपयान्तर-संलेखो लेख्य.।

७२ सामयिक प्रकाशन के लिए विषयान्तर सलेख नहीं होता।

७२० जिस सपुट में केवल एक ही कृति होती है, जिससे कि वह सपुट पृथक् पुस्तक की तरह के व्यवहार का पात्र होता है उस प्रकार के सपुट के लिए, और जो सपुट स्मारक-सपुट के रूप में पहले से ही निर्धारित होता है अथवा अन्य किसी भी रूप से विशिष्ट सपुट के व्यवहार का पात्र होता है, उस प्रकार के सपुट के लिए विषयान्तर-सलेख लिखा जाय।

७२१ विषयान्तर-सलेखे अनुच्छेदाः चत्वारः।

७२१० यथा —

१ स्वतन्त्र-कृति-वद् वर्गीकरण-वर्ग-समङ्कः (अग्रानुच्छेदः)

२ "द्रष्टव्यमन्यत्" देशक-पदे;

३ सामयिक प्रकाशन-वर्ग-समङ्कः;

४ आख्या, पूर्ण-विरामः, 'संपु' इति पदम्, सपुट-समङ्क-संवत्सरयोः अन्यतरद् उभयं वा इति च।

७२१ सामयिक-प्रकाशनस्य विषयान्तर-सलेखे यथाक्रम चत्वार अनुच्छेदा भवन्ति।

७२१० ते चत्वार अनुच्छेदा निम्ननिर्दिष्टा भवन्ति।

१ विषयान्तर-सपुट स्वतन्त्र-कृति इव वर्गीकृत चेत् तस्य य वर्ग-समङ्क स्यात् स वर्ग-समङ्क अग्रानुच्छेद भवति,

२ "द्रष्टव्यमन्यत्" इति देशक-पदे द्वितीय अनुच्छेद भवति,

३ सामयिक-प्रकाशनस्य वर्ग-समङ्क: तृतीय: अनुच्छेद भवति;

४ सामयिक-प्रकाशनस्य आख्या, पूर्ण-विराम:, 'संपु' इति, सपुट-समङ्क-सवत्सरयो: अन्यतरत् उभयं वा इति च चतुर्थ अनुच्छेद भवति ।

७२१ सामयिक-प्रकाशन के विषयान्तर-संलेख में क्रमशः चार अनुच्छेद होते हैं ।

७२१० वे चार अनुच्छेद निम्नलिखित है :—

१ विषयान्तर-संपुट यदि स्वतन्त्र कृति की तरह वर्गीकृत किया जाय, तो उसका जो वर्ग-समंक हो वह वर्ग-समंक अग्रानुच्छेद होता है;

२ 'और द्रष्टव्य' ये देशक-पद द्वितीय अनुच्छेद होता है;

३ सामयिक-प्रकाशन का वर्ग-समंक तृतीय अनुच्छेद होता है;

४ सामयिक-प्रकाशन की आख्या, संपुट समंक तथा संवत्सर इन दोनो में से एक अथवा दोनों यह चतुर्थ अनुच्छेद होता है ।

७२१० उदाहरण

१. द१५२ १ञ३२ ११
और द्रष्टव्य
प२ढ२ य२६
कल्याण सपु १७ १६४२

इस सलेख से यह प्रकट है कि कल्याण के सपु १७ मे तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक एक ही कृति विद्यमान है ।

२. ऊञय०८
और द्रष्टव्य
ऊढं२ थ०८
बुलेटिन ऑफ दि कलकटा मेथमेटिकल सोसायटी. संपु. २०. १६२८.

प्रस्तुत सपुट का आख्या-पत्र निम्नलिखित है —

"कमेमोरेशन वाल्यूम । ऑन दि अकेजन आफ दि । ट्वेण्टियथ एनिवर्सरी । ऑफ दि फाउन्डेशन ऑफ । दि कलकटा मेथमेटिकल सोसायटी । इन १६२८ । बुलेटिन । वॉल्. २०."

यहा यह भी स्पष्ट कर देना उचित है कि यह संपुट वस्तुत १६३० में प्रकाशित हुआ था । यही वस्तु मुद्रणाकन द्वारा व्यक्त की गई है । किन्तु "सपुट का वर्ष" १६२८ है ।

---

३. ढट३११

और दृष्टव्य

प२ढ२.थ२६

कल्याण. सपु २० १६४५.

इस सलेख से यह स्पष्ट है कि कल्याण का सपु २० गौ-अंक था ।

७३ निर्देशि-संलेखः

निर्देशि-संलेख

७३ सामयिक-प्रकाशनस्य वर्ग-निर्देशि-संलेखः

७३००१ न निर्देशि-संलेखान्तरम् ।

७३००२ ७३०१-७३०२ धारे ऽपवादौ ।

७३००३ वर्ग-निर्देशि-संलेख-लेखने ३१ धारानुकरणम् ।

७३००१ सामयिक - प्रकाशनस्य अन्य' कोऽपि निर्देशि-संलेखः न लेख्य' ।

७३००२ सामयिक-प्रकाशनस्य निर्देशि-संलेख-लेखने ७३००१ धारा ७३००२ धारा च अपवाद-रूपे स्वीकार्ये ।

७३००३ सामयिक-प्रकाशनस्य वर्ग-निर्देशि-संलेख-लेखने तृतीयाध्यायस्य ३१ धाराया. अनुकरणं कार्यम् ।

७३ सामयिक-प्रकाशन का केवल वर्ग-निर्देशी-संलेख ही लिखा जाय।

७३००१ *सामयिक-प्रकाशन का अन्य कोई भी निर्देशी-संलेख न लिखा जाय।*

७३००२ सामयिक-प्रकाशन के निर्देशी-संलेख लिखने में ७३०१ धारा और ७३०२ धारा अपवादरूप में स्वीकार की जायं।

७३००३ सामयिक-प्रकाशन के वर्ग-निर्देशी-संलेख के लिखने में तृतीय अध्याय की ३१ धारा का अनुकरण किया जाय।

७३०१ अधितन्त्र-कर्तृक-वार्षिकादि-विवरण-सामयिक-प्रकाशनस्य न निर्देशि-संलेखः।

७३०१ यत् सामयिक-प्रकाशनम् अधितन्त्र-कर्तृकं वार्षिकम् अन्यत् वा विवरणं स्यात् तस्य सामयिक-प्रकाशनस्य कृते कोऽपि निर्देशि-संलेखो न लेख्यः।

७३०१ जो सामयिक-प्रकाशन अधितन्त्र-कर्तृक वार्षिक अथवा दूसरा विवरण हो उस के लिए कोई भी निर्देशी-संलेख न लिखा जाय।

७३०२ अधितन्त्रेतर-समष्टि-कर्तृक-वार्षिकादि-विवरण-सामयिक प्रकाशनस्य विशिष्ट-वर्ग-निर्देशि-संलेखः।

७३०२ यत् सामयिक-प्रकाशनम् अधितन्त्र-कर्तृकं न स्यात्, अपितु समष्टयन्तर-कर्तृकं वार्षिकम् अन्यद् वा विवरण स्यात् तस्य कृते विशिष्ट-वर्ग-निर्देशि-संलेख एव लेख्यः, अन्यः कोऽपि निर्देशि-सलेखो न लेख्य.।

७३०२ जो सामयिक-प्रकाशन अधितन्त्र-कर्तृक न हो अपितु अन्य

समष्टि-कर्तृक वार्षिक अथवा अन्य विवरण हो उसके लिए विशिष्ट-वर्ग-निर्देशी-संलेख ही लिखा जाय, अन्य कोई भी निर्देशी-संलेख न लिखा जाय।

७३१ **सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-निर्देशि-संलेखे अधस्तनानाम् अन्यतमं शीर्षकम् ।**

७३१० **सामयिक-प्रकाशन-अपेक्षित-प्रति-प्रकारम् एकः ।**

७३१०० **यथा —**

१ आख्या-प्रथम-पदम्;

२ अवान्तरनाम-प्रथम-पदानि वा;

३ समष्टि-ग्रन्थकार-प्रवर्तक-समष्टि-अन्यतर-नाम;

४ अवान्तरनाम वा;

७३१० विशिष्टेन सामयिक-प्रकाशनेन अपेक्षित प्रत्येक प्रकारम् आश्रित्य एकैकः सलेखो लेख्यः ।

७३१०० सामयिक-प्रकाशनस्य वर्ग-निर्देशि-सलेखस्य शीर्षकाणां चत्वार प्रकारा. भवन्ति ।

१ सामयिक-प्रकाशनस्य आख्यायाः प्रथमं पदं प्रथमः प्रकारः भवति ;

२ सामयिक-प्रकाशनं नामान्तरेण अपि प्रसिद्धं चेत् तेषाम् अवान्तर नाम्नां प्रथम-पदानि द्वितीय. प्रकारः भवति;

३ समष्टि-ग्रन्थकारस्य प्रवर्तक-समष्टेः वा नाम तृतीयः प्रकारः भवति;

४ समष्टि-ग्रन्थकारः प्रवर्तक-समष्टिः वा नामान्तरेण अपि प्रसिद्धा चेत् तानि नामानि चतुर्थः प्रकारः भवति ।

७३१ सामयिक-प्रकाशन के वर्ग-निर्देशी-संलेख में निम्नोक्त में से कोई एक शीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाय।

७३१० विशिष्ट-सामयिक-प्रकाशन के द्वारा अपेक्षित प्रत्येक प्रकार के लिए एक-एक संलेख लिखा जाय।

७३१०० सामयिक-प्रकाशन के वर्ग-निर्देशी-संलेख के शीर्षकों के निम्न चार प्रकार होते हैं :—

१ सामयिक-प्रकाशन की आख्या का प्रथम पद प्रथम प्रकार होता है;

२ यदि सामयिक-प्रकाशन अन्य नामो से भी प्रसिद्ध हो, तो उन अवान्तर-नामों के प्रथम पद द्वितीय प्रकार होता है;

३ समष्टि-ग्रन्थकार का अथवा प्रवर्तक-समष्टि का नाम तृतीय प्रकार होता है;

४ समष्टि-ग्रन्थकार अथवा प्रवर्तक-समष्टि अन्य नामों से भी प्रसिद्ध हो, तो वे अवान्तर-नाम चतुर्थ प्रकार होता है।

७३२ अनुशीर्षक-स्वरूपं द्वितीयानुच्छेदः ।

७३२१ प्रथम-द्वितीय-अन्यतर-प्रकारक-शीर्षकं अंशौ द्वौ ।

७३२१० यथा —

१ सामयिक-प्रकाशन-नाम, नाम-तात्त्विकांश रूप-तत्समपदान्यपि च;

२ सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-समंकात्मक-निर्देशि-समंकः च ।.

७३२१०१ पृथक् वाक्ये ।

७३२ द्वितीयानुच्छेद शीर्षकस्य स्वरूपम् अनुभिद्यते ।

७३२१ सामयिक प्रकाशनस्य वर्ग-निर्देशि सलेखस्य शीर्षक प्रथम-प्रकारक द्वितीय-प्रकारक वा चेत् द्वितीयानुच्छेदे द्वौ अशौ भवत ।

७३२१०१ पूर्वोक्तौ द्वौ अनुच्छेदौ पृथक् वाक्ये ज्ञेये ।

७३२ द्वितीयानुच्छेद शीर्षक के स्वरूप के अनुसार भिन्न होता है ।

७३२१ सामयिक-प्रकाशन के वर्ग निर्देशी-सलेख का शीर्षक यदि प्रथम अथवा द्वितीय प्रकार का हो तो द्वितीय अनुच्छेद में दो अश होते हैं ।

७३२१० वे दो अश निम्नलिखित हैं —

१ सामयिक-प्रकाशन का नाम, और नाम के तात्त्विक-अश-स्वरूप तथा तत्सम पद, और

२ सामयिक-प्रकाशन के वर्ग-समक-रूप निर्देशी-समक ।

७३२१०१ पूर्वोक्त दोनो अनुच्छेद पृथक् वाक्य माने जाय ।

७३२३ तृतीय-चतुर्थ-अन्यतर-प्रकारक-शीर्षके द्वितीयानुच्छेदे अशौ द्वौ ।

७३२३० यथा —

१ सामयिक-प्रकाशन-आख्या;

२ सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-निर्देशि-समंकः च ।

७३२३०१ पृथक् वाक्ये

७३२३ सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-निर्देशि-सलेखस्य शीर्षक तृतीय प्रकारक चतुर्थ प्रकारक वा चेत् द्वितीयानुच्छेदे द्वौ अशौ भवत ।

७३२३०१ पूर्वोक्तौ द्वौ अनुच्छेदौ पृथक् वाक्ये ज्ञेये ।

७३२३ यदि सामयिक-प्रकाशन के वर्ग-निर्देशी-संलेख का शीर्षक तृतीय अथवा चतुर्थ प्रकार का हो, तो द्वितीय अनुच्छेद में दो अंश होते हैं।

७३२३० वे दो अंश निम्नलिखित हैं :—

१ सामयिक-प्रकाशन की आख्या; और

२ सामयिक प्रकाशन के वर्ग-समंक रूप निर्देशी समंक।

७३२३०१ पूर्वोक्त दोनों अनुच्छेद पृथक् वाक्य माने जायं।

७३२३०१ उदाहरण

१. त्साइश्रिफ्त डेर दॉइचें मॉर्गेन्लेन्दिशेन गजेल्शाफ्त के लिए निम्नलिखित निर्देशी-सलेख लिखे जायगे —

दॉइचें मॉर्गेन्लेन्दिशेन गजेल्शाफ्त.
त्साइश्रिफ्त ५O४ ५५ ङ४५

तथा

त्साइश्रिफ्त. प्रथमपद
त्साइश्रिफ्त डेर दॉइचें मॉर्गेन्लेन्दिशेन गजेल्शाफ्त ५O४ ५५ ङ४५

तथा

जेड्. प्रथमपद
जेड डी एम् जी ५O४ ५५ ङ४५

कारण, एशियाई विद्यार्थी उसे इसी सक्षिप्त नाम से जानते हैं।

२ नीचे हम जर्नल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी के प्रधान-पत्रक को प्रस्तुत कर रहे हैं। उस मे ग्रन्थालय में उपलब्ध संपुटों के विषय की सूचना नही दी हुई है तथा अधिसूचन भी नही है।

ऊॅ२:य०७
जर्नल ऑफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी.

इस समुच्चित के लिए निम्नलिखित निर्देशी सलेख लिखे जायगे :—

इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी
जर्नल ऊ्ड२ थ०७

तथा

जर्नल प्रथमपद
जर्नल ऑफ दि इण्डियन मेथमेटिकल मोसायटी
ऊ्ड२ थ०७

३ भारतीय ग्रन्यालय सघ
ग्रन्यालय २ड२ थ४६

ग्रन्यालय प्रथगपद
ग्रन्थालय (भारतीय ग्रन्यालय सघ) २ ड२थ४६

प्रधान-मलेख के लिए धारा ७१४२० के अन्तगत उदाहरण ३ द्रप्टव्य है।

४ यूर्नाल् फ्युर दी रैंन उन्न आन्वान माथेमातिक् के लिए निम्नलिखित निर्देशी सलेख लिख जाएगे —

यूर्नाल् प्रथमपद
यूर्नालि फ्युर दी रैंन उन्न आन्वान्न माथमानिक् ऊढ ५५ ढ २६

तथा

क्रे ल'स् प्रथमपद
क्रल्ल'स् जनल ऊ ढ५५ ढ२६

क्योकि, यह द्वितीम नाम से प्रसिद्ध है।

५ एनाल्स प्रथमपद
एनाल्स ऑफ बॉटनी ज ढ३ढ८७

प्रधान-मलेख के लिए धारा ७१४२० के अन्तर्गत उदाहरण ५ द्रप्टव्य है।

६ प्रेसिडेन्सी कालेज मद्रास सिटी
केलेण्डर म४छ२ढ४१थ

प्रधान-सलेख के लिए धारा ७१४२० के अन्तर्गत उदाहरण ६ द्रष्टव्य है।

७. **मारवाड़ी** पुस्तकालय, देहली.
वार्षिक रिपोर्ट २:७छ२ थ१५यं

तथा

वार्षिक. प्रथमपद
वार्षिक रिपोर्ट (मारवाडी पुस्तकालय,) देहली
२ ७ छ२: थ१५ यं

प्रधान-सलेख के लिए धारा ७१४२० के अन्तर्गत उदाहरण ७ द्रष्टव्य है।

८ **बर्मा.** हाइकोर्ट.
इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स, रगून सीरीज्.
ह्४३८स७ढ

तथा

इण्डियन. प्रथमपद
इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स, रगून सीरीज्
ह्४३८सं७ढ

तथा

रंगून. प्रथमपद
रगून लॉ रिपोर्ट्स. ह्४३८स७ढ

तथा

बर्मा. प्रथमपद.
बर्मा लॉ रिपोर्ट्स. ह्४३८स७ढ

प्रधान-सलेख के लिए धारा ७१४२० के अन्तर्गत उदाहरण ८ द्रष्टव्य है।

७४ नामान्तर-निर्देशि-संलेखः

नामान्तर-निर्देशि-संलेख

७४ सामयिक-प्रकाशनस्य सजाति-नाम-संलेखः

७४०१ ४३ धारानुकरणम् ।

७४०२ निर्दिश्यमानस्तु विशेषः ।

७४०२१ आख्या-प्रथम-पद-द्रष्टव्य-शीर्षकत्वे सामयिक-प्रकाशन-पूर्णाख्या अतिरिक्तानुच्छेदः ।

७४०२२ समष्टि-नाम-द्रष्टव्य-शीर्षकत्वे सामयिक-प्रकाशन-प्रधान-संलेखीय-आख्या अतिरिक्तानुच्छेदः ।

७४ सामयिक-प्रकाशनस्य नामान्तर-निर्देशि-सलेखेषु केवल तृतीय प्रकारक एव अर्थात् सजाति-नाम-सलेख एव लेख्य ।

७४०१ नामान्तर-निर्देशि-सलेखलेखने चतुर्थाध्यायस्य ४३ धाराया अनुकरण कार्यम् ।

७४०२ नामान्तर-निर्देशि-सलेखस्य लेखने निम्ननिर्दिष्टेन विशेषेण उपहिता ४३ धारा अनुसर्तव्या ।

७४०२१ आख्याया प्रथम पद द्रष्टव्य-शीर्षक चेत् सामयिक-प्रकाशनस्य पूर्णा आख्या अतिरिक्तानुच्छेद-रूपेण लेख्या ।

७४०२२ समष्टि-नाम द्रष्टव्य-शीर्षक चेत् सामयिक-प्रकाशनस्य प्रधान-सलेखे या आख्या भवति सा तथैव अतिरिक्तानुच्छेद-रूपेण लेख्या ।

७४ सामयिक प्रकाशन के लिए नामान्तर-निर्देशी-सलेखो में से केवल सजाति-नाम-सलेख ही अर्थात् तृतीय प्रकार का सलेख ही लिखा जाय ।

७४०१ नामान्तर-निर्देशी-सलेख के लिखने में चतुर्थ अध्याय की ४३ धारा का अनुकरण किया जाय ।

७४०२ नामान्तर-निर्देशी-सलेख के लिखने में निम्ननिर्दिष्ट विशेष से युक्त ४३ धारा का अनुसरण करना चाहिए ।

७४०२१ यदि आह्वा का प्रथम-पद द्रष्टव्य-शीर्षक हो, तो सामयिक-प्रकाशन की पूर्ण आख्या अतिरिक्तानुच्छेद के रूप में लिखी जाय।

७४०२२ यदि समष्टि का नाम द्रष्टव्य-शीर्षक हो, तो सामयिक-प्रकाशन के प्रधान-संलेख में जो आख्या हो उसे वैसे ही अतिरिक्त-अनुच्छेद के रूप में लिखा जाए।

७४१ "समुच्चितम्" इति सजाति-शीर्षकम्।

७४१० "आवर्तितम्" इति वा।

७४११ सामयिक-प्रकाशन-सजाति-नाम-संलेखे वर्ग-समंकोऽपि ।

७४११० वर्ग-समंकः वर्ग-निर्देशि-संलेखीय-वर्ग-समंक-स्थान-शैली यथा निर्देशम्।

७४१ सजाति-नाम-सलेखस्य "समुच्चितम्" इति सजाति शीर्षकं स्वीकार्यम्।

७४१० सजाति-नाम-संलेखस्य "आवर्तितम्" इति वा सजाति-शीर्षकम् इति स्वीकार्यम्।

७४११ सामयिक-प्रकाशनस्य सजाति-नाम-सलेखे वर्ग-समङ्कः अपि लेख्य ।

७४११० सामयिक-प्रकाशनस्य सजाति-नाम-संलेखे लेख्यः वर्ग-समङ्क तस्मिन्नेव स्थाने, तस्यामेव च शैल्यां लेख्यः यस्मिन् यस्या च वर्ग-निर्देशि-संलेखे वर्ग-समङ्कः लिख्यते ।

७४१ सजाति-नाम-संलेख का "समुच्चित" यह सजाति-शीर्षक स्वीकार किया जाय।

७४१० सजाति-नाम संलेख का "आवर्तित" यह सजाति शीर्षक स्वीकार किया जाय।

७४११ सामयिक-प्रकाशन के सजाति-नाम-सलेख में लिखा जाने वाला वर्ग-समक उसी स्थान में और उसी शैली में लिखा जाय जिस स्थान और शैली में वर्ग-निर्देशी-सलेख में वर्ग-समक लिखा जाता है।

७४१० "समुच्चित' तथा "आवर्तित" इन परिभाषाओ के लक्षण के लिए अध्याय ०८ द्रष्टव्य है। साधारणतया वर्ग-समङ्क में 'ढ' का होना समुच्चितत्व को सूचित करती है। अन्य प्रकाशन सामान्यत आवर्तित माने जा सकते है।

उदाहरण

१ धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण १ में दिए हुए सामयिक-प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर-निर्देशी-सलेख लिखे जायेंगे —

१ **समुच्चित**
और द्रष्टव्य
दाइचें मॉर्गेन्लेन्दिशें गजेल्शाफ्‌त
त्साइश्रिफ्त ५०४ ५५ ढ४५

तथा

२. **समुच्चित.**
और द्रष्टव्य
त्साइश्रिफ्त प्रथमपद
त्साइश्रिफ्त देर दाइचन मॉर्गेन्लेन्दिशेन
गजेल्शाफ्त ५०४ ५५ ढ ४५

तथा

३. **समुच्चित.**
और द्रष्टव्य
जेड प्रथमपद.
जेड डी एम जी ५०४ ५५ ढ ४५

२ धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण २ में दिए हुए सामयिक-प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर निर्देशी-सलेख लिखे जायेंगे .—

१. समुच्चित
और द्रष्टव्य
इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी
जर्नल ऊढ२.थ०७

तथा

२. समुच्चित.
और द्रष्टव्य
जर्नल. प्रथमपद
जर्नल ऑफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी.
ऊढ२थ०७

३ धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण ४ के रूप मे दिए हुए सामयिक प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर निर्देशी-संलेख लिखे जायेगे :—

१. समुच्चित
और द्रष्टव्य
यूर्नाल प्रथमपद
यूर्नाल फ्युर दी रैन उन्न आनगवान्त माथेमातिक् उढ५५·ढ२६

तथा

२. समुच्चित
और द्रष्टव्य
क्रेल्ल'स् प्रथमपद.
क्रेल्ल'स् जर्नल. उढ५५·ढ२६

४. धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण ८ के रूप मे दिए हुए सामयिक-प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर निर्देशी-संलेख लिखे जायगे :—

१. समुच्चित
और द्रष्टव्य
बर्मा हाइकोर्ट
इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स, रगून सीरीज्.
ह४२८स७ढ

तथा

२ समुच्चित

और द्रष्टव्य

इण्डियन प्रथमपद

इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स, रगून सीरीज्

ह्४३८स७ढ

३ समुच्चित

और द्रष्टव्य

रगून प्रथमपद

रगून लॉ रिपोर्ट्स ह्४३८स७ढ

४ समुच्चित

और द्रष्टव्य

बर्मा प्रथमपद

बर्मा लॉ रिपोर्ट स ह्४३८स७ढ

५ धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण ३ म दिए गए सामयिक प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर निर्देशी-सलेख लिखा जाएगा —

समुच्चित

और दृष्टव्य

ग्रन्थालय प्रथमपद

ग्रन्थालय (भारतीय ग्रन्थालय सघ) २ढ२य४६

६ धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण ६ में दिये हुये सामयिक प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तक-निर्देशी-सलेख लिखा जायगा —

आवर्तित

और द्रष्टव्य

प्रेसिडेन्सी कॉलेज मद्रास मिट्टी

केलेण्डर म४छ२ढ४१थ

७५ समूहक-निर्देशी

समूहक-निर्देशी

७४ सामयिक-प्रकाशन-समूहक-निर्देश्यात्मक-संपुटस्य प्रधान-संलेखः।

१५७ तत्र अनुच्छेदाः त्रयः।

७५२ यथोचित-पूर्वधाराः प्रमाणम्।

७५३ अनुच्छेदाः यथा --

१ क्रामक-समंकः (अग्रानुच्छेदः) ;

२ सामयिक-प्रकाशन-प्रधान-संलेखवत् आख्यादिः;

३ निर्देशि-स्वरूप-व्याप्ति-सूचक-आख्या-पत्र-उद्ग्रहणम्।

७५ सामयिक-प्रकाशनस्य य. सपुट तस्य समूहक-निर्देशी स्यात् तस्य कृते केवलं प्रधान-सलेख एव लेख्यः।

७५१ सामयिक-प्रकाशन-समूहक-निर्देशि-संलेखस्य प्रधान सलेखे यथाक्रमं त्रय अनुच्छेदाः भवन्ति।

७५२ निम्ननिर्दिष्टानाम् अनुच्छेदानाम् उपकल्पने लेखने च तेषा यथोचिता. पूर्व-निर्दिष्टा. धाराः प्रमाणत्वेन स्वीकार्या।

७५३ ते अनुच्छेदाः निम्नलिखिता. भवन्ति---

१ क्रामक-समङ्कः (अग्रानुच्छेदः) प्रथमः अनुच्छेदः भवति;

२ यस्य सामयिक-प्रकाशनस्य निर्देशी भवति तस्य सामयिक-प्रकाशनस्य प्रधान-संलेखवत् लिखितः आख्यादिः द्वितीयानुच्छेदः भवति;

३ आख्या-पत्रस्य तावत अशस्य उद्ग्रहण,येन निर्देशिन स्वरूप व्याप्तिश्च सूच्यते स अश च तृतीयानुच्छेद भवति ।

७५ सामयिक-प्रकाशन का जो संपुट उसका समूहक-निर्देशी हो उसके लिए केवल प्रधान-सलेख ही लिखा जाय।

७५१ सामयिक-प्रकाशन के समूहक-निर्देशी-सलेख के प्रधान-सलेख में क्रमश: तीन अनुच्छेद होते हैं ।

७५२ निम्ननिर्दिष्ट अनुच्छेद के उपकल्पन और लेखन में उनकी यथोचित पूर्व-निर्दिष्ट-धाराए प्रमाण रूप से स्वीकार की जाय ।

७५३ वे अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं —

१ क्रामक-समक (अग्रानुच्छेद) प्रथम अनुच्छेद होता है,

२ जिस सामयिक-प्रकाशन का निर्देशी हो उस सामयिक-प्रकाशन का आख्यादि सामयिक प्रकाशन के प्रधान-सलेख की भाति लिखा हुआ, द्वितीय अनुच्छेद होता हैं,

३ आख्या-पत्र के उतने अश का उद्ग्रहण जिससे निर्देशी के स्वरूप और व्याप्ति का सूचन हो वह अश तृतीय अनुच्छेद होता हैं ।

७५३ उदाहरण

जढ३ढ८८७इ ख१

एनाल्स आफ बाटनी

इण्डेक्स टु वा १—१०, (१८८७—१८९६)

---

७६ प्रधान-पत्रक-पृष्ठम्

प्रधान-पत्रक-पृष्ठ

७६१ सामयिक-प्रकाशन-प्रधान-पत्रक-पृष्ठस्य दक्षिणार्धे अंशाः त्रयः ।

७६१० यथा —

१ निर्देशि-संलेख-शीर्षकाणि;

२ नामान्तर-निर्देशि-संलेख-शीर्षकाणि;

३ विषयान्तर-वर्ग-समंक-संवादि-संपुट-समंक-संवत्सरौ च ।

७६१ सामयिक - प्रकाशनस्य यत् प्रधान-पत्रकं स्यात् तस्य पत्रकस्य पृष्ठस्य दक्षिणार्धे यथाक्रमं निम्ननिर्दिष्टाः त्रय अशा भवन्ति ।

७६१ सामयिक-प्रकाशन का जो प्रधान-पत्रक हो उस पत्रक के पृष्ठ के दक्षिणार्ध में क्रमशः निम्ननिर्दिष्ट तीन अंश होते है ।

७६१० वे तीन अंश निम्नलिखित होते है —

१ निर्देशी-सलेख का शीर्षक प्रथम अंश होता है;

२ नामान्तर-निर्देशी-संलेख के शीर्षक द्वितीय अंश होता है;

३ विषयान्तर-समंक, सवादी संपुट का समंक और संवत्सर तृतीय अंश होता है ।

७६२ वामार्धे अंशाः चत्वारः ।

७६२० यथा —

प्रति-संपुट-संवत्सर-पुस्तक-परिग्रहण-समंकाः ।

७६२०१ पृथक् वाक्यम्

७६२०२ यथासंभवं समावेशांकनम् ।

७६२ वामार्धे यथाक्रमं निम्ननिर्दिष्टा. चत्वारः अंशाः भवन्ति ।

७६२० ते अशा निम्नलिखिता भवन्ति—
प्रत्येकस्य सपुटस्य समङ्क, सवत्सर, पुस्तक-समङ्क परिग्रहण समङ्क च ।

७६२०१ प्रत्यक अश पृथक् वाक्यम् इति ज्ञेय ।

७६२ नामार्ध में क्रमश निम्नलिखित चार अश होते हैं।

७६२० वे अश निम्नलिखित हैं —
प्रत्येक सपुट का समक, सवत्सर, पुस्तक समक और परिग्रहणसमक ।

७६२०१ प्रत्येक अश पृथक् वाक्य माना जाय ।

७६२०२ यथासभव समावेशाकन स्वीकार किया जाय ।

अध्याय ८

सामयिक-प्रकाशनम्

सामयिक-प्रकाशन

जटिल-प्रकाराः

जटिल-प्रकार

८ सामयिक-प्रकाशन-मूल-जटिलताः अष्टादश ।

८० यथा —

११ संपुट-अवधि-अन्तरम्;

१२ नवमाला-प्रथममाला-द्वितीयमाला-प्रभृति-
नाम-भृद्-एकाधिक-कक्षा-संपुट-समंकनम्;

१३ एकाधिक-कक्षा-संपुट-सह-समंकनम्;

२१ कदाचित्-संपुट-अप्रकाशनम्,संपुट-
समंकन-प्रचलनं च;

२२ अप्रकाशनादि-हेतुक-संपुट-समंकन-
प्रचलन-विच्छेद-नियमहीनत्व-अन्यतरत्वम्;

२३ एकाधिक-संपुट-एकत्व-प्रकाशन-
संपुटितत्व. नियमहीनत्व अन्यतरत्वम्;

३१ आख्या-अन्तरम्, संपुट-पूर्व-समंकन-
प्रचलनं च;

३२ आख्या-अन्तरम्, संपुट-पूर्व-समंकन-
अंतरं च;

४१ एकीभूत-प्रकाशन-अन्यतम-आख्यायाम्
एकाधिक-सामयिक-प्रकाशन-एकीभावः
संपुट तदीय-पूर्व-समंकन-प्रचलनं च;

४२ एकीभूत-प्रकाशन-अन्यतम-आख्यायाम्
एकाधिक-सामयिक-प्रकाशन-एकीभावः
संपुट-पूर्व-समंकन-अंतरं च;

४३ एकीभूत-प्रकाशन-अन्यतम-वर्ग-समंक-नव-
आख्यायाम् एकाधिक-सामयिक-प्रकाशन-
एकीभावः;

४४ वर्ग-समंक-अन्तर-युक्त-नवाख्यायाम् एका-
धिक-सामयिक-प्रकाशन-एकीभावः;

५१ एक-सामयिक-प्रकाशन-अनेकीभावः,
तदन्यतम-मूलवर्ग-समंक-स्वीकारश्च;

५२ एकाधिक-सामयिक-प्रकाशन-अनेकीभावः,
मूलवर्ग-समंक-परित्यागश्च;

६१ पृथक्-पृष्ठांकन-आख्यापत्र-रहित-एकात्मक-
पुस्तक-अन्यतर अनुगतत्वम्;

६२ पृथक्-पृष्ठांकन-आख्या-पत्र-सहित-एकात्मक
पुस्तक-अन्यतर-अनुगतत्वम्;

६३ पृथक्-पृष्ठांकन-आख्या-पत्र-सहित-स्वतंत्र-
सामयिक-प्रकाशनत्व-उचित-अनुगत-अति-
रिक्त-अन्यतर-संपुट-कक्षा-युक्तत्वम्;

६४ ६२-६३ प्रकारक-अनुगतानां प्रधान-साम-यिक-प्रकाशन-समूहक-निर्देशि-समाविष्ट-त्वं च;

८०　ताः अष्टादश जटिलताः निम्नलिखिताः भवन्ति—

११ यत्र सपुटाना प्रकाशनस्य अवधे अन्तर भवति सः प्रकारः ११ प्रकार. भवति,

१२ यत्र 'नवमाला' इति 'प्रथममाला' इति 'द्वितीय-माला' इति वा तत्सदृश वा नाम धारयत्याम् एका-धिकाया कक्षाया सपुटानां समङ्कन भवति सः प्रकारः १२ प्रकार भवति;

१३ यत्र सपुटाना एकाधिक-कक्षायां सहैव समङ्कनं भवति स प्रकार १३ प्रकारः भवति;

२१ यत्र कदाचित् सपुटस्य अप्रकाशनम् अथ च संपुटानां पूर्व समङ्कनस्य प्रचलन भवति सः प्रकार २१ प्रकारः भवति ;

२२ यत्र सपुटस्य अप्रकाशनेन अन्येन वा हेतुना संपुटानां समङ्कन विच्छिन्नम् अन्येन वा प्रकारेण नियमहीनं भवति स प्रकार २२ प्रकार भवति;

२३ यत्र एकाधिकाना संपुटानाम् एकत्वेन प्रकाशन संपु-टन वा भवति स प्रकारः २३ प्रकारः भवति;

३१ यत्र आख्यायै उपयुक्तस्य नाम्नः अन्तर (परिवर्त-नम्) भवति सपुटानां च पूर्वसमङ्कनं प्रचलति सः ३१ प्रकार. भवति;

३२ यत्र आख्यायै उपयुक्तस्य नाम्नः अन्तरं (परिवर्त-नम्) भवति, सपुटाना च पूर्वसमङ्कनस्य अपि अन्तरं च भवति सः प्रकारः ३२ प्रकारः भवति;

४१ यत्र एकाधिकानि सामयिक-प्रकाशनानि एकी-भवन्ति एकीभाव-विषयाणा च तेषाम् एकस्य कस्यचित् आख्यायामेव तेषामेकीभाव भवति, सपुटाना समङ्कने च तया आख्यया विशिष्टस्य सामयिक-प्रकाशनस्य पूर्व-समङ्कन प्रचलति स प्रकार ४१ प्रकार भवति,

४२ यत्र एकाधिकानि सामयिक प्रकाशनानि एकी-भवन्ति, एकीभाव–विषयाणा च तेषामेकस्य कस्य-चित् आख्यायामेव तेषामेकीभाव भवति, सपुटाना समङ्कने च तया आख्यया विशिष्टस्य सामयिक-प्रकाशनस्य पूर्वसमङ्कनस्य अपि अन्तर भवति स प्रकार ४२ प्रकार भवति,

४३ यत्र एकाधिकानि सामयिक-प्रकाशनानि एकीभवति, एकीभूय च तानि एका काचन नवीनाम् एव आख्या स्वीकुर्वन्ति, तया च आख्यया, एकीभूताना साम-यिक-प्रकाशनानाम् एकस्य कस्यचन वर्ग-समङ्क स्वीक्रियते स प्रकार ४३ प्रकार भवति,

४४ यत्र एकाधिकानि सामयिक-प्रकाशनानि एकी-भवन्ति, एकीभूय च तानि एका काचन नवीनाम् एव आख्या स्वीकुर्वन्ति, तया च आख्यया, एकीभूताना सामयिक-प्रकाशनाना मूल-वर्ग-समङ्कस्य सर्वथा परित्याग च क्रियते स प्रकार ४४ प्रकार भवति।

५१ यत्र एकमेव सामयिक-प्रकाशन विच्छेदम् आपद्य अनेकधा भवति, विच्छिन्नाना च तेषाम् एक किंचित् मूल-वर्ग-समङ्क स्वीकरोति स प्रकार ५१ प्रकार भवति,

५२ यत्र एकमेव सामयिक-प्रकाशनं विच्छेदम् आपद्य अनेकधा भवति, मूल-वर्ग-समङ्कस्य च सर्वथा परित्याग क्रियते स. प्रकार: ५२ प्रकार: भवति;

६१ यत्र पृथक् पृष्ठाङ्कनम् आख्या-पत्रं च विनैव एकात्मकानि पुस्तकानि वा अनुगतानि भवन्ति स: प्रकार: ६१ प्रकार. भवति;

६२ यत्र पृथक् पृष्ठाङ्कनम् आख्यापत्रेण च सह एकात्मकानि पुस्तकानि वा अनुगतानि भवन्ति स. प्रकार: ६२ प्रकार: भवति;

६३ यत्र पृथक् पृष्ठाङ्कनेन आख्यापत्रेण च सहितानां, स्वतन्त्रतया पृथक् स्वेनैव सामयिक-प्रकाशनत्वार्हाणाम्, अनुगतानाम् अतिरिक्ताणां च संपुटानां कक्षा भवति स. प्रकार: ६३ प्रकार: भवति;

६४ यत्र ६२ प्रकारकाणि ६३ प्रकारकाणि च अनुगतानि प्रधान-सामयिक-प्रकाशनस्य समूहक-निर्देशिनि समाविष्टानि भवन्ति स. प्रकार: ६४ प्रकार.भवति ।

८　　सामयिक प्रकाशनों की मूल जटिलताएं अठारह प्रकार की होती हैं ।

८०　　वे अठारह प्रकार निम्नलिखित हैं :—

११ जहां संपुटों के प्रकाशन की अवधि में अन्तर होता है, वह प्रकार ११ होता है;

१२ जहां 'नव माला' 'प्रथम माला' अथवा 'द्वितीय माला', अथवा उसके समान नाम धारण करने वाली एक से अधिक कक्षाओं में संपुटों का समंकन होता है, वह प्रकार १२ होता है;

१३ जहां संपुटों का एक से अधिक कक्षाओं में साथ ही समंकन होता है, वह प्रकार १३ होता है;

२१ जहां बीच में ही कहीं संपुट का अप्रकाशन और साथ ही संपुटों

के पूर्व-समंकन का प्रचलन चालू होता है, वह प्रकार २१ होता हैं,

२२ जहा सपुट का अप्रकाशन से अथवा अन्य हेतु से सपुटो का समकन विच्छिन्न अथवा नियमहीन होता है, वह २२ प्रकार होता हैं,

२३ जहा एक से अधिक सपुटो का एक रूप में प्रकाशन अथवा सपुटन होता हैं, वह प्रकार २३ होता हैं,

३१ जहा आख्या के लिए उपयुक्त नाम में परिवर्तन हो और सपुटों का पूर्व-समकन चालू रक्खा जाय, वह प्रकार ३१ होता है,

३२ जहा आख्या के लिए उपयुक्त नाम में परिवर्तन हो और सपुटो के मूल-समकन में भी अन्तर हो, वह ३२ प्रकार होता है,

४१ जहा एक से अधिक सामयिक-प्रकाशन एक होने वाले उन सबमें से किसी एक की आख्या में ही एक हो जाय और सपुटो के समकन में उस आख्या से विशिष्ट सामयिक-प्रकाशन का पूर्व-समवन ही चालू रहे, वह प्रकार ४१ होता हैं,

४२ जहा एक से अधिक सामयिक-प्रकाशन एक होने वाले उन सब में से किसी एक की आख्या में ही एक हो जाय और सपुटो के समकन में उस आख्या से विशिष्ट सामयिक-प्रकाशन के पूर्व-समकन में भी अन्तर हो, वह ४२ प्रकार होता हैं,

४३ जहा एक से अधिक सामयिक-प्रकाशन एक हो जाय और उन एकीभूत सामयिक-प्रकाशनो के द्वारा कोई एक नवीन ही आख्या स्वीकार कर ली जाय और उस आख्या द्वारा एकीभूत सामयिक-प्रकाशनो में से किसी एक का वर्ग-समक स्वीकार किया जाय, वह प्रकार ४३ होता हैं,

४४ जहा एक से अधिक सामयिक-प्रकाशन एक हो जाय उनके द्वारा कोई एक नवीन ही आख्या स्वीकार कर ली जाय और

उस आख्या द्वारा एकीभूत सामयिक-प्रकाशनो के मूलभूत-वर्ग-समंक का सर्वथा परित्याग किया जाय, वह प्रकार ४४ होता है ।

५१ जहां एक ही सामयिक-प्रकाशन विच्छेद प्राप्त करके अनेक हो जाय और उन विच्छिन्नों में से कोई एक मूल-वर्ग-समंक को ही स्वीकार करले, वह प्रकार ५१ होता है;

५२ जहां एक ही सामयिक-प्रकाशन विच्छेद प्राप्त करके अनेक हो जाय और मूल-वर्ग-समंक का सर्वथा परित्याग किया जाय, वह प्रकार ५२ होता है;

६१ जहा पृथक् पृष्ठांकन और आख्या-पत्र के बिना ही एकात्मक अथवा पुस्तक-अनुगत हों, वह प्रकार ६१ होता है;

६२ जहां पृथक् पृष्ठांकन और आख्या-पत्र से युक्त एकात्मक अथवा पुस्तक अनुगत हो, वह प्रकार ६२ प्रकार होता है;

६३ जहां पृथक् पृष्ठांकन और आख्या पत्र से युक्त, जिन्हें स्वतन्त्र रूप से पृथक् सामयिक-प्रकाशन ही माना जाय, ऐसे अनुगत और अतिरिक्त संपुटो की कक्षा होती है, वह प्रकार ६३ होता है;

६४ जहां ६२ के और ६३ प्रकार के अनुगत प्रधान सामयिक-प्रकाशन के समूहक-निर्देशी में समाविष्ट होते है, वह प्रकार ६४ होता है;

८० गणितज्ञो की तरह सर्वप्रथम हम केवल इन मूल जटिलताओ मे से प्रत्येक की पृथक्-पृथक चर्चा करेगे, अर्थात् जहा इन जटिलताओ मे से प्रत्येक स्वतन्त्र होगी तथा अन्य किसी भिन्न प्रकार की जटिलता से मिश्रित न होगी। साथ ही उन जटिलताओ के सुलझाने की तथा उनके सुलझाने के उपायो पर विचार करेगे ।

८१ संपुटांकन विशेपताः
संपुटांकन की विशेपता

८११ **८ धारा-११ प्रकारक-जटिलतायां प्रति-संपुट-अवधिकं पृथक् प्रधान-पत्रकम् ।**

८१११ तानि-सन्तत-पत्रक-संघाताः ।

८११२ अन्त्य-इतर-पत्रकेषु प्रकाशन-पूरित-समंक-नम् ।

८११ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु ११ प्रकारका जटिलता-स्यात् तत्र सपुटाना प्रत्येकम् अवधिम् अधिकृत्य पृथक् प्रधान-पत्रक लेख्यम् ।

८१११ पूर्वोक्त-प्रकारके प्रत्येकस्मिन् पत्रके वर्ग-समङ्क एक एव स्यादिति तानि सर्वाणि अपि पत्रकाणि ०३८१ धारानुसार सन्तत-पत्रक-सघात इति उच्यते ।

८११२ अन्त्यात् पत्रकात् इतरेषु सर्वेषु पत्रकेषु समङ्कनम् ७१५२ धारानुसारम् 'प्रकाशन-पूरित-समङ्कनम्' इति उच्यते ।

८११ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारो में से ११ प्रकार की जटि-लता हो वहा संपुटो की प्रत्येक अवधि को लेकर पृथक् प्रधान-पत्रक लिखा जाय ।

८१११ पूर्वोक्त प्रकार के प्रत्येक पत्रक में वर्ग-समंक एक ही होगा, अतः वे सभी पत्रक ०३८१ धारा के अनुसार सन्तत-पत्रक-संघात माने जायें ।

८११२ अन्त्य-पत्रक से अन्य दूसरे सभी पत्रको में समंकन ७१५२ धारा के अनुसार प्रकाशन-पूरित-समकन कहा जाता है ।

८११२ इस अध्याय की धारा ८९३ के अन्तर्गत उदाहरण २२ २३, ३१२ तथा ३१३ द्रष्टव्य हैं ।

८१२ ८ धारा-१२ प्रकारक-जटिलतायां प्रति-कक्षां पृथक्-प्रधान पत्रकम् ।

८१२० आख्या 'संपु' अन्तराले माला-नाम ।

८१२०१	**पृथक् वाक्यम् ।**
८१२१	**तानि सन्तत-पत्रक-संघातः ।**
८१२२	**अन्त्य-इतर-पत्रकेषु-प्रकाशन-पूरित-समङ्कनम् ।**

८१२	यत्र ८ धारायां परिगणितेषु प्रकारेषु १२ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र सपुटाना प्रत्येकां कक्षाम् अधिकृत्य पृथक् प्रधान-पत्रक लेख्यम् ।
८१२०	आख्यायाः 'संपु' इत्यस्य च अन्तराले मालायाः नाम लेख्यम् ।
८१२०१	तत् मालायाः नाम पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।
८१२१	पूर्वोक्त-प्रकारके प्रत्येकस्मिन् पत्रके वर्ग-समङ्कः एक एव स्यादिति तानि सर्वाणि अपि पत्रकाणि ०३८१ धारानुसारं सन्तत-पत्रक-संघातः इति उच्यते ।
८१२२	अन्त्यात् पत्रकात् इतरेषु सर्वेषु पत्रकेषु समङ्कनम् ७१५२ धारानुसार 'प्रकाशन-पूरित-समङ्कनम्' इति उच्यते ।

८१२	जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारो में से १२ प्रकार की जटिलता हो वहां संपुटों की प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक्-प्रधान-पत्रक लिखा जाय ।
८१२०	आख्या तथा 'संपु.' इन दोनों के बीच माला का नाम लिखा जाय ।
८१२०१	वह माला का नाम पृथक् वाक्य माना जाय ।
८१२१	पूर्वोक्त प्रकार के प्रत्येक पत्रक में वर्ग-समंक एक ही होगा अतः वे सभी पत्रक ०३८१ धारा के अनुसार सन्तत-पत्रक-संघात कहे जाते है ।
८१२२	अन्त्य-पत्रक से अन्य सभी पत्रकों में समंकन ७१५२ धारा के अनुसार 'प्रकाशन-पूरित-समंकन' कहा जाता है ।

८१२२ इस अध्याय की धारा ८९३ के अन्तर्गत उदाहरण ३ ३ तथा ३ १२ द्रष्टव्य है ।

८१३ ८ धारा १३ प्रकारक-जटिलतायां ८१२ धारोपधाराः प्रमाणम् ।

८१३० निर्दिश्यमानस्तु विशेषः ।

८१३०१ अवान्तर-कक्षा-संपुट-समंकनम् अपि ।

८१३०२ वृत्त-कोष्ठके ।

८१३०३ प्रकृताध्यायान्त्य-उदाहरणवत् ।

८१३ यत्र ८ धारायां परिगणितेषु प्रकारेषु १३ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र ८१२ धारा तदुपधाराः च अनुसर्तव्याः ।

८१३०१ यत्र यत्र संपुटानां समङ्कनं स्यात् तत्र तत्र अवान्तर-कक्षायाः संपुटानां समङ्कनमपि ततः परं लेख्यम् ।

८१३०२ तत् वृत्त-कोष्ठके लेख्यम् ।

८१३०३ प्रकृतस्य अध्यायस्य अन्तिमे उदाहरणे यथालिखितमस्ति तथैव संपुट-समङ्कनं लेख्यम् ।

८१३ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से १३ प्रकार की जटिलता हो, वहां ८१२ धारा और उसकी उपधाराओं का अनुसरण किया जाय ।

८१३० नीचे दिया हुआ विशेष ध्यान में रखा जाय ।

८१३०१ जहां-जहां संपुटों का समंकन हो वहां अवान्तर कक्षा के संपुटों का समंकन भी उसके आगे लिखा जाय ।

८१३०२ वह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८१३०३ प्रकृत अध्याय के अन्तिम उदाहरण में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही संपुट-समंकन लिखा जाय ।

८१३ किस कक्षा को वृत्त कोष्ठकों में लिखा जाय यह प्रश्न तो प्रत्येक स्थल की विशेषताओं के आधार पर सुलझाया जा सकेगा अर्थात् सामयिक प्रकाशन में ही जिस कक्षा को जिस प्रकार की प्रधानता अथवा गौणता दी हो उसी के आधार पर निर्णय किया जायेगा ।

८२ व्याहृत-प्रकाशनम्

व्याहृत-प्रकाशन

८२१ ८ धारा-२१ प्रकारक-जटिलतायाम् अति-रिक्त-अधिसूचनम् ।

८२१० वृत्त-कोष्ठके ।

८२११ तत्रांशौ द्वौ ।

८२११० यथा —

१ अप्रकाशित-संपुट-संवत्सरः;

२ 'वर्षे संपुटः न' इति वाक्यांशः च ।

८२१ यत्र ८ धारायां परिगणितेषु प्रकारेषु २१ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र अतिरिक्तम् अधिसूचनं लेख्यम् ।

८२१० तत् वृत्त-कोष्ठके लेख्यम् ।

८२११ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अंशौ भवतः ।

८२१ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से २१ प्रकार की जटिलता हो वहां अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ।

८२१० वह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८२११ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं ।

८२११० वे अंश निम्नलिखित हैं :—

१ अप्रकाशित संपुटों के संवत्सर; और

२ 'वर्ष में संपुट नहीं' यह वाक्यांश ।

८२१ इस प्रकार की जटिलता बहुधा पाई जाती है। उदाहरणार्थ, अमेरिकन बिसन सोसायटी की अनुअल रिपोर्ट १९०५ में संपुट १ के रूप में प्रारम्भ हुई थी। वह आज भी चल रही है, किन्तु १९२१ तथा १९२२ में उसका कोई अंक प्रकाशित नही हुआ था।

प्रथम विश्वयुद्ध मे अनेक सामयिक प्रकाशनो के प्रकाशन में व्याघात पड गया था। उदाहरणार्थ, वाशिंगटन डी सी के असोसिएशन आफ आफिशल एग्रिकल्चरल केमेस्ट्स का जर्नल १९१५ मे आरम्भ हुआ था। तब से वह एक संपुट प्रतिवर्ष के क्रम से निरन्तर प्रकाशित होता चला आ रहा है, किन्तु १९१७ से १९१९ तक उक्त सामयिको का कोई अंक न निकल सका। परिणाम यह हुआ कि १९२० के संपुट का समक ३ है, ६ नही। इसके अतिरिक्त, हिस्टरी आफ साइन्सेज सोसायटी, वाशिंगटन डी. सी ने १९१३ में इसिस सामयिक आरम्भ किया था। उसे जुलाई १९१४ से अगस्त १९१९ तक बन्द रखना पडा था। परिणाम यह हुआ कि १९१३ के संपुट का समंक तो १ है, किन्तु १९२० के संपुट का समक ८ नही दिया गया, अपितु २ दिया गया है। इसी प्रकार नार्थ केरोलाइना फार्मास्युटिकल असोसिएशन के द्वारा १९१५ में आरम्भ केरोलाइना जर्नल आफ फार्मेसी १९१८ से १९२१ के बीच बन्द कर दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि १९२२ के संपुट का समंक ८ नही दिया गया है, अपितु ४ दिया गया है।

हम एक दूसरा उदाहरण, प्रस्तुत करते है। पोर्टलैंड सोसायटी आफ नेचुरल हिस्टरी के जर्नल के प्रथम संपुट का प्रथम अवदान १८६४ मे प्रकाशित हुआ था, किन्तु अब तक उसका द्वितीय अवदान नही प्रकाशित हुआ। एक और उदाहरण लीजिये। उसी परिषद ने प्रोसीडिंग्स शीर्षक से एक और सामयिक प्रकाशन प्रकाशित किया था। १८६२ से १९३० वर्षो के बीच उसके केवल ४ संपुट प्रकाशित हुए। किन्तु परिषद् अब भी सक्रिय है तथा कोई भी व्यक्ति यह नही कह सकता कि आगे के संपुट नही प्रकाशित होगे।

हम एक और उदाहरण उपस्थित करते है जिसमें एक सामयिक प्रकाशन शैशवावस्था में ही समाप्त मान लिया गया था। चिर काल तक यही मान लिया गया था कि अब वह सदा के लिए समाप्त हो गया। किन्तु आश्चर्य की घटना यह घटी कि एक शताब्दी के बाद उसका पुनर्जन्म हो गया। "कनेक्टिकट एकेडेमी आफ हार्टस एण्ड साइसेज १७९९ ई में संघटित हुई थी तथा राज्य के द्वारा उसे

अधिकार-पत्र दिया गया था। १८१० में उसने एकेडेमी के मेमायर्स के प्रथम सपुट का प्रथम भाग प्रकाशित किया। . .इस सपुट का भाग २ सन् १८११ में प्रकाशित हुआ, भाग ३ सन् १८१३ में तथा भाग ४ सन् १८१६ मे प्रकाशित हुआ . . . .। १८१६ से लेकर उस परिषद् के सामने पढे गए शास्त्रीय निबन्ध अमेरिकन जर्नल आफ साइस के द्वारा ही अधिकतर प्रकाशित हुआ करते थे। उस जर्नल का प्रथम अवदान अगस्त १८१८ मे प्रकाशित हुआ था।" [३१] सच पूछा जाय तो अवदान का सर्वप्रथम लेख येल कालेज के प्राध्यापक श्री फिशर का एसे ऑन म्युजिकल टेम्परमैन्ट है, जो निम्नलिखित टिप्पण के साथ प्रकाशित हुआ था —"कनेक्-टिकट एकेडेमी के पाण्डुलिपि निबन्धो से, जो अब उनकी अनुमति द्वारा प्रकाशित किए जा रहे है"। कनेक्टिकट एकेडेमी ऑफ आर्टस एण्ड साइसेज के मेमायर्स के प्रथम सपुट को पूर्ण होने मे ही सात वर्ष लगे थे। बीच में यह निश्चय किया जाने लगा था कि उसका अन्त चुका है। ऊपर उद्धृत अंश में जिस प्रकार सूचित किया जा चुका है उस के अनुमार,१८१८ से १८६५ तक मेमायर्स अमेरिकन जर्नल आफ साइंस में ही प्रकाशित हुआ करता था। १८६६ ई में एकेडेमी ने अपना दूसरा समुच्चित ट्रान्जेक्शन्स इस शीर्षक से प्रकाशित करना आरम्भ किया। १८६६ से १९०९ तक मेमायर्स उसी में प्रकाशित हुआ करता था। किन्तु जिन दिनो ट्रान्जेक्शन भी चालू ही था, तथा प्रायः एक शताब्दी के व्यवधान के पश्चात्, १९१० ई. में मेमायर्स का सपु. २ प्रकाशित हुआ। इससे सभी को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। इस प्रकार, उस सामयिक ने अप्रकाश जीवन में एक पराकाष्ठा सी स्थापित कर ली। दुर्भाग्यवश वह अपने समयानुसार सर्वदा प्रकाशित न हो सका। सप्तम संपुट को साधारण रीति से १९१५ में प्रकाशित होना चाहिये था, किन्तु वह वस्तुतः प्रकाशित हुआ १९२० में। तब से लेकर आज तक यह पता नही लगा कि क्या यह समाप्त हो चुका है अथवा उसने अवकाश ग्रहण कर लिया है। किन्तु उसका कनिष्ठ भ्राता ट्राजेक्शन जीवित है। यह वही कनिष्ठ भ्राता है जिससे वह ज्येष्ठ भ्राता १९१० मे अलग हो चुका था। कनिष्ठ भ्राता सर्वथा स्वस्थ एवं चालू है।

---

३१ अमेरिकन जर्नल आफ साइस के प्रथम सपुट के प्रथम अमेरिकन जर्नल आफ साइसेज एण्ड आर्टस. सपु १२. पृ. १३८. १८६६.

इस प्रकार की जटिलता के उदाहरणो के प्रधान सलेख नीचे दिये जाते हैं :—

१. इलंढ७३·थ२४

इसिस (हिस्टरी ऑफ साइंस सोसायटी, वाशिंगटन, डी सी.). सपु. १—१५ १९१३—१९२३.

[१ संपु. प्रतिवर्ष १९१३—]

{ १९१४—१९१९ मे सपु. नही }.

---

२. ज्ञ: ग ढं ७३· ढ ८४

जर्नल ऑफ दि असोसिएशन ऑफ एग्रिकल्चरल केमिस्ट्स. (वाशिंगटन. डी. सी.) . संपु. १—१६ १९१५—१९३३.

[१ संपु. प्रतिवर्ष. १९१५—].

{ १९१७—१९१९ मे सपु. नही }.

---

८२२ **८ धारा-२२प्रकारक-जटिलतायाम् अतिरिक्त-अधिसूचनम् ।**

८२२० **वृत्त-कोष्ठके ।**

८२२१ **तत्रांशौ द्वौ ।**

८२२१० **यथा —**

१ अप्रकाशित-संपुट-समङ्कः;

२ "संपुटः न प्रकाशितः" इति वाक्यांशः च ।

८२२ यत्र ८ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु २२ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र अतिरिक्तम् अधिसूचनं लेख्यम्

८२२० तत् वृत्त-कोष्ठके लेख्यम् ।

८२२१ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अंशौ भवतः ।

८२२ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से २२ प्रकार की जटिलता हो, वहां अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ।

८२२० वह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८२२१ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं :—

८२२१० वे दो अंश निम्नलिखित हैं :—

१ अप्रकाशित संपुट का समंक; और

२ "संपुट प्रकाशित नहीं" ये पद।

८२२१० इस प्रकार की जटिलता २१ की जटिलता की भांति इतनी अधिक नही पाई जाती ; किन्तु इसका सर्वथा अभाव नही है। "अमेरिकन लेरिंगोलॉजिकल, ह्निनोलॉजिकल तथा आटोलाजिकल सोसायटी" ट्रान्जेक्शन्स १८८६ में प्रकाशित संपुट २ से ही उपलब्ध होते हैं। यह प्रतीत होता है कि सपुट १ कभी प्रकाशित ही नही हुआ। इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण है—"सर्टिफाइड मिल्क प्रोड्यूसर्स असोसिएशन ऑफ अमेरिका के प्रोसीडिंग्स का। इसका १९१० में प्रकाशित सपुट तीसरा है। प्रथम तथा द्वितीय सपुट कभी प्रकाशित हुए ही नही।

यहां एक दूसरा विचित्र उदाहरण उपस्थित किया जाता है। "अमेरिकन ऑटोलॉजिकल सोसायटी" के ट्रान्जेक्शन्स के विषय में, प्रथम सपुट का प्रथम अवदान केवल हस्तलिखित रूप मे ही प्रकट किया गया था। तथा दूसरा संपुट "अमेरिकन आपथेल्मालॉजिकल सोसायटी" के प्रोसीडिंग्स के साथ प्रकाशित किया गया था। परिणाम यह हुआ था कि ट्रान्जेक्शन्स के संघात मे द्वितीय सपुट है ही नही, तथा प्रथम संपुट अपूर्ण है। इस के अतिरिक्त "पोटेटो असोसिएशन ऑफ अमेरिका" के प्रोसीडिंग्स के संपुट २ तथा ५–७ कभी प्रकाशित ही नही हुए, यद्यपि अन्य सपुट नियमितता के साथ प्रकाशित होते आए हैं।

न्यूयॉर्क नगर के "केमिस्ट्स' क्लब" के द्वारा प्रकाशित परकोनेटर नाम के अनियमित प्रकाशन के प्रथम पाच सपुट १९०१–१९२२ वर्षों में प्रकाशित हुए थे। १९२२–१९२५ वर्षो से प्रकाशन के ५६–६२ अवदान प्रकाशित किए गए, किन्तु उन्हे कभी भी सपुट के रूप मे एकत्रित नही किया गया। परन्तु १९२६ के अवदान प्रकाशन के अष्टम सपुट के अश रूप में घोषित किए गए थे। इसी प्रकार "कोलोराडो सोसायटी ऑफ इंजीनियर्स" के द्वारा प्रकाशित इंजीनियर्स बुलेटिन ने १९१८ तथा १९२२ के बीच अपने प्रथम ५५ अवदान प्रकट किए, किन्तु उन्हे सपुट के रूप में एकत्रित करने का कोई प्रयत्न नही किया गया।

किन्तु १६२३ से लेकर एक वर्ष मे प्रकाशित अवदानो का सपुट बनाया जा रहा है। साथ ही १६२३ के सपुटो का सप्तम समक दिया गया है।

इस प्रकार की जटिलता वाले सामयिक के प्रधान सलेख का एक उदाहरण यहा दिया जा रहा है —

उदाहरण

ढट३११ढ७३ थ०८

प्रोसीडिंग्स ऑफ दि सर्टिफाइड मिल्क प्रोडयूसर्स असोसिएशन ऑफ अमेरिका सपु ३–१६ १६१०–१६३३

[१ सपु प्रतिवर्ष १६१०—]

{१–२ सपु प्रकाशित नही }

८२३ ८ धारा २३ प्रकारक-जटिलतायाम् अति-रिक्त-अधिसूचनम् ।

८२३० वृत्त-कोष्ठके ।

८२३१ तत्रांशौ द्वौ ।

८२३१० यथा —

१ एक-संपुट-रूप-प्रकाशित-संपुट-समंक-गणः;

२ "संपु सहैव प्रकाशितः" इति वाक्यांशः च;

२० समंक-गण-युगलान्तराले अर्ध-विरामः ।

८२३ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु २३ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र अतिरिक्तम् अधिसूचन लेख्यम् ।

८२३० तत् वृत्त-कोष्ठके लेख्यम् ।

८२३१ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अशौ भवत ।

८२३ जहा ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से २३ प्रकार की जटिलता हो वहा अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ।

८२३० वह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय।

८२३१ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं।

८२३१० वे अंश निम्नलिखित हैं :—

१ एक संपुट के रूप में प्रकाशित संपुट का समंक-गण;

और

२ "संपु. साथ ही प्रकाशित" यह वाक्यांश;

२० दो समंक-गणो के बीच में अर्ध विराम किया जाय।

८२३ इस अध्याय की धारा ८६३ के अन्तर्गत उदाहरण २१ तथा २२ द्रष्टव्य हैं।

८३ आख्या-अंतर

८३१ ८ धारा-३१ प्रकारक-जटिलतायां प्रति-विभिन्न-आख्यां पृथक्-प्रधान-पत्रकम्।

८३११ तानि सन्तत-पत्रक-संघातः।

८३१२ अन्त्य-इतर-पत्रकेषु 'प्रकाशन पूरित-समंकनम्'।

८३१ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ३१ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र प्रत्येकां विभिन्नाम् आख्याम् अधिकृत्य पृथक् प्रधान-पत्रकं लेख्यम्।

८३११ पूर्वोक्त-प्रकारके प्रत्येकस्मिन् पत्रके वर्ग-समङ्कः एक एव स्यादिति तानि अपि पत्राणि ०३८१ धारानुसार सन्तत-पत्रक-सधातः इति उच्यते।

८३१२ अन्त्यात् पत्रकात् इतरेषु सर्वेषु पत्रकेषु समङ्कनं ७१५२ धारानुसारं 'प्रकाशन-पूरित-समङ्कनम्' इति उच्यते।

८३१ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ३१ प्रकार की जटि-

लता हो, वहां आख्या के प्रत्येक विभिन्न शीर्षक को लेकर पृथक् प्रधान-पत्रक लिखा जाय ।

८३११ **पूर्वोक्त प्रकार के प्रत्येक पत्रक में वर्ग-समंक एक ही होगा अतः वे सभी पत्रक ०३८१ धारा के अनुसार सन्तत-पत्रक-संघात कहे जाते हैं ।**

८३१२ **अन्त्य-पत्रक से भिन्न सभी पत्रकों में समंकन ७१५२ धारा के अनुसार 'प्रकाशन-पूरित-समंकन' कहा जाता है ।**

८३१२ सामयिक-प्रकाशन की आख्या मे तथा उसके प्रकाशन के लिए उत्तरदायी परिषद् के नाम मे परिवर्तन दोनो ही बहुत अधिक अवसरो पर पाये जाते हैं । इस प्रकार की जटिलता बहुधा देखने में आया करती है । किन्तु थोड़े ही प्रकाशन ऐसे होगें जो इस जटिलता के शिकार न बने हों । यह कहा जाता है कि एक परिषद् ने १४ वर्षों में ४१ बार अपने नाम बदले थे । कभी कभी तो आख्या-अन्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि वर्गकार विभिन्न वर्ग-समक ही देने बैठ जाता है। किन्तु जब वह देखता है कि सपुटों पर क्रमशः समक दिए हुए हैं, अथवा सभी आख्याओ का समावेश करने वाले सामूहिक निर्देशी विद्यमान हैं तो उसे रुक जाना पडता है। आख्या के अन्तर का समाधान करने के लिए वह वर्ग-समक को नही बदल पाता । इस अध्याय के अन्त में दिए हुए उदाहरणो में तथा प्रस्तुत व्याख्या के अन्त में दिए हुए उदाहरणो में उपर्युक्त प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए है ।

यहा हम कतिपय और उदाहरणों को प्रस्तुत करते है जो उतने व्यापक नही हैं। डेट्रायट, मिशिगन में १९०५ ई. में "नेशनल असोसिएशन ऑफ सीमेन्ट यूजर्स की स्थापना हुई । १९१३ में उसका नाम बदल कर "अमेरिकन कान्क्रीट इन्स्टीटचूट" हो गया । उसके द्वारा एक समुच्चित प्रकाशित किया जाता है, जिसे १९०५ से १९१३ तक प्रोसीडिंग्स कहा गया था, १९१४ से १९१५ तक जर्नल कहा गया था, तथा १९१६ से पुन प्रोसीडिंग्स कहा जाने लगा । इस परिस्थिति मे भी संपुटो के समंक चले आ रहे है ।

इसके अतिरिक्त, एक और महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जाता है । १८९० में "अमेरिकन एलेक्ट्रो थेराप्युटिक असोसिएशन" की स्थापना हुई । मेडिकल लायब्रेरी नामक एक समुच्चित, किसी आश्रय के बिना ही १८८३ से निरन्तर निकल रहा था । उस असोसिएशन ने इस समुच्चित को अपना लिया तथा उसका नाम

बदल कर जर्नल आफ एलेक्ट्रो-थेराटिक्स कर दिया, किन्तु संपुटों के समंकन में वही पुराना कक्षा-क्रम रखा। इस प्रकार जर्नल ऑफ एलेक्ट्रो थेराप्युटिक्स का प्रथम संपुट १८९० में सपुट ८ के रूप में प्रकाशित हुआ। १९०२ में प्रकाशन का नाम पुन बदल दिया गया तथा इस प्रकार संपुट २० से ३३ (१९०२ से १९१५) "जर्नल ऑफ एडवासड थेराप्युटिक्स" इस अधिक प्रभावोत्पादक आख्या से युक्त हो कर प्रकाशित हुए। यह नाम किस प्रकार स्वीकृत किया गया। इसकी कहानी उस समुच्चित के सपादक ने निम्नलिखित शब्दो मे कही है :—[३२]

"१९०१ ई में, बफेलो में मिली हुई अमेरिकन एलेक्ट्रो थेराप्युटिक असोसिएशन की वार्षिक बैठक मे असोसिएशन ने भावी सपादक की हैसियत से, सपादक के प्रबन्ध की अधीनता मे जर्नरल को सघ के मुखपत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उस प्रबन्ध के अधीन तथा अमेरिकन एलेक्ट्रो थेराप्युटिक असोसिएशन के अग्रणी सदस्यों के सहयोग से प्रथम जनवरी १९०२ के लिए प्रथम अवदान प्रस्तुत किया गया। आरम्भ मे यह निर्णय किया गया था कि उस समय से यह जर्नल अमेरिकन जर्नल ऑफ एलेक्ट्रोलाजी एण्ड रेडियोलाजी आख्या से प्रकाशित हो और उस आख्या से एक अवदान प्रस्तुत भी किया गया। किन्तु अकस्मात् प्रकाशक ने एक प्रार्थना की। वह अपने किसी और प्रकाशन को उस जर्नल के साथ मिलाना चाहता था। उसकी प्रार्थना के अनुसार नाम बदल दिया गया तथा प्रथम सपुट के द्वितीय अवदान से उसका नाम जर्नल आफ एडवान्स्ड थेराप्युटिक्स हो गया।"

उस अवस्था मे भी, आरम्भ का वह विचार असोसिएशन के मस्तिष्क में सुषुप्तावस्था में पड़ा ही रहा था ऐसा प्रतीत होता है। कारण अन्त में उस ने जोर मारा तथा १९१६ से १९२५ तक ३४ से ४३ तक के सपुट अमेरिकन जर्नल ऑफ एलेक्ट्रो-थेराप्युटिक्स इस लम्बी आख्या के साथ प्रकाशित हुए। किन्तु १९२६ मे प्रकाशित ४४ सपुट से नाम में पुन और परिवर्तन हुआ तथा फिर वह फिजिकल थेराप्युटिक्स बन गया। मानो इस आख्या से सगत एवं अनुरूप होने के लिये ही असोसिएशन का भी नाम अक्तूबर १९२९ में "अमेरिकन फिजिकल थेरापी असोसिएशन" कर दिया गया। इसका कारण यह था कि वह "वेस्टर्न असोसिएशन आफ फिजिकल थेरापी" के साथ मिला दिया गया था। इस सामयिक प्रका-

३२ फिजिकल थेराप्युटिक्स सपु ४४. १९२६ पृ. ५६–५७.

शन के नाम-सम्बन्धी भविष्य के गर्भ में न जाने और क्या-क्या छिपा है, यह तो परमात्मा ही जान सकता है। संभव है और भी परिवर्तन होते किन्तु १९३२ के एप्रिल मास से इसका तिरोभाव हो गया तथा यह इसके समुच्चित के गर्भ में समा गया। एप्रिल १९३२ के अवदान में यह सूचना थी --"अमेरिकन फिजिकल थेरापी असोसिएशन का मुख पत्र फिजिकल थेराप्युटिक्स अब से आर्काइब्स आफ फिजिकल थेरापी, एक्स-रे, रेडियम के अन्तर्गत हो रहा है जो कि अमेरिकन काग्रेस ऑफ फिजिकल थेरापी का मुख पत्र है। कारण यह है कि अमेरिकन फिजिकल थेरापी असोसिएशन ने अपने हितों को अमेरिकन काग्रेस ऑफ फिजिकल थेरापी के हितों के साथ एक रूप कर दिया है। आप को चन्दे की अवधि तक सामयिक प्रकाशन उक्त परिषद् द्वारा मिलता रहेगा।"

यहा हम एक दूसरे और अधिक चित्रमय उदाहरण को प्रस्तुत करते है। १८९५ में न्यूजर्सी फारेस्टर का जन्म हुआ। प्रथम सपुट के समाप्त होने के पूर्व ही उसका नाम बदल कर फारेस्टर कर दिया गया। यह नाम सप्तम सपुट १९०१ तक जारी रहने दिया गया। किन्तु एक विशिष्ट घटना घटी कि १८९८ में "अमेरिकन फारेस्टरी असोसिएशन" के प्रोसीडिंग्स का इसी में छापने का निश्चय हो गया था। उस असोसिएशन ने १८८२ मे "अमेरिकन फारेस्ट्री काग्रेस" नाम अपनाया था, किन्तु १८८९ में उस ने अपना नाम बदल कर "अमेरिकन फारेस्ट्री असोसिएशन" कर लिया था। आठवा सपुट १९०२ मे प्रकाशित हुआ। उसी के साथ सामयिक को लिए फारेस्ट्री एण्ड इर्रीगेशन लम्बा नाम दे दिया गया। किन्तु सपुट १४ तथा १९०५ वर्ष के मध्य भाग में ही, जब कि सपुट १४ के केवल ८ *अवदान ही प्रकाशित हुए, उसकी समाप्ति के लक्षण नजर आने लगे।* १९०८ में उसे पुनरुज्जीवित किया गया तथा उसका नाम कन्जर्वेशन रखा गया। किन्तु मजेदार बात तो यह है कि ज्यो ही वह पुनरुज्जीवित हुआ त्यों ही उसे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। उसने इस बात का आग्रह किया कि कन्जर्वेशन का प्रथम अवदान सपुट १४ अवदान ९ के रूप में प्रकाशित किया जाय। किन्तु यह नया अवतार कुछ ही समय के लिए जीवित रह सका। कारण वह नाम पुन १९१० में अमेरिकन फारेस्ट्री हो गया। यह नाम संपु. १६ से २९ अर्थात् १९१० से १९२३ तक चालू रहा। इसके पश्चात् जब १९२४ में सपुट ३० प्रकाशित किया गया तब हमारे इस अनेकनामा समच्चित के लिये एक नया जन्म ही मनाया गया। अब

उसका नाम अधिक व्यापक अमेरिकन फारेस्ट्स एण्ड फारेस्ट लाइफ रखा गया। हम यही कामना करते है कि हमारा यह सशक्त वन्धु और भी अनेक जन्म पाय तथा सपुट-समकन की कथा की स्मृति उसे ठीक-ठीक बनी रहे।

कभी-कभी नाम मे अन्तर बहुत ही थोडा होता है और उसे सरलता से पहचाना नही जा सकता। उदाहरणार्थ, जो समुच्चित १६०६ से जर्नल आफ अब्नॉरमल सॉइकॉलॉजी एण्ड सोशल सॉइकॉलॉजी आख्या से पुकारा जाता था वह १६२६ में परिवर्तित हो कर जर्नल आफ अब्नारमल एण्ड सोशल सॉइकॉलॉजी हो गया।

कभी-कभी तो स्वय विद्वत्परिषदें ही अपना नाम भूल जाती हैं। उदाहरणार्थ, इलिनॉय स्टेट एकेडेमी ऑफ साइस ने अपनी जीवन यात्रा १६०७ में प्रारम्भ की। अपने जीवन के प्रथम वर्ष में ही उसने अपना ट्रान्जेक्शन्स यह समुच्चित प्रकाशित किया, जो आज भी चालू है। किन्तु १६११ से १६१७ तक उसने अपने उस समुच्चित को ट्रान्जेक्शन्स ऑफ दि इलिनॉय एकेडेमी ऑफ साइंस यह नाम दिया। संभवत उसे पुराना एव यथार्थ नाम ध्यान मे ही नही रहा। १६१८ मे जा कर 'स्टेट' पद अपने यथार्थ स्थान पर पुन प्रतिष्ठित कर दिया गया। न जाने किसने उसे इस वस्तु के औचित्य का स्मरण कराया।

एक विद्वान् समष्टि अपने नाम के स्मरण मे कितनी बडी अव्यवस्थित भूल कर सकती है तथा अपने एकमात्र समुच्चित के नाम मे कितने अधिक उतार-चढाव ला सकती है। इसका उदाहरण निम्नलिखित लेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जॉर्जिया की मेडिकल असोसिएशन का आविर्भाव १८४६ मे हुआ। उसी समय उसने अपना समुच्चित आरम्भ किया तथा वह आज तक नियमित रूप से निरन्तर एक संपुट प्रतिवर्ष के क्रम से प्रकाशित होता आ रहा है। किन्तु उसके आख्यापत्र पर कितने ही नामो की परपरा दृष्टिगोचर होती है जिसे देख कर चकित हो जाना पड़ता है। प्रथम तथा द्वितीय सपुट का नाम था मिनिट्स ऑफ दि प्रोसीडिंग्स आफ दि मेडिकल असोसिएशन आफ जौर्जिया। तृतीय तथा चतु- सपुट ट्रान्जेक्शन्स ऑफ दि मेडिकल सोसायटी आफ दि स्टेट ऑफ जॉर्जिया [illegible]- गये। सपुट ५ को प्रथम उत्पन्न समुच्चित का नाम दिया गया। संपुट ६ से १६ त[illegible]- प्रोसीडिंग्स ऑफ दि जॉर्जिया मेडिकल असोसिएशन नाम से प्रसिद्ध हुए। सपुट २०

से २३ तक ट्रान्जेक्शन्स ऑफ दि जॉर्जिया मेडिकल असोसिएशन कहे गये, जब कि सपुट २४ से ६१ ट्रान्जेक्शन्स ऑफ दि मेडिकल असोसिएशन ऑफ जॉर्जिया। एक आख्या के साथ ३८ वर्षो तक निरन्तर नियमित रूप से क्रमश एक के पश्चात् एक प्रकाशित होकर सम्पुटो की सख्या ६१ तक पहुच गई है। आगे चलकर यह स्थिरता निभ न सकी। असोसिएशन ने १९११ में समुच्चित का नाम बदल कर जर्नल कर दिया गया। साथ ही सपुटो के समकन के लिए भी एक नई कक्षा का ही अवलम्बन किया गया। यदि संस्थाओ की इस अव्यवस्थितता को देख कर कोई सहसा चिल्ला उठे, "चिकित्सक, तुम अपनी ही चिकित्सा पहले करो" तो वह न्यायसगत कहा जायगा किन्तु, बिचारे सूचीकार के लिए तो इन अव्यवस्थाओं का अर्थ होता है कि वह एक पत्रक के स्थान में ७ प्रधान पत्रक लिखे, तथा दो के स्थान में सभवत कम-से-कम६ निर्देशी पत्रक लिखे। इस प्रकार सूचीकार का कार्य पाचगुना बढ जाता है। क्या ग्रन्थालय के अधिकारी ग्रन्थालयो की इन दु खगाथाओ से परिचित है ? क्या वे उन्हे जानते है ? क्या वे सूचीकारो को पाचगुनी अधिक बढाना चाहेगे ? उनकी वर्तमान प्रवृत्ति तो इसके विपरीत ही प्रतीत होती है। वे सूचीकरण के मार्ग की कठिनाइयो से सर्वथा अनभिज्ञ है। वे अज्ञान में ही सुख मान कर बैठे हुए है। वे वस्तु स्थिति का ज्ञान ही नही चाहते। यह एक दुर्भाग्यमय रूढि ही का कुफल है कि वे आज की सूचीकरण को अर्धशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला अति तुच्छ कार्य मानते है। हमारे ग्रन्थ "ग्रन्थालय-शास्त्र-पचसूत्री" मे निम्नलिखित अश का उद्धरण यदि किया जाय तो वह संगत सिद्ध होगा —"किन्तु कुछ लोग ऐसे भी है जो ग्रन्थो को पढने के अतिरिक्त और भी उपयोग कर सकते है। वे साहित्यिक शैली की समालोचना करने मे अपने को समर्थ मानते है। ज्ञान-जगत् की विशिष्ट शाखा से उन्होंने कुछ विशिष्ट परिचय भी प्राप्त किया होता है। ऐसे व्यक्तियो की श्रेष्ठ धृष्ठता तो और भी अधिक मनस्ताप उत्पन्न करती है। वे यह कल्पना कर बैठे रहते है कि उनकी (अपनी) विद्वत्ता से अतिरिक्त ग्रन्थालय में और जो कुछ भी है वह सब श्रम कार्य है, लेखकीय है तथा उनके उद्योगों से निम्न-तर कोटि का है। उन्हे यह पता ही नही है कि वे स्वय जैसे मनुष्यो मे से ग्रन्थालयी गढे जा सकते है। बहुधा हमारी किसी पण्डितो मे मुठभेड हो जाया करती है। उसकी इतनी हिम्मत तो देखिये! वह सूचीकरण को निर्देशीकरण मान कर पूछ उठते है कि निर्देशीकरण में क्या रखा है। उस समय हमारी यही इच्छा होती है कि उसे कहा जाय, "भाई, आओ, जरा निर्देशीकरण करो तो सही'। उसे कुछ

महीनो तक वही काम करने दिया जाय। तभी उस को ज्ञात हो सकेगा कि वह कितनी अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है!"

हम यहां अब एक ऐसे समुच्चित के प्रधान-पत्रकों के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं जिस के अपने तथा जन्मदातृ संस्था नाम में परिवर्तन हुए हैं। उन उदाहरणों को देख कर हम प्रस्तुत चर्चा को समाप्त करेंगे।

१.१ ड.४.७ड७३ ढ८८

ट्रान्जेक्शन्स ऑफ दि नेशनल असोसिएशन ऑफ रेलवे सर्जन्स, युनाइटेड स्टेट्स. १८६१—१८६३.

[१ सपु प्रतिवर्ष १८६१–१८६३].

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

१.२ ड.४.७ड७३:ढ८८ सन्तत १.

रेलवे सर्जन (नेशनल असोसिएशन ऑफ रेलवे सर्जन्स, युनाइटेड स्टेट्स). सपु १–४. १८६४—१८६७

[१ सपु. प्रतिवर्ष १८६४—१८६७]

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

१.३ ड.४.७ ढ७३ ढ८८ सन्तत २.

रेलवे सर्जन (इन्टरनेशनल असोसिएशन ऑफ रेलवे सर्जन्स, अमेरिका) सपु. ५–१० १८६८–१९०३.

[१ सपु प्रतिवर्ष १८६८–१९०३]

अनन्तर पत्रक में सतत

१.४ ड.४ ढ७३ ढ८८ सन्तत ३

रेलवे सर्जिकल जर्नल ऑफ दि अमेरिकन असोसिएशन ऑफ रेलवे सर्जन्स. सपु ११–२७ १९०४–१९२०

[१ सपु प्रतिवर्ष. १९०४–१९२०].

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

१.५ ड ४.७ढं७३.ढ८८ सन्तत ४.

सर्जिकल जर्नल आॅफ दि अमेरिकन असोसिएशन आॅफ रेलवे सर्जन्स. सपु. २८–४०. १९२१–१९३३
[१ सपु प्रतिवर्ष १९२१—].

८३२ ८ धारा-परिगणित-३२ प्रकारक-जटिल-तायां ८३१ धारोपधारा-अनुकरणम् ।

८३२ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ३२ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र ८३१ धारा तदुपधाराः च अनुकर्त्तव्याः ।

८३२ **जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारो में से ३२ प्रकार की जटिलता हो, वहां ८३१ धारा और उसकी उपधाराओं का अनुसरण करना चाहिए।**

८३२ यह जटिलता पहली के समान ही अधिकतर स्थलो पर पाई जाती है। दोनों ही उस अश मे एक समान है। हम यहा कुछ उदाहरण दे रहे है। जो सस्था १८५९ ई. मे "ऐन्टमाॅलाजिकल सोसायटी आफ फिलडलफिया" के नाम से सघटित हुई थी, वह १८६७ से "अमेरिकन एन्टमालाजिकल सोसायटी" नाम से विख्यात होती आ रही है। परिणाम यह हुआ है कि उसके समुच्चितो में से एक १८६१ से १८६७ तक प्रोसीडिंग्स आफ दि एन्टमालाजिकल सोसायटी आफ फिलडेलफिया नाम से प्रकाशित हुआ था, तथा उसके बाद की तिथि मे आज तक *ट्रान्जेक्शन्स आफ दि अमेरिकन एन्टमालाजिकल सोसायटी नाम* से प्रकाशित होता आ रहा है। किन्तु इसके सपुट ममकन मे कक्षा भिन्न है।

इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और भी है। "अमेरिकन जोग्राफिकल *एण्ड स्टेटिस्टिकल सोसायटी" नामक संस्था १८५४ ई. में स्थापित हुई थी।* उसने १८७१ ई. में अपना नाम बदल कर "अमेरिकन जोग्राफिकल सोसायटी आफ न्यूयार्क" कर दिया। उसने १८५९ मे एक समुच्चित प्रकाशित किया था। उसके

नाम मे कितना परिवर्तन हुआ है वह कहानी बडी ही रोचक है। प्रथम दो सपुट जर्नल आफ दि अमेरिकन जोग्राफिकल एण्ड स्टेटिस्टिकल सोसायटी इस नाम से प्रकाशित हुए। तृतीय सपुट सोसायटी के अनुअल रिपोर्ट के रूप मे प्रकाशित हुआ। सपुट ४ से ३२ तक के अवदान बुलेटिन के रूप में प्रकाशित हुए थे। किन्तु सपुटित होने पर उनका नाम जर्नल कहा जाना निश्चित हुआ। इस परिस्थिति मे भी, ३३ से ४७ तक के संपुटो को उनके अपने अवयवो के नाम से ही अर्थात् बुलेटिन के नाम से ही विख्यात होने की अनुमति दे दी गई थी। यह १९१५ तक ही रहा किन्तु १९१६ में यह समुच्चित जोग्राफिकल रिव्यू के नाम से प्रकाशित होने लगा। नाम के इस परिवर्तन मानो सपुटो के समकन में एक नई कक्षा प्रारम्भ कर दी गई थी।

प्रस्तुत धारा की लक्ष्यभूत जटिलता से युक्त समुच्चित के प्रधान-संलेखो को प्रस्तुत कर हम इस धारा को समाप्त करेगे।

उदाहरण

---

१ १ डढ७३ ढ५०

प्रोसीडिंग्स आफ दि शिकागो मेडिकल सोसायटी.
सपु १–३. अव. १०. १८८८–१८९१.
[१ सपु प्रतिवर्ष. १८८८–१८९१).]
[सपु. ३ अपूर्ण]

अनन्तर पत्रक में सन्तत

१.२ डढ७३ ढ५० सन्तत १.

शिकागो मेडिकल रिकार्ड (शिकागो मेडिकल सोसायटी).
सपु. १–२ १८९१–१८९२.
[१ सपु प्रतिवर्ष. १८९१–१८९२].

अनन्तर पत्रक मे सन्तत.

१.३ डढ७३ ढ५० सन्तत २.

शिकागो मेडिकल रिकार्डर (शिकागो मेडिकल सोसायटी).
संपु. ३–४३ १८९३–१९३३.
[१ संपु. प्रतिवर्ष १८९३–].

---

८४१ विलयः

विलय

८४१ ८ धारा-परिगणित-४१ प्रकारक-जटिलतायां प्रचलदाख्यायै नवीन-प्रधान-पत्रकम्।

८४११ तानि 'सन्तत-पत्रक-संधातः'।

८४१२ विलीन-प्रकाशन-पत्रकेषु प्रकाशन-पूरित-समङ्कनम्।

८४१३ नवीन-प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनम्।

८४१३० उद्धार-कोष्ठके।

८४१३१ तत्रांशौ द्वौ।

८४१३१० यथा --

१ एकीभूत-सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-समंक-आख्या;

२ 'इति एतद् एकीभावयति' इति वाक्यांशः।

८४१३१०१ प्रति-प्रकाशनं पृथक् वाक्यम्।

८४१४ अतिरिक्तानुच्छेद-उल्लिखित-प्रति-सामयिक-प्रकाशन-अन्त्य-प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनम्।

८४१४० उाद्धर-कोष्ठके।

८४१४१ तत्रांशौ द्वौ।

८४१४१० यथा --

१ विलापक-प्रकाशन-वर्ग समंक-आख्ये;

२ इत्येतेन एकीभूतम्' इति वाक्यांशः च।

८४१ यत्र ८ धारायां परिगणितेपु प्रकारेपु ४१ प्रकारका जटिलता स्यात् यत्र या आख्या विलयानन्तरमपि प्रचलिता स्यात् तस्यै आख्यायै नवीन प्रधान-पत्रकं लेख्यम्

८४११ नवीने प्रधान-पत्रके स एव वर्ग-समङ्कः स्यात् यः तदाख्या-विशिष्टे पूर्वस्मिन् प्रधान-पत्रके स्यादिति तानि सर्वाणि अपि पत्रकाणि ०३८१ धारोपधारा-नुसारं सन्तत-पत्रक-सघात. इति उच्यते ।

८४१२ सर्वेपा विलीनानां प्रकाशनानां प्रधान-पत्रकेपु प्रचल-दाख्या-विशिष्ट-पूर्व-पत्रके च समङ्कनं ७१५२ धारानुसारं 'प्रकाशन-पूरित-समङ्कनम्' इति उच्यते।

८४१३० तत् उद्धार-कोष्ठके लेख्यम् ।

८४१३१ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अंशौ भवत. ।

८४१३१० तौ अंशौ निम्ननिर्दिष्टौ भवतः —

१ एकीभूतस्य सामयिक-प्रकाशनस्य वर्ग-समङ्कः आख्या च प्रथम· अश· भवति;

२ 'इति एतद् एकीभावयति' इति वाक्यांश द्वितीय· अश. भवति; ।

८४१३१०२ प्रत्येक-प्रकाशनस्य सम्बद्धं विवरणं पृथक् वाक्यं ज्ञेयम् ।

८४१४ नवीनस्य प्रधान-पत्रकस्य अतिरिक्तानुच्छेदे उल्लि-खितस्य प्रत्येकस्य सामयिक-प्रकाशनस्य अन्त्ये प्रधान पत्रके अतिरिक्तम् अधिसूचनं लेख्यम् ।

८४१४० तत् उद्धार-कोष्ठके लेख्यम् ।

८४१४१ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अंगौ भवतः ।

८४१४१० तौ अंशौ निम्ननिर्दिष्टौ भवतः —

१ यस्मिन् सामयिक-प्रकाशने प्रस्तुत प्रकाशन विलीनं स्यात् तस्य सामयिक-प्रकाशनस्य वर्ग-समङ्कः नाम च प्रथम: अंश: भवति,

२ 'इत्येतेन एकीभूतम्' इति वाक्यांशः द्वितीयः अंशः भवति ।

८४१ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ४१ प्रकार की जटिलता हो वहां जो आख्या विलय के अनन्तर भी प्रचलित हो उस आख्या के लिए नवीन-प्रधान-पत्रक लिखा जाय ।

८४११ नवीन-प्रधान-पत्रक में वही वर्ग-समंक होगा जो उस *आख्या से युक्त पूर्व-प्रधान-पत्रक में होगा;* अतः वे सभी पत्रक ०३८१ धारा तथा उसकी उपधारा के अनुसार सन्तत-पत्रक-संघात कहे जाते हैं ।

८४१२ सभी विलीन प्रकाशनों के प्रधान-पत्रकों में तथा चालू आख्या से युक्त पूर्व-पत्रक में समंकन, ७१५२ धारा के अनुसार 'प्रकाशन-पूरित-समंकन' कहा जाता है ।

८४१३ नवीन प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ।

८४१३० वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८४१३१ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं ।

८४१३१० वे दो अंश निम्नलिखित हैं :—

१ एकीभूत सामयिक-प्रकाशन का वर्ग-समंक और आख्या प्रथम अंश होता है;

२ "को विलीन करता है" यह वाक्यांश द्वतीय अंश होता है;

८४१३१०१ प्रत्येक प्रकाशन से सम्बद्ध विवरण पृथक् वाक्य माना जाय ।

८४१४ नवीन प्रधान-पत्रक के अतिरिक्त अनुच्छेद में उल्लिखित प्रत्येक सामयिक-प्रकाशन के अन्त्य-प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ।

८४१४० वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८४१४१ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं ।

८४१४१० वे अंश निम्नलिखित हैं :—

१ जिस सामयिक-प्रकाशन में प्रस्तुत प्रकाशन विलीन हो, उस सामयिक-प्रकाशन का वर्ग-समंक और नाम प्रथम अंश होता है;

२ 'में विलीन' यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है।

८४२ ८ धारा-परिगणित-४२ प्रकारक-जटिल-तायां ८४१ धारोपधारा-अनुकरणम्।

८४२ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ४२ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र ८४१ धारा तदुपधारा च अनुकार्याः।

८४२ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ४२ प्रकार की जटिलता हो, वहां ८४१ धारा और उसकी उपधाराओं का अनुसरण किया जाय।

८४२ उदाहरण

१.१ मढ७३.ढ६१

एजुकेशनल रिव्यू सपु १–७६. १८६१–१६२८.

[२ संपु प्रतिवर्ष १८६१–१६२८].

{ सपु. ७६ में अन्तिम दो अवदान नही }.

"म ढ ७३ य १५ स्कूल एण्ड सोसायटी में विलीन."

१.२ मढ७३·य१५

स्कूल एण्ड सोसायटी संपु. १–२७ १६१५–१६२८.

[२ सपु प्रतिवर्ष. १६१५–१६२८].

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

१ ३ मढ७३.थ१५ सन्तत.

स्कूल एण्ड सोसायटी सपु. २८–३८ १९२८–१९३३.
[२ संपु. प्रतिवर्ष १९२८–].
"म ढं ७३: ढ९१ एजुकेशनल रिव्यू को विलीन करता है."

सामयिक प्रकाशनो के एक दूसरे मे विलय भी बहुधा हुआ करते है। कभी कभी तो उनका विलय अकस्मात् हो जाता है। कभी इसकी सूचना प्राप्त हो भी जाती हैं। यदि आरम्भ में नही तो कम से कम विलय हो जाने के बाद ही पाठको का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर दिया जाता है। कुछ अवसरो पर, आख्या में थोडा सा ही अन्तर होता है। उसके अतिरिक्त और कोई सुझाव नही दिया होता। अन्तर को पहचानने का केवल एक वही चिह्न होता हैं। ऊपर जो उदाहरण दिए हुए हें उनमे यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार एक लम्बे समय से निकलने वाले समुच्चित को भी किसी अन्य समुच्चित मे अपना विलय कर डालना पडता है। एजुकेशनल रिव्यू समुच्चित ७६ सपुटो तक अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न सपादित करता रहा। वह अच्छी ठोस नीव पर सुदृढ हो कर जमा था। किन्तु न जाने सहसा ऐसी क्या आवश्यकता आ पडी कि उसे अपने से छोटे समुच्चित के साथ गठ-बन्धन करना पडा और वह भी ऐसे समय जब कि वह एक सपुट के मध्य में था। डा० फ्रैंक पीयरपाट ग्रेव्स, जो न्यूयार्क स्टेट कमिश्नर आफ एजुकेशन तथा युनिवर्सिटी आफ दि स्टेट आफ न्यूयार्क के प्रेजिडेन्ट थे, उन्होंने उस एजुकेशनल रिव्यू को कुछ वर्षों तक पाला-पोसा था। उन्होने बड़े ही करुण शब्दो में यह कहानी कही है कि किस प्रकार वह समुच्चित स्कूल एण्ड सोसायटी में विलीन हो गया।[33]

क्या यह एक दु.खमय घटना नहीं है कि इस प्रकार का एक समुच्चित अपना नाम-निशान खो बैठे? . . . कुछ भी हो, यह तो निर्णय हो चुका है कि नाम तथा रूप दोनों निर्णायक तत्त्व नही हैं। अब तो सन्तोष यही है और सौभाग्य इसी में है कि इस समुच्चित की भावना तथा तत्त्व ऐसे समुच्चित में समाविष्ट तथा सुरक्षित रखे जायेगें जो स्कूल एण्ड सोसायटी के नाम से शिक्षा जगत् के नेतृत्व के उच्च शिखर पर आसीन है।"

३३ स्कूल एण्ड सोसायटी. संपु २८. पृ ५२९.

इस अतिव्यापक स्कूल एण्ड सोसायटी ने १८७४ मे स्थापित स्कूल जर्नल तथा १८७८ मे स्थापित टीचर्स' मेगजीन को भी आत्मसात् कर लिया है।

उदाहरण

२ १ मढ७३.ढ६७

अमेरिकन एजुकेशन सपु. १–३२ १८६७–१६२८.
[१ सपु प्रतिवर्ष. १८६७–१६२८].
{ सपु. ३२ में केवल चार अवदान थे }.
"मढ७३ ढ८० एजुकेशन में विलीन".

२.२ मढ७३ ढ८०

एजुकेशन सपु १–४८. १८८०/१८८१–१६२७/१६२८.
[१ सपु प्रतिवर्ष १८८०।१८८१–१६२७।१६२८].
अनन्तर पत्रक में सन्तत.

२ ३ मढ७३.ढ८० सन्तत

एजुकेशन सपु ४६–५२ १६२८/१६२६–१९३२।१९३३.
[१ संपु. प्रतिवर्ष १६२८–१६२६–].
"मढ ७३ ढ६७ अमेरिकन एजुकेशन को विलीन करता है".

यहा पर जब अमेरिकन एजुकेशन सपुट ३२ के प्रथम चार अवदान प्रकाशित कर चुका था तब विलय की आवश्यकता आ पडी हो ऐसा प्रतीत होता है। कारण सपुट ३२ के चतुर्थ अवदान में निम्नलिखित शब्दो में स्पष्ट घोषणा थी।[३४]

"दिसम्बर के अवदान के आगे अमेरिकन एजुकेशन का पृथक् समुच्चित के रूप में अस्तित्व समाप्त होता है। वह एजुकेशन में विलीन हो रहा है।——"

विलय तथा एकीभाव के और भी अनेक विचित्र प्रकार पाये जाते है। ऊपर ऐसे दो उदाहरण दिए गए है जिनमे अवयव-रूप समुच्चितो का नाम-निशान ही मिट गया है। किन्तु ऐसे भी उदाहरण है जहा यह बात नही होती। वहा जीवित रहने वाला समुच्चित स्वागतकारी के रूप में व्यवहार करता है तथा साथ ही विलीन समुच्चितो के साथ अतिथि का व्यवहार किया जाता है और उन का

३४ पृ. १४८.

८४३१ प्रचलत्संपुटांकन-पूर्वाख्या-वर्ग-समंकत्वे ८४१ धारोपधारा-अनुकरणम् ।

८४३२ विभिन्नत्वे ८४४ धारोपधाराः ।

८४३ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ४३ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र नवीन-आख्यायै नवीनं प्रधान-पत्रक लेख्यम् ।

८४३१ यस्या पूर्वाख्यायाः सपुट-समङ्कन नवीनाख्याया प्रचलत् स्यात् तदीय एव वर्ग-समङ्क नवीनाख्याया अपि विद्यते चेत् ८४१ धारा तदीयोपधारा च अनुकार्याः ।

८४३२ नवीनाख्याया. नवीन एव वर्ग-समङ्क विद्यते चेत् ८४४ धारा तदीयोपधारा च अनुकार्या ।

८४३ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारो में से ४३ प्रकार की जटिलता हो, वहां नवीन आख्या के लिए नवीन प्रधान-पत्रक लिखा जाय ।

८४३१ जिस पूर्व आख्या का संपुट-समंकन नवीन आख्या में चालू हो यदि उसका ही वर्ग-समंक नवीन आख्या में भी विद्यमान हो, तो ८४१ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुकरण करना चाहिए ।

८४३२ नवीन आख्या में नवीन ही वर्ग-समंक विद्यमान हो, तो ८४४ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुकरण करना चाहिए ।

८४४ ८ धारा-परिगणित-४४ प्रकारक जटिलतायां नवीनाख्यायै नवीन-प्रधान-पत्रकम् ।

८४४१ नवीन-प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनम् ।

८४४१० उद्धार-कोष्ठके ।

८४४११ तत्रांशौ द्वौ ।

८४४११० यथा —

१ विलीन-सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-समंक-आख्ये;

२ 'इति एतद् एकीभावयति' इति वाक्यांशः च।

८४४११०१ प्रति-प्रकाशनं पृथक् वाक्यम् ।

८४४२ विलीन-प्रकाशन-पत्रकेषु प्रकाशन-पूरित-समंकनम् ।

८४४३ प्रति-विलीन-प्रकाशन-अन्त्य-प्रधान-पत्रकम् अतिरिक्ताधिसूचनम् ।

८४४३० तत्रांशौ द्वौ ।

८४४३१ यथा —

१ विलापक-प्रकाशन-वर्ग-समंक-आख्ये;

२ 'इत्यत्र विलीनम्' इति वाक्यांशः च ।

८४४ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ४४ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र नवीन-आख्यायै नवीन प्रधान-पत्रकं लेख्यम् ।

८४४१० तत् उद्धार-कोष्ठके लेख्यम् ।

८४४११ तत्रांशौ द्वौ ।

८४४११० तौ अंशौ निम्नर्निर्दिष्टौ भवतः —

१ विलीन-सामयिक-प्रकाशनस्य वर्ग-समङ्कः नाम च प्रथमः अंशः भवति;

२ 'इति, एतद् एकीभावयति' इति वाक्यांशः द्वितीयः अंश. भवति ।

८४४११०१　प्रत्येक-प्रकाशनस्य सम्बद्धं विवरणं पृथक् वाक्य ज्ञेयम् ।

८४४२　सर्वेषा विलीनानां प्रकाशनानां प्रधान-पत्रकेषु समङ्कन ७१५२ धारानुसारं 'प्रकाशन-पूरित-समङ्कनम्' इति उच्यते ।

८४४३　प्रत्येकस्य विलीनस्य प्रकाशनस्य अन्त्ये प्रधान-पत्रके अतिरिक्तम् अधिसूचनं लेख्यम् ।

८४४३०　तत्र यथाक्रम द्वौ अशौ भवतः ।

८४४३१　तौ द्वौ अशौ निम्ननिर्दिष्टौ भवतः—

१ यस्मिन् प्रकाशने प्रस्तुत प्रकाशनं विलीन स्यात् तस्य वर्ग-समङ्क आख्या च प्रथमः अंशः भवति;

२ 'इत्यत्र विलीनम्' इति वाक्यांशः द्वितीयः अशः भवति ।

८४४　जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारो में से ४४ प्रकार की जटिलता हो वहां नवीन आख्या के लिए नवीन-प्रधान-पत्रक लिखा जाय।

८४४१　नवीन-प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय।

८४४१०　वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८४४११　उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं।

८४४११०　वे दो अंश निम्नलिखित हे :—

१ विलीन-सामयिक-प्रकाशन का वर्ग-समंक और नाम प्रथम अंश होता है;

२ "को विलीन करता है" यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है;

२० प्रत्येक प्रकाशन से सम्बद्ध विवरण पृथक् वाक्य माना जाय।

८४४२　सभी विलीन प्रकाशनों के प्रधान-पत्रकों में समंकन ७१५२

धारा के अनुसार 'प्रकाशन-पूरित-समंकन' कहा जाता है।

८४४३ प्रत्येक विलीन प्रकाशन के अन्त्य-प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय।

८४४३० उसमें क्रमशः दो अंश होते हैं।

८४४३१ वे दो अंश निम्नलिखित हैं :—

१ जिस प्रकाशन में प्रस्तुत प्रकाशन विलीन हो उसका वर्ग-समंक और आख्या प्रथम अंश होता है;

२ "में विलीन" यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है।

८४४३१ उदाहरण

१.१ जर२ढ७३ य१७

एब्स्ट्रेक्ट्स आफ बेक्टेरियालाजी. सपु १–१०. १९१७–१९२६.

[१ सपु. प्रतिवर्ष १९१७–१९२६].

"चढं ७३. य२७ वायोलाजिकल एब्स्ट्रेक्ट्स में विलीन"

१.२ जढ७३.य२०

बोटानिकल एब्स्ट्रेक्ट्स सपु. १–७. १९२०–१९२६

[१ सपु. प्रतिवर्ष १९२०–१९२६].

"चढ७३.य२७ बाओलाजिकल एब्स्ट्रेक्ट्स में विलीन"

१.३ चढ७३.य२७

बाओलॉजिकल एब्स्ट्रेक्ट्स. सपु १–७. १९२७–१९३३.

[१ सपु. प्रतिवर्ष. १९२७–].

"जढ७३ य२० बोटानिकल एब्स्ट्रेक्ट्स तथा जर२ढ७३ य१७ एब्स्ट्रेक्टस आफ बेक्टेरिओलाजी को विलीन करता है."

---

८५ अनेकीकृतम्

८५१ **८ धारा-परिगणित-५१ प्रकारक-जटिल-तायां प्रति-अनेकीभूत-प्रकाशनं नवीन-प्रधान-पत्रकम्।**

८५११ पूर्व-प्रचलद्वर्ग-समंक-प्रकाशन-प्रधान-पत्रके सन्तत-पत्रक-संघातः ।

८५१२ पूर्व-प्रधान-पत्रके 'प्रकाशन-पूरित-समंकनम्' ।

८५१३ मूल-प्रकाशन-प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधि-सूचनम् ।

८५१३० उद्धार-कोष्ठके ।

८५१३१ तत्रांशौ द्वौ ।

८५१३१० यथा —

१ प्रचलद्वर्ग-समंक-इतर-अनेकी-भावाश्रय-प्रति-प्रकाशन-वर्ग-समंक-आख्ये;

२ 'इत्येवमंशतोऽनेकीभूतम्' इति वाक्यांशः च ।

८५१३१०१ प्रति-प्रकाशनं पृथक् वाक्यम् ।

८५१४ प्रचलद्वर्ग-समंक-इतर-प्रति-अनेकीभूत-प्रकाशन-प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनम् ।

८५१४० उद्धार-कोष्ठके ।

८५१४०१ तत्रांशौ द्वौ ।

८५१४०१० यथा —

१ मूल-प्रकाशन-वर्ग-समंकाख्ये;

२ इत्यस्मादंशतोऽनेकी-भूतम्' इति वाक्यांशः च ।

८५१४०१०१ प्रति-प्रकाशनं पृथक् वाक्यम् ।

८५१ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ५१ प्रकारका जटिलता स्याद् तत्र मूलभूतं सामयिक-प्रकाशनम् अनेकीभूय यत् यत् सामयिक-प्रकाशन-रूप स्वीकरोति तस्य तस्य प्रत्येकस्य सामयिक प्रकाशनस्य कृते नवीन प्रधान-पत्रकं लेख्यम् ।

८५११ पूर्व प्रधान-पत्रकं, येन प्रकाशनेन च पूर्व वर्ग-समङ्कः पुनरपि धारित. स्यात् तस्य प्रकाशनस्य प्रधान-पत्रकम् उभे अपि ०३८१ धारानुसार 'सन्तत-पत्रक-संघात.' इति उच्यते ।

८५१२ पूर्वस्मिन् प्रधान-पत्रके समङ्कनम् ७१५२ धारानुसारं 'प्रकाशन-पूरित-समङ्कनम्' इति उच्यते ।

८५१३ मूलभूतस्य प्रकाशनस्य प्रधान-पत्रके अतिरिक्तम् अधिसूचन लेख्यम् ।

८५१३० तत् उद्धार-कोष्ठके लेख्यम् ।

८५१३१ तस्मिन् अधिसूचने यथाक्रमं द्वौ अशौ भवत ।

८५१३१० तौ अशौ निम्ननिर्दिष्टौ भवत —

१ यस्मिन् अनेकीभावाश्रये सामयिक प्रकाशने पूर्व वर्ग-समङ्क प्रचलत् स्यात् तस्मात् इतरस्य प्रत्येकस्य अनेकीभावाश्रयस्य प्रकाशनस्य वर्ग-समङ्कः आख्या च इति प्रथम अंश. भवति,

२ 'इत्येवमशतोऽनेकीभूतम्' इति वाक्यांश च द्वितीयः अंशः भवति ।

८५१३१०१ प्रति-प्रकाशन पृथक् वाक्यं ज्ञेयम् ।

८५१४ यस्मिन् अनेकीभावाश्रये सामयिक-प्रकाशने पूर्वः वर्ग-समङ्क प्रचलत् स्यात् तस्मात् इतरस्य प्रत्येकस्य

अनेकीभावाश्रयस्य प्रकाशनस्य प्रधान-पत्रके अतिरिक्तम् अधिसूचनं लेख्यम् ।

८५१४० तत् उद्धार-कोष्ठके लेख्यम् ।

८५१४०१ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अंशौ भवतः —

८५१ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ५१ प्रकार की जटिलता हो, वहां मूल-भूत-सामयिक-प्रकाशन अनेक होकर जिस जिस सामयिक-प्रकाशन का रूप स्वीकार करे, उस उस सामयिक-प्रकाशन के लिए नवीन प्रधान-पत्रक लिखा जाय ।

८५११ पूर्व-प्रधान-पत्रक, और प्रकाशन के द्वारा पूर्व - समंक फिर भी धारण किया गया हो, उस प्रकाशन का प्रधान-पत्रक दोनों ही ०३८१ धारा के अनुसार 'सन्तत-पत्रक-संघात' कहे जाते हैं ।

८५१२ पूर्व-प्रधान-पत्रक में समंकन ७१५२ धारा के अनुसार 'प्रकाशन पूरित-समंकन' कहा जाता है ।

८५१३ मूलभूत प्रकाशन के प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ।

८५१३० वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८५१३१ इस अधिसूचन में क्रमशः दो अंश होते हैं ।

८५१३१० वे अंश निम्नलिखित हैं :—

१ जिस अनेक बने हुये सामयिक-प्रकाशन में पूर्व वर्ग-समंक चालू हो उससे अन्य अनेक बने हुये प्रत्येक प्रकाशन का वर्ग-समंक और आख्या प्रथम अंश होता है;

२ 'इस प्रकार अंशतः अनेकीभूत' यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है ;

८५१३१०१ प्रति-प्रकाशन पृथक् वाक्य माना जाय ।

८५१४ जिस अनेक बने हुये सामयिक-प्रकाशन में पूर्ववर्ग-समंक चालू हो, उससे अन्य अनेक बने हुये प्रत्येक प्रकाशन के प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ।

८५१४० वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय।

८५१४०१ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं।

८५१४०१० वे दो अंश निम्नलिखित हैं :—

१ मूल प्रकाशन का वर्ग-समंक और आख्या प्रथम अंश होता है; और

२ 'में से अंशतः अनेकीभूत' यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है।

८५१४०१०१ प्रति-प्रकाशन पृथक् वाक्य माना जाय।

८५१४०१० इस अध्याय की धारा ८६३ के अन्तर्गत उदाहरण १५ तथा २.४ द्रष्टव्य हैं।

८५२ ८ धारा-परिगणित-५२ प्रकारक-जटिलतायां ८५१ धारोपधारा-अनुकरणम्।

८५२० निर्दिश्यमानस्तु विशेषः।

८५२०१ 'अंशतः' इति न।

८५२ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ५२ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र ८५१ धारा तदुपधारा च अनुकार्याः।

८५२०१ 'अंशतः' इत्यस्य लोपः कार्यः।

८५२ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ५२ प्रकार की जटिलता हो वहां ८५१ धारा और उसकी उपधाराओं का अनुसरण करना चाहिए।

८५२० निम्नलिखित विशेष माना जाय।

८५२०१ 'अंशतः' इसका लोप किया जाय।

८५२०१ उदाहरण

११ ५४२ ढ८७

जर्नल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो सपु १–४५. १८८७–१९२५.

[निरवधिक १८८७–१९२५]

"इढ४२ थ२५ जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो. खण्ड १, इदि; छ ढं ४२. थ २५ जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो. खड २ इदि ; ज ढ ४२ थ२५ जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइंस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो. खण्ड ३ इदि , ट ढ ४२. थ २५ जर्नल आफ दिफेकल्टी आफ साइंस, इम्पीरिल युनिवर्सिटी आफ टोकियो खण्ड ४ इदि ; स७ढं४२ थ२५ जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो खण्ड ५ इदि इस प्रकार अनेकीभूत"

१२ इ ढ ४२: थ २५

जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो, खण्ड १, इदि. सपु १– . १९२५।१९२६–

[निरवधिक १९२५–१९२६–]

"५४२ ढ ८७ जर्नल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो मे से अनेकीभूत."

इस समुच्चित का द्वितीय सपुट १९३४ तक पूर्ण नही हुआ था।

१.३ छ ढ ४२ थ २५

जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो, खण्ड २, इदि सपु १–२. १९२५।१९२७–१९२९/१९३०

[निरवधिक. १९२५।१९२७–]

"५४२. ढ ८७ जर्नल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ टोकियो में से अनेकीभूत."

१.४ ज ढं ४२: थ२५

जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिर्वासिटी आफ टोकियो, खंड ३ इदि सपु. १–४ १९२५।१९२७–१९३२/१९३३

[निरवधिक. १९२५।१९२७–]

"५४२·ढ८७ जर्नल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल युनिर्वासिटी आफ टोकियो में से अनेकीभूत."

१५ ट ढ ४२: थ २५

जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिर्वासिटी आफ टोकियो, खड ४ इदि. सपुक्र १–२ १९२५।१९२९–१९२८–१९३१

[निरवधिक. १९२५।१९२९–].

"५४२· ढ ८७ जर्नल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल युनिर्वासिटी आफ टोकियो मे से अगेकीभूत."

१६ स ७ ढ ४२: थ २५

जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिर्वासिटी आफ टोकियो, खण्ड ५, इदि. मपु. १*— . १९२५—

[निरवधिक. १९२५– .]

"५४२: ढ ८७ जर्नल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल युनिर्वासिटी आफ टोकियो मे से अनेकीभूत."

*सब से अन्त में उल्लिखित समुच्चित का प्रथम सपुट भी १९३४ तक पूर्ण न हो पाया था। प्रथम सपुट की पूर्णता पर उपरोक्त चिन्ह मिटा देना चाहिए। ८६०१ प्रधान पत्रक में पृष्ठ भाग के दक्षिण पार्श्व में उन सभी एकात्मक पुस्तकों का निर्देश होगा जो सामयिक प्रकाशन के भाग रूप में विद्यमान होगी।

८६१ अनुगतम्

अनुगत

८६१ ८-धारा-परिगणित-६१ प्रकारक-जटिल-तायाम् अनुगतस्य विषयान्तर-संलेखः।

८६१० ७२१ धारा-अनुकरणम्।

८६१ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ६१ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र अनुगतस्य विषयान्तर-संलेखः लेख्यः ।

८६१ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारो में से ६१ प्रकार की जटिलता हो वहां अनुगत के लिए विषयान्तर-संलेख लिखा जाय।

८६१० ७२१ धारा का अनुकरण करना चाहिए।

८६२२० १४३ धारोपधाराः प्रमाणम् ।

८६२३ सामयिक-प्रकाशन-संपुट-सह-संपुटित-पूर्वोक्त-प्रकारक-अनुगतम् ६१ प्रकारक-वत् ।

८६२ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ६२ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र प्रत्येकम् एकात्मकम् अनुगतं पुस्तक वा सामयिक-प्रकाशनात् पृथक् कार्यम् ।

८६२० पूर्वोक्तस्य पृथक्कृतस्य अनुगतस्य पुस्तकस्य वा सूचीकरणं पृथक् पुस्तकवत् कार्यम् ।

८६२१ सामयिक-प्रकाशनस्य यथोचिते प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनं लेख्यम् ।

८६२१० तत् उद्धार-कोष्ठके लेख्यम् ।

८६२११ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अंशौ भवतः ।

८६२२ पृथक्कृतस्य पुस्तकस्य प्रधान-पत्रके यथोचितम् उद्गृहीत-अधिसूचनं लेख्यम् ।

८६२२० उद्गृहीतस्य अधिसूचनस्य लेखने १४३ धारा तदीया उपधाराश्च प्रमाणत्वेन स्वीकार्याः ।

८६२३ पूर्वोक्त-प्रकारकम् अनुगतं कदाचित् सामयिक-प्रकाशनस्य संपुटेन सह संपुटितं चेत् तस्य सूचीकरणं तथा कार्यं यथा तत् ६१ प्रकारक स्यात् ।

८६२ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ६२ प्रकार की जटिलता हो वहां प्रत्येक एकात्मक अनुगत अथवा पुस्तक को सामयिक प्रकाशन से पृथक् किया जाय ।

८६२० पूर्वोक्त पृथक् किए हुये अनुगत अथवा पुस्तक का सूचीकरण पृथक् पुस्तक की भांति किया जाय ।

८६२१ सामयिक प्रकाशन के यथोचित प्रधान-पत्रक म अतिरिक्त *अधिसूचन लिखा जाय ।*

८६२१० वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८६२११ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं ।

८६२११० वे अंश निम्नलिखित हैं :—

१ 'अनुगत के लिए द्रष्टव्य' यह वाक्यांश प्रथम अंश होता है; और

२ पृथक् की हुई पुस्तक की क्रामक-समंक द्वितीय अंश होता हैं;

८६२११०१ प्रत्येक क्रामक-समंक पृथक् वाक्य माना जाय ।

८६२२ पृथक् की हुई प्रत्येक पुस्तक के प्रधान-पत्रक में यथोचित उद्गृहीत-अधिसूचन लिखा जाय ।

८६२२० उद्गृहीत-अधिसूचन के लिखने में १४३ धारा और उसकी उपधारा प्रमाण रूप से स्वीकार की जाय ।

८६२३ पूर्वोक्त प्रकार का अनुगत कदाचित् सामयिक-प्रकाशन के संपुट के साथ संपुटित हो तो सूचीकरण उस प्रकार किया जाय मानों वह ६१ प्रकार का हो ।

८६३ ८-धारा-परिगणित-६३ प्रकारक जटिलतायाम् अनुगत-कक्षाः स्वतंत्र-सामयिक-प्रकाशन-वत् ।

८६३१ प्रधान-प्रकाशन-प्रधान-पत्रके
अतिरिक्ताधि सूचनम् ।

८६३१० उद्धार-कोष्ठके ।

८६३११ तत्रांशौ द्वौ ।

८६३११० यथा—
१ अनुगत-वर्ग-समंकाख्ये;
२ 'इति अनुगतम्' इति वाक्यांश ।

८६३११०१ प्रति-अनुगतं पृथक् वाक्यम् ।

८६३२ अनुगत-प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनम् ।

८६३२० उद्धार-कोष्ठके ।

८६३२०१ तत्रांशौ द्वौ ।

८६३२०१० यथा —
१ प्रधान-प्रकाशन-वर्ग-समंक-आख्ये;
२ 'इत्यस्य प्रस्तुतम् अनुगतम्' इति वाक्यांशः च ।

८६३ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु ६३ प्रकारका जटिलता स्यात् तत्र अनुगत-कक्षाया. सूचीकरण तथा कार्य यथा तत् स्वतन्त्र-सामयिक-प्रकाशन स्यात् ।

८६३१ प्रधान-प्रकाशनस्य संवादिनि प्रधान-पत्रके अतिरिक्तम् अधिसूचन लेख्यम् ।

८६३१० तत् उद्धार-कोष्ठके लेख्यम् ।

८६३११ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अंशौ भवतः ।

८६३२ अनुगतस्य प्रधान-पत्रके अतिरिक्तम् अधिसूचन लेख्यम् ।

८६३२० तत् उद्धार-कोष्ठके लेख्यम् ।

८६३२०१ तस्मिन् अधिसूचने द्वौ अंशौ भवतः ।

८६३ जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ६३ प्रकार की जटिलता हो, वहां अनुगत कक्षा का सूचीकरण उस प्रकार किया जाय मानों वह स्वतन्त्र सामयिक-प्रकाशन हो ।

८६३१ प्रधान प्रकाशन के संवादी प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ।

८६३१० वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८६३११ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं ।

८६३११० वे अंश निम्नलिखित हैं :—

१ अनुगत का वर्ग-समंक और आख्या प्रथम अंश होता है;

२ 'इससे अनुगत' यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है;

८६३११०२ प्रत्येक अनुगत पृथक् वाक्य माना जाय ।

८६३२ अनुगत के प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त-अधिसूचन लिखा जाय ।

८६३२० वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय ।

८६३२०१ उस अधिसूचन में दो अंश होते हैं ।

८६३२०१० वे अंश निम्नलिखित हैं :—

१ प्रधान-प्रकाशन का वर्ग-समंक और आख्या प्रथम अंश होता है;

२ 'इसका प्रस्तुत अनुगत' यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है;

८६३२०१० इस अध्याय की धारा ८६३ के अन्तर्गत उदाहरण ३-२५ द्रष्टव्य है ।

८६२. ८-धारा-परिगणित-६२ प्रकारक-जटिलतायां प्रति-एकात्मक-अनुगत-पुस्तक-अन्यतरत् पृथक्कार्यम् ।

८६२० पृथक्-पुस्तकवत् ।

८६२१ सामयिक-प्रकाशन-प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनम् ।

८६२१० उद्धार-कोष्ठके ।

८६२११ तत्रांशौ द्वौ ।

८६२११० यथा —

१ 'अनुगताय द्रष्टव्यम्' इति वाक्यांशः;

२ पृथक्कृत-पुस्तक-क्रामक-समंकः च ।

८६२११०१ प्रत्येकं पृथक् वाक्यम् ।

८६२२ पृथक्कृत-पुस्तक-प्रधान-पत्रके उद्गृहीत-अधिसूचनम् ।

८६४ **प्रधान-सामयिक-प्रकाशन-समहक-निर्देशि-समाविष्ट-पृथक्-सामयिक-प्रकाशन-पृथक्-पुस्तक-सूचीकृत-अनुगत, समूहक-निर्देशि-यथोचित-संपुटेषु पृथक्कृत-अनुगत-वर्ग-क्रामक-समंकान्यतरः ।**

८६४ पृथक्-सामयिक-प्रकाशन-वत् पृथक् पुस्तक-वत् वा सूचीकृतानि अनुगतानि प्रधानस्य सामयिक-प्रकाशनस्य समूहक-निर्देशिनि समाविष्टानि चेत् समूहक-निर्देशिनः यथोचितेषु संपुटेषु पृथक्कृतानाम् अनुगताना वर्ग-समङ्काः क्रामक-समङ्काः वा लघु-पत्र-खण्डेषु लिखित्वा मुद्रापयित्वा वा यथोचितं निवेशनीयाः ।

८६४ पृथक् सामयिक प्रकाशन की भांति अथवा पृथक् पुस्तक की भांति सूचीकृत अनुगत यदि प्रधान सामयिक-प्रकाशन के समूहक-निर्देशी में समाविष्ट हों, तो समूहक-निर्देशी के यथोचित संपुटों में पृथक् किए हुए अनुगतो के वर्ग-समंक अथवा क्रामकसमंक लघु-पत्र-खण्डों में लिखकर अथवा छापकर यथोचित अन्दर लगाए जायं।

८६४ उदाहरण

१.१ ५०२: २: थ२७

जर्नल आफ ओरिएन्टल रिसर्च. सपु १–७ १९२७—१९३३

[१ सपु. प्रतिवर्ष. १९२७–].

"अनुगतो के लिए द्रष्टव्य फ६६श ख७० १ १५ च २ द १५: २ ख ३५: २६ च १. न ३१ ख सश १०१ च०".

१.२ फ ६६ श ख ७०: १ १५ च २

मण्डन मिश्र.

विभ्रमविवेक एस. कुप्पुस्वामी शास्त्री तथा टी. वी रामचंद्र दीक्षीतार सपा.

(मद्रास ओरिएन्टल सीरीज, १) (जर्नल आफ ओरिएन्टल रिसर्च, सपु. १, १९२७ का अनुगत).

६१६१६

१.३ द १५: २ख३५: २६ च १

भास.

वीणावासवदत्तम्. एस कुप्पुस्वामी शास्त्री भूमिकाकार.

(मद्रास ओरिएन्टल सीरीज़, २). (जर्नल आफ ओरिएन्टल रिसर्च, सपु. १, ३–५, १९२७, १९२९–१९३१ का अनुगत)

६१६१७

१.४ न ३१: खश १०१ च०
तोल्काप्पियम् . . . .अंग्रेजी व्याख्या सहित, पी. एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री सपा. सपु १. एलुत्ततिकारम्
(मद्रास ओरिएन्टल सीरीज, ३).(जर्नल आफ ओरिएन्टल रिसर्च, सपु. २–४, १९२८–१९३० का अनुगत).
६१६१८

जटिलता-संकर

अब तक हमने गणितज्ञों की प्रथा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक प्रकार की जटिलता का पृथक् रूप से विचार किया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमने उन्हीं उदाहरणों की चर्चा की है जिनमें विशिष्ट प्रकार की कोई जटिलता स्वतन्त्र रूप से एक मात्र विद्यमान थी और उसके साथ किसी प्रकार की जटिलता मिश्रित न थी। यह केवल इसी उद्देश्य से किया कि विषय भली भाति आगे बढ़े। किन्तु वास्तविक जीवन मे जटिलताए इस प्रकार एक एक करके नही आती। यही बात सामयिको के सम्बन्ध में भी है। कदाचित् ही ऐसा होता हो कि वास्तविक व्यवहार में कोई मूल जटिलता स्वतन्त्र रूप से कही विद्यमान हो। इसके विपरीत प्रत्येक प्रकार की जटिलताए मिश्रित हो कर अपना चमत्कार दिखाया करती है। ऐसी परिस्थिति में सभी ज्ञातव्य बातो का उल्लेख होना चाहिए। अनुसन्धान की सुविधा के लिए हम यह व्यवस्था कर सकते है कि विभिन्न अधिसूचनो को विभिन्न नामो से पुकारे। जो अधिसूचन वृत्त कोष्ठको मे लिखे हो वे प्रथम जाति के अधिसूचन कहे जायँ; जो ऋजुकोष्ठको मे लिखे हो वे द्वितीय जाति के अधिसूचन कहे जायँ; जो वक्र-कोष्ठको मे लिखे हो वे तृतीय जाति के अधिसूचन कहे जायँ; तथा जो उद्धारचिन्हो मे लिखे हो वे चतुर्थ जाति के अधिसूचन कहे जायँ। यदि विभिन्न जाति के दो अथवा अधिक अधिसूचन एक ही प्रधान-पत्रक में आयें तो उस प्रधान-पत्रक के लिखने के लिए निम्नलिखित धाराएँ व्यवहार में लाई जायँ।

८९१ सजाति-अधिसूचनानि एकानुच्छेदे।

८९१० पृथक् वाक्यम्।

८९२ विजातीयानि पृथक्।

१.३ इढ३ ट६०१ सन्तत २.

प्रोसीडिंग्स आफ दि रायल सोसायटी आफ लन्दन. सपु. ८–५३. १८५६/१८५७–१८६३.

[निरवधिक १८५५/१८५६–१९०४-१९०५].

"च ढं ३: ट ६०१ प्रोसीडिंग्ज आफ दि रायल सोसायटी आफ लन्दन, सीरीज् बी. इदि. अंशत अनेकीभूत".

अनन्तर पत्रक मे सन्तत.

---

१४ इ ढ ३: ट ६०१ सन्तत ३.

प्रोसीडिंग्स आफ दि रायल सोसायटी आफ लन्दन. सीरीज ए. इदि संपु. ११५–१४२. १९२७–१९३३.

[निरवधिक. सपु ७६– . १९०५–].

१.५ च ढं ३: ट ६०१

प्रोसीडिंग्स आफ दि रायल सोसायटी आफ लदन. सीरीज्. बी. इदि. सपु ७७–९५. १०१–११३ १९०५/१९०६–१९२३ १९२७–१९३३

[निरवधिक. सपु. ७६– . १९०५–]

"इ ढं ३. ट ६०१ प्रोसीडिंग्स आफ दि रायल सोसायटी आफ लन्दन मे से अशतः अनेकीभूत".

२.१ ऊ ढ २: थ ०७

जर्नल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल क्लब. संपु. १–२. १९०८–१९१०

[१ सपु. प्रतिवर्ष. १९०८–१९१०]

{ १९०९ में सपु. नही} { सपु. १–२ सहसपुटित }.

अनन्तर पत्रक मे सन्तत.

२.२ ऊढ २·थ०७ सन्तत १.

जर्नल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी सपु ३–१४. १९११–१९२२.

[१ संपु. प्रतिवर्ष. १९११–१९२२]

{ सपु. ३–४; ५–६, ७–८, ९–१०; ११–१२; १३–१४ सह-संपुटित }.

अनन्तर पत्रक में सन्तत

२.३ ऊ ढ २: थ ०७ सन्तत २.

जर्नल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी संपु १५–१९. १९२३/१९२४–१९३१/१९३२.

[१ सपु प्रति दो वर्ष १९२३/१९२४–१९३१/१९३२].

"सपु १६ से लेकर प्रत्येक सपुट के साथ ऊ न २ थ १६ रिपोर्ट आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी, कान्फरेन्स अनुगत है"

"ऊ ढं २· थ ०७१ मेथमेटिक्स स्टूडेन्ट आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी इस प्रकार अशत अनेकीभूत".

२४ ~ ऊ ढं २: थ ०७१

मेथमेटिक्स स्टूडेन्ट आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी. संपु. १– . १९३३–

[१ सपु. प्रतिवर्ष. १९३३–].

"ऊ ढं २: थ०७ जर्नल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी में से अशत अनेकीभूत."

२.५ ऊ न २· थ१६

रिपोर्ट आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी, कान्फेरेन्स संपु. ४–७. १९२४–१९३१.

[१ संपु. प्रति दो वर्ष. १९२४–].

[सपु. ४ तथा ५ ऊ ढ २· थ०७ इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी जर्नल के क्रमशः सपु. १५ तथा १६ के साथ सपुटित]. [सपु १–४ पृथक् प्रकाशित नही, अपितु ऊढ२.थ०७ जर्नल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी के सपु ६, ११, १३ तथा १५ मे समाविष्ट]·

"ऊ ढ २ थ०७ जर्नल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी का अनुगत"

---

३ १ क ढं ५५. ड ६६

अनालन देर् फीजीक बी. १–३०; ३१–६०(=नाइय फाल्ग बी १–३०). १७६६–१८१६.

[३ बी प्रतिवर्ष १७६६–१८१६]

अनन्तर पत्रक में सन्तत

---

३ २ क ढ ५५· ड ६६ सन्तत १.

अनालन देर् फीजीक् उन्त देर् फीजीकालिशन खेमी बी. ६१–७६. (=नाएस्त फाल्ग बी. १–१६). १८१६–१८२४.

[३ बी. प्रतिवर्ष. १८१६–१८२४]

अनन्तर पत्रक में सन्तत

---

३ ३ क ढं ५५: ड ६६ सन्तत २

अनालन देर् फीजीक् उन्त खेमी बी १–११.(–गान्त्स फाल्ग ७७–८७) १८२४–१८२७.

[३ बी. प्रतिवर्ष १८२४–१८२७]

"प्रत्येक सपुट में एक अवान्तर आख्यापत्र है, जिस मे अनालन् देर फीजीक आख्या दी हुई है"

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

---

३ ४ क ढ ५५. ड ६६ सन्तत ३

अनालन देर् फीजीक् उन्त खेमि बी १२–३० (=गान्त्स फाल्ग ८८–१०६). १८२८–१८३३

[३ बी. प्रतिवर्ष. १८२८–१८३३].

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

३.५ क ढ ५५: ड ६६ सन्तत ४.

अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी बी ३१–६० (=रैंअ २, बी. १–३० =गान्त्स फाल्ग १०७–१३६). १८३४-१८४३

[३ बी प्रतिवर्ष १८३८–१८४३].

"क ढं ५५: ड ६६१ अनालन् देर फीज़ीक् उन्त खेमी, एर्गेन्त्सुङ-स्वान्त से अनुगत."

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

३.६ क ढं ५५: ड ६६ सन्तत ५

अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी बी ६१–९० (=रैंअ ३, बी १–३०=गान्त्स फाल्स १३७-१६६). १८४४–१८५३

[३ बी. प्रतिवर्ष १८४४–१८५३]

"क ढ ५५: ड ६६१ अनालन् देर फीज़ीक् उन्त खेमी, एर्गेन्त्सुङ-स्वान्त से अनुगत."

अनन्तर पत्रक मे सन्तत.

३.७ क ढ ५५ ड ६६ सन्तत ६.

अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी बी. ९१–१२० (=रैंअ ४, बी. १–३० =गान्त्स फाल्ग १६७–१९६). १८५४–१८६३.

[३ बी. प्रतिवर्ष. १८४५–१८६३]

"क ढं ५५. ड ६६१ अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी, एर्गेन्त्सुङस्वान्त से अनुगत"

अनन्तर पत्रक में सन्तत

३.८ क ढ५५: ड ६६ सन्तत ७.

अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी बी. १२१–१५० (=रैंअ ५, बी. १–३० =गान्त्स फाल्ग १९७– २२६ २६). १८६४–१८७३.

[३ बी प्रतिवर्ष. १८६४–१८७३]

"क ढं ५५. ड ६६१ अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी, एर्गेन्त्सुङस्वान्त से अनुगत."

अनन्तर पत्रक में सन्तन.

३.९ क ढ ५५ ड ९९ सन्तत ८

अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी बी. १५२–१६० (=रैंअ ६, बी. १–३०=गान्त्स फाल्ग २२७–२३६) १८७४–१८७७.

[३ बी. प्रतिवर्ष १८७४–१८७७].

"क ढं ५५: ड ९९१ अनालन् देर् की फीज़ीक् उन्तखेमी, एर्गेन्त्सुडस्वन्त स्वान्त से अनुगत" "क झड ९ ६ इ से अनुगत."

अनन्तर पत्रक मे सन्तत.

३.१० क ढ ५५· ड ९९ सन्तत ९.

अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी नाइय फाल्ग बी. १–६९ (=गान्त्स फाल्ग २३७–३०५). १८७७–१८९९.

[३ बी प्रतिवर्ष १८७७–१८९९].

"क ढं ५५· ड ९९१ अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी, एर्गेन्त्सुडस्वान्त से अनुगत."

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

३.११ क ढ ५५· ड ९९ सन्तत १०.

अनालन देर् फीजीक्. फाल्ग ४. बी १–८७ (=गान्त्स रैंअ ३०६–३९२). १९००–१९२८.

[३ बी. प्रतिवर्ष. १९००–१९२८].

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

३.१२ क ढ ५५:ड ९९ सन्तत ११.

अनालन् देर् फीजीक्. फाल्ग ५, बी १–३ (=गान्त्स रैंअ ३९२–३९५). १९२९.

[३ बी. प्रतिवर्ष. १९२९].

अनन्तर पत्रक में सन्तत.

३.१३ क ढ ५५: ड ९९ सन्तत १२.

अनालन् देर् फीजीक्. फाल्ग ५, बी. ४–१५ (=गान्त्स रैंअ ३९६–४०७). १९३०–१९३२

अनन्तर पत्रक में सन्तत

सन्तत १३

३.१४ क ढ ५५: ड ६६
अनालन् देर् फीजीक् फाल्ग ५., बी. १६–१६ (गान्स रैअ ४०८–४११). १६३३–
[३ बी. प्रतिवर्ष. १६३३]

३.१५ क ढं ५५ ड ६६१
अनालन देर् फीजीक् उन्त खेमी, एर्गेन्त्सुङ्स्वान्त. वी १-८. १८४२-१८७८.
[निरवधिक. १८४२-१८८८]
"क ढ ५५: ड ६६ अनालन् देर् फीजीक् उन्त खेमी का अनुगत."

३.१६ क ढ झ ड ६६ इ
अनालन देर् फीज़ीक् उन्त खेमी, मुबेल्वान्त् देम् हेरौसगेबर् योत्. त्से. फागेन्दार्फ इदि
"क ढं ५५: ड ६६ अनालन् देर् फीज़ीक् उन्त खेमी का अनुगत."
५००१

उपर्युक्त विवेचन से यह भली भाति स्पष्ट हो गया होगा कि सामयिक प्रकाशनो की समस्याओं का सुलझाना सरल कार्य नही है। किन्तु सामयिक प्रकाशन ही किसी जाति-विशेष की गवेषणा-प्रवृत्ति का मेरु-दण्ड माना जाता है। वही उनका प्राण-तत्त्व होता है। अत ससार के अधिकाश देशो में ग्रन्थालय-व्यवसाय, विद्वत्-समष्टिया, विश्वविद्यालय तथा प्रशासन—इन सब में सहयोग-भावना का अभ्युदय हुआ है; जिसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न ग्रन्थालयो को सुविधाए प्रदान की जाय तथा ग्रन्थालय सूची को अधिक से अधिक प्रामाणिक वनाया जाय। प्रामाणिकता के विना खोज कार्य को गति नही मिल सकती। इस प्रकार के सहयोग से कई देशो में अनेक ग्रन्थसूची-सम्बन्धी साधनो का सृजन हुआ है। इस प्रकार के ग्रन्थसूचीय स्रोतों की विस्तृत सूची १६३१ में लायब्रेरी आफ काग्रेस द्वारा प्रकाशित गाइड टु दि केटलागिंग आफ दि सीरियल पब्लिकेशन्स आफ सोसायटीज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, आवृ. २ के अ. ७६–११६ पर है। यह ठीक है कि कुछ स्रोतों का मूल्य नगण्य-सा है, किन्तु उन में से कतिपय स्रोत ऐसे भी है जिन की विशदता तथा प्रामाणिकता देख कर आश्चर्यचकित रह जाना पडता है। इस प्रकार का एक उदाहरण, लायब्रेरी आफ काग्रेस के सहयोग द्वारा कार्निजी इन्स्टीट्यूशन आफ

वाशिंगटन से उसकी ग्रन्थमाला के ३९वें अवदान के रूप में १९०८ में प्रकाशित हेण्डबुक आफ लर्नेड सोसायटीज़ एण्ड इन्स्टीटयूशन्स: अमेरिका है। इस प्रकार का दूसरा उदाहरण है:—बुलेटिन आफ दि नेशनल रिसर्च कौन्सिल आफ दि युनाइटेड स्टेट्स के ७६वें अवदान के रूप मे १९३० में प्रकाशित हेण्डबुक आफ साइन्टिफिक एण्ड टेकनिकल सोसायटीज़ एण्ड इन्स्टीटयूशन्स आफ दि युनाइटेड स्टेट्स एण्ड केनाडा।

भारत को भी इस प्रकार के ग्रन्थो का निर्माण करना है। जो ग्रन्थालय सूचीकरण में परिपूर्णता तथा तत्परता एव सेवा में समर्थता को अपना उद्देश्य मानते है ऐसे ग्रन्थालयों को इस प्रकार के ग्रन्थों का अभाव बडा ही खटकता है। संसार के कतिपय देश अठारहवी शताब्दी में ही पर्याप्त सख्या में सामयिक का प्रकाशन आरम्भ कर चुके थे, किन्तु भारत ने उनका अनुगमन उन्नीसवी शताब्दी में जा कर प्रारम्भ किया है। और इसका भी अधिकाश श्रेय उन पश्चिमी विद्वानो के अग्रगामी उद्योगो को दिया जायगा जिन्होने भारतवर्ष में आधुनिक गवेषणा का श्रीगणेश किया। किन्तु वर्तमान शताब्दी मे, सामयिक प्रकाशनों के प्रवर्तन तथा विद्वत् सस्थाओं के स्थापन का चलन देश की सन्तानो पर आ पडा है, और परिणाम यह हो रहा है कि पर्याप्त मात्रा में प्रकाशन होता चला जा रहा है। हाँ, साथ ही यह भी मानना ही पडेगा कि उनमें से अनेक शैशवावस्था में काल-कवलित हो जाते हैं, अनेको का विवाह-सम्बन्ध होता है, अनेक सम्बन्ध-विच्छेद करते हैं, अनेको को लकवा मार जाता हैं, अनेक मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं तथा अनेक पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रकाशनो को जिन कठिनाइयों से टक्कर लेनी पडती है उनकी सख्या बडी विस्तृत है। भारत में न तो संगठित ग्रन्थालय-व्यवसाय ही है, न ग्रन्थ प्रकाशक-व्यापार है और न ही ग्रन्थ-विक्रेतृ व्यवसाय है— इनके सर्वथा अभाव के कारण भी बड़ी-बडी बाधाएं उपस्थित होती हैं। उन सामयिक प्रकाशनों की समस्याओं को सुलझाने का कार्य ग्रन्थालयो के लिए और भी जटिलतर हो जाया करता है।

यह कहा ही जा चुका है कि प्रत्येक समुन्नत देश में प्रतिभा-संपन्न महापुरुष, गौरव एवं विद्वत्तापूर्ण नरपुगव, ग्रन्थालयियो एवं वाग्मय सूचीकारो के व्यावसायिक सघटन, प्रकाशको के तथा ग्रन्थ विक्रेताओ के संघ, स्वय विद्वत्-समष्टिया, विश्वविद्यालय, राज्य तथा राष्ट्र की गवेषणा के अग्रदूत के रूप में कार्य करने के लिए विशेषत स्थापित, नेशनल रिसर्च कौन्सिल (राष्ट्रीय गवेषणा

परिषद्) जैसी अर्ध-प्रशासनीय समष्टिया, इसी प्रकार के उद्देश्य की सिद्धि के लिए उदार धन कुबेरों की निधियो द्वारा स्थापित कार्निजी इन्स्टीटयूशन आफ वाशिंगटन तथा स्मिथसोनियन इन्स्टीटयूशन जैसे सघटन अपनी-अपनी बौद्धिक तथा भौतिक सामग्रियों को एक सूत्र मे आबद्ध कर रहे है तथा पूर्वोक्त प्रकार की सभी ग्रन्थ-सूची विषयक ग्रन्थियो को सुलझा रहे है। उनके कार्यों से हमारे देशवासी लाभ उठा रहे है तथा चिरकाल तक उठाते रहेगे। वे स्रोत सूचना तथा अवगम के महान् भण्डार सिद्ध होते रहेगे। यह उचित नही है कि हम सकुचित राष्ट्रीय-भावना के कारण पथ भ्रष्ट हो जाय और उन मार्ग-दर्शकों की सहायता से अपने को वचित कर लें। हमें उनसे लाभ उठाते रहना चाहिए।

किन्तु क्या हम इतने निर्धन हो गए है कि हम उन्हे बदले मे कोई भी वस्तु नही दे सकते? इस प्रकार से ज्ञान के स्रोत का एक देशमुखी प्रवाह हमारे आत्म-सम्मान को आघात नही पहुचाता? ग्रन्थसूची-विषयक सेवा-सुविधा का यह एक देशमुखी प्रवाह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय आत्म गौरव की भावना के लिए अवश्य ही हानिकारक है। बुद्धि के चमत्कारो में, सामग्री तथा आविष्कार की दौड और सपन्नता में, अत्यधिक प्रतिभाशाली विभूतियो का जन्म देने मे हम किसी भी देश मे एक कदम भी पीछे नही है। हम किसी भी देश मे समानता का दावा कर सकते है। किन्तु अब भी, त्याग एव सहयोग की भावना से प्रभावित तथा विद्या-विषयक प्रवृत्ति से विशिष्ट त्यागी एव निस्वार्थी कार्यकर्ताओ का अभाव ही है। यह अवश्य ही मानना पडेगा कि ऐसे कार्यकर्ता धीरे-धीरे क्षेत्र मे उत्तर रहे है। किन्तु अभी उन की सख्या नगण्य-सी है। यह माना कि भाषा-विषयक, प्रान्तीय, जातीय तथा साप्रदायिक कारणो द्वारा परिपोषित क्षुद्रतर भावनाए तथा प्रवृत्तिया बल पकडती है। किन्तु ऐसे भी चिन्ह लक्षण दिखाई दे रहे है जिन मे यह स्पष्ट है कि सहकार्य-कर्त्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का उदय तथा समुद्योगो का केन्द्रीकरण होता जा रहा है। हमारी स्वतन्त्रता ने हमारा काया-कल्प कर दिया है। हम में अद्भुत शक्ति एव स्फूर्ति आ गई है। भारतीय विज्ञान परिषद (इण्डियन एकेडेमी आफ साइन्सेज) तथा भारतीय ग्रन्थालय संघ जैसी संस्थाए इस दिशा में पर्याप्त कार्य कर चुकी है तथा करती जा रही है। ऊपर जिस मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा समुद्योगों के केन्द्रीकरण का उल्लेख किया जा चुका है वह ऐसा है जिस की ओर प्रतिभा, ज्ञान तथा धन की सरिता का प्रवाह कम न होगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हमारी गवेषणा शक्ति तथा ज्ञान-जगत् में हमारा आत्म-गौरव उत्तरोत्तर उन्नत होते रहेगे।

पारिभाषिक-शब्दावली

अंशकार	Contributor
— निर्देश-संलेख	— Index Entry
अंश लेख	Contribution
अग्ररेखा	Leading line
अग्राक्षर	Initial
अग्राक्षर नाम	Initionym
अग्रानुच्छेद	Leading Section
अंक	Digit
अंकन	Notation
अतिरिक्त	Additional
— संलेख	Added Entry
अद्वय	Unique
अधिकार-क्षेत्र	Jurisdiction
अधिसूचन	Note
अनुकूलक्रम	Helpful Order
अनुगत	Supplement
अनुच्छेद	Section
अनुलय-सेवा	Reference Service
अनुलयी	— Librarian
अनुवर्ग-क्रम	Classified Order
— निर्देशी	— Index
— सूची	— Catalogue
अनुवर्ण	Alphabetical
— कोश	Dictionary
— निर्देशी	Alphabetical Index

— सूची	Dictionary Catalogue
अनुस्यूत	Consecutive
अनेक-माला-अधिसूचन	Multiple Series note
— लक्ष्यक	Multi-focal
— संपुटक	— Volumed
अन्तरीण	Intermediate Item
अन्तर्मार्ग-दर्शक	Gangway Guide
अन्तर्विषय	Subject Analytical
अन्तर्विषयि-सलेख	Cross Reference Entry
अन्तर्विषयी	— Reference
अन्योन्यतन्त्र	Inter-dependent
अपूरितांकन	Open Notation
अल्प विराम	Comma
अल्पाकार	Under-Sized
अवदान	Fascicule, Issue (of periodicals); Number (of a periodical)
अवाञ्छित लक्ष्य	Unsought link
अवान्तर	Alternative
अवान्तर आख्या	— Title
— नाम	— Name
— सलेख	— Name Entry
अस्तित्व-पत्र	Inventory
अस्थायि कक्षा	Temporary Sequence
आख्या	Title
— अन्तर-अधिसूचन	Change of Title Note
— निर्देशि-सलेख	Title Index Entry
— पत्र	— Page
— पृष्ठ	Back of the Title page
— प्रथम-पद-सलेख	First Word of Title Entry

आधार	Receptacle
आनुवंशिक	Hereditary
आवर्तित सामयिक	Serial
— सूची	Bibliography of Serials
— सलेख	Title Entry
आवृत्ति	Edition
आश्लिष्ट	Phased
आश्लेष	Phase
— सम्बन्ध	— Relation
आसग	Open Access
इष्टदेश	Favoured Country
— भाषा	— Language
— लिपि	— Script
उद्ग्रहण-अधिसूचन	Extraction Note
उद्गृहीत	Extract
— अधिसूचन	— Note
उद्धार-कोष्ठक	Inverted Comma
उन्मुद्रण	Offprint, Reprint, Separate
उपकल्पन	Rendering
उपनाम	Secondary Name
उपमंडल	Taluk
उपमाला	Minor Series
उपवर्ग	Sub-Class
उप-विभाग	Sub-Division of Department
उपशीर्षक	Sub-Heading
उपसमष्टि	Dependent Body
उपसूत्र	Canon

उपाख्या	Auxiliary Title, Half-Title
उपान्त्य	Penultimate
ऋजु-कोष्ठक	Square Bracket
एक-आत्मक	Monograph
— नामानि	Homonyms
— भागिक	Unipartite
— लक्ष्यक	Unifocal
— सम्पुटक	Single-Volumed
एकीकृत	Consolidated
एकीभाव	Amalgamation
ऐकिक-पत्रक-प्रणाली	Unit Card System
कक्षा	Sequence
कर्तृगण	Personnel, Staff
कल्प	Code
कल्पित-तथ्यनाम-सलेख	Pseudonym-Real-Name Entry
— नाम	Pseudonym
— माला	Pseudo-Series
कृति वर्णन	Bibliographical description
कृति-सूची	Bibliography of Books and Periodicals
केन्द्र	Head-Quarters
कोण-कोष्ठक	Angle Bracket
कोष्ठक	Bracket
क्रम-समक	Ordinal Numbers
क्रमागत	Successive
क्रामक-समक	Call Number
— सलेख	— Entry
क्षेत्र	Geographical Area
खातदर्शक	Bay Guide
ग्रन्थ	Embodied Thought

ग्रन्थक	Micro-Unit of Thought
ग्रन्थकार	Author
— निर्देशि-सलेख	— Index Entry
— विश्लेषक	— Analytical
— सलेख	— Entry
— सूची	— Catalogue
ग्रन्थ-दर्शक	Book Tag Guide
— पंजिका	Shelf Register
— व्यवस्थापन	Arrangement
— सूची	Bibliography
— सूचीकरण	Bibliographying
— सूचीकार	Bibliographer
ग्रन्थक-सूची	Analytical bibliography
ग्रन्थालय	Library
— लिपि	— Hand
— शास्त्र-पंच-सूत्री	Five Laws of Library Science
ग्रन्थालयी	Librarian
ग्राम	Village
चित्रकार-सलेख	Illustrator Entry
चिरगहन-ग्रन्थ	Classic
जटिल प्रकार	Complex Types
जटिलता-मिश्रण	Combination of Complexities
जीवन-चरित	Biography
ज्ञानकोश	Encyclopaedia (of a particular Subject)
तथ्य-नाम	Real name
तालिका	Schedule
दर्शक	Guide

— पत्रक	— Card
दशमलव-अंकन	Decimal Notation
— वर्गीकरण	— *Classification*
— समंक	— Number
देशक	Directing
द्वितीय-इष्ट-भाषा	Second Favoured Language
— माला	— Series
द्वितीयोर्ध्वा	— Vertical
द्विबिन्दु वर्गीकरण	*Colon Classification*
द्विभागिक	Bipartite
धारा	Rule
नगर	City
नव-माला	New Series
नाम-वृत्त	Who's Who
नामाद्य-शब्द	Forename
नामान्तर-निर्देशि-संलेख	*Cross Reference Index* Entry
नामान्त्य-शब्द	Surname
नियम	Regulation
निरर्थक, मिथ्या लक्ष्य या लक्ष्याभास	False link
निरवधि	Irregular
निर्धारणीयता का उपसूत्र	Canon of ascertainability
निर्देशक	Director
निर्देशिका	Directory
निर्देशि-संलेख	Index *Entry*
निर्देशी	Index
निर्धारण	Specification
निश्रेणि	Chain
निहित-कक्षा	Reserved Sequence
नैमित्तिक-पुस्तक	Associated Book
— अधिसूचन	— Note

न्याय	Principle
— विभाग	Judiciary
न्यायालय	Court of Law
पंक्ति	Array
पति	Crown
पत्रक	Card
— आकार-सूची	— Catalogue
— दर्शक	Tab
— पृष्ठ	Back of the Card
पत्र-पृष्ठ	Verso
पत्रादि-विवरण	Collation
पद	Term
पद्धति	Scheme
परपरित	Subordinate
पराख्या	Later Title
परिगृहीता	Accession-Librarian
परिग्रहण	Accession
— समक	— Number
परिपाटी	Routine
परिभाग	Division
परिसूत्र	Formula
पात्रक	Tray
पुनर्मुद्रित	Reprinted
पुरातन-प्रदर्शन	Museum
पुष्पिका	Colophon
पुस्तक	Book
— क्रम-पंजिका	Shelf Register
— पत्रक	— Card
— निर्देशि-सलेख	Book Index Entry
— समंक	— Number

पुस्तिका	Pamphlet
— कक्षा	Pamphlet Sequence
पूरिताकन	Closed Notation
पूर्ण-विराम	Full Stop
पूर्ण-ममक	Integer
पूर्वाख्या	Earlier Title
पृथक्-पुस्तक	Simple Book
प्रकारान्तर	Adaptation
प्रकाशक	Publisher
प्रकाशकीय-सूची	Publisher's Catalogue
प्रक्रिया	Procedure
प्रचलत्	Current
प्रचलन का उपसूत्र	Canon of currency
प्रणाली	System
प्रतिपाद्य-विषय	Subject-Matter
प्रथम-माला	First Series
प्रथमोर्ध्वा	— Vertical
प्रदर्शन-कार्य	Shelf Work
प्रदेश	Sub-State
प्रधान-वर्ग	Main Class
प्रधान-सलेख	— Entry
प्रमिति	Thesis
प्रस्तुत का उपसूत्र	Canon of context
प्रातिस्विक	Respective
फलक	Shelf
— दर्शक	Guide
बहुनामानि	Polyonyms.
बोध चिह्न	Signature symbol
भाग	Part
भाषान्तरकार	Translator
— संलेख	— Entry
भूमि-दर्शक	Tier Guide
मण्डल	District
मन्त्रिमण्डल	Executive
महाकार	Over-Sized
मात्रा	Unit

मानपद	Honorific
मानित-पत्रक	Standard Card
माला	Series
— अधिसूचन	— Note
— निर्देशि-सलेख	— Index Entry
— समक	Serial Number
— सम्पादक-सलेख	Editor of Series Entry
— सलेख	Series Entry
मुख	Facet
— परिसूत्र	— Formula
मुख्य-माला	Major Series
मुद्रक	Printer
— सूची	Printer's Catalogue
मुद्रणांक	Imprint
मूल-कृति	Original Works
मौलिक	Fundamental
योजक	Connecting
— अंक	— Symbol
रचना-तन्त्र	Gestalt Theory
रूप-अन्तर-सलेख	Variant form of Word Entry
रेखिका	Dash
लक्ष्य	Focus
लघु-आख्या	Short Title
लघुतर-विराम	Semi Colon
लघु विराम	Colon
लिंग	Characteristic
लिप्यन्तरीकरण	Transliteration
वक्र-कोष्ठक	Crooked Bracket

वरण	Choice
वर्ग	Class
— कार	Classifier
— निर्देशि-सलेख	Class Index Entry
— समक	— Number
वर्गीकरण	Classification
— आचार्य	Classificationist
वर्णक	Descriptive
वर्ण-केवल-व्यवस्थापन	All-Through Alphabetisation
—क्रम	Alphabetical Order
—*व्यवस्थापन*	*Alphabetisation*
वाक्यांश	*Phrase*
विक्रेत्रीय सूची	*Bookseller's* Catalogue
विचारवाहक	Organ
विच्छेद	*Splitting*
विद्वत्-परिषद्	Learned Society
विभाग	Department
विराम-चिन्ह	Punctuation Mark
विरुद	Title (Decoration)
विलय	Absorption
विवरण	Annotation
विशिष्ट	Particular, Specific
— लिपि	Block Letters
— *विवरण*	*Annotation*
— विषय	Specific Subject
विशेष-अन्तर्विषयि-सलेख	Special Cross Reference Entry
विश्वकोश	Encyclopaedia (Generalia)

विषय-उपशीर्षक	Subject Sub-Heading
— शीर्षक	— Heading
— सूची	— Catalogue
विषयान्तर	Cross Reference
विसंगत पुस्तक	Artificial Composite Book
वृत्त कोष्ठक	Circular Bracket
व्यक्ति-साधक	Individualising
— साधन	Individualisation
— सिद्ध	Individualised
व्यनुकार	Parody
व्यवस्थापन	Arrangement
व्यष्टि-ग्रथकार	Personal Author
— नाम	— Name
व्याख्याकार	Commentator
— सलेख	— Entry
व्याहत-प्रकाशन	Interrupted Publication
शासन	Administration
शीर्षक	Heading
सकेत-चिन्ह	Symbol
सक्रम का उपसूत्र	Canon of modulation
सक्षेप	Epitome
श्रेणी	Train
संक्षेपक	Epitomiser
सक्षेपण	Epitomisation
सख्या	Cardinal Number
संगत-पुस्तक	Composite Book
संग्रहण	Compilation
संग्राहक	Compiler
— सलेख	— Entry
संघटन	Organisation
सघात	Set

सन्तत-पत्रक	Continued Card
सलेख	Entry
संवादी	Consistent
संशोधक	Reviser
सस्था	Institution
सजाति-नाम-संलेख	Label Entry
समक	Number
समपंक्ति	Co-ordinate
समरेखा	Horizontal Line
समष्टि	Corporate Body
— ग्रन्थकार	— Author
— नाम	— Name
समावेशाकन	Inclusive Notation
समासित-नाम	Compound Name
समिति	Committee
समीक्षा	Criticism
समुच्चय	Collection
समुच्चित-सामयिक	Periodical
— सूची	Bibliography of Periodicals
समूह	Group
समूहक-निर्देशी	Cumulative Index
समूह-वर्ग	Generalia Class
सम्पादक	Editor
— निर्देशि-सलेख	— Index Entry
— सलेख	— Entry
सम्पादन	Editing
सम्पुट	Volume
— अंकन	Volume Numbering

सम्पुटक	Binder
मम्पुटकीय सूची	Binder's Catalogue
सम्पुटन	Binding
— कक्षा	— Sequence
सम्पुट-ममक	Volume number
सम्पुट-समयान्तर-अधिमूचन	— Periodicity Note
मम्मेलन	Conference
मरणि	Process
सर्वानुवर्ण-सूची	Dictionary Catalogue
सहकार	Collaborator
— सलेख	— Entry
सह-ग्रन्थकार	Joint Author
— निर्देशि-मलेख	— Index Entry
— मलेख	-- Entry
सह-व्यष्टि-ग्रन्थकार	— Personal-Author
सह-समष्टि-ग्रन्थकार	-- Corporate-Author
सह-सम्पादक	— Editor
महाय	Auxiliary
सहायक	Assistant
साधारण-प्रकाशन	Ordinary Publication
मापेक्षता का उपमूत्र	Canon of Relativity
सामयिक	Periodical Publication
सामयिक-सूची	Bibliography of Periodical Publication
सामान्य-लिपि	Ordinary Letter
सामूहिकाख्या	Generic Title
सारिणी	Table
सार्थक लक्ष्य	Significant link
सिद्धात	Theory
सुरक्षणीय	Abnormal
— कक्षा	Closed Sequence
सुसंगत-पुस्तक	Ordinary Composite Book

सूची	Catalogue
सूचीकरण	Cataloguing
सूचीकार	Cataloguer
सूत्र	Law
सेव्य	Reader
स्वतन्त्र	Independent
स्थान-विभेद-जनित	Local Variation
स्मारक	Memorial

निर्देशी

सख्याओं द्वारा धारा के समंक का अनुसन्धान किया गया है। यदि "व्याख्या" पद समंक के पश्चात् दिया गया हो तो धारा-सम्बन्धी व्याख्या का अनुसधान मानना चाहिए। यदि "अवतर" पद समक के पश्चात् दिया गया हो तो धारा-सम्बन्धी अवतरणिका का अनुसन्धान मानना चाहिये।

सं. मे उद्ध –संवन्ध में उद्धृत.

स. में उल्लि.–संवन्ध में उल्लिखित.

हेंडबुक आफ लर्नेड सोमायटीज एण्ड इन्स्टीटचूशन्स आफ अमेरिका, उल्लि., ८६३ व्याख्या.

हेंडबुक आफ साइन्टिफिक एण्ड टेकनिकल सोसायटीज एण्ड इन्स्टीटचूशन्स आफ दि युनाइटेड स्टेट्स एण्ड केनेडा, उल्लि., ८६२ व्याख्या.

हेत्वाभास, सूची के अधिकार के म में, ०१ अवतर.

72133